उत्तर प्रदेश

के

सामान्य प्रशासन

की

रिपोर्ट

१९५१ ई०

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
१९५८

विषय-सूची

भाग १—सामान्य संक्षिप्त विवरण

ख

भाग २—विस्तृत अध्याय

पृष्ठ

अध्याय १—सामान्य प्रशासन और स्थिति

अध्याय २—भूमि-प्रशासन

अध्याय ३—शान्ति-व्यवस्था तथा स्वायत्त शासन

अध्याय ४—उत्पादन तथा विवरण

अध्याय ५—सरकारी राजस्व तथा वित्त

अध्याय ६—जन-स्वास्थ्य, पशुपालन तथा मत्स्य-पालन

अध्याय ७—शिक्षा तथा कला

पृष्ठ

अध्याय ८—विविध

टिप्पणी—रिपोर्ट के भाग १ में शीर्षक 'सामान्य संक्षिप्त विवरण' के अंतर्गत १९५१ ई० के कलेन्डर वर्ष की प्रमुख घटनाओं और साथ ही प्रशासकीय कार्यवाहियो का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। भाग २ मे सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यो का विस्तृत विवरण है और यह भाग उन विभागीय रिपोर्टो पर आधारित है, जो आलोच्य विषयों के अनुसार १९५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष, १९५०-५१ ई० के मालगुजारी वर्ष, १९५०-५१ ई० के कृषि वर्ष अथवा १९५० ई० के कलेन्डर वर्ष से सबंध रखती है। आवश्यकतानुसार १९५१-५२ ई० के बजट अंक भी कही-कही दिये गये है।

उत्तर प्रदेश के प्रशासन की रिपोर्ट, १९५१ ई०

भाग १

सामान्य संक्षिप्त विवरण

१—सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमि

विगत वर्ष विश्व के लिये जितना अधिक चिन्ताजनक था, विचाराधीन वर्ष उतना नहीं रहा। फिर भी यह वर्ष उतने ही महत्व का था जितना कि हाल मे समाप्त होने वाले संकटपूर्ण तथा व्यापक घटनाओ से भरे हुए दशक का कोई भी वर्ष। संसार की बड़ी शक्तियों के बीच पारस्परिक तनातनी रही, और वास्तव में इस शताब्दि के उत्तरार्द्ध के प्रारम्भ में स्थिति आशाजनक रहने की अपेक्षा निराशाजनक ही अधिक रही। कोरिया के युद्ध की आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी और यह कहना कठिन था कि युद्ध की अपक्षाकृत विश्रान्ति और दीर्घकालीन विराम-सन्धि वार्ता के पश्चात् शान्ति की स्थापना होगी अथवा एक बडे पैमाने पर फिर से लड़ाई की कार्यवाहियां शुरू हो जायगी और विभिन्न राष्ट्र एक बार फिर विश्वयुद्ध के सन्निकट आ जायंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरिया में चीन को "आक्रमणकारी" घोषित किये जाने, चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के उक्त संस्था से बराबर पृथक् रक्खे जाने और सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन मे, जिसमे सुदूर-पूर्व के मामलों मे महत्वपूर्ण स्वत्व रखने वाली शक्तियों में से कुछ का प्रतिनिधित्व नही था, जापानी शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने का परिणाम केवल यही हुआ कि समस्याएं और भी जटिल हो गयी और "युद्ध-विरति" निर्णय से जो एक आशा की भावना पैदा हो गई थी वह भी क्षीण हो गयी। भारत के लिये यह स्वाभाविक ही था कि वह किसी एसी कार्यविधि से अपने को अलग रखने मे बडी सतर्कता से काम ले जो उसकी शान्ति और यथार्थवाद की नीति के मूल सिद्धान्तों के अनुरूप न हो और जहां तक जापान का संबंध था, यह समझा गया कि उस देश के साथ एक पृथक् सन्धि करना श्रेयस्कर होगा। राष्ट्रों में परस्पर अधिकाधिक शस्त्रास्त्र तैयार करने की होड की भयानक सम्भावनाए निःशस्त्रीकरण कमीशन स्थापित करन से और भी स्पष्ट हो गई, यद्यपि व्यापक रूप से विद्यमान तनातनी को देखते हुए इस बात की बहुत कम सम्भावना थी कि इस प्रकार का कमीशन कोई उपयोगी कार्य कर सकेगा। मध्य-पूर्व रक्षा-योजना के विचार ने स्पष्ट रूप धारण किया, किन्तु मिस्र मे एक नाजुक स्थिति पैदा हो गयी, जिसमे आंग्ल-मिस्री विवाद से सबधित प्रश्नो मे मिस्र के शाह के अधीन नील की घाटी की एकता का प्रश्न प्रमुख था। ईरान सरकार की तेल के राष्ट्रीयकरण की नीति के प्रश्न पर ईरान सरकार और एग्लो-ईरानियन आयल कम्पनी मे पैदा होने वाले विवाद के कारण उस क्षेत्र में एक और संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हुई। पेकिंग सरकार के तिब्बत की "शान्तिपूर्ण मुक्ति" सबंधी निश्चय से यह प्रतीत होता था कि आगे चलकर इस समस्त क्षत्र पर चीन अपना वास्तविक अधिकार कर लेगा। पडोसी देश नैपाल म, कभी-कभी उपद्रव होने के बावजूद अपेक्षाकृत शान्ति रही और अन्त में चलकर वहां जनप्रिय नताओ की अध्यक्षता मे एक सरकार स्थापित हुई। किन्तु काश्मीर पर (जहां १९५१ ई० के अन्तिम काल मे एक विधान-निर्मात्री सभा की स्थापना हुई) पाकिस्तान के आक्रमण से पैदा होने वाली समस्या अभी भी हल नही हो पायी थी, क्योंकि सुरक्षा परिषद् फिर इस समस्या का कोई न्यायोचित और मान्य हल निकालने मे असफल रही। मध्यस्थता के सबध

में आग्ल-अमेरिकी प्रस्ताव से, जिसे भारत अस्वीकार करने के लिये विवश था, यह प्रतीत होता था कि वास्तविक स्थिति को समुचित रूप से समझ कर उसे नही तैयार किया गया था और इस गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने का नया उपाय ढूंढ निकालने का भार आगे चलकर राष्ट्र संघ के एक नये प्रतिनिधि, डा० फ्रैंक ग्राहम को सौंपा गया। इस बीच पाकिस्तान के जिम्मेदार क्षेत्रो ने ऐसे रुख का परिचय दिया जो आश्चर्यजनक रूप से युद्धोन्मुख और पूर्णतः अनुचित था। भारत के प्रधान मंत्री की इस घोषणा से कि यदि काश्मीर पर कोई आक्रमण किया गया तो उसे भारत पर किया गया आक्रमण माना जायगा और इस बात से कि देश की सेना किसी भी धमकी का सामना करने के लिये तयार खडी है, यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया कि यद्यपि भारत शान्तिपूर्ण उपायो का प्रेमी है और कभी भी उनसे विरत नही हुआ है, फिर भी वह क्रूरता के सामने झुकने या युद्ध की धमकी के सामने घुटने टेकने के लिये किसी भी हालत मे तैयार नहीं हो सकता। किन्तु दोनों देशो के बीच के व्यापार संबध इस वर्ष हुए नये समझौते के फलस्वरूप और सुधर गये। दक्षिण अफ्रीका तथा लंका के भारतीयों को संबंधित सरकारो की नीतियो से पैदा होने वाली कठिनाइयो का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियो द्वारा वर्ण-विभेद की नीति का परित्याग करने से बार-बार इन्कार किये जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका के भारतीयो के संबध मे स्थिति विशेषरूप से असह्य हो गयी। इधर अपने देश में, सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक कठिनाइयो से घिरा रहा और खाद्य का लगातार अभाव बने रहने के कारण फिर बड़े पैमाने पर उसका आयात करना आवश्यक हो गया, जिसका काफी बडा भाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त हुआ। देश की अर्थ-व्यवस्था तथा सामान्य जीवन-स्तर मे सुधार करने के प्रयत्न जारी रक्खे गये और योजना कमीशन द्वारा तैयार की गयी एक पचवर्षीय योजना का मसविदा भी प्रकाशित किया गया। भारतीय गणराज्य के प्रथम सामान्य निर्वाचन के सिलसिले में सर्वत्र राजनीतिक कार्रवाइयों की चहल-पहल रही। इस निर्वाचन मे जितनी बड़ी सख्या मे मतदाताओ ने भाग लिया उसे देखते हुए यह निर्वाचन जनतंत्र के क्षेत्र मे एक ऐसा महान् प्रयोग था जैसा इसमे पूर्व संसार के किसी भाग मे कभी भी नही देखा गया था।

२—राजनीतिक सिंहावलोकन

उत्तर प्रदेश में, १९४६ ई० मे पद-ग्रहण करने के लिये आमन्त्रित मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के शासन-प्रबन्ध की बागडोर संभालने की अवधि अब समाप्त होने जा रही थी। युद्ध के तथा, कुछ हद तक, देश-विभाजन के फलस्वरूप पैदा होने वाली कठिनाइयो के कारण इस अवधि मे उन्नति प्राय. मन्दगति से हुई और विचाराधीन वर्ष की स्थिति मे पिछले वर्ष से अधिक अन्तर नहीं रहा। आर्थिक संकट, जो अधिकांशतः विश्व-कारणो से पैदा हुआ था, अब भी एक गम्भीर वास्तविकता के रूप मे विद्यमान था और ऊची कीमतों तथा वस्तुओ के अभाव का भूत अब भी सारे देश पर सवार रहा। राज्य के कुछ भागों, विशेषतया पूर्वी जिलो को फिर दैवी प्रकोप का सामना करना पड़ा और वे अपनी फसलो के काफी बडे भाग से वंचित हो गये। "क़ानून तथा व्यवस्था" की स्थिति, यद्यपि पहले से कुछ अच्छी थी, फिर भी अभी ऐसी नही थी कि चौकसी में कमी की जाती। श्रमिक वर्ग मे बचैनी के कुछ लक्षण बराबर दिखाई पडते रहे और छात्र समुदाय के एक भाग ने भावावेश में आकर अनुशासनहीन कार्यो मे अपनी मूल्यवान शक्ति नष्ट की। फिर भी दिन प्रतिदिन पैदा होने वाली समस्याओ का सामना करने के संबध मे की जाने वाली कार्रवाइयो के साथ-साथ विकास और पुनर्निर्माण का कार्य भी पहले की तरह चलता रहा। खाद्य-उत्पादन, सिचाई की सुविधाओ के विस्तार, विद्युत् विकास तथा राष्ट्र-निर्माण के अन्य कार्यो की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम को अन्तिम रूप से कानून का रूप दिया गया, यद्यपि समय के अनुकूल चलने में प्रत्यक्षत. अपनी असमर्थता के कारण जमींदार वर्ग ने जो विधि संबंधी विवाद खडा किया था उससे एसा प्रतीत होता था कि किसानो का मुक्ति

क्षत्रों मे और अधिक दृढ हो गयी और जिलों के नियोजन कार्य से इसका सम्पर्क अधिकाधिक बढता गया, जिसे इस वर्ष और अधिक तेजी के साथ चलाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागो तथा इटावा मे पाइलट योजनाओ के अन्तर्गत काफी बडे इलाको मे रचनात्मक कार्यों की चहल-पहल रही। सामान्य निर्वाचनो के दौरान मे, जिनका प्रभाव सारे प्रान्त की राजनीतिक स्थिति पर पड़ा और जिनके फलस्वरूप सत्ता प्राप्त करने के कुछ नये महत्वाकांक्षी भी सामने आये, मत्रिमडल असामान्य कठिनाइयो के बावजूद जनता के सम्मुख अथक परिश्रम और अनेक उल्लेखनीय सफलताओ का रेकर्ड प्रस्तुत करने मे सफल हुआ।

राजनीतिक दलो मे सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव अब भी कांग्रेस को ही प्राप्त रहा। जिन आन्तरिक मतभेदो के कारण १९५० ई० मे जनतन्त्रात्मक मोर्चा बना था वे विरोधी विचार के कुछ लोगो के अलग हो जाने पर, जिनमे कुछ प्रमुख सदस्य भी सम्मिलित थे, तथा किसान मजदूर प्रजा पार्टी के बन जाने पर इस वर्ष समाप्त हो गये, किन्तु इसका कांग्रेस संस्था की प्रमुखता पर कोई प्रभाव नही पडा। कांग्रेस अध्यक्ष के परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप श्री जवाहर लाल नेहरू को दल के प्रमुख का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पडा तथा वर्ष के लगभग मध्य भाग मे निकाले गये निर्वाचन घोषणापत्र के सबंध मे व्यापक रूप से दिलचस्पी ली गयी। कांग्रेसजन आगामी निर्वाचनो की तैयारी करने के अतिरिक्त आमतौर पर रचनात्मक कार्यो मे लग गये, जिनके लिये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अप्रैल के अधिवेशन मे काफी जोर दिया गया था। उन्होने बिहार को खाद्यान्न की सहायता पहुचाने के मामले मे भी काफी दिलचस्पी ली और गणराज्य दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह, स्वाधीनता दिवस तथा गान्धी जयन्ती जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कृत्यो तथा घटनाओ को यथोचित रूप से मनाने मे जनता को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

जन कांग्रेस नामक दल, जिसे उत्तर प्रदेश मे भूतपूर्व कांग्रेसजनो ने पिछले वर्ष संगठित किया था, किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के बन जाने के बाद कुछ समय तक अपना काम करता रहा। कांग्रेस तथा सरकार के विरुद्ध प्रचार करना ही इसका मुख्य कार्य था और लखनऊ मे विधान भवन के सामने अप्रैल मे प्रदशन करने के अतिरिक्त इस दल की ओर से बहुत सी सभाओं और जुलूसो का भी आयोजन किया गया। कुछ जिलो मे स्थानीय कर्मचारियों, खासकर पुलिस विभाग के कर्मचारियो की कडी आलोचना की गयी।

नवनिर्मित किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के नेताओ और कार्यकर्त्ताओ द्वारा, जो अभी तक कांग्रेस में ही थे और जिन्होने उसके कार्यो मे भाग लिया था, सरकार पर भ्रष्टाचार, अयोग्यता, कुप्रबन्ध और अत्याचार के आरोप लगाये गये। कई जगहो पर पार्टी की शाखाये खोली गयी और विभिन्न प्रचार सभाओ मे जनता से कहा गया कि वह बड़ी तादाद मे इस पार्टी मे शामिल हो और कांग्रेस को वोट न दे। अहिंसात्मक तथा वैधानिक उपायो से सरकार को बदलने का समर्थन किया गया, किन्तु दो एक जगह से यह रिपोर्ट मिली कि व्यक्तिगत रूप से कुछ थोडे से वक्ताओ ने हिंसा का भी प्रचार किया। नवम्बर के महीने में लखनऊ मे हुई पार्टी की कार्यकारिणी की एक बैठक मे पार्टी के निर्वाचन घोषणापत्र को अन्तिम रूप दिया गया।

सभाये करने और पर्चे बांटने के अतिरिक्त, सदा की भाति, प्रदर्शन करना और जुलूस निकालना समाजवादी पार्टी का राज्य मे मुख्य काय था। सभाओ मे जो भाषण दिये गये उनमे कांग्रेस और सरकार के विरुद्ध पूर्ववत् आरोप लगाये गये और कुछ एसी भी रिपोर्टे मिली जिनसे यह पता चलता था कि कुछ जगहो मे स्थानीय कार्यकर्त्ताओं ने एसी बाते कही जिनकी प्रवृत्ति लगभग जनता को हिसा के लिये प्रोत्साहित करने की थी। ग्रामीण क्षेत्रो मे पार्टी का प्रभाव बढाने की पूरी-पूरी कोशिश की गयी और स्पष्टतः पार्टी को जनता मे जनप्रिय बनाने के उद्देश्य से स्थानीय शिकायतो, खासकर किसानो और श्रमिको की शिकायतो को बहुत महत्व दिया गया। कुछ स्थानो पर किसानो के प्रदर्शन आयोजित किये गये और कुछ अन्य स्थानो पर श्रमिको को हड़ताल करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। आगरा मे एक स्थानीय

चलाया गया, जो कुछ दिनो तक चला और समझौता हो जाने पर १३ जुलाई को समाप्त हो गया, किन्तु हडतालो के प्रति सरकार के रुख की तथा रेलवे की भावी हडताल के संबध मे भारत सरकार द्वारा निकाले गये आर्डिनेन्स की कडी आलोचना की गयी। उत्तर प्रदेशीय हिन्द किसान पचायत तथा हिन्द मजदूर सभा की जनरल कोंसिल और कार्यकारिणी समिति की बैठको के अतिरिक्त इस वर्ष हिन्द किसान पंचायत का वार्षिक अधिवेशन भी हुआ। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी समिति की कई बार बैठके हुई और एक बैठक में महिलाओ मे कार्य करने के लिये महिला पंचायते सगठित करने का निश्चय हुआ। मई दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलो मे किसानों और मजदूरो की कुछ मांगो को दुहराना और संबंधित जिला मैजिस्ट्रेटो को इन मांगो का एक स्मृति-पत्र प्रस्तुत करना पार्टी का मुख्य कार्य रहा। २० मई से २७ मई तक एक 'रचनात्मक सप्ताह' भी मनाया गया, किन्तु इससे जनता में कोई अधिक उत्साह पैदा होता नही दिखायी दिया। २२ नवम्बर से २९ नवम्बर तक एक "किसान सप्ताह" भी मनाया गया। तीन जिलो के, जिनमे समाजवादी ३० मई को "जनवाणी दिवस" सगठित कर सके, जिला मैजिस्ट्रेटों को एक मांग-पत्र पेश किया गया, जिसमें बिना कोई प्रतिकर दिये जमीदारी का विनाश करने, भूमि का पुनर्वितरण करने तथा मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करन आदि की मागे सम्मिलित थी। राज्य भर मे जिलों के सदर मुकामो पर इस दिवस को मनाने की बहुत पहले से तैयारिया की गई थीं। सामान्य निर्वाचनो का समय ज्यो-ज्यो निकट आता गया, प्रचार-सभाओ की सख्या बढती गयी और उम्मीदवारो का चुनाव करने के कार्य के लिये जुलाई मे एक पार्लमेन्टरी बोर्ड स्थापित किया गया। कुछ जगहो पर समाजवादियो ने शडयूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ एक 'संयुक्त मोर्चा" बनाया, किन्तु पार्टी के नेतागण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी और क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी जैसी सस्थाओ के साथ गठबंधन करने के विचार के प्रबल विरोधी मालूम पड़ते थे। कुछ जगहो से पार्टी मे फूट पड़ जाने के समाचार भी मिले और बहुत से त्याग-पत्र दिये गये।

क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी की, जिसने अधिकतर पूर्वी जिलों में कांग्रेस सरकार, पूंजीपतियों, जमीदारो और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुराने ढंग पर प्रचार करना जारी रक्खा और जिसकी कुछ सभाओ मे वक्ताओं ने हिंसा का समर्थन करने मे कोई संकोच नही किया, प्रगति को इस वर्ष धक्का पहुचा। पार्टी की आन्तरिक फूट और अधिक बढ़ गयी, जिससे यह संस्था दो समुदायो में बंट गयी, जिनमें से एक ने कुछ समय तक दूसरे की अपेक्षा काम में अधिक मुस्तैदी दिखायी और पूर्वी जिलो मे कुछ जिला किसान सम्मेलन तथा कानपुर में ९ अगस्त से १५ अगस्त तक "झूठा स्वतंत्रता सप्ताह" संगठित किया। किन्तु इस सम्पूर्ण सस्था का भविष्य वर्ष के अन्तिम दिनो मे अच्छा नही दिखायी पड़ रहा था और इसके सदस्य नवनिर्मित बाम पक्षी समाजवादी पार्टी में अधिकाधिक दिलचस्पी ले रहे थे, जो समस्त "बाम पक्षी" दलों मे एकता की आवश्यकता का समर्थन करती थी। कुछ स्थानो में क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओ ने निर्वाचनो के प्रयोजनो के लिये, जिनके सबंध मे पहले उन्होंने विधान मंडल की कुछ जगहो के लिये उम्मीदवार खडे करने का निश्चय किया था, कम्युनिस्टों के साथ मिल कर काम किया।

कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसकी कारवाइयों में वर्ष के आरम्भ मे कोई जोर नही था, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बाद के महीनो में सभाओ, जुलूसों तथा पोस्टरो और पुस्तिकाओं के जरिये और कभी-कभी नाटकों और फिल्मो (सिनेमा-चित्रों) के प्रदर्शनों द्वारा, जिनमें रूसी और चीनी फिल्में भी सम्मिलित थी, जोर-शोर से काम किया। सामान्य निर्वाचनों के संबध मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के निर्णय की घोषणा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टो ने निर्वाचनो मे भाग लेने का निश्चय कर लिया था और इस संबंध में एक तदर्थ समिति बना ली थी। उसने अन्त में चलकर जो अपेक्षाकृत थोड़े से उम्मीदवारों को खड़ा करने का निश्चय किया उससे यह प्रतीत होता था कि जनता पर उसका जो सीमित

प्रभाव था और उसे सफलता की जितनी आशा थी, उसे वह समझती है, किन्तु वह जनता से सम्पर्क बढ़ाने और अपनी विचारधारा का प्रचार करने का अवसर खोना नही चाहती थी। निर्वाचन-संबंधी कार्य के अतिरिक्त, पूर्वी जिलो में फौजदारी के मुकद्दमों में फंसे हुए कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं को बचाने के लिये रुपया इकट्ठा करना, समस्त बामपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश करना, "शान्ति अपील" पर हस्ताक्षर करा कर प्रायः वर्ष भर "शान्ति आन्दोलन" चलाना तथा सम्मेलनों का आयोजन करना इस पार्टी के कुछ खास-खास काम थे।

सदा की तरह १ मई को "मई दिवस", २१ जनवरी को "लेनिन दिवस", १ अगस्त को "राजबन्दी दिवस" और ७ नवम्बर को "रूसी क्रान्ति दिवस" मनाये जाने के अतिरिक्त संगठन के मृत सदस्यो की स्मृति में कुछ जगहों पर शोक सभायें आदि आयोजित की गईं। पार्टी के कार्यकर्त्ताओ ने छात्र-छात्राओं, किसानों और मजदूरों की ओर विशेष ध्यान दिया और कभी-कभी निम्नश्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी मैत्रीपूर्ण भाव व्यक्त किये। ट्रेड यूनियन की कार्यवाहियों के सिलसिले में संयुक्त मोर्चा कायम करने के उद्देश्य से गैर-साम्य-वादी (कम्युनिस्ट) कार्यकर्त्ताओ को भी उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दे दी गई। कई छोटी-छोटी सभाओं में सदा को तरह कांग्रेस, सरकार, स्थानीय कर्मचारियों, पूंजीपतियों और जमीदारों की आलोचना की गई और खाद्य व कपड़े की स्थिति, जमींदारी विनाश निधि, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट और विभिन्न स्थानीय मामलों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। ऐसे उदाहरणो की कमी नही है जब वक्ताओं ने वैधानिकता की आड़ छोड़कर हिंसा का प्रचार किया या यह सुझाया कि सरकार केवल क्रान्ति द्वारा ही बदली जा सकती है। निम्नकोटि के सरकारी कर्मचारियों पर, जो ड्यूटी पर थे, कई आक्रमण होने और कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के साथ झगड़े और मारपीट किये जाने की भी रिपोर्ट मिली।

हिन्दू महासभा, राम राज्य परिषद् और भारतीय जन संघ ने अपना ध्यान अधिकतर हिन्दू सम्प्रदाय मे अपने पक्ष का प्रचार करने में लगाया। यह रिपोर्ट भी मिली कि इन पार्टियों के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने वर्ष के अंत में अपने कार्यकर्त्ताओं को यह आदेश दिया कि वे जिलों में संयुक्त पार्लियामेन्टरी बोर्ड कायम करें। लेकिन महासभी के लोगो में मुरादाबाद के इस प्रस्ताव के संबध में बड़ा मतभेद था कि उक्त संगठन के पार्लियामेन्टरी कार्यक्रम में गैर-हिन्दुओं को भी भाग लेने दिया जाय।

महासभा के नेताओ ने अपने आन्दोलन के सबंध मे कई जिलों का दौरा किया और सदस्यों को भर्ती करके इस संगठन को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। महासभा के वक्ताओ ने सभाओ मे देश के विभाजन के लिये कांग्रेस को दोषी ठहराया। अखंड भारत के आदर्श की पुष्टि की, हिन्दू कोड बिल का विरोध किया या उन मंदिरों के पुनरुद्धार की माँग की जो भूतकाल में मस्जिदो में परिणत कर दिये गये थे। मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति को तुष्टीकरण की नीति कहकर बहुधा उसकी आलोचना की गई। काश्मीर के प्रति अपनाई गई नीति से भी वे सहमत नहीं थे। उक्त संगठन के सदस्यों ने पाकिस्तान द्वारा, जिसके "तने हुये घूंसे" के चिन्ह से वे और भी चिढ़े हुये थे, आक्रमण किये जाने की दशा में काश्मीर की रक्षा के हेतु सरकार को पूरी सहायता करने का वचन दिया। २ सितम्बर को महासभा द्वारा मनाये गये "काश्मीर दिवस" के अवसर पर इस प्रतिज्ञा को दोहराया गया।

राम राज्य परिषद् का दावा यह था कि यही एक ऐसी संस्था है जिसका आधार धर्म है। यह संगठन अधिकतर हिन्दू कोड बिल का विरोध संगठित करने और गोवध पर प्रतिबंध लगाने

की माँग के पक्ष मे समर्थन प्राप्त करने मे व्यस्त रहा। इसके अतिरिक्त महासभा की तरह इसके वक्ताओ न भी कभी-कभी दूसरी समस्याओ की चर्चा की जिनमे आर्थिक समस्या, विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास की समस्या तथा अयोध्या के बाबरी मस्जिद-जन्मभूमि संबंधी विवाद सम्मिलित थे। धर्म निरपेक्ष राज्य के आदर्श की खिल्ली उडाई गई और यह कहा गया कि जब परिषद् की सरकार बनेगी तो भारत का संविधान धर्म शास्त्रों के आधार पर होगा। लोगो से यह कहा गया कि यदि वे वास्तव में राम राज्य कायम करना चाहते हो तो वे परिषद् का समर्थन करे। इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि अल्पसख्यकों को भी उक्त राज्य मे उचित स्थान मिलेगा। हिन्दू कोड बिल के विरोध मे किये जाने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के लिये कुछ स्वयंसेवक दिल्ली भेजे गये और "हिन्दू कोड बिल विरोध दिवस" मनाया गया।

भारतीय जन संघ ने भी मुख्यतया हिन्दू कोड बिल का विरोध किया और गोबध पर प्रतिबंध लगाने के लिये जोर दिया। वर्ष के उत्तरार्द्ध मे यह संगठन कायम हुआ और इसने लखनऊ मे प्रान्तीय कार्यालय खोलने के अलावा कई जिलों मे भी अपनी शाखाये खोली और मुख्यतया सभाओ द्वारा जोर-शोर का प्रचार किया। इसके वक्ताओ ने कटु आलोचनाये की और कभी-कभी प्रधान मत्री तथा अन्य नेताओं के प्रति अपशब्दो का प्रयोग किया। करो और नियंत्रणों (कन्ट्रोलो) को व्यापारी वर्ग के लिये हानिकर बताया गया और उनके संबंध मे सरकारी नीति की आलोचना की गई। धर्म निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त, वैदेशिक नीति तथा मुसलमानो और पाकिस्तान के प्रति सरकार के रुख की भी बहुधा आलोचना की गई। पार्टी के कार्य कर्त्ताओं ने कभी-कभी यह भी दावा किया कि इस संगठन का उद्देश्य हिन्दू संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना है और उन्होने मुसलमानों को भी सलाह दी कि वे 'भारतीय सस्कृति' अपनाये। अन्य अवसरो पर उन्होने यह घोषणा की कि सघ का उद्देश्य सभी जातियों की कठिनाइयों को दूर करना तथा उनके हको की रक्षा करना है। राष्ट्रपति शासन की माँग की गई, ताकि "निष्पक्ष और स्वतत्र" चुनाव हो सके और इस संबध में कई स्थानों पर "राष्ट्रपति शासन दिवस" मनाया गया।

जन सघ के उम्मीदवारो को राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के कार्यकर्त्ताओ का समर्थन मिलने की बात भी सुनने मे आई, यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से अलग रहे और पार्टी के आधार पर उन्होने चुनाव मे कोई भाग नही लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ का दैनिक कार्य शारीरिक व्यायाम, नकली (माक) लड़ाइयों और रैलियो तक ही सीमित रहा। इनमे वे रैलियाँ आदि भी सम्मिलित है जो महत्वपूर्ण हिन्दू त्यौहारो और विशेष अवसरो पर सगठित की गईं। कई स्थानों में ग्रीष्म तथा शरद्कालीन शिविर भी संगठित किये गये। साधारणतया रैलियो के संबंध मे दिये गये भाषणो मे हिन्दू संस्कृति तथा सगठन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कभी-कभी सरकार की आलोचना की गई और काश्मीर के मामले का भी उल्लेख किया गया। रक्षाबधन के दिन जो रैली की गई उसमे भाग लेने वाले स्वयंसेवको से यह कहा गया कि मातृभूमि पर आक्रमण होने की दशा म उन्हे किसी तरह का भी बलिदान करने के लिये तैयार रहना चाहिये। कभी-कभी साम्यवाद के सिद्धान्तो का भी उल्लेख किया गया और इस बात का सकेत किया गया कि सघ उसके विरुद्ध मोर्चा लेने के लिये तैयार है और साथ ही उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में सरकार की सहायता करने के लिये तत्पर है।

उत्तर प्रदेश में सिख सम्प्रदाय के लोगों ने अकाली दल के पक्ष मे प्रचार किया और दीवानों तथा विशष "दिवसो" जसे "खालसा दिवस", "वैसाखी दिवस" इत्यादि पर आयोजित सभाओं ये एक पृथक् पंजाबी-भाषी राज्य स्थापित करने की माँग की। सितम्बर मे जो यू० पी० सिख कन्वेंशन हुआ उसमे भाग लेने वालो ने एक प्रस्ताव पास करके सिखो से यह कहा कि वे

चुनाव म कांग्रेस का विरोध करे और बाद मे उत्तर प्रदेश सिख सम्मेलन के पाँचवे अधिवेशन मे सिख प्रतिनिधि बोर्ड को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह चुनाव के सिलसिले में 'अन्य प्रगतिशील पार्टियो' से समझौता कर सकता है। पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुछ विशेष सुविधाओं की भी माँग की गई। विस्थापित व्यक्तियो के संगठनो ने अपनी समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया और निष्क्रान्त सम्पत्ति मुसलमानो को देने के संबध म निष्क्रान्त सम्पत्ति अध्यादेश (इवेकुई प्रापर्टी आर्डीनेंस) मे किये गये संशोधन की आलोचना की। केन्द्रीय पुरुषार्थी बोर्ड द्वारा मनाये गये 'निष्क्रान्त सम्पत्ति विरोध दिवस' के अवसर पर यह माँग की गई कि मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोडी गई सम्पत्ति विस्थापित व्यक्तियों को दी जाय।

शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और शोषित संघ ने मुख्यतया सवर्ण हिन्दुओं और सरकार के विरुद्ध अपनी शिकायतों का वर्णन किया। सवर्ण हिन्दुओ पर अत्याचार करने का दोषारोपण किया गया और सरकार के ऊपर यह दोष लगाया गया कि वह अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुये वर्गो की समस्याओ के प्रति उदासीन है। उनके कतिपय सम्मेलनो और सभाओं मे कडी भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया गया और कई अवसरों पर फेडरेशन के नेताओ ने अपने अनुगामियो से बुद्ध धर्म ग्रहण करने के लिये कहा। दोनों ही संगठनों ने आम चुनाव मे अपने अपने उम्मीदवारो का समर्थन करने के लिये लोगों से कहा। सितम्बर म सघ की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक हुई उसमें "शोषित संघ" के सदस्यो में आपस मे फूट पड गई और इसका परिणाम यह हुआ कि दो दल बन गये। इस संगठन ने हिन्दू कोड बिल का समर्थन किया।

जमायत-उल-उलेमा तथा जमायत-ए-इस्लामी ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को उभाडा। इन दोनों ही सस्थाओं ने राजनीति से अलग रहने की घोषणा की थी और वे धार्मिक आधार पर अपने सम्प्रदाय के सदस्यो को संगठित करने में व्यस्त प्रतीत होती थीं। जमायत-ए-तबलीग द्वारा भी इसी प्रकार की कार्यवाहियाँ की गईं और पहले के खाकसारों, मुस्लिम लीगियों तथा अहरारों ने अपने मुर्दा सगठनो मे फिर से जान डालने की कोशिश की। आमतौर पर मुसलमानों ने हिन्दी के प्रति सरकार की नीति की आलोचना की और उर्दू के पक्ष का समर्थन किया। इस सम्प्रदाय के कुछ व्यक्तियो ने तो ऐसी प्रवृत्ति का परिचय दिया जिसे देखते हुये यह नही कहा जा सकता था कि उन्हे भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारियो का जरा भी ध्यान है और उन्होंने भारत विरोधी प्रचार भी किया। कभी कभी "इस्लाम खतरे मे है" का पुराना नारा दुहराया गया और यह रिपोर्टें भी मिली कि मुसलमानों को गुप्तरूप से शस्त्रास्त्र इकट्ठा करने की सलाह दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि भारत के विरुद्ध "जेहाद" आरम्भ होने पर पाकिस्तान की सहायता करने के लिये वे तैयार रहें। यह भी सुनने म आया कि 'जेहाद' के शीघ्र ही शुरू होने का जिक्र अक्सर पाकिस्तान से आई हुई प्राइवेट चिट्ठियों मे होता था। किन्तु कुछ मुस्लिम संगठनो ने, जैसे अखिल भारतीय शिया कान्फ्रेंस और यू० पी० मोमिन कान्फ्रेंस ने पाकिस्तान मे 'जेहाद' प्रचार की घोर निंदा की। शिया कान्फ्रेंस ने अगस्त मे अपने लखनऊ के अधिवेशन मे प्रधान मंत्री के नेतृत्व मे पूर्ण विश्वास प्रगट किया और काश्मीर के प्रति पाकिस्तान के रुख की आलोचना की। मोमिन कानफ्रेंस की कार्यकारिणी समिति ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान और भारत मे लड़ाई छिड़ने पर वे सरकार का पूरा-पूरा साथ देंगे।

"सुभाष दिवस" मनाने के अतिरिक्त फारवर्ड ब्लाक ने कतिपय स्थानो पर छोटी छोटी सभायें की। इसके अलावा उसने वर्ष मे प्रायः कोई और ऐसा काम नही किया जिससे राज्य में उसके अस्तित्व का पता चलता। कई व्यक्तियो पर, जो इस संगठन के सदस्य थे, दो जमींदारों की हत्या के सिलसिले मे फौजदारी मुकद्दमा चलाया गया। वे दोषी पाये गये और सेशन्स कोर्ट ने उन्हे सजा दी।

जमीदारो ने सभायें आयोजित करके और नये अधिनियम की वैधता के सबध मे मुकद्दमा लडने के लिये चन्दा इकट्ठा करके जमीदारी विनाश विधायन के विरुद्ध अपने आन्दोलन को और भी तेजी के साथ चलाया तथा राज्य के विरुद्ध हजारो मुकद्दमे हाईकोर्ट मे चलाये। अप्रैल में यू० पी० जमीदार्स एसोसियेशन के सम्मेलन ने आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खडा करने का निश्चय किया और उसने गत वर्ष जमीदारो द्वारा बनाई गई प्रजापार्टी का प्रसीडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी चुना। बाद मे प्रजा (जमींदार) पार्टी की कार्यकारिणी समिति और पार्लियामेंटरी बोर्ड की सयुक्त बैठक मे यह तय किया गया कि उम्मीदवारो का चुनाव करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जाय और समय समय पर प्रचार करने के सबंध में जो सभायें की गई उनमें किसानो का समर्थन प्राप्त करने का प्रय न किया गया।

३—समाचार-पत्र और जनमत

उत्तर प्रदेश में जिस समस्या की ओर जनता का ध्यान सबसे अधिक आकृष्ट हुआ वह खाद्य समस्या थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा (जनवरी मे) राशन मे घोषित की गई कटौती की बहुत से समाचार-पत्रो ने तीव्र आलोचना की। इन समाचार-पत्रो ने "खाद्यान्न खोज समिति" (फूडग्रेन्स इन्वेस्टीगेशन कमेटी) की इस सिफारिश की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि प्रतिदिन १६ आउंस राशन दिया जाय। देश के कुछ भागो की खाद्य स्थिति खराब हो जाने पर चिन्ता प्रगट की गई और जोर देकर इस बात की जरूरत बताई गई कि खाद्य उत्पादन बढाने की महत्ता पर नये सिरे से ध्यान दिया जाय और "निर्यात" सम्बन्धी दृष्टिकोण मे परिवर्तन किया जाय। कुछ समाचार-पत्रो ने जोरदार शब्दो मे इस बात की सिफारिश की कि बंदरो और जगली जानवरो को नष्ट कर दिया जाय और मुनाफाखोरो, गल्ला जमा करने वालो तथा चोरबाजारी करन वालो के विरुद्ध और कडी कार्रवाइया की जाय।

यह बात सामान्यतया स्वीकार कर ली गई थी कि सारे देश के लिये खाद्य नीति एक सी हो तथा गल्ले का "आयात" राष्ट्र के आत्म-सम्मान के विरुद्ध न समझा जाय, परन्तु भूमि सेना तैयार करने के विचार का समर्थन नहीं किया गया। वर्ष के अंत मे यह सुझाव दिया गया कि खाद्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार को चाहिये कि वह लोगो में एक प्रकार का धार्मिक उत्साह पैदा करने मे सर्वोदय के कार्यकर्त्ताओ को सब तरह का सहयोग दे। कुछ समाचार-पत्रों को इस बात का पूर्णतया विश्वास नहीं था कि वास्तव मे ५० लाख टन गल्ले की कमी है। उनकी राय मे खाद्य समस्या गम्भीर होते हुये भी इतनी गम्भीर नही थी जितनी कि वह प्रतीत हो रही थी। उनका विचार था कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से हल की जा सकती है, यदि वास्तव मे संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिये सभी लोग त्याग करने के लिये तैयार हो।

भारत को ऋण के रूप मे गेहूं देने के प्रश्न पर अमेरिका में लम्बे अर्से तक जो वाद-विवाद चला उससे वहां के समाचार-पत्रो की भावनाओ को सबसे अधिक चोट पहुंची। यद्यपि देश में खाद्यान्न की बड़ी सख्त जरूरत थी, फिर भी अधिकतर समाचार-पत्रो का यही विचार था कि देश की स्वतंत्रता, सम्मान या उसके हितो को किसी दूसरे देश के हाथ बेचकर वहा से खाद्यान्न प्राप्त करने से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। खास तौर से यह कहा गया कि अपमानजनक शर्तों के साथ दान के रूप में खाद्यान्न प्राप्त करने से तो अच्छा यह होगा कि हम भूखे मर जायं। इस संबंध में सरकार ने रूस और चीन से खाद्यान्न प्राप्त करने की जो कोशिशें की उसकी सराहना की गई। किन्तु इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि देश में जिस दर पर गेहूं और चावल की वसूली की जाती है उसमें और इन्ही वस्तुओ के लिये देश के बाहर दिये जाने वाले मूल्य मे बड़ी विषमता है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के कारण देश के राजनीतिक वातावरण में एक असाधारण उत्साह भरा हुआ था। नई नई पार्टियो का जन्म हुआ और पुरानी पार्टियो ने अपना काम जोरो के साथ शुरू किया। फिर भी सभी जगह इडियन नेशनल कांग्रेस की प्रधानता थी। आचार्य कृपलानी ने जब अपना 'डिमोक्रेटिक फ्रन्ट' तोडा तो यह आशा बंध चली थी कि कांग्रेस से आये हुये लोग उसमें वापस चले जायगे। आचार्य जी द्वारा यह 'फ्रन्ट" तोड़ दिये जाने पर उतना खेद नही प्रगट किया गया जितना कि उनके काग्रेस से इस्तीफा देने पर किया गया। सामान्यतः यह महसूस किया जा रहा था कि आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होने के लिये जो कारण बताये वे सबंध विच्छेद करने के लिये पर्याप्त नही थे। किन्तु अधिकतर समाचार-पत्रो ने जुलाई में जारी किये गये काग्रेस के निर्वाचन-घोषणापत्र का स्वागत किया। कुछ पत्रो ने यह आलोचना की कि वह वास्तविकता से बहुत दूर है। लगभग सभी समाचारपत्रो ने कांग्रेस के नये अध्यक्ष का स्वागत किया और पार्टी के नये प्रधान श्री जवाहर लाल नेहरू की तारीफ की। जब श्री जवाहर लाल नेहरू ने काग्रेस से निकले हुये व्यक्तियो से उसमें फिर से आ जाने की अपील की तो कई समाचारपत्रो ने यह आशा प्रगट की कि किसान-मजदूर प्रजा-पार्टी, जिसके निर्माण का स्वागत तो कम किया गया था और आलोचना अधिक हुई थी, अपने रुख पर फिर से विचार करेगी।

देश की सामान्य आर्थिक स्थिति कभी भी सतोषजनक नही समझी गई। कभी-कभी समाचार-पत्रो ने मध्यम और निर्धन वर्गो के लोगो की मुसीबतों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और सरकार से इस बात की सिफारिश की कि वह इन वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कार्रवाई करे। मार्च के शुरू मे संसद मे पेश किये गये बजट मे कर लगाने के प्रस्तावों की कई समाचार-पत्रो द्वारा आलोचना की गई। उन्होने विशषतया तम्बाकू और मिट्टी के तेल पर ड्यूटी बढाने पर आपत्ति की और सरकार से प्रार्थना की कि वह अन्य साधनो से, जैसे राजाओं की सम्पत्ति से धन प्राप्त करे। रुपये के पुनर्मूल्यन के प्रश्न पर वित्त मत्री के इस कथन का साधारणतः समर्थन किया गया कि "रुपये के विनिमय-अनुपात मे परिवर्तन करके खतरा मोल लेने का निश्चय ही यह समय नहीं है।"

कपडे के उद्योग के संबंध मे कुछ समाचारपत्रो की यह शिकायत थी कि इस उद्योग का व्यवहार बिगडे हुये बच्चे की तरह है और कपडे की मिलो के मालिक सरकार द्वारा दी गई किसी भी सुविधा का अनुचित लाभ उठाने के लिये सदैव तत्पर रहते है। कपडे के मूल्य मे जो वृद्धि की गई उस पर क्षोभ प्रगट किया गया और सरकार से कहा गया कि वह कपड़े के उद्योग-पतियों की ज्यादतियो को रोके। कुछ समाचारपत्रो ने यह लिखा कि देश में कपडे की सप्लाई संतोषजनक न होने पर भी कच्ची रुई का बाहर भेजना, चाहे वह थोडे ही परिमाण मे क्यों न हो, बुद्धिमत्तापूर्ण नही है। उनकी राय मे विशेष आवश्यकता इस बात की थी कि कपड़े के उद्योग के संबध मे यथार्थवादी नीति अपनाई जाय, जिसके अनुसार अन्य बातो के अलावा मिलो को यह भी सुविधा मिले कि वे कच्ची रुई उचित दर पर पा सकें। कुछ समाचारपत्रों का यह भी विश्वास था कि कपड़े की जितनी कमी है सरकार ने उससे कम अनुमान लगाया है।

पंचवर्षीय योजना के पांडुलेख का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। कई समाचार-पत्रो ने इसका स्वागत किया और कहा कि देश की आर्थिक मुक्ति की दिशा मे यह एक महत्वपूर्ण कदम है तथा यह सुझाव दिया कि कम से कम उन योजनाओ को, जिनके विषय मे कोई विवाद नही है, अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय। आम तौर पर यह विश्वास किया जाता था कि योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि देश की विशाल जनशक्ति को रचनात्मक कार्यों मे लगाया जाय। तदनुसार गैरसरकारी एजेन्सियो और प्रमुख व्यक्तियो का सक्रिय

सहयोग प्राप्त करने की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया। प्रधान मत्री के इस कथन की सराहना की गई कि उक्त योजना के संबध मे नये प्रस्ताव और नये सुझाव अब भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यद्यपि इस योजना को वित्त-पोषित करने के प्रश्न पर दिये गय सुझावो की संख्या अधिक नही थी, फिर भी जो सुझाव दिये गये उनमे इस विचार का समर्थन किया गया था कि निजी पूजी का लगाना भी इस प्रश्न को हल करने का एक उपाय माना जाय।

कंट्रोलो के प्रश्न पर परस्पर-विरोधी मत व्यक्त किये गये। किन्तु अधिकांश समाचार-पत्रों का यह विश्वास था कि कट्रोलो के हटाने की नीति अपनाने का समय अभी नही आया। टैरिफ कमीशन के स्थापित किये जाने का साधारणतया सभी ने स्वागत किया। यही बात प्रशासन पर दी गई गोरवाला कमेटी (Gorawala Committee) की रिपोर्ट के संबंध मे भी कही जा सकती है। केन्द्रीय सचिवालय की कार्यपद्धति के सबध मे तखमीना कमेटी (Estimates Committee) की रिपोर्ट पर जो आलोचनायें की गई, उनमे से एक अधिक महत्वपूर्ण आलोचना यह थी कि यदि अन्य मन्त्रालयों की बहुत अधिक धनराशि व्यय करने की प्रवृत्तियो पर वित्त मन्त्रालय का नियत्रण ढीला कर दिया जायगा तो यह ठीक न होगा। यह सुझाव अव्यावहारिक समझा गया कि उच्च अधिकारी अपने वेतन मे से उस धनराशि को अपनी इच्छा से समर्पित कर दे जो उन्हे ३,००० रु० प्रति मास से अधिक मिलती हो।

सैनिक शक्ति घटाने के निर्णय की सराहना की गई। संसद मे प्रतिरक्षा मन्त्रालय (Defence Ministry) के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये उनसे चिन्ता पैदा हो गई और यह माग की गई कि इन आरोपो की अच्छी तरह से जांच की जाय। कुछ समाचार-पत्रो ने प्रिवेन्टिव डिटेन्शन (निवारक निरोध) ऐक्ट की अवधि बढाए जाने की आलोचना की, किन्तु कुछ अन्य ऐसे समाचार-पत्र भी थे जिन्होंने इस कार्यवाही को न्यायोचित बतलाया। इसी प्रकार कुछ पत्रो ने हिन्दू कोड बिल की सराहना की तथा अन्य समाचार-पत्रो ने उसे एक अनुपयुक्त कानून बताया।

प्रायः सभी समाचारपत्रो ने मद्रास विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) के इस निर्णय (ruling) पर आपत्ति की कि समाचार-पत्रो द्वारा विधान-मंडलो की कार्यवाहियो पर की जाने वाली ऐसी टीका-टिप्पणियां, जिनसे मत-दान (voting) पर प्रभाव पडने की संभावना हो, विशेषाधिकार का उल्लंघन (breach of privileges) हो। यह बात बड़ जोरदार शब्दो मे व्यक्त की गई कि समाचार-पत्रो को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सार्वजनिक हित मे न केवल ससद ही पर बल्कि जनतंत्र के किसी भी अंग पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर सकते है तथा उन्हे इस अधिकार से वचित करने का अर्थ यह होगा कि उन्हे उनके एक मौलिक अधिकार (fundamental right) से वंचित किया जा रहा है। कुछ समाचार-पत्रो ने प्रेस बिल का यह कहकर स्वागत किया कि वह भारत के प्रेस के स्वतत्रता-आंदोलन के इतिहास मे एक महत्वपूर्ण घटना है तथा अन्य समाचार-पत्रो ने उसकी यह कहकर आलोचना की कि उससे सभी मौलिक अधिकारो पर आघात किया गया है।

रेल कर्मचारियो द्वारा आम हडताल करने की धमकी पर बहुत महीनो तक बडी जोरो से चर्चा होती रही। कोई भी समाचार-पत्र समाजवादी नेता, श्री जयप्रकाश नारायण की यह बात मानने को तैयार नही था कि ऐसी कडी कार्यवाही करने के लिए रेल कर्मचारियो के पास कोई उचित कारण था। यह अनुभव किया गया कि रेल कर्मचारी श्रमिक वर्ग के एक ऐसे भाग हैं जिसे काफी अच्छा वेतन दिया जाता है और एक ऐसे समय जब कि खाद्य-स्थिति इतनी गम्भीर थी तथा पाकिस्तान के साथ भारत के कोई बहुत अच्छे सबध नहीं थे, रेल कर्मचारियो द्वारा आम हड़ताल करना, न केवल स्वयं उनके ही हितो के लिये अच्छा नही था, बल्कि उससे

देश भी एक बडी भारी विपत्ति मे पड जाता। बहुत से समाचार-पत्रो ने सरकार को इस बात का आश्वासन दिया कि रेल कर्मचारियो की चुनौती का सामना करने मे जनता उसका साथ देगी। अगस्त के महीने मे हडताल स्थगित कर दी गई तथा नवम्बर म सरकार और रेल कर्मचारियो के फडरेशन (Railwaymen s Federation) के मध्य एक समझौता हो गया। इन दोनो ही घटनाओं का स्वागत किया गया।

जब कभी कोई रेल दुर्घटना होती, तो प्रत्येक बार रेलवे प्रशासन की आलोचना की जाती थी। इस मत का कि एसी दुघटनाये साधारणतया तोड़-फोड की कार्यवाहियो (sabotage) के फलस्वरूप होती है, बहुत समर्थन नही किया गया तथा सरकार से कहा गया कि ऐसे व्यक्तियो के विरुद्ध अत्यन्त कडी कायवाही की जाय जो अपने कर्त्तव्यो की अवहेलना करने के दोषी पाए जायें। रेल के किरायो मे वृद्धि किसी ने भी पसद नही की।

सविधान में सशोधन करने की आवश्यकता पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। कुछ समाचार-पत्रो न इस सबंध में सरकार पर सभी प्रकार के आरोप लगाये कि यह कुछ इरादों से प्रेरित होकर ऐसा कर रही है और यह कहा गया कि सरकार विरोधी शक्तियो को कुचलने के लिये अधिकार प्राप्त करना चाहती है। कुछ समाचार-पत्रो के विचार मे वह संसद, जो उस समय मौजूद थी, संविधान में किसी "आमूल" परिवर्तन करने के अधिकार से वचित थी। इस मत के विरुद्ध अन्य समाचार-पत्रो ने जो मत व्यक्त किया, वह यह था कि इस परिसीमा (limitation) के अधीन, कि सविधान के किसी "मौलिक" अंश मे बहुत जल्दी-जल्दी कोई परिवर्तन नही होना चाहिये, ससद जनतत्र की कोई सेवा नहीं करती है, यदि वह किसी वास्तविक आवश्यकता पड़न पर भी, किन्हीं मिथ्याभिमान के विचारो (prudish considerations) से प्रेरित होकर संविधान में संशोधन नही करती। जब सविधान सशोधक बिल (Constitution Amendment Bill) पारित हो गया तो कुछ समाचार-पत्रों ने इसके विपरीत दिशा में बडी कडी आलोचना की तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि वे "तानाशाही के लिये अपना मार्ग साफ कर रहे है"।

भारत सरकार द्वारा पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में ले लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई। सभी समाचार-पत्रो ने एकमत होकर यह मत व्यक्त किया कि देश की सुरक्षा के हित मे यह अत्यन्त आवश्यक है कि पंजाब राज्य का प्रशासन, जिसकी स्थिति सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बडी कुशलता के साथ किया जाय। राजस्थान मे जो मत्रिमडल संबंधी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी, उससे यह सदेह प्रकट किया जाने लगा कि सभी भूतपूर्व रियासते जनतत्र संबधी प्रयोगो के लिय तैयार हैं। सभी समाचार-पत्र भाग 'सी' कुछ राज्यो को स्वायत्त-पद (autonomous status) प्रदान करने की आवश्यकता के संबध मे संतुष्ट नही थे। विशेष रूप से यह सुझाव पेश किया गया कि दिल्ली अभी कुछ दिन और केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण मे रहे। भारत सरकार ने बडौदा के महाराजा के विरुद्ध जो कार्यवाही की उसका साधारणतया सभी ने समर्थन किया। यह आशा प्रकट की गई कि इस कार्यवाही से ऐसे सभी राजाओ को चेतावनी मिल जायगी जिनमे कोई अनुचित आकांक्षाएं पैदा हो गई हो। अधिकांश समाचार-पत्रो ने राजाओ के संघ (Rulers' Union) की कार्यवाहियों की जोरदार शब्दो मे आलोचना की। मैसूर सरकार की भी इस बात पर कुछ आलोचना की गई कि उसने उस मुकद्दमे को, जिसे चीफ जस्टिस प्वाइजनिग केस (Chief Justice Poisoning Case) कहते है, बम्बई की किसी अदालत मे भेजने के संबंध मे दिये गए राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने मे हिचकिचाहट दिखाई।

गांधी जयन्ती दिवस तथा राष्ट्रपिता के निधन की तीसरी वर्षगांठ क्रमशः २ अक्टूबर और ३० जनवरी को मनाई गई। दोनो अवसरो पर समाचार-पत्रो ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पित की और यह दोहराया कि महात्माजी ने भारत तथा विश्व

के लिये क्या क्या किया है तथा इस बात की याद दिलाई और इस पर जोर दिया कि उनकी महान् शिक्षाओ का कितना महत्व है।

स्वर्गीय ठक्कर बापा, जिनकी मृत्यु वर्ष के प्रारम्भ मे हुई थी तथा आचार्य बिनोवा भावे, जिनका भूमिदान यज्ञ इस बात का प्रतीक समझा जाता था कि लोग सर्वोदय कार्यक्रम को पसद करते है, के कार्यो की हार्दिक प्रशसा की गई। डाक्टर कैलासनाथ काटजू के गृह-मंत्री नियुक्त होने पर यह मत प्रकट किया गया कि इससे वैयक्तिक योग्यता समुचित रूप से स्वीकार कर ली गई और प्रशासकीय योग्यताओ का सही चुनाव हुआ है। डाक्टर जान मथाई तथा डाक्टर अम्बडकर ने काग्रेस के विरुद्ध जो आरोप लगाये, उनकी सभी ने आलोचना की। मध्य प्रदेश के श्री डी० पी० मिश्र को, जिन्होने प्रधान मत्री के विरुद्ध एक लम्बा निन्दात्मक वक्तव्य दिया था, उनके विचारो के लिये बहुत कम समर्थन मिला तथा उनकी शैली की बडी निन्दा की गई।

वर्ष के अन्त मे निर्वाचन चर्चा का मुख्य विषय बन गया। जब बडे बडे राजनीतिक दल खूब जोर शोर के साथ अपना प्रचार कार्य कर रहे थे, साधारणतया सभी समाचार-पत्र यह विश्वास करने को तैयार नही थे कि मतदाता (voter) उसी हद तक अनभिज्ञ है जितना कि वह अशिक्षित है। बहुत से समाचार-पत्रो को यह बात निश्चित सी प्रतीत होती थी कि काग्रेस को निर्वाचन मे बडी भारी सफलता मिलेगी, विशेषकर इन रिपोर्टो के आने के बाद कि सभी जगह श्री नेहरू को सुनने के लिये लोग बडी भारी सख्या मे जमा हो रहे है। राजाओं के निर्वाचन मे सम्मिलित होने का साधारणतया सभी ने स्वागत किया, किन्तु इस बात पर बडा जोर दिया गया कि उन्हे अन्य नागरिको की तरह निर्वाचनो मे लडना चाहिए, न कि उनसे पृथक् किसी वर्ग के रूप मे। इस संबध मे कई समाचार-पत्रो ने सरकार से यह अनुरोध किया कि वह राजाओ के विशेषाधिकारो को समाप्त कर दे।

सभी समाचार पत्रो को उस समय बडा हर्ष हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के सबध में अपना निर्णय दिया तथा उसे एक वैधानिक विधान घोषित कर दिया। यह समझते हुये कि यह अधिनियम उन सभी प्रगतिशील कानूनो में, जिन्हे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, सबसे अधिक प्रगतिशील कानून था, राज्य के नेताओ की, विशेषकर उसके मुख्य मंत्री की, जिन्होने उसे विभिन्न मंजिलो (stages) से सफलतापूर्वक पारित करवाया था, सराहना की गई। जमीदारो के प्रति बहुत ही कम सहानुभूति प्रकट की गई। इन जमीदारो में से कुछ तो ऐसे थे जो अवश्यम्भावी स्थिति स्वीकार करने (inevitable) में हिचकिचा रहे थे तथा जिन्होने एक ऐसे प्रयोजन के लिए आन्दोलन जारी रखा जिसे वे पहिले ही खो चुके थे। राज्य के बजट को सभी ने एक ऐसा सन्तुलित बजट बताया जिसमें जनता की आवश्यकताओ के प्रति जागृत होने की झलक मिलती थी। शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय की वृद्धि, विकास-सबधी योजनाओ की प्रगति तथा बजट में किसी नये कर के लगाये जाने के प्रस्तावो के न होने की विशेषरूप से सराहना की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलो के संबंध में प्रायः पूरे वर्ष काश्मीर का प्रश्न समाचार-पत्रो का मुख्य विषय बना रहा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो झगडा था उसमें कोई समझौता होने की बहुत ही कम आशा थी, और बार बार यह सुझाव पेश किया गया कि सुरक्षा-परिषद् से काश्मीर का मामला वापस ले लिया जाय। यह प्रस्ताव कि काश्मीर में राष्ट्रमंडल (Commonwealth) की सेनायें रखी जाय बडी घृणा की दृष्टि से देखा गया तथा उस पर कोई ध्यान नही दिया गया। प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का हार्दिक स्वागत किया गया कि काश्मीर पर किये गये किसी भी आक्रमण को भारत पर किया गया आक्रमण माना जायगा तथा कुछ समाचार-पत्रो ने यह आशा प्रकट की कि इस वक्तव्य का पाकिस्तान के शासको के धमकी देने के रवैये पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ब्रिटन तथा अमेरिका के उन प्रस्तावो की बड़ी कटु आलोचना की गई जिनमें यह कहा गया कि काश्मीर के प्रश्न में समझौते के लिय मध्यस्थ निर्णय (arbitration)

एक सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार कर लिया जाय। समाचार-पत्रो की एक बहुत बडी संख्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार पर यह आरोप लगा रही थी कि वह ऐसा किन्ही प्रेरणाओ (motives) से प्रेरित होकर कर रही है और यह अनुभव किया गया कि सयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार पाकिस्तान का काश्मीर पर कब्जा हो जाने मे अपने ही हितो की बढती देख रही है।

जब डाक्टर फैंक ग्राहम राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप मे इस उप-महाद्वीप(sub-continent) में आये तो बहुत से समाचार-पत्रो ने यह मत प्रगट किया कि काश्मीर की समस्या पर उस समय तक कोई समझौता नही हो सकेगा जब तक यह नही मान लिया जाता कि पाकिस्तान आक्रमण-कारी रहा है तथा ऐसे राज्य-क्षेत्रो को जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है जम्मू तथा काश्मीर की वैध रूप से स्थापित सरकार को वापस नही कर दिया जाता। काश्मीर राज्य की संविधान सभा(Constituent Assembly) के निर्वाचन से शेख अब्दुल्ला के राष्ट्रीय सम्मेलन की बड़ी भारी लोकप्रियता का स्पष्टतया पता चल गया और यह अनुभव किया गया कि केवल इसी बात से डाक्टर ग्राहम को संतोष हो जाना चाहिये था कि काश्मीर की जनता ने दो-राष्ट्र संबंधी उस सिद्धान्त को बिलकुल ही नही माना है जिसके आधार पर पाकिस्तान का रुख निर्भर था। इस बात का सबूत, यदि किसी सबूत की आवश्यकता थी, कि काश्मीर के मसले पर सभी भारतीय मुसलमान भारत सरकार के साथ है, उस स्मरण-पत्र द्वारा मिल गया, जिसे भारतीय मुसलमानो ने डाक्टर ग्राहम को दिया। यह बात बड़े जोरदार शब्दो मे व्यक्त की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि इस स्मरण-पत्र की इस आधार पर कोई उपेक्षा नही कर सकता था कि उसका काश्मीर के प्रश्न के साथ कोई संबध नही था। वर्ष के अंत मे कुछ समाचार-पत्रो ने यह सुझाव पेश किया कि शायद काश्मीर का झगड़ा मैत्रीपूर्ण ढंग से हल हो जाय, यदि उसे पूर्णरूप से भारत और पाकिस्तान पर ही छोड दिया जाय। किन्तु सभी समाचार पत्र एकमत होकर काश्मीर राज्य मे उसके सीमा-प्रदेशो (Frontiers) की सुरक्षा के लिये यथेष्ट सैनिक रखने की महत्ता पर जोर दे रहे थे।

भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते पर विभिन्न मत प्रकट किये गये। जहां कुछ समाचार-पत्रों ने इस पर संतोष की भावना व्यक्त की तथा यह आशा प्रकट की कि इस समझौते से दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबन्ध और अधिक अच्छे हो जायेंगे, अन्य समाचार-पत्र इसके लिये अधिक चिन्तित थ कि पास्किस्तानी रुपये के अवमूल्यन से पूर्व की दर स्वीकार कर ली जाय। कुछ समाचार-पत्रों को यह आशका हुई कि कही इस समझौते के कारण भारत में कीमत न बढ़ जाय। निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न के सबध में इस बात मे कोई संदेह नही था कि केवल दोनो सरकारो के बीच समझौते के आधार (Govt. to Govt basis) पर ही उसका हल सभव है। पूर्वी बंगाल के हिन्दुओ की दुर्दशा का बार-बार उल्लेख किया गया और कुछ समाचार-पत्रों को विवश होकर यह कहना पडा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य उस समय तक सच्ची मित्रता होने की कोई सम्भावना नही है जब तक कि पूर्वी बंगाल की सरकार अपने राज्य में गैर-मुस्लिम व्यक्तियो के प्रति अपनी नीति बदलने से इंकार करती है। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का लगातार प्रचार, जो उस समय अपनी चरम सीमा को पहुच गया जब श्री लियाकत अली खां ने अपने देश को "तना हुआ घूंसा" एक राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर दिया, हृदय पर आघात पहुंचाने वाला होने के साथ-साथ उत्तेजनात्मक भी था। किन्तु उत्तर प्रदेश मे साधारणतया सभी समाचार-पत्र शान्तपूर्ण बने रहे और यद्यपि उन्होने जुलाई के महीने में प्रधान मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया कि भारत के सीमा-प्रदेशों की सुरक्षा के प्रबन्ध और सुदृढ़ बनाये जायगे, तो भी जब अक्तूबर मे रावलपिडी की एक सार्वजनिक सभा मे श्री लियाकत अली खा अपने ही एक देशवासी द्वारा गोली से मार डाले गये, तो उन्होंने स्वेच्छा से पाकिस्तान के प्रति

खेद तथा सहानुभूति प्रकट की। सुरक्षा परिषद् मे पाकिस्तान का निर्वाचित होना कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नही समझी गई, यद्यपि कुछ समाचार-पत्रो ने यह अवश्य अनुभव किया कि इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान को उसके आक्रमण के लिए क्षमा कर दिया।

जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसीडेंट ने जनरल मैकआर्थर को कोरिया तथा जापान के कमान से हटा दिया तो इस पर कोई खेद नहीं प्रकट किया गया। कुछ समय तक यह प्रतीत होता था कि दूसरे विश्व युद्ध के होने का डर पूर्णत दूर हो गया है और कुछ समाचार-पत्रो ने यह आशा प्रकट की कि जनरल मैकआर्थर के हटाए जाने के बाद सयुक्त राज्य सघ के प्रति चीन का रुख भी पहिले से बेहतर हो जायेगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया आशा की भावना पुन. निराशा मे परिणत हो गई और उस समय भी जब केसाग (Kaesong) मे सन्धि-वार्तायें चल रही थीं बहुत थोडे ही समाचार-पत्र यह विश्वास करने के लिये तैयार थे कि कोरिया मे फिर शान्ति स्थापित हो जायगी। वास्तव मे समाचार-पत्रो को यह प्रतीत होता था कि कोरिया मे लडाई बन्द होने के प्रश्न का सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न से बहुत ही निकट सबध है तथा बहुत से समाचार-पत्रो ने खेद प्रकट किया कि इस सबध मे सयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नीति राष्ट्र-मंडल (Commonwealth) के देशो की नीति से भिन्न होती जा रही है।

किसी भी समाचार-पत्र ने संयुक्त राष्ट्र सघ की उस कार्यवाही का, जिससे उसने कोरिया मे चीन को एक आक्रमणकारी (aggressor) घोषित कर दिया था, समर्थन नही किया। इसके विपरीत अधिकाश समाचार पत्र यह समझते थे कि इस विषय पर जनरल असेम्बली का प्रस्ताव अवैध, अन्यायपूर्ण तथा अनुचित था, और यह कि उसने न केवल संयुक्त राष्ट्र सघ की मर्यादा ही कम कर दी है बल्कि उसने चीन को भी और अधिक हठी बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र सघ के उस प्रस्ताव की, जिसके द्वारा चीन के विरुद्ध अवरोध (blockade) लगाया गया था, उतने ही जोरदार शब्दो में निन्दा की गई, जितनी कि चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के प्रस्ताव की की गई थी।

बहुत थोड़े ही समाचार-पत्र यह विश्वास करने के लिये तैयार थे कि जो निःशस्त्रीकरण कमीशन (Disarmament Commission) वर्ष के अंत मे स्थापित किया गया था उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने मे सफलता मिलेगी। उनके विचार से कमीशन से बहुत अधिक आशा करना, विशेषकर एसे समय जब कि बड़े-बड़े राष्ट्र अपनी युद्धसामग्री के उत्पादन को बडी शीघ्रता के साथ बढा रहे थे, एक हास्यास्पद बात थी। जापान की शान्ति-सन्धि के संबंध मे, जिस पर वर्ष के दौरान में सानफ्रान्सिस्को मे हस्ताक्षर कर दिये गए थे, सभी समाचार-पत्रो ने भारत सरकार के रुख का समर्थन किया। यह अनुभव किया गया कि सानफ्रान्सिसको सम्मेलन में रूस, चीन और भारत के भाग न लेने के कारण उक्त सन्धि का बहुत महत्व कम हो गया था तथा इस बात की कोई भी संभावना नही थी कि उससे विश्व शान्ति की स्थापना मे कोई सहा-यता मिले। मिस्र और ईरान की जनता के सामने जो कठिन स्थिति थी उस पर उनके प्रति सभी ने सहानुभूति प्रकट की। कुछ समाचार-पत्रो ने यह सुझाव पेश किया कि पश्चिमी शक्तियां (Western Powers) एक मध्य पूर्वी कमान (Middle East Command) स्थापित करने की अपनी योजना उस समय तक के लिये स्थगित कर दे जब तक कि उस क्षेत्र का वातावरण शान्तपूर्ण नही हो जाता। अधिकांश समाचार-पत्रो को यह प्रतीत होता था कि ब्रिटेन द्वारा ब्रिटेन तथा ईरान के तेल संबधी विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के समक्ष ले जाने के परिणामस्वरूप ईरान की स्थिति और भी अधिक

जटिल हो गई थी। ब्रिटेन से कहा गया कि वह यह बात अनुभव करे कि यदि उसने ईरान में सैनिक शक्ति का प्रयोग किया तो संभवतः रूस हाथ पर हाथ धरे न बैठा रहे और सारे मध्य-पूर्व मे युद्ध की आग भभक उठे।

भारत सरकार की वैदेशिक नीति की, विशेषकर कोरिया और चीन से सबंधित नीति की साधारणतया सभी ने सराहना की। इस नीति की अमेरिका मे जो आलोचना की गई, उसे उस राज्य के समाचार-पत्रो ने अन्यायपूर्ण बताया। इन समाचार-पत्रों को ऐसा प्रतीत होता था कि अमेरिका के आलोचक भारतीय परिस्थितियों, परम्पराओ तथा प्रेरणाओ को समझ नहीं पा रहे है। समाचार-पत्रो न जोरदार शब्दो मे यह बात व्यक्त की कि यद्यपि भारत भी शान्ति और सुरक्षा मे दिलचस्पी रखता है तो भी वह कुछ सिद्धान्तों के खिलाफ केवल पूर्वद्वेष (prejudice) के आधार पर नही लड सकता है। थोडे ही समाचार-पत्रो ने भारत के राष्ट्र-मंडल (Commonwealth) से मिले रहने पर आपत्ति की। ब्रिटेन मे सरकार के बदल जाने के सबंध मे साधारणतया सभी ने यह अनुभव किया कि अनुदार सरकार संभवतः कोई एसा कार्य नही करेगी जिससे भारत के साथ, जो उसके संबंध है, उन पर बुरा प्रभाव पड़े। जिस ढंग से चीनी लोगो ने वह कार्यवाही की, जिसे वे तिब्बत की "शान्तिपूर्ण मुक्ति(peaceful liberation)" के नाम से पुकारते है, उसे बहुत से समाचार-पत्रो ने पसंद नहीं किया। किन्तु अन्य समाचार-पत्रो ने यह अनुभव किया कि यद्यपि यह आवश्यक था कि सीमा-प्रदेश (बार्डर) पर सख्त निगरानी रक्खी जाय तथा नैपाल मे राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने म सहायता पहुंचाई जाय, तथापि इस बात का कोई कारण नही था कि भारत इस बात से बहुत अधिक घबडा जाय।

समय समय पर इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और नैपाल एक दूसरे पर निर्भर है। आम तौर पर यह विश्वास किया जाता था कि नैपाली कांग्रेस तथा रानाओ के मध्य कोई स्थायी समझौता नही हो सकता था। नैपाल मे नवम्बर के महीने मे श्री एम० पी० कोइराला के अधीन जो एक नया मंत्रिमडल बना उसका हार्दिक स्वागत किया गया और इस घटना को एक बहुत काफी एतिहासिक महत्व रखने वाली घटना समझा गया।

दक्षिण अफ्रीका मे भारतीयो तथा अन्य अश्वेत जातियो के प्रति जो व्यवहार किया गया उसकी कई अवसरों पर निन्दा की गई। समाचार-पत्रो को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि डाक्टर मलान जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे उसके भयंकर परिणामों को पश्चिमी शक्तियां अनुभव नहीं कर सकी। कुछ समाचार-पत्रो ने लंका की सरकार द्वारा बरती गई "सीलोनीकरण" की कार्यवाही की यह कहकर निन्दा की कि वह न्याय के सभी नियमो के विपरीत है। चन्द्रनगर की जनता को फ्रान्सीसी शासन से स्वतत्रता पाने पर बधाई दी गई। किन्तु समाचार-पत्रों ने इस बात पर क्रोध प्रकट किया कि फ्रान्स तथा पुर्तगाल भारत के कुछ भागो पर अभी भी अपना कब्जा जमाए हुए थे। कई समाचार-पत्रो ने पैरिस और लिसबन की सरकारो को यह चेतावनी दी कि उपनिवेशवाद के दिन अब समाप्त हो गए है और यह कि भारत, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से छुटकारा पा लिया है, न तो फ्रान्सीसी तथा पुर्तगाली साम्राज्यवाद को सहन कर सकता था और न अब आग करेगा।

४—विधान मंडल

इस वर्ष विधान क्षत्र मे महत्वपूर्ण कार्यवाहियां हुई। उत्तर प्रदेश ज़मीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई० का पहिला

अधिनियम बन गया और सामाजिक महत्व के अन्य विधयक अर्थात् यू० पी० चिल्ड्रेन्स बिल को विधान मडल ने पारित कर दिया। इस वर्ष जो अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम बनें वे उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधिनियम, १९५० ई०, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, १९५०ई०, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों का अर्हता-निवारण अधिनियम, १९५१, ई० उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अधिनियम, १९५१ ई०, उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्सादन अधिनियम, १९५१ ई० तथा दूधी राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार अधिनियम, १९५१ ई० थे। कुल ३४ अधिनियम बने।

आम चुनावों के लिये तैयारी मे मेम्बरों के व्यस्त होने के कारण उत्तर प्रदेश विधान मंडल की बैठके पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम दिनो तक हुई। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की क्रमशः १३८ तथा ९० बैठके हुई, जबकि १९५१ ई० में विधान सभा की ६३ और विधान परिषद् की ३८ बैठके हुई। विधान परिषद् का सत्रावसान केवल एक बार हुआ।

उस समय जबकि विधान मंडल के सत्र नही हो रहे थे, राज्यपाल महोदय ने चार अध्यादेश जारी किये, जिनका स्थान बाद मे अधिनियमों न ले लिया।

आलोच्य वर्ष में केवल एक सरकारी प्रस्ताव, जिसके द्वारा संग्रथित संपत्ति के संबध मे निष्क्रान्तों के स्वत्व को ऐसे लोगो के स्वत्वों से, जो निष्क्रान्त नहीं है, पृथक करने के प्रश्न पर इस राज्य की ओर से संघ संसद् को कानून बनाने के लिये अधिकृत किया गया था, राज्य के विधान मंडल ने पारित किया। दोनो सदनों मे से किसी ने भी कोई गैर-सरकारी प्रस्ताव पारित नहीं किया। माननीय मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने राज्य की खाद्य स्थिति पर २३ अगस्त, १९५१ ई० को विचार किया।

विधान सभा में ७ रिक्त स्थान थे और विधान परिषद् में एक रिक्त स्थान था। विधान सभा के केवल एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक उपनिर्वाचन हुआ। इस विचार से कि आम चुनाव कुछ दिनों बाद होने ही वाले है, निर्वाचन कमीशन के परामर्श से यह निश्चय किया गया कि शेष रिक्त स्थानो की पूर्ति न की जाय और उन्हें योहीं रहने दिया जाय।

५—निर्वाचन

आलोच्य वर्ष के पहिले भाग में निर्वाचन सूचियों का संशोधन कार्य हो रहा था। निर्वाचन सूचियों के सम्बन्ध में दावे, और आपत्तियां दायर करने की अवधि ३१ मार्च, १९५१ ई० तक कर दी गई, किन्तु सामान्य जनता इसमें पर्याप्त दिलचस्पी नही ले रही थी। दावे और आपत्तियों के मुकदमें जो दायर किये गये उनकी संख्या ४४,००० थी। निर्वाचन सूची में निर्वाचकों की संख्या ३१४ लाख थी। कई मामलों में, जैसा कि बाद को ज्ञात हुआ, उन लोगो ने भी, जो चुनाव के लिये भावी उम्मीदवार थे, अपनी निर्वाचन सूची

की जांच करने की ओर ध्यान उस समय नही दिया जब दावे और आपत्तियों के दायर करने का समय था कि उनके नाम निर्वाचन सूची मे है या नहीं। जनता ने निर्वाचन सूची के सम्बन्ध मे जो लापरवाही दिखलाई उसने उसकी गलतियो और भूलो को सुधारने में बडी कठिनाई हुई। इसलिये सशोधक प्राधिकारियो के पास मूल निर्वाचन सूची मे छूटे हुए नामो को सम्मिलित करने के लिये दरख्वास्त देने मे निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी के अधिकारों का उदारतापूर्वक उपयोग किया गया। दावे और आपत्तियो के कारण निर्वाचको की संख्या मे कुल वृद्धि ३,६४,००० हुई। केवल कुछ को छोड़कर सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रो की निर्वाचन सूची अन्तिम रूप से अक्टूबर, १९५१ ई० के पहले पखवारे मे प्रकाशित हुई। शेष निर्वाचन क्षेत्रो की निर्वाचन सूची का प्रकाशन विलम्ब से हुआ, क्योंकि निर्वाचन सशोधक आज्ञा, १९५१ ई० का उन पर प्रभाव पडा। उनसे सम्बन्धित निर्वाचन सूची भी अन्तिम रूप से १ नवम्बर, १९५१ ई० को या उसके करीब प्रकाशित हुई। इसके बाद निर्वाचन सूची जनता में बिक्री के लिये उपलब्ध थी।

लोक सभा तथा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रो के परिसीमन की आज्ञा राष्ट्रपति द्वारा मई, १९५१ ई० मे जारी की गई और उसके बाद जल्दी ही सघ ससद के सामने रखी गयी। इस आज्ञा में ससद द्वारा कुछ सशोधन किये गये और जून, १९५१ ई० मे उनको अन्तिम रूप दे दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सभा के लिये ६९ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रो तथा राज्य की विधान सभा के लिये ३४१ निर्वाचन-क्षेत्रों में बाटा गया। प्रादेशिक निर्वाचन-क्षत्रो मे से ५२ एक सदस्य के क्षेत्र थे तथा शेष १७ एसे क्षत्र थे जहां से दो सदस्य चुने जाते है। विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों मे से २६४ एक सदस्य के क्षेत्र थे और ८३ ऐसे क्षत्र थे जहा से दो सदस्य चुने जाते है। प्रत्येक दो सदस्यो के निर्वाचन-क्षेत्र मे एक स्थान अनुसूचित जाति के सदस्य के लिये सुरक्षित था। चूंकि लोक सभा की एक जगह के लिये राज्य की विधान सभा में ५ जगहे थी पुनर्सीमा-निर्धारण इस प्रकार किया गया कि एक या दो सदस्यों के निर्वाचन-क्षेत्र विधान सभा के उतने ही सदस्यों के लिये क्षेत्र बन जाय। केन्द्रीय सरकार ने इसके बाद निर्वाचन नियम बनाये, जिनको जल्द ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला था।

सितम्बर के बाद निर्वाचन कार्य बढता गया। मुख्य चुनाव अधिकारी को सहायता देने के लिये ५ प्रादेशिक निर्वाचन अधिकारी और एक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये। प्रादेशिक निर्वाचन अधिकारी लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, बनारस और हलद्वानी मे थे। जिलों में निर्वाचन सम्बन्धी प्रबन्ध जिला अधिकारी के अधीन थे, जो जिन्होने अक्सर डिप्टी कलेक्टर या उसी के बराबर के पद के अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया और चुनाव के प्रबन्ध का इन्चार्ज बना दिया।

प्रौढ मताधिकार के आधार पर होने वाला यह पहला निर्वाचन था, इस कारण मतदान स्थानों (Polling Stations) के नियत करने मे बडी कठिनाई थी। चूकि निर्वाचन विधि के अधीन मतदाताओ को सवारी देना भ्रष्टाचार (corrupt practice) था इस कारण मतदान स्थान एसे स्थान पर नियत करना आवश्यक था जहां निर्वाचक सुगमता से पहुंच जायं। हर प्रकार से प्रयत्न किया गया कि किसी निर्वाचक को तीन मील से अधिक न चलना पड़े, किन्तु कुछ स्थानो पर भौगोलिक तथा अन्य कारणो से एसे नियम का कठोरता से पालन करना कठिन था। मतदान स्थानो की कुल सख्या १०,००० से

के प्रारम्भ मे जोर शोर के साथ की जा रही थी, मन्दी हो गई। सूत का वितरण इस प्रकार आयोजित किया गया जिससे प्राप्य सप्लाई का अधिक परिमाण जुलाहों को दिया जा सके।

लोहे और इस्पात और सीमेन्ट पर नियन्त्रण जारी रहा, किन्तु कोयले के चूरे की सप्लाई में उल्लेखनीय सुधार हो जाने से ईंटो पर से नियन्त्रण हटा दिया गया। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद हालत बिगड़ गयी, यद्यपि यह आशा की जाती थी कि अन्त मे स्थिति ठीक हो जायगी।

इस राज्य मे लोहा और इस्पात कुल ४६,८०६ टन प्राप्त हुआ, जब कि कुल ५२,५५२ टन मिलना निश्चित हुआ था। कुल २,४१,२३८ टन सीमेन्ट मिला, जबकि कुल २,६४,००० टन मिलने को था। कोयले की खानो से इस राज्य के लिये कुल १३,४६४ भरे हुए बैगन भेजे गये, जब कि ३०,१४४ भरपूर बगन भेजना नियत किया गया था।

अन्न और सूत के अतिरिक्त नमक, मिट्टी का तेल, जलाने की लकडी, औषधियां और सामान्य उपभोग की सामग्री पर नियन्त्रण रहा। यातायात के साधनों मे कमी और माल को चढाने–उतारने के स्थान पर कठिनाइयो के के साथ–साथ नमक पर भी नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया था। १९५१ ई० के पूर्वार्द्ध मे विशेषतः राजपूताना के नमक के उद्गमों से माल भेजने मे कमी पाई गयी और परिणामस्वरूप राज्य के काफी बडे भाग मे, विशेषकर उन जिलो मे जहां छोटी लाइन जाती है, नमक की भारी कमी हो गयी। इस कमी को विशेष गाडियों (रेक) को चलाकर पूरा किया गया। वर्ष के उत्तरार्द्ध मे साँभर नमक के उद्गम में उत्पादन की कमी हो जाने से कठिनाइयाँ पैदा हुयी, तथापि सब प्रकार से सप्लाई का सन्तोषजनक प्रबन्ध किया गया और उपभोक्ताओं को नमक सस्ते दामों पर प्राप्त हुआ।

मिट्टी के तेल के सम्बन्ध मे सप्लाई मे सुधार हो जाने से, जो कि १९५० ई० के उत्तरार्द्ध मे हुई थी, यह आशा की जाती थी कि नियत्रण मे अन्ततः ढिलाई हो जायगी, किन्तु इसमें शिथिलता आ गयी और यह बात अधिकतर ईरान की होन वाली घटनाओ क कारण हो गयी थी। कई महीनों तक मिटटी के तेल की कमी रही और खास कर बुन्देलखन्ड और घाघरा पार के प्रदेशो में। वर्ष के समाप्त होते समय इस स्थिति में कुछ सुधार होने लग गया था। उपभोक्ताओ को जलाने की लकडी सप्लाई करने का प्रबन्ध करन की समस्या स्टाक प्राप्ति मे एकाएक कमी आ जाने से कठिन हो गई। १९५१–५२ ई० मे अनुमानित स्टाक गिरकर ५५ लाख मन रह गया, जबकि पिछले वर्ष ८० लाख मन प्राप्त हुआ था। निजी जमींदारी जगलो को काटन मे प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप नियंत्रित वन डिवीजनो से समस्त श्रेणी के उपभोगकर्त्ताओ ने जो मागे की उनमे वृद्धि हो गई। शक्कर के कारखानो से सबसे अधिक माग हुई। प्राप्य सप्लाई के वितरण का आयोजन करने में सावधानी बरती गई और इस आयोजन के साथ–साथ जलाने के कोयले की सप्लाई का प्रबन्ध करके घरेलू कामो के लिए जलाने का कोयला नागरिक क्षेत्रो में सस्ते दामो पर उपलब्ध किया गया।

औषधियो और उपभोग के चुने हुए सामानो पर नियंत्रण इस प्रकार किया गया जिससे भारत सरकार द्वारा उच्चतम निर्णीत मूल्य लागू किये जा सके। यह नियत्रण थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं पडता था, किन्तु एक नियोजित और निर्धारित सीमा से ऊपर इन चीजो के मूल्य बढने पर रोक रखने मे इससे मदद मिलती थी।

नगरों म निवास-स्थान प्राप्ति सबंधी स्थिति अभी असन्तोषजनक रही और यू० पी० टम्पोरेरी कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन ऐक्ट का पूर्ण प्रभाव, जिसके अनुसार १ जनवरी, १९५१ ई० के पश्चात् निर्मित मकानो को उक्त एक्ट के प्रतिबन्धो से इसलिए उन्मुक्त किया गया जिससे नये मकान बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे, , अभी भी पूरी तरह व्यक्त होना बाकी रह गया था। इसी बीच छावनी मे कई किरायेदारो को निकालने की सख्या मे वृद्धि हो जाने से कठिन स्थिति पैदा हो गई, क्योकि नये विधान के अधीन यह एक केन्द्रीय विषय था और इस पर किराया और किरायेदार की निकाल देने के संबध मे विनियम लागू नही होते है। तथापि राज्य सरकार के कहने पर भारत सरकार न उसी विधान के आधारो पर यू० पी० कैन्टूनमेंट (कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन) ऐक्ट बनाया, जिस पर कि राज्य के अन्य नागरिक क्षत्रो मे किराया और किरायेदार को निकालने के नियम नियन्त्रित किये जाते हैं।

आलोच्य वर्ष में नियत्रण आदेश भंग करने के कई मामले निपटाये गये। इनमे से ३,६५३ मामलो म सजायें हुई। इनफोर्समेंट स्क्वाड न विभिन्न नियत्रण आदेशो को भग करने के मामलों का पता लगाया, १,६५७ व्यक्तियो को गिरफ्तार किया और लगभग ५,३९,५६६ रु० की कीमत की वस्तुए अपने कब्जे में की। बदनामी, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण १५९ सरकारी नौकर बर्खास्त या अलग किये गय और ३२ सरकारी नौकरो को अन्य प्रकार की सजाये दी गई। ४ अन्य सरकारी नौकरों न त्यागपत्र दिये।

दिसम्बर, १९५० ई० मे सरकार ने जिस कमेटी को नियत्रण प्रशासन प्रणाली को मितव्ययी और अच्छा बनान के लिए कुछ युक्तियां निकालने के लिए नियुक्त किया था उसने सूती कपड़े के वितरण और अन्न वसूली के सबध मे अन्तरिम सिफारिशें की। तथापि यह कमेटी १९५१ ई० के बाद इसलिए काम न कर सकी कि इसके कुछ सदस्य नये विधान के अधीन प्रथम आम चुनावो से सबधित कार्यो म लगे रहे।

७—श्रम की स्थिति

श्रम की स्थिति मे बडी हडताल या औद्योगिक झगड़ो के कारण कोई विशेष बात नही हुई। शक्कर के उद्योग मे १९५१ ई० के प्रारम्भ मे एक बड़ी हडताल संगठित की गई, किन्तु सरकार न उस पर तुरन्त कारवाई की, इसका परिणाम यह हुआ कि हडताल प्रारम्भ होन के एक सप्ताह के भीतर यह हडताल समाप्त हो गयी और कारखाने काम करन लगे। ८१ बार कारखाने बन्द रहे और ७७१ बैठकियां हुई, जिनके कारण क्रमशः ८,५४९ तथा १,३७,४५५ मजदूर बेकार हो गये। छटनी के कारण २,५७३ मजदूर काम से हटा दिये गये। इस वर्ष कुल १०५ हड़तालें हुई, जिनमें ७४,४६२ मजदूरो ने भाग लिया और कुल ३,०५,७९२ काम के दिनों का हर्ज हुआ, जब कि पिछले वर्ष ६१ हड़तालें हुई थी और ४६,७९२ मजदूरो ने भाग लिया था और २,३२,४५० काम के दिनो का हर्ज हुआ था। कारखानो की बन्दी, तालाबन्दी, छटनी, बैठकी और हडताल मुख्य रूप से कच्चे माल की कमी, तयार सामान का इकट्ठा होना, वित्तीय कठिनाइयो, स्थिरयन्त्रो के टूटने या अन्य कारणो से हुई। तेल की मिलें, तैयार किये गये माल के इकट्ठा होने तथा कच्चे माल की सप्लाई मे कमी के कारण बन्द रहीं।

८—सहायता तथा पुनर्वास

विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वासन कार्य को राज्य की सरकार बराबर बडा महत्व देती रही। १० अप्रैल, १९४८ ई० के पहिले आये हुये व्यक्तियो तथा

ऐसे व्यक्तियो, जिनके मामले नियमानुकूल थे और ऐसे भी व्यक्तियो, जिनके मामले शोचनीय थे, की रजिस्टरी की अनुमति दी गई।

जुलाई, १९५१ ई० मे भारत सरकार ने शिक्षा सबंधी रियायते देने की योजना मे और संशोधन कर दिया। संशोधित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त देना जारी रहा, किन्तु नकद अनुदान केवल ५० प्रतिशत विद्यार्थियो को देने की व्यवस्था थी, बशर्ते कि उनके माता-पिता या अभिभावक की आय १०० रु० प्रति मास से अधिक न हो। छठी से ८वी कक्षा के ५० प्रतिशत और ९वी तथा १०वी कक्षा के ४० प्रतिशत विद्यार्थियो की फीस माफ की जा सकती थी और उन्हे नकद अनुदान मिल सकता था, बशर्ते कि उनके माता-पिता की आय एक निर्धारित सीमा से अधिक न हो, जो छठीं से ८वी कक्षा के विद्यार्थियो के सबध मे १०० रु० मासिक और ९वी तथा १०वी कक्षा के विद्यार्थियो के सबध मे १५० रु० मासिक थी। हाई स्कूल के ऊपर के विद्यार्थियो को छात्र-वेतन देने मे और अधिक उदारता दिखाई गई। १९५१-५२ के शैक्षिक वर्ष मे २१,११६ विद्यार्थियो की फीस माफ की गई, २५,१३१ विद्यार्थियो को नकद अनुदान दिये गये तथा ४२६ विद्यार्थियो को छात्रवेतन दिये गये। अनुमान है कि इस सिलसिले मे कुल ११,१५,०३२ रु० का व्यय हुआ। १४ विद्यार्थियो को १८,६३० रु० तक के ऋण भी दिये गये।

विभिन्न केन्द्रो मे विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक और औद्योगिक ट्रेनिंग की सुविधाये प्रदान करने की व्यवस्था की गई। फैक्टरियो और कारखानो मे ५०० अपरेन्टिसो को ट्रेनिंग देने के प्रबन्ध के अतिरिक्त वर्ष के अन्त मे श्रम मन्त्रालय के केन्द्रो मे ५९९ सीटे, कुटीर उद्योग के सचालक केन्द्र के शिविरो और नये उपनगरो मे १,५०० सीटे (५०० छात्र-वेतन पानेवाले, २०० बिना छात्र-वेतन पाने वाले और ८०० उत्पादन कार्यकर्त्ता), जापानी मशीनरी ट्रेनिंग सेन्टर, लखनऊ मे २०० सीटे और रामपुर ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र मे १५० सीटे थी।

कुटीर उद्योगो के डाइरेक्टर के केन्द्रो मे ट्रेनिंग पाने वालो को छात्र-वेतन देने की योजना चालू की गई और भारत सरकार ने १०० राज और मिस्त्रियो को ट्रेनिंग देने के लिए एक अन्य योजना स्वीकृत की।

ऋण, नियत्रित वस्तुओ का कोटा, बिजली इत्यादि देकर विस्थापित व्यक्तियो को व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार मे पुनर्वासित करने मे सुविधा हुई। आलोच्य वर्ष के अन्त तक १७,५०० विस्थापित परिवारो को व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग मे फिर से लगाने के लिए १,१४,५५,००२ रुपये की धनराशि ऋण के रूप मे दी गई और २,८९७ परिवारो को कृषि में पुनर्वासित करने के हेतु ३७,९७,९४० रुपये दिये गये। पुनर्वास वित्तीय प्रशासन ने ७२३ पार्टियो को ७४,३२,९०० रु० की धनराशि ऋण के रूप मे दी।

विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास के लिए गोबिन्दपुरी, नैनी और हस्तिनापुर के तीन उपनगरो के विकास कार्यक्रम मे सन्तोषजनक प्रगति रही। वर्ष के अन्त मे कई कारखानो इत्यादि का निर्माणकार्य पूरा हो चुका था। कुछ का निर्माण कार्य हो रहा था। यह आशा की जाती थी कि हस्तिनापुर के उपनगर मे २,००० विस्थापित परिवारो के रहने की व्यवस्था हो जायगी, जिनमे वे १,००० परिवार भी सम्मिलित है जिन्हे भारत सरकार इस राज्य के बाहर से यहा लायगी।

विस्थापित व्यक्तियो की भवन निर्माण सहकारी समितियो, स्थानीय निकायो और निजी (प्राइवेट) व्यक्तियो को क्रमशः ६,४७,५०० रु०, १६,३८,६६९ और १,५०,००० रु० की धनराशिया इस उद्देश्य से ऋण के रूप मे दी गई कि

विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनवाने में प्रोत्साहन मिले। आलोच्य वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए ६,७१८ मकान और ३,००० स्टाल बनवाये।

विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के लिए प्रयत्न जारी रहे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक २१,१७८ व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई थी। पश्चिमी बंगाल से जूट की खेती करने वाले ५०० परिवारों में से, जिन्हें राज्य सरकार फिर से बसाने को राजी हो गई थी, ३०० परिवार इस वर्ष पहुंच चुके थे।

राज्य के विभिन्न भागों में रहने के मकान बन जाने से समस्त शिविर [६ को छोड़ कर जिनमें मेरठ और मथुरा के आश्रम (होम) भी सम्मिलित हैं], जिनमें अब तक विस्थापित व्यक्तियों को रहने की व्यवस्था थी, बन्द कर दिये गये। इलाहाबाद का आश्रम (होम) सितम्बर, १९५२ ई० में इसलिए बन्द कर दिया गया कि उस आश्रम (होम) में रहने वालों में से अधिकतर लोगों को पूर्वी पंजाब में फिरोजपुर के नये बसाये हुए आश्रम (होम) में भेज दिया गया था और बाकी को मेरठ आश्रम (होम) में भेज दिया गया था। तीन आश्रम, जिनमें कुल ४०० महिलाओं के रहने की व्यवस्था थी, इलाहाबाद, बनारस और वृन्दावन में पूर्वी बंगाल से आई हुई निराश्रित वृद्धाओं के लिए खोले गये। ऋषीकेश की इनफर्मरी (अशक्तों के लिए आश्रम) प्रशासकीय सुविधाओं के विचार से मेरठ स्थानान्तरित कर दी गई।

देहरादून में आवासिक औद्योगिक आश्रम और चुनार में महिलाओं के लिए औद्योगिक आश्रम चालू रहे। इसके अतिरिक्त मेरठ, मथुरा, लखनऊ, बनारस, आगरा, मुरादाबाद, चन्दौसी, सहारनपुर, हरद्वार, गाजियाबाद और कानपुर के ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र व्यावसायिक ट्रेनिंग देते रहे। इन आश्रमों की ३३ महिलाओं में से प्रत्येक को २५० रु० का पुनर्वास अनुदान दिया गया, जिन्होंने दस्तकारी में पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर ली थी और जो आश्रम छोड़ने के बाद स्वतः अपने काम में लग सकती थीं। १४ विस्थापित व्यक्तियों में से प्रत्येक को १५ रु० मासिक नकद भत्ता दिया गया जिससे कि वे अपना खर्च चला सकें।

क्षयरोग से पीड़ित विस्थापित रोगियों के लिए भुवाली सेनेटोरियम में १८ रोगियों के रहने की व्यवस्था के निमित्त चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के डाइरेक्टर को २५,००० रु० की धनराशि दी गई। अन्य रोगों के उपचार के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों के स्थानीय अस्पतालों और सेनेटोरियम में प्रबन्ध करने के निमित्त १०,००० रुपये की धनराशि देने की व्यवस्था की गई।

निष्क्रान्त सम्पत्ति के राज्य संरक्षक के संगठन पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए १९५१-५२ ई० के बजट में व्यवस्थित ८,९०,००० रु० की धनराशि में भारत सरकार का अंशदान ४.२६ लाख रुपये था। शेष धनराशि निष्क्रान्त सम्पत्ति की प्राप्तियों से होने वाली आय के १० प्रतिशत धनराशि से पूरी की गई। राज्य में निष्क्रान्त सम्पत्ति की खोज करने वाले विशेष कर्मचारिवर्ग के जलपानादि के सम्पूर्ण व्यय को भी भारत सरकार ने किया। इस कर्मचारिवर्ग ने लगभग १२,००० ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाया।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के बीच समझौते के अनुसार जो मुसलमान फरवरी और मई, १९५० ई० के बीच पश्चिमी पाकिस्तान चले गये थे और तदुपरान्त फिर सरकार से प्रोत्साहन मिलने पर हिन्दुस्तान में लौट आये थे, उन्हें अपनी उस सम्पत्ति के मिलने का अधिकार मिल गया था जिसे निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में ले लिया गया था। इस सम्बन्ध में निष्क्रान्त सम्पत्ति विभाग के सचिव को भारत सरकार ने यह अधिकार दे

दिये थे कि वह हाल ही में वापिस आये हुए व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति वापस दिलाने के प्रमाण पत्र दे सकता है। लौटने वाले कुछ मुसलमानों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सम्पत्ति वापस पाने के प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर १० रु० की निर्धारित कोर्ट स्टाम्प की फीस तथा कुछ अन्य प्रारम्भिक कानूनी कार्यवाहियों से, जिनमें सम्पत्ति वापस होने में बाधा पहुंच रही थी, उनको बरी कर दिया गया। आलोच्य वर्ष में सम्पत्ति वापस दिलाने के लिये ४८२ प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

इस वर्ष इवेकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ नामक एक सेन्ट्रल ऐक्ट इस उद्देश्य से पारित किया गया जिससे कि सग्रथित निष्क्रान्त सम्पत्ति में निष्क्रान्तों के हित को गैर निष्क्रान्तों के हित से पृथक किया जा सके। इस ऐक्ट के अधीन इस राज्य में निष्क्रान्त सम्पत्ति के बटवारे के काम को शुरू करने के लिये एक सुयोग्य अधिकारी की नियुक्ति की गयी।

भारत में छोड़ी गयी एकत्रित निष्क्रान्त सम्पत्ति से विस्थापित व्यक्तियों की क्षति पूर्ति के लिये भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्राम्य और नागरिक सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण करने के लिये एक योजना बनाई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के कई जिलों में काम किया गया और कई जगहों, इमारतों इत्यादि का मूल्य निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया।

८ लाख रुपये की कुल धनराशि निष्क्रान्त सम्पत्ति के निजी खाते से भारत में निष्क्रान्त सम्पत्ति के सामान्य सरक्षक के निजी खाते में विस्थापित व्यक्तियों को भरण-पोषण का भत्ता देने के लिये संक्रमित की गयी।

७ नवम्बर को राष्ट्रपति ने डिस्पलेस्ड परसन डेट एजस्टमेंट ऐक्ट, १९५१ ई० के सम्बन्ध में अपनी सम्मति दी, जिसमें विस्थापित व्यक्तियों द्वारा देयऋण का समाधान करने, उनको देय कुछ ऋणों की वसली करने और कुछ अन्य सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था थी। भारत सरकार ने इस एक्ट को १० दिसम्बर, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश में लागू किया। इस एक्ट से डिस्पलेस्ड परसन (इन्स्टीट्यूशन आफ सूट्स) ऐक्ट, १९४८ तथा डिस्पलेस्ड परसन (लीगल प्रोसीडिंग्स) ऐक्ट, १९४९ ई० का अपखंडन हो गया। सभी सिविल जजों का अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में और जिला जजों को उन जगहों पर जहां सिविल जज नहीं थे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐक्ट के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार में धर्माधिकरण के अधिकारों का प्रयोग करने के निमित्त नियुक्त किया।

इस वर्ष निष्क्रान्त सरकारी नौकरों तथा पूर्व रियासतों और स्थानीय निकायों के नौकरों के पेन्शनों, दूर्वदायी कोष (प्राविडेन्ट फन्ड), वेतन के बकायों आदि के ८७४ दावे छानबीन के लिये प्राप्त हुए और २,४३६ और दावों की छानबीन की गई और भारत सरकार के सेन्ट्रल क्लेम्स आर्गेनाइजेशन को अप्रैल, १९४९ ई० के अन्ताधिराज्य समझौते के (इटर डोमिनिय एग्रीमेंट) के अनुसार वापिस कर दिये गये। उसके अतिरिक्त इस राज्य के विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गयी चल सम्पति के लिये कई दावों का हवाला पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर को या पाकिस्तान में सम्बन्धित प्रान्तों के मुख्य सचिवों को भेज दिये गये। एक अन्य अन्ताधिराज्य समझौते के अनुसार प्रार्थना किये जाने पर सरकार ने कई उन निष्क्रान्त सरकारी नौकरों इत्यादि के, जो पहिले उत्तर प्रदेश में कर्मचारी थे, सेवालेखों को पाकिस्तान संक्रमित कर दिया।

९—भूमि सम्बन्धी समस्याएं

वर्ष के दौरान में कृषि उपज के सामान महगे बने रहे। अंशतः महगाई के कारण और अशतः 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन तथा किसानो को तकावी ऋण के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के कारण जोतो का क्षत्रफल लगभग १ १/२ प्रतिशत बढ़ गया। १३५४ फसली से १३५८ फसली तक के पांच वर्षों की अवधि में कुल लगभग ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें से १ प्रतिशत की वृद्धि अन्तर क्षेत्रो के विलयन के फलस्वरूप राज्य के प्रदेश में विस्तार होने के कारण हुई। इसी अवधि में जमीन्दारो की सीर और खुदकाश्त की जमीनें भी लगभग २ प्रतिशत बढ़ गयी।

खतो मे काम करने वाले मजदूरो की मजदूरी और बैलो तथा कृषि सम्ब धी औजारो के मूल्य भी बढे चढे रहे। इन बातो से और साथ ही कृषि उपज की बिक्री से अधिक आय होने से और ट्रैक्टरो की खरीद के लिये राज्य सहायता दिये जाने से बड़ किसानो की मशीनो के द्वारा खेती करने की ओर महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हुई।

कुछ वर्गो के उन किसानो को जिन्हे यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० के अन्तर्गत स्थायी अधिकार नही प्राप्त थे, उन्हे सुरक्षा प्रदान करने तथा निकट भविष्य में होने वाले जमीन्दारी प्रथा के विनाश के आधार पर एक बड़ी सख्या मे होने वाली बेदखलियो को रोकने के अभिप्राय से आलोच्य वर्ष में भी टनेन्सी ऐक्ट की धारा १७५ के अन्तर्गत गरदखीलकार काश्तकारो की बेदखली सम्बन्धी मुकद्दमो को स्थगित कर दिया गया। ९ अगस्त, १९५१ ई० को एक ऐसी विज्ञप्ति निकाली गई कि जिसके अनुसार टेनन्सी ऐक्ट की धारा १८० के अन्तर्गत दखीलकार काश्तकारो की बेदखली से सम्बन्धित मुकद्दमो को भी स्थगित किये जाने के लिये दुबारा आदेश जारी किये गये।

जगलो तथा पेडो को व्यापक रूप से और अविवेकपूर्ण ढंग से काटने को रोकने के लिये यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाहिया जारी रही। साथ ही साथ लैन्ड युटिलाइजेशन ऐक्ट से भी लाभ उठाया गया कि कोई कृषि योग्य भूमि बिना खती के शेष न रहे। राज्य की आर्थिक स्थिति मे इन दो कार्रवाइयो के द्वारा सरकार इस बात में सामजस्य स्थापित कर सकी कि कहां कृषि होनी चाहिए और कहा जगल लगने चाहिए।

मार्च और अप्रैल, १९५१ ई०में राज्य के १२ जिलो मे कही-कही पर ओले पड़े। राज्य के सभी जिलो में टिड्डियो ने धावा किया, किन्तु जिला अल्मोड़ा को छोडकर और कही भी रबी की फसल को अधिक हानि नही पहुंची। आरम्भ मे वर्षा न होने के कारण व्यापक सूखे से खरीफ की फसल को विशेषतः पूर्वी जिलो मे बहुत काफी हानि पहुची।

१०—कृषि सम्बन्धी स्थिति

फरवरी, १९५१ ई० मे ओले पडने के कारण कुछ जिलो मे खडी फसल को नुकसान हुआ तथा कुछ जिलो मे टिड्डयो के कारण कुछ स्थानीय क्षति हुई। मार्च के आखिरी तथा अप्रैल के पहले सप्ताह में वर्षा और ओले पड़ने के कारण कुछ जिलो मे रबी की खडी फसल तथा खलिहान में पड़ी फसल को क्षति हुई। जुलाई और अगस्त के महीनो मे वर्षा बहुत से जिलों में औसत से कम और कुछ जिलो मे अधिक वर्षा हुई। किन्तु दोनो महीनों को मिलाकर बहुत से जिलो मे वर्षा औसत से कम हुई। मानसून के महीनों

मे और बाद को अपर्याप्त तथा छुटफुट वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल और विशेषकर धान की फसल की बहुत क्षति हुई। नेपाल तराई के कुछ भागों मे तथा गोंडा, बस्ती, गोरखपुर का वह भाग, जो नेपाल की सीमा पर है और जहां धान पैदा होता है, वहा खरीफ की फसल का बोना तथा देर से पकने वाले धान के पौधो को रोपने का काम न किया जा सका। जमीन मे नमी के कारण, विशेषकर गैर सिंचाई के क्षेत्रो मे रबी की फसल के लिये खेतो को तैयार करने का काम भी सन्तोषजनक नहीं था। रबी का फसल के क्षेत्र मे भी थोड़ी कमी हुई। आलोच्य वर्ष मे पिछले वर्ष के क्षेत्र और पैदावार की तुलना मे क्षेत्र तथा पैदावार दोनो मे गन्ना, मक्का और गेहू मे वृद्धि हुई और ज्वार, बाजरा तथा गन्ना मे कमी हुई। ना और कपास के क्षेत्र में कमी होते हुए भी पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रत्येक फसल का क्षेत्र अधिक था। धान के सम्बन्ध मे उपज मे कमी हुई पर धान के क्षेत्र मे थोड़ी वृद्धि हुई।

११—कृषि विभाग

कृषि विभाग के सामने अन्न उत्पादन बढाने की समस्या का सर्वप्रथम स्थान रहा। १३,०[illegible],६२८ रु० की धनराशि बिना ब्याज के ऋणों के रूप मे और २७,३४,७४६ रुपये की धनराशि का अनुदान ब्याज सहित तकावी के रूप मे किसानो को दिये जाने और उनको प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप १,१४,६२६ एकड़ भूमि जोती गयी। लगभग १४,२२,७१७ मन की रबी के फसल के बीज और ३,३२,३५३ मन खरीफ के फसल के बीज किसानो मे बांटे गये और इसके अतिरिक्त ६१,५४६ मन खली, ५,२१,३८८ मन कृत्रिम खाद, १६,८३२ मन सनई के बीज हरी खाद के लिये और ६,२५,४१,४५० मन मिलवा खाद बाटी गयी। फसलो की प्रतियोगिता प्रारम्भ करने से प्रतियोगिता की भावनाएं अच्छी पैदा हुयी और लगभग ६०,००० किसानो ने इन प्रतियोगिताओ मे भाग लिया। पौधा सरक्षण सेवा और विभिन्न अनुसधान [illegible] उपयोगी कार्य करते रहे।

१२—ग्राम-सुधार

मुख्य कार्यालय के स्थान (Headquarters) मे ग्राम-सुधार विभाग ने सहकारी समितियो की रजिस्ट्रार तथा ग्राम सुधार अधिकारी और सहायक ग्राम सुधार अधिकारी तथा सहायक (Assistant) रजिस्ट्रार के संयुक्त शासनाधिकार के अधीन रह कर काम किया। ग्राम सुधार विभाग के बाकी कर्मचारीवर्ग को सहकारी विभाग (Co-operative Department) मे खपाने की क्रिया जारी रही और साल की समाप्ति पर वह पूर्णता के समीप पहुच चुकी थी।

महिला हितकारी योजना का स्थान विभाग के कार्यक्रम मे महत्वपूर्ण रहा। देहाती नारियो की सेवा के लिये उसे "समग्र ग्राम सेवा" के आधार पर पुनस्सगठित किया गया। योजना के उद्देश्यो मे माता और छोटे बच्चे (school child) को प्रबोध (Enlightenment) देने, माता और बच्चे का कल्याण साधन और आर्थिक भलाई करने के उद्देश्य भी थे। गत वर्ष की भांति १२ जिलो मे यह काम होता रहा और इस योजना की मातहती मे ३ मडल संगठनकर्त्ताओ (Zonal organisers), १२ जिला सगठन कर्त्ताओं और २०० ग्राम सेविकाओ ने काम किया। हर एक जिले मे ३ से ५ तक केन्द्रो मे अधिक जुटकर (concentrated) प्रयत्न किये गये। आलोच्य वर्ष मे सरकार ने व्यायाम परिषद् के सचिव के टेक्निकल (Technical)

सहायक और व्यायाम निरीक्षक (Superintendent of Physical culture), इलाहाबाद के पदों को महिला हितकारी योजना के अन्तर्गत कर दिया, ताकि देहाती हल्कों में औरतों के शारीरिक संवर्द्धन के काम में आसानी हो। आलमबाग, लखनऊ में एक बालबारी और प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किया गया और ५ महीने के प्रशिक्षण के लिये २० ग्राम सेविकाओं को उसमें भर्ती किया गया।

देहाती क्षेत्रों में पानी की कमी और यातायात की दिक्कत को दूर करने तथा पंचायतघरों और बीज भण्डारों के बनाने और मरम्मत करने की ओर भी ध्यान दिया गया है। आलोच्य वर्ष में निर्माण सम्बन्धी कार्य जिला विकास सभाओं (District Development Associations) द्वारा हो रहा था, किन्तु बाद को उन्होंने अपना कार्य जिला नियोजन समितियों के सुपुर्द कर दिया। देहातों में जल की व्यवस्था (supply) में सुधार करने के हेतु तीन लाख रुपये की और पंचायतघरों तथा बीज भण्डारों के बनाने एवं मरम्मत के लिये तीस हजार रुपये की रकमें सरकार ने मन्जूर कीं।

१३—पशु—पालन

पशु-पालन विभाग ने विभिन्न दिशाओं में और अधिक प्रगति की। राज्य में ८२८ पशु चिकित्सालयों का प्रबन्ध करने और पशु रोगों को फैलने से रोकने के लिये २९८ वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन और ६९४ स्टाकमैन थे। सचल पशु चिकित्सा यूनिट मेरठ भेज दी गयी, जहां उसका उपयोग जिलों में पशुधन की प्रगाढ़रूप से नस्लकशी करने और सुदूर भागों में पशु चिकित्सा पहुंचाने के लिये किया गया।

बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन ने रोग से बचने के दो पदार्थों अर्थात् रिंडरपेस्ट गोट टिस्यू वैक्सीन (डेसिकेटेड) तथा हेमोराजिक सेप्टीसीमियां वैक्सीन (दोनों अप्रश्वास और ब्रोथ वैक्सीन) को काफी मात्रा में तैयार किया और उनकी सप्लाई में वृद्धि की। १९५१ ई० में इन वैक्सीनों की क्रमशः कुल १०,६१,७०० और २५,७२,७५० मात्रायें फील्ड कर्मचारिवर्ग को दी गइ। वर्ष समाप्त होते समय इस सेक्शन में रानीखेत डिजीज वैक्सीन, फाउल पाक्स वैक्सीन और फाउल कालरा वैक्सीन तैयार करने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया।

पंजाब आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली और विभिन्न सैनिक और अन्य केन्द्रीय सरकारी दुग्धशाला फार्मों से ३०० से अधिक विशुद्ध नस्ल के सांड खरीदे गये। देशी पशुधन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये स्वीकृत स्तर के सांड पैदा करने के हेतु राज्य पशुधन नस्लकशी फार्म (स्टेट लाइवस्टाक ब्रीडिंग फार्म) में विभिन्न नस्लों के २,४४२ पशु और विशुद्ध नस्ल की भैंसें रखी गईं। निजी तौर से उपयोग करने वालों को ३० रु० प्रति सांड की दर से ९०० विशुद्ध नस्ल के सांड सप्लाई किये गये। जिला मेरठ और छाता (जिला मथुरा) में प्रमुख ग्राम कार्य (की विलेज वर्क) जारी रखा गया और १४ अन्य प्रमुख ग्राम कार्य ब्लाक (की विलेज वर्क ब्लाक) स्थापित किये गये, जिनका वित्त-पोषण भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर ५०:५० प्रतिशत के हिसाब से किया। मेरठ, लखनऊ, देवरिया, गाजीपुर और महेवा (इटावा) में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संतोषजनक कार्य करते रहे और जनप्रिय हो गये। बाबूगढ़ (मेरठ), माधुरीकुण्ड (मथुरा), भरारी (झांसी) और बेंती (प्रतापगढ़) फार्मों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का नियन्त्रण हटाकर पशुपालन विभाग के अधीन कर दिया गया।

विशुद्ध नस्ल की साहीवाल गायो के एक गल्ले के रखरखाव के लिए बैती के पशु फार्म के मालिक को ३६,००० रुपये का आवर्तक अनुदान दिया गया। इस विभाग के लिये विशुद्ध नस्ल के सिधी सांड-बछेड़ा उत्पन्न करने के सबंध मे एग्रिकलचरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद के साथ किये गये प्रबन्ध जारी रहे।

आलोच्य वर्ष मे भद्रुक (लखनऊ) के सरकारी डेरी फार्म में १५,९७१ मन दूध, ८,३६८ पौड मक्खन, २८ मन घी तैयार हुआ और सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ म कुल ३,२५,६६३ पौड दूध, १,५७,१०६ पौड मक्खन, १,५२,६३२ पौड घी और ३,१२,८४५ पौड सुवर वाड़ो से प्राप्त होने वाली वस्तुए तैयार की गई। बजट मे निजी डेरी फार्मो के लिये तकावी ऋण के रूप मे ७५,००० रु० के अनुदान की व्यवस्था की गई और ऋण स्वीकृति सम्बन्धी नियमो के अंतिम रूप से बन जाने के उपरान्त ५ प्रार्थियो को यह अनुदान दिया गया।

निजी गौशालाओ मे (जिन्हे १९४८, १९४९ तथा १९५० ई० मे विशुद्ध नस्ल की २४६ हरियाना गाये दी गई थी) प्रतिदिन के हिसाब से ४५ मन दूध पैदा किया गया। इन गौशालाओ द्वारा पैदा किये गये ४ विशुद्ध नस्ल के सांड पशुपालन विभाग ने खरीदे।

एटा, मैनपुरी, बिजनौर, मथुरा, सहारनपुर, इटावा और कानपुर के नय चुने गये जिलो मे घोड़ो तथा खच्चरो के नस्लकशी की कार्यवाहिया जारी रही। वर्ष समाप्त होने के समय इन जिलो मे क़ीमती सरकारी साड-घोड़ों के लिए उपयुक्त अस्तबलो का निर्माण कार्य चालू रहा।

कूच से खरीदे गए ५ कठियावाड़ी घोड़ियां और २ काठियावाड़ी सांड-घोडे तथा एक काठियावाडी बछड़ा मुरादाबाद से सांड-घोड़ो के डिपो मे पाले गये। १९५१ ई० मे राज्य के बाडो मे ४३ सांड-घोडे और ८ सांड-गधे थे।

फुलाह्री (इलाहाबाद), रतनपुर (फतेहपुर), भुलावन (गोरखपुर) और शिवपुरी (बनारस) के सांड-मेढा केन्द्रो मे पहिले की ही तरह कार्य होता रहा और वहां स्थानीय भेड़ो के बाल काटने, उनको नहलाने और परासाइटिसाइड्स (parasiticides) से भिगाने की सुविधाये भी दी गयी। पूर्व की भांति सरकारी भेड़ो के फार्म, उरई, डेरी डिमान्स्ट्रेशन फार्म, मथुरा और माधुरीकुड (मथुरा) तथा बाबूगढ़ (मेरठ) के यन्त्रीकृत राज्य फार्मो में विशुद्ध नस्ल की बीकानरी भेड़ो के गल्ले रखे गये। गढवाल जिले में ग्वालडम और पीपलकोटी के सरकारी भेडो के फार्म मे रामपुर-बिशेर की ३ मादा भेड़े रखी गई। पीपलकोटी (जिला गढवाल) के सरकारी भेड़ो के फार्म मे रखने के लिए १० विशुद्ध नस्ल के मेरिनो मादा भेड़े और ४ विशुद्ध नस्ल के मेरिनो नर भेड़ो के अमेरिका से आयात करन के प्रबन्ध मे शीघ्रता बरती गई। १९५१ ई० में विभाग ने देशी भड़ो की नस्ल सुधारने के लिए १५० साड भड़े सप्लाई किये।

इटावा जिले के चाकरनगर क्षेत्र मे जमुनापारी बकरियो और बकरो के रखरखाव के सबध में राज्य सहायता देने की योजना चालू रही। उरई के भेड़ो के फार्म, एटा के पशु क्वारन्टाइन स्टेशन और माधुरीकुण्ड (मथुरा) के यंत्रीकृत राज्य फार्म में भी जमुनापारी बकरियो की यूनिटो का रखरखाव किया गया। मथुरा के डेरी डिमान्स्ट्रेशन फार्म मे, जो बरवारी बकरियां रखी जाती थीं, वे मिशन फार्म, एटा को स्थानान्तरित कर दी गई।

आलोच्य वर्ष में राज्य में निजी रूप से सुअरो की नस्लकशी करने वाले व्यक्तियो को विशुद्ध नस्ल के ५४ मिडिल ह्वाइट यार्कशायर सुअर दिये गये।

लगभग ३८,४६६ अंडे, जिनसे बच्चे पैदा हो सकते है, ९,४९० बडी मुर्गियां और २,०७२ मुर्गो इत्यादि के बच्चे विकास संबधी कार्य के लिए दिये गय और ५१,४५९ अंडे और १,५५८ मुर्गियां इत्यादि खाने के लिए बेंची गयीं।

समस्त पशुओ के मेलो और प्रदर्शनियो में चार्ट और नमूने दिखाये गये तथा अन्य प्रदर्शन भी किये गये। विभाग ने आगरे मे राज्य के पशुधन संबधी द्वितीय प्रदर्शनी के अतिरिक्त अन्य जिलो मे एक दिन वाली क पशु-प्रदर्शनियों और प्रादेशिक पशु-प्रदर्शनियो का आयोजन किया।

वर्ष मे राज्य में खाल उतारने वाले चार दलो ने दो ग्रामीण क्षेत्रों में और दो शहरी क्षेत्रो में काम किया। इन दलो ने १०६ ग्रामीण खाल उतारने वालो और १०९ कसाइयो को क्रमशः मरे पशुओ की खाल उतारने और वध किये गये पशुओ की खाल उतारने की ट्रेनिंग दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण खाल उतारने वालो को मरे पशुओ की उतारी गयी खाल सिझाने और उसको उपयोगी बनाने में प्रयोग करने के लिये उन्नत प्रकार के औजारो के १२२ सेट और ७० कीनिया किस्म के लकड़ी के ढ़ांचे दिये गये।

पिछले वर्ष की भांति पशुपालन विभाग के नियंत्रण मे १२ यंत्रीकृत सरकारी फार्म थे। इनका कुल क्षत्रफल १६,२५५ एकड़ था, जिसमें से १२,००० एकड़ भूमि मे खेती की गई। आलोच्य वर्ष में इन फार्मो मे ७३,२०६ मन अनाज, ६४,३०६ मन सूखा चारा, २,६६,६६३ मन हरा चारा, १३,७०५ मन सब्जियां और १,१७,४६१ मन गन्ना पैदा किया गया। विभिन्न फार्मो मे जितने पशुओं का रखरखाव किया गया, उनकी संख्या ४,५१७ थी। फार्मो मे पशुओ को रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत संघ के अन्य भागो से प्राप्त किये गये पशु यहां के जलवायु तथा वातावरण के आदी हो जाय और तदनन्तर उनका उपयोग देशी नस्ल के पशुओ का सुधार करन के लिए किया जाय। बाबूगढ, माधुरीकुंड और भरारी के फार्मों मे बकरियों और भेडों का भी रख रखाव किया गया। बाबूगढ, भरारी और मझरा फार्मों मे बड़े पैमाने पर मुर्गियां उत्पन्न करने का कार्य किया गया और इन फार्मो से जनता को मुर्गियां और अंडे भी सप्लाई किये गये।

उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, मथुरा मे १५३ त्र थ। आलोच्य वर्ष मे इस कालेज से १५ स्नातको का पहिला बेंच निकला। राज्य पशुधन अनुसन्धानशाला पशुधन संबधी तात्कालिक महत्वपूर्ण समस्याओ को सुलझाती रही।

१४—मत्स्य-पालन

आलोच्य वर्ष मे २५२ तालाबो मे, जिनका क्षेत्रफल ३०८ एकड़ था, मछलियां रखो (स्टाक की) गई। 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अधीन भारत सरकार न तालाबो मे मछलियो को स्टाक करने तथा उनकी विकास योजना की राज्य-सहायता व्यय के ५०:५० प्रतिशत के आधार पर दिया।

कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्रों के उच्चतर अक्षांशो में 'ट्राउट' नामक मछलियो का विकास करने के विचार से टेहरी-गढवाल जिले मे 'कलदियानी हैचरी' को वन विभाग से ले लिया गया। मिररकार्प नामक मछलिया जो ऊटकमड से लाई गई थी भुवाली हैचरी में सफलतापूर्वक पाली गई और इस नये किस्म की छोटी छोटी (Fingerlings) मछलियां कुमायूं पहाड़ियो के पानी में स्थान-स्थान पर डाली गई।

मत्स्य-पालन खोज प्रयोगशाला (Fisheries Research Laboratory), लखनऊ में खोज तथा प्रयोग जारी रहे और रामपुर, बनारस, भुवाली (नैनीताल) और मिर्जापुर में चार खोज-उप-स्टेशन स्थापित किये गये। एक नय प्रकार (की मछली अर्थात् 'दार्जिलिंग महासीर' को बंगाल के पहाड़ी प्रदेश से भुवाली

फिश फार्म मे प्रयोग के लिए लाया गया। खोज का काम करने वाले कर्मचारियो ने कई तालाबो मे मछलियों के स्टाकिग का काम भी शुरू किया और आलोच्य वर्ष मे १०२ एकड़ पानी स्टाक किया गया।

१५—वन

नहरो के किनारो और सडको के रास्तो पर स्थित पेडो को नुकसान से बचाने के विचार से इस वर्ष राज्य विधान मंडल ने भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधक) विधेयक, १९५१ ई० पारित किया।

लैंड मैनेजमेंट सर्किल ईंधन तथा चारे की रिजर्व की व्यवस्था के लिये रेल की भूमि, नहरो के किनारो, सडको के किनारों और नजूल की भूमि जैसी राजकीय भूमि पर पेड लगाता रहा। कुछ नहरो के किनारो पर शहतूत के पेड लगाये गये।

बहराइच जिला मे खाद्यान्नों के अभाव के कारण सकट को दूर करने के लिये वन विभाग ने पेड़ो के लगाने की योजना आरभ की। इस योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र के बहुत से आदमियो को काम मिला। इस विचार से राजस्थान सरकार अपने राज्य मे चारे के अकाल का सामना कर सके, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वनो से ४ लाख मन पुआल देना मंजूर किया।

राज्य मे भूमि-सरक्षण सबधी कोई कानून बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये भूमि प्रबंधक बोर्ड ने एक उपसमिति नियुक्त किया।

आलोच्य अवधि मे बनारस फारेस्ट डिवीजन मे वन-बन्दोबस्त की कार्यवाहियां आरंभ की गई।

१६—सिंचाई

पिछले साल मे ६०,१७,६७३ एकड़ के मुकाबले इस साल ६२,३१,८७० एकड भूमि की उल्लेखनीय सिचाई हुई। वर्षा न होने से पानी की बड़ी मांग को पूरा करने के प्रयत्न और सिचाई के लिये सुलभ पानी के युक्तिपूर्वक वितरण ही सिचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण हैं। सरकारी सिचाई की सहायता से होने वाली फसलों की कुल कीमत १९८ करोड रु० आकी गई और इसके अनुरूप किसानो पर बांधे गये लगानों की रकम ५ ४०८ रु० करोड़ हो गई।

साल के अत मे सिचाई की नहरें कुल २६,०७३ मील थीं। साल के दौरान मे १,२०८ मील लम्बी नई कुल्या बनाई गई। साल के अन्त में सरकारी नल-कूपों की सख्या २,३५१ थी, जिनसे १०.५४ लाख एकड़ भूमि की सिचाई हुई। इनमें से साल के दौरान मे १३७ तैयार हुए, जिनमे बिजली लगा दी गई।

आलोच्य वर्ष मे नीचे लिखे निर्माणकार्य या तो पूरे हो गये या हो रहे थे :—

(१) गगा और यमुना नहरो मे नई कुल्या का निर्माण और मौजूदा का विस्तार,

(२) नहर गंगा की पानी फेंकने की सामर्थ्य (discharge capacity) को ८ हजार से बढ़ा कर साढ़े दस हजार कुसेक्स (cusecs) कर देने के योजना सबंधी कार्य,

(३) सोलनी जल-प्रणाली (adueduct) की सतह को नीचा करना और उसकी बगली दीवालो को दृढ करना ताकि उससे गगा नहर में अधिकतर जल पहुंचाया जा सके।

(४) धनौरी रेगुलेटर (Regulator) मे लगे हुए पुरानी चाल के कपाटो को बदलना,

(५) कनखल कस्बे के बचाव के निमित्त गंगा नदी मे एक बांध का निर्माण,

(६) पश्चिमी जिलों में ६००, २०० और ५० नल-कूप बनाने की योजना के अंतर्गत नल-कूपों का निर्माण,

(७) बुंदेलखंड में ललितपुर, सपरार और कबराई झीलों की परियोजनाओं (Projects) के संबंध में निर्माण कार्य,

(८) बांदा जिले में रंगवां बांध का निर्माण,

(९) इलाहाबाद जिले में बेलन नहर परियोजना (Project) के सम्बन्ध में निर्माण कार्य,

(१०) बेतवा नहर प्रणाली में ३१० मील नई कुल्या और विस्तारों का निर्माण,

(११) कुथोंद शाखा को फिर से बनाना,

(१२) झांसी, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, और मिर्जापुर जिलों में बन्धियों का बनाना,

(१३) बकरभरी, अहरौरा, मातादीला और अर्जुन परियोजनाओं (Projects) के सम्बन्ध में निर्माण कार्य,

(१४) गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों में १०० नलकूपों का निर्माण,

(१५) शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर और गोंडा जिलों में ३४० नल-कूपों का निर्माण ।

पूर्वी जिलों में आगामी १५ सालों में कई हजार नलकूप के बनाने के एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में आजमगढ़ जिला में चार अन्वेषण (exeloratory) नलकूप यह निश्चय करने के लिये बनाये गये कि इस हल्के में किस प्रकार के नलकूप अत्यन्त उपयुक्त होंगे ।

शारदा नहर में २ हजार मील नई कुल्या के बनाने और विस्तार करने का काम हो रहा था । उसमें से साल की समाप्ति तक १,४७५ मील कुल्या और विस्तार निर्मित किये जा चुके थे और वे काम दे रही थीं । मुख्य शारदा नहर और उसकी शाखाओं की सामर्थ्य में २ हजार क्यूसेक (cusecs) की वृद्धि कर देने का काम भी प्रारम्भ किया गया, ताकि सुलभ होने पर नदी का पानी अधिकतर मात्रा में काम में लाया जा सके ।

अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिलों में पिछड़े हुये हल्कों को, जिनको अन्न की कमी चिर काल से सता रही है, सहायता पहुंचाने के लिए लगभग ११२ मील लम्बी सिंचाई की ४१ छोटी कुल्या बनाई जा रही थीं । साल के अन्त तक ९३ मील कुल्या वस्तुतः बन गई थीं और सिंचाई के लिये खोल दी गयी थीं ।

१७—व्यापार और उद्योग

आलोच्य वर्ष की एक उल्लेखनीय बात यह थी कि औद्योगिक उत्पादन में हर तरह से वृद्धि रही । कुछ बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन १९४८ ई० के बाद इस वर्ष अधिकतम हुआ ।

उत्पादन में सुधार हो जाने का मुख्य कारण यह था कि परिवहन की सुविधायें कुछ अच्छी हो गयी थीं। गन्ना, कच्ची कपास और कच्चा जूट जैसे कच्चा माल मिलने लग गये थे और मालिकों तथा मजदूरों के बीच साधारणतः सन्तोषजनक सम्बन्ध रहे ।

१९५१ ई० के प्रथम चार महीनों में कीमतें बढ़ रही थीं, किन्तु जुलाई के बाद कीमतें कम होने लग गयी थीं और इस वर्ष में लगभग २९ प्वाइन्ट की गिरावट दिखलाई पड़ी ।

तथापि रहन सहन के व्यय मे वृद्धि हो गयी, क्योंकि कीमतें बढ गयी थी और मांग और माल की प्राप्य सप्लाई और सेवाओ के मध्य बडा भारी अन्तर हो गया था। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतो मे भारी वृद्धि हो गई थी।

१८—सहकारी आन्दोलन

१९५०-५१ ई० के सहकारी वर्ष में मुख्यतया पिछले वर्षों मे किये गये समस्त सहकारिता सम्बन्धी कार्यो के प्रगति का एकत्रीकरण किया गया।

वर्ष के अन्त मे विभिन्न प्रकार की ३५,००० समितियां थीं, जिनके सदस्यो की सख्या २८ लाख थी। कुल मिलाकर समितियो की वित्तीय स्थिति सन्तोष-जनक थी और उनका ओन्ड कैपिटल (निजी पूजी) (७·८२ करोड़ रुपये) वर्किंग कैपिटल (कार्यवाहक पूजी) (लगभग २३ करोड़ रुपये) का लगभग एक-तिहाई था।

सस्थाये उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देने और अर्थ सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियो में वृद्धि करने की नीति का निरन्तर अनुकरण करती रही। आलोच्य वर्ष मे समितियो ने मुख्यतः जो कार्य किये, वे ये थ—वित्तीय व्यवस्था करना, बीज, खाद तथा खेती के औजारो की सप्लाई करना, सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओ तथा कुटीर उद्योग के लिये कच्चे माल की व्यवस्था करना, आवश्यक वस्तुओ को प्राप्त करना और उनका वितरण करना, चीनी के कारखानो को गन्ना सप्लाई करना, शुद्ध दूध तथा दूध से बनी चीजे सप्लाई करना, औद्योगिक वस्तुओ का उत्पादन तथा विक्रय करना, जोतो की चकबन्दी करना, भूमि उपनिवेशन तथा सहकारी कृषि सम्बन्धी कार्य और शहरो मे मकानो का निर्माण करना।

१९५०-५१ ई० मे राज्य में जो प्रमुख सहकारी समितिया कार्य करती रही वे ये थी—यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, यू० पी० कोआपरेटिव डेवलपमेंट तथा मार्केटिंग फेडरेशन, केन्द्रीय सहकारी (Central Co operative) बैंक और बैंकिंग यूनियनें (६६), डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेडरेशन (५०), डेवलपमेंट और मार्केटिंग यूनियनें (१,५९७), गन्ना समितियां (१०५), कृषि ऋण समितिया (२६,३९०), अकृषि ऋण समितिया (६४९), दुग्ध समितियां (६ केन्द्रीय, २०३ प्राथमिक), घी समितियां (११ केन्द्रीय, ६३१ प्राथमिक), कपडा समितियां (३९ केन्द्रीय, ५८१ प्राथमिक), जोत चकबन्दी समितियां (४८२), सहकारी कृषि समितियां (३२), भूमि उपनिवेशन समितियां (६७), भवन निर्माण समितिया (१६७) और उपभोक्ता समितियां (५०८) हैं।

१९—नियोजन

नियोजन और विकास (Planning and Development) विभाग का पुनस्संगठन, १९५० में हुआ था। अपने उसी रूप मे वह पूरे साल भर सरकार के मुख्य कार्यालय और जिलो में काम करता रहा। राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) की मार्च और नवम्बर महीने में दो बैठकें हुयीं, जिनमें उसने राज्य नियोजन समिति (State Planning Committee) की बनाई हुई द्विवर्षीय और पचवर्षीय योजनाओ (Plans) पर विचार किया तथा उपयुक्त परिष्कारो का सुझाव दिया।

नव-निर्मित जिला नियोजन समितियो (Planning Committees) ने नियोजन विभाग के बताये हुए आधार पर बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार जिलो मे काम किया। ब्लाक नियोजन समितियो की सलाह से विकास कार्य के अपने वार्षिक नियोजन (Plans) बनाने को जिला नियोजन समितियो से कहा गया। जिले में नियोजन की विशेष बाते यह थीं :—

(१) सरकारी और गैरसरकारी संगठनो तथा कार्यकर्त्ताओ का एकीकरण।

(२) ग्राम नियोजन (Village Plans) को आत्म-सहायता के सिद्धांत पर कार्यान्वित करना, और

(३) कृषि, पशुपालन-सहकारिता (Co-operation), सार्वजनिक स्वास्थ्य और पचायती राज मे प्रशिक्षित बहुप्रयोजन कार्यकर्त्ता का उद्विकास। लगभग ५० प्रतिशत जिलो मे विभिन्न विकास विभागों (Development Depots) के दफ्तर एक ही भवन मे रक्खे गये। उपयुक्त स्थान के अभाव के कारण बाकी जिलो मे भी ऐसा ही प्रबन्ध कर देने के प्रस्ताव को स्थगित करना पडा। अधिकांश जिलो मे बहुप्रयोजन कार्यकर्त्ताओ को थोडे दिनो तक जाब ट्रेनिंग (Job Training) दी गई। कर्मचारियो के पथप्रदर्शन के लिये इक्सटेन्शन मैनुअल (Extension Manuals) के रूप मे उपयुक्त साहित्य तैयार किया गया। कार्यक्रम में १८ बातें थी—सडकों और मकानो का बनाना, ग्राम आरोग्य विद्या और स्वच्छता, पशपालन, शिक्षा और मनोरंजन, किसानी और बागबानी, सहकारिता और कुटीर उद्योग। प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्साह के अनुरूप ही तरक्की हुई।

समग्र ग्राम सेवा के आदर्श के अनुसार गावो को संगठित करने के उद्देश्य से कार्यकर्त्ताओ के प्रशिक्षण के लिये प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र की योजना (Regional Training Centres Scheme) चालू रही। जिला नियोजन अधिकारियो (Planning Officers) के नियन्त्रण मे रखे गये विभिन्न विभागो के कर्मचारियो और उन उम्मीदवारो की, जो ग्राम पन्चायतों के सेक्रटरियो के रूप मे काम करते, ट्रेनिग की व्यवस्था के लिये यह निश्चय हुआ कि योजना को फिर से सगठित किया जाय और दो केन्द्रो की कक्षायें तोड़ दी जायं। चार क्षेत्रीय शिक्षण केन्द्रो मे कार्य को परिसीमित कर दिया गया। इन चारो केन्द्रो मे पन्चायत राज का काम सिखाने के लिये एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया गया। प्रान्तीय रक्षक दल के पुनस्संगठन के साथ, उसके कार्यकर्त्ताओ को ग्राम कल्याण कार्यक्रम की शिक्षा देना जरूरी हो गया और २ केन्द्रो से मुक्त शिक्षको के एक सेट को इस काम में लगा दिया गया। योजना के पुनस्संगठन के बाद छठे जत्थे का प्रशिक्षण आरम्भ हुआ। इस जत्थ म १२० उम्मीदवार थे, जो गांव पन्चायतो के सेक्रेटरियो का काम करने के लिय चन गये थे।

गाजीपुर का रीजनल ट्रेनिग इस्टीट्यूट (Regional Training Institute) भी अपना काम करता रहा। प्रथम वर्ष वर्ग (First Year Class) ४५ और द्वितीय वर्ष वर्ग ३५ छात्रो से प्रारम्भ हुआ। इंस्टीट्यूट से सलग्न कृषि फार्म (Farm) से साल भर में १०,००० रुपये से अधिक की आमदनी हुई। व्यावहारिक उत्थान कार्य के लिय छात्र चुने हुए गांवो में सप्ताह मे दो बार जाते रहे। उन्होने सोख लेने वाले गड्ढे (Soakage Pits) बनाये, नालियो और

और गलियो की सफाई की और बालिगों को पढ़ाने के लिये दर्जे खले। अपन शिक्षात्मक दौरे मे वे इटावा और गोरखपुर के पाइलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) क्षत्रो तथा कानपुर, नैनी और किछा (नैनीताल) की कृषि संस्थाओं को देखने भी गये।

इटावा के पाइलेट प्रोजेक्ट न सफलतापूर्वक कार्य करने का दूसरा साल पूरा किया। प्राय दो सौ गावो मे योजना (Project) का कार्य-क्षेत्र रहा। कृषि, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, नारी कल्याण, सहकारिता, पचायत कार्य और घरो तथा रास्तो के सुधारों के कार्यों में काफी उन्नति हुई। एक एकड जमीन मे ४२ मन से अधिक गेहू और ३८६ मन से अधिक आलू पैदा होने की रिपोर्ट मिली। दूसरी फसलो की पैदावार में भी वृद्धि हुई। उत्कृष्ट (improved) गेहू से पूरा क्षेत्र पाट दिया गया और दूसरे जिलो तथा इटावा के अन्य हल्को को भी १५,००० मन उत्कृष्ट गेहू के बीज दिये गये। किसानो को लागत पर तरकारियों के लगभग १२ हजार छोटे पौधे (बेढन), ४२ पाउन्ड तरकारियो के बीज और १,२०० फल तथा ४,१६० इमारती लकडी के पौधे बेचे गये। तीन नलकूप और चार पाताल कूप (Artesian Wells) उक्त क्षेत्र मे बनाये गये और सहकारिता के आधार पर संचालित हुए। यमुना नदी के कछार के तीर खोज निकाली गई पाताल पट्टी (Artesian Zone) प्रकृति की एक अमूल्य देन है। कल्टीवेटर (Cultivator) हल, माडने का यन्त्र (Thresher), बीज बोने का यन्त्र (Seed Drill), फसल काटने का यन्त्र (Reaper) इत्यादि का इस्तेमाल अधिकता से हुआ और महेवा के देहाती कारखानो की लोकप्रियता बढी। रोग-निवारक टीके लगाकर पशु रोगो को मिटाने और अच्छी नस्ल के पशु मुहय्या करके पशुओ की नस्ल सुधारने, कृत्रिम रूप से गाभिन करने (artificial insemination) और बधिया करने के कार्यक्रम में बराबर उन्नति हुई। पशु महामारी (Rinderpest) तो प्राय मिट ही गई और रक्तस्राव रोगाणु रक्तता (Haemorrhagic Septicaemia) नाम मात्र को रह गयी। गांववासियो को १२४ सफेद मुग दिये गये और ७२ तालों में मछलियां रक्खी गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेचक के निवारण के लिये अनुविद्ध टीका (saturated vaccination) लगाया गया और हैजा तथा खुजली के नाश के भी उपाय किये गये। साथ ही आसपास के क्षेत्रो में स्वास्थ्य सुधार की भी चेष्टा की गई। प्रौढ साक्षरता, नारी कल्याण इत्यादि के कार्यक्रम को जोरो के साथ चलाया गया और जनता ने इसका स्वागत किया। आलोच्य वर्ष मे दो नये सेकेन्ड्री (Secondary) स्कूल, चार नये मिडिल (Middle) स्कूल और ११ प्रारम्भिक स्कूल चलत रहे। इनको गाँववालों ने चलाया और साज-सामान के लिये उन्होने ६० हजार रुपये दिये। इमारत की पूरी लागत भी, जो लगभग एक लाख रुपये थी, उन्होने दी। ४० गांवो मे स्वयसेवकों की मेहनत से ५१ मील लम्बी कच्ची सड़के बनायी गई। वार्षिक किसान मलों में १५ हजार से ऊपर लोग आये।

प्रोजेक्ट (Project) हल्के के समस्त सहकारी संघों (Co-operative unions) के अपने ईंटों के भट्ठे थे और उन्होंने गांव वालों को बीज, खाद, औजार (implements), कपड़ा तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं (consumers goods) तथा दवाइयां सप्लाई की। १९५१-५२ ई० में विक्रय धन ५ लाख रु०

से अधिक था, जिसमे लगभग ४३,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ। इटावा पाइलट प्रोजेक्ट सम्बन्धी पाक्षिक समाचार देने वाले "मन्दिर से" नामक पर्चे के लगभग एक हजार चन्दा देने वाले ग्राहक थे।

गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर मे पाइलट नियोजनो (Pilot Projects) के अन्तर्गत जो काम हुआ वह उससे भिन्न था जो इटावा में हुआ। इटावा में जो अनुभव हुआ उससे इन जिलो मे कुछ कार्यों को तेजी और किफायत से करने में सहायता मिली। महिला कल्याण केन्द्र और ग्रामीण सहयोग वर्ग काफी लोकप्रिय सिद्ध हुए।

सब जिलों में नियोजन समितियो (Planning Committees) के बन जाने पर कुमायूं सुधार बोर्ड तोड दिया गया। किन्तु यह अनुभव किया गया कि अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी और नैनीताल के जिला नियोजन अधिकारी और कुछ गैर-सरकारी सज्जनो की समय-समय पर सभाओं का होना इस क्षेत्र के लिये उपयोगी होगा और इन पहाडी जिलों के सामान्य मामलों पर सलाह देने के लिये एक तदर्थ कमेटी का बनाना वाछनीय होगा।

कुमायूं के यात्री ब्यूरो (Tourists Bureau) ने अपना कार्य अधिक जोर-शोर से किया। केवल इसी देश के ही नही, अपितु विदेशीय यात्रियो में भी कुमायू पहाडो की सैर करने की इच्छा पैदा करने के अभिप्राय से रेल, स्टशनो, पुस्तकालयो, होटलो, क्लबो तथा अन्य सार्वजनिक स्थानो और नई दिल्ली में स्थित विदेशीय दूतावासो मे विज्ञापनो, पोस्टरो आदि द्वारा प्रचुर प्रचार का प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष मे ब्यूरो ने रेलगाडियों और बसो मे पहले और दूसरे दर्जे के लगभग ४०० यात्रियो के लिये जगहो (Berths) का रिजर्व करने का बन्दोबस्त किया। यात्रियो की सुविधा के लिये अवधतिरहुत रेलवे का एक टिकटघर नैनीताल मे खुलवाने का भी काम ब्यूरो ने किया। पहाड़ी जिलों के अनेक मनोहर स्थानो की व्यवस्थित सैर के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों को राज्य-सहायता देने के निमित्त ५,००० रुपये मन्जूर किये गये।

१ अप्रैल, १९५१ ई० से व्यायाम परिषद् (Council of Physical Culture), उत्तर प्रदेश को शिक्षा विभाग के प्रशासन से हटाकर नियोजन विभाग (Planning Department) के नियन्त्रण में कर दिया गया। एकीकरण के विचार से महिला कर्मचारियों को महिला कल्याण योजना के संचालक (Director of Women's Welfare Scheme) के अधीन कर दिया गया। राज्य में व्यायाम सम्बन्धी कार्यवाहियो को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक अखाड़ो, खेल-कूद समितियो तथा जिला नियोजन समितियो को १,३२,४०० रु० के अनुदान दिये गये।

२०—विद्युत्

विद्युत् शाखा मे, जो फरवरी, १९५० ई० में सिंचाई शाखा से अलग कर दी गई थी, १ जनवरी, १९५१ ई० से एक अलग चीफ इन्जीनियर क चार्ज में रक्खी गयी। सारदा हाइडल सर्किल मे रूरल लाइनो के बनाने और खातिमा में बिजली पैदा करने के लिये दो नये डिवीजन स्वीकृत किये गये। इस प्रकार विद्युत् शाखा में कुल मिलाकर १४ डिवीजन और ३३ सब-डिवीजन हो गये।

विद्युत् शाखा ने आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित बडे निर्माण-कार्य किय :—

गंगा हाइडिल सर्किल—

(१) हरदुआगज स्टीम स्टेशन का विस्तार ।

(२) मोहम्मदपुर पावर हाउस का निर्माण (विद्युत्-गृह) ।

(३) रामपुर पावर हाउस (विद्युत्-गृह) का निर्माण ।

(४) मोहम्मदपुर सालवा ६६ के० वी० डबल सर्किट लाइन का निर्माण ।

(५) सुमेरा-चन्दौसी तथा मुरादाबाद सब-स्टेशनो के बीच ६६ के० वी० की डबल सर्किट लाइन का निर्माण ।

(६) ६१६ राज्य ट्यूब-वेलो का विद्युत्करण ।

(७) साल बल्लाओ के स्थान पर इस्पात के बने खम्भे का लगाया जाना ।

(८) चितौर और निरगाजनी मे ६६ के० वी० के मेन सब-स्टेशनों का विस्तार ।

सारदा हाइडिल सर्किल—

(१) खातिमा पावर हाउस का निर्माण ।

(२) सारदा हाइड्रोएलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन तथा ट्रान्सफारमेशन लाइनो का निर्माण ।

(३) गोरखपुर राज्य ट्यूबवेल विद्युत्करण योजना का कार्यान्वित किया जाना ।

(४) आजमगढ विद्युत् सप्लाई कारोबार की स्थापना ।

(५) सोहवल स्टीम स्टेशन और फैजाबाद विद्युत् सप्लाई योजना का विस्तार ।

लगभग १ करोड रुपय लागत के बड़े निर्माण कार्य किये गये । आलोच्य वर्ष मे १,१४,५०,००० रु० का अनुमानित राजस्व प्राप्त हुआ, जो निम्नलिखित है :—

		रु०
(१) गंगा हाइडिल ग्रिड (रामपुर और टेहरी-गढवाल के विलीनीकृत राज्यो को मिला कर)	...	१,१०,००,०००
(२) सोहवल पावर हाउस	...	२,००,०००
(३) गोरखपुर पावर हाउस	...	२,००,०००
(४) आजमगढ पावर हाउस	...	५०,०००

जहाँ तक कानपुर विद्युत् सप्लाई प्रशासन का संबंध है विद्युत् उत्पादन और राजस्व मे वृद्धि होती रही । वर्तमान स्थिर यंत्रों में सुधार करने के लिये जो अनुसधान किया गया, उससे स्थिर यंत्र में ३७,०८० किलोवाट बिजली का भार-वहन करने की क्षमता आ गयी, जबकि पिछले वर्ष बिजली का भार-वहन करन का इसकी अधिकतम क्षमता ३१,००० किलोवाट थी । उपभोक्ताओं की संख्या २३,२५२ से बढ़कर २३,९३१ हो गयी । वर्तमान तथा संभावित उपभोक्ताओं की समस्त माँग पूरा करना सम्भव नही था । किन्तु यह आशा की गयी कि १९५२ ई० में रीवरसाइड पावर हाउस में विद्युत् उत्पादक स्थिर-यंत्र में १५,००० किलोवाट यंत्र के चालू हो जाने से कुछ सौ किलोवाट का अतिरिक्त भार-वाहन करना सम्भव हो जायगा ।

२१---सार्वजनिक निर्माण कार्य

आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के संरक्षण में ८,४४२ मील पक्की और ६,२२३ मील लम्बी कच्ची सड़के थीं, जब कि १९५० ई० में क्रमशः ८,२६२ और ६,२१३ मील लम्बी पक्की और कच्ची सड़कें थीं।

प्रथम चरण के कार्यक्रम के अपूर्ण निर्माण-कार्यो के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। यह रुपया राज्य की पक्की सडकों को और अधिक बढ़ाने में उपयोग किया गया।

आलोच्य वर्ष में कोई बडा निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया, किन्तु विधान मंडल के सदस्यों के लिए निवास-स्थानों का निर्माण किया गया। लखनऊ के महात्मा गाँधी मेमोरियल अस्पताल का विस्तार किया गया और प्रिंटिंग प्रेस (लखनऊ) की इमारत पूरी की गई। सहायता तथा पुनर्वास सबंधी कार्य के सिलसिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत से क्वार्टर बनवाये और हस्तिनापुर उपनगर के निर्माण का भार भी इसी विभाग पर रहा।

आलोच्य वर्ष में राबर्ट्सगंज के सरकारी सीमेन्ट के कारखाने का निर्माण कार्य चालू रक्खा गया और वहाँ बहुत सी इमारतें खड़ी की गई।

विभाग के गवेषणा स्टेशन (Research) ने, जो अब पूर्णरूप से सुसज्जित था, सडक और इमारतों के निर्माण से संबंधित समस्याओं पर अनुसधान करना जारी रक्खा।

२२---परिवहन

वित्तीय कठिनाइयों के कारण रोडवेज सेवाओं का विस्तार प्राय: नगण्य रहा। पिछले वर्ष की तरह वर्तमान सर्विसो के स्थायीकरण और कर्मशाला (वर्कशाप) संगठन को खूब उन्नत करने की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया। आलोच्य वर्ष में यू० पी० स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, १९५० ई० प्रचलित किया गया।

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के प्रथम ६ महीने में टूट-फूट का खर्च और पूंजी की लागत पर ब्याज को सम्मिलित करके कुल खर्च पूरा करने के बाद आमदनी १८,१५,८६० रुपया थी।

मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने से गाडियो तथा कल-पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती रहीं। अस्तु, किराये वही चालू रहे जो १९४९ ई० में थे।

पहिले की तरह यह विभाग मुसाफिरो के आराम के लिये यथासंभव सब कुछ करता रहा। बसें निश्चित समय के अनुसार चलती रहीं और समय की अच्छी पाबन्दी की गई।

वर्ष के अन्त में नगर बस सर्विसें लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेली म चलती रहीं।

वर्ष के अन्त तक रोडवेज के प्रत्येक आठ रीजनों में वर्कशापों के निर्माण का पहिला दौर पूरा किया गया। कानपुर का सेन्ट्रल वर्कशाप बड़ी बड़ी मरम्मतों का सभी काम करता रहा, जिसमें गाड़ियों की बाड़ी बनाने के अतिरिक्त गाड़ियों और बैटरियों की अच्छी खासी मरम्मत सम्मिलित थीं। इस वर्कशाप ने 'धूल से बचने वाली' गाड़ियाँ बनाने, उनकी डिजाइनों तथा उनकी बाड़ी को उन्नत करने का अच्छा काम किया। आटोमोबाइल इंजिनियरिंग में उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देने की वह योजना, जिसे १९५० ई० में अंतिम रूप दिया गया था, इस सेन्ट्रल वर्कशाप में चालू की गई।

सरकार की कर्मकारो के कल्याणवर्द्धन की नीति के अनुसार रनिंग स्टाफ के कुछ श्रेणियो के लोगो को यूनिफार्म की व्यवस्था, विशेष भत्तो, इनामों और मानदेयो की स्वीकृति जैसी विशेष कार्यवाहियाँ की गईं।

इस वर्ष समस्त सरकारी गाडियों की जाँच करने की योजना के अन्तर्गत चार टेक्निकल इंस्पेक्टरो की सहायता से एक मोटर वेहिकिल्स आफिसर ने काम आरंभ किया।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट अफसरो के अधीन मोटर वेहिकिल्स अधिनियमों के केन्द्रीकृत प्रशासन की प्रणाली सफलतापूर्वक चलती रही। टेक्निकल इंस्पेक्टोरेट भी फिटनेस (Fitness) के प्रमाण-पत्र देने में होशियारी से काम करता रहा। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के उपबन्धो को प्रचलित करने का कार्य इंफोर्समेंट स्क्वाड करते रहे।

पावर अलकोहल उद्योग के हित मे उत्तर प्रदेश मे पेट्रोल की राशनिंग सितंबर, १९५१ ई० तक जारी रक्खी गई। वर्ष भर पेट्रोल की सप्लाई संतोषजनक रही।

लखनऊ का हिन्द प्राविंशियल फ्लाइंग क्लब तथा इलाहाबाद और कानपुर मे स्थित उसके केन्द्र ए-१ और बी लाइसेंसों के लिये पाइलटो को ट्रेनिंग देते रहे। इस क्लब के तत्वावधान मे कानपुर मे एक अखिल भारतीय एयर रैली हुई, जिसमें भारत के लगभग सभी फ्लाइंग क्लबों ने भाग लिया। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्लब को काफी वित्तीय सहायता दी। राज्य सरकार ने १९५१-५२ ई० के लिये इस क्लब को कुल ५ लाख रुपया दिया।

२३—शिक्षा

पिछले सालो मे जितने प्रारम्भिक स्कूल सरकार ने खोले थे और नवम्बर, १९५० ई० मे जिला बोर्डों के सिपुर्द कर दिये थे, वे सभी आलोच्य वर्ष में उन्हीं (जिला बोर्डों) के ही अधिकार में रहे। ६ से ११ साल तक की उम्र के लड़को के लिये ८६ म्युनिसिपैलिटियो में शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त रही तथा २४ नवनिर्मित म्युनीसिपैलिटियों मे भी इस व्यवस्था को चालू करने का प्रबन्ध हो रहा था। २३ अनुविद्ध (saturated) जिलो में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये काफ़ी सुभीते सुलभ थे और वस्तुतः कुछ जिला बोर्डो के किन्हीं देहाती क्षेत्रो मे ऐसी शिक्षा लडकों के लिये अनिवार्य थी। प्रारम्भिक पाठशालाओ की कुल संख्या दो हजार से ऊपर थी और शिक्षकों तथा पाठको की संख्या बढकर यथाक्रम ७० हजार और ८ लाख हो गई।

९७ अन्य म्युनिसिपैलिटियों में लडकियों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। १० म्युनिसिपैलिटियों और २ जिलों के कुछ भागों मे भी यह योजना चालू थी।

रामपुर को छोड़ कर, सभी जिलों में कार्यशील सचल प्रशिक्षक टुकडियों (squads) ने नार्मल स्कूलों के साथ साथ प्रारम्भिक स्कूलो के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। एच० टी० सी० (H.T.C.) और जे० टी० सी० (J.T.C.) की प्रशिक्षा ११,५०० से अधिक शिक्षकों ने पाई।

जूनियर हाई स्कूलो की पुनस्संगठित नई योजना के अधीन लगभग १ लाख विद्यार्थियों के पहले जत्थे मे इस साल परीक्षा दी। विद्यार्थियो की संख्या में बढ़ती के साथ ही अध्यापन कार्य में भी उन्नति हुई। सामान्य विज्ञान (General Science) की शिक्षा ११२ और स्कूलो में दी जाने लगी, जिससे ऐसे स्कूलो की कुल संख्या ३३७ हो गई। स्कूलों के लिये तीन लाख से अधिक अनुदान दिया गया, ताकि वे सामान्य विज्ञान के अध्यापको की

तनख्वाहें दे सकें और साज-सामान (furniture equipment) इत्यादि खरीद सके। सात सरकारी नार्मल स्कूलो में, लड़कियों के १२ सरकारी जूनियर हाई स्कूलों मे तथा लडको के १५ सरकारी आदर्श (Model) स्कूलो मे सामान्य विज्ञान की शिक्षा देने के सुभीते के लिये ५० हजार की एक और अनावर्त्तक (non-recurring) रकम मंजूर की गई। इसके सिवाय इन हरएक सरकारी स्कूलो मे उक्त विषय के एक एक अलग शिक्षक की व्यवस्था की गई। सभी नार्मल स्कूलो मे कृषि का विषय अनिवार्य कर दिया गया। लड़कियो के नार्मल स्कूलों मे कृषि, विद्या के स्थान पर गृह, कला (House Craft) की शिक्षा दी गई।

लड़को की १६६ और लडकियो की १० संस्थाओ मे ग्यारहवाँ दर्जा चालू कर दिया गया। इंटरमीडियेट कक्षाओ से युक्त और रहित संस्थाओ की यथाक्रम संख्या ५०९ और १,०९० थी। गैर-सरकारी संस्थाओं में अधिक व्यय के कारण भौतिक विज्ञान (Physics), रसायन विद्या (Chemistry), कृषि-विद्या, जीव-विद्या (Biology) और गणित विद्या जैसे विषय आम तौर पर नही पढाये गये। इसलिये कुछ सरकारी स्कूलों में इनके पढ़ाने की व्यवस्था की गई। औद्योगिक रसायन विद्या (Industrial Chemistry) और कुम्हारी की शिक्षा देने का प्रबन्ध सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, इलाहाबाद मे किया गया और केवल औद्योगिक रसायन विद्या का बनारस में। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की (बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयो तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ सरीखी अन्य सस्थाओं की तत्सम परीक्षाओ मे बैठने वाले छात्रों को छोडकर) संख्या यथाक्रम १,१०,५८१ और ४१,१०९ थी।

इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयो को कुल २६,०७,६०० रुपये के अनुदान दिये गये। उत्तर प्रदेश के कालेजो और विश्वविद्यालयों के डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुयेट (उत्तर-स्नातक) दर्जों में छात्रों की संख्या इस वर्ष २९,८२९ थी, जब कि पिछले साल उनकी संख्या २४,१४१ ही थी। ६ नये डिगरी कालेजो को आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करन की अनुमति दी गई। ज्ञानपुर और नैनीताल मे २ नये डिगरी कालेज खोले गये।

कॉस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज (Constructive Training College), जो इलाहाबाद के विभिन्न भवनो मे स्थित था, वहाँ से हटाकर लखनऊ में एक ऐसे समुचित सरकारी भवन मे बसा दिया गया जहाँ आसानी से उसका विस्तार हो सके। कालेज ने स्नातक और उपस्नातक (Graduates and Under-Graduates), दोनों तरह के शिक्षको को अध्यापन कला की शिक्षा दी। लखनऊ स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के, जो उस (Constructive Training College) की अभ्यासशाला (Practising School) थी, नवे दर्जे में औद्योगिक रसायन विद्या (Industrial Chemistry), कृषि विद्या, जिल्दसाजी, ठठेरी-शिल्प (Metal Craft), कताई और बुनाई जैसे विषयो को इस साल आरम्भ किया गया।

इलाहाबाद का मनोविज्ञान ब्यूरो (Bureau of Psychology) मनोविज्ञान के संबंध मे पथप्रदर्शन करता रहा। उत्तर प्रदेश के पाँचो शिक्षा-क्षेत्रों मे एक एक मनोवैज्ञानिक केन्द्र चालू करने के विचार से ५ मनो-विज्ञानविदो और ५ सहायक मनोवैज्ञानिको को उच्च कोटि के मनोविज्ञान के काल्पनिक और व्यावहारिक पहलुओ की व्यापक (intensive) प्रशिक्षा

दी गई। नौ अनुसन्धान-निबन्ध (Research Papers) भी प्रकाशित किये गये।

इलाहाबाद के सरकारी केन्द्रीय पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट (Pedagogical Institute) ने जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिये गणित विद्या, हिन्दी, भूगोल, सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी की छोटी पुस्तिकाएं (hand books) भी तैयार कीं। गैर सरकारी संस्थाओं में, जिनमें गैर-सरकारी प्रशिक्षण (Training) कालेज भी सम्मिलित हैं, काम करने वाले प्राच्य भाषाओं और हिन्दी के शिक्षकों के लिये उसने 'रिफ्रेशर कोर्स' (Refresher Courses) भी चलाये। इंस्टीट्यूट ने प्रारम्भिक स्कूलों, बेसिक स्कूलों, विज्ञान की शिक्षा, नक्शा देखना आदि की पाठ्य पुस्तकों (curriculum) के संबंध में पांडित्यपूर्ण निबन्ध (papers) प्रकाशित किये।

इलाहाबाद के व्यायाम-शिक्षा कालेज ने, जो राज्य भर में इस प्रकार की एकमात्र संस्था है, आलोच्य वर्ष में ५४ पुरुषों और १२ महिलाओं को व्यायाम शिक्षण में निपुण बनाया। इलाहाबाद स्थित महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान और हस्तकौशल (Home Science and Crafts) के कालेज ने, जो सन् १९४८ ई० में स्थापित हुआ था, १३२ छात्राओं को शिक्षा दी।

इलाहाबाद का 'नर्सरी ट्रेनिंग कालेज', जिसमें अभ्यास के लिये एक नर्सरी स्कूल (शिशु शाला) भी संलग्न है, छोटे बच्चों को शिक्षा देने और सम्हालने की विशिष्ट योग्यता की प्रशिक्षा प्रशिक्षकों को देता रहा, ताकि उनमें (छोटे बच्चों में) अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति और व्यक्तित्व का विकास हो।

समस्त राज्य के देहाती क्षेत्रों में सरकार ने १,३१७ पुस्तकालयों (जिनमें महिलाओं के लिये ४० पुस्तकालय शामिल हैं) और ३,६०० वाचनालयों का प्रबन्ध किया तथा पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं आदि की खरीद के लिये ७५,००० रु० की रकम दी। उपदेशात्मक चल-चित्रों (films) और चल-चित्र पट्टियों (film strips) को बनाने के लिये एक चल-चित्र विभाग (Film Section) भी चलाया गया। चल-चित्र विभाग में देहाती क्षेत्रों, मेलों इत्यादि में प्रख्यापन (publicity) और सुनाने, दिखाने (audio-visual) के कार्य के हेतु प्रोजेक्टरों (projectors), प्रकाश फैलाने वाले यन्त्र, रेडियो-सेटों (radio sets), लाउडस्पीकरों (loudspeakers) इत्यादि से सुसज्जित ५ सिनेमा गाड़ियां (cinema-vans) थीं।

शरीर और मन से दुर्बल बच्चों की शिक्षा के लिये कई स्कूलों को चालू रक्खा गया और नवम्बर, १९५१ में एक नया सरकारी स्कूल बरेली में खोला गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा कोर (Education Corps) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps) दोनों कुशलता से काम करते रहे। लखनऊ में एक सैनिक प्रदर्शन (Military Rally) भी किया गया था।

शिक्षा-सम्बन्धी तिमाही पत्रिका "शिक्षा" सफलतापूर्वक चलती रही और शिक्षा विभाग के कार्यों और अन्वेषणों के प्रख्यापन (publicity में बहुत सहायक हुई।

अद्वितीय विद्वत्तापूर्ण साहित्यिक तथा वैज्ञानिक कृतियों के लिये ३१ ग्रंथकारों को कुल मिलाकर २५,७०० रु० के पारितोषिक दिये गये। पीड़ित तथा विषम परिस्थिति के ग्रंथकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

गैरसरकारी शिक्षा सस्थाओ के शिक्षको की स्थिति में सुधार करने तथा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनके अनियमित स्थानांतरण को रोकने के अभिप्राय से उनके लिये पहले जो सरकारी वेतन-क्रम (mandatory scales) नियत किये गये थे वे चालू रहे। १९५१ ई० में शिक्षकों को उनकी १० वर्ष की सेवा पर एक वेतन-वृद्धि के हिसाब से (दो वेतन-वृद्धियां तक) अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी गई। क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने की स्थिति मे शिक्षको तथा उनके आश्रितों के लिये चिकित्सालय में रखकर चिकित्सा की व्यवस्था करने के प्रयोजन से शिक्षा विभाग के लिये एक क्षय रोग के चिकित्सालय की योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के लिये १५ लाख रुपये की धनराशि इकट्ठा की गई।

उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐतिहासिक स्मारको, स्थलो, भग्नावशेषों इत्यादि की, जिनका कोई राष्ट्रीय महत्व न हो, सामान्य रूप से पडताल करने तथा उनकी रक्षा और उनके रख-रखाव मे सुभीता करने के अभिप्राय से एक सूची तैयार करने के लिये एक पुरातत्व शास्त्रज्ञ अधिकारी की नियुक्ति की गयी। इस उद्देश्य के लिये ५०,००० रु० की व्यवस्था की गयी।

२४—स्थानीय स्वशासन

आलोच्य वर्ष के अन्त में राज्य मे ३५,९१९ गाव सभाएं और ८,४१४ पन्चायती अदालते थी। पन्चायतो, जिन्हे विकास सम्बन्धी कार्यवाहियो में महत्वपूर्ण भाग लेने को कहा गया, के काम में वृद्धि हो जाने के कारण असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट पन्चायत अफसरो की नियुक्ति की आवश्यकता हुई। प्रायः सभी जिलो मे पन्चायत सेक्रेटरियो के लिये शिक्षण शिविर खोले गये और उन्हें जो ट्रेनिग दी गयी उसमे टीके लगाना, (हैजे की) सुइया लगाना, कृषि के उन्नत ढंग, सहकारी समितियों का सगठन इत्यादि करना भी सम्मिलित था। इन ट्रेनिग पाने वालों ने ट्रेनिग पाने की अवधि मे सडको का निर्माण किया, गांव साफ किये और मिलवा खाद रखने के गड्ढे बनाये।

पन्चायतो ने अपने सोलह-सूत्री कार्यक्रम की ओर समुचित ध्यान दिया और पन्चायतघरों और गांधी चबूतरे के निर्माण कार्य पर विशेष जोर दिया गया। इस वर्ष ४९८ पक्के, ६३४ कच्चे पन्चायतघर बनाये गये। अन्तर्ग्राम्य व्यापार और यातायात मे सुधार करने के लिये पन्चायतों ने ९० मील पक्की और १,०२८ मील कच्ची सड़कें बनायी।

शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य किन्तु लगातार प्रगति रही। पन्चायतो ने लड़के और लड़कियो के लिये ७१० पाठशालायें, ६२० प्रौढ़ पाठशालायें, १०,८९६ वाचनालय और ५,९३२ पुस्तकालय स्थापित किये और गांव सभाओ के लिये ६६६ रेडियो सेट की व्यवस्था की। इन निकायो ने समय समय पर साक्षरता सम्बन्धी जो आन्दोलन किये उसके परिणामस्वरूप ५८,५७६ पन्च साक्षर बनाये गये।

१०७ मील कच्ची और ३६ मील पक्की गन्दे पानी की नालिया बनायी गयीं और ग्राम्य-स्वच्छता मे सुधार करने के उद्देश्य से स्वच्छता आन्दोलन का संगठन किया गया। थोडी सी गांव सभाओं ने छोटी-मोटी बीमारियों के लिये औषधियां सप्लाई कीं। कुछ जगहो में ग्रामीणो के लाभ के लिये पन्चायतों ने स्थानीय वैद्य और हकीमो की सेवाओ का उपयोग किया। इस वर्ष ७,३३५ लैम्प पोस्ट लगाये गये। कई पन्चायतों ने खेल-कूदो और शारीरिक सम्वर्द्धन कार्यों में बहुत दिलचस्पी दिखलाई और कई जगहो मे खेल के मैदानों की व्यवस्था की गई।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध मे पन्चायतो ने १,९३,८८८ मिलवा खाद के गड्ढे तैयार किये और कई नाले, नहरे, तालाब और कुएं बनाये

श्रौर इसके अतिरिक्त बहुत बड़े परिमाण में उन्नत प्रकार के बीजों का वितरण किया श्रौर गांव के किसानो को ऐसे ढंग अपनाने का प्रोत्साहन दिया जिससे उत्पादन बढाने में सहायता मिली।

जन्म-मरण के रजिस्टर ठीक से रखे गये श्रौर नियन्त्रित वस्तुश्रो का वितरण सन्तोषप्रद ढंग से किया गया। हरिजन उत्थान श्रौर नशाबन्दी की श्रोर भी ध्यान दिया गया।

पन्चायती अदालतो ने २,७१,९३५ मुकदमो की सुनवाई की। इनमे से ८७,१६८ मामले आपसी समझौते से तय किये गये, १३,०४१ मामलो में पन्चायती अदालतो के निर्णय के खिलाफ अपीले करना ठीक समझा गया। तथापि केवल ५,४८४ मामलो में ही नजरसानी की गयी।

म्यूनिसिपैलिटियों की संख्या ११७ से बढ़कर ११९ हो गयी। वर्ष में बलरामपुर के म्यूनिसिपल बोर्ड को वित्तीय कुप्रबन्धता के कारण अवक्रांत कर दिया गया श्रौर आगरा, मन्सूरी, टांडा, बहराइच, गोरखपुर, लखनऊ श्रौर रामपुर की म्यूनिसिपैलिटिया (जो रामपुर राज्य के उत्तर प्रदेश मे विलीनीकृत होने के पूर्व भूतपूर्व रामपुर राज्य प्रशासन द्वारा अवक्रात कर दी गयी थी) अवक्रान्त रही। हाल के वर्षों मे नवस्थापित कुछ म्यूनिसिपैलिटियो की दशा मे प्राचीन टाउन एरिया समिति अथवा नोटीफाइड एरिया समिति म्यूनिसिपैलिटी के कार्यो का सम्पादन करती रही श्रौर अन्य म्यूनिसिपैलिटियो सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार मे रही। यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३० की व्यापकता को स्पष्ट करने तथा किसी बोर्ड की अवक्रान्ति अवधि को बदलने, संशोधित करने या बढ़ाने के विषय मे मूल आदेशो मे निर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारो के सम्बन्ध में संदेह दूर करने के लिये १९५० ई० मे जो अध्यादेश जारी किया गया था, उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज अनुपूरक अधिनियम, १९५१ ई० बनाया गया।

यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३३६-क में, जैसा कि यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९४८ ई० द्वारा निर्दिष्ट की गयी थी, अन्य बातो के साथ-साथ यह भी व्यवस्था थी कि अन्तरवर्ती काल में, जब तक कि उक्त ऐक्ट के अधीन प्रथम बोर्डों का निर्माण न हो जाय, राज्य सरकार गजट मे प्रकाशित आदेश द्वारा इस बात का निदेश कर सकती है कि निर्दिष्ट सीमित अवधि मे निर्दिष्ट अनुकलनों, परिवर्तनो तथा संशोधनो की पाबन्दी के साथ उक्त ऐक्ट लागू होगा। हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चूंकि ऐक्ट मे अनुकलन, परिवर्तन अथवा संशोधन का अधिकार एक विधायी अधिकार है, अतः इसे राज्य सरकार को नही सौपा जा सकता। तदनुसार किसी मध्य-वर्ती कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० मे राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुकलनो, परिवर्तनो तथा संशोधनों की विधायी स्वीकृति देने के लिये उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (अनुपूरक तथा वैध) अधिनियम, १९५१ ई० कानून बनाया गया।

म्यूनिसिपैलिटियो को विभिन्न योजनाश्रो के लिये ५३,०४,५०० रु० का अग्रिम ऋण दिया गया। इन ऋणो मे वे ऋण भी सम्मिलित थे, जो जल-कल के निर्माण कार्यो, विस्थापित व्यक्तियो के लिये गृह-योजनाश्रो, विद्युतकरण योजनाश्रों, गन्दे पानी के निकास की नालियो की योजनाश्रो श्रौर लखनऊ में सरकारी कर्मचारियो के लिये क्वार्टरो का निर्माण करने की योजना के सम्बन्ध में थे श्रौर इनमें वे ऋण भी सम्मिलित थे जो म्यूनिसिपैलिटियो को वित्तीय कठिनाइयों

को दूर करने अथवा उनके कर्मचारियो के लिये सशोधित वेतन–क्रम लागू करने की निमित्त दिये गये थे।

विभिन्न म्यूनिसिपल बोर्डो को कुल मिलाकर ३,५६,०६४ रु० के सहायक अनुदान भी दिये गये। ये अनुदान २५,०६,४०० रु० की उस धनराशि के अतिरिक्त थे जो उनको सड़को के सुधार के लिये उत्तर प्रदेश सड़क कोष से दी गयी थी। राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रो और तीर्थ स्थानो की सफाई की दशा मे सुधार करने के लिये ५,५०,००० रु० का सहायक अनुदान दिया। शहरी क्षेत्रो मे अनाथालयो को भी वित्तीय सहायता दी गयी।

म्यूनिसिपल बोर्ड शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओ को राज्य सरकार के आदेशानुसार बढाते रहे। बोर्डो ने शहरी इलाको मे लोक स्वास्थ्य और सफाई मे भी सुधार करने के प्रयत्न किये।

संसद और राज्य विधान मंडल के सामान्य निर्वाचनो के कारण १९४४ ई० मे म्यूनिसिपल निर्वाचनो के आधार पर बनाये गये। वर्तमान म्यूनिसिपल बोर्डों का कार्यकाल ३१ अक्टूबर, १९५२ ई० तक पुनः बढ़ाना पड़ा। अक्टूबर, १९४८ ई० से बोर्डो का कार्यकाल समय समय पर बढाया जाता रहा और बोर्डों मे जो कतिपय आकस्मिक रिक्तियां हुई वे सामान्य निर्वाचनो के निकट होने के कारण भरी नही गयी। किन्तु इस बात को देखते हुए कि आलोच्य वर्ष मे इन निर्वाचनो को और स्थगित करना पड़ेगा, बोर्डों को आदेश जारी किये गये कि वे उप–निर्वाचनो का आयोजन अविलम्ब करे। तदनुसार कई म्यूनिसिपैलिटियों में उपनिर्वाचन किये गये और आकस्मिक जगहें भरी गयी। किन्तु ये उपनिर्वाचन विस्तृत मताधिकार के आधार पर नही किये गये।

रामपुर तथा टेहरी–गढवाल की विलीनीकृत रियासतो मे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का निर्माण आलोच्य वर्ष में स्थगित कर दिया गया और इन क्षेत्रों का विकास कार्य नियोजन समितियों के सुपुर्द कर दिया गया और उनको क्रमशः १,००,००० रुपया तथा ९०,००० रुपये के अनुदान दिये गये।

उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्डो मे अब भी वित्तीय कठिनाइयां रही। उनमे से अधिकतर कर्जदार थे और उनके द्वारा किये गये साधारण व्यय उनकी साधारण आय से अधिक थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमले को संशोधित वेतनक्रम के अनुसार वेतन देने के लिये १२,१९,६०० रु० का सरकारी ऋण दिये जाने के बावजूद, इस संबंध में बोर्ड पूरे तौर से अपने कर्त्तव्यो का पालन न कर सके। विभिन्न प्रयोजनों के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डो को १३,०७,१९६ रुपये के अन्य ऋण तथा अनुदान दिये गये। शिक्षा पर विशेष रूप से व्यय होता रहा, किन्तु यद्यपि परिस्थितियो के अन्तर्गत बोर्डो ने यथासंभव सब कुछ किया, फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने को बाकी है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुछ जिलो मे बहुत से प्राइमरी स्कूलों को आलोच्य वर्ष मे बन्द कर देना पड़ा।

बहुत से जिलो में डिस्ट्रिक्ट बोर्डो ने बहुत से पुल–पुलियां और कच्ची सड़कें बनवायीं। इन निकायो द्वारा व्यवस्थित सड़को की हालत आमतौर पर अच्छी नही थी। कुछ बोर्डों ने कुछ नये स्कूलो के लिये और दूसरी इमारतें भी बनवाईं। सड़को के सुधार के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डो को ४,००,००० रुपये के सरकारी अनुदान दिये गये।

सरकारी अनुदानो की सहायता से पहाडी जिलो मे पाइप लाइन लगाने तथा पानी सप्लाई योजना मे और अधिक प्रगति हुई। अन्य बोर्डो ने या तो

नये कुएं बनवाये या जहा–जहां आवश्यक थ , पुराने कुओ की मरम्मत कराई और उनमें सुधार करवाये ।

करो की वसूली सतोषजनक नहीं रही । कर अदा न करने वालों मे अधिकतर मजदूर, रेल के कर्मचारी और कुछ विभागो के सरकारी नौकर थे । स्थिति सुधारने के विचार से यह निश्चय किया गया कि इस संबध में बोर्डों को और अधिक अधिकार दिये जायं । यह मामला भारत सरकार के पास भेजा गया जिससे चिट्ठा बाँटते समय इस प्रकार की वसूली में सुविधा के लिये पेमेंट आफ़ वेजेज ऐक्ट में उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाय ।

अपनी आयँ के साधनो को बढ़ाने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने कुछ मामलों मे अत्यधिक दरों पर लाइसेंस फीस लगा दी और आय–कर के किस्म का कर लगा दिया । इन निकायों को इस संबध में आवश्यक आदेश दिये गये कि वे इस प्रकार के कर न लगाएं, क्योकि ऐसा करने के वे अधिकृत नही थे और दूसरे यह संभावना थी कि उनके ऐसा करने पर अदालतो में आपत्ति की जायगी ।

स्थानीय निकायो की सहायक अनुदान समिति की रिपोर्ट तैयार की गई और वर्ष के अन्त मे सरकार उस पर विचार कर रही थी ।

आलोच्य वर्ष मे एक नया टाउन एरिया बनाया गया और तीन टाउन एरिया कमेटियां अवक्रान्त की गईं । जिला नियोजन समितियो ने इन निकायों को इन उपनगरों के विकास के लिये यथासंभव सभी सहायता तथा टेक्निकल सलाह दी । कुछ जिलों में, मुख्यत. वर्तमान सड़कों को पक्का करने, नालियो की प्रणाली मे सुधार करने और बाजारों, अस्पतालो, औषधालयो और पुस्तकालयों की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये एक पचवर्षीय कार्यक्रम चलाया गया । नालियों और सड़को के सुधार के संबंध में सरकार ने १,०६,८०० रुपये के ऋण तथा अनुदान दिये । पिथौरागढ़ (अल्मोड़ा जिला) और टनकपुर (नैनीताल जिला) टाउन एरियाओ के बीच सरकार द्वारा निर्मित खुले मौसम मे चलने वाली सड़क स्थानीय जनता के लिये अधिक सहायक सिद्ध हुई ।

कई टाउन एरियाओं में कुओं को विसक्रामित करने, टीका और सुइयां लगाने के लिये उचित व्यवस्था की गयी और कुछ अन्य टाउन एरियाओ में धात्रियों की भी व्यवस्था की गयी । कतिपय टाउन एरिया स मितियों ने विशुद्ध पानी की सप्लाई के लिये हाथ से चलाये जाने वाले पम्प लगाये ।

भेलाई में बन्ध का निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा था और इस बात को आशा की गयी कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में पानी की सप्लाई की समस्या हल हो जायगी । कुछ समितियो ने सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की रोशनी का भी प्रबन्ध किया ।

२५–जन-स्वास्थ्य

सब बातो को देखते हुये राज्य मे लोगो का स्वास्थ्य संतोषजनक रहा और वर्ष में किसी भीषण महामारी का प्रकोप नहीं हुआ । इस उद्देश्य से कि हैजा न फैलने पाये, कुछ प्रमुख मेलो में जाने के लिये अनिवार्य रूप से टीका लगाने की व्यवस्था की गयी और यह उपाय उपयोगी सिद्ध हुआ ।

उत्तर प्रदेश में १२ वर्ष की आयु से कम के अल्प-पोषित तथा कु-पोषित बच्चो और प्रतीक्षिकाओं तथा धात्रियों को नि शुल्क वितरण के लिये यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फंड ने, जो लगभग ४,६०,००० पौंड का मक्खन निकाला हुआ दूध का पाउडर दिया था, उसका पूर्ण उपयोग किया गया । यूनाइटेड नेशन्स इमर्जेन्सी फंड ने राज्य में जच्चा–बच्चा केन्द्रों के लिये जच्चा–बच्चा

था शिशु-स्वास्थ्य सबधी सज्जा और जच्चा-बच्चा उपयोगी औजारो के थैले भी सप्लाई किये। यूनाइटेड नेशन्स आर्गनाइजेशन, नैनीताल तराई मे हिमज्वर (मलेरिया) नियंत्रण प्रदर्शन योजना और बी० सी० जी० टीका आंदोलन में, अधिक परिमाण मे सप्लाइयो, मोटरगाड़ियो तथा सज्जाओ की व्यवस्था करके, सहायता देता रहा। राज्य सरकार न हिमज्वर नियंत्रण तथा बी० सी० जी० टीका-कार्यक्रमो के संबध मे अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञो के साथ कार्य करने के लिये कई टीमो की व्यवस्था की और उनकी सम्मति के अनुसार क्षय रोग को कम करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से टीका लगाने के लिये फील्ड मे काम करने वाले बी० सी० जी० कर्मचारिवर्ग की सख्या मे वृद्धि की।

औषधियो के उत्पादन तथा उसकी विक्री पर और कड़ा नियंत्रण रक्खा गया और अन्य राज्यो मे उप-प्रमाप की औषधियो के तैयार होने तथा उत्तर प्रदेश मे उनके बचे जाने के संबध मे वहां के नियंत्रक अधिकारियों के साथ सम्पर्क बढाया गया।

नवस्थापित इन्डस्ट्रियल हेल्थ आर्गनाइजेशन ने अनेक फैक्ट्रियो का निरीक्षण किया तथा फैक्ट्रियो में खतरनाक जगहो पर नियुक्त किये गये व्यक्तियो की परीक्षा की और कार्य सम्बन्धी परिस्थितियो तथा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मामलो में सुधार करने के लिये सिफारिशे कीं। उक्त आर्गनाइजेशन ने पेशे के रोगो से संबंधित परिस्थितियो की ओर भी विशेष ध्यान दिया।

दाइयो के काम तथा धात्रियो के यहा रजिस्टर्ड असामान्य रोगियो की परिचर्या पर नियत्रण रखने के उद्देश्य से ग्रामीण जच्चा-बच्चा केन्द्रो का लगाव अस्पतालो से कर दिया गया।

१९५०-५१ ई० मे क्षय रोग की सीलो की विक्री से २,३६,४०० रु० से अधिक इकट्ठा हुआ और यह निणय किया गया कि सरकार, जो धनराशि पहिले ही से दे रही थी, उसके अतिरिक्त यह धनराशि भी स्थानीय क्षय रोग योजनाओ के सबंध में व्यय की जाय। भारत में लोगो को क्षय रोग की शिक्षा देने के उद्देश्य से (अक्टूबर, १९५० ई० में) क्षय रोग की सीलों की विक्री की एक योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अधीन प्रत्येक व्यक्ति से १ आना मूल्य की एक सील खरीदन के लिय कहा जाता है और लेन-देन के समय रोग के संबंध में कुछ उपयोगी बातो की सूचना भी दी जाती है।

इंडियन रेड क्रास सोसाइटी की उत्तर प्रदेश शाखा और लखनऊ के म्युनिसिपल बोर्ड ने मिल कर जनता को गृह-व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिये प्रयोगात्मक आधार पर लखनऊ मे कार्य प्रारम्भ किया। इस सबंध में राज्य सरकार ने भी १०,००० रु० का एक प्रतीक अनुदान दिया। महिलाओ और पुरुषो के लिये अलग-अलग क्लिनिको की स्थापना की गयी और वहां शरीर तत्व संबंधी बातो तथा गर्भाधान नियंत्रण के सिद्धान्तों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गयी। इन क्लिनिको मे लागत मूल्य पर बिक्री के लिय साहित्य तथा सामग्री भी उपलब्ध थी। दिसम्बर, १९५१ ई० के अन्त तक ६ महीने में १,००० से अधिक व्यक्तियो को सुझाव दिया गया। इस योजना को राज्य के दो अन्य बड़े नगरो मे प्रसारित करने के लिये निर्णय किया गया।

आबादी के कूडा-करकट से तैयार की गयी कृषि संबधी मिलवा खाद मे विगत वर्ष के परिमाण से ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कतिपय प्रारम्भिक कठिनाइयो के कारण कसाई बाडे की बेकार चीजो से रक्त प्राशित खाद (blood meal manure) तैयार करने की योजना अधिक प्रगति नहीं कर सकी और कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा केवल ३०० मन खाद तैयार की गयी। यह खाद शीघ्र ही बिक गयी।

ग्रामीण स्वास्थ्य के छोटे निर्माण कार्यो के लिये स्टेट हेल्थ बोर्ड द्वारा ५,६०,००० रु० का सहायक अनुदान दिया गया।

हरिजनो के लिये कुयें बनाने की दशा में और ऐसी योजनाओ की भी दशा में, जहां विशेष परिस्थितियो में इस प्रकार की रियायत की आवश्यकता प्रतीत हो, निर्माण कार्य की आधी लागत तक की सहायता देने का सामान्य नियम शिथिल कर दिया गया।

स्टेट हेल्थ कौंसिल की दो बैठके हुई और उन बैठको में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य प्रशासन, संक्रामक रोगो के अस्पतालो, जैविकीय पदार्थों के प्रमापण तथा चिकित्सा अनुसंधान को प्रारम्भ करने और उस पर नियत्रण रखने के लिये राज्य सगठन की स्थापना से संबंधित नीति की विभिन्न बातो पर विचार किया गया।

२६—राज्य-राजस्व

१९५०-५१ ई० के बजट में ५ लाख रुपये का अनुमानित बजट ठीक ही निकला, यद्यपि आय तथा व्यय दोनों ही मे ३७ लाख रुपये की कमी हुई।

१९५१-५२ ई० के मूल बजट में आशा की जाती थी कि ६,१२६ लाख रुपया आय होगी और ६,१५१ लाख रुपया व्यय होगा और इस प्रकार २५ लाख रुपये की कमी होगी।

१९५१-५२ ई० के संशोधित अनुमान तखमीने में आय घट कर ५,६६५ लाख रुपया हो गयी और व्यय ५,७०६ लाख रुपया। इस प्रकार ४१ लाख रुपये की कमी हुई, जिससे रेवेन्यू रिजर्व फन्ड से रुपया संक्रमित करके पूरा किया गया।

मूल बजट में १,६७६ लाख रुपया पूंजी व्यय घटकर संशोधित बजट में १,५३६ लाख रुपया हो गया। यह कमी मुख्यत: इसलिये हुई कि राज्य सरकार ने अमोनियम सल्फेट फैक्टरी के लिये पूंजी की लागत के रूप में ९० लाख रुपये की जो व्यवस्था की थी उसका उपयोग नही किया गया और यह कि सीमेन्ट फैक्टरी प्रोजेक्ट से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रही।

सरकार को आशा थी कि १९५१ ई० में बाजार से ४०० लाख रुपया ऋण मिल जायगा, किन्तु वास्तव में २०३ लाख रुपया ही मिल सका। ५०० लाख रुपये के ट्रेजरी बिलो के जारी करने का पहले जो विचार था वह आवश्यक नहीं समझा गया और तदनुसार कोई ट्रेजरी बिल नहीं जारी किये गये।

२७—आबकारी

शराबबन्दी के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि आलोच्य वर्ष में इस योजना को और आगे बढ़ाना अच्छा नहीं समझा गया। मद्यनिषेध की प्रगति बढ़ाने के लिये प्रगाढरूप से प्रयत्न किये गये और पैदल सफर का प्रयोग, जिसके द्वारा पिछले वर्षों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुये थे, नये क्षेत्रों में चालू किया गया।

इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों के निर्दिष्ट क्षेत्रों और बुन्देलखन्ड रीजन को छोड़ कर, जहां देशी शराब की पहले की दरें बहुत कम थीं और जहां शराब अधिक पी जाने लगी, देशी शराब पर महसूल ज्यों का त्यों रहा। ३१ मार्च, १९४९ ई० में अफीम खाना निषिद्ध करने की भारत सरकार की नीति के अनुसार अफीम की निकासी का मूल्य २४० रु० ७ आना प्रतिसेर से बढ़ाकर २८० रु० प्रतिसेर कर दिया गया, जिससे कि उसकी खपत कम हो जाय।

यह अनुमान किया गया कि देशी शराब की खपत १.६ प्रतिशत घट गई और भांग की खपत २·७४ प्रतिशत बढ़ गयी। यह आशा की जाती थी कि अफीम और गांजा की खपत क्रमशः २१.४ प्रतिशत और ४१.४ प्रतिशत गिर जायेगी। अफीम की खपत में कमी की आशा इसलिये की जाती थी कि ईसकी निकासी के मूल्य में वृद्धि हो गयी थी और दूसरे यह कि भारत सरकार ने इसका कोटा कम कर दिया था। गांजा की खपत में कमी की आशा इसलिये की जाती थी कि वह बहुत बड़ी तादाद में चोरी से नैपाल से मगाया जाता था। इस प्रकार चोरी से गाजा लाने को रोकने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कार्यवाहियां की। कुल अनुमानित-राजस्व ६६३ २० लाख रुपये से घटकर ६४३·६४ लाख रुपये रह गया अर्थात् २.६ प्रतिशत की कमी हो गयी। चालानों की कुल संख्या २ ४६ प्रतिशत घट गई और उनकी सख्या ८,३१६ रह गयी। इनमें से १,४८४ मुकदमे कच्ची शराब बनाने के थे, जबकि पिछले वर्ष मुकदमों की संख्या २,१११ थी।

१ अप्रैल, १६५१ ई० से डिनेचर्ड स्प्रिट का बिक्री शुल्क १२ आना प्रति बल्क गैलन से बढाकर २ रुपया प्रति बल्क गैलन कर दिया गया। इस वर्ष विदेशी शराब की फुटकर बिक्री की लाईसेंन्स फीस भी १०० प्रतिशत बढा दी गयी।

उत्तर प्रदेश में नीरा की बिक्री की योजना बनाई गयी और लखनऊ मे एक दूकान खोली गई। यह निश्चय किया गया कि इस योजना को अन्य क्षेत्रो में चलाने के पहिले इस शहर में इसका काम देख लिया जाय।

राज्य में भट्ठियो की सख्या १६ से बढकर १६ हो गई। इनमें से १२ करीब करीब पूर्णरूप से पावर अल्कोहल के उत्पादन में लगी हुई थीं। रामपुर जिला और मुरादाबाद जिला के एक भाग को छोड़कर पावर अलकोहल योजना सारे उत्तर प्रदेश में चालू कर दी गयी। आबकारी कमिश्नर शीरे के कन्ट्रोलर के रूप में कार्य करते रहे। चूकि पावर अलकोहल उद्योग एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग है और पावर अलकोहल तैयार करने में शीरा एक मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिये शीरा जमा करने और उसके उपयोग पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखना आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियम, १६५१ ई० १ दिसम्बर, १६५१ ई० से प्रचलित किया गया। इस सिलसिले में भारी काम को संभालने के लिये कुछ अतिरिक्त अमले की स्वीकृति भी दी गयी।

२८—न्यायालय तथा जेल

आलोच्य वर्ष में कुछ ऐसी आवश्यक कार्यवाहियां की गयीं जिससे हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ दीवानी अदालतों मे मुकदमें का फैसला और जल्दी हो सके और बकाया कामों में कमी हो सके। भारत सरकार ने हाई कोर्ट के लिये जजो की स्वीकृत संख्या २० से बढ़ाकर २४ कर दिया और डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के कैडर को बढ़ाकर ३० से ३७ कर दिया। इस कैडर में रामपुर, एटा और मथुरा में डिस्ट्रिक्ट जजों के तीन पद, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का एक पद, डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेन्सर का एक पद तथा डिपुटेशन रिजर्व के लिये दो पद सम्मिलित किये गये। यह भी आवश्यक समझा गया कि सिविल और सेशन जज के कैडर को बढा कर १५ से ४५ कर दिया जाय और सिविल तथा सेशन जजो के २५ अस्थायी पदो को स्थायी कर दिया जाय।

एटा और मथुरा में डिस्ट्रिक्ट जजों के दो नये पदो के बन जाने से बहुत दिनो से अलग नयी जजी के लिये जनता की जो मांग थी वह पूरी हो गयी। सिविल तथा सेशन जजो का कैडर बढाने का निश्चय इसलिये किया गया कि

सिविल तथा सेशन जजो के पदों पर अस्थायी रूप से मुन्सिफ बहुत दिनों तक काम करते रहे और मुन्सिफो की जगहो पर जो काम करते रहे उससे उनकी अदालतो मे मुकदमे के निपटारे की अवधि बढती जाती थी। सिविल तथा सेशन जजो के पदो पर मुन्सिफो के अस्थायी रूप से काम करने के फलस्वरूप मुन्सिफों के कैडर मे रिक्त स्थानो की पूर्ति अब की जा सकती थी।

सरकार ने यह भी आदेश जारी किये कि सम्मनो की तामील समय पर और शीघ्र हो और नकल शीघ्र दे दी जाया करे। नकल के मुकदमे की कार्य-क्षमता बढ़ाने के विचार से विभिन्न जजी के नकल मुकदमो के लिये और अधिक टाइपराइटरो की व्यवस्था की गई और जहा आवश्यक था वहां नकलनवीसों की संख्या बढाने के प्रश्न पर विचार किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटो को भी आवश्यक आदेश दिये गये कि नकल देने में जल्दी की जाय और जमानत की दरख्वास्तें जल्द निपटाई जाय।

इसी बीच जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी ने न्याय-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया। इसके फलस्वरूप कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर में प्रस्तुत की और कार्यविधि मे सरलता, अनावश्यक गवाही को कम करने, विभिन्न वर्गों को अदालतो के सगामि तथा अतिछाही अधिकार-क्षेत्रो को दूर करने के सम्बन्ध में सिफारिशे की। वर्ष के अन्त में यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन रही।

कुमायूं डिवीजन तथा पहिले की आंशिक रूप से पृथक् किये गये क्षेत्रों की विशेष समस्याओ की जांच करने और इन क्षेत्रो की न्याय-व्यवस्था को राज्य के अन्य क्षेत्रो में प्रचलित न्याय-व्यवस्था के स्तर पर लाने की एक योजना बनाने के लिये सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी उसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसकी सिफारिशो पर विचार करना आरम्भ किया गया।

आलोच्य वर्ष में मथुरा और एटा के लिये दो नये जजो के नियुक्त हो जाने के कारण इस राज्य में वर्तमान डिवीजनो की सख्या में दो नये सेशन्स डिवीजनों की वृद्धि हो गई। बरेली, कुमायूं और लखनऊ सेशन डिवीजनो में अतिरिक्त जिला और सेशन जजो के अस्थायी न्यायालय और राज्य के २९ जिलो में सिविल और सेशन जजो के अस्थायी न्यायालय इस उद्देश्य से स्थापित किये गये ताकि फौजदारी के अधिक कार्य को निपटाने मे सुविधा हो सके। इन अस्थायी न्यायालयो ने कुल मिलाकर २४ साल ११ महीने और २३ दिन काम किया, जबकि पिछले वर्ष २५ साल ७ महीने और ६ दिन काम किया था।

मथुरा और आगरा के लिए दो नयी जजी बन जाने के परिणामस्वरूप दीवानी न्यायालयो के अधिकार-क्षेत्र में कुछ परिवर्त्तन हुए। इस वर्ष २९ स्थायी और ३ अस्थायी जिला जजो के न्यायालय और १५ स्थायी और ३६ दीवानी और सेशन जजों के न्यायालय काम करते रहे। अतिरिक्त जिला जजों की संख्या तीन ही बनी रही। इस वर्ष २३ अतिरिक्त दीवानी जजों के अतिरिक्त दीवानी जजो के ४२ स्थायी तथा २ अस्थायी न्यायालय कार्य करते रहे। ९१ स्थायी और ३ अस्थायी मुन्सिफो के न्यायालय और इसके अतिरिक्त ३३ अतिरिक्त मुन्सिफो के न्यायालय भी कार्य करते रहे। स्थायी स्माल काजेज न्यायालय की संख्या १२ थी जिनमें से २ स्थान रिक्त रखे गये। आलोच्य वर्ष में गांव मुन्सिफ का कोई न्यायालय नही था। सिविल जजो ने मुकदमें की पूरी कार्य-

वाहियां करने के बाद कुल २,३३४ नियमित मामले और मुन्सिफों ने कुल २१,१२६ मामले निपटाये। स्माल काजेज कोर्ट ने ८,५१७ मामले निपटाये। इन्सालवेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग ४२ सिविल जजों ने किया। बाराबकी और अल्मोड़ा मे अवैतनिक मुन्सिफों के न्यायालय कार्य करते रहे। इन न्यायालयो द्वारा निर्णीत मुकदमों की संख्या ४६४ से घटकर २४७ हो गई। दन्ड विधि संग्रह की अनुसूची १ के आर्डर ५ के नियम ३ के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने वाले पक्षो की संख्या १०,५५२ से बढकर १३,५७१ हो गयी। इसमें से ७,१८६ से पूछताछ की गयी। तामील करने वाले समनो की संख्या बढ़कर ६,६५,५५७ हो गई। जिन समनो को दन्ड विधि संग्रह की अनुसूची १ के आर्डर १६ के नियम ८ के अधीन पक्षो ने स्वतः तामील किया उनकी संख्या बढकर २,००,०४६ हो गई।

आलोच्य वर्ष में जेलों की दैनिक औसत आबादी मे कुछ कमी हुई। जेलों में अनुशासन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति आमतौर पर संतोषजनक रही। बहुत सी ईमारतो में कुछ आवश्यक सुधार किये गये और उनकी मरम्मत की गई तथा कुछ जेलो में पानी की सप्लाई की व्यवस्था में सुधार किये गये। तीन और जेलो में तथा कुछ क्वार्टरों में बिजली का प्रबन्ध किया गया। बन्दियो को कुछ और अधिक आराम देने तथा सुविधा पहुचाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये गये। अनेक जेलो मे बन्दियो के मनोरजन के लिये नाटको, प्रदर्शिनियो तथा सिनेमा की व्यवस्था की गई और तीन जेलो में बन्दियों के लिये जलपान-गृह खोले गये। दैवी विपदाओ के कारण खेती खराब हो गयी, परन्तु जेलो के उद्यानो का रखरखाव बहुत अच्छा रहा। ११ जेलो में खेती के फार्मो की स्वीकृति दी गयी। उद्योगो के सम्बन्ध में आमतौर पर उन्नति हुई।

२९—शान्ति और व्यवस्था

अपराधों की संख्या, जो पिछले वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्त करने के समय से १९५० ई० मे सबसे कम थी, १९५१ ई० मे और भी कम हो गयी। मुकदमा चलाने वाली शाखा का पुनस्संगठन और कुछ जिलों में तफतीश करने वाले अमला का वाच ऐन्ड वार्ड स्टाफ से अलग करने का कार्य वर्ष में पूरा हो गया और पाठ्य विषय समिति की सिफारिशों को जो विभिन्न पाठ्यक्रमों मे कुछ नये विषयो को सम्मिलित करने तथा शिक्षा के उन्नत तरीके इत्यादि के सम्बन्ध में थी और जिनको कार्यान्वित करने में कोई वित्तीय कठिनाई नही थी, कार्यान्वित किया गया।

पुलिस मे अशिक्षित सिपाहियो की प्रतिशत संख्या को कम करने के सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही की गयी। इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पुलिस की संख्या में से अशिक्षित सिपाहियों की संख्या करीब १४ प्रतिशत कम हो गयी। तफतीश विभाग ने और उन्नति की।

विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध प्रायः काफी अच्छे रहे और प्रत्यक्षरूप से उनके बीच मनमुटाव के कोई कष्टदायक लक्षण दृष्टिगोचर नही हुए। सीमा के उस पार देश में युद्धोन्माद के प्रदर्शन की इस देश में बहुत कम गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। हां, मुसलमान सम्प्रदाय के एक छोटे से वर्ग में कुछ घबड़ाहट अवश्य थी और यह रिपोर्ट मिली कि

यह घबडाहट उन पत्रों के कारण और भी बढ़ गयी जो पाकिस्तान में रहने वाले उनके मित्रो या रिश्तेदारो ने भेजी थी तथा जिनमें उन्होंने युद्ध अवश्यम्भावी बताकर मुसलमानो को पाकिस्तान चले जाने के लिये लिखा था। लगभग सभी बड़े और छोटे त्योहार शान्तिपूर्वक बीत गये और कुछ जगहों पर होली तथा ईद के अवसरो पर विभिन्न सम्प्रदायों के लोग आपस में भ्रातृ भाव से मिले। साम्प्रदायिक किस्म की घटनाएं होली मे एक बार बरेली जिले में और मुहर्रम के मौके पर बाराबकी तथा बहराइच जिलों मे हुई। इन घटनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों ने तुरन्त और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई की। स्थानीय महत्व के मामलों जैसे चोरी से पशु वध करना, मस्जिद के सामने बाजा बजाना आदि के सिलसिले में समय समय पर अलग अलग जगहों मे जो तनातनी दृष्टिगोचर हुई उसके सम्बन्ध में भी अधिकारियो ने इसी प्रकार तुरन्त ही और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई की। आलोच्य वर्ष बड़ी ही शान्ति के साथ बीता तथा लोगों में मेलजोल रहा और राज्य में आम चुनाव के पहिले स्थिति पिछले आम चुनाव की तुलना में बहुत ही संतोषप्रद थी। पिछले आम चुनाव मे तो उत्तर प्रदेश एक प्रकार से साम्प्रदायिक उन्माद का क्रीड़ास्थल बन गया था।

भाग २

विस्तृत अध्याय

अध्याय १—सामान्य प्रशासन और स्थिति

१९५१ ई० में सरकार के सदस्यगण

महामान्य श्री होरमस जी पेरोशा मोदी इस वर्ष भी राज्यपाल के पद पर कार्य करते रहे।

इस वर्ष मन्त्रि परिषद् के सदस्यों में कुछ परिवर्तन हुए। वर्ष के प्रारम्भ में माननीय मुख्य मन्त्री सहित मन्त्रियों की संख्या १० थी। ४ जून, १९५१ ई० को माननीय मुख्य मन्त्री के सभा सचिव श्री चरण सिंह मन्त्रि परिषद् के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये। इस प्रकार मन्त्रिमंडल में मन्त्रियों की सख्या बढकर ११ हो गई। अगस्त के प्रारम्भ में माननीय श्री केशवदेव मालवीय और माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी के पद रिक्त हो गये और तदुपरान्त उसी महीने में श्री अली जहीर और सभासचिव श्री हरगोविंद सिंह मन्त्रि परिषद् के सदस्यो के रूप में सम्मिलित किये गये और उन्हें क्रमशः (क) न्याय और श्रम तथा (ख) उद्योग और सहयोग विभाग दिये गये। अक्तूबर में माननीय श्री लाल बहादुर ने, जिनके पास पुलिस और परिवहन विभाग थे, अपना मन्त्रिपद रिक्त कर दिया और माननीय शिक्षा मन्त्री ने पुलिस विभाग और माननीय माल मन्त्री नें परिवहन विभाग का कार्य संभाला। इन प्रबन्धों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री ने वित्त विभाग का काम संभाला और अन्य माननीय मंत्रियों के कार्य विभागों का भी फिर से निर्धारण हुआ। वर्ष के अन्त में मंत्रिमंडल के सदस्य और उनमें से प्रत्येक के कार्य-विभाग (पोर्टफोलियो) निम्नलिखित थे :—

क्रम-सख्या	माननीय मन्त्री के नाम	वैभागिक कार्य-विभाग (पोर्टफोलियो)
१	माननीय पं० गोविंद वल्लभ पन्त, विधान सभा के सदस्य, मुख्य मन्त्री	सामान्य प्रशासन तथा वित्त
२	माननीय हाफिज मोहम्मद इब्राहीम, वि०स०स०	यातायात
३	माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द, वि०स०स०	शिक्षा तथा पुलिस
४	माननीय श्री हुकुम सिंह, वि० स० स०	माल, वन और परिवहन
५	माननीय गिरधारी लाल, वि०स०स०	आबकारी, जेल, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प और हरिजन सहायक

क्रम-संख्या	माननीय मंत्री के नाम	वैभागिक कार्य-विभाग (पोर्टफोलियो)
६	माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर, वि० स० स०	स्वशासन
७	माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, वि० स० स०	स्वास्थ्य और रसद (सिविल सप्लाईज)
८	माननीय श्री चरण सिंह, वि० स० स०	कृषि, पशुपालन तथा सूचना
९	माननीय श्री सैयद अली जहीर, वि० प० स०	न्याय तथा श्रम
१०	माननीय श्री हरगोविंद सिंह, वि० प० स०	उद्योग तथा सहकारिता

अगस्त, १९५१ ई० मे माननीय मुख्य मन्त्री के सभा सचिव, श्री जगन प्रसाद रावत, ने त्यागपत्र दिया। तदनन्तर सितम्बर मे श्री जगमोहन सिंह नेगी, वि० स० स० को माननीय मुख्य मन्त्री का सभा सचिव नियुक्त किया गया।

इस वर्ष के अन्त मे निम्नलिखित सभा सचिव अपने अपने पद पर कार्य करते रहे—

(१) श्री मंगला प्रसाद, वि० स० स०
(२) श्री जगमोहन सिंह नेगी, वि० स० स० } माननीय मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध

(३) श्री लताफत हुसैन, वि० स० स०
(४) श्री वहीद अहमद, वि० प० स० } माननीय यातायात मन्त्री से सम्बद्ध

२—प्रशासकीय कार्यवाहियां

कानून तथा व्यवस्था

इस वर्ष इस राज्य में सामान्य आपराधिक स्थिति संतोषजनक रही और विधि तथा व्यवस्था की दृष्टि से इस राज्य में अपेक्षाकृत अधिक शान्ति बनी रही। बरेली जिले मे होली के अवसर पर दोनो जातियो में मुठभेड़ हो गई और झांसी म दगा हो गया, जिनके संबंध में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। ये ही दो घटनायें उन थोड़ी सी घटनाओ में से थी जिनके कारण सार्वजनिक शान्ति भग हुई। इस वर्ष की एक समीचीन और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि बहुत सी दशाओ में गॉव के लोगों ने डाकुओ का सामना किया और कानून भंग करने वालो को पकड़वाने मे पुलिस की सहायता की। कुख्यात डाकुओ के गिरोहो को भग करने मे भी पर्याप्त सफलता मिली।

नेपाल की स्थिति

भारतीय सेना की सहायता करने के लिये, जो नेपाल सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने सीमा पार के आतंकवादी तत्वों का सामना करने के

लिये भेजी थी, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल को आदेश दिया गया । नैपाल सेना के साथ फरवरी में कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी और बहुत से कानून भंग करन वालों को उनके नेता डा० के० आई० सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई मे प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल के यूनिटों को डा० के० आई० सिंह की, जो नेपाल में पुलिस की हिरासत से निकल भागे थे, फिर से पकड़ने की कार्यवाहियों के सम्बन्ध मे नेपाली सेना की सहायता करने के लिये बुलाया गया ।

कानूनों का निर्माण

प्रिवेन्टिव डिटेन्शन (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९५१ के बन जाने से केन्द्रीय प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट, १९५० (निवारक निरोध अधिनियम) एक साल के लिये और बढ़ गया । उसकी प्रक्रिया मे भी कुछ परिवर्तन किये गये और मूल अधिनियम के उपबन्धों को नजरबन्दों के पक्ष में और अधिक उदार बना दिया गया। संशोधित अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि नजरबन्दी के सब मामलो को ऐसे एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमे तीन सदस्य हों और उनमें से सब के सब न्यायाधीश होने चाहिए। इस राज्य में उक्त बोर्ड मे दो हाई कोर्ट के न्यायाधीश और एक जिले के न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) थे। इस वर्ष के प्रारम्भ होने के समय विचाराधीन मामलों की संख्या ५ थी और वर्ष के भीतर एडवाइजरी बोर्ड (परामर्शदात्री बोर्ड) के पास ४५ मामले भेजे गये। उक्त बोर्ड ने ३२ मामलों में नजरबन्दी के आदेशो का अनुमोदन किया और १९ मामलो में ये आदेश बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निरसित किये गये।

१९५० ई० के अन्त मे यू० पी० मे सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (रद्द करने) विधेयक, १९५० ई० को विधान मडल में प्रस्तुत किया गया और जनवरी में पारित किया गया । इस अधिनियम को रद्द करके सरकार ने स्वेच्छा से ऐसे कुछ विशेष अधिकारो को छोड़ दिया, जो उसे विभाजन के बाद के उद्वेगकारी दिनों में साम्प्रदायिकताजन्य संकट को निवारण करने के लिये ग्रहण करने पड़े थे।

माल बोर्ड डिवीजनों के कमिश्नरों तथा भूमि-व्यवस्था कमिश्नर (लैंडरिफार्म्स कमिश्नर) के कार्यों का पुनस्संगठन

इस वर्ष जिला अधिकारी डिवीजनों के कमिश्नरो, भूमि-व्यवस्था कमिश्नर तथा माल बोर्ड के कामो को फिर से निर्धारित करने की एक नई योजना के अनुसार महत्वपूर्ण प्रशासकीय परिवर्तन किये गए ।

इस योजना के प्रचलित होने से पूर्व जिला अधिकारी जिला प्रशासन के विषय में डिवीजन के कमिश्नरो और माल बोर्ड द्वारा सरकार से सम्बद्ध थे। इस प्रणाली के अनुसार काम को निपटाने में दोहरी कार्यवाही करनी पड़ती थी और देर भी लगती थी। इससे यह अनुभव किया गया कि जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व पूर्णतः जिला अधिकारियो में ही निहित होना चाहिए न कि उनके और सरकार के बीच के मध्यवर्ती और उनमें युग पद या संयुक्त रूप से । जिला अधिकारी को स्थल के आसन्न अधिकारी के रूप मे दिन-प्रति दिन के मामलों को निपटाने के लिये पूर्णत उत्तरदायी बनाने और ऐसे मामलों में कमिश्नरो और माल बोर्ड को उनके दायित्व से मुक्त करने और बाद के इन दोनों प्राधिकारियों को माल की अदालतों के काम का निरीक्षण और जिले का सामान्य प्रशासन तथा अपील और पुनरीक्षण के न्यायालय के काम

सौंपने के प्रश्न पर अन्ततः विचार प्रारंभ किया गया। इस प्रश्न पर भली प्रकार से विचार करने के बाद सितम्बर, १९५१ ई० मे एक योजना बनायी गयी और उसके सम्बन्ध मे उसी महीने में जारी की गई आज्ञाओं द्वारा उसे कार्यान्वित किया गया।

(१) सितम्बर, १९५१ ई० तक की स्थिति

किये गये परिवर्तनो को उपयुक्त रूप से समझने के लिये यह आवश्यक है कि इन आज्ञाओं से प्रभावित होने वाले प्राधिकारियो द्वारा सितम्बर, १९५१ ई० तक किये गये कामों और प्रयोग किये गये अधिकारो को ध्यान मे रखा जाय।

१९२२ ई० से पूर्व माल बोर्ड रेवेन्यू ऐक्ट, टेनेन्सी ऐक्ट और अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन उच्चतम न्यायाधिकरण के रूप में काम करता था जिसके सामने कमिश्नरों की आज्ञाओ तथा डिगरियों के विरुद्ध अपीलें और पुनरीक्षण किये जा सकते थे और कमिश्नर अपने स्थान पर कलेक्टरो और प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलेक्टरो से ऊंचे न्यायालय थे। माल बोर्ड को विशषतः भू-राजस्व–प्रशासन के क्षेत्र मे और कोर्ट आफ वार्ड्स बन्दोबस्त तथा स्टाम्प के विषय में प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण के विस्तृत अधिकार भी दिये गये थे। इन मामलो मे कमिश्नरो का सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध न होकर माल बोर्ड के द्वारा था।

बोर्ड आफ रेवेन्यू अमेंडमेंट ऐक्ट, १९२२ ई० ने माल बोर्ड को कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रशासन से सम्बद्ध मामलो को छोड कर उसके सभी कार्यकारी अधिकार से वंचित करके उसे मुख्यतः एक न्यायिक निकाय (Judicial Body) में परिवर्तित कर दिया। अब कमिश्नरों का, जो पहले राजस्व प्रशासन के मामलों मे माल बोर्ड के अधीन वस्तुतः प्रादेशिक अधिकारी थे, सरकार के साथ सीधा सम्पर्क हो गया।

१९३२ ई० मे कार्यकारी आज्ञाओ के द्वारा कुछ मामलो मे बोर्ड को कार्यकारी प्राधिकार दुबारा दिये गये। राजस्व प्रशासन सम्बन्धी विशेषतः भू-अभिलेख, तकावी और सरकारी आस्थानो जैसे गैर-अदालती किस्म के कुछ मामले माल बोर्ड को फिर से दे दिये गये। इस प्रकार से वह फिर सरकार और जिला अधिकारियो के बीच के काम निपटाने के सम्बन्ध में दो मध्यवर्तियो मे से एक का प्रतिनिधित्व करने लगा। कोर्ट आफ वार्ड एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया। डायरेक्टर आफ लैन्ड रिकार्ड्स (भू-अभिलेख-संचालक) का पद तोड दिया गया और माल बोर्ड भू-अभिलेख-संचालक के रूप में प्रख्यापित किया गया। इस प्रकार माल बोर्ड अपने प्रशासकीय क्षेत्र में प्रायः विभागाध्यक्ष के रूप में काम करने लगा और कमिश्नर कुछ मामलो को छोड़कर, जिनमें वे सरकार से सीधे ही पत्र-व्यवहार करते थे, अधिकांश मामलो मे बोर्ड के द्वारा ही सरकार से पत्र-व्यवहार करने लगे।

१९४७ ई० मे सत्ता हस्तान्तरण के साथ ही माल बोर्ड के विधान तथा कर्तव्यों में आमूल परिवर्तन हो गया। बोर्ड के सीनियर मेम्बर के पद का नाम ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर रखा गया और उसे सभी प्रशासकीय मामलों की देखरेख करनी पड़ती थी। कानूनी मामलों को निपटाने के लिये बोर्ड के अस्थायी जुडिशियल मेम्बरो की नियुक्ति की गई। कृषि-आयकर अधिनियम (Agricultural Tax Act) के पास हो जाने पर माल बार्ड को इस अधिनियम का प्रशासन भी सौप दिया गया।

डिवीजनो के कमिश्नरों के सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया कि उन्हे अपील सम्बन्धी अदालती काम से मुक्त कर दिया जाय और १९४२ ई० से एडीशनल (अतिरिक्त) कमिश्नरो के पद बनाये गये। अगस्त, १९४७ ई० के बाद डिवीजनों के कमिश्नरों की संख्या १० से घटाकर ५ कर दी गई और प्रत्यक कमिश्नर के अधीन दो-दो माल की डिवीजनें रख दी गयीं।

जमीदारी विनाश की योजना के सूत्रपात के बाद भूमि-व्यवस्था कमिश्नर की अध्यक्षता मे एक पृथक् संगठन बनाया गया।

(२) सितम्बर, १९५१ ई० में किये गये परिवर्तन

सितम्बर, १९५१ ई० में विभिन्न प्राधिकारियों के प्रमुख कर्तव्य फिर से नियत किये गये जिनका व्योरा नीचे दिया जाता है :—

(क) माल बोर्ड

सितम्बर, १९५१ ई० से पूर्व की भाति माल बोर्ड के दो भाग होगे। एक भाग मे प्रशासकीय सदस्य (ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) होगा और दूसरे भाग मे न्यायिक सदस्य (जुडिशियल मेम्बर) होगे। प्रशासकीय सदस्य (ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) का नियन्त्रण कमिश्नरो, जिला अधिकारियो, संयुक्त मैजिस्ट्रेटों (ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेटो), डिप्टी कलेक्टरो तथा अधिकारियो पर होगा। कमिश्नर प्रशासकीय अधिकारी तथा माल सम्बन्धी अपीलो की अदालत दोनों रूपो म सीध उसके अधीन रहेगा। वह सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिये एक एजन्सी की व्यवस्था करेगा कि जिले के कार्यालयो मे प्रशासन का दैनिक कार्य कुशलता के साथ चलता रहे और यह कि जिले के अधिकारी और उनका अमला आचरण तथा कार्य सम्बन्धी नियमो का उन आदेशो के अनुरूप पालन करे जिनकी उनसे आशा की जाती है। उसके निदेशानुसार प्रत्येक कमिश्नर जिला कार्यालयों तथा अपन क्षेत्राधिकार की अदालतों का निरीक्षण करने के लिये उत्तरदायी होगा। समय समय पर निरीक्षण करके प्रशासकीय सदस्य (ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) इस बात को सुनिश्चित कर देगा कि कमिश्नर उचित तथा पर्याप्त निरीक्षण-कार्य करते है। वह प्रत्यक वर्ष कमिश्नरो द्वारा किये गये काम के सम्बन्ध मे भी रिपोर्ट भेजेगा। प्रशासकीय कर्तव्यो के अतिरिक्त वह विभिन्न अधिनियमों द्वारा प्रदत्त माल बोर्ड के पूरे अधिकारों का भी प्रयोग करेगा। बोर्ड के न्यायिक सदस्य (जुडिशियल मेम्बर) पूर्ववत् केवल माल सम्बन्धी अपीलो की ही सुनवाई करेंगे और वे कोई भी प्रशासकीय कार्य नही करेगे।

(ख) डिवीजनों के कमिश्नर

प्रशासकीय सदस्य (ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) के निदेशानुसार कमिश्नर अपने अधिक्षेत्र के तहसीलदार के स्तर से ऊंचे जिले के कार्यालयो तथा अदालतो के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी होगा। वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों इंडियन सिविल सर्विस, इडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा प्राविंशियल सिविल सर्विस के अधिकारियो और न्यायिक अधिकारियो के सम्बन्ध मे बोर्डों के प्रशासकीय सदस्य (ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) के पास अपनी वार्षिक गुप्त रिपोर्टें सरकार के पास अग्रसारित करने के लिये भेजेगे। विधि तथा नियमो में तद्विषयक व्यवस्था होने पर, कमिश्नर ऐसे मामलो की, जो उनके पास आये, अपीलो तथा पुनरीक्षणो की सुनवाई करता रहेगा। स्वयं कमिश्नर द्वारा दी हुई आज्ञाओं के विरुद्ध अपीले तथा पुनरीक्षण आजकल की तरह, माल बोर्ड को किये जायगे। यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू एक्ट तथा यू० पी० इनकम्ब्रर्ड स्टेट्स ऐक्ट के अधीन होने वाली अपीलों, जैसा न्यायिक

माल-कार्य, जो आजकल एडीशनल कमिश्नरों द्वारा किया जाता है, धीरे धीरे कमिश्नरो के हाथ मे वापस चला जायगा। कमिश्नर स्थानीय निकायो से सम्बन्धित अपने कार्यभार से यथासंभव मुक्त कर दिये जायंगे और वह अब नियत प्राधिकारियो के हाथ में चला जायगा। आर्म्स ऐक्ट और उसके अधीन बने नियमो तथा पुलिस विनियमो से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कमिश्नर का काम अब जिला अधिकारियो द्वारा किया जायगा। कमिश्नरों का जेल प्रशासन सम्बन्धी कार्यों और एक्साइज मैनुअल के अधीन व उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो से अब कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। सरकारी अपीले दायर करने के सम्बन्ध मे जिला अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशो की छानबीन करने के काम से भी वे मुक्त कर दिये जायेगे। कोर्ट आफ वार्ड्स मैनुअल के अधीन सभी मामलो में कोर्ट आफ वार्ड्स कमिश्नरों के द्वारा कार्यवाही करने के बजाय सीधे ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से व्यवहार करेगा। मालगुजारी का निर्धारण, उसकी वसूली और उसमें छूट, नहर-कर तथा अन्य विविध करों की वसूली सम्बन्धी राजस्व प्रशासन के कुछ कार्य, जो अब तक कमिश्नरो द्वारा किये जाते थे, अब भूमि-व्यवस्था कमिश्नर द्वारा किये जायेंगे। सरकारी आस्थानो के प्रबन्ध से सम्बद्ध मामलो मे कमिश्नर निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के कार्यो से मुक्त कर दिया जायगा।

(ग) भूमि-व्यवस्था कमिश्नर

भूमि-व्यवस्था कमिश्नर निम्नलिखित कार्य करेंगे :—

(क) रेवेन्यू मैनुअल (अध्याय १ से ८ तक) में उल्लिखित पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य;

(ख) नहर-कर तथा अन्य विविध करों की वसूली का पर्यवेक्षण;

(ग) सरकारी तथा कुर्क किये हुए आस्थानो के प्रबन्ध के सम्बन्ध में जिला अधिकारियो द्वारा सरकार को भेजे हुए कागजो के सम्बन्ध में कार्रवाई;

(घ) भू-अभिलेख सचालक के रूप में काम;

(ङ) प्रादेशिक परिवर्तनो (territorial changes) बटवारो, चकबन्दियो, दाखिल खारिजों, पैमाइशों तथा बन्दोबस्तों के सम्बन्ध मे कार्य, और

(च) तहसीलदारो तथा नायब-तहसीलदारो के सम्बन्ध में ऐसे कार्य, जो पहले डिवीजनो के कमिश्नरो द्वारा किये जाते थे।

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के पदो के लिये भर्ती करने और उक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध मे नियम बनाने का काम प्रारम्भ किया गया और उसकी प्रगति संतोषप्रद रही। वर्ष के अन्त में नियमो पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा था। इस वर्ष उस समय तक के लिये जब तक कि इन नियमो को अन्तिम रूप न दे दिया जाय, इस सेवा के अधिकारियो का वेतन तदर्थ स्वीकृत वेतन के टाइम-स्केल मे नियत करने की रीति के सम्बन्ध मे कुछ आज्ञायें जारी की गयी थीं। इस सेवा के सदस्यो (केडर) की संख्या भी नियत की गई। नई सेवा में सम्मिलित डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजो के ३० स्थायी पदों और सिविल तथा सेशन जजों के १५ स्थायी पदों में, डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के ७ अतिरिक्त पद और सिविल तथा सेशन जजों के ३० और पद, जिनमे से अधिकांश अस्थायी रूप से चल रहे थे बढा दिये गये। १ जुलाई, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के सदस्यो (केडरों) की संख्या,

जिसमें मथुरा, एटा, रामपुर के तीन नये जजों के पद भी सम्मिलित है, निम्न प्रकार से निश्चित की गयी थी :—

डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज	.. ..	३७
सिविल तथा सेशन जज	.. ..	४०
छुट्टियों के लिये सुरक्षित	.. .	५
योग	- ..	८२

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस), डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजो के पदो की पूर्ति के प्रयोजन से, जो पहले इंडियन सिविल सर्विस के यू० पी० केडर में सम्मिलित थे, १९४९ ई० में प्रचलित की गई थी और १५ अगस्त, १९४७ ई० से ही सप्रभाव हो गयी थी। उस समय ८००–५०–१,०००–६०–१,३००–५०–१,८०० रुपया का अस्थायी वेतन-क्रम अर्थात् इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का उच्च वेतन-क्रम नई सेवा में आने वाले डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के पदों पर काम करने वालों के लिये स्वीकृत किया गया था।

नई सेवा की रचना से पूर्व अर्थात् १४ अगस्त, १९४७ ई० तक डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जजो के सब पद, जिनकी सख्या ३० थी और जिसमें यू० पी० सिविल सर्विस (जुडीशियल ब्राच) के अधिकारियो की पदोन्नति के लिये सुरक्षित ९ पद और सिविल तथा सेशन जजो के १५ स्थायी पदों में से ४ पद सम्मिलित थे, इंडियन सिविल सर्विस के यू० पी० के केडर पर आधारित हुआ करते थे और सिविल तथा सेशन्स जज और डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज के पदो पर नियुक्त किये जाने वाले सिविल सर्विस (जुडिशियल ब्रान्च) के अधिकारियो को क्रमशः इडियन सिविल सर्विस के छोटे और बडे वेतन-क्रमो के अनुसार वेतन दिया जाता था। १५ अगस्त, १९४७ ई० से इडियन सिविल सर्विस तोड दी गई और उसके स्थान पर इडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रक्खी गई, किन्तु भारत सरकार ने इडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कैडर मे कोई न्यायिक पद न रखने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य सरकार के राज्य की न्यायिक सेवा (Judicial Service) को पूर्ण रूप से प्रान्तीय सेवा बना लेने का परामर्श दिया और तदनुसार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) अस्तित्व मे आई।

यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा)

अवध चीफ कोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिल जाने पर सरकार, ने यह निश्चय किया कि यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) के दोनों अवध तथा आगरा के कैडरों को मिला कर एक कर दिया जाय। इस वर्ष उक्त दोनो कैडरों के अधिकारियो की पारस्परिक ज्येष्ठता को कुछ विशिष्ट नियमो के अनुसार इस एक प्रस्तावित कैडर मे निर्धारित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन रहा।

यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) के सम्बन्ध मे भर्ती करने के विषय पर सरकार ने विभिन्न स्थानो से प्राप्त इस आशय के सुझावो को स्वीकार कर लिया कि इस सम्बध म अपेक्षित अर्हता मे विधि की उपाधि (ला की डिग्री) के साथ-साथ कम से कम कुछ समय तक का वकालत का अनुभव भी सम्मिलित

हो। मुंसिफो की भर्ती के लिये अब तक नियमो में विधि की उपाधि की ही अर्हता नियत की गई थी। अब यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में उक्त सेवा में भर्ती होने के लिये प्रार्थना-पत्र देने वालो के लिये यह आवश्यक होगा कि उन्होने वस्तुतः कम से कम ३ वर्ष तक वकालत की हो। भर्ती के सम्बन्ध मे अधिकतम आयु की सीमा २७ वष से बढ़ा कर २८ वर्ष कर दी गई है।

इस वर्ष कुछ और परिवर्तन करने का भी निश्चय किया गया है। यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) के पदो पर नियुक्ति तथा उसके सदस्यो की सेवा की शर्तों से सम्बद्ध दो नियमावलियो का संशोधन किया गया और उनको मिलाकर एक ही नियमावली बनाई गई और यह आज्ञा दी गई कि यह नियमावली बाद में निश्चित किये जाने वाले किसी दिनांक से लागू की जाय। ऊपर के अनुच्छेदो में वर्णित उपबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपबन्ध संशोधित नियमावली की मुख्य विशेषताये है :—

(१) यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) मे केवल मुसिफ और सिविल जज के पद ही रहेंगे, क्योकि सिविल तथा सेशन्स जज के पद अब उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के कैडर मे है।

(२) इस सेवा मे भर्ती होने के लिये महिलाये भी पात्र होगी।

(३) इस सेवा का वेतन क्रम ३५०–३५०–३७५–२५–४००–प्रगुणता अर्गल–३०–७००–प्रगुणता अगल–५०–८५० रु० होगा।

न्यायिक अधिकारी

सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के ६० पदो को १ अप्रैल, १९५१ ई० से स्थायी करने का निश्चय किया था और पब्लिक सर्विस कमीशन से इस राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियो का सदर्शन करन के लिये और उनमे से स्थायीकरण के निमित्त ६० व्यक्तियो को चुनने के लिये प्रार्थना की गई थी। कमीशन के परामर्श पर स्थायी पदो पर ६० अधिकारियो को स्थायी करने की आज्ञा जारी की गई और शेष अधिकारी अस्थायी आधार पर काम करते रहे। साथ ही न्यायिक अधिकारियो को नियत वेतन न देकर उनके लिये वेतन का एक टाइम स्केल (अर्थात् ३००–२५/२–४००–प्र० अ० –२५/२–५००) रुपया निश्चित किया गया और कुछ विशिष्ट नियमो के अनुसार नये वेतन-क्रम मे उनका वेतन उनके सेवा-काल के आधार पर नियत किया गया।

विशेष मैजिस्ट्रेट

आलोच्य वर्ष मे दो विशेष मैजिस्ट्रेट, एक कानपुर में और दूसरा मेरठ में, विशेष पुलिस स्थापना से सम्बद्ध कुछ मामलो मे कार्यवाही करने के लिये नियुक्त किये गये।

सचिवालय पुनस्संगठन

सचिवालय में काम काफी रहा। १९५० ई० मे नान-गजटेड कर्मचारिवर्ग पर सचिवालय प्रशासन विभाग के नियन्त्रण का विकेन्द्रीकरण करन और सरकार के सेक्रेटरियो के पास इस काम को सौपने के लिये जो प्रस्ताव किये गये थे उन्हे १ जनवरी, १९५१ ई० से कार्यान्वित किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि १ जनवरी, १९५२ ई० से जमादार और चपरासियो पर उक्त विभाग का नियन्त्रण भी विकेन्द्रित किया जाय।

स्टेनोग्राफरो के नये स्थायी पद

१ अप्रैल, १९५१ ई० से सचिवालय स्टेनोग्राफरों के १६ पद स्थायी कर दिये गय। इन पदो की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश द्वारा लिये गये योग्यता-परीक्षा (Qualifying Examination) के परीक्षाफल के आधार पर की गई थी।

सरकार की सामान्य नीति के अनुसार यह भी निर्णय किया गया कि बनारस और टहरी-गढवाल की भूतपूर्व रियासतों के ६ अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से सचिवालय में ले लिया जाय। ये व्यक्ति सचिवालय मे इन रियासतो के उत्तर प्रदेश मे विलीनीकरण के पश्चात् अस्थायी पदो पर काम कर रहे थे।

विलीनीकृत रियासतो के कर्मचारिवर्ग को सचिवालय में सम्मिलित करना

सरकार को इस बात से कुछ चिन्ता हुई कि क्लर्क तथा अपर श्रेणी के कर्मचारिवर्ग अपनी कथित शिकायतो को अभिव्यक्त करने के लिये कुछ समय पूर्व से ऐसे उपायो का सहारा लेते रहे है, जो नियमों के अधीन अनुज्ञेय नही है अथवा जो परम्परागत रीति से प्रतिकूल है। यह भी देखा गया कि सरकारी नौकरो के कुछ सगठनो ने अपनी मागो पर जोर डालने के लिये प्रेस तथा राजनीतिक सगठनो की सक्रिय सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यह सरकारी अनुदेशो तथा नियमों के प्रतिकूल था। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से अप्रैल, १९५१ ई० मे समस्त विभागाध्यक्षो तथा कार्यालयो के अन्य प्रधानाध्यक्षो को विस्तृत आदेश जारी किये गये, जिनमे सरकारी नौकरो का ध्यान आवेदन-पत्र देने के सम्बन्ध में निर्धारित कार्यविधि की ओर आकर्षित किया गया और उक्त विभागाध्यक्षों तथा प्रधानाध्यक्षो से यह कहा गया कि वे उन सरकारी नौकरो की सस्थाओ के पदाधिकारियो को, जिनसे उनका संबन्ध है, इस बात की सूचना दे दे।

सरकारी नौकरो तथा सेवाओं से सम्बन्धित मामले

निर्वाचनो के अवसर पर सरकारी नौकरो के पूर्णयता निष्पक्ष रहने की आवश्यकता पर जोर डालने के अभिप्राय से अप्रैल, १९५१ ई० मे सरकारी कर्मचारी आचरण नियमो मे एक सशोधन किया गया, जिसमे इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि पूरे समय का कोई भी सरकारी नौकर विधान सभा के किसी भी निर्वाचन, चाहे वह भारत मे या अन्य कही हो अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अन्य स्थानीय निकायो के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध मे न तो मतार्चनार्थ प्रचार करेगा न उसमें हस्तक्षेप करेगा, न अपना प्रभाव डालेगा और न उक्त निर्वाचनो मे भाग ही लेगा।

यू० पी० सिविल (जानपद सेवा) सर्विस (कार्यपालिका शाखा), यू० पी० पुलिस सर्विस तथा यू० पी० एकाउन्ट्स सर्विस (लेखा सेवा) की भर्ती भिन्न-भिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न करके, जैसा कि पहले किया जाता था, सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने की योजना वर्ष मे चालू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा दिसम्बर, १९५१ ई० मे लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गयी।

राज्य सेवाओं के लिये भर्ती

सरकार को लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) ने १९४९-५० ई० की अपनी कार्यवाहियो के सम्बन्ध मे एक रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट मे आयोग ने जिन जिन प्रमुख बातो की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था, उन समस्त बातो की सरकार ने जांच की।

लोक सेवा आयोग

आयोग ने अलग से कतिपय उन बातो की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जो सरकारी पदो के लिय आयोग द्वारा व्यक्तियों के चुनाव की कार्यविधि क सम्बन्ध में थी। आयोग ने जो सुझाव दिये थे उनके अनुसार नियुक्त

करने वाले समस्त प्राधिकारियो को निम्नलिखित आधार पर अनुदेश जारी किये गये:—

(क) किसी सेवा या पद पर नियुक्ति की शर्तें और उपाधियां सर्वप्रथम आयोग के परामर्श से तै की जानी चाहिए और एक बार जब उन्हें इस प्रकार तै तथा विज्ञापित कर दिया जाय, तो उनको कडाई से पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि उनमें बाद मे संशोधन न हो और उस संशोधन की विधिवत् घोषणा न कर दी जाय।

(ख) यदि आयोग उस अभ्यर्थी के संदर्शन (इंटरव्यू) की इच्छा प्रगट करे, जिसकी किसी वैभागिक चुनाव समिति ने किसी पद या सेवा में नियुक्ति के लिये सिफारिश की है, तो प्रशासक विभाग में सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग के समक्ष इस प्रकार के अभ्यर्थी के उपस्थित होने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

इलाहाबाद में अफसरो का ट्रेनिग स्कूल

जूनियर इक्जीक्यूटिव अफसरो को ट्रेनिग देने के अभिप्राय से स्थापित अफसरों का ट्रेनिग स्कूल जनवरी, १९५१ ई० मे कार्य करने लगा। इस स्कूल मे ३४ डिप्टी कलेक्टर थ, जिन्हे तीन महीने तक प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की ट्रेनिग दी गई। दूसरी बार जुलाई मे इस स्कूल मे प्रारम्भिक तथा अन्तिम ट्रेनिग के सम्मिलित पाठ्यक्रम के लिये २५ डिप्टी कलेक्टरो को भर्ती किया गया। यह ट्रेनिग तीन महीने तक रही और सितम्बर में समाप्त हुई। तीसरी बार दिसम्बर में इस स्कूल में प्रारम्भिक ट्रेनिग के त्रैमासिक पाठ्यक्रम के लिये २५ डिप्टी कलेक्टर भर्ती किये गये। इस राज्य के सिविल सर्विस सेवा के अफसरों के अतिरिक्त, मध्यभारत सरकार के ११ अफसरो और भोपाल सरकार के २ अफसरो को भी वर्ष मे इस सस्था में ट्रेनिग लेने की अनुमति दी गई।

वैभागिक परीक्षायें तथा जूनियर अफसरो की ट्रेनिग

वैभागिक परीक्षायें लेने का कार्य लोक सेवा आयोग से इलाहाबाद में नवस्थापित अफसरो के ट्रेनिग स्कूल को हस्तान्तरित कर दिया गया और तदनुसार वर्ष मे दो वैभागिक परीक्षाये मई तथा जून के महीने में स्कूल में ली गयीं।

वैभागिक परीक्षाओ मे जूनियर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अफसरो के फर्ल तथा न्यायिक एव ट्रेज़री ट्रेनिग के सम्बन्ध मे उनकी स्थिति का सविस्तर पर्यावलोकन किया गया और यह देखा गया कि अधिकाश अफसरो ने न तो पूर्णतया अपनी वैभागिक परीक्षाये पास की और न निर्धारित ट्रेनिग ही प्राप्त की थी, यद्यपि वे कही अधिक समय से सेवा में थे। इस असतोषजनक स्थिति को सुधारने के लिये समस्त जिला अफसरो को अनुदेश जारी किये गये, जिनमे उनसे यह कहा गया कि इस प्रकार के जितने अफसर उनके अधीन कार्य कर रहे है उन सभी के मामलों पर वे विचार करे और उनमे जो कमियां रह गयी है उनको शीघ्र दूर करन की कार्यवाही करे।

घूसखोरी और भ्रष्टाचार का मूलोच्छेदन

१—सेवाओं (सर्विसेज) से घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध मे सरकार ने जो पहले कार्यवाहियां की थी, वे १९५१ ई० में भी जारी रही। गुप्तचर विभाग, तफतीश शाखा (Investigation Branch) उन शिकायतो की जांच करती रही, जो विभिन्न प्राधिकारियो या सरकार द्वारा उसके पास भेजी गयी थीं। केवल ऐसे महत्वपूर्ण मामले, जिनपर स्थानीय प्राधिकारी पर्याप्त रूप से कार्यवाही नहीं कर सके, इस विभाग को सौंप गये।

जिला भ्रष्टाचार-निरोधक समितियां भी अपना कार्य करती रहीं और १९५१-५२ ई० के वित्तीय वर्ष में विज्ञापन तथा प्रचार पर व्यय करने के लिये प्रत्येक समिति को ५०० रुपया का अनुदान फिर से दिया गया।

प्रशासकीय न्यायाधिकरण (Tribunal)

यू० पी० डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) रूल्स, १९४७ [सयुक्त प्रान्तीय अनुशासकीय (प्रशासकीय अधिकरण), नियम १९४७] के अधीन स्थापित प्रशासकीय न्यायाधिकरण (Tribunal) का कार्य वर्ष भर होता रहा और इस अवधि में ४ नये मामले इस न्यायाधिकरण के पास भेजे गये। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रगट होगा कि न्यायाधिकरण ने काम प्रारम्भ करने के समय से आलोच्य वर्ष के अन्त तक कितना काम किया :—

न्यायाधिकरण के पास विचार और निर्णय के लिये भेजे गये मामलो की संख्या	३६
निर्णीत मामलों की संख्या	२५
वापस लिये गये मामलो की संख्या	२
विचाराधीन मामलो की संख्या .. .	९

निर्णीत किये गये २५ मामलो मे ३६ सरकारी नौकर अन्तर्ग्रस्त थे, जिनमे से १९ व्यक्ति बरखास्त किए गए, १ को छोड दिया गया, ७ व्यक्तियों को अन्य प्रकार के दन्ड दिये गये और ९ को बरी कर दिया गया।

विलीनीकृत रियासतें तथा अन्तर-क्षेत्र (१) प्रशासन

टहरी-गढवाल, बनारस और रामपुर की रियासतें जो स्वाधीनता प्राप्ति के सिलसिले में १९४९ ई० मे उत्तर प्रदेश में विलीन हो गई थीं और वे रियासतें (४९७ गांव), जो प्राविंसेज एन्ड स्टेट्स (एब्जार्शन आफ एन्क्लेव्ज) आर्डर, १९५० के अन्तर्गत प्राप्त कर ली गई थी, सभी प्रकार से शेष उत्तर प्रदेश की तरह प्रशासित होती रही। विलीनीकरण के पूर्व विलीन क्षेत्रो मे, जो रियायतें दी गयी थीं, वह भी जारी रखी गयी।

(२) शासकों की निजी-थैलियां

इसी प्रकार पहले के शासक केन्द्रीय सरकार से अपनी निजी थैली की राशि बराबर पाते रहे और विलयन सम्बन्धी इकरारनामे में निश्चित किये गये निजी विशेषाधिकारो इत्यादि का उपयोग करते रहे।

(३) विलीनीकृत क्षेत्रो का कर्मचारिवर्ग

विलीनीकृत क्षेत्रो के कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में विलयन सम्बन्धी इकरारनामे के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाहियां की गई। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य अनुदेशों के अनुसार उन्हें उत्तर प्रदेश सेवा में उनके निवास-स्थान वाले क्षेत्रो तथा अन्य जिलो में यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में खपाने के लिये प्रयत्न किये गये। ऐसे कर्मचारियों को भी खपाने के लिये विचार किया गया, जिनमें काम के लिये शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक योग्यता तो नही थी, किन्तु वे अन्यथा उपयुक्त थे। ऐसे व्यक्तियों को जिनमें आवश्यक योग्यता नही थी और जिनकी अस्थायी सेवा लगभग एक वर्ष की थी तथा उन व्यक्तियो को, जिनके लिये उपयुक्त जगह उपलब्ध न हो सकीं, सरकार द्वारा बनाई गयी नियमावली के अनुसार प्रतिकर देकर नौकरी से

हटा दिया गया। यह नियमावली सिविल सर्विस विनियमों के अन्तर्गत छटनी किये गये व्यक्तियो पर सामान्यत: लागू होने वाली नियमावली की अपेक्षा अधिक उदार थी। विलयन के बाद से भूतपूर्व टेहरी-गढवाल, बनारस तथा रामपुर रियासतो के जिन व्यक्तियो के सम्बन्ध में कार्यवाहियां की गईं हैं उनकी संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गयी है :

रियासत का नाम	वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	उन कर्मचारियो की संख्या जिनको नौकरी दी गई	नौकरी से हटाये गये कर्मचारियो की सख्या
टेहरी-गढवाल	२,१४९	१,८१४	३३५
बनारस	२,२७२	१,५६२	७१०
रामपुर	५,१४८	३,६५६	१,४९२

(४) शासको के सम्बन्धियों तथा अन्य व्यक्तियों को भत्ता

इन इकरारनामो के अनुसार शासको के सम्बन्धियो तथा अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियो को भत्ता देना जारी रखा गया। टेहरी-गढ़वाल की राजमाता का भत्ता उनके पति श्री नरेन्द्रशाह की मृत्यु हो जाने के कारण १५,००० रु० से बढाकर २४,००० रु० प्रतिवर्ष कर दिया गया।

(५) टेहरी-गढ़वाल की नान-इंडियन स्टेट्स फोर्स यूनिट

टेहरी-गढ़वाल की नान-इडियन स्टेट्स फोर्स यूनिट तोड़ दी गई। उसके कर्मचारियो को यथासंभव पुलिस विभाग में रख लिया गया। ऐसे शेष व्यक्तियो को, जिनको उपर्युक्त रूप से काम पर न लगाया जा सका, नौकरी से अलग कर देना पड़ा, किन्तु उन्हे नियमो के अनुसार प्रतिकर की स्वीकृति दी गई।

(६) धर्मार्थ इत्यादि के लिये अनुदान

रामपुर में परम्परागत धर्मार्थ तथा उत्सवों के लिये सरकारी अनुदान ४०,००० रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ५०,००० रु० कर दिया गया। बनारस में रामलीला इत्यादि के लिये बनारस के महाराजा को दिया जाने वाला अनुदान जारी रक्खा गया और टेहरी-गढ़वाल के मंदिरो तथा विलीनीकृत अन्तर्क्षेत्रों को धर्मार्थ कार्यों तथा सेवा के प्रशासन के लिये दिया जाने वाला अनुदान जारी रखा गया।

भूतपूर्व अन्तर्क्षेत्रों के मन्दिरो तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं और पुजारियों को, जो धर्मार्थ भुगतान उनके शासकों द्वारा दिया जाता था, वह आलोच्य वर्ष में सरकार द्वारा दिया गया। इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये न्यास बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन रहा।

(७) टेहरी-गढ़वाल के मन्दिर का न्यास

टेहरी-गढ़वाल के विलयन के इकरारनामे मे यह व्यवस्था भी की गयी थी कि टेहरी-गढ़वाल के मन्दिरों और श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के पवित्र मन्दिरों के प्रबन्ध के लिये एक न्यास बनाया जाय और टेहरी-गढवाल के महाराजा उस प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष हों। इस न्यास के बनाने के सम्बन्ध में महाराजा से प्रस्ताव मांगे गये और वर्ष के अन्त तक उनकी प्रतीक्षा की जा रही थी। न्यास के न बनने तक मन्दिरों को अलग-अलग अनुदान दिये गये।

(८) रज़ा पुस्तकालय न्यास

रामपुर की रियासत मे एक पुस्तकालय था जो पहले किताबखाना सरकारी रियासत रामपुर के नाम से प्रसिद्ध था और बाद मे उसका नाम रज़ा पुस्तकालय पड गया। विलयन के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करते हुए भारत सरकार इस बात से सहमत थी कि नवाब रामपुर पुस्तकालय के प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिय एक न्यास बनावे जिससे भारत के सभी नागरिक तथा ज्ञानवृद्धि मे आरूढ़ अन्य सच्चे ज्ञानार्थी इससे लाभ उठा सके और पुस्तकालय की भी सुरक्षा और उसका विकास, परिवर्द्धन तथा सुधार होता रहे। इसके अनुसार रज़ा पुस्तकालय न्यास बनाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने पुस्तकालय के रख-रखाव के लिये अनुदान दिया।

जंगली जानवरो को नष्ट करने के लिये पारितोषिक

पहाड़ी जिलो और मैदान के कुछ जिलों मे नर-भक्षी चीते और तेंदुओं द्वारा पहुंचाई गई हानि के कारण मानव जीवन के खतरे को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिये बढ़ी हुई दर पर पारितोषिको की स्वीकृति दी गयी, ताकि जगली जानवर और उनके बच्चो को मार दिया जाय। भेड़ियों और लकडबग्घों का आतंक, जो १९५० ई० की ग्रीष्म ऋतु मे सहसा बढ गया था, १९५१ ई० की ग्रीष्म ऋतु में इस राज्य के कुछ जिलों मे फिर से होने लगा। लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फ़तेहपुर, और मिर्जापुर के जिलो मे इन जानवरो को नष्ट करने के लिये आवश्यकतानुसार पारितोषिक देने की स्वीकृति दी गयी।

सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सिनेमा-घरों की संख्या लगभग ३०० रही। भारत सरकार ने १५ जनवरी, १९५१ ई० से सिनेमैटोग्राफ (सेकेन्ड अमेंडमेंट) एक्ट, १९४९ ई० लागू किया। उसी दिनांक से सिनेमेटोग्राफ (सेन्सरशिप) रूल्स, १९५१ जारी किय गये और फिल्म सेन्सर्स का एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया गया, जिसका क्षेत्राधिकार संघ के सम्पूर्ण प्रदेश पर था और जिसे प्रतिबन्धित और आम जनता के प्रदर्शन के लिये फिल्मो को प्रमाणित करना पड़ता था। इस नये विधान के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सिनेमा परामर्शदात्री समिति की उपयोगिता समाप्त हो गई और वह १४ जनवरी, १९५१ ई० से भंग कर दी गयी। भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने पूर्ववत् शर्तों पर स्वीकृत फिल्मो की सप्लाई जारी रखी।

पुराने नियमों को, जो १९३० ई० में जारी किये गये थे, अकारथ करते हुए उत्तर प्रदेश, सिनेमेटोग्राफ रूल्स, १९५१ ई० १ फरवरी, १९५१ ई० से लागू किये गये। ये नियम मनोरंजन के स्थानो को, जो अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे थे, अधिक अच्छे आदर्शों पर रखने के लिये बनाये गये थे। नये नियमों का भलीभांति स्वागत किया गया। आम जनता की यह राय रही कि इन नियमो को उक्त स्थानों मे सफाई की अधिक अच्छी दशायें करने तथा जनता को और अधिक आराम पहुंचाने और उसकी सुरक्षा के लिये बनाया गया था।

मनोरंजन और बाजी लगाने का कर

इस वर्ष इंटरटेनमेंट तथा बेटिंग टैक्स कमिश्नर के अधीन एक असिस्टेंट इंटरटेनमेट ऐड बेटिंग टैक्स कमिश्नर तथा २७ टैक्स इंस्पेक्टरो ने कार्य किया। १९५१ ई० में एडीशनल इंटरटेनमेंट टैक्स इंस्पेक्टरो के २५ पद और बनाये गये, परन्तु पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारो की सूची देर से मिलने के कारण इन स्थानों को न भरा जा सका। मनोरंजन और बाजी लगाने के कर से लगभग ९०,००,००० रु० की कुल आमदनी हुई और कर की उगाही

पर लगभग १,२५,६०० रु० व्यय हुआ। आलोच्य वर्ष में मनोरंजन कर अधिनियम तथा नियमो (Entertainment Tax Act and Rules) के निदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ १७५ मुकदमे चलाये गये। इनमें से ९४ मुकदमों मे सजा हुई और केवल ६ मुकदम ऐसे थे जिनमें अपराधी छोड दिये गए। शेष मुकदमों की सुनवाई वर्ष समाप्त होने तक पूरी नहीं हो पाई थी। जिन ९४ मुकदमों मे सजाये दी गयी उनमे ७,४१६ रु० के जुर्माने किये गये थे और उनमें से ७६ मुकदमों का जुर्माना वसूल किया गया। ८ मामलो मे चेतावनी दी गयी और शेष १० मामलो में लाइसेंस या तो रद्द कर दिये गये या स्थगित कर दिये गये।

छात्रवृत्तियां तथा अशदान

पहिले की तरह सरकार ने प्रिन्स आफ वेल्स मिलिटरी कालेज, देहरादून और जालधर तथा अजमेर के किंग जार्ज मिलिटरी कालेजों में इस राज्य के पढ़ने वाले उपयुक्त उम्मीदवारो को कुछ छात्रवत्तियां दी। ७५० रु० वार्षिक की एक छात्रवृत्ति प्रिंस आफ वेल्स मिलिटरी कालेज, देहरादून मे पढने वाले इस राज्य के एक छात्र को २० जनवरी, १९५१ ई० तथा १ अगस्त, १९५१ ई० से आरम्भ होने वाली अवधियों में स हर अवधि के लिये दी गयी। पांच पांच रुपये की २० और १२ छात्रवृत्तिया साल मे ९ महीने क लिये क्रमशः अजमेर और जालंधर के किंग जार्ज मिलिटरी कालेजो के कैडेटों को भी दी गयीं। सरकार ने भारतीय नौ सेना के कमीशन पदो में भर्ती के संबंध मे तीन मामलों में ५८ पौंड प्रति व्यक्ति और दो मामलो में प्रत्येक व्यक्ति के लिये ११६ पौंड की धनराशियां उनके माता-पिता या संरक्षको द्वारा दिय जाने वाले खर्चे के मद मे भी दिया।

१९५१ ई० की जनगणना

फरवरी और मार्च के महीनो में समस्त राज्य मे प्रति दस वर्ष मे की जाने वाली जनगणना का कार्य चालू रहा। ९ फरवरी, १९५१ ई० और १ मार्च, १९५१ ई० के प्रातः काल तक जनगणना होती रही और मार्च के पहले तीन दिनों में उसकी वास्तविक रूप से फिर से जांच की गई। सरकार ने यह पहिले ही तै कर लिया था कि जनगणना संबंधी कार्यवाहियो में प्रशंसनीय सेवाओ के लिये चार्ज सुपरिन्टेंडेंटो, सुपरवाइजरों और गिनने वालो को पदक, सनद और प्रमाण-पत्र देकर उनकी सेवाओं को मान्यता दी जाये और गजटेड स्टाफ के सबंध मे प्रशंसा-सूचक पत्र जारी किये जाये। अच्छे और प्रशंसनीय काम को और अधिक प्रोत्साहन दन के लिये सरकार ने यह तय किया कि जनसंख्या की कार्यवाहियों के समय सरकारी कर्मचारियो द्वारा किये गये किसी भी अच्छे काम का उल्लेख उनके काम और चालचलन की सामयिक रिपोर्ट में कर दिया जायगा। इस संबंध में जनगणना के कार्यो को कराने वाले सुपरिटेन्डेंटो और डिस्ट्रिक्ट अफसरो को आवश्यक आदेश द दिय गये। सब संबन्धित व्यक्तियो के सहयोग से जनगणना संबंधी सभी काय सफलतापूर्वक समाप्त हो गये।

नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की तैयारी

भारत सरकार के सुझाव पर जनगणना संबंधी कार्यों के साथ ही नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की तैयारी प्रारंभ हो गई और डिस्ट्रिक्ट अफसरों को यह आदेश दिये गये कि उनको यथासंभव शीघ्रता से पूरा कर लिया जाय तथा किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष के अन्दर ही उनको समाप्त कर दिया जाये। यह रजिस्टर दहाती और नागरिक

दोनों ही क्षेत्रों में घर वालों के लिये बनाया गया और इसका उद्देश्य यह था कि समाज-अर्थशास्त्र तथा जन्म-मरण के आंकडो (Demographic) संबंधी जांचो का कार्य भी शुरू कर दिया जाये। यह भी आशा की जाती थी कि निर्वाचन संबंधी सूचियां बनाये रखने से सम्बद्ध अधिकारियो को ऐसे आयु समूहो को जानने में आसानी होगी जो वर्ष-प्रति-वर्ष वोट देने के अधिकारी होते जायेंगे और इस प्रकार उन्हें निर्वाचन सूचियों को अद्यतन (up-to-date) रूप से तैयार करने में सहायता मिलेगी। यह तै हुआ कि इस रजिस्टर की तैयारी का व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार ५० : ५० के आधार पर बांट ले।

राज्य-भाषा

राज्य की राजभाषा से अपरिचित सरकारी कर्मचारियो की संख्या और भी कम होती गई। जिनके लिये भर्ती के समय साक्षरता अनिवार्य थी उनमे २ प्रतिशत से भी कम हो गयी। सरकारी कार्यालयो में हिन्दी का प्रयोग और अधिक बढ़ान के संबंध मे कार्यवाहियां होती रही और बहुत बडी संख्या मे सरकारी कार्यालयों में प्रयोग मे आने वाले फार्मों का हिन्दी में अनुवाद किया गया। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ ई० पारित किया गया और इस वर्ष के अन्त में लागू किया गया।

अनुवाद विभाग मे हिन्दी विधिक शब्दावली का संकलन-कार्य तथा सचिवालय के बाहर प्रयुक्त प्रपत्रो का अनुवाद होता रहा।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

१९४२ ई० के आंदोलन के सिलसिले मे राजनीतिक पीड़ितो को जो क्षति पहुंची उसके लिये उन्हें ३०,५१८ रुपये का प्रतिकर दिया गया। एक सौ पैतालिस व्यक्तियों को माहवारी पेंशन के रूप मे ३,२२८ रु० ८ आ० (जिसमे महंगाई भत्ता भी शामिल है) की धनराशि स्वीकृत की गई। पैतीस व्यक्तियों को इकमुश्त अनुदान स्वीकृत किये गये, जिसकी धनराशि १५,२५० रु० होती है।

प्रार्थना-पत्र और शिकायतें

प्रार्थना-पत्र विभाग मे कुल २०,५४९ प्रार्थना-पत्र और शिकायते प्राप्त हुईं, जब कि १९५० ई० मे उनकी संख्या २४,७४४ थी। प्रत्येक प्रार्थना-पत्र और शिकायत पर तत्संबंधी विषय पर समय समय पर दी गयी आज्ञाओं का ध्यान रखते हुए विचार किया गया। आलोच्य वर्ष में जितने प्रार्थना-पत्र और शिकायते प्राप्त हुई उनमें से १३,४१० सचिवालय के विभागो, वैभागिक अध्यक्षों, या अन्य सबंधित अफसरो के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गयी, जब कि १९५० ई० मे उनकी संख्या १४,२९२ थी और २,७८० प्रार्थना-पत्र प्रार्थियो को स्थानीय अधिकारियो के पास भेजने के लिये वापस कर दिये गये या उन्हें सीधे जवाब दे दिया गया, जब कि १९५० ई० मे इस प्रकार १,५८८ प्रार्थना-पत्र वापस किये गये थे। जिस किसी प्रार्थना-पत्र या शिकायत के लिखने वाले के हस्ताक्षर की सच्चाई पर सन्देह हुआ उसके लेखक से कहा गया कि वह आरोपो को प्रमाणित करें और यह स्वीकार करें कि प्रार्थना-पत्र या शिकायत उसने लिखी है। इस प्रकार के अधिकतर प्रार्थना-पत्र या शिकायते वास्तव मे झूठे नाम से दी गयी प्रमाणित हुईं। निक्षिप्त या नष्ट किये गये प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या ४,३५९ थी।

हमेशा की तरह प्रार्थना-पत्र और शिकायते विभिन्न विषयो से संबधित थी। कृषि संबंधी झगडों और जमीदारों तथा उनके काश्तकारो के बीच के

के झगड़ो के संबंध में पहिले ही की तरह सबसे अधिक शिकायतें आई और आलोच्य वर्ष में प्राप्त कुल शिकायतो मे से उनकी संख्या लगभग ४८ प्रतिशत थी।

कुछ किस्म के प्रार्थना-पत्रो और शिकायतो की संख्या कम हो गयी, वे ये हैं—(१) विभिन्न सुविधाओ जैसे भरण-पोषण, भत्ते, ऋण आदि के लिये विस्थापित व्यक्तियो की दरख्वास्ते (कुल सख्या की लगभग ४.५ प्रतिशत), (२) राजनीतिक पीड़ितो के प्रार्थनापत्र या शिकायते (कुल प्राप्त सख्या का लगभग ४ प्रतिशत) और (३) स्थानीय पुलिस की ज्यादती और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तथा डकैती और फौजदारी संबंधी शिकायतें (लगभग ८.५ प्रतिशत)।

इस प्रकार की शिकायतो की संख्या मे कुछ वृद्धि हुई जैसे, (१) निष्क्रांत संपत्ति संबधी शिकायते, (२) मकान मालिको और किरायेदारो के विरुद्ध शिकायतें और (३) चोरबाजारी, महंगाई और कंट्रोल के खिलाफ शिकायतें। गांव पंचायतो के सदस्यो के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि के आरोपो की शिकायतों में (कुल संख्या का लगभग ६.५ प्रतिशत) और रियासतों तथा अन्तरक्षेत्रो के विलीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त प्राथना-पत्रों या शिकायतो में (जो अधिकतर पिछल कमचारियों की नौकरी समाप्त करने से सम्बन्धित थीं) काफी वृद्धि हुई।

कुल प्रार्थनापत्र में से ८ प्रतिशत प्रार्थना-पत्र नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में थे। इस किस्म के प्रार्थना-पत्रों मे कोई विशेष कमी बेशी नही हुई। उपर्युक्त किस्म के प्रार्थना-पत्रों या शिकायतों से भिन्न प्रार्थना-पत्रो और शिकायतों की संख्या कुल प्रार्थना-पत्रों तथा शिकायतो की संख्या की १० प्रतिशत थी। वर्ष के अन्तिम तीन महीनो में ११ शिकायतें सरकारी गजटेड अफसरो के विरुद्ध आई और उन पर सितम्बर, १९५१ ई० में जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्रवाई की गई।

३—वर्ष कैसा रहा ?

पहली जनवरी से मार्च, १९५१ के तीसरे सप्ताह तक सविराम, हल्की और छिटपुट वर्षा होती रही। मार्च के अंतिम सप्ताह तथा अप्रैल के पहले सप्ताह में विस्तृत वर्षा हुई। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक का मौसम प्रायः सूखा रहा। जून के अंतिम सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो गई। जुलाई के पहिले सप्ताह तक विस्तृत वर्षा हुई। उसके बाद महीने के शेष भाग में सविराम छिटपुट वर्षा हुई। अगस्त में अन्तिम सप्ताह को छोड़कर राज्य भर में विस्तृत वर्षा हुई। सितम्बर के पहले पक्ष में भी व्यापक वर्षा हुई, किन्तु सितम्बर के दूसरे पक्ष से दिसम्बर के अन्त तक का मौसम वस्तुतः सूखा रहा। राज्य में विशेषतः पूर्वी भागो में मामली से भी कम वर्षा हुई।

सूखे से क्षति

वर्षा ऋतु में वर्षा की कमी और उसके अनियमित वितरण के कारण खरीफ की फसलों को दूर-दूर तक हानि पहुंची। विशेषतः पूर्वी जिलो में दुर्भाग्यवश रबी की फसलो की बुवाई और उनके अकुरित होने पर भी किसी हद तक सूखे का बुरा असर पड़ा। अल्मोड़ा, बहराइच, गोंडा, बस्ती, आजमगढ, मिर्जापुर और प्रतापगढ के जिलो के कुछ क्षेत्रो में कमी की स्थिति पदा हो गई और सरकार ने उक्त जिलो के

करने के लिये ७,०६,६५२ रु० की धनराशि स्वीकृत की। सूखे के कारण जो कमी की स्थिति पैदा हो गई थी उसके सम्बंध मे बच्चों, बुड्ढों तथा लाचार व्यक्तियों को, जिनके पास निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं था, निःशुल्क सहायता के रूप में देने के लिये ७६,१०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई।

फसल तथा खेती किए गए क्षेत्र

पिछले वर्ष जितनी भूमि में खरीफ की फसल बोई गई थी उसका कुल क्षेत्रफल २,४३,८०,१०० एकड़ था जो १३५८ फसली में बढ़कर २,५३,३६,६१६ एकड़ हो गया। इसका कारण यह था कि परती भूमि के अधिक क्षेत्र में खेती की गई थी और यह भी कि खरीफ की फसल की बुवाई के समय ऋतु अनुकूल था। दीर्घकालीन सूखे तथा रबी की बुवाई के समय मिट्टी में नमी की कमी होने के कारण रबी की फसलों की खेती कम भूमि में की गई और उसका क्षेत्रफल १३५७ फसली के २,२६,३८,४७५ एकड़ से घटकर १३५८ फसली में २,१६,६१,६१४ एकड़ रह गया। इस राज्य में १९५०-५१ (१३५८ फसली) में कुल खेती की भूमि का शुद्ध क्षेत्रफल ३,८५,७१,१७० एकड़ था, जब कि पिछले वर्ष उक्त क्षेत्रफल ३,८२,४२,७०० एकड़ रहा था। इससे ३,२८,३० एकड़ या (०.९ प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई।

सींचा गया क्षेत्र

सितम्बर से दिसम्बर, १९५० ई० तक सूखा पड़ने के कारण इस राज्य में सिंचाई की माँग बढ़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुल सींचा हुआ क्षेत्र, जिसमें नहरो तथा ट्यूबवेलों द्वारा सीची हुई भूमि का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है, पिछले वर्ष १३५७ फसली के १,०८,०२,६६३ एकड़ से बढ़कर १,१८,८४,१६२ एकड़ हो गया। आलोच्य वर्ष में कुल १३,३६१ पक्के कुएं बनाये गए (जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या ६,३७९ थी), किंतु बहुत से पुराने पक्के कुओं को काम में न लान के कारण उनकी संख्या में वस्तुतः ६,१३० की ही वृद्धि हुई।

छूटें

रबी १३५८ फसली के सम्बन्ध में मालगुजारी की छूटो और मुल्तवियों के लिये क्रमशः ६१,३६७ रु० तथा ३,६७९ रु० की धनराशियों को स्वीकृति दी गई, जबकि खरीफ १३५९ फसली के लिए ४,६६,५५९ रु० तथा ८८,२६२ रु० को धनराशियाँ स्वीकृत की गई थीं। अग्नि तथा बाढ़ों के प्रकोपों के सबंध में भी ४९,८३७ रु० की धनराशि निर्मूल्य सहायता के रूप में दिये जाने के लिये स्वीकृत की गई थी।

टिड्डियाँ

इस वर्ष राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले में एक या दो बार टिड्डियों के दलो का आगमन हुआ। फसलो को पहुंची हुई हानि का नगदी में तखमीना ६,१६,२६४ रु० लगाया गया। इस आतंक का निवारण करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली उपायों से काम लिया और इस प्रयोजन के लिये ३२,००० रु० तथा २,३६,००० रु० की धनराशियाँ क्रमशः डिवीजनो के कमिश्नरों तथा कानपुर में सरकार के कीटाणु विशेषज्ञ को काम में लाने के लिये दी गई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटो को टिड्डियों का विनाश करने तथा उन्हे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के सम्बन्ध में अधिकार देने के प्रयोजन से टिड्डी विनाश अधिनियम (Locust Destruction Act) पास किया गया। उक्त अधिनियम द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे आक्रांत क्षेत्रों के निवासियों को इस हानिकारक कीट के विनाश के संबंध में कुछ विशेष काम करने तथा आज्ञाओं का पालन करने के लिये आदेश द सकें।

मूल्य

आलोच्य वर्ष में सभी मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं, जौ, चना, ज्वार, मक्का और चावल राशनिग व्यवस्था के अधीन रहे।

चना, ज्वार और मक्का के मूल्यो के चढ़ाव-उतार को छोड़कर, जिनके भाव १० रु० ११ आने तथा १६ रु० प्रति मन के बीच में घटते-बढ़ते रहे, सभी मुख्य खाद्यान्नों के भाव रुके रहे।

अध्याय २--भूमि-प्रशासन

४---जमींदारी विनाश तथा भूमिव्य-वस्था

जमीन्दारी विनाश कोष की वसूली का काम रबी की फसल मे मई से जुलाई के मध्य तक जारी रहा। संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन)ऐक्ट, १९४९ ई० के अनुसार जो रुपया किसानो द्वारा जमा किया गया था, ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० को ३२,९३,१२,३०३ रुपया था (जो लक्ष्य का २१.०६ प्रतिशत था)। किसानों को लगान में आधी छूट और बेदखलियो से पूर्ण मुक्ति के रूप मे जो विशेषाधिकार दिए गए थे उसके अतिरिक्त युक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) ऐक्ट, १९४९ ई० के अधीन घोषणा-पत्र (Declaration) प्राप्त कर लेने पर उन्हें अपनी भूमि के सम्बन्ध मे संक्रम के अधिकार भी दिये गये।

उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार जमीन्दारी प्रथा का विनाश, जिसके सम्बन्ध में २४ जनवरी, १९५१ ई० को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी, जमीन्दारों द्वारा उक्त अधिनियम की वैधता पर मतभेद प्रकट करते हुए मुकदमे दायर किये जाने के कारण स्थगित कर दिया गया। १० मई, १९५१ ई० को हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और यह घोषित किया कि उक्त अधिनियम संविधान के अधिकारान्तर्गत ही है। इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें दायर की गई थीं वे वर्ष के अन्त में विचाराधीन थी।

भूमि-सम्बन्धी स्थिति पूरे वर्ष भर संतोषजनक रही और जमीन्दारो तथा किसानो के पारस्परिक सम्बन्ध में तनातनी बढ़ने के कोई लक्षण प्रकट नही हुए। जमीन्दारो ने भूमि का प्रबन्ध करने या लगान की वसूली में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया।

किसानो की सामान्य आर्थिक स्थिति तथा उनकी वित्तीय स्थिति मे स्थिरता बनी रही।

५---मालगुजारी, कृषि सम्बन्धी अग्रऋण तथा नहरों के महसूलों की वसूली

मालगुजारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग ७०९.९२ लाख रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष यह मांग ७०५.७८ लाख रुपये (संशोधित) थी। यह वृद्धि अंशतः इस वर्ष विलीनीकृत बनारस राज्य की मालगुजारी की मांग, जिसका कि पिछले वर्ष हिसाब नहीं लगाया गया था, सम्मिलित करने और अंशतः कछार महालो के अल्पकालीन बन्दोबस्त लागू करन तथा राज्य के कुछ जिलो म माल गजारी की उत्तरोत्तर वृद्धि करने से हुई। कुल मांग में से ६९२.३०

तकावी

इस वर्ष ऐक्ट संख्या १२, १८८४ ई० और ऐक्ट संख्या १९, १८८३ ई० के अधीन वास्तव मे क्रमशः ६९.३१ लाख रुपये और ५७.४८ लाख रुपये दिये गये, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः ४०.९१ लाख और ३९.४५ लाख रुपये दिये गये थ। दोनो ऐक्टो के अधीन विलंबित की जाने वाली धनराशि का हिसाब लगाने के बाद कुल ७३.०७ लाख रुपये वसूल होने को थे। दी जाने वाली धनराशियों मे जो वृद्धि हुई उसका कारण यह है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अधीन कृषि सम्बन्धी औजारो, ट्रैक्टरो इत्यादि को खरीदने और खेती को कृषियोग्य बनाने की मांग अधिक बढ गई थी। ऐक्ट १२ के अधीन उ० प्र० के पूर्वी जिलों में, जहां सूखा पड़ जाने से बहुत नुकसान हुआ, कच्चे कुएं खोदने, बीज तथा बैल खरीदने के लिये अक्टूबर से दिसम्बर, १९५१ ई० के बीच की अवधि में २९.४८ लाख रुपया तकावी के रूप मे बांटना पडा।

नहर के महसूल

शरह दखीलकार की कुल मांग, जिसमें पिछले वर्ष के बकाये सम्मिलित है, ४७३.५१ लाख रुपये से बढ कर ५५६.१२ लाख रुपये हो गई। नाममात्र की और वसूल न होने वाली शेष धनराशियो का हिसाब करने के बाद वसूल होने योग्य शुद्ध मांग ५४५.७५ लाख रुपये थी, जिसमे से ५४३.६८ लाख रुपये वसूल किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त मे केवल २ ०७ लाख रुपये की धनराशि शेष रह गई। शरह मालिकाना के कारण जो मांग हुई वह ६७,००९ रुपये से बढकर ८१,८०० रुपये हो गई और लगभग यह सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली गई थी।

६—कृषि आय-कर

१ अक्टूबर, १९५१ ई० से कृषि आय कर के प्रशासन का कार्य माल बोर्ड से भूमि व्यवस्था कमिश्नर के यहां संक्रमित किया गया।

१९५१-५२ ई० (१३५८ फसली) मे दिसम्बर, १९५१ ई० के अन्त तक कृषि आयकर की कुल निर्धारित धनराशि १,२२,२०,५९६ रु० थी, जबकि १९४८-४९ ई० में यह धनराशि १,०७,१०,७८३ रु०, १९४९-५० ई० में १,१३,६२,११८ रु० और १९५०-५१ ई० मे १,०९,६०,००९ रु० थी। इस वर्ष १३५८ फसली के लिये १०,८६५ मे से १०,५८५ मामले ऐसे थे जिनमे अधिनियम की धारा १५ (३) के अधीन नोटिस जारी किये गये और वे निपटाये गये। केवल २८० मामले शेष बच गये थे। यह अनुमान लगाया गया था कि १३५८ फसली के लिये निर्धारित किये गये कर की धनराशि इन शेष मामलो को निपटाने के पश्चात् १,२५,००,००० रु० तक पहुंच जायेगी। १३५५ फसली और १३५७ फसली के बीच कर-निर्धारण सम्बन्धी मामलों की कार्यवाही इस वर्ष पूरी कर दी गई और अधिकतर निर्धारित कर वसूल किया गया। आयकर लगने से छूट गई धनराशियों पर भी कृषि आय-कर अधिनियम की धारा २५ के अधीन समुचित कार्यवाही की गई।

१३५८ फसली के लिये सम्पूर्ण निर्धारित कर मे से २०,६९,४०३ रु० वसूल किया गया था। कर निर्धारण की धनराशि म जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण यह था कि ऐसे उपाय किये गये जिनसे किसी को भी कर लगने से बच जाने का अवसर न मिल पाये।

कृषि आय-कर कमिश्नर की अदालत मे इस वर्ष १,१०५ अपीले दायर की गयी। ये अपीले उन १,३७२ अपीलो के अतिरिक्त ह जो १९५० ई० से विचाराधीन हैं। कुल अपीलो मे से १,१५३ अपीले कमिश्नर ने निपटा दी थीं और आलोच्य वर्ष के अन्त मे १,३२४ अपीले अनिर्णीत रह गईं।

१९५० ई० मे कृषि आय-कर बोर्ड के यहां अनिर्णीत ४५ पुनरीक्षण के मामले थे। १९५१ ई० में ३१० मामले दायर किये गये जिसके फलस्वरूप कुल मामले ३५५ हो गय। आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने इन मामलों में २३५ पर निर्णय दे दिया और वर्ष के अन्त में १२० मामले बचे रह गये।

कर के प्रसाशन पर जो व्यय होता आ रहा है वह वर्ष भर की कुल आय का लगभग २ प्रतिशत है।

७—पैमाइश, बन्दोबस्त और कागजातदेही सम्बन्धी कार्यवाहियां

आलोच्य वर्ष में राज्य में बन्दोबस्त सम्बन्धी कोई कार्यवाही नही की गई और जिला देहरादून के परगना जौनसार बावर, जिला मरठ के परगना हस्तिनापुर और जिला रामपुर की तहसील शाहाबाद में पैमाइश तथा कागजातदेही संबंधी कार्यवाहियां जारी रहीं। जिला टेहरी-गढ़वाल में कागजातदेही सम्बन्धी कार्यवाहियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में भी कुछ काय किया गया।

८—कागजातदेही

आलोच्य वर्ष में कागजातदेही कर्मचारिवर्ग के जमीदारी विनाश कोष आन्दोलन, जनगणना, पशु तथा ट्रैक्टर गणना और मतदाता सूची तैयार करने में लगे रहने के कारण कागजातदेही के कार्यों मे कई प्रकार की बाधायें रही। इसका परिणाम केवल यह ही नही हुआ कि कागज-पत्र ठीक से न रखे जा सकें, बल्कि कागजातदेही के काम की कई शाखाओं के अनुसूचित कार्यक्रम में रुकावटे भी आई। बहुत से निर्धारित सामयिक विवरणपत्र समय पर न दिये जा सके और समय-समय पर जिलों को जहाँ से ये विवरणपत्र नही आये थे और अधिक समय देना पडा। जहाँ आवश्यक समझा गया सुपरवाइजर कानूनगोओं द्वारा कागजातो की जाँच-पड़ताल के अनुसूचित कार्य में भी ढिलाई करनी पड़ी।

कागजातदेही के तीन असिस्टेंट डाइरेक्टरों ने कई जिलों का दौरा किया और कागजातदेही के कार्य का निरीक्षण किया।

सब बातों को देखते हुए नक्शों की दशा सन्तोषजनक रही, यद्यपि उनमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता था। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि नक्शों को सुधारने के कार्य में पहिले से भी अधिक ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि खाद्यान्नों के वर्तमान बढ़े हुए मूल्यों और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के फलस्वरूप परती भूमि के कई भूखंडों (प्लाटों) मे खेती की जाने लगी है। इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले बनारस डिवीजन में दोबारा पैमाइश और कागजातों का संशोधन उस डिवीजन के नक्शों और कागजातों में सुधार करने का एकमात्र उपाय समझा गया, किन्तु राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा राज्य की भौमिक अधिकार प्रणाली (Land Tenure System) में प्रस्तावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष यह मामला स्थगित कर दिया गया।

१० पटवारी उम्मीदवारो के साथ-साथ ४० कानूनगो उम्मीदवार, जिन्हें नवम्बर, १९५० ई० में कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल म प्रविष्ट किया गया था, सितम्बर, १९५१ ई० की अंतिम परीक्षा में सफल हुए। पब्लिक

सर्विस कमीशन द्वारा ली गयी प्रतियोगिता परीक्षा तथा पटवारियों मे से चुनाव के आधार पर नवम्बर, १९५१ ई० में इतने ही उम्मीदवार कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती किये गये, तथापि बाद में सरकारी आदेश के अनुसार कुल संख्या बढ़ा कर ५१ कर दी गयी।

९—आराजी के क्षेत्र

१९५०-५१ (१३५८ फसली) में राज्य में जोतों के क्षेत्रफल म ६,३६,८९१ एकड़ की वृद्धि हुई और वह ४,४५,०९,६६२ एकड़ हो गया, अर्थात् उसमें १.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि खाद्यान्नों की महंगाई तथा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के कारण नौतोड़ भूमियों में भी खेती की गयी।

मुख्यतः मौरूसी अधिकारों के दिये जाने के कारण सीर का क्षेत्र ४२,३८,९२० एकड़ से घटकर ४२,२६,३८२ एकड़ रह गया। मुख्य रूप से जमींदारी प्रथा का विनाश निकट होने के कारण खुदकाश्त के अधीन कुल क्षेत्र ३१,६७,८९४ एकड़ से बढ़कर ३२,०९,९६२ एकड़ हो गया। साकितुलमिल्कियत काश्तकारों के अधीन क्षेत्र में ६,१९६ एकड़ की कमी हुई (अर्थात् ८,३८,८०६ एकड़ से ८,३२,६१० एकड़ हो गया)। यह कमी अंशतः काश्तकारों के बिना उत्तराधिकारियों के मर जाने और अंशतः उनके द्वारा जमीन के समर्पित कर दिये जाने के कारण हुई। दखीलकार काश्तकारों के अधीन कुल क्षेत्र १,०८,३२,०५० एकड से बढ़कर १,१०,५०,९४५ एकड़ हो गया। इसका मुख्य कारण बनारस, रामपुर तथा टेहरी–गढ़वाल की रियासतों के विलयन और अंतर्क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण है।

सीर तथा खुदकाश्त के क्षेत्रों के किसानों को उठाने और नौतोड़ भूमि में खेती किये जाने के परिणामस्वरूप मौरूसी काश्तकारों के अधीन क्षेत्र में २,५०,९१३ एकड़ की वृद्धि हुई (अर्थात् १,७८,६६,९६१ एकड़ से १,८१,१७,८७४ एकड़ हो गया)। गैरदखीलकार असामियों के अधीन क्षेत्र, नौतोड़ भूमि में खेती किये जाने के कारण, ४,११,६५२ एकड़ से बढ़कर ४,३०,६१३ एकड़ हो गया। जो क्षेत्र असामियों के पास मौरूसी थे उसमें भी ४३,०६९ एकड़ की वृद्धि हुई (अर्थात् ३,३३,६१५ एकड़ से ३,७६,६८४ एकड़ हो गया)। यह वृद्धि जमींदारो द्वारा जमीन को कम लगान पर उठाने के कारण हुई। बागदारों के क्षेत्रों में जो ६,१९६ एकड़ की वृद्धि हुई वह जमींदारो द्वारा नए पट्टे दिये जाने के कारण हुई।

लगान संबंधी माँग

मुख्यतः लगान पर उठाई हुई भूमि में वृद्धि होने के कारण नगदी लगान की माँग में २३.१९ लाख रुपये की वृद्धि हुई। एक बड़ी संख्या में बटाई लगानों को नकदी लगानों में बदलने के फलस्वरूप अनाज के रूप में लगान की माँग में ७६,८६६ रु० की कमी हुई। सायर उपज का मूल्य अधिक होने के कारण सायर के अधीन लगान की माँग में ६,४९,७९५ रु० की वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में लगान की कुल माँग में २८.९२ लाख रु० की वृद्धि हुई और वह १९,११,०५,२९६ रु० हो गई।

पिछले वर्ष के आँकड़ों की तुलना में इस वर्ष कुल वसूली म, जिसमें बकाया भी सम्मिलित ह, ४१,६८,३२३ रु० अर्थात् ४.४ प्रतिशत कमी हुई। इसका कारण अंशतः यह था कि पटवारियों के जमींदारी विनाश, जनगणना तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे रहने के कारण और अंशतः प्राप्तियों के सियाहों में पूरे तौर से सही आँकड़े देने में उदासीन रहने के कारण इंदराज न हो सके।

१०—सरकारी आस्थान

१९५१ ई० मे उत्तर प्रदेश में ५३० सरकारी आस्थान थे। इन आस्थानों में रामपुर तथा बनारस की भूतपूर्व रियासतों की सरकारी संपत्तियाँ भी सम्मिलित थीं।

कृषि सबंधी विकास

कृषि की दृष्टि से वर्ष संतोषजनक रहा, यद्यपि पाला पड़ जाने के कारण तराई तथा भाबर के सरकारी आस्थानों मे रबी की फसल और दूधी में फसलों को, जहाँ कि वर्षा कम हुई थी, क्षति पहुंची।

तराई और भावर में जूट तथा कपास की खेती प्रारम्भ की गई। ४५,००४ एकड़ क्षेत्र नये बसने वालों को दिये गये, जिनमे से अधिकांश ने खेती करनी प्रारंभ कर दी। ४,२५० एकड़ से अधिक भूमि राज्य ट्रैक्टरो से जोती गई और परती जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र निजी ट्रेक्टरों द्वारा, जिनकी संख्या १७५ थी, कृषि योग्य बनाया गया। फलस्वरूप जोती गई भूमि का क्षेत्र गत वर्ष के १,६४,७४९ एकड़ से बढ़ कर १,८५,७४१ एकड़ हो गया। रामपुर की भूतपूर्व रियासत का एक बड़ा क्षेत्र, जो कि बेकार पड़ा था, कृषि योग्य बनाया गया।

लगभग ६,८०० बीघे भूमि भू-हीन व्यक्तियो को गढ़वाल, भावर सरकारी आस्थान मे खेती करने के लिये दी गयी।

तराई तथा भावर सरकारी आस्थानों के बीज गोदाम ने कृषकों को १४,६९९ मन उन्नत प्रकार के बीजों की सप्लाई की। लगभग १,२९० मन उर्वरक और ६७६ कृषि संबंधी औजार भी कृषकों को रियायती दरो पर बेचे गये।

खेतिहरों को ३३,३२५ रु० के व्यय पर काँटेदार तार सप्लाई किये गये, ताकि वे जंगली जानवरो से अपने खेत की रक्षा कर सकें।

तराई और भावर मे जंगली हाथियों के उत्पात को दूर करने के लिये 'खेदा' कार्यवाहियाँ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था और इस संबंध मे उड़ीसा सरकार के एक वन पदाधिकारी की सेवायें प्राप्त की गयी।

उद्योग-धंधे

सरकार एक प्रशिक्षित कताई अध्यापक की देखरेख मे हल्द्वानी के ऊन-कताई केन्द्र को चलाती रही। कोटद्वार में भी एक निजी केन्द्र खोला गया, जिसने अच्छे प्रकार के बहुत से ऊनी-कम्बल तैयार किये। जनता को १ मन ऊन, ४ चर्खे और १२० तकलियाँ रियायती दरों पर बेची गईं। घरेलू उद्योग-धंधों, जिनमें फल संबर्द्धन तथा मधु-मक्खी पालन विशेष उल्लेखनीय हैं, के विकास के लिये भी कार्यवाहियां की गयीं।

यातायात, भवन, कुएं आदि

वर्ष मे एक पशु-चिकित्सा, आवासिक क्वार्टरों, कतिपय सड़कों, पुलियो तथा कुओं इत्यादि का निर्माण किया गया और भवनों तथा नहरों की मरम्मते की गईं।

घर और कुएं इत्यादि बनाने के लिये तराई तथा भावर सरकारी आस्थानों में खेतिहरों को या तो मुफ्त या रियायती दरों पर ३,७८८ रु० मूल्य का चूना सप्लाई किया गया।

इन आस्थानों मे एक ट्यूबवेल की बेधन क्रिया, जो गत वर्ष प्रारम्भ कर दी गयी थी, पूरी हो गयी और अन्य ट्यूबवेल का कार्य हाथ मे ले लिया गया।

वर्ष मे तीन पाताल-तोड़ कुओं का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। इसके अतिरिक्त हाथ के ६ नये पम्प लगाये गये और बहुत से पुराने पम्पों की मरम्मत की गयी।

दूधी सरकारी आस्थान में लगभग २०,४२८ रु० व्यय पर सात नई बन्धियां बनायी गयी। १७ बंधियों की मरम्मत भी की गयी। कुओं का निर्माण-कार्य चालू था और दूधी में आवासिक गृहों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

पानी की सप्लाई

गढ़वाल-भावर आस्थान में पीने के पानी की कमी को देखते हुए १६,००० रु० की तखमीनी लागत पर तल्ला-सुखरों में पानी की सप्लाई के लिये एक योजना स्वीकृत की गई।

शिक्षा

तराई तथा भावर सरकारी आस्थानो मे ११२ स्कूल थे। इन शिक्षा संस्थाओं की दशा सामान्य रूप से सतोषजनक रही। विद्यार्थियो की संख्या गत वर्ष की ४,६३६ की अपेक्षा ४,०७४ थी।

स्वास्थ्य

मलेरिया रोकने के लिये उपनिवेशन विभाग के मलेरिया-निरोधक यूनिटों, विश्व-स्वास्थ्य संगठन मलेरिया-नियंत्रण प्रदर्शन टीम और आस्थानों के जन-स्वास्थ्य कर्मचारिवर्ग द्वारा आस्थान भर में प्रगाढ़ एवं व्यापक रूप से आन्दोलन चलाये गये। किछा की मलेरिया-निरोधक यूनिट ने २५ प्रतिशत डी० डी० टी० से २,५७,०६,३०४ वर्ग फीट क्षेत्र मे छिड़काव किया। विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-मलेरिया नियंत्रण प्रदर्शन टीम ने २१,०३९ घरो के आँगन या उसके आसपास के क्षेत्र के ४७,३६,५३१ वर्ग मीटर में टेक्निकल ग्रेड की डी० डी० टी० छिड़का, जिसमें शत प्रतिशत या तो घुलनशील पाउडर के रूप मे प्रयोग किया गया या केन्द्रीभूत द्रवपदार्थ के रूप में। इस टीम ने १,५०० वर्ग मील मे आबाद १,१०० गाँवो की सेवा की, जिनकी जनसंख्या १,३०,००० से लेकर १,४०,००० तक थी।

दूधी में चेचक के कारण ३७ मौतें हुईं। अन्य स्थानों मे चेचक की बीमारी छुट-पुट थी, किन्तु समय से टीका लग जाने के कारण बीमारी का फैलना बन्द हो गया। गढवाल-भावर मे महामारी के रूप मे हैजा फैला, जिसके फलस्वरूप ७६ मौतें हुईं, किन्तु प्रभावपूर्ण हैजा-निरोधक उपायो द्वारा उसे शीघ्रता से वश में कर लिया गया।

११—कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन आस्थान

कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबंध में आस्थान

इस वर्ष ऐसे आस्थानों की संख्या, जिनका प्रबंध कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन था, १६४ थी, जबकि गत वर्ष उनकी संख्या १६० थी। वर्ष के दौरान में जो आस्थान मुक्त किए गए थे उनमें काँथ आस्थान (मुरादाबाद) सबसे बड़ा आस्थान था और उसकी कुल आमदनी १.११ लाख रु० थी और जो आस्थान कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा हाथ मे लिए गए थे उनमें केवल कुरवार आस्थान (सुल्तानपुर) महत्वपूर्ण था। इसकी कुल आमदनी १.१६ लाख रुपये थी और यह आस्थान रानी भुवनेश्वरी देवी द्वारा कोर्ट आफ वार्ड्स की धारा १० के अंतर्गत प्रार्थना किए जाने पर लिया गया था। यह आस्थान ऋण-परिशोध-क्षम (solvent) था।

वसूलियाँ

आलोच्य वर्ष में चालू वर्ष के लगान तथा सायर की माँग की वाजिबुलअदा शुद्ध धनराशि पिछले वर्ष के ६४.१५ लाख रुपये से बढ़कर ६६.१२ लाख रु० हो गई। चालू वर्ष की तथा बकाये की दोनो प्रकार की माँगो की कुल वसूलियाँ ६७.६६ प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष १००.०५ प्रतिशत वसूली हुई थी। प्रतिशत मे कमी का कारण यह था कि वर्ष के दौरान मे मुक्त किए गए आस्थानो

के संबंध में माँग तो पूरे वर्ष भर के हिसाब में शामिल कर ली गई थी, परन्तु वसूलियाँ केवल आस्थानों के मुक्त किए जाने वाली तिथि तक ही हिसाब में शामिल की गई थी।

प्रबंध सम्बन्धी व्यय

मालगुजारी, करों (Rates) और अबवाब के सरकारी मुतालबे, जिसकी धनराशि ३४.७ लाख रु० थी, पूरे पूरे वसूल हो गए। इस वर्ष प्रबंध-सम्बन्धी व्यय १५.४० प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह १५.३८ प्रतिशत था।

सुधार कार्य

संरक्षितों और उनके आश्रितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता रहा। जमींदारी प्रथा का विनाश निकट ही समझकर संरक्षितों को अपनी काश्त शुरू करने तथा उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस काम में सुविधा देने के अभिप्राय से उनमें से कई व्यक्तियों के लिए ट्रैक्टर खरीदे गए। यह एक प्रसन्नता की बात है कि उनमें से अनेक व्यक्ति बहुत ही तत्परता के साथ खेती करने लगे।

संरक्षितों तथा उनके आश्रितों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया गया। ऋण चुकाने की योजनाओं के अनुसार ऋण चुकाने के लिए किस्तें दी गईं। कृषि संबंधी सुधार कार्यों तथा जन हितकारी कार्यों पर एक अच्छी धनराशि व्यय की गई। माल और दीवानी के मुकदमों की संख्या कम रही।

लेखा-परीक्षा

इस वर्ष कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन सभी आस्थानों के लेखों की जाँच की गई। सामान्यतः उन्हें संतोषजनक पाया गया। कुछ मामलों में, जिनमें अनियमितताएं पाई गईं, उससे संबंधित व्यक्तियों के साथ उचित कार्रवाई की गई और इस दृष्टि से कार्यवाहियाँ की गईं कि उक्त प्रकार की अनियमितताएं दुबारा न हो सकें।

१२—माल की अदालतें

क़ब्जा आराजी संबंधी मुकदमे

राज्य में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन दायर किए गए मुकदमों की संख्या १९५० ई० की संख्या ३,४९,३३४ से कुछ बढ़कर १९५१ ई० में ३,५०,२६५ हो गई। विविध मुकदमों की संख्या १,०६,२८५ से बढ़कर १,१०,६८६ हो गई। बकाया लगान के लिए दायर किए गए मुकदमों की संख्या भी १,०६,६७० से कुछ बढ़कर १,०८,२५७ हो गई। बेदखली की नालिशों की संख्या ६०,२८१ से घटकर ५१,८०९ रह गई। जिन मुक़दमों में बेदखली की आज्ञाएं दी गई थी उनकी संख्या १५,४६९ से बढ़कर २३,०६० तक हो गई और जिस क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा वह १६,३१५ एकड़ से बढ़ कर १९,३५३ एकड़ हो गया

टेनेन्सी ऐक्ट के आरम्भिक मुक़दमों का निपटारा

वर्ष के प्रारम्भ में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन कुल मिलाकर ५,०८,५३७ नालिशें और प्रार्थना-पत्र निर्णय के लिए थे और वर्ष भर में इनमें से ३,५६,७९९ मुक़दमों का निपटारा किया गया।

दाखिल-खारिज

उत्तर प्रदेश में हक मालिकाना के संबंध में दर्ज किए गए दाखिलखारिज के मुकदमों की कुल संख्या १,४२,५७४ से कुछ बढ़कर १,४३,३२८ हो गई। केवल उत्तराधिकार संबंधी मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई और वह १,०६,७९१ से बढ़कर १,१५,४७० हो गई। भूमि छुड़ाने (redemption) के मुक़दमों की संख्या ८,९४३ से घटकर ७,३१८ रह गई और वैयक्तिक हस्तांतरण (private transfer) के मुकदमों की संख्या ९,७९६ से घटकर ५,४६४ रह गई। अन्य सभी प्रकार के मुक़दमों की संख्या १०,४८६ से घटकर ९,४४९ हो गई।

इस वर्ष बंटवारा संबंधी प्रार्थना-पत्रों की संख्या ३४७ थी, जिनमें से ४ पूरे बंटवारे और ३४३ अधूरे बंटवारे के संबंध में थे। १९५० ई० के उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश संबंधी अधिनियम [U. P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) (Amendment) and Miscelleneous Provisions Act of 1950] की धारा १० के अधीन कार्यवाहियाँ स्थगित रहीं।

बंटवारा

यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अंतर्गत कलेक्टरों की अदालतों में की गई अपीलों की संख्या ३,८९० से बढ़कर ४,२३० हो गई। निर्णय के लिए अपीलों की कुल संख्या ५,७७० थी, जिनमें से ४,३०४ निर्णय की गई और ४२५ ऐसी अपीलों को मिलाकर, जो ३ महीने से अधिक पुरानी थीं, कुल १,४६६ अपीलें शेष रह गईं।

अपीलें और पुनरीक्षण (नजरसानी)

यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अंतर्गत कमिश्नरों द्वारा फैसला की जाने वाली अपीलों की संख्या २९,०५० से बढ़कर ३२,५२५ हो गई। इनमें से १५,७५९ अपीलों पर निर्णय हुआ और वर्ष के अंत में १८,७६२ विचाराधीन अपीलें (जिनमें ४ संक्रमित की गईं अपीलें सम्मिलित नहीं हैं) शेष रह गईं। ४१·१ प्रतिशत अपीलों के संबंध में नीचे की अदालतों के निर्णय या तो उलट दिए गए या उनमें संशोधन किया गया या उन्हें नीचे की अदालतों में वापस भेज दिया गया। यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अंतर्गत कमिश्नरों द्वारा फैसला की जाने वाली अपीलों की संख्या १,६१० थी, जिनमें से ८५६ का निर्णय किया गया और वर्ष के अंत में ७५४ विचाराधीन अपीलें शेष रह गईं। माल-बोर्ड में ६,६८१ अपीलों और पुनरीक्षण के मामले निर्णय किये गये और वर्ष के अंत में ११,६८३ अपीलें विचाराधीन रह गईं।

रानीखेत (जिला अल्मोड़ा) के आनरेरी असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत को छोड़कर राज्य के आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टरों की अन्य सभी अदालतों ने १ अप्रैल, १९४७ ई० से काम करना बंद कर दिया था। इस वर्ष केवल एक आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर रानीखेत में कार्य करता रहा और उसने २९३ मुक़दमों का निर्णय किया।

आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर

अध्याय ३—शांति—व्यवस्था तथा स्वायत्त शासन

१३—विधि निर्माण—क्रम

उत्तर प्रदेशीय विधान मंडल ने बहुत से बिल पारित किये जो गवर्नर महोदय या राष्ट्रपति महोदय द्वारा, जैसा कि क़ानून द्वारा अपेक्षित है, स्वीकृत किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयक बन गये :—

(१) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ ई०)।

(२) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन (State Road Transport) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २, १९५१ ई०)।

(३) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३, १९५१ ई०)।

(४) १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कॉस्टीटयूशन) (कार्यवाही वैधीकरण) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ४, १९५१ ई०)।

(५) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटियो का (अनुपूरक) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५१ ई०)।

(६) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, १९५१ ई०)।

(७) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ७, १९५१ ई०)।

(८) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५१ ई०)।

(९) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ९, १९५१ ई०)।

(१०) मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम स० १०, १९५१ ई०)।

(११) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश मेन्टेनेन्स आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट का (निवर्तन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ११, १९५१ ई०)।

(१२) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १२, १९५१ ई०)।

(१३) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १३, १९५१ ई०)।

(१४) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक और वैधीकरण) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १५, १९५१ ई०)।

(१५) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १४, १९५१ ई०)।

(१६) उत्तर प्रदेश शर्क्कर और चालक मद्यसार उद्योग, श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, १९५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १६, १९५१ ई०)।

(१७) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (अमेन्डमेंट) विधान, १९५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १७, १९५१ ई०)।

(१८) १९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १८, १९५१ ई०)।

(१९) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १९, १९५१ ई०)।

(२०) उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २०, १९५१ ई०)।

(२१) रामपुर में बेदखली के वाद और व्यवहार रोकने का अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २१, १९५१ ई०) ।

(२२) उत्तर प्रदेश कॉस उन्मूलन अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २२, १९५१ ई०)।

(२३) उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २३, १९५१ ई०)।

(२४) उत्तर प्रदेश विनियोग पूरक अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २४, १९५१ ई०) ।

(२५) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २५, १९५१ ई०) ।

(२६) उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २६, १९५१ ई०) ।

(२७) उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन और विविध उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २७, १९५१ ई०) ।

(२८) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २८, १९५१ ई०)

(२९) रेलिजस एन्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २९, १९५१ ई०) ।

(३०) उत्तर प्रदेश जरे चहारुम विनाश अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३०, १९५१ ई०) ।

(३१) उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजिशन (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३१, १९५१ ई०) ।

(३२) दूधी राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धारक अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३२, १९५१ ई०) ।

(३३) उत्तर प्रदेश शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) का संशोधक अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३३, १९५१ ई०) ।

(३४) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ् (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३४, १९५१ ई०) ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने उत्तर प्रदेश चिल्ड्रेन बिल, १९५० ई० भी पारित किया। वर्ष समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देंगे ।

उस अवधि में, जबकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, राज्यपाल महोदय ने नीचे दिये गये अध्यादेश प्रख्यापित किये :—

(१) उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९५१ ई०) ।

(२) रामपुर में बेदखली के बाद और व्यवहार रोकने का अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५१ ई०)।

(३) उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ३, १९५१ ई०)।

(४) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ४, १९५१ ई०)।

१४—गृह

(क) पुलिस

शान्ति और व्यवस्था

कुछ घटनाओं को छोडकर, जिनमें कि अप्रैल, १९५१ ई० में झांसी शहर मे छ दंगा-फसाद, बाराबकी और बहराइच जिलो में मुहर्रम के त्योहार पर व बरेली जिले में होली के अवसर पर छोटे-मोटे साम्प्रदायिक झगड़ शामिल हैं, बाकी राज्य भर में लगभग पूरे साल शान्ति और व्यवस्था सन्तोषजनक रही।

जुर्म (अपराध)

बिगड़ी हुई आर्थिक दशाओ तथा गुंडे-बदमाशो की हरकतों के कारण कठिनाइयों के होते हुये भी सामान्यतया अपराध सम्बन्धी स्थिति पर नियन्त्रण रहा।

पिछले वर्ष की सुधरी स्थिति ही नही कायम रक्खी गई (जबकि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से जुर्म के आंकड़े सबसे कम रहे), बल्कि ऐसे सच्चे मामलों की संख्या में वास्तव मे कमी हुई, जो पुलिस को रिपोर्ट किये गये। उन दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े ये हैं :—

वर्ष	डकैतियां (जिनमें वे डकैतियां शामिल हैं जिनमे हत्यायें भी हुईं)।	लूटमार	हत्यायें	दंगे	नकबजनी
१९५० ..	८७९	५७५	१,६०४	३,७३८	२४,७६२
१९५१ ..	८१७	५४४	१,५६९	३,३८२	२१,८८०

डकैत-गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई

आलोच्य वर्ष में डकैतों के बहुत से गिरोहो का नाश किया गया। इनमें से कुख्यात गिरोह ये थे :—जिला आगरा में चरना का गिरोह, मेरठ मे छुट्टन कहार, नजरू रंगार, हुकुम सिंह और देवी सिंह; बुलन्दशहर मे जहांगीरी; बदायूं में नब्बू और जालिम; नैनीताल में मजहीर; बदायूं में डुंगर कहार, मुरादाबाद में मोहन खांगी; इटावा में बाबू दिल्ली वाला; कानपुर में मस्तान शाह, फर्रुखाबाद

में सोने लाल, प्रतापगढ में हुबलाल पासी, आजमगढ़ मे काशी चमार और गोरखपुर मे वस्मीनाथ के गिरोह। चरना के गिरोह से पुलिस की ७२ घंटे मुठभेड हुई, जिसमे ११ डाकू मारे गये और चार रायफिलें तथा ६ बन्दूकें पकड़ी गईं। राय सिक्खों और वीर्क सिक्खो का अन्तर्राज्य गिरोह, जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, बुलन्दशहर और मथुरा मे उधम मचाये हुये था, उसे भी पुलिस ने तहस-नहस कर दिया। पंजाब के इस गिरोह के लोग बडे दिलेर और अमानुषिक थे।

इन विभिन्न गिरोहों का मुकाबिला करने में पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर, प्राविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के एक कम्पनी कमान्डर तथा ८ कांस्टेबुलों की मृत्यु हुई (जिनमे से एक चरना के गिरोह का सामना करते समय मारा गया था)।

गांव वालों में नया जोश

इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो ने डाकुओ तथा अपराधियों का मुकाबला करने मे बड़ी सहायता की। इसके भी स्पष्ट प्रमाण मिले कि उनमें आत्म-विश्वास की भावना बढ़ रही है।

जिला कार्यकारी दल

कुछ बड़े जिलो में अभियोग शाखा के संगठन तथा वाच एेण्ड वार्ड अमले से तफतीश करने वाले अमले को अलग करने का कार्य पूरा किया गया। स्काटलैंड (इगलैंड) की तरह लखनऊ और कानपुर मे इन्फार्मेशन रूम्स खोले गये और सब जिलो में डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेकार्ड सेक्शन कायम किये गये।

अपराध तफतीश विभाग

आलोच्य वर्ष मे अपराध तफतीश शाखा ने दो सौ इकतीस मामले हाथ में लिये और ९० प्रतिशत मामलो में कामयाबी प्राप्त की। इनमें से खास-खास मामले-ये थे :—

इलाहाबाद बैंक को धोखा देने का मामला जिसमें हाई कोर्ट ने ५ वर्ष की सख्त सजा और २४,००० रु० का जुर्माना कायम रक्खा; बनारस की १५ तेल की मिलो के मामले, जिसमें अभियुक्तों को सजाएं दी गईं और कुल ४,७६,००० रु० का जुर्माना किया गया; औरतों का व्यापार करने के अन्तर्राज्य मामले (उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास), जिनमें ८ व्यक्तियो को लम्बी सजाएं दी गईं और जुर्माना किया गया और रेल हत्या कांड (१२ डाउन) जिसमें अभियुक्त को सेशन अदालत ने सजा दी।

फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो और साइंटिफिक सेक्शन में काम बहुत बढ़ गया। फायर आर्म सेक्शन मे जिन चीजो की जांच की गई उनकी संख्या १९५० ई० की ९०९ से बढ़ कर १९५१ ई० में २,०७८, क्वेश्चन्ड डाकूमेन्ट सेक्शन में ९६० से ४,८९३ और फोटोग्रैफिक सेक्शन में ५,४५६ से ७,६६३ हो गई। व्यक्तिगत लोगों का या ऐसे विभागो का काम करने, जिन्हें फीस देनी पडती है, से होन वाली इस विभाग की आय भी बढ़ गई। फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो और फोटोग्रैफिक सेक्शन की क्रमशः ८,८३३ रु० और ६,२८५ रु० आलोच्य वर्ष मे आमदनी हुई।

अपराध तफतीश विभाग के मुख्यालय में स्पेशल ब्रांच (विशेष शाखा) के अफसरो और कर्मचारियो के लिये तथा जिलो के तफतीश करने वाले अफसरो और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेकार्ड सेक्शन के इन्चार्ज सब-इंस्पेक्टरो के लिये ट्रेनिंग के कोर्सों का संगठन किया गया। प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के विचार से सब पाठ्य-विषयों का पाठ्यक्रम भी संशोधित किया गया।

प्राविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी

वर्ष के आरम्भ में पी० ए० सी० की ७७ कम्पनियां थी, जिनमें से १७ उत्तर प्रदेश के बाहर ड्यूटी दे रही थीं। वर्ष के अन्त मे कम्पनियो की संख्या ७१ थी और इनमें से पांच उत्तर प्रदेश के बाहर (हैदराबाद) रही थी। पी० ए० सी० के दल, जो अन्य राज्यो को दिये गये थे, के कार्य और आचरण की बड़ी सराहना की गई। विभिन्न राज्यो के उच्च अधिकारियो का एक बोर्ड, जो अगस्त, १९५१ ई० मे हैदराबाद, गया उसकी राय में पी० ए० सी० का कार्य देश के दूसरे ऐसे ही दलो के लिये आदर्श रूप था।

आलोच्य वर्ष मे ५० कम्पनियो की आठ बटालियने स्थायी कर दी गईं।

बेतार के तार का उप-विभाग (वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन)

अप्रेन्टिसो की दो बैचों की ट्रेनिंग समाप्त होने से बेतार के तार के उपविभाग (वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन) के लोगो की संख्या पिछले वर्ष की ६०४ से बढ कर ६४६ हो गई। परन्तु सेक्शन की स्वीकृत संख्या ७९० थी। ५२ आपरेटरो को उच्च श्रेणी का पाठ्य-क्रम पढाया गया।

सेक्शन द्वारा भेजे गये सन्देशो की १९५० ई० की संख्या ३,६९,९६५ से बढ कर ३,७९,५४९ हो गई।

प्रान्तीय रक्षक दल

प्रान्तीय रक्षक दल ने उपयोगी सहायता कार्य किया और गावो मे डकैतों का संगठित रूप से सामना करने मे विशेष रूप से भाग लिया। पुनस्संगठन के पश्चात् इस दल ने विकास सम्बन्धी कार्यवाहियो में भाग लिया और विभिन्न विकास योजनाओ के चलाने के लिये जिले के समस्त कर्मचारिवर्ग के साथ-साथ काम किया।

विविध

पुलिस कर्मचारी रचनात्मक कार्यों मे बराबर हाथ बटाते रहे, जैसे अपने विभाग की इमारतो की मामूली मरम्मत, पेड़ लगाना आदि। उन्होने बहुत सी जगहो में पलस्तर लगाने, पोताई करने और खपरैलो को ठीक करने का कार्य किया और पुलिस लाइनो और थाने के कम्पाउन्डो में हजारो की संख्या मे फल और छायादार पेड लगाये।

(ख) फौजदारी

फौजदारी के मामलों का निपटाया जाना

फौजदारी मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिये मैजिस्ट्रेटो को अनुदेश जारी किये गये। उनसे निवेदन किया गया कि वे सेशन्स की अदालत में मुकदमा भेजने के पूर्व समस्त सबूत पक्ष के गवाहो (prosecution witnesses) की साक्ष्य अभिलिखित कर ले और विशेष परिस्थितियो मे कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (दण्ड विधि संहिता) की धारा २१९ के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित कर ले। मैजिस्ट्रटों से यह भी कहा गया कि वे सप्ताह में कुछ दिन किसी विशेष थाने या थानो के मुकदमो के काम (case work) के लिये नियत कर दें, जिससे प्रभारी (इन्चार्ज) सब-इन्स्पेक्टर बुलाये गये सब गवाहो को उस दिन अदालत मे ला सकें और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाय कि सभी गवाह निश्चित दिन पर अपनी गवाही देने के लिये उपस्थित हो जायं। सरकारी नौकरो विशेषतः मैजिस्ट्रटों और पुलिस अधिकारियों के गवाही के लिये नियत तारीख पर उपस्थित होने की वांछनीयता पर पुनः जोर दिया गया।

सब-रजिस्ट्रार, मैजिस्ट्रेट और अवैतनिक मैजिस्ट्रेट

वह योजना, जिसके अधीन योग्य सब-रजिस्ट्रारो को फौजदारी मुकदमो को निपटाने के सम्बन्ध में दूसरी श्रेणी के मैजिस्ट्रट के अधिकार प्रदान किये गये थे, उपयोगी सिद्ध हुई और उसे इस वर्ष बढ़ाया गया। कुछ जिलों में फौजदारी मुकदमों को निपटाने के लिये अतिरिक्त अवैतनिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये।

१९५१ का कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) ऐक्ट, जिसके द्वारा कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा ४९८ तथा ५२८ का संशोधन किया गया है, इस वर्ष पारित किया गया। जमानत के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में सेशन जज द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अभी तक किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रयोग नही किये जा सकते थे और चूंकि कई सेशन जज कुछ जिला के सदर मुकामो (हेडक्वार्टर्स) मे स्थायी रूप मे अपना इजलास नहीं लगा सके, इसलिये इन जिलो के मुकदमा लड़ने वालों को काफी असुविधा उठानी पडी। संशोधित धारा ४९८ के अधीन अतिरिक्त सेशन जजो और सहायक सेशन जजो को जमानत के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध मे सेशन जज के अधिकारो का प्रयोग करने का प्राधिकार देकर मुकदमा लड़ने वालो को सुविधा दी गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ५२८ मे किये गये संशोधन से सेशन जज को सेशन डिवीजन के अतिरिक्त जजों की अदालतों से किसी भी मुकदमे या अपील को डिवीजन मे कार्य-वितरण का उपर्युक्त प्रबन्ध करने के उद्देश्य से लेने या उनका प्रत्यावर्तन करने का अधिकार मिल गया। अब तक वह उन्ही मुकदमो या अपीलों को वापस ले सकता था या उनका प्रत्यावर्तन कर सकता था जिन्हे उसने स्वयं अतिरिक्त सेशन जज के सुपुर्द किया हो।

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (दण्ड विधि संहिता का संशोधन

पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ की धारा ३ और ४ बस्ती, हमीरपुर, आगरा, झांसी, बांदा, इटावा और रामपुर जिलो के कुछ क्षेत्रो मे भी लागू की गई। उक्त ऐक्ट की धारा ३, ११, १३—क और १४, १६ मथुरा और जालौन जिलो के कुछ क्षेत्रो मे लागू की गई।

१८६७ ई० का पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट

रेलगाडियो मे बिना टिकट यात्रा करने की रोकथाम योजना का कार्य संतोषजनक ढंग से होता रहा और इस वर्ष यह योजना और व्यापक बनाई गई।

बिना टिकट रेलयात्रा करने की रोकथाम

(ग) जेल

जेल के कैदियो की प्रतिदिन की औसत संख्या में थोड़ी कमी हुई और आलोच्य वर्ष में यह संख्या २९,०६४ थी। पहली जनवरी, १९५१ ई० को कैदियों की संख्या ३०,३२२ थी और ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० को २९,२८३। कैदियों में अनुशासन और उनके स्वास्थ्य की दशा वर्ष भर संतोषजनक रही।

कैदियों की संख्या, स्वास्थ्य और अनुशासन

वर्ष में कई महत्वपूर्ण सुधार किये गये और कैदियों को नई सुविधायें प्रदान की गईं। नवजवान कैदियों को जुवनाइल (अल्पवयस्क) जेल, बरेली तथा रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल, लखनऊ में भेजने के नियमो में संशोधन किया गया। देहरादून, बदायूं, रायबरेली और सेन्ट्रल जेल, नैनी में रेडियो लगाये गये। उच्च श्रेणी की महिला कैदियों के साथ हिरासत में रखे गये बच्चों के भोजन के परिमाण मे संशोधन किया गया और चावल के भोजन में नमक का परिमाण बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के जेलो में कैदियों और कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त छुट्टियां मन्जूर की गयी :—

सुधार

बारावफात, शिवरात्रि, राम-नवमी, जन्माष्टमी और जन-तन्त्र दिवस।

वित्तीय संकट और व्यय में कमी करने के कारण इमारत बनाने के कार्य-क्रम में कमी की गई। कर्मचारियों के कई क्वार्टरों तथा तीन सुपरिन्टेन्डेन्टों के बंगलो में सुधार और परिवर्तन किये गये। कुछ क्वार्टर और एक

इमारतें बिजली और पानी

रसोईघर बनाया गया और एक जेल मे एक बगीचे की कच्ची चहारदीवारी को पक्का किया गया। एक दूसरे जेल मे मुख्य दीवाल की ऊंचाई में वृद्धि की गई।

एक जेल मे एलेक्ट्रिक मोटर पम्प लगाया गया और एक दूसरे जेल में एक नया कुआं खोदा गया। लखनऊ मे आदर्श जेल तथा जिला जेल में दो ट्यूबवेल बनाये गये। तीन जेलों में बिजली दी गई और १२ क्वार्टरों में भी बिजली लगाई गई।

जेल उद्योग

जेल के उद्योगो मे कुछ विकास हुआ और जनता में बिक्री के लिये अधिक सामान तैयार करने के विचार से जेल के अधिक कैदियो को काम पर लगाया गया। समय से ऊन के न मिलने के कारण कम्बल बनाने के काम में बाधा पड़ी। मूंज घास के आयात तथा सूत के प्राप्त करने में भी थोड़ी कठिनाई हुई।

जेल में खेती

मौसम के अनुकूल न होने के कारण रबी और खरीफ दोनों फसलो को नुकसान हुआ। बाहर काम करने वाले कैदियों की कमी बनी रही, तथापि जेल के बगीचो का इन्तजाम ठीक से होता रहा।

११ जिलो में कृषि फार्म की स्वीकृति दी गई।

सुधार और पुनर्वास सम्बन्धी कार्य

रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल तथा जुवेनाइल (अल्पवयस्क) जेल की प्रतिदिन की औसत आबादी क्रम से ७१ और ११८ थी। जुवेनाइल (अल्पवयस्क) जेल के २९ लड़को को बाहर कार्य करने की सुविधा दी गई थी और वर्ष मे उन्होने ६,९७१ रु० १३ आना पैदा किया। जुवेनाइल (अल्पवयस्क) जेल के १४ तथा रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल के ८९ लड़कों ने विभिन्न उद्योगो मे अर्हता (qualification) प्राप्त की। उन्होंने क्रम से २,३८९ रु० ९ आना ६ पाई तथा ५,६१९ रुपया ७ आना ६ पाई पैदा किया। रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल के लड़को ने स्कूल के बाहर बन्ड बजाकर के १६० रु० कमाया।

ट्रेनिंग

जेल के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल को यू० एन० ओ० की फेलोशिप मिली और वे ६ महीने की ट्रेनिंग के लिये इगलैन्ड गये। जेल ट्रेनिंग स्कूल के १९५१-५२ के सेशन मे ४ डिप्टी-जेलर तथा ४० वार्डर ट्रेनिंग के लिये भेजे गये। विभिन्न राज्यो के ९ बाहरी कैडेटो को भी ट्रेनिंग के लिये दाखिल किया गया। कई प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ, जिनमें यू० एन० ओ० के डाक्टर वाल्टर सी० रेकलेस भी सम्मिलित है, स्कूल मे आये। डाक्टर वाल्टर सी० रेकलेस अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ है और उन्होंने विभिन्न विषयो पर व्याख्यान दिया। इन व्याख्यानो को विभिन्न राज्यों के अधिकारियो ने भी सुना।

स्थापना

कम्पाउन्डरो के कैडर को २९ से बढ़ाकर ५१ कर दिया गया। सेन्ट्रल जेलों में हेडवार्डर के पदों को चुनाव द्वारा भर्ती का पद घोषित किया गया और जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल को इन पदो की नियुक्ति के सम्बन्ध मे नियुक्ति अधिकारी बनाया गया।

कुछ जेलो में नाटक खले गय, प्रदर्शनियां सगठित की गईं और सिनेमा दिखाये गये। सेंट्रल जेल, नैनी और जिला जेल, फतेहगढ़ तथा उन्नाव में कैदियो के लिये कैन्टीन खोले गये।

१५---हरिजन उत्थान तथा पुनरुद्धार

शिक्षा

१९५१ ई० में हरिजन सहायक विभाग की कार्यवाहियो में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियो के पिछड़े हुए वर्गों तथा मोमिन मे शिक्षा प्रसार के लिये ३० लाख की धनराशि खर्च हुई थी, जब कि गत वर्ष इसके लिये १७ लाख रुपये खर्च किये गये थे। वर्तमान सुविधाये, जिनमे फीस माफ करने तथा छात्र-वेतनों की व्यवस्था सम्मिलित थीं, दी जाती रही। एक विशेष बात यह थी कि डिग्री तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियो को छात्र-वेतन दिये गये। आलोच्य वर्ष में १,३३६ विद्यार्थियों (हरिजन ७००, पिछड वर्गों के सदस्य ६३६) को इन्टरमीडियेट डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओ मे छात्र-वेतन दिये गये। इन कक्षाओ मे अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को क्रमशः ७०,५२० रु० तथा ३१,५९२ रु० तक की अनावर्तक सहायता दी गई। प्रारंभिक कक्षाओ, जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल कक्षाओ में बहुत से छात्र-वेतन दिये गये और उनके अतिरिक्त ४७,९२० रु० की अनावर्तक सहायता भी दी गई।

हरिजनो के लिये लडको तथा लड़कियों की रात्रि तथा दिन की पाठ-शालाओं, छात्रावासो, पुस्तकालयों आदि को सदा की भाति विभाग से सहायक अनुदान मिले और आलोच्य वर्ष मे उनकी संख्या ३४५ से बढकर ३८४ हो गई। प्रत्येक पुस्तकालय को पुस्तकें खरीदने के लिये २०० रु० का अनुदान दिया गया।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधा के कारण प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल की कक्षाओं में विद्यार्थियो की संख्या बहुत जल्दी बढ़ गई। विश्व-विद्यालय मे भी उनकी संख्या १९५१ ई० में ६८८ हो गई, जबकि १९५० ई० में केवल ४८४ थी।

शिल्प सम्बन्धी प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग या रिसेटिलमेंट तथा इम्पलायमेंट डायरेक्टरेट द्वारा संचालित विभाग के विभिन्न व्यावसायिक तथा शिल्प शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओ में ८०० विद्यार्थियों को छात्र-वेतन मिलता था। ये छात्र-वेतन कारीगरो के छोटे दर्जों के ८ रु० प्रतिमास से लेकर कुछ उच्च श्रेणी के टेक्निकल ट्रेनिगों के लिये १२५ रु० मास तक है। विभाग के टेक्निकल ऐन्ड वोकेशनल ट्रेनिग सेंटर, बक्शी का तालाब (लखनऊ जिला) में ८६ लड़को को ९ कलाओ में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस केन्द्र पर ४० रु० प्रतिमास छात्र-वेतन दिया जाता था तथा निःशुल्क निवास-स्थान की भी व्यवस्था थी। एक हरिजन विद्यार्थी को अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये राज्य सहायता दी गई।

सफाई, पानी की व्यवस्था इत्यादि

वर्ष के दौरान में सफ़ाई इत्यादि की अच्छी व्यवस्था के लिये प्राप्त ३·७ लाख रुपयों के उपयोग का प्रबन्ध किया गया। विभाग ने इस धनराशि में से २०,००० रु० सीधे हरिजनों की बस्तियों में कुएं बनवाने तथा उनकी मरम्मत कराने में व्यय किया और २.७ लाख रुपया ४७ जिलो की जिला नियोजन समितियों को इसी उद्देश्य से व्यय करने के लिये दिया गया। वर्ष में पानी पीने के लिये बनाये गये कुओं की संख्या ५,२४९ और मरम्मत किये गये कुओं की संख्या ९,६४७ थी। ६०,००० रु० की एक दूसरी धनराशि फैजाबाद,

गोरखपुर, बिजनौर, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, आजमगढ, बलिया, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ तथा नैनीताल नामक १४ जिलो को हरिजनो के लिये घर बनवाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिये दिया गया। इसमें वह सहायता भी सम्मिलित है जो उन हरिजनों को दी गई थी जिनके घर अग्नि तथा बाढ जैसी आपदाओ मे नष्ट हो गये थे। बलिया में हरिजनो के क्वार्टरों के निर्माण के लिये अंशदान के रूप में वहां के म्यूनिसिपल बोर्ड को १०,००० रु० की धनराशि दी गई। इटावा मे सामुदायिक केन्द्र के विकास के लिये ३०० रु० का अनुदान भी दिया गया।

छूत-छात का उन्मूलन

हरिजनो के साथ अच्छा व्यवहार हो, इस सम्बन्ध मे जिला हरिजन सहायक उप-समितियों ने बडा कार्य किया। सरकार ने इन समितियो को ५०,००० रु० की धनराशि दी, जिससे कि वे कल्याण-कार्य पर अपने खर्च को पूरा कर सकें। विज्ञापन-पत्रों, सिनेमा स्लाइडों, समाचार-पत्रो में विज्ञापनों तथा प्रदर्शनियों और मेलों मे विशिष्ट दूकानो द्वारा छूत-छात उन्मूलित करने तथा हरिजनो को दूसरे नागरिको के समान सामाजिक दर्जा देने की आवश्यकता पर जनता को शिक्षा देने के प्रयत्न किये गये। यू० पी० रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट, १९४७ को कार्यान्वित करने पर भी जोर दिया गया।

दूसरी एजेन्सियो द्वारा कार्य

कई गैरसरकारी संस्थाओ को आर्थिक सहायता दी गई जिससे वे हरिजन-उत्थान सम्बन्धी कार्य कर सके। इनमे हरिजन आश्रम, इलाहाबाद; सरवेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, इलाहाबाद तथा कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल, कौसानी (अल्मोड़ा) सम्मिलित है। स्वर्गीय मुंशी ईश्वर शरण द्वारा संस्थापित हरिजन आश्रम, हरिजनो के लिये एक अस्पताल, एक औद्योगिक स्कूल, एक हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा एक छात्रावास चलता रहा और उनको २७,००० रु० का अनुदान दिया गया। सरवेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी ने जिला मिर्जापुर के दूधी क्षेत्र मे बसने वाली आदि वासी जातियो मे शिक्षा प्रसार के लिये २२ स्कूलो को चलाया। इन जातियो के लिये कल्याणकारी कामो में सरकार का कुल २०,००० रु० व्यय हुआ। कौसानी की संस्था में निवास की व्यवस्था थी। यहां अन्य जातियों की लडकियो के साथ हरजिनों की लडकियों को शिक्षा दी जा रही थी, जिससे वे आत्म-निर्भर और समाज की सभ्य अंग बन सके।

उद्धार कार्य

सरकार ने सिद्धात रूप से "उत्तर प्रदेश अपराधशील जातियों की जांच समिति" की यह सिफारिश कि "क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट" निवर्तित कर दिया जाय, मान लिया। यह प्रयत्न किया गया कि ऐक्ट के निवर्तित होने की अवधि तक इसका पालन जितना संभव हो उतनी उदारता से किया जाय। गोरखपुर के डोमों, साहबगंज के ससियों, कांथ के भाटों को अपराधशील जातियो की सूची से अलग किया गया तथा उनको प्रतिबन्ध-मुक्त घोषित किया गया। अपराधशील जातियो के सुधार तथा पुनर्वासन की योजना चालू रही और यह देखा गया कि सरकार ने जो विकास सम्बन्धी कार्यवाहियां की थी उनसे अपराधशील जातियों के लोगों का बहुत सुधार हुआ और वे कृषि तथा जीवन पालन के अन्य अच्छे साधनों को अपनाने की ओर आकर्षित हुए। कल्यानपुर की बस्ती की आबादी १,०९८ थी और वहां बसने वाले व्यक्ति या तो कृषि-कार्य मे या बस्ती के सिलाई के कारखाने में या कानपुर के विभिन्न कारखानों में नौकरी कर रहे थे। फजलपुर और मुरादाबाद की बस्तियो की जनसंख्या १,२६९ थी और इन बस्तियो के सदस्यो को भी अधिकतर कृषि-कार्य में लगाया गया।

मुजफ्फरनगर, कांथ और साहबगज तीनो उपनिवेशों मे भी बसने वालों के पास पर्याप्त कृषि भूमि थी और वे लोग यह उपयोगी कारोबार करते रहे।

गोरखपुर और लखनऊ की बस्तिया गैर-सरकारी प्रबन्ध मे रहीं। गोरखपुर मे बसने वाले डोमो को प्रतिबन्ध-मुक्त कर दिया गया, किन्तु बस्तियां पूर्व की भाति उनके लिये सुविधाओ की व्यवस्था करती रहीं। गोडा मे बरवारों के लिये २६,००० रु० की लागत पर एक नये उपनिवेश की स्थापना की गयी।

अपराधशील जातियो के बच्चो को शिक्षा के लिये विशेष सुविधाओ की व्यवस्था की गई। बाउरिया उपनिवेश मे एक मिडिल स्कूल था और प्रत्येक बस्ती मे एक प्राइमरी स्कूल था। इन बच्चो को निःशुल्क शिक्षा दी गई और छात्र-वेतनो तथा पुस्तको की भी व्यवस्था की गई। पृथक्कीकरण योजना, जिससे काफी लाभ हुआ, जारी रही। बच्चो को हानिकर पारिवारिक वातावरण से दूर रखने के लिये गोरखपुर में एक विशेष छात्रावास की व्यवस्था की गई। अपराधशील जातियो की पंचायतें उनकी सामाजिक कुरीतियो को दूर करने के लिये पूर्ववत् प्रयत्न करती रही।

१६ —दंड न्याय-व्यवस्था

अधिकार-क्षेत्र

मथुरा और एटा के लिये अलग सेशन डिवीजन कायम करने के फलस्वरूप एसे डिवीजनो की संख्या १९५० ई० मे २९ से बढ़कर आलोच्य वर्ष मे ३१ हो गई। भारी फौजदारी कार्य निपटाने के लिये बरेली, कुमायूं और लखनऊ के सेशन डिवीजनो में अतिरिक्त जिला तथा सेशन जजों के अस्थायी न्यायालय और राज्य के २९ जिलो में दीवानी तथा सेशन जजों के अस्थायी न्यायालय क़ायम किये गये। इन अस्थायी न्यायालयों ने कुल मिलाकर २४ साल ११ महीना २३ दिन की अवधि तक काम किया, जबकि पिछले वर्ष इन्होंने २५ साल ७ महीना ६ दिन की अवधि तक काम किया था।

अपराधो की संख्या

भारतीय दड विधान के अधीन जितने अपराधो की रिपोर्ट की गयी उनकी कुल संख्या विगत वर्ष की १,०४,३२५ की तुलना में इस वर्ष घट कर १,०२,७२७ रह गयी। किन्तु रिपोर्ट किये गये अपराधों की कुल संख्या मे वृद्धि हुई। शीर्षक "झूठी गवाही और सरकारी न्यायाधीशों के विरुद्ध अपराध", "सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध", "उपघात तथा सदोष बल प्रयोग एवं आक्रमण", "अपहरण, बलात् अपहरण, इत्यादि" और "दंड्य न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट)" के अधीन अपराधों की संख्या मे अत्यधिक वृद्धि दिखाई पड़ी। दंडविधि संग्रह के अधीन और विशेषतया स्थानीय विधियों के अधीन मामलों की (जिनमें पिछले वर्ष के विचाराधीन मामले भी सम्मिलित है) रिपोर्ट की गयी। उनकी संख्या २,९३,८१९ से बढ़ कर ३,१३,६१३ हो गयी।

वे व्यक्ति जिन पर मुक़दमा चल रहा था

७,२२,६२३ व्यक्तियों पर मैजिस्ट्रेटों के समक्ष मुकदमा चल रहा था। इनमें से २,०९८ मर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों को भेज दिये गये, ३,२६,८५१ को छोड़ दिया गया या निर्दोष ठहराया गया; २,५४,२०८ को दंड दिया गया; २१,४५३ को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और आलोच्य वर्ष के अंत में १,०९,८४३ व्यक्तियो पर मुकदमा चल रहा था।

भारतीय दंड विधान के अधीन ३,१६,१२६ व्यक्तियों का चालान किया गया। उनमें से १,६०,०६८ व्यक्तियों को निर्दोष ठहराया गया या छोड दिया गया; ४८,१८९ को दंड दिया गया; १,१२४ मर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों को भेज दिये गये और वर्ष के अंत में ७६,७४५ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था। दंड विधि संग्रह तथा विशेष और अन्य स्थानीय विधियों के अधीन अपराधों के लिये ४,११,४३८ व्यक्तियों का चालान किया गया। इनमें से १,५१,३१२ को या तो निर्दोष ठहराया गया या छोड़ दिया गया; २,१६,८७५ को दंड दिया गया; १,०७० मर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों को भेज दिये गये और वर्ष के अंत में ३६,१८१ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था।

निर्णीत मुक़दमे

इस वर्ष निर्णीत मुकदमों की संख्या ३,०६,६३५ थी, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या २,८७,६१२ थी। यह वृद्धि मुख्यतया वैतनिक विशेष मैजिस्ट्रेटों, अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों, सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेटो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में हुई। अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों ने १,४७,३२६ व्यक्तियो के मुकदमों का निर्णय किया, जबकि पिछले वर्ष १,३२,७२२ व्यक्तियो के मुकदमो मे निर्णय हुआ था। आलोच्य वर्ष में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनके मुक़दमों में निर्णय हुआ था, ६,११,६३८ थी।

गवाह

मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयो में जितने गवाहों ने बयान दिया उनकी संख्या ४,६४,२७४ से बढ़ कर ५,११,०२८ हो गयी तथा सेशन जजों के न्यायालयों में यह संख्या ५५,३४१ से बढ़कर ५८,२३० हो गयी। मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में उन गवाहो की संख्या, जो न्यायालयो मे उपस्थित तो हुये, किन्तु बयान लिये बिना ही उन्हें छोड दिया गया, ५५,६७४ से घटकर ५५,७७७ हो गयी तथा सेशन के न्यायालयों में यह संख्या ६,६६५ से बढ़कर ६,७६६ हो गयी।

असेसरों की सहायता से मुक़दमों पर विचार

असेसरों की सहायता से जितने व्यक्तियों के मुकद्दमो पर विचार किया गया उनकी संख्या १८,८४७ से बढ़कर १६,२७६ हो गयी।

जूरी द्वारा मुक़दमों पर विचार

जूरी की सहायता से मुकदमों पर विचार किये जाने का ढंग पहिले की भांति इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फ़ैज़ाबाद, कानपुर और लखनऊ जिलों में जारी रहा। जिन व्यक्तियों के मुकदमों का इन्होंने फैसला किया उनकी संख्या इन जिलो के सेशन कोर्टों में १,०८४ से घट कर ८८४ हो गयी।

मुक़द्दमों की अवधि

मैजिस्ट्रेटों के सभी न्यायालयों में मुक़द्दमो की औसत अवधि २३ दिन बनी रही। किन्तु सेशन के न्यायालयों में यह ६७ से बढ़कर ११० दिन हो गया।

अभियोगों का परिणाम और दंड

मैजिस्ट्रेटों तथा सेशन दोनों के न्यायालयों में दंड पाने वाले व्यक्तियों में से ३५,१६७ को कारावास का दंड मिला, २,०८,७६८ पर जुर्माने किये गये और १२४ को बेंत लगाये गये। इसके अतिरिक्त ३३,६०६ व्यक्तियों से जमानतें माँगी गयीं।

ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्हें सेशन के न्यायालयों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया (ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करके, जिनके मुक़द्दमे पिछले वर्ष से विचाराधीन थे), ३४२ से बढ़कर ४०५ हो गई। इनमे से ६८ व्यक्तियों के दडो की पुष्टि की गई, १०३ को अपील पर छोड़ दिया गया, ७७ के दंड हाईकोर्ट से संशोधित कर दिये गये और एक व्यक्ति मर गया। वर्ष के अंत में १२६ व्यक्ति

फांसी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या २२ से घट कर ११ हो गयी ।

ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनको आजन्म कारावास का दंड दिया गया, ५८३ से बढ़ कर ८१३ हो गई । इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को कठोर कारावास का दंड दिया गया उनकी कुल संख्या २४,१३३ से बढ़कर २६,४३८ हो गयी ।

सेशन के न्यायालयों द्वारा लगाये गये जुर्माने की कुल धनराशि १,७६,६७४ रु० से बढ़कर २,५७,४७६ रु० हो गयी । मैजिस्ट्रेटो के न्यायालयों में यह ५१,६५,८६८ रुपया से बढ़कर ६१,०२,५८६ रु० हो गयी ।

शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे व्यवहार करने के लिये मुचलके

ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे शान्ति बनाये रखने के लिये मुचलके लिये गये, ३०,५८५ से घट कर २४,७७८ हो गई । गोंडा में शान्ति बनाये रखने के संबंध में मुचलका लिये जाने वाले व्यक्तियो की सबसे अधिक संख्या २,८८६ थी । ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे सद्व्यवहार बनाये रखने के संबध में मुचलके लिये गये, ६,०७० से घट कर ८,३२६ हो गई । सद्व्यवहार बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये व्यक्तियो की सबसे अधिक संख्या कानपुर (७०६), आगरा (६२८) और सहारनपुर (४०२) के जिलों में थी ।

पहली बार अपराध करने वाले तथा अल्पवयस्क

पहिली बार अपराध करने वालों की कुल संख्या, जिन्हें या तो चेतावनी देकर या यू० पी० फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोवेशन ऐक्ट, १९३८ ई० के अधीन छोड दिया गया, ६,२१६ से बढ़कर ७,३५६ हो गई । ऐसे अपराधियों की संख्या, जो प्रोवेशन अफसरों की देख-रेख मे रक्खे गये, १६८ से बढ़कर २२८ हो गयी ।

अपीलें

हाईकोर्ट में अपील करने वालों की संख्या ८,१८७ से बढ़कर ८,८८२ हो गयी । सरकारी अपीलों की संख्या, जिनमे पिछले वर्ष की विचाराधीन अपीलें भी सम्मिलित है, १५२ थी, जबकि १९५० ई० मे उनकी संख्या १०२ थी । इनमें से ५ स्वीकार कर ली गयीं, २० खारिज कर दी गयीं और वर्ष के अंत मे १२७ विचाराधीन रह गयी । अन्य न्यायालयों के समक्ष अपील करने वालों की संख्या ४७,६३७ थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या ४१,५२४ थी ।

१७—दीवानी न्याय-व्यवस्था

(क) उच्च न्यायालय

१९५१ ई० में उच्च-न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों की संख्या २० थी । एक न्यायाधीश की मृत्यु तथा दूसरे के अवकाश ग्रहण कर लेने से उनके रिक्त स्थानो पर दो नये न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई ।

अपीलें

उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले के निमित्त नम्बरी अपीलों की कुल संख्या १३,०९६ थी, जबकि गत वर्ष उनकी कुल संख्या १२,७५७ थी । इस वर्ष दायर की गई अपीलो की संख्या २,६८८ से बढ़ कर ३,६९४ हो गई । इब्तदाई डिग्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या ५२० से बढ़कर ६६७ हो गई और अपील की डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलो की संख्या २,४२२ से बढ़ कर २,९२५ हो गई । इस न्यायालय के किसी एक ही जज द्वारा किये गये फैसलों के विरुद्ध की गयी अपीलो की संख्या ६४ से बढ़ कर १०२ हो गई ।

सब प्रकार की अपीलों की कुल संख्या जिनका फैसला इस वर्ष इस न्यायालय ने किया, ३,७३५ से घट कर २,२६४ हो गई। इब्तदाई डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या, जिनका फैसला इस न्यायालय ने किया, ३६१ से बढ़ कर ४२७ हो गई और अपील की डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या, जिनका फैसला किया गया, ३,३३६ से घट कर १,८३४ हो गई। फिर भी एक ही जज द्वारा किये गये फैसलो के विरुद्ध की गई अपीलों की सख्या ३८ से घट कर ३३ हो गई।

इस वर्ष के अन्त मे विचाराधीन नम्बरी अपीलो की कुल संख्या १०,८०५ थी जब कि गत वर्ष के अन्त मे उनकी संख्या ९,०२२ थी। पांच वर्ष से विचाराधीन अपीलो की संख्या ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० को १,७४८ थी।

पूरी बेच के पास फैसले के लिय भेजे गये मुकदमे

पूरी बेन्च के पास फैसले के लिये भेजे गये मुकदमो की संख्या १०० थी, जिनमें ८३ मुकदमें ऐसे भी सम्मिलित है जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थे। इनमे से ३८ मुकदमो का फैसला कर दिया गया और वर्ष के अन्त मे ६२ विचाराधीन थे। इंडियन बार कौंसिल्स् ऐक्ट (एक्ट संख्या ३८, १९२६ ई०) के अन्तर्गत इस न्यायालय के पास फैसले के लिये एडवोकेटों के व्यावसायिक दुराचरण सबंधी १० मुकदमे भेजे गये। इस वर्ष इन सब का फैसला कर दिया गया।

शेष काम

उच्च न्यायालय मे बकाया काम मे वृद्धि विभिन्न कारणो से हुई, जिनमे दायर किये गये फौजदारी के मुकदमो की संख्या मे वृद्धि तथा दायर किये गये आदेश लेख संबंधी मुकदमो की पेचीदगी सम्मिलित है। आदेश लेख सबंधी मुकदमो मे आम तौर से काफी समय लगा और प्रायः उनको ऐसी पूरी बेच के पास भेजना पड़ता था जिनमे तीन या पांच जज रहते थे। जमींदारी विनाश अधिनियम के विरुद्ध आदेश लेख प्रार्थना-पत्रों के सबंध मे, जिनकी सुनवाई पांच जजो वाली पूरी बेच ने की, लगभग दो महीने लग गये। बकाया काम इकट्ठा हो जाने के सबंध मे अन्य कारणो के साथ-साथ ये कारण भी थे कि न्यायालय के दिन प्रतिदिन कार्यों से संबंध न रखने वाले अन्य कार्य के लिये जजो की तैनाती की गई और उनकी जगह पर रखने के लिये आदमी न मिल सके, यहां तक कि एक जगह पर तो लगभग ६ महीने तक कोई व्यक्ति न मिल सका और उसकी पूर्ति न हो सकी।

(ख) दीवानी अदालतें

क्षेत्राधिकार

मथुरा तथा एटा के लिये दो नई जजी की स्थापना के फलस्वरूप उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी अदालतो के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मे कुछ परिवर्तन हुआ। मथुरा और एटा की नई जजी क्रमशः २२ और २३ सितंबर, १९५१ ई० से कार्य करने लगी।

नालिशें

राज्य की अधीनस्थ अदालतों मे दायर की गयी नालिशो की कुल संख्या (जिनमे ऋणग्रस्त सम्पत्तियो के ऐक्ट के अधीन हुई नालिशे सम्मिलित नही है, किन्तु एग्रीकल्चर रिलीफ ऐक्ट की धारा १२ और ३३ के अधीन दी हुई दरख्वास्तें सम्मिलित है) १,०४,००० से घट कर १,०२,७८८ रह गयी। अचल संपत्ति के संबंध में की गयी नालिशो की सख्या २२,८३२ से बढ कर २३,१३८ हो गई, जब कि अधीनस्थ अदालतो मे दायर की गई नालिशों की कुल मालियत ९,०९,३०,९३८ से घट कर ८,५४,११,२७७ रह गयी। मालियत के गिरने का कारण यह था कि दायर की गई नालिशों की संख्या में कमी हो गई थी।

जिन इब्तदाई नालिशो का फैसला किया गया उनकी संख्या में ९,५९० की कमी हुई (यह सख्या पिछले वर्ष के १,५३,६५९ से घटकर १,४४,०६९ हो गई)। ऐसे मुकद्दमो की संख्या, जिनका फैसला मुन्तकिली के अतिरिक्त अन्य ढंगों से किया गया, १,१८,७१३ से घटकर १,१३,३९१ रह गयी और ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जिनका फैसला अदालतो को करना था, २,३६,३०७ से घट कर २,२७,५५१ रह गयी। ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, ३२,०७४ थी, जबकि पिछले वर्ष उनकी सख्या ३१,७६६ थी। ऐसी नालिशो की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई न करके अन्य ढंगों से किया गया और जिनमे ऐसी नालिशो की सख्या भी सम्मिलित है जिनका फैसला संक्रमण करके हुआ, १,११,९९५ थी। ऐसी इब्तदाई नालिशो की कुल सख्या, जिनका फैसला डिस्ट्रिक्ट जजो ने पूरी सुनवाई के बाद किया, १०० से घटकर ५३ रह गई। सिविल जजों द्वारा निपटाई गयी नम्बरी और खफीफा अदालतो की नालिशो की कुल संख्या २६,७३८ थी, जबकि १९५० ई० मे उनकी संख्या २६,४५४ थी और ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, ४,१३६ से बढकर ४,६६२ हो गई। ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला मुन्सिफों ने किया, ९४,९७८ से घट कर ८१,९८२ रह गई। इनमें से २३,०२४ नालिशो का फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, जब कि ऐसी नालिशो की संख्या पिछले वर्ष २१,७५५ थीं। ऐसी नालिशो की कुल संख्या में, जिनका फैसला खफीफा अदालतों ने किया, ५,८५३ की कमी हुई और जिन दूसरी अदालतो को खफीफा अदालतो के अधिकार प्राप्त थे उनके द्वारा फैसला किये गये मुकदमो की कुल सख्या मे ३,०३९ की कमी हुई। इन अदालतों मे दी हुई जिन दरख्वास्तो के सबध मे डिगरी इजरा की गई उनकी सख्या ३३ थी। राज्य की ऐसी दरख्वास्तो का प्रतिशत ४५ से बढकर ४७ हो गयीं।

मुन्सिफो की अदालतो मे पूरी सुनवाई के बाद जिन मुकद्दमो का फैसला किया गया उनकी औसत अवधि ३२७ दिन पर स्थिर रही। सिविल जजो की अदालतों मे यह अवधि २६३ दिन से बढ कर ३५४ हो गई और डिस्ट्रिक्ट जजों की अदालतों मे यह अवधि ४१९ दिन से बढ़कर ७४९ दिन हो गई। राज्य में पूरी सुनवाई के बाद जिन कुल मुकद्दमो का फैसला किया गया उनकी औसत अवधि २७७ दिन थी, जबकि पिछले वर्ष यह अवधि २६७ दिन थी। अवधि में वृद्धि इस कारण हुई कि दीवानी का काम करने वाले अफसरो की कमी थी।

अपीलें

ऐसी अपीलो की कुल सख्या, जिनमे माल की अपीलें भी सम्मिलित है और जो अधीनस्थ अदालतो मे दायर की गईं, १२,९१६ से बढ कर १३,७७१ हो गई। फैसले के लिये ऐसी अपीलो की कुल संख्या ४६,१६९ थी, जिनमें से २९,१४८ अपीलो का फैसला किया गया। इनमे १४,६०७ ऐसी अपीलें भी सम्मिलित हैं जो मुन्तकिल करके निपटाई गईं। सुनवाई के लिये आई हुई नम्बरी दीवानी अपीलो की संख्या में ४५५ की कमी हुई और वह ४१,९३५ रह गई। इनमें से १३,२०० अपीलो का फैसला मुन्तकिल न करके, अन्य ढंगो से किया गया और १३,३१८ अपीलो का फैसला उनको मुन्तकिल करके किया गया। मातहत अदालतो मे माल संबधी अपीलो की सख्या ४,२३४ थी। ऐसी अपीलो की संख्या जिनका फैसला मुन्तकिली के अतिरिक्त अन्य ढगो से किया गया। १,३४२ थी और ऐसी अपीलो की संख्या जिनको मुन्तकिल करके निपटाया गया १,२८९ थी। ऐसी अपीलो की संख्या, जो सिविल प्रोसीजर कोड की अनुसूची १ के आर्डर ४१ के नियम ११ के अधीन अधीनस्थ अदालतो मे सरसरी तौर से सुनवाई करके खारिज कर दी गई, ९४ से बढकर १०६ हो गई।

दिवाला

इन्सालवेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो का प्रयोग ४२ दीवानी जजों ने किया। अधीनस्थ अदालतों में दिवाला संबंधी मुकद्दमों की संख्या में ६ की कमी हो गई और उनकी संख्या १,०६४ रह गई। बरी किये गये दिवालियों की संख्या ९७ से बढ़कर २१४ हो गई।

रिसीवरों द्वारा वितरित कुल धनराशि में ६८,१३५ रुपये की वृद्धि हुई और वह २,२३,४७४ रुपया हो गई और रिसीवरों के पास जो धनराशि रह गई उसमें ६४,३८७ रुपये की वृद्धि हुई और वह ६,७१,३९१ रुपया हो गई।

डिगरियों का इजरा

मातहत अदालतों के समक्ष डिग्रियों की इजरा के लिये पेश की गई दरख्वास्तों की कुल संख्या ८७,७९४ से बढ़ कर ९८,५७८ हो गई। डिग्रियों की इजरा के लिये पेश की गई दरख्वास्तों को कुल संख्या आलोच्य वर्ष में ६७,८३१ थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या ६३,१८८ थी। निपटाई गई दरख्वास्तों की सख्या मे ७,६६३ की वृद्धि हुई (वह १९५० के ५७,३८५ से बढकर ६५,०४८ हो गई)। इसके अतिरिक्त ६,८६२ दरख्वास्तों का फैसला उनको मुन्तकिल करके किया गया।

आनरेरी मुन्सिफ

आलोच्य वर्ष मे बाराबकी और अल्मोड़ा में आनरेरी मुन्सिफों की अदालतें काम करती रही। इन अदालतों ने जिन मुकद्दमो का फैसला किया उनकी सख्या ४९४ से घटकर २४७ रह गयी।

फरीकों और गवाहों का बयान

ऐसे फरीकों की संख्या, जिनको सिविल प्रोसीजर कोड की अनुसूची १ के आर्डर ५ के नियम ३ के अन्तर्गत अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया, १०,५५२ से बढ़ कर १३,५७१ हो गई। इनमें से ७,१८९ फरीकों के बयान अदालतों मे लिये गये। बुलाये गये गवाहों की सख्या २,०१,४४२ से बढ कर २,१३,६३१ हो गई। ऐसे गवाहों की सख्या, जिनक बयान लिये गये, १,१५,१६२ थी।

सम्मन तामील करने वाला अमला

ऐसे सम्मनों की संख्या, जिनको सम्मन तामील करने वालो ने तामील किया, ६,३०,३५७ से बढ़ कर ६,९५,५५७ हो गई। ऐसे सम्मनों की संख्या जिनको सिविल प्रोसीजर कोड की अनुसूची १ के आर्डर १६ के नियम ८ के अधीन फरीकों ने स्वयं तामील किया, २,००,०४६ थी, जब कि १९५०, ई० में यह संख्या १,६५,६५८ थी।

विचाराधीन मिसिलें

वर्ष के अन्त मे विचाराधीन मुकद्दमों की कुल संख्या मे पिछले वर्ष की अपेक्षा ८३४ की वृद्धि हुई, अर्थात् वे ८३,४८२ थे। ऐसे मुकद्दमो की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक तक विचाराधीन रहे, २५,५७९ से बढ़कर २६,७४३ हो गई। ऐसे मुकद्दमों की कुल संख्या, जो ६ महीने से अधिक तक विचाराधीन रहे, ४१,२७२ थी। तमाम विचाराधीन अपीलो की कुल मिसिलों की संख्या १७,३७१ से घटकर १७,०२१ रह गयी। इनमें से १५,४१७ नम्बरी अपीलें थीं और १,६०४ माल संबंधी अपीलें थी। एक वर्ष से अधिक विचाराधीन अपीलों की संख्या मे ५७३ की कमी हुई (१९५० ई० के ४,९९४ से घटकर ४,४२१ रह गयी)। डिगरी इजरा कराने की दरख्वास्तों की विचाराधीन मिसिलो की संख्या मे २,३७६ की वृद्धि हुई और वह २६,६६८ थी। ३ महीने से अधिक विचाराधीन दरख्वास्तों की संख्या ११,६९७ से बढ़कर १२,९५६ हो गई।

विभिन्न अधीनस्थ अदालतों में विचाराधीन बहुत से मुकद्दमों की संख्या में वृद्धि होने से काम बढ़ गया और दीवानी का बहुत सा काम जमा हो गया।

ब्रान्च) में अफसरों की कमी थी। अफसरों के न मिलने के कारण मुन्सिफों और सिविल जजों (जिनमें खफीफा के जज भी सम्मिलित हैं) की कुछ जगहों को खाली रखना पड़ा। औद्योगिक अदालतों, डिटन्शन बोर्ड आदि जैसे अन्य कार्यों तथा फौजदारी के काम की भरमार के कारण डिस्ट्रिक्ट जज भी दीवानी के काम की ओर उचित रूप से ध्यान न दे सके।

१८—रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन विभाग का संबंध मुख्य रूप से चल तथा अचल संपत्तियों स संबंधित लेखों के रजिस्ट्रेशन से उसी प्रकार रहा जैसा कि पहिले था।

१९५१-५२ ई० में इस विभाग की आय लगभग २५ लाख रु० और व्यय लगभग १३·५ लाख रु० था, जब कि गत वर्ष की आय २७ लाख रु० और व्यय १३ लाख रु० था।

राज्य में रजिस्ट्रेशन कार्यालयों की संख्या २४१ थी, जिसमें पदेन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य करने वाले डिस्ट्रिक्ट जजों के कार्यालय भी सम्मिलित थे। व्यय में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से ८ कार्यालयों को, जहाँ काम कम हो गया था, तोड़ दिया गया। वर्ष में सब-रजिस्ट्रार के पदों की भर्ती का कार्य स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय उस निर्णय के अनुसार किया गया, जो गत वर्ष ५६ वैभागिक सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों को, जैसे और जब सब-रजिस्ट्रारों के कैडर में जगहें खाली हों, कुछ समय के सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों मे बदलने के संबंध में किया गया था। इन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन क्लर्क इनचार्ज अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सब-रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करेंगे। राजस्व में कमी होने को रोकने क उद्देश्य स शुल्कों और महसूलों की वृहत् जाँच की गयी और अधिक क्षमता लाने के लिये प्रत्यक प्रयत्न किया गया।

लगभग ४९ सब-रजिस्ट्रारों को, जो वकालत पास थे, उनके सामान्य कर्त्तव्यो के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट का भी कार्य सौंपा गया। गत वर्ष ऐसे सब-रजिस्ट्रारों की संख्या, जो इस प्रकार द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे, ३५ थी।

१९—पंचायत राज

रचनात्मक कार्य

सोलह-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने मे, जिसमें विभिन्न रचनात्मक कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं, पंचायतों ने और अधिक प्रगति की। इन रचनात्मक कार्यवाहियों को करने के अतिरिक्त उन्होंने कृषि, पशुपालन, सहकारिता, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभागों के विकास संबंधी कार्यों मे भी सहयोग दिया। पंचायती अदालतों के स्तर पर सुधार क्षेत्र समितियाँ बनाई गईं और गाँव सभाओं के प्रधान और उप-प्रधान इन समितियों क सदस्य मनोनीत किये गये और पंचायतों के सेक्रेटरी इन समितियों के सेक्रेटरी नियुक्त किये गये। प्रत्येक तहसील से एक प्रधान जिला योजना समिति में भी मनोनीत किया गया। विकास संबंधी विभिन्न कार्यवाहियों के लिये पंचायत सेक्रेटरियों को ट्रेनिंग देने की सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गयी। राज्य के लगभग प्रत्येक जिले मे ट्रेनिंग कैम्पों का सगठन किया गया और टीका लगाने, साँड़ों को बधिया करने, मिलवा खाद के गड्ढे तैयार करने, कृषि के उन्नत ढंगों, सहकारी समितियां संगठित करने आदि की प्रशिक्षण

इन कार्यों से बडे प्रभावित हुए और उन्होंने गाँव में क्षेत्रिक कार्यवाहियां करने में प्रशिक्षण पाने वालों का हाथ बटाया।

पंचायतों के कार्य में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने जिलों में सहायक पंचायत अफसरों की नियुक्ति की।

पंचायतों की कार्य-पद्धति के संबंध मे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के विचार से आलोच्य वर्ष मे बिहार और पेप्सू के प्रतिनिधि इस राज्य मे आये और जो सफलता प्राप्त हुई थी उस पर उन्होने बडा संतोष प्रकट किया।

पंचायतघर और सड़के

सोलह-सूत्री कार्यक्रम का पहिला काम पचायतघरों का निर्माण जारी रहा और इस प्रयोजन के लिये धनी जमींदार और गरीब किसान दोनों ही ने अधिक संख्या मे इसके लिये भूमि और घरों का बड़ी उदारता के साथ दान किया। अकेले मुजफ्फरनगर जिले में ४१ पचायतघर दान में प्राप्त हुए। पंचायतों द्वारा १९५१ ई० में ४९८ पक्के और ६३४ कच्चे पंचायतघर बनाये गये। ९० मील पक्की और १,०२८ मील कच्ची सड़के भी बनाई गई। बहुत से स्थानों में गाँव वालो ने स्वेच्छा से मजदूरी का काम किया और इस प्रकार सड़के बनाने मे पंचायतो ने लाखो रुपये की बचत की। अल्मोड़ा, नैनीताल और टेहरी-गढवाल के जिलों ने इस दिशा मे विशेष प्रयास किया।

शिक्षा

ग्रामीणों की शिक्षा की ओर बराबर ध्यान दिया गया। पंचायतों ने वर्ष के अन्त तक लडके और लडकियो के लिये ७१० नये स्कूल और प्रौढों के लिये ६२० स्कूल खोले। इसके अतिरिक्त १०,८९६ वाचनालय और ५,९३२ पुस्तकालय थे। समय-समय पर जो साक्षरता आन्दोलन चलाया गया उसके फलस्वरूप साक्षर बनाये गये पचो की संख्या ५८,५७६ थी और गांव-सभाओ के लिये पंचायतो द्वारा ६६६ रेडियो सेटो की व्यवस्था की गई। गांव के लोगो ने पुस्तकालयो के लिये बडी उदारतापूर्वक पुस्तके दान दी। केवल झांसी जिले मे ही गाँव सभाओ को २०,००० पुस्तके दान मे प्राप्त हुई।

सफाई व्यवस्था तथा रोशनी

सफाई व्यवस्था सम्बन्धी अवस्था मे सुधार करने का प्रयास भी जारी रहा। आलोच्य अवधि मे ३६ मील पक्की और १०७ मील कच्ची गन्दे पानी के निकास की नालियां पंचायतो द्वारा बनाई गयी। हैजा, प्लेग, चेचक आदि महामारियो को फैलने से रोकने के लिये प्रत्येक संभव उपाय किये गये। मामूली बीमारियो का इलाज करने के लिये सरकार द्वारा दिये गये दवाइयो के बक्से का पूर्ण उपयोग किया गया। दवाइयों के खाली बक्सों को पुनः भरने का व्यय हमेशा की तरह पञ्चायतो द्वारा उठाया गया। कुछ पञ्चायतों ने वैद्यो और हकीमो को वित्तीय सहायता भी दी। पञ्चायत राज विभाग ने समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी किये, जो चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलो में पञ्चायतो के लिये लाभकारी समझे गये। पंचायत राज विभाग गांव वालो के लाभ के लिये घरेलू चिकित्सा पर पुस्तिकाओ आदि की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा था। जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो की देख-रेख करने के अतिरिक्त पचायतो ने जन्म और मृत्यु के रजिस्टर भी रखे।

रात मे गांव वालो की असुविधा दूर करने के विचार से आलोच्य वर्ष मे लगभग ७,३२५ रोशनी के नये खम्भे गाड़ गये।

अन्न-उत्पादन

लगभग सभी पंचायतो ने अधिक अन्न उत्पादन कार्य मे सक्रिय भाग लिया। १९५१ ई० में १,९३,८८८ मिलवां खाद के गड्ढे तैयार किये गये जिनसे लाखों टन खाद प्राप्त हुई और पचायतों न बहुत से किसानो को विभिन्न फस्ल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया। पचायतो ने नाले,

नहरें और कुयें भी खोदे और काफी जमीन कृषि योग्य बनाई। कृषि विभाग द्वारा दिय गये उन्नत बीज बहुत बड़ी मात्रा मे किसानो को बांटे गये और कुछ स्थानों में पंचायतों ने अपने खुद के बीज गोदाम स्थापित किये। पंचायतों ने सामूहिक आधार पर कृषि के आधुनिक औजार खरीदे। १ नम्बर की मूंग की खेती का अधिक प्रचार करने का सफल प्रयास किया गया और अच्छी पैदावार हुई।

पंचायतों की अन्य कार्यवाहियां

पचायतो की अन्य कार्यवाहियो मे नियन्त्रित वस्तुये जैसे चीनी, सीमेंट, कपडा आदि का वितरण सम्मिलित है। बहुत काफी संख्या मे पंचायतों ने खेलकूद तथा शारीरिक सम्वर्धन कार्यों में बड़ी दिलचस्पी ली। कुछ पचायतों ने खेल के अपने मैदान बनाये जहां गाव वालों ने फुटबाल, कबड्डी, वालीबाल आदि खेलकूदो मे भाग लिया। गांव वालों द्वारा खोले गये खेलकूद के क्लबों को पंचायतो का सरक्षण प्राप्त था और समय-समय पर खेलकूद के टूर्नामेंट सगठित किये गये।

पचायती अदालतें

हरिजन उद्धार तथा मद्यनिषेध का कार्य जारी रहा। न्याय प्रशासन के क्षत्र में पचायती अदालतों को काफी सफलता मिली। उन्होंने कुल २,७१,९३५ मुकदमों की सुनवाई की और ८७,१६८ मामलो मे पच लोग समझौता कराने में सफल हुए। पंचायती अदालतो द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध १३,०४१ अपीले की गईं, किन्तु ५,४८४ मामलो में ही नजरसानी की इजाजत दी गई।

२०—म्युनिसिपल बोर्ड

म्युनिसिपैलिटियों की संख्या

म्युनिसिपैलिटियो की संख्या १९५० ई० मे ११७ से बढ़कर वर्ष के दौरान मे ११९ हो गई। जालौन नोटीफाइड एरिया १ जनवरी, १९५१ ई० को म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित कर दिया गया और विलीनीकृत अन्तर्क्षेत्रों में चरखारी की म्युनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैलिटियों से संबंधित विधि के अधीन १ मार्च को स्थापित की गयी। इस वर्ष बलरामपुर की म्युनिसिपैलिटी वित्तीय कुप्रबन्ध के कारण अधिकारच्युत कर दी गई और आगरा, मंसूरी, टाँडा, बहराइच, गोरखपुर तथा लखनऊ की म्युनिसिपैलिटियाँ अधिकारच्युत सस्थाओं के रूप मे कार्य करती रहीं। रामपुर की म्युनिसिपैलिटी भी, जो रामपुर राज्य के उत्तर प्रदेश मे विलीन हो जाने के पूर्व विगत रामपुर राज्य प्रशासन द्वारा अधिकारच्युत कर दी गयी थी, इस वर्ष अधिकारच्युत रही।

हाल के वर्षों में स्थापित कुछ नयी म्युनिसिपैलिटियों की दशा में पुरानी टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समिति म्युनिसिपलिटी का कार्य करती रहीं और अन्य म्युनिसिपैलिटियों की दशा में सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट नयी म्युनिसिपैलिटियो के इन्चार्ज बने रहे।

कानून बनाना

विगत वर्ष यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३० के अधिकारों को स्पष्ट करने और किसी बोर्ड के अधिकारच्युत रहने के संबंध में मूल आदेशों में निर्दिष्ट अवधि को बदलने, संशोधित करने या बढाने के निमित्त राज्य सरकार के अधिकार के संबंध मे संदेह दूर करने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। आलोच्य वर्ष में उक्त अध्यादेश के स्थान पर उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (पूरक) अधिनियम, १९५१ ई० का परिनियम पुस्तक में समावेश किया जायगा।

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४८ ई० द्वारा निर्दिष्ट यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३३६-ए० में अन्य

बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि उक्त ऐक्ट के अधीन प्रथम बोर्डों के निर्माण तक कार्य चालू रखने के अभिप्राय से राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा यह निदेश कर सकती है कि उक्त अधिनियम निर्दिष्ट परिमित अवधि में ऐसे अनुकलनो, परिवर्तनो तथा परिष्कारों के साथ लागू होगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जाय। हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चूंकि उक्त ऐक्ट के इस अनुकलन, परिवर्तन अथवा संशोधन म विधान बनाने के अधिकार बरतने का प्रश्न उठता है, इसलिये इसे राज्य सरकार को समर्पित नही किया जा सकता। तदनुसार अन्तरिम कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट मे किये गये अनुकलनों, परिवर्तनों तथा परिष्कारों की विधायी स्वीकृति देने के लिये उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक तथा वैधकरण) अधिनियम, १९५१ ई० लागू किया गया।

ऋण

विभिन्न योजनाओं के लिये म्युनिसिपैलिटियों को कुल मिलाकर ५३,०४,५०० रु० के ऋण दिये गये थे। इन ऋणो में जलकलो (वाटरवर्क्स) के लिये १९,०३,००० रु० के ऋण, उद्वासित व्यक्तियों के लिये गृह-निर्माण योजनाओं के संबंध मे ११,७२,४०० रु० के ऋण, विद्युतकरण योजनाओं के लिये १,०३,१०० रु० के ऋण, लखनऊ मे सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरो के निर्माण के सम्बन्ध मे ८,००,००० रु० के ऋण, पानी निकास की नालियों की योजनाओं के लिये ३,५३,१०० रु० के ऋण, वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये २०,००० रु० के ऋण तथा सशोधित वेतन-क्रमों को लागू करने के लिये २५,००० रु० के ऋण सम्मिलित थे। सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के संबंध मे लखनऊ के म्युनिसिपल बोर्ड को ८,००,००० रु० का ऋण दिया गया। सरकारी कर्मचारियो के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था करने के संबंध में म्युनिसिपल बोर्ड को सब से पहली बार साधन के रूप में काम मे लाया गया।

सहायक अनुदान

इस वर्ष विभिन्न म्युनिसिपल बोर्डो को कुल मिलाकर ३,५६,०९४ रु० के सहायक अनुदान दिये गये। उनको उत्तर प्रदेश सड़क कोष से २५,०६,४०० रु० की एक दूसरी धनराशि सडकों के सुधार के निमित्त दी गयी। राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने भी नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और तीर्थ स्थानों की सफाई या स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को सुधारने के लिये ५,५०,००० रु० के सहायक अनुदान दिये। नगरो के अनाथालयों को भी कुल मिला कर १,००० रु० के सहायक अनुदान दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हें २,५०० रु० की और धनराशि मुख्य मन्त्री के अपनी इच्छा से दिये जाने के लिये नियत धनराशि मे से दी गई।

शिक्षा, जन-स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था

म्युनिसिपल बोर्ड राज्य सरकार के इस निर्णय पर कि शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जाय, ध्यान देते रहे। उन्होने शहरी क्षेत्रो में जन-स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयत्न किया।

चुनाव

वर्तमान म्युनिसिपल बोर्डों का कार्यकाल, जो ९ वर्ष बीत जाने के उपरान्त १९४४ ई० में किये गये चुनावों के आधार पर बनाय गये थे, संसद तथा राज्य विधान मंडल के साधारण चुनावो के कारण ३१ अक्तूबर, १९५२ तक फिर बढ़ाना पड़ा। बोर्डों की यह अवधि अक्तूबर, १९४८ ई० से समय-समय पर बढ़ाई जाती रही थी और म्युनिसिपल बोर्डों के सदस्यों

की बहुत सी आकस्मिक रिक्तियो की पूर्तियां साधारण चुनाव सन्निकट होने के कारण नही की गई। फिर भी इस बात को देखते हुए कि आलोच्य वर्ष मे साधारण म्युनिसिपल चुनावो को फिर से स्थगित करना पडा, बोर्डों को यह आज्ञा दी गई कि वे बिना और विलम्ब किये उपचुनाव कर लें। इन आज्ञाओं के फलस्वरूप बहुत सी म्युनिसिपैलिटियो मे उपचुनाव किय गये और आकस्मिक रिक्तियो की पूर्ति की गयी। ये उपचुनाव विस्तृत मताधिकार के आधार पर नही किये जा सके। म्युनिसिपल बोर्डों के निर्वाचकों को वयस्क मताधिकार के आधार पर मत प्रदान करने का अवसर अभी तक नही मिला है।

२१—जिला बोर्ड

रामपुर तथा टेहरी-गढ़वाल

रामपुर तथा टेहरी-गढवाल की विलीनीकृत रियासतो में फिर जिला बोर्डो का बनाया जाना स्थगित करना पडा, क्योकि इन क्षेत्रो की स्थिति अभी ऐसी नही हो सकी थी कि वहाँ निकाये बनाई जा सकती। तथापि इन क्षेत्रो के विकास का कार्य नियोजन समितियो को सौप दिया गया और रामपुर को १,००,००० रु० और टेहरी-गढवाल को ९०,००० रु० के अनुदान दिये गये जिससे वे इस सम्बन्ध मे आवश्यक व्यय पूरा कर सके।

बोर्डों की वित्तीय स्थिति

राज्य के जिला बोर्डों की वित्तीय स्थिति मे कोई सुधार नही हुआ। ३४ बोर्डों की साधारण आय से साधारण व्यय अधिक हुआ। बताया गया है कि बहुत से बोर्ड ऋणग्रस्त हैं। संशोधित वेतनक्रमो को कार्यान्वित करने मे इन निकायो के आय साधनो पर बडा भारी भार पडा और इस प्रयोजन के निमित्त १२,१९,६०० रु० का ऋण दिये जाने पर भी बोर्डो की कठिनाई दूर न हो सकी। बाराबंकी मे सशोधित वेतनक्रम कार्यान्वित न किये जा सके और धन की कमी के कारण फैजाबाद में २६ प्राइमरी पाठशालाए बन्द कर देनी पड़ीं।

ऋण तथा अनुदान

सामान्य प्रयोजनों के लिये जिला बोर्डो को १,००,००० रु० की धनराशि अन्य ऋणों के रूप मे दी गई। पर्वतीय जिलो मे साफ पानी की उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध मे, सड़को के सुधार और बाढ से बर्बाद सड़कों की मरम्मत के लिये क्रमशः ८१,०७५ रु०, ४,००,००० रु० तथा १,००,००० रु० के अनुदान दिये गये। अनावतक अनुदानो मे मथुरा के जिला बोर्ड पुल निर्माण के लिये ३१,७०० रु० का अनुदान और ठेके तथा अन्य आकस्मिक व्ययो के शीषक के अन्तर्गत कुल मिलाकर २३,३०० रु० का अनुदान भी सम्मिलित है। आवर्तक अनुदानो में "ठेके" अंशदान के लिये ५,७१,१२१ रु० की धनराशि भी सम्मिलित है।

शिक्षा

बोर्डों का सबसे अधिक व्यय शिक्षा की मद पर हुआ, किन्तु यद्यपि इन परिस्थितियो में उन्होने प्रत्यक संभव उपाय किये, तथापि वांछित लक्ष्य अभी नही प्राप्त हुआ। कुछ बोर्डों में पाठशालाओं और विद्यार्थियो की संख्या मे वृद्धि हुई, किन्तु व्यय मे जो आनुपातिक वृद्धि हुई उससे अपेक्षित कार्य-क्षमता मिलना असंभव था।

सड़कें तथा ईमारतें

हमेशा की तरह दूसरी सबसे बड़ी मद सडको पर व्यय हुई और उनमे सुधार करने के लिये ४,००,००० रु० का अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। बोर्ड अपनी वित्तीय स्थिति के कारण स्वतंत्ररूप से ठोस कार्य न कर सके। बड़ी सडको क प्रान्तीयकरण किये जाने से स्थानीय निकायों का व्यय-भार कम हो जाने और परिणामस्वरूप शेष सड़को की स्थिति सुधर जाने की जो आशा की गयी थी वह पूरी न हो सकी और यद्यपि मुजफ्फरनगर, मथुरा, नैनीताल, खीरी, सीतापुर, झांसी तथा शाहजहांपुर के कई पुलियां और पुल

बनाये गये और उनमे से कुछ जिलों मे थोडी सी कच्ची सडकें भी बनाई गईं, आमतौर पर जिला बोर्ड की सडकों की हालत खराब ही रही।

देहरादून मे ग्रामीणों की सहायता से ५ सड़को का निर्माण कार्य विशेष-रूप से उल्लेखनीय है।

इमारतो के संबध मे बोर्डो ने अधिक ठोस कार्य किया। फैजाबाद मे १९ जूनियर हाई स्कूलो की और १५ बेसिक प्राइमरी स्कूलो की इमारतों की मरम्मत की गई और ३ नई इमारते बनाई गई। बदायूं बोर्ड ने एक जूनियर हाई स्कूल और चार प्राइमरी स्कूलो को बनाने की स्वीकृति दी और मुजफ्फरनगर मे ३ स्कूली इमारतो का पुनर्निर्माण किया गया और ३९ अन्य स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की गई। हरदोई मे विस्थापित व्यक्तियों के लिये क्वार्टरों का निर्माणकार्य हाथ मे लिया गया और इस वर्ष ऐसे ०६ क्वार्टर और १५ दुकानें बनाईं गईं और इसके अतिरिक्त ३ प्राइमरी पाठशालाओं के लिये इमारतें बनाई गई। जिला नैनीताल के निर्माण कार्य की उल्लेखनीय बात यह थी कि जनता क प्रयास से १,००,००० रु० से अधिक लागत की पाठशालाओ की इमारते बनाई गईं और बोर्ड ने इस काम के लिये केवल भवन निर्माण की सामग्री दी। मथुरा बोर्ड ने २ ऐलोपैथिक तथा तीन आयुर्वेदिक औषधालय और ३ कांजीहाउस की इमारते बनवाई और देहरादून मे जिस औषधालय की इमारत का कार्य पहिले ही प्रारंभ हो चुका था उसको पूरा किया गया।

चिकित्सा संबंधी सहायता तथा जन-स्वास्थ्य

कुछ जिलो मे थोडे से औषधालयो और अस्पतालो के निर्माण तथा विस्तार और वैद्य तथा हकीमो को आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त जन-स्वास्थ्य या चिकित्सा सबधी क्षेत्र मे कोई विशेष कार्यवाही नही हुई।

पानी की सप्लाई

इसी प्रकार पर्वतीय जिलो को छोड़कर, जहां कि भौगोलिक स्थिति के कारण मांग की गयी थी, कही भी पानी ले जाने के लिये नल नहीं बिछाये गये। अन्य जिलों में वर्तमान कूप प्रणाली जारी रही। जहां आवश्यक था सुधार किया गया। पहाड़ो मे अल्मोडा और नैनीताल के जिलो मे दो नई योजनायें पूरी की गयीं और नैनीताल में कई पाइप लाइनें बनाई गईं।

महसूलों की वसूली

हमेशा की तरह बोर्डों की मुख्य कठिनाई (यह उन कारणों में से एक कारण है जिससे बोर्डों की वित्तीय स्थिति कमजोर रहती है) कर वसूली में सफलता का न मिलना है। प्रायः प्रत्येक जिले मे हैसियत और जायदाद कर (सरकमस्टान्सेज ऐंड प्रापर्टी टैक्स), जहां यह कर लिया जाता है, की बकाया रकम मे बढ़ती होती गयी। दूसरी ओर कर वसूली का व्यय कर की वसूली में कमी होने के साथ-साथ बढ़ता गया। कहा जाता है कि मुख्यतया रेलवे के और कुछ अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी कर न देने के दोषी थे। चूंकि रेलवे कर्मचारियों के वेतन पर पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लागू होता है और वेतन वितरण के समय यह सभव नहीं है कि उनके वेतन में यह रकम काटी जा सके, अतएव भारत सरकार से प्रार्थना की गई कि पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि उनके वेतन मे से काटे जाने वाले जिला बोर्डों के हैसियत तथा जायदाद कर को वेतन वितरण प्राधिकारी वेतन से काटी जाने वाली रकम में सम्मिलित कर सकें। वर्ष के अन्त में यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन था।

वित्तीय स्थिति संतोषप्रद न रहने के कारण अपनी आय बढ़ाने के इच्छुक कुछ बोर्डों के बारे में कहा जाता है कि उन्होने ऐसे उपाय किये जिनका करना वैध नही था। इन उपायों में अत्यधिक दर से लाइसेंस फीस लगाना और बिक्री कर के समान ही कर लगाना शामिल था। इन स्थानीय निकायो को पहिले ही कर के रूप मे लाइसेस फीस न लेने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये थे, किन्तु कहीं-कहीं की खबरों से पता चलता है कि ये फीस इसी प्रकार वसूल की जा रही हैं। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह महसूस किया गया है कि जिला बोर्डों को इस प्रथा का अनुसरण न करने के लिये नये निदेश जारी करना वांछनीय है, ताकि उन्हें अशोभनीय स्थिति का सामना न करना पड़े। संबंधित बोर्डों पर इस बात के लिय जोर दिया गया कि बिक्री कर लगाना अनुचित है।

बोर्डों द्वारा करों का लगाया जाना

इस वर्ष स्थानीय निकायो की सहायक अनुदान समिति की रिपोर्ट पूरी की गई और उसे सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। समिति ने स्थानीय निकायो की आय बढ़ाने के निमित्त जिन उपायो की सिफारिश की थी उनकी वर्ष के अन्त मे जांच की जा रही थी।

सहायक अनुदान समिति की रिपोर्ट

२२—नोटीफाइड एरिया

समथर (जिला झांसी) के नोटीफाइड एरिया को सम्मिलित करके राज्य में नोटीफाइड एरिया की संख्या ३८ थी। समथर, जो इस राज्य मे अन्तःक्षेत्रों के विलयन के अवसर पर आया, इससे पहिले एक नगरपालिका थी। यह नगर छोटा था और इसका उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासन रचना मे एक नोटीफाइड एरिया के रूप मे विलीनीकरण किया जाना था। इस वर्ष जालौन की नोटीफाइड एरिया एक नगरपालिका के रूप मे परिवर्तित कर दी गयी। जिला गोंडा में कर्नलगज की तथा जिला बहराइच मे नानपारा की नोटीफाइड एरिया की दो समितियां अवक्रांत (under supersession) रहीं। भुवाली तथा मिश्रिष नीमसार की दो अन्य समितियों के प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें आईं और वर्ष के अन्त में उनके मामलों की जांच की जा रही थी।

इस वर्ष आठ नोटीफाइड एरिया की समितियों को विशेषतः सड़को तथा नालियों जैसे नागरिक निर्माण कार्यों के लिये ४१,००० रु० की धनराशि का अग्रऋण दिया गया। जिन समितियो को लाभ पहुंचा वे गंगोह (जिला सहारनपुर), करवी (जिला बांदा), बादशाहपुर (जिला जालौन), अहरौरा (जिला मिर्जापुर), रुदौली (जिला बाराबकी), सरधना और बागपत (जिला मेरठ) और भुवाली (जिला नैनीताल) की समितियां थी। टहरी-गढ़वाल के नये जिले की (टेहरी, नरेन्द्रनगर और देवप्रयाग) तीन नोटीफाइड एरिया को सरकार से १४,७५० रु० के सहायक अनुदान क रूप में सहायता प्राप्त हुई। ये अनुदान सामान्य प्रयोजनों के लिये दिये गये थे, क्योकि अभी समितियों को करो स प्राप्त होने वाली अपनी आय को बढ़ाना था और अपनी वित्तीय स्थिति को दृढ़ करना था। देवप्रयाग नोटीफाइड एरिया की सीमायें बहबाजार तथा जिला गढ़वाल के कुछ अन्य क्षेत्रो को इसमे सम्मिलित करने के प्रयोजन से बढ़ाई गई। यह कार्रवाई स्थानीय जनता की निरतर मांग के कारण की गयी थी। इस सीमा-विस्तार के कारण उत्पन्न हुई प्राविधिक कठिनाई को दूर करने के लिये टहरी-गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गढ़वाल के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार निहित कर दिये गये।

२३-टाउन एरिया

सामान्य

इस वर्ष बिजनौर जिला के सहनपुर में एक नया टाउन एरिया बनाया गया। तीन टाउन एरिया कमेटियां अर्थात् गोपागंज (जिला आजमगढ़), नौतनवां (जिला गोरखपुर) और फरहा (जिला मैनपुरी) अवक्रांत कर दी गयी और एक टाउन एरिया कमेटी, फरीदपुर (जिला बरली) के मेम्बरो ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया।

आमतौर से टाउन एरिया कमेटियों का महत्व बढ़ गया और उनमें से कई ने केवल मौलिक कर्त्तव्यो की ओर ही ध्यान न देकर विभिन्न योजनाओ को कार्यान्वित करके अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाया। वित्तीय कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने उनको यथासंभव सभी सुविधायें प्रदान की।

विकास, सड़कें और नालियां

जिला नियोजन समितियो ने भी इन एरियाओ के विकास कार्य मे दिलचस्पी ली और योजनाये तथा सुझाव देकर टाउन एरिया कमेटियो की सहायता की। बुलन्दशहर की जिला नियोजन समिति की ओर से जिला की टाउन एरिया कमेटियो ने एक पंचवर्षीय विकास योजना, जिसमें सडको, नालियो तथा बाजारो का सुधार, बस के अड्डे, पार्क, खेल-कूद के मैदान, औषधालयो, अस्पतालो और पुस्तकालयो की व्यवस्था का कार्य सम्मिलित था, आरंभ की गयी। ८,४६७ रुपये की अनुमानित लागत पर दादरी टाउन एरिया में सीमेंट की दो सड़कों पर काम वास्तव में आरम्भ किया गया। गुलौथी, जहांगीराबाद और शिकारपुर के टाउन एरियाओं मे तारकोल की सडके बनाने का प्रस्ताव था। शिकारपुर टाउन एरिया कमेटी ने ११,०७१ रु० ५ आना की लागत पर सड़क और नालियां बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया और इसके लिये सरकार ने ४,००० रुपये का अनुदान दिया। अतर्रा (जिला बांदा) के टाउन एरिया कमेटी ने भी सडक बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया, जिसमें २५,००० रु० का व्यय था, लेकिन काम १३,००० रुपये से पूरा किया गया। नौतनवा टाउन एरिया कमेटी (गोरखपुर) ने नालियां बनाने की योजना का कार्य ५८,३०९ रुपये के अनुमानित व्यय पर आरम्भ किया और कमेटी ने लागत का अपना हिस्सा अर्थात् २९,१५२ रुपया जमा कर दिया। सरकार ने इसके लिये १०,००० रु० मंजूर किया था। ६५,००० रुपये लागत की नाली बनाने की एक दूसरी योजना जहांगीराबाद की टाउन एरिया कमटी ने आरंभ की। इस योजना को सरकार ने मंजूर किया और इस टाउन एरिया कमेटी ने भी लागत का अपना हिस्सा अर्थात् ३३,००० रुपया अदा कर दिया।

सरकार ने खुले मौसम में प्रयोग की जाने वाली एक सड़क बनाया, जो जिला अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ टाउन एरिया और नैनीताल के टनकपुर को मिलाती है।

इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रो में यातायात साधनों की मरम्मत की समस्या बहुत कुछ हल हो गयी।

ऋण तथा

इस वर्ष टाउन एरिया कमेटियों को सडकों तथा नालियो के लिये

ऋण की इस धनराशि में से निम्नलिखित टाउन एरिया कमेटियों ने सब से अधिक पाया—

मोथ टाउन एरिया कमेटी	..	१०,००० रु०
रामपुर टाउन एरिया कमेटी	..	४,७०० रु०
मिरानपुर टाउन एरिया कमेटी	..	१०,००० रु०

निम्नलिखित टाउन एरिया कमेटियो ने इस अनुदान का सब से अधिक भाग पाया—

शिवपुरी टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०
छिबरामऊ टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०
जलालाबाद टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०
मन्दावर टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०

जन-स्वास्थ्य

इस वर्ष इन कमेटियों ने जन-स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यवाहियाँ की वह संतोष-जनक रही। बहुत सी कमेटियो ने टीका लगाने की व्यवस्था की और स्थानीय वैद्यों को अनुदान भी दिये गये और उन्होंने गरीबों को मुफ्त दवा बाँटी। इस सबध में जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर) और मोदीनगर (मेरठ) की टाउन एरिया कमेटियो ने ठोस कार्य किया। सार्वजनिक कुंओं को विसंक्रमित किया गया और निजी कुओं को साफ़ तथा विसंक्रमित करने के लिये लोगों को पोटैशियम परमैंगनेट दिया गया।

कुछ क्षेत्रों में पीने का साफ पानी देना स्थानीय निकायों का विशेष कार्य रहा, किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण केवल कुंए खोदने का काम ही आरंभ किया जा सका। पाँच टाउन एरिया कमेटियों ने हैन्ड पंप की व्यवस्था की। पानी सप्लाई करने की समस्या को हल करने के विचार से मिर्जापुर जिला में राबर्ट्सगंज टाउन एरिया के निकट भेलाई में सरकार ने एक बाँध का निर्माण आरंभ किया।

बिजली लगाना

कुछ टाउन एरिया कमेटियाँ अपने अधिकार-क्षेत्र की सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था भी कर सकीं। अन्य टाउन एरिया कमेटियाँ बिजली न मिलने के कारण यह सुविधा न पहुंचा सकीं। इस बात का प्रयत्न जारी रखा गया कि यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्र को यह सुविधा दी जा सके।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

खाद की मात्रा बढ़ाने के विचार से कम्पोस्ट (मिलवा) खाद बनाने तथा कूड़ा-करकट से खाद तैयार करने की संभावना की जाँच करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अफसर राज्य के विभिन्न भागों में गया। उसने यह सुझाव रखा कि इस सबंध मे मथुरा जिला की कुछ टाउन एरिया कमेटियों के वर्तमान साधनों का प्रसार किया जाय और स्थानीय अफसरों से इस मामले पर विचार करने के लिये कहा गया। चोहारपुर (जिला देहरादून) में और इटावा जिला की कुछ टाउन एरिया कमेटियों मे यह कार्य सफलता से होता रहा, जिससे संबंधित स्थानीय निकायों को भी कुछ आमदनी होती रही।

२४–कानपुर विकास (डेवलपमेंट) बोर्ड

कानपुर विकास (डेवलपमेंट) बोर्ड ने गलीज उपयोग योजना का पहला दौर चार महीने की अवधि मे पूरा कर लिया। वर्ष मे बोर्ड ने जो अन्य मुख्य कार्य किया। उनमें विस्थापित व्यक्तियो के लिये १५० मकानो और रसोईघर तथा बरामदे से युक्त एक कमरे वाले ८९ क्वार्टरों का निर्माण, १०४ क्वार्टरों सहित एक केन्द्रोय पार्क, फ्लश लैट्रीन और पानी की सप्लाई के प्रबध से युक्त जलकल की बस्ती का काम पूरा किया जाना, मास्टर प्लान के अंतर्गत बेनाझाबर रोड, ग्रांड ट्रंक रोड और कालपी रोड को मिलाने वाली १०० फोट चौड़ी सड़कों का निर्माण, २८ सडकों पर डामर बिछाना, अन्य दो सडकों को पुनः पक्की करना और महात्मा गांधी सडक पर नवाबगंज से फूलबाग तक ट्रैफिक पुलिस के खड़े होने के लिये १० स्थलों का निर्माण करना सम्मिलित है। वर्ष के अंत में महात्मा गांधी सड़क को कर्नलगज तथा परेड के बीच अधिक चौड़ी करने का काम हाथ में ले लिया गया था।

बोर्ड द्वारा इसकी उपविधियो का कड़ाई के साथ लागू किये जाने के परिणाम-स्वरूप अहातों के सुधार के संबंध मे बोर्ड को सफलता प्राप्त हुई और ४३,००० रु० की तखमीनी लागत पर पाखानो, पेशाबघरो, पगडडियों, पक्की नालियों, पानी के बंबों इत्यादि की व्यवस्था करने के लिये अहातों के ५१ स्वामी तैयार किये गये, १७ अन्य अहातों का ३०,००० रु० की लागत का सुधार कार्य बोर्ड द्वारा स्वयं किया गया, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया १०,००० रु० सम्मिलित है।

पुराने कानपुर क्षेत्र का विकास कार्य भी, जिसमें मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये ५०० गृहों के प्लाटों की व्यवस्था है, प्रारम्भ किया गया। इस क्षेत्र में ८६,००० रु० की लागत पर सड़कों के बनाने का काम पूरा किया गया। मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियो के लिये रायपुरवा क्षेत्र में २०० अन्य प्लाटों (भूमिखंडो) की व्यवस्था की गई थी और नरायनपुरवा में स्थानीय निकायों तथा सरकारी विभागों के कर्मचारियों को रियायती दरों पर देने के लिये ३५० प्लाट (भूमिखंड) बनाये गये थे। कारखाना क्षेत्र के टी० और पी० ब्लाकों में तथा सीसामऊ नाला योजना के संबध में विकास कार्य चालू था।

गृह-निर्माण के संबध में ९८७ भवनों के नक्शों, जिनमें २,५५० किराए के मकानो की व्यवस्था है, के लिये स्वीकृति दी गई थी। वर्ष के अंत मे बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनता के कुछ व्यक्तियों द्वारा ५४६ मकान बनाए जा चुके थे और अन्य २७६ के संबध मे निर्माण कार्य चालू था।

नगर मे पानी सप्लाई का प्रबंध सुचारु रूप से चल रहा था, जिसमें प्रतिदिन अधिक से अधिक २,७०,००,००० गैलन पानी की सप्लाई होती थी। पानी की सप्लाई को आर्डिनेन्स फैक्ट्री तक पहुंचाने की योजना का काम प्रारंभ कर दिया गया था और उसी प्रकार से पानी की सप्लाई को चकेरी हवाई अड्डे तथा छावनी क्षेत्र तक पहुंचाने के प्रस्ताव प्रगति के विभिन्न स्तरो पर थे।

बोर्ड के संरक्षण में दो पौधशालाएं थीं। लगभग ४० विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए गए और मौसमी फूलों तथा तरकारियों की बेढ़न जनता के हाथ नाममात्र के मूल्य पर बेची गई। ४०० नए पेड़ लगाए गए और ३ नए पार्क बनाए गए।

मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया और नगर के एक सबसे अधिक गंदे स्थान छितवापुर पजावा क्षेत्र में, जिसमें अब तक सब नालियाँ कच्ची थीं, जमीन के नीचे गंदे पानी की नालियों का एक जाल सा बिछा दिया, अंत में कच्ची नालियाँ हटा दी गईं। ट्रस्ट का प्रस्ताव था कि सड़कें, गलियाँ और सतह की नालियाँ बनाकर छितवापुर पजावा क्षेत्र का और अधिक सुधार किया जाय।

ट्रस्ट के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में विस्थापित व्यक्तियों के क्वार्टरों से होकर विक्टोरिया पार्क तक जाने वाली सड़क और कान्यकुब्ज तथा जुबली कालेजों तक जाने वाली सड़कों, निशातगंज और बागशेरगंज में कई सड़कों का निर्माण, मेरिस मार्केट में फ्लश लैट्रीन का निर्माण, पानी की सप्लाई का डालीगंज तक बढाने और पानी निकास की सुविधा औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान किये जाने के कार्य सम्मिलित हैं।

इलाहाबाद

मुख्यतया वस्तुओं के महंगी होने के कारण इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनाओं के कार्यों में प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं रही। रेन्ट कण्ट्रोल ऐण्ड इविक्शन अफसर के परामर्श से विस्थापित व्यक्तियों के लिये ट्रस्ट द्वारा बनवाये गये क्वार्टरों के किराए को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया गया और यह निर्धारित किराया पूर्व निश्चित किराये से काफी कम था। अवधि के भीतर अदायगी के लिये लोगों को प्रलोभन देने के विचार से ऐसे भुगतान पर बट्टा देने की प्रणाली भी चलाई गई। पुनर्वासित व्यक्तियों की बस्ती में पानी की स्वतंत्र रूप से सप्लाई सुरक्षित करने के विचार से एक ट्यूबवेल लगाया जा रहा था और बिजली सप्लाई करने के लिये सर्विस लाइन को और आगे बढ़ा दिया गया था। ट्रस्ट ने विस्थापित व्यक्तियों के हेतु क्वार्टरों के निर्माण के लिये ३ एकड़ ९८६ वर्ग गज और भूमि नियत की।

मास्टर प्लान का कार्य समाप्त हुआ और पाँच अन्य योजनाओं के संबंध में पैमाइश तथा नक्शे बनाने का काम हाथ में लिया गया।

बनारस

भेलूपुरा नामक स्थान के एक स्वतःपूर्ण नगर की विकास-योजना और नीचीबाग शापिंग सेन्टर योजना, जो बनारस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा गृह निर्माण तथा सामान्य विकास के प्रयोजन से बनाई गई थी, के संबंध में इस वर्ष स्वीकृति दी गई और वे प्रगति के विभिन्न स्तरों पर थी। भेलूबीर क्षेत्र की एक तीसरी गृह निर्माण योजना अभी प्रकाशित नहीं हुई थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निकटवर्ती क्षेत्र की प्रस्तावित दुकान तथा आवासिक गृह योजना के सबंध में होने वाली पैमाइश का काम चालू था।

ट्रस्ट ने दो उद्यानों का विकास कार्य पूरा किया, एक घोड़ा घाट में और दूसरा त्रिपुरा भैरवी में और तिलभांडेश्वर तथा देवनाथ नामक स्थानों के दो उद्यानों के सबंध में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाहियाँ चल रही थीं। ६ सड़कों की योजनाओं के संबंध में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाहियाँ भी चल रही थी या चलाई जाने वाली थीं। इसके अतिरिक्त काशी रेलवे स्टेशन और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बीच में एक १०० फीट चौडी सड़क द्वारा सीधा सबंध स्थापित करने के हेतु एक एक्सप्रेस रोड स्कीम बनाई गई और इसकी सूचना प्रकाशित की गई। इस सबंध में जो आपत्तियाँ प्राप्त हुईं उन पर वर्ष के अंत में विचार किया जा रहा था।

आगरा

आलोच्य वर्ष के अंत में आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के हाथ में कई योजनाएं थी जो प्रगति के विभिन्न स्तर पर था, जिनमें ३ गृह निर्माण

की योजनाए, ५ विकास योजनाएं, ३ सड़कों की योजनाएं तथा एक विविध योजना सम्मिलित है ।

गृह निर्माण संबंधी योजनाओं में महात्मा गाँधी रोड की गृह निर्माण योजना, जिसमें ७४ एकड़ भूमि की आवश्यकता है, आपत्तियो के लिये विज्ञप्त की गई। इस संबंध में और आगे की जाने वाली कार्यवाहियाँ उस समय तक के लिये स्थगित कर दी गई जब तक कि भरतपुर के महाराजा की कुछ भूमि को प्राप्त करने के प्रश्न पर निर्णय न हो जाय ।

वर्ष के अंत में बलोचपुरा गृह निर्माण योजना के संबंध में, जो विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई थी, सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही थी और विस्थापित व्यक्तियों की सिविल लाइन की योजना के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा स्थगन आज्ञा होने के कारण इसका काम रोक देना पड़ा।

पाँच विकास योजनाओ में कंधारी रोड विकास योजना को छोड़ कर कोई भी ऐसी योजना न थी जिसके काम में सरकार की स्वीकृति हो जाने के बाद कोई प्रगति हुई हो । इस योजना के संबंध में भूमि प्राप्त की गई थी और विकास कार्य कुछ आगे बढ़ाया गया । जैपुर गृह निर्माण योजना के संबध में जो आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी उनकी सुनवाई इस संबंध मे राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवेदन (representations) प्राप्त होने के बाद रोक दी गई थी ।

सड़कों (street) की तीनो योजनाओ के संबंध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई ।

ट्रस्ट ने राजामंडी रेलवे स्टेशन को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिये रेलवे के अधिकारियो से निवेदन किया और इस संबंध मे उक्त अधिकारियो द्वारा उस स्थान का निरीक्षण किया गया ।

नगर तथा ग्राम संविधायन

पहले की भाति नगर तथा ग्राम सविधायन विभाग के कर्त्तव्यो में स्थानीय प्राधिकारियो को उप-नगर विस्तार इत्यादि से सबन्धित योजनाओ को बनाने मे परामर्श देना तथा पथ-प्रदर्शन करना, गांवो के लिये योजनाए बनाना, नए उप-नगरो अथवा बस्तियो के विकास की योजनाएं बनाना, कस्बो तथा गाँवो की पारस्परिक सहयोग योजनाए बनाना, बाढ़ तथा अग्नि प्रकोप जैसी आकस्मिक आपत्तियो द्वारा नष्ट हुए क्षेत्रो के लिये उत्तम प्रकार के नक्शे तथा गृह निर्माण योजना बनाना, सरकारी विभागो के भवनो के सबंध मे बडे आकार की इमारतो के लिये स्थान नियत करने और स्थानीय प्राधिकारियो को गृह-निर्माण तथा सडक बनाने की योजनाओ अथवा प्रमुख सार्वजनिक भवनो को बनाने के संबंध मे परामर्श देने का काम सम्मिलित है । यह स्थानीय प्राधिकारियो को स्थापत्य संबन्धी मामलो मे भी परामर्श देता था ।

आलोच्य वर्ष मे ३ मास्टर प्लान तैयार किये गये, जिनमे से दो इलाहाबाद तथा अल्मोडा के लिये और एक गोचर (जिला गढवाल) के आदर्श नगर तथा बाजार के लिये था । गृह निर्माण की ६ बडी योजनाएं, विस्थापित व्यक्तियों के लिये २२ योजनाएं, सहकारी समितियों के लिये ८ नक्शे, स्थानीय निकायों के लिये १० योजनाएं, चीनी की मिलो के मजदूरो की बस्तियो के लिये १७ नक्शे, सामाजिक तथा नागरिक जांच पडताल की ३ योजनाए, स्थापत्य संबंधी ३१ योजनाएं और ६ विभिन्न योजनाएं भी तैयार की गई ।

गृह-निर्माण संबधी ६ बडी योजनाओ मे आगरे की नया आगरा तथा जैपुर की गृह-निर्माण योजना, बनारस की भोजूबीर विकास योजना, लखनऊ की नदी किनारे पर गृह-निर्माण योजना, कानपुर की जल-कल भूमि पर गृह निर्माण योजना और मिर्जापुर की सेटलर्स कालोनी योजना सम्मिलित है । मेरठ,

शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, बरेली, रामपुर, काशीपुर, हलद्वानी, हाथरस, हस्तिनापुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, खुरजा, मुरादाबाद, फरीदपुर, शामली, खतौली, गोला गोकरननाथ और बुलन्दशहर के नगरो मे विस्थापित व्यक्तियो के सबंध मे योजनाएं तैयार की गई। स्थानीय निकायों के लिये बनाई गई १० योजनाओ मे से ६ योजनाएं कानपुर विकास बोर्ड और लखनऊ तथा आगरा के इम्प्रूवमट ट्रस्टों के लिय बनाई गई थी। इलाहाबाद, अल्मोड़ा तथा हरद्वार के नगरो के लिये सामाजिक तथा नागरिक (civic) जांच-पडताल की गई।

विभाग ने ५ रिपोर्टें भी तैयार की, जिनमें से दो आदर्श भवन निर्माण उपविधि तथा प्रादेशिक नियमो के सबध मे थी। दूसरी रिपोट का उद्देश्य यह था कि आवासिक क्षत्रो मे भवन निर्माण के मामलो मे होन वाली वैयक्तिक स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबध लगाने के आवश्यक साधनो की व्यवस्था की जाय।

अध्याय ४—उत्पादन तथा वितरण

२७—कृषि

१९५१ ई० मे वर्षा और सामान्य स्थिति

जनवरी, १९५१ ई० मे थोडे से जिलो मे औसत से कम वर्षा हुई और अन्य जिलो मे हल्की बौछारे हुई। फरवरी के प्रथम सप्ताह मे बहुत से जिलो मे औसत से कम बौछारे हुई और थोडे से जिलों मे औसत वर्षा हुई। फरवरी के दूसरे सप्ताह मे कई जिलो मे हल्की बौछारे हुई। कुछ जिलों मे ओलो से खडी फसल को थोड़ी सी हानि पहुंची और कई जिलो मे स्थान स्थान पर टिड्डियो ने हानि पहुचाई। मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह म थोडे से जिलो मे हल्की बौछारे आईं, किन्तु चौथे सप्ताह मे अधिकांश जिलो मे औसत से कम वर्षा हुई और थोडे से जिलो मे भारी वर्षा हुई। इस महीने मे प्रायः सभी जिलो मे कुल वर्षा औसत से अधिक हुई। अप्रैल के प्रथम सप्ताह मे अधिकांश जिलो मे कही कही हल्की बौछारे आई और शष महीन मे कई जिलो म हल्की बौछारें आई। मार्च के अन्तिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम सप्ताह मे कई जिलों में खडी और खलिहानो मे काटकर रखी हुई फसल को वर्षा और ओलो से क्षति पहुची। मई के प्रथम और चतुथ सप्ताह में कई जिलो मे औसत से कम वर्षा हुई। जून के प्रथम तीन सप्ताहो मे अधिकांश जिलो में हल्की बौछारें आई और बाकी जिलो मे औसत से कम वर्षा हुई। महीने के अतिम सप्ताह में कुछ जिलो मे भारी वर्षा हुई और शेष जिलो मे औसत से कम वर्षा हुई।

इस वर्ष मानसून बहुत कम थी और इस राज्य मे औसत से कम थी। जुलाई और अगस्त के महीने मे बहुत से जिलो में औसत से कम वर्षा हुई और थोड़े से जिलो मे जोर की वर्षा हुई, किन्तु अधिकांश जिलो मे दोनों महीनो म कुल वर्षा औसत से कम रही। सितम्बर के प्रथम सप्ताह मे बहुत से जिलो मे वर्षा औसत से कम हुई और कुछ जिलो मे जोर की वर्षा हुई। सितम्बर के दूसरे सप्ताह मे कई जिलो मे जोर की वर्षा हुई और शेष समस्त जिलो म औसत से कम वर्षा हुई। किन्तु इसके तीसरे और चौथे सप्ताह मे कुछ दिनो में केवल हल्की बारिश हुई और बाकी जिलो मे बारिश हुई ही नही। अक्तूबर म कई जिलो में कहीं कही केवल हल्की बारिश हुई और बाकी जिलो म वर्षा न हुई और इस प्रकार राज्य भर मे वर्षा औसत से कम हुई। नवम्बर के प्रथम तीन सप्ताहो मे तो राज्य भर मे कही भी वर्षा नहीं हुई, तथापि चतुर्थ

सप्ताह में बहुत से जिलों में हल्की बौछारें आईं और शेष जिलों में वर्षा बिलकुल नही हुई। दिसम्बर में राज्य भर मे कहीं भी वर्षा बिलकुल नहीं हुई।

वर्षा ऋतु मे और उसके बाद वर्षा के अभाव में और अपर्याप्त होने से राज्य में खरीफ की फसलो और विशेषतः धान को काफी क्षति पहुंची। नैपाल तराई के समीप कुछ भागों और गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलो के कुछ क्षत्रो मे, जो नैपाल की सीमा पर है और जहां मुख्यतया धान पैदा होता है, खरीफ की फसल का बोया जाना और देर से होने वाले धान के पौदो के रोपने का काम न हो सका। मिट्टी मे नमी की बहुत कमी होने के कारण रबी की फसल के लिए खेत विशेषकर न सींचे जाने वाले क्षेत्रो मे सन्तोषपूर्ण ढंग से नही तैयार किये जा सके और कुछ कम क्षेत्रों मे रबी की फसल बोई गई थी।

१९५०-५१ ई० में फसलों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन गन्ना गुड़ चावल ज्वार

१९५०-५१ ई० में गन्न का क्षेत्रफल २५,०७,६४५ एकड़ था, जिसमें गत वर्ष की अपेक्षा क्षेत्रफल में १९.४ प्रतिशत वृद्धि हुई और गुड की कुल पैदावार २९,०६,४६९ टन हुई और इस प्रकार इसमे १०.४ प्रतिशत वृद्धि हुई। चावल का क्षत्रफल ९३,१६,०२९ एकड था और उसमें गत वर्ष के चावल के क्षेत्रफल की अपेक्षा ३.२ प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु १९५०-५१ ई० म कुल उत्पादन २०,०८,६९६ टन था, जो कि गत वर्ष की अपक्षा १९.६१ प्रतिशत कम था। यह कमी सूखा, जिससे फसल को भारी क्षति पहुंची, पड़ने के कारण बतलाई जाती है। ज्वार (जो कि २३,३२,००२ एकड था) के क्षेत्रफल मे ०.७ प्रतिशत नाम मात्र की कमी हुई, किन्तु बाढ के कारण फसलों को नुकसान पहुचने से उत्पादन मे ८ ३ प्रतिशत की कमी हुई अर्थात् वह ४,२१,२८४ टन रही।

बाजरा

बाजरा के क्षेत्रफल में ४,२२ प्रतिशत और उत्पादन मे ४.४९ प्रतिशत कमी हुई, क्षत्रफल और उत्पादन के आंकडे क्रमशः २५,६६,२६२ एकड़ और ४,४७,४८३ टन है।

मक्का

मक्का का क्षेत्रफल २०,४३,६३६ एकड था अर्थात् गत वर्ष से ७.०९ प्रतिशत ज्यादा था और कुल पैदावार ६,४०,९०१ टन थी। इस प्रकार इसमें १८.६ प्रतिशत वृद्धि हुई।

गेहूं जौ चना

गेहूं के क्षत्रफल मे ०.२४ प्रतिशत और कुल पैदावार में १२.७६ प्रतिशत वृद्धि हुई। क्षेत्र फल और कुल पैदावार क्रमशः८२,२१,०६१ एकड और २९,१४,७८४ टन थी। जहां तक जौ का संबन्ध है क्षेत्रफल मे २.७५ प्रतिशत कमी हुई अर्थात् ४५,६८,६३८ एकड़ था, किन्तु कुल पैदावार में ८.४ प्रतिशत वृद्धि हुई अर्थात् १६,३४,८३५ टन थी। चने का जहां तक सम्बन्ध है क्षेत्रफल और कुल पैदावार क्रमशः ६२,४५,७०९ एकड और १४,६३,५७८ टन थी, जिससे गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः ६.१६ और २.४ प्रतिशत की कमी प्रदर्शित होती है।

कपास

कपास के क्षेत्रफल मे २.२ प्रतिशत की कमी हुई, किन्तु कुल पैदावार मे २.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि मौसम अनुकूल रहा और कपास के क्षत्रफल और कुल पैदावार के आंकडे क्रमशः १,०४,७१५ एकड और प्रत्यक ३९२ पौन्ड वाली ४५,००० गांठें है।

सरकारी फार्म

इस वर्ष वभागिक फार्मों की कुल पैदावार बढ़कर २३.४ मन प्रति एकड हो गई।

अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अन्न उत्पादन को प्राथमिकता दी गई और जितना संभव हो सकता था उतना अधिक अन्न उत्पादन करन के लिय प्रत्येक प्रकार के प्रयास किये गये। बांध बनाने, भूमि को चौरस करने, नक्शे तैयार करने,

बागबानी सम्बन्धी विकास तथा वृक्षारोपण आन्दोलन

कृषि विभाग के बागवानी उप-विभाग की सामान्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त फल के पेड़ों के अलावा जलाने की लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के पेड़ों के लगाने के उद्देश्य से एक वृहद् वृक्षारोपण आन्दोलन चलाया गया। इस वर्ष कुल २२,३६,८६९ पेड़ लगाये गये, जबकि गत वर्ष केवल १४,८८,२४० पेड़ लगाये गये थे।

इस वर्ष लगभग १६,८८३ एकड क्षेत्र मे नए फल के बाग लगाये गये और पुराने फल के बाग के ८,९०१ एकड़ क्षेत्र को फिर से नई तरह लगाया गया। प्रत्येक १० एकड़ की १० केन्द्रीय पौधशालाये और पहाड़ो में ९ छोटी पौधशालायें और मैदानों में ७ जिला पौधशालाये नई योजना के अनुसार चालू की गई, जिससे काश्तकारों को देने के लिये विश्वसनीय पौधे पैदा किये जा सकें। केन्द्रीय पौधशालाओ में ३,५७,०१८ पौधे उगाये गये और वहां से २,२५,८०९ पौधे बांटे गये और पहाड़ो की पौधशालाओ से ११,००० पौधे बांटे गये।

दो नई अन्वेषणशालाये अर्थात् एक मैदानी फलो (सहारनपुर में) और दूसरी वैनस्पतियो (लखनऊ में) के लिये उपयोगी कार्य करती रही।

पौधा संरक्षण सेवा

टिड्डियों को, जिनके आने की सूचना सभी ५१ जिलों से मिली थी, मारने की कार्यवाहियाँ, जिसमें कीडो को मारने की गम्भीर समस्या भी शामिल है, जारी रही। जनवरी-अप्रैल के बीच की अवधि मे लगभग १,३३४ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्रफल मे ये कार्यवाहियाँ की गईं और लगभग ४७९ मन टिड्डियाँ मारी गईं। मई और वर्ष समाप्ति की अवधि में पौधा सरक्षण कर्मचारी २० से अधिक जिलों में १४० समीपवर्ती क्षेत्रों में गये और अन्य सरकारी कर्मचारियो की सहायता से नियन्त्रण कार्यवाहियो का सगठन किया। लगभग १,३८० मन और ५० बोरे टिड्डियाँ नष्ट की गई। १९५१ ई० म २५ जिलो में ४४,१७६ आम के पेडो मे आम के पतगो को मारने के विचार से ०.२५ प्रतिशत डी० डी० टी० छिड़का गया। जहाँ कही पहले डी० डी० टी० नही छिड़का गया था उन जिलो में चार आने प्रति पेड़ के हिसाब से लिया गया। गेहू, जौ, धान और ज्वार के बीजो से पैदा होने वाले रोग की रोक-थाम के लिये पौधा संरक्षण सेवा हाल ही के अनुसधानों से फायदा उठाती रही और १७ जिलो में तीन आने तीन पाई से लेकर पाँच आने तीन पाई प्रतिमन के हिसाब से विभिन्न प्रकार के ४,९२० मन बीजो की रासायनिक जाँच की। चूहो के ७०,९८१ बिलो में आर० सी० एन० गैस छिडकी गई और १९५०-५१ ई० मे चूहों के १३,७१४ बिलों को विषले कुत्तों द्वारा परिष्कृत किया गया और १९५१ ई० में अप्रैल से सितम्बर के भीतर ५,१८४ बिलो को गैस छिड़क कर परिमार्जित किया गया और ८७३ को विषैले कुत्तों से परिष्कृत किया गया। राज्य भर मे सरसो के यूका (मस्टर्ड एफिस), ऊन पर लगने वाले यूका (ऊल एफिस), आड़ू की पत्तियों मे घुंघरालापन लाने वाले यूका (पीच लीफ कार्लिंग एफिस), लाल-कद्दू के गोबरैलों (रेड पम्पकिन बीटल), सिघाड़े पर लगने वाले गोबरैलो, पहाड़ों पर फलदार पेड़ों पर लगने वाली लाहकैना (एक प्रकार की काई जो चट्टानो पर उगती है), सेव की पड़ो की स्टेम ब्राउन, स्टेम ब्लैक, कालर रौट और पिंक रोगों, गन्ने के पायरिला और रेड रोट रोगों, बैंगन के अकुरो और फलों को भेदने वाले तथा अन्य प्रकार के कीड़े और पौधो के रोगो को रोकने के भी उपाय किये गये।

कार्य-क्षेत्र का प्रसार तथा प्रदर्शन

आलोच्य वर्ष मे कृषि विभाग का कार्य-क्षेत्र३,६०० गाँवों मे बढ़ाया गया और प्रदर्शनों के ३,००,००० नियत लक्ष्य मे से २,३२,२४४ प्रदर्शन किये गये।

ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना और भूमि-संरक्षण

ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना के अन्तर्गत जिस ७,७४३ एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव किया गया था उसमे से १,२०४ एकड भूमि में खरीफ फसल और १,१४६ एकड़ भूमि में रबी की फसलें बोई गई और कुल ७,१३३ मन की पैदावार हुई। जिस भूमि को भूमि कटने से रोकने की योजना के अन्तर्गत संरक्षित करना था उसमें पेड लगाये गये, जिसमें से १०,४५७ पेड़ सुरक्षित रह पाये। २८० संरक्षित भूमि के विभिन्न टुकड़ो में खरीफ फसल बोई गई और उसमें ६४४ मन पैदावार हुई।

जूट विकास

इस राज्य मे जूट की खेती के लिये लक्ष्य के रूप मे नियत क्षेत्र मार्च सन् १९५१ ई० में फिर से बढ़ाकर १,००,००० एकड कर दिया गया, लेकिन ६३,१२३ एकड़ से अधिक भूमि मे बीज न बोया जा सका। इसमे से लगभग २५,२१८ एकड़ भूमि को अवर्षण इत्यादि के कारण हानि पहुंची। इस योजना के अनुसार, जो इस वर्ष तीन अन्य जिलों में भी लागू कर दी गई थी, १९ चुने हुए जिलों के ७० केन्द्रों मे काम हो रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि ५,००,००० मन से ऊपर जूट का रेशा प्राप्त हो सकेगा।

कपास विकास

गत वर्ष आरम्भ की गई योजना के अनुसार जिसके अधीन भारत सरकार इस बात पर राजी हो गई थी कि जितने एकड़ भूमि मे कपास की खेती की जावेगी उसके आधार पर वह खाद्यान्न देगी, ६३,१६७ एकड़ भूमि मे (२४ जिलो में) कपास बोई गई, जबकि गत वर्ष केवल १९,६७७ एकड़ भूमि में बोई गई थी। काश्तकारो के बीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिये १०,१०७ मन कपास का बीज, जिसमे से १,०९० मन अच्छे किस्म का बीज था, वितरित किया गया। कपास की फसल को अन्य फसलो के साथ मिलाकर बोने को प्रोत्साहित करने के लिये लगभग ४४४ मन कपास का बीज बिना मूल्य वितरित किया गया। उतने अतिरिक्त एकड़ भूमि के सम्बन्ध में जिसमें नहर के पानी से सिचाई करके कपास उत्पन्न की गई थी, सरकार ने प्रति एकड सिंचाई कर के बराबर धनराशि राज्य सहायता के रूप मे प्रदान की।

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान

सदा की भांति अनुसंधान कार्य विभाग के विभिन्न कार्यो मे प्रमुख रहा। यह कार्य खेतो और प्रयोगशालाओ दोनो ही जगहो में किया गया। शाहजहाँपुर मे गन्ना अनुसधान संचालक (Director of Sugarcane Research) और कानपुर में कृषि रसायन शास्त्री (Agricultural Chemist) पौधो के रोगों के चिकित्सक (Plant Pathologist), कीटशास्त्रज्ञ (Entomologist) और रबी की फसल तथा तिलहन के लिये दो आर्थिक वनस्पतिज्ञ (Economic Botanist) के पर्यवेक्षण और पथ-प्रदर्शन में अनुसंधान कार्य किये गये। प्रदर्शन नगीना, जिला बिजनौर में सहायक आर्थिक वनस्पतिज्ञ (Assistant Economic Botanist) ने धान के सम्बन्ध मे और बुलन्दशहर के सहायक आर्थिक वनस्पतिज्ञ (Assistant Economic Botanist) ने कपास में अनुसंधान कार्य किये। फलो और शाक भाजियों से संबद्ध अनुसधान कार्य उद्यानकरण के उप-संचालक (Deputy Director of Horticulture)

के अधीन था। लखनऊ में शस्य जीवन प्रक्रिया विज्ञान सेक्शन (Crop Physiology Section), शस्य दैहिकी विद् (Crop Physiologist) के अधीन था।

शुद्ध बीज की वृद्धि की नई रीति

वैज्ञानिक ढंग से तैयार किये लकड़ी के बने हुए सस्ते बीज बोने के औजारों (Wooden Dibblers) द्वारा किये गये प्रयोग सफल सिद्ध होने पर इन औजारों का प्रयोग करने के तरीके के प्रदर्शन की व्यवस्था हर जिले में की गई, ताकि गाँव वालों को इस बात के लिये तैयार किया जा सके कि वे इस नये तरीके को अपना कर अच्छे बीज की वृद्धि करे तथा अपने गोदाम को बढ़ावे और इस प्रकार विभाग से अच्छे बीज की मांग को घटाने। ये औजार (dibbler) बीज बोने के उपकरण के रूप में काम में लाये जाते है और जब उनकी सहायता से गेहूं बोया जाता है तो एक एकड़ भूमि के लिये केवल ६ सेर बीज ही पर्याप्त हो जाता है तथा उपज भी लगभग उतनी ही होती है जितनी कि सामान्य तादाद यानी ४०-५० सेर गेहूं प्रति एकड़ भूमि में बोने पर होती है।

शिक्षा

कानपुर के कृषि कालेज (Agricultural College) और बुलन्दशहर गोरखपुर चिरगाँव, (झांसी) और हवालबाग (अलमोड़ा) के कृषि स्कूल (Agricultural Schools) दोनों ही कृषि की सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा देते रहे।

कृषि स्कूलों (Agricultural Schools) के पाठ्यक्रम में इस ढंग से परिवर्तन करने का प्रयास किया गया जिससे कि अधिक व्यावहारिक किसान तैयार हो सकें और प्रत्येक छात्र को अनाज पैदा करने के लिये दी गई भूमि मे १/२० एकड़ से १/५ एकड़ तक की वृद्धि हो सके। साल की समाप्ति के समय कृषि कालेज तथा स्कूलों (Agriculture Colleges and Schools) को अपनी-अपनी तहसीलों में कृषि की वृद्धि के कार्य का उत्तरदायी बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। अमेरिका के लैन्ड ग्रान्ट कालेजो (Land Grant Colleges) के आधार पर इस राज्य में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय (Rural University) स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था।

२८—कृषि इंजीनियरिंग

पिछले वर्ष की भांति कृषि इंजीनियरिंग विभाग की मुख्य कार्यवाहियों का उद्देश्य अन्न उत्पादन को बढ़ाना था। इनका संबंध निम्नलिखित से था :—

सिंचाई के छोटे-मोटे निर्माण-कार्य जैसे (१) पक्के कुओं की मरम्मत या निर्माण, वेधन द्वारा पक्के कुओं का सुधार, रहटों (Persian wheels) का लगाना, ट्यूबवेलों का बनाना, पम्प से पानी खींचने वाली मशीनों का लगाना और नालियों, झीलों और तालाबों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने वाली पम्पिंग मशीनों का लगाना; (२) कारखानों का निर्माण, औजार बनाना और कृषि औजार संबंधी अनुसंधान करना; (३) जोतने जाने योग्य बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना तथा यंत्रों द्वारा खेती करना; (४) पानी के निकास की नालियों का सुधार करके पानी से भरे हुए क्षेत्रो को कृषि योग्य बनाना और (५) बुन्देलखण्ड में कण्टूर बन्धियों का निर्माण।

सिचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य

राज्य सहायता द्वारा पक्के कुओं के निर्माण योजना के अनुसार इस वर्ष १२,५८७ पक्के कुओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया। कृषकों को नियंत्रित दर से इमारती सामान दिया गया और साथ ही उनको बिना ब्याज की उतनी तकावी दी गई जोकि कुओं की वास्तविक लागत के १/३ भाग के बराबर थी।

तथापि वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस वर्ष राज्य-सहायता संबंधी पिछले साल के नियमो में संशोधन किये गये । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वित्तीय सहायता के अधीन कुल नियत धनराशि में वृद्धि नहीं की जा सकती है, राज्य-सहायता देने की दर में कमी कर देने का निश्चय किया गया, जिससे कि अधिक से अधिक कुएं खोदे जा सकें और अधिक किसानों को लाभ पहुंच सके। विभिन्न क्षेत्रों में पानी की सतह, निर्माण-कार्य की लागत, कृषकों की आर्थिक स्थिति, प्रार्थना-पत्रों की संख्या, जो कुएं पूरे बन चुके हैं उनकी संख्या और विभिन्न जिलों की तुलनात्मक आवश्यकताएं आदि जैसी बातों को देखते हुए सरकार ने उन जिलों में जहां कृषक गरीब हैं और निर्माण-कार्य की लागत अधिक है, राज्य-सहायता घटाकर ४०० रु० प्रति कुएं की दर से और राज्य के बाकी जिलो में २५० रु० प्रति कुएं की दर से कर दी है ।

७३६ बेकार पडे हुए कुओं को फिर से ठीक किया गया, जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को नियंत्रित दर पर सामान दिया गया । इसके अतिरिक्त ३,६२२ पक्के कुओं का वेधन इस विचार से किया गया कि उनमें पानी ज्यादा हो जाय और वे स्थायी रूप से बराबर पानी दे सकें । इस प्रयोजन के लिए नियंत्रित दर से पाइप, छल्ला इत्यादि दिया गया और कुएं वेधन की लागत की ५० प्रतिशत तक धनराशि बिना ब्याज तकावी के रूप मे दी गई । इन निर्माण-कार्यों के लिए बिलकुल राज्य-सहायता नही दी गई, किन्तु इस संबंध में सरकार ने जो उपरिव्यय किया था वह कृषकों के लिए रियायत के रूप में छोड दिया गया । इसी प्रकार की सुविधायें ३,६२२ पक्के कुओं में रहट लगाने के संबध में दी गईं । रहट तैयार करने के लिए निर्माताओं और कृषकों को लोहा और इस्पात भी नियंत्रित दर से दिया गया ।

कृषि इंजीनियरिंग विभाग निजी तौर पर फार्म रखने वालों और यंत्रों द्वारा खेती करने वाले अथवा पशुपालन संबंधी फार्मों का काम करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों के लिए बिजली के कुएं निर्माण करने का कार्य करता रहा । ट्यूबवेलों की लागत की १/३ धनराशि तक बिना ब्याज तकावी के रूप मे दी गई । नियमानुसार राज्य-सहायता नही दी जा सकती थी, किन्तु जहां किसी जिले में पक्के कुओं के बदले सहकारी सिंचाई समितियों के लिए ट्यूबवेल बनाये गये, सरकार ने ट्यूबवेल की लागत का १/३ भाग, जो प्रति ट्यूबवेल अधिक से अधिक ५,००० रु० तक था, उस अनुदान में से स्वीकृत किया जो पक्के कुओं के लिए राज्य-सहायता के रूप में देने के लिए निश्चित था । इस योजना के अधीन मेरठ और इटावा जिलों में ट्यूबवेल बनाने का काम पूरा किया गया । इस वर्ष इस विभाग ने कुल १०२ ट्यूबवेल बनाये और वर्ष के अन्त मे ६१ ट्यूबवेलों का निर्माण किया जा रहा था । बिजली से चलने वाले दो रिगों (Rigs) से जो पहिले ही यंत्रों द्वारा वेध कर ट्यूबवेल बनाने के लिए प्राप्त किये गये थे, इलाहाबाद, इटावा और बस्ती जिलों में, जहां मिट्टी की परते खराब थीं और हाथ से खोदने वाले हथियारों से काम करना कठिन था, कई ट्यूबवेलो को बनाने में सुविधा मिल गई ।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने वाले पम्प से पानी खींचने वाले स्थिर यंत्रों की योजना के संबंध में काफ़ी सफलता मिली । इस वर्ष १०७ स्थिर-यंत्र ज्यादातर पूर्वी जिलों में, जहां बारिश बिलकुल नही हुई और सूखा पड़ गया था, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के विचार से लगाये गये । ये स्थिर-यंत्र २४,३६१ घंटे चले और इनसे लगभग ६,५०० एकड़ भूमि को फायदा पहुंचा । घंटों के हिसाब से सिंचाई महसूल लिया जाता रहा । सरकार

ने प्रति घंटा १ रु० ८ आना की दर से राज्य सहायता के रूप में दिया और कृषकों को प्रति घंटा २ रु० ८ आना की दर से भुगतान करना पड़ा।

वर्कशाप

आलोच्य वर्ष में बरेली के सेन्ट्रल वर्कशाप और मेरठ, झांसी तथा लखनऊ के जोनल (Zonal) वर्कशापों को उपयुक्त साज-सामान से सुसज्जित किया गया। तथापि झांसी और मेरठ की वर्कशापो में बिजली नही लगाई जा सकी, क्योंकि पर्याप्त बिजली उपलब्ध नही थी। वर्कशापो मे ट्रैक्टरो की सफाई की जाने लगी, ट्रैक्टरों, औजारो, परिवहन की गाड़ियो तथा कृषि सम्बन्धी यत्रो की मरम्मत और औजार तथा ट्रैक्टरों के कल-पुरजे तैयार होने लगे। उन वर्कशापों मे लोहा ढालने का काम, मशीन शाप वर्क और धातु का काम भी होने लगा। लगभग २०० ट्रैक्टरों की मरम्मत की गई तथा उनकी सफाई की गई और बैलों द्वारा खींचे जाने वाले औजार, पाइपों के लिए साकेट, कृषि कार्य के लिये छन्ने इत्यादि बहुत बड़े परिमाण मे तैयार किये गये।

इन बड़े-बडे वर्कशापो के अतिरिक्त १० ग्रामीण वर्कशापों को भी इस वर्ष सुसज्जित किया गया। इनमे छोटे-मोटे मरम्मत के काम किये जाने लगे और छोटे-छोटे ऐसे छन्ने तैयार किये जाने लगे जिनकी बेधन क्रिया से तैयार होने वाले कुओ के संबध में आवश्यकता थी। इनमे से कुछ वर्कशापो में कारीगरो को कृषि संबधी औजारों की मरम्मत करने और तेल से चलने वाले इंजिनों तथा अन्य छोटे स्थिर-यंत्रों (प्लान्टो) को चलाने और उनको अच्छी हालत मे बनाये रखने की ट्रेनिंग देने का काम भी प्रारम्भ किया गया।

गवेषणा

गवेषणा शाखा मे छोटी मशीनों के उपयुक्त डिजाइन तैयार करने के प्रयोग किये जाते रहे। इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी, कलकत्ता के सेक्रेटरी के विस्तृत विवरण के अनुसार जूट ड्रिलिंग की पहली मशीन का समनुविधान (design) तैयार किया गया और वह मशीन इस वर्ष बनाई गई। इस मशीन की जॉच इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी के कार्यालय और जूट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बैरकपुर स्थल पर की गई और परिणाम अच्छे निकले। मशीन को कम मूल्य पर तैयार करने की सम्भावना की जॉच की जा रही है।

वाटर-लिफ्टों (Water Lifts) में सुधार के लिए दक्ष टेकनिशियनो को सहायता दी गई। उन्हें आवश्यक निर्देश दिये गये और नियंत्रित दर पर उन्हे सामान देने की व्यवस्था की गई।

औजारो को प्रमापित करने के विचार से इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट मे स्थापित टेस्टिंग स्टेशन (Testing Station) में बलों से चलाये जाने वाले औजारो की जॉच की गई और आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये गये तथा जहॉ आवश्यक प्रतीत हुआ सुधार संबंधी सुझाव भी दिये गये।

ऐसे उपयुक्त फर्मो को, जिनके पास सुसज्जित वर्कशाप थे, खेती के उन्नत औजारो को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इन फर्मो के वर्कशापो का निरीक्षण किया गया और निर्दिष्ट ढग के औजारो को तैयार करने की उनकी क्षमता तथा सामर्थ्य की जॉच की गई। उन्हें उन्नत प्रकार के कृषि संबधी औजार तैयार करने के लिए लोहा और इस्पात आवश्यक परिमाण में दिया गया। ये औजार कृषकों के हाथ बेचने के लिये बनाये जायगे और सरकार उनकी अधिकतम कीमत नियत करेगी।

भूमि को खेती योग्य बनाना और यंत्रों द्वारा खेती

इस वर्ष भी ट्रैक्टरों की मदद से भूमि तोड़ी गई और उसके बाद ही खेती की गई। तराई और काशीपुर में भारत सरकार के बहुत से ट्रैक्टरो द्वारा भूमि तोड़ देने के बाद ही खेती करने के अधिकतर क्रालर (crawler) ट्रैक्टर ही पहिले की तरह काम मे लाये गये। तराई और भाबर तथा इटावा

और लखीमपुर खीरी में नई भूमि को तोड़ने में भी इन ट्रैक्टरो का उपयोग किया गया। पहियेदार किस्म के ट्रैक्टरों को अधिकतर यंत्रो द्वारा खेती के लिए और कृषि संबंधी मशीनों, जलाने के तेल इत्यादि को लाने-लेजाने के लिए प्रयोग में लाया गया। कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने कृषकों को ठेके पर सुविधायें देने की व्यवस्था भी की थी। यह निश्चय किया गया कि जिलों को एक निश्चित संख्या में ट्रैक्टर उस समय दिये जायं जब कि किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव वास्तव मे परिपक्व हो जाय। पहले की उस योजना को, जिसके अधीन कुछ जिलों में यन्त्रों द्वारा खेती करने के उद्देश्य से जिला मैजिस्ट्रेट की देखरेख में ट्रैक्टरों के यूनिट दे दिये गये थे, परिणाम अच्छे न मिलने से छोड देनी पड़ी। नई योजना के अधीन ट्रैक्टर द्वारा जुताई के लिये जमीन जहाँ तक संभव हो सके १०० या इससे अधिक एकड के ब्लाको में छाँटी जानी थी। उन दशाओ मे भी ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जानी थी जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में एक दूसरे से मिले हुए छोटे-छोटे ब्लाक हों, किन्तु जिनका क्षेत्रफल १०० एकड़ से कम हो। इन सेवाओ के करने म विभाग का जितना व्यय होता वह पेशगी लिया जाने वाला था। किन्तु एसी दशाओ में जबकि किसान इन व्ययो को तुरन्त देने में असमर्थ होते थे कावी ऋण, जिसे पश्चात्‌वर्ती ३ बड़ी फसलों में से तीन किस्तो मे वसूल किया जा सकता था, स्वीकृत किए गए। उन कृषको को जो अपने-अपने ट्रैक्टर रखने के लिये उत्सुक थे, उन जिलो मे जहाँ कि यह माँग ठीक समझी गई, ट्रैक्टर के कुल मूल्य की ५० प्रतिशत धनराशि को, जो १०,००० रु० से अधिक नही हो सकती थी, तकावी ऋण के रूप मे देने की सुविधायें दी गयी।

सब मिलाकर १३,०६९ एकड़ बन्जर भूमि तोड़ी गई। ७,७२५ एकड़ खेती की जाने वाली भूमि में हल चलाये गये और ४८,८५६ एकड़ भूमि मे हेंगा (सरावन) चलाया गया।

बाहर से सामान मगाने के लाइसेंस सम्बन्धी प्रतिबन्धो के कारण ट्रैक्टरों के मरम्मत के लिये फुटकर पुर्जे प्राप्त करने और माँग किये जाने पर खेती के काम के लिये ट्रैक्टरों को तुरन्त उपलब्ध करने मे कठिनाई होती रही। ट्रेनिंग-प्राप्त औद्योगिक कर्मचारिवर्ग की वैभागिक वर्कशापो में कमी के कारण और बिजली के न मिलने आदि जैसी अन्य बातों से भी कठिनाइयाँ हुयी।

पानी के निकास की नालियों में सुधार

पानी के निकास की बहुत सी नालियों की योजना के सम्बन्ध मे जाँच-पड़ताल की गई। इस वर्ष ७४ योजनाएं निष्पादित की जा रही थीं। वर्ष के अन्त तक विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत कार्य की काफी प्रगति हो चुकी थी, जिससे लगभग ९३,९०० एकड़ के क्षेत्रफल को लाभ पहुंचेगा।

बुन्देलखन्ड में कैन्टूर बंधियाँ

कैन्टूर बन्धियों से सम्बन्धित कार्य बहुत काफी बढ़ गया था। बन्धियों के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई। वे इस प्रकार बनाई जा रही हैं कि झांसी, इलाहाबाद, बाँदा और हमीरपुर का लगभग १६,२१४ एकड़ क्षेत्र पानी में डूब जाय।

२६—सिंचाई

सामान्य

मानसून में वर्षा कम होने के कारण अगहनी धान रोपने के सम्बन्ध में नहर के पानी की अधिक माँग हुई। मानसून के जल्दी खत्म हो जाने और जाडे में वर्षा न होने के कारण रबी की फसल को पानी नहीं मिल सका और इसलिये वर्ष के अन्त तक पानी की अधिक माँग बनी रही। नदियों में कम

पानी रहने के कारण माँग पूरी करने में काफी कठिनाई हुई और कुछ स्थानों में नहरों तथा बिजली के कुंओं से जो पानी मिला वह पर्याप्त नहीं था।

आलोच्य वर्ष में ६६,६५,४७० एकड (१६५०-५१ ई० में रबी के ४१,३७,४७२ एकड़ और १६५१ ई० में खरीफ के २८,२७,६६८ एकड़) क्षेत्र में सिंचाई हुई, जबकि पिछले वर्ष ६०,१७,६७३ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई थी। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाने का कुछ कारण तो यह था कि मानसून नहीं आया और अधिकतर यह कि उपलब्ध पानी का वितरण मितव्ययता और वैज्ञानिक आधार पर किया गया। यह तखमीना लगाया गया कि वर्ष में नहर और राज्य के बिजली के कुओं की सहायता से सींची गयी जितनी फस्लें पकीं उनका मूल्य कुल १६० करोड़ रु० था और सम्बन्धित किसानों पर सिंचाई कर लगने से ५.४०८ करोड़ रु० राजस्व की प्राप्ति हुई।

चालू नहरें और बिजली के कुंएं

वर्ष के अन्त में २६,०७३ मील नालियाँ चालू थी, जिनमें से १,२०८ मील नालियाँ आलोच्य वर्ष में बनायी गयी थी। कलेन्डर वर्ष के अन्त में २,३५१ सरकारी बिजली के कुंए चालू थे, जिनसे १०·५४ लाख एकड क्षेत्र की सिंचाई की गई। इनमें से १३७ बिजली के कुंए साल के दौरान में बनकर तैयार हो गये और उनमें बिजली लगाई गयी।

निर्माण कार्य जो पूरे हो गये थे या जो हो रहे थे

नई नालियों का निर्माण और गंगा तथा जमुना नहरों का विस्तार करने वाली अन्य नालियों का निर्माण कार्य होता रहा। गंगा नहर की पानी की निकासी की क्षमता ८,००० से १०,५०० क्यूसेक्स तक बढ़ाने के लिये सरकार ने १५ लाख रु० की तखमीनी लागत की एक योजना स्वीकृत की और यह कार्य अक्टूबर, १६५१ ई० में नहरबन्दी के समय प्रारम्भ किया गया। सोलानी पानी की नाली की सतह को कम करने और उसकी बगल की दीवालों को ऊंचा उठाने के फलस्वरूप गंगा नहर में अधिक पानी भेजना और ६१,००० एकड अतिरिक्त रबी क्षेत्र को सींचना संभव हो सका। धरौनी रेगूलेटर के फाटकों को जो कि अत्यन्त पुराने हो गये थे बदल कर नये फाटक लगाने की एक योजना ३,५७,६४४ रु० की तखमीनी लागत पर स्वीकृत की गयी। नहरबन्दी के समय नये फाटकों में सिलप्लेट और साइड गूल लगाये गये। कनखल नगर की रक्षा के लिये गंगा नदी में बाँध बनाने का कार्य जारी रहा और लगभग ७.५ लाख रु० के व्यय पर वह जून, १६५१ ई० में पूरा हो गया।

राज्य के पश्चिमी जिलों में विभिन्न योजनाओं के अधीन बिजली के कुंओं का निर्माण कार्य जारी रहा और वर्ष के अन्त तक ६३७ बिजली के कुंओं को चालू किया गया।

बुन्देलखन्ड में ललितपुर, सपरार और कबराय झील योजनाओं के संबन्ध में जो निर्माण कार्य पहले से हो रहा था वह पूरा हो गया, सिवाय बाढ़ के पानी की निकासी के लिये प्रबन्ध करने और जल मार्ग बनाने के। सिंचाई के प्रयोजनों के लिये ललितपुर तथा सपरार बाँधों पर एकत्रित पानी का बेतवा तथा धसान नहर तन्त्र में उपयोग किया गया। रंगवान बाँध (बाँदा जिले में) और बेलन नहर योजना (इलाहाबाद जिले में) के निर्माण कार्य में अच्छी प्रगति रही। वह योजना, जिसके अधीन ३५० मील नयी नालियाँ और बेतवा नहर प्रणाली के आधार पर पानी के विस्तार की अन्य नालियाँ बनायी जाने वाली थीं और जिसका निर्माण कार्य पहले से ही हाथ में ले लिया गया था, लगभग पूर्ण हो गया था।

झांसी, हमीरपुर, बाँदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में भी कई बंधियाँ बनाई गयी और चन्द्रप्रभा, अहरौरा, माटातिला तथा अर्जुन योजनाओं का, जिसके द्वारा लगभग ४ लाख एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई की संभावना थी, निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया।

गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलें में १०० बिजली के कुंओं का निर्माण कार्य होता रहा और वर्ष के अन्त तक ६० बिजली के कुंओं को चालू किया गया। आजमगढ़ जिले में ४ पाताल तोड़ कुंए यह मालूम करने के लिए कि पूर्वी जिलों में जहाँ कि अगले १५ वर्षों में कई हजार बिजली के कुंए गलाने का प्रस्ताव था, किस प्रकार के बिजली के कुंए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध होंगे, बनाये गये।

सिंचाई की ११२ मील छोटी नालियों में से जिनका अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल जिलों के अविकसित क्षेत्रों में निर्माण हो रहा था, ६३ मील नालियाँ पूरी की गयीं और वर्ष में सिंचाई के लिये उनको खोल दिया गया। उक्त योजना, जिसके अधीन निर्माण कार्य किया जा रहा था, के पूरी हो जाने पर २५० मील और नयी नालियाँ तैयार हो जायेंगी और उनसे प्रति वर्ष २०,००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी।

राज्य के केन्द्रीय रीजन में सारदा नहर तन्त्र प्रतापगढ़ और दरियाबाद शाखाओं को सम्मिलित करते हुए २,००० मील नयी नालियाँ और पानी के विस्तार की अन्य नालीयों को बनाकर सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये प्रयत्न किये गये। वर्ष के अन्त में चालू कुल १,४७५ मील नयी नालियाँ थीं। जहाँ कहीं उपलब्ध हो नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के अभिप्राय से प्रमुख सारदा नहर और उसकी शाखाओं की २,००० क्यूसेक्स क्षमता बढ़ाने के लिये ३६ लाख रु० की तखमीनी लागत पर सरकार ने एक योजना स्वीकार की और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, फैजाबाद और गोंडा जिलों में ३४० नये बिजली के कुंओं क, निर्माण कार्य में, जिसे एसोसियेटेड ट्यूब-वेल्स लिमिटेड को सौंप दिया गया था संतोषजनक प्रगति रही।

३०—बिजली

सामान्य

विद्युत् शाखा, जो फरवरी, १९५० ई० में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा से अलग कर दी गई थी, १ जनवरी, १९५१ ई० से चीफ इंजीनियर के चार्ज में रख दी गई। इस वर्ष सारदा जल विद्युत् सर्किल में रूरल लाइनों के निर्माण तथा खातिमा में विद्युत् शक्ति के उत्पादन कार्य की देखरेख करने के प्रयोजन से दो नए डिवीजनों के बनाने की स्वीकृति दी गई इस प्रकार विद्युत् शाखा में कुल १४ डिवीजन और ३३ सब-डिवीजन हो गये।

इस वर्ष विभाग द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये की लागत के बड़े निर्माण कार्य किये गये। इस वर्ष के अनुमानित राजस्व की धनराशि १,१४,५०,००० रु० थी। विद्युत् शाखा द्वारा प्रारम्भ किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कुछ विस्तृत विवरण नीचे दिये गये हैं:—

गंगा जल-विद्युत सर्किल

(१) हरदुआगंज स्टीम स्टेशन का विस्तार—इस वर्ष ३ पुराने डब्ल्यू० आई० एफ० ब्वायलरों के लगाए जाने का काम जारी रहा।

(२) मुहम्मदपुर बिजलीघर—१ नम्बर की मशीन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चलता रहा और पूरा किया गया और फरवरी के महीने में व्यवसाय सम्बन्धी बिजली की सप्लाई करने के प्रयोजन से मशीन चालू की गई। वर्ष के अन्त में ग्रिड में लगाई गई मशीन की विद्युत उत्पादन करने की क्षमता ३,१०० किलोवाट थी। बिजलीघर से वर्तमान रुड़की, मुजफ्फरनगर की ३७.५ के० वो० लाइन तक लगभग आधा मील लम्बी एक अस्थायी ३७.५ के० वी० लाइन का निर्माण किया गया जिसमें उत्पादित

विद्युत् शक्ति का उपयोग करने के प्रयोजन से बनाया गया एक ४,००० के० वी० ए० ११/३७.५ के० वी० ट्रान्सफार्मर लगा हुआ था। नम्बर २ और ३ की मशीन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चालू था। अक्टूबर के महीने में गंगा की नहर बन्द कर दी गई और नहरों की विशेष रूप से मरम्मत की गई।

(३) रामपुर बिजलीघर—एक नये ब्वायलर के लगाए जाने के सम्बन्ध में नींव तैयार की गई और यह अनुमान किया गया कि इससे रामपुर बिजलीघर की विद्युत् उत्पादक क्षमता ९०० किलोवाट और बढ़ जायेगी और नये ब्वायलर के सम्बन्ध में निर्माण स्थल पर ९८ प्रतिशत सज्जा पहुंच गई।

(४) मोहम्मदपुर सलवा ६६ के० वी० डबल सर्किट लाइन—वर्ष के अन्त में वह (बिजली की) लाइन जिसकी मोहम्मदपुर बिजलीघर द्वारा सप्लाई की जाने वाली विद्युत् शक्ति को उपयोग करने के प्रयोजन से बनाये जाने की आवश्यकता थी, वस्तुतः बन कर तैयार हो गई।

(५) सुमेरा, चन्दौसी और मुरादाबाद के सब-स्टेशनों के बीच की ६६ के० वी० की डबल सर्किट लाइन—इस लाइन पर नाप-जोख का काम हाथ में लिया गया, जो मुहम्मदपुर सलवा ६६ के० वी० डबल सर्किट लाइन के साथ-साथ गंगा ग्रिड में प्रमुख दूरप्रेषण लाइनों के निर्माण कार्य का ऐसा भाग होगा जो प्रथम दौर में बनाने के लिये निश्चित किया गया है। दूरप्रेषण लाइन के लिये उपयोगी सामान का उत्पादन किया जा रहा था।

(६) राज्य के ६१६ ट्यूब-वेलों में बिजली लगाया जाना—इस सम्बन्ध मे निर्माण कार्य वस्तुतः समाप्त हो गया था और अधिकांश कुंओं में बिजली लगाई गई।

(७) साल बल्ला का बदला जाना—राज्य के ट्यूब-वेलों में ११ के० वी० लाइनो के साल बल्ला के खंभों को हटाकर उनके स्थान पर इस्पात के खंभे लगाने का काम वस्तुतः पूरा हो गया था। इस वर्ष लगभग ८४ मील तक लगे हुए साल बल्लों को बदला गया।

(८) चितौरा और निरगजनी के सब-स्टेशनों का परिवर्द्धन—चितौरा और निरगजनी के मुख्य ६६ के० वी० के सब-स्टेशनों के परिवर्द्धन का काम पूरा हो गया था। अनुज्ञप्त क्षेत्रों में बिजली के उपभोक्ताओं पर होने वाले प्रतिबन्ध जारी रहे, किन्तु इस वर्ष मुहम्मदपुर के बिजलीघर से भी विद्युत् शक्ति के उपलब्ध होने के कारण ट्यूबवेलों की बारी नियत करने का काम पहले की अपेक्षा कम हो गया। जनता को घरेलू प्रयोजनों के लिये एक बड़ी संख्या में अस्थायी रूप से बिजली के कनेक्शन देने की स्वीकृति दी गई।

सारदा जल विद्युत् सर्किल

(१) खातिमा बिजलीघर—इस बिजलीघर में नम्बर १, २ और ३ की मशीनों में ड्राफ्ट ट्यूब लाइनरों के बनाने का काम पूरा हो गया था।

(२) सारदा जल-विद्युत् की दूरप्रेषण तथा रूपांतरण लाइनें—इस वर्ष विभाग द्वारा ६६ के० वी० सिंगल सर्किट फीडरों का निर्माण कार्य जारी रखा गया। सेक्शन और २ नम्बर के फीडर (क्रमशः १८ और ७४ मील की लम्बाई के) शाहजहांपुर मोहम्मदी और नेरी-सीतापुर-लखनऊ सेक्शन में टावर बनाने का काम पूरा किया गया और शाहजहांपुर, हरदोई सेक्शन में (नम्बर १ के फीडर में ४१ मील तक) स्टब लगाने का काम पूरा किया गया। लखनऊ के निकट गोमती नदी के खादर सेक्शन में पैमाइश की गई और इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मे (जिसकी लम्बाई लगभग ६ मील है) टावरों के निर्माण के प्रयोजन से नीवें तैयार की गईं और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई। ६६ के० वी० के बरेली—हल्द्वानी फीडर पर बहेड़ी तक (३० मील की दूरी तक)

लखीमपुर खीरी तथा बिसवाँ के उपनगरों में बिजली की सप्लाई

लखीमपुर खीरी और बिसवाँ के म्यूनिसिपल बोर्डों को सड़क की रोशनी के लिये बिजली के सप्लाई की प्रयोजन से ११ के० वी० लाइनों का निर्माण किया गया और कम तनाव वाले विद्युत प्रसारक तार लगाए गये। इस कार्य में लगभग ५० मील लम्बी ११ के० वी० मेन लाइन बनाई गई और लगभग १५ मील की दूरी तक कम तनाव वाले विद्युत प्रसारक तार लगाए गए। डिस्पोजल से खरीदे गए दो डीज़ेल इंजनों की मरम्मत की गई और उक्त बिजली की सप्लाई के प्रयोजन से वे सीतापुर के अस्थायी बिजलीघर में लगा दिये गए।

गोरखपुर के राजकीय ट्यूब-वेलों में बिजली लगाने की योजना

इस वर्ष गोरखपुर के बिजलीघर में ६०० किलोवाट का एक दूसरा सेट लगाया गया और चालू किया गया। ४०० किलोवाट के एक और सेट लगाये जाने के लिये नींव तैयार की गई।

देवरिया, मुडेराबाजार, खलीलाबाद और बस्ती के उपनगरों में औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोजनों के लिये बहुत से बिजली के कनेक्शन दिये गये और राज्य के बहुत से ट्यूब-वेलों में बिजली लगाई गई और बहुत सी रूरल लाइनों का निर्माण किया गया। देवरिया, खलीलाबाद और बस्ती के रेलवे स्टेशनों में भी बिजली दी गई। राप्ती नदी के पुल के टावरों का विस्तार किया गया और कन्डक्टर तथा अर्थवायर की ऊंचाई ७ १/२ फीट और बढ़ा दी गई।

आजमगढ़ एलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग

केवल यही नहीं कि इस कारोबार (अन्डरटेकिंग) से होने वाली बिजली की सप्लाई संतोषजनक रूप से जारी रखी गई बल्कि दैनिक सप्लाई के घंटों को भी बढ़ाकर १४ से १८ कर दिया गया। वर्ष के अन्त में नित्य प्रति २४ घंटे बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक २० किलोवाट सेट भी लगाया जा रहा था।

सोहवल स्टीम स्टेशन तथा फैजाबाद की विद्युत सप्लाई योजना

सोहवल स्टीम स्टेशन में ब्वायलर से युक्त १,००० किलोवाट के दो टर्बो सेट लगाये गये और चालू किये गये और सोहवल से फैजाबाद तक ११ के० वी० के दोहरे फीडर का निर्माण कार्य पूरा किया गया और इसमे बिजली लगाई गई। इसी प्रकार ३०० के० वी० ए० की क्षमता के फतेगंज सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा किया गया और चालू किया गया। रूपान्तरणो (ट्रांस्फार्मरों) के बदले जाने के सम्बन्ध में भी कार्य किया गया।

अन्य कारखाने

राज्य में बिजली सप्लाई करने के ४४ कारखाने थे जो कि बिजली लगे हुए ११६ नगरों की आवश्यकता पूरी करते रहे।

बिजली के इंस्पेक्टर ने लगभग २,००० बिजली लगी हुई इमारतों का निरीक्षण किया और ४,३३,६३१ रु० की लागत के निर्माण कार्यों का सम्पादन किया। बिजली के ठेकेदारों को कुल ६४ लाइसेंस जारी किये गये, जबकि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और वायरमैन की परीक्षा मे उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्रमश: ४ और ४५ थी। बिजली के झटके लगने से ४० घातक और ४६ साधारण दुर्घटनायें हुयी। अधिकतर दुर्घटनायें ग्रामीण क्षेत्रो में हुई। इनका कारण ग्रामीणों का खंभों आदि पर चढ़ना बताया जाता है। बिजली की सप्लाई स्थिति मे सुधार हो जाने के कारण सरकार ने आगरा-इलाहाबाद (ए० सी० सप्लाई) और झांसी के नगरों में विद्युत शक्ति के वितरण और सप्लाई पर से नियन्त्रण हटा दिया था और अन्य नगरों में कुछ निर्धारित शर्तों पर प्राधिकृत लाइसेंसदारों को अपने आप बिजली के कनेक्शन दे देने की अनुमति दी गई। बाराबंकी, उन्नाव, हल्द्वानी और अल्मोड़ा के नगरों में पहले ही से यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ ई० लागू नहीं था।

कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन

आलोच्य वर्ष में कानपूर बिजली सप्लाई प्रशासन के बिजली उत्पादन और आय में वृद्धि होती रही। उत्पादन में वृद्धि होने का अधिकतर कारण यह था कि पिछले कुछ वर्षों से इसके विद्यमान स्थिर-यंत्र के सुचारु संचालन के लिए जो अनुसंधान किये गये उनमे सफलता मिली। स्थिर-यंत्र की पहिले जो अधिकतम क्षमता ३१,००० किलोवाट मान ली गई थी वह बढ़कर ३७,००० किलोवाट हो गई। इस पर केवल उतना ही व्यय हुआ जितना कि साधारणत: उसकी मरम्मत और रखरखाव पर होता।

प्रशासन ने एक बहुत बड़ी संख्या में नये विद्युत भार (लोड) देना स्वीकार किया और उपभोक्ताओं की संख्या २३,२५२ से बढ़कर २३,९२१ हो गई। दिये गये लोड का परिमाण ८८,२५० किलोवाट से बढ़कर ९३,३०७ किलोवाट हो गया, तथापि यह संभव न हो सका कि अतिरिक्त बिजली की मॉग को पूरा किया जा सके। अतएव १५,००० किलोवाट के विद्युत् प्रसार योजना पर परिवर्द्धित वेग से कार्य करने के लिए प्रत्येक प्रयास किये गये। वर्ष के अन्त में नया ब्वायलर क़रीब करीब पूरा हो रहा था।

श्रम संबंधी मामलों की ओर निरन्तर ध्यान दिया गया और यह कोशिश की गई कि कोई ऐसी बात पैदा न हो जिसकी मजदूर शिकायत करें।

३१—वन

सड़कों के किनारे के छायापथ और नहरों के किनारे वृक्षारोपण

सडकों के किनारे के छायापथों के संरक्षण तथा नहरों के किनारे पेड़ लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह देखा गया कि वन अधिकारियों को इतने अधिक व्यय और कष्ट के साथ लगाए पेड़ को क्षति से बचाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और कुछ जिलों में गांव वाले उनको बुरी तरह से काट-छाट ले जाते थे। कोई भी ऐसा विशेष अधिनियम नहीं था जिसके अनुसार उक्त छायापथों तथा वृक्षों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० के उपबंध उन पर लागू नहीं होते थे। अतएव आलोच्य वर्ष में विधान मंडल द्वारा भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० पास किया गया जिससे कि सरकार सड़कों के किनारे के छायापथों तथा नहरों के किनारे के पेड़ों के संबंध में इडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० के उपयुक्त उपबंधों का प्रयोग कर सके।

लधेना के निजी (private) बन

संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण अधिनियम, १९४८ ई० (यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट, १९४८ ई०) के अनुसार निजी (प्राइवेट) जंगल के लधेना ब्लाक को अधिकृत (vested) बन के रूप में घोषित किया गया। उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में यह वहा के लिए किया गया था, जहाँ वृक्ष अधिक संख्या में काटे जा रहे थे।

भूमि-प्रबधक सर्किल

भूमि-प्रबंधक सर्किल, जो १९४५ ई० में बनाया गया था और जिसे नदी के कटावों पर नियंत्रण करने, नदी की तराई, बेकार तथा अन्य बंजर भूमि में खेती करने, रेलवे की भूमि, नहरों के किनारों, सड़कों के किनारे के छायापथों और नजूल की भूमि जैसी राज्य की भूमि में पेड़ लगाने और सुरक्षित ईंधन तथा चारा की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था, का काम जारी रहा।

१९५० ई० के अंत तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुल ६५,५८३ एकड़ भूमि प्राप्त की गई। आलोच्य वर्ष में कोई नई भूमि नहीं प्राप्त की गई, क्योंकि यह निर्णय किया गया था कि जितनी भूमि प्राप्त की जा चुकी है उसी को विकसित किया जाय।

इस वर्ष ९७ एकड़ निजी भूमि और १५ एकड़ छावनी की भूमि के अतिरिक्त लगभग ८० मील लम्बे छायापथों पर ११० मील लम्बे नहरों के किनारों पर और १७ एकड़ रेलवे की भूमि पर नए पेड़ लगाए गए अथवा बीज बोए गए।

नहरों के किनारों पर ६ १/२ मील तक शहतूत के पेड़ लगाए गए और उसका परिणाम उत्साहवर्द्धक था।

भूमि-प्रबन्धक बोर्ड का चतुर्थ अधिवेशन लखनऊ मे २२ अप्रैल, १९५१ ई० मे हुआ। बोर्ड ने राज्य के लिए उपयुक्त एक भूमि संरक्षण अधिनियम (Soil Conservation Act) के बनाये जाने की आवश्यकता पर विचार किया। इस प्रश्न पर विचार करने तथा बोर्ड के आगामी अधिवेशन पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रयोजन से एक उप-समिति नियुक्त की गई।

भूमि-प्रबन्धक बोर्ड

पश्चिमी अल्मोड़ा, पीलीभीत तथा दक्षिणी दोआब फारेस्ट डिवीजनों से संबंधित योजनाओ का काम पूरा किया गया और चकराता डिवीजन की योजना का कार्य चल रहा था। इस वर्ष गोरखपुर और नैनीताल के फारेस्ट डिवीजनों से संबंधित योजना का काम भी हाथ में ले लिया गया था।

कार्य योजना

इस वर्ष सरकार ने भूतपूर्व बनारस रियासत के वनों मे वन-बंदोबस्त संबंधी कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया कि (१) सुरक्षित वन घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों में से मालगुजारी वाले गाँवों के आबादी तथा खेती किए जाने वाले क्षेत्र निकाल दिए जाने चाहिए, (२) यदि सुरक्षित वन में मातहतदारो, स्वामियों या माफीदारों का कोई भूमि-खंड हो तो आवश्यकतानुसार उक्त व्यक्तियों के अधिकार खरीद लिए जाने चाहिए या लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अधीन भूमि प्राप्त कर लेनी चाहिए।

वनों की पैमाइश, सीमा-निर्धारण तथा बन्दोबस्त

जंगली हाथियो से होने वाली हानि को रोकने और तराई तथा भावर के सरकारी आस्थानो की फसलो को हानि से बचाने के लिये प्रभावपूर्ण कार्रवाइयाँ की गईं। उड़ीसा सरकार के एक पदाधिकारी की, जिसे खेदा कार्य के संबध मे बहुत काफ़ी अनुभव था, सेवाएं भी प्राप्त की गईं।

खेदा कार्य

वनों से कुल २,०७,००० मन रेजिन इकट्ठा किया गया। पिछले वर्षों में कभी भी इसकी इतनी प्राप्ति नहीं हुई थी। इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कंपनी लिमिटेड, क्लटरबकगंज इसका मुख्य ग्राहक था। लगभग १२,००० मन लीसा नीलाम की गई और थोड़ी सी कुमायूं टर्पेन्टाइन ऐन्ड रोजिन फैक्टरी, सोमेश्वर को भी सप्लाई की गई।

लीसा

अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग को भी भारत सरकार ने यह परामर्श दिया कि वह अपने सुरक्षित तथा संरक्षित वनो में लाख का उत्पादन करे। यह इस उद्देश्य से किया गया कि हमारा देश जो संसार भर में पैदा की जाने वाली कुल लाख में से ९० प्रतिशत लाख का उत्पादन करता है इस संबंध मे कृत्रिम (synthetic) लाख सप्लाई करने वाले अन्य देशों की प्रतियोगिता में कमजोर न रहे। इसके अनुसार दूधी के फारेस्ट डिवीजन मे लाख का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर होता रहा और इसी प्रकार से बनारस के फारेस्ट डिवीजन मे भी काम प्रारम्भ किया गया। लगभग २,५०० पलास के पेड़ों मे कच्ची लाख लगाई गई जिसका फल संतोषजनक रहा।

लाख

इमारती लकड़ी के लाने ले जाने तथा मूल्य पर कोई नियन्त्रण न था। इमारती लकड़ी के ढेरों (coupes) को आम नीलाम के द्वारा बेचने के अतिरिक्त औद्योगिक महत्व की कुछ विविध इमारती लकड़ियाँ जैसे सेमल, हल्दू, बौरंग, कंजू, तून और गुटेल सदा की भांति निजी इक़रारनामों के अधीन बेची गईं। आलोच्य वर्ष में विभिन्न रेलवे कंपनियों को १,७८,५०० साल ट्रैक-स्लीपर, ७१,३०० चीर ट्रैक-स्लीपर और ५८,१०० घनफिट विशेष माप के साल स्लीपर सप्लाई किए गए।

इमारती लकड़ी

ईंधन नियंत्रण

१९५१ ई० में वर्ष भर ईंधन की लकड़ी के मूल्य तथा लाने ले जाने पर नियंत्रण बना रहा और वनों से राज्य के २५ नगरों को नियंत्रित दरों पर ईंधन की लकड़ी सप्लाई की गई। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के सैनिक विभाग को और चीनी मिलों तथा अन्य कई छोटे औद्योगिक कारबारों को भी सस्ती ईंधन की लकड़ी सप्लाई की गई। कुल जितनी ईंधन की लकड़ी सप्लाई की गई उसका विवरण नीचे दिया हुआ है :--

(क) असैनिक (सिविल) जनसंख्या, सैनिक तथा छोटे उद्योग ... ४३,८६,४०० मन

(ख) चीनी मिल .. ६,४१,४०० मन

बहराइच में सहायता कार्य

जिला बहराइच में घोर दुष्काल (अन्न संकट) की स्थिति में पीड़ितों की सहायता करने के विचार से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत बहुत से श्रमिकों को काम मिल गया।

राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

चारे की कमी की स्थिति में राजस्थान सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे इस राज्य से ४ लाख मन सूखी घास सप्लाई करने का निश्चय किया।

पुनर्वासन

पाकिस्तान से आये हुए जिला रावलपिंडी के विस्थापित कृषकों तथा हरिजनों को बसाने और सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर के जिलों में बाढ़ द्वारा नष्ट किए गए गावों को फिर से बसाने के प्रयोजन से सहारनपुर वन डिवीजन के पथरी ब्लाक में २,५०० एकड़ क्षेत्रफल की भूमि दी गई।

वन पंचायतें

३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में कुमायूं में लगभग २६६ वर्गमील भूमि में १,०९८ पंचायतें काम कर रहीं थीं। उसके बाद किसी नई पंचायत की स्थापना नहीं की गई, क्योंकि यह निश्चित किया गया था कि वर्तमान संगठन को ही अधिक सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाय। विभिन्न पचायतों द्वारा किए जाने वाले जनोपयोगी काम में पाठशालों की इमारत का बनवाया जाना, ग्राम मार्गों का सुधार, जलाशयों का निर्माण इत्यादि सम्मिलित था।

वित्तीय स्थिति

१९५०-५१ के वित्तीय वर्ष में वन-विभाग के राजस्व में २,३१,४७,००० रु० की बचत हुई और १९५१-५२ में उसके लगभग २,२४,५६,००० रु० होने की आशा की जाती थी।

३२--उद्योग-धंधे

उद्योग-धंधों के लिये टेक्निकल कर्मचारियों को प्रशिक्षण संस्थायें

सरकार, राज्य के उद्योग-धंधों को पूर्ववत् यथासंभव सभी प्रकार की सहायता देती रही। उद्योग विभाग की विभिन्न वैभागिक योजनाएं, जो विशेषतः कुटीर उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं, चालू रहीं।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में २४ सरकारी टेक्निकल (technical) तथा औद्योगिक संस्थायें थीं। इनमें कानपुर का हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट टेक्नालाजिकल खोज का केन्द्र बना रहा और जो साधारण खोज संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त आयल टेक्नालाजी में प्रशिक्षण देता रहा। पूर्व की भांति सूती कपड़ो के उद्योग के संबंध मे प्रशिक्षण देने के निमित्त ७ संस्थाएं थीं, एक कानपुर का केन्द्रीय टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट था जिसमें कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई का एक चार वर्ष का पाठ्यक्रम था। सेन्ट्रल वीविंग

इन्स्टीटयूट, बनारस में करघे की बुनाई के संबंध में ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी। अन्य ५ माडल वीविंग स्कूल थे, जहाँ मुख्यतया कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता था। लखनऊ, झांसी और गोरखपुर के ३ टेक्निकल इंस्टीटयूट मिकैनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देते रहे। इसके अतिरिक्त २ आकूपेशनल और ४ पालीटेक्निक इंस्टीटयूट थे। ५ इंस्टीटयूट लकड़ी के काम तथा बढ़ईगीरी में और अन्य स्कूल चमड़े के काम, चमड़ा कमाने तथा धातु के काम में प्रशिक्षण देते रहे। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में एक टेक्निकल स्कूल था और लखनऊ में एक आर्ट्स और क्राफ्ट्स स्कूल था। टेक्निकल तथा औद्योगिक संस्थाओं से संलग्न भारत सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों, हरिजनों तथा राजनैतिक पीड़ितों को प्रशिक्षण दिया गया और विस्थापित छात्रों को भी विशेष सुविधायें दी गईं।

छात्रों की भर्ती, छात्र-वृत्तियां, छात्रवेतन इत्यादि

इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या १,३६५ थी। विभिन्न संस्था के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी ७५ रु० से १५० रु० तक मूल्य के भारत सरकार की ११ छात्रवृत्तियाँ और प्रति विद्यार्थी १५० रु० प्रतिमास के मूल्य के उत्तर प्रदेश अनुसंधान समिति की १० छात्रवृत्तियाँ दी गईं। धनबाद के इंडियन इंस्टीटयूट आफ माइन्स, बंगलौर के इंडियन इंस्टीटयूट आफ साइन्स और बम्बई के जे० जे० आर्ट्स स्कूल में अध्ययन करने वाले उत्तर प्रदेश के उपयुक्त तथा निर्धन विद्यार्थियों को अपने आंशिक व्यय को पूरा करने के लिए पहले से जो प्रति विद्यार्थी ५० रु० प्रति मास का छात्रवेतन दिया जाता था वह जारी रखा गया। उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्यार्थियों को जिनकी उच्च टेकनिकल तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो १ प्रतिशत के नाम-मात्र के ब्याज पर ऋण देने के लिए एक लाख रुपए की धनराशि अलग निकाल कर रख दी गई।

टेक्निकल इंस्टीटयूटों की पुनस्संगठन समिति

टेक्निकल इंस्टीटयूटों की पुनस्संगठन समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार के पास भेजी। वर्ष के अंत में रिपोर्ट विचाराधीन थी।

सहायक अनुदान

५२ टेक्निकल तथा औद्योगिक संस्थाओं को, जिनका प्रबंध निजी तौर से तथा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, कुल १,४३,४४६ रु० के सहायक अनुदान दिये गये।

अनुसंधान

वर्ष में जिन महत्वपूर्ण खोज सबंधी समस्याओं के संबंध में कार्यवाहियाँ की गईं उनका संबंध निम्नलिखित से था :—

(१) फ्यूजेल आयल से अलकोहल से प्राप्य प्लैस्टिसाइजर्स संश्लिष्ट रसायनों (synthetic chemicals) इत्यादि का तैयार किया जाना।

(२) सलफरलमाइड (sulpharlamide) तथा सल्फेपिरिडी (sulphapyridaie) का तैयार किया जाना।

(३) फोटोग्राफी का काम।

(४) इंडियन वेजिटेबुल आयल के नान-ग्लिसीराइड (non-glyceride) अवयव।

(५) अर्द्ध-व्यावसायिक आधार पर अंडी की खली से ऐक्टिवेटेड कार्बन का तैयार किया जाना।

(६) ऐन्टी-आक्सीडेन्ट्स का अध्ययन करने के प्रयोजन से मर्करी पम्प का लगाया जाना।

(७) कलाबत्तू रौलर का बनाया जाना।

(८) चमड़े का तल्ला काटने वाली मशीन का बनाया जाना।

(९) हैन्डमिल का बनाया जाना।

(१०) सोडियम जिंकेट मे सेलूलोज का घुलना और उस सेलूलोज के घोल का सूती उद्योगों मे फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करना।

(११) ऊनी कपड़े के लिये उन्नत प्रकार की मिलिंग मशीन।

(१२) बिजली से चलने वाले करघो में वार्प प्रोटेक्शन।

(१३) फेस हाइड मार्किंग।

उद्योग-धन्धो को अन्य सहायता

वर्ष से कोयला और कोक की सप्लाई मे काफी उन्नति हुई। भारत सरकार ने भी २८ वैगन कोयला इस उद्देश्य से और बांटा जिससे राज्य के ऐसे सभी उद्योगो के पास जो ब्राड-गेज के रेलवे स्टेशनों पर स्थित थे कोयले के रिजर्व तैयार हो जाय।

मैटीरियल रिसोर्सेज कमेटी ने कारखानो तथा वर्कशापो के निर्माण के लिये बांटने के प्रयोजन से उद्योग विभाग के अधिकार मे १,५०० टन इस्पात, ३,००० वैगन सीमेंट और ५०० वैगन स्लैक कोयला रख दिया। सीमेंट के सम्बन्ध मे कारखानों की मांगे पूर्ण रूप से पूरी की गई। वर्ष के पूर्वार्द्ध में पाइप की जो मात्राये बांटी गई वे संतोषजनक रही, परन्तु वर्ष के उत्तरार्द्ध में पाइप की सारी मांगें पूरी न की जा सकी क्योकि राज्य के पाइपों के कोटे में सहसा कटौती कर दी गई थी।

भारत सरकार ने राज्य के कुटीर तथा छोटे पैमाने वाले उद्योगो को बांटने के लिये ४०० टन इस्पात का एक विशेष कोटा दिया, किन्तु बाद में इसे काट कर २६४ टन प्रति तिमाही कर दिया गया। अलीगढ के ताले, मेरठ के कैंची, चाकू इत्यादि बनाने वालो और साइकिल के हिस्से, चीर-फाड के यन्त्र, बिजली का सामान बनाने वालो को परमिट दिये गये।

उत्तर प्रदेश के तेल विशेषज्ञ के परामर्श पर, भारत सरकार ने खाने योग्य तेल इत्यादि को पैक करने के लिये टीन के डिब्बे बनाने के प्रयोजन से रजिस्टर्ड निर्माताओ को तेल के मिलो मे सप्लाई करने के लिये टीन की प्लेटें दी।

राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने तेल की विभिन्न मिलो को सरसों के तेल के यातायात के लिये टैंक वैगन दिये। ये ५ वैगनें तेल-विशेषज्ञ के परामर्श पर उद्योग विभाग के उन वैगन समूहो में से दी गयी थीं जिन्हे कलकत्ता के ईस्ट इंडियन रेलवे के चीफ आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेन्ट ने उनके सुपुर्द किया था। वैगनो की संख्या नियत करते समय प्रत्येक मिल की पेरने की क्षमता का ध्यान रखा गया।

औद्योगिक प्रयोजनो के लिये अपेक्षित पेट्रोल, मिनरल आयल, टरपेनटाइन, रासायनिक पदार्थ, लिकोरिन, वायर सिलिकन शीटें, डीजेल आयल, मिट्टी का तेल, सूत, कपडा, भूमि इत्यादि के मुक्त किये जाने के सम्बन्ध मे भी सिफारिशें की गईं। उद्योग विभाग ने औद्योगिक कारोबार की आयात की हुई अपेक्षित वस्तुओं को प्रमाणित करना जारी रखा।

पूर्व की भांति ग्लास टेक्नोलाजी उपविभाग ने कांच तथा मिट्टी के उद्योग-धंधों को उनकी दिन-प्रति-दिन की समस्याओ में सहायता की। वैश्लेषिक नियन्त्रण और कच्चे माल के परीक्षण, उत्पादन के विकास, नियन्त्रण यन्त्रों के प्रयोग तथा एकत्रीकरण सम्बन्धी कार्रवाइयों की तरफ काफी ध्यान दिया गया।

वैभागिक योजनाएं

(१) पढ़ाई की कक्षाएं

राज्य में १२३ पढ़ाई की कक्षाये चल रही थीं, जिनमे शिल्प सम्बन्धी विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिनमें बुनाई, रंगाई तथा छपाई, मोजे बनाना, चमड़ा कमाना तथा चमड़े का काम, दर्जीगीरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगीरी, लकड़ी के खिलौने बनाना इत्यादि काम सम्मिलित थे। १,१२,५२१ रु० के मूल्य का सामान तैयार किया गया और प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियो की सहकारी समितियो की संख्या बढ़कर ५९ हो गई। पढ़ाई की कक्षाओ ने बहुत सी महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों तथा मलो में भाग लिया और उन्होंने स्टोर्स पर्चेज सेक्शन द्वारा सरकारी विभागों को १,४३,७१० रु० ६ आना ३ पाई से अधिक मूल्य का सामान सप्लाई किया।

(२) खादी विकास

९,१७६ सूत कातने वालो को प्रशिक्षण दिया गया और विभिन्न उत्पादन केन्द्रों में ९५० मन सूत तैयार किया गया। किसान आश्रम के सरकारी उत्पादन केन्द्र मे लगभग १४,२६३ गज कपडा तैयार किया गया। इस वर्ष बुनाई सिखाने वाली ६ कक्षाओ ने भी काम किया और बुनाई मे प्रशिक्षण दिया। देहात के बुनकरो के लिये प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों मे कुल १,७०,४०० रु० के मूल्य का सूत तैयार किया गया। वर्ष में ९ सहायता-प्राप्त चरखा उत्पादन केन्द्रों ने खादी केन्द्रो को चरखे के सेट सप्लाई करने के सम्बन्ध मे काम किया। पिछले वर्ष के खादी के उत्पादन के आधार पर श्री गांधी आश्रम तथा अन्य खादी संघो को राज्य-सहायता प्रदान की गई। नए खादी संघों को अनुदान भी दिय गये।

इस आशय के आदेश, कि राज्य के चिकित्सालयो तथा औषधालयो की बिछौने की चादरे, ड्राशीट चादरे (drawsheets), तकियो के गिलाफ, धोतियाँ एप्रन और सरकारी कार्यालयों, सरकारी निवास-स्थानों और रेस्ट हाउसेज मे काम आने वाल पायजामे, पर्दे, मेंजपोश, तौलिये, सजाने के कपडे, झाड़न और बस्ते जैसी वस्तुएं केवल खादी की बनी हो, लागू रहे। इससे खादी संघों को अपने स्टाक निकालने मे सहायता मिली।

(३) करघा पर बुनाई

आलोच्य वर्ष मे ९ उत्पादन केन्द्रो में करघो द्वारा उत्पादन कार्य किया गया और २,५६,५५० रु० के मूल्य का ८,१८,३६० गज कपड़ा करघे द्वारा तैयार किया गया। लगभग २,००० बुनकर काम पर लगाए गये और उन्हे २१४ लाख रु० मजदूरी के रूप में दिया गया। १५० नई डिजाइने जारी की गई।

(४) करघ के बुनकरों की सहकारी समितियां

बुनकरो की ६९२ सहकारी समितियो ने, जिनमें ९३ लाख सदस्य थे, करघा उद्योग के विकास के लिये कार्य किया। उन्होने विभिन्न प्रकार का ३३.८२ लाख गज कपड़ा तैयार किया।

(५) रेशम उत्पादन

रेशम के कीड़े पालने की योजना देहरादून मे डोईवाला और प्रेमनगर मे चलती रही, जहां रेशम के कीड़ पालने और शहतूत के पेड़ लगाने के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण देना जारी रखा गया। उन व्यक्तियो को, जिन्हे रेशम के कीड़े पालने के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण दिया गया था, छात्र-वेतन भी दिया गया। तीन विद्यार्थियो को रेशम उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के निमित्त मैसूर और पश्चिमी बंगाल भेजा गया और केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानो में से प्रत्येक को १०० रु० प्रति मास का छात्र-वेतन दिया गया। लगभग ६०४ पौन्ड १२ औन्स रेशम के कोवे (cocoons) तयार किये गय।

(६) चिकन उद्योग

५९ नई डिजाइनें चालू की गई और लखनऊ के पुराने चिकन उद्योग के पुनर्जीवन तथा विकास से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत ४३,११२ रु० ५ आना

के मूल्य का माल तैयार किया गया। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि निर्धन मजदूरों को शोषण से बचाया जाय तथा उन्हें काम दिया जाय।

(७) ऊन योजना

अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी के जिलों मे ऊन योजना चालू रही। पूर्व की भांति वाणिज्य सम्बन्धी उत्पादन सहकारी समितियों का काम था। टेक्निकल मामलों में सलाह देने, समितियों के गोदामो तक कच्चे माल के निःशुल्क परिवहन के रूप में वित्तीय सहायता देने, सहकारी समितियों को कच्चा माल उधार दिलवाने और समितियो तथा व्यक्तियों को उन्नत उपकरण और औजार दिलाने तथा तैयार माल के विक्रय मे सहायता देने के लिये उद्योग विभाग जिम्मेदार था। उन्हे ४,५५२ रु० की लागत के रासायनिक पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी सप्लाई की गईं। लगभग ३१४ मन सूत तैयार किया गया। नजीबाबाद की ब्लैन्केट फिनिशिंग फैक्ट्री मे कुटीर उद्योगो में काम करने वालो द्वारा किये गये कम्बलों को धोने, माड़ लगाने तथा उन्हें अन्तिम रूप से तैयार करने का काम चालू रहा। चूंकि कारखाने को चालू रखने के लिये स्थानीय उत्पादन पर्याप्त न था, इस लिये उद्योग के पथ-प्रदर्शन में सरकारी संस्थाओ को सप्लाई करने तथा जनता मे विक्रय के लिये कम्बल बनाने और उन्हें पूर्ण रूप से तैयार करने का निश्चय किया गया।

(८) रंगाई तथा अन्तिम रूप देने (Finishing) का कारखाना

मऊ मे रंगाई तथा अन्तिम रूप देने के सरकारी कारखाने (Government Dyeing & Finishing Factory) ने अनुसंधान विभाग मे तैयार किये गये उन्नत उपकरणो तथा नई डिजाइनों का प्रदर्शन जारी रखा। इस कारखाने में २७,००० गज स्टैन्डर्ड (standard) कपडा तैयार किया गया।

(९) तन्तु उद्योग

१९५१ ई० में भी हारकोर्ट बटलर टक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट में विभिन्न स्थानीय तंतुओं जैसे पटसन, पीला रामबांस इत्यादि पर प्रयोग किये गये। प्रारम्भिक प्रयोगों से यह पता चला कि जूट के स्थान पर अलसी के रेशे का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है और यदि ये ५०:५० के आधार पर जूट मे मिलाये जायें तो इससे अच्छे बोरे बनाये जा सकते हैं। तदनुसार गोंडा और बस्ती के जिलो में अलसी की सूखी घास इकट्ठा करने से सम्बन्धित योजना के काम को जारी रखने और इससे तन्तु बनाने की प्रकिया के सम्बन्ध मे स्वीकृति दी गई। इस वर्ष उक्त दोनों जिलों मे लगभग २,३९७ मन अलसी का डंठल इकट्ठा किया गया और उसके रेशे तैयार किये गये। मजबूत तन्तु तैयार करने के लिये उक्त संस्था मे एक छोटी सी पसपेडैर (paspader) मशीन भी लगाई गई।

(१०) हाथ से कागज बनाने की योजना

७ विद्यार्थियों को हाथ से कागज बनाने की कला तथा कागज की लुगदी के काम में ट्रेनिंग दी गई। फाइल कैडक तथा फाइल कवर बनाने के लिये फाइल कवर के कागज के ५,००० तख्ते तैयार किये गये। इस वर्ष औसतन ६०० फाइल कवर प्रति मास के हिसाब से इलाहाबाद के सरकारी छापखाने को दिये गए और ३,२७५ फाइल कवर, ३,१५० कैडक और १७५ फिल्टर पेपर पैकेट गैरसरकारी कार्यालयों को सप्लाई किये गये। कालपी केन्द्र में ३,७४८ पौन्ड लुगदी तैयार की गई, जिसमें से २,७०७ पौन्ड स्थानीय कारीगरो को फिल्टर तथा ब्लाटिंग पेपर तैयार करने के लिये बेची गई और शेष इस केन्द्र द्वारा स्वयं उपयोग म लाई गई।

(११) गुड़ योजना

गुड़ योजना ४० जिलों में ६,००० गाँवों मे चली। ४५ गन्ना उत्पादकों को उन्नत प्रकार के गुड़ तैयार करने के सम्बन्ध में स्थानीय अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं के रूप में ट्रेनिंग दी गई। १६,१६६ उन्नत किस्म की भट्ठियाँ बनाई गईं और २,७९,६६० रु० के ७५३ उन्नत किस्म के कोल्हू तथा ३२९ रस उबालने के

कारे प्रयोग में लाए गये। इटावा की गवर्नमेंट कार्बन फैक्ट्री में ६१३ रु० ४ आना के मूल्य का लगभग ३६,४५० पौन्ड कार्बन तैयार किया गया।

(१२) कुटीर तेल उद्योग योजना

इस वर्ष कुटीर तेल उद्योग योजना प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक रूप में कार्य करती रही। ग्रामीण क्षेत्र मे उन्नत वर्धा तेल घानियों को चालू करने के प्रयत्न होते रहे। इन घानियों को बनाने में १९ बढ़इयो को ट्रेनिंग दी गई और १२,८०० रु० का माल तैयार किया गया। राज्य मे आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों मे प्रदर्शन किए गए।

(१३) एसेंशल आयल तथा इत्र

एसेंशल आयल तथा इत्र उद्योग योजना के अन्तर्गत, जो १९४८ ई० में स्वीकृत की गई थी, कानपुर के हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट में और प्रयोग किए गए। पिपरमिन्ट के पौधे लगाये गये और उससे निकाला गया तेल काफी लोकप्रिय हुआ। बहुत से इत्र तथा तम्बाकू के व्यापारियो ने अपनी चीजें बनाने में मेन्थल के स्थान पर इसका प्रयोग किया। जिन विशुद्ध पौधों में कपूर पाया जाता है, उनकी खेती रामपुर और लखीमपुर-खीरी में निजी रूप से की गई। फूलों की पैदावार पर विभिन्न प्रकार के उर्वरको के प्रभाव की जाँच करने के उद्देश्य से कानपुर के इन्स्टीट्यूट में भी प्रयोग किये गये। इन प्रयोगों में अमोनियम सल्फेट, सल्फर फास्फेट, नाइटर और पशुशाला की खाद को मिलाकर या अलग अलग उपयोग किया गया।

(१४) फलों से तैयार की जानेवाली वस्तुएं

राज्य सरकार द्वारा फ्रूट प्रोडक्टस आर्डर, १९४८ ई० जारी रखा गया। चूंकि भारत सरकार ने मुख्यतः देश में शकर की कमी के कारण अगस्त, १९५० ई० से नये लाइसेंस देना बन्द कर दिया था, अतः नये लाइसेंस किसी को भी नहीं दिये गये। इस वर्ष लाइसेंस की फीस से कुल १६,०५५ रु० की आमदनी हुई और कारखानों में जो वस्तुए फलो से तैयार की गई उनका मूल्य लगभग १६,५५,००० रु० था।

(१५) मिट्टी के बर्तनों की योजना

१९५१-५२ के वर्ष में १६ और परिवारों ने खुरजा के गवर्नमेंट पाटरी डवेलपमेंट सेन्टर से लाभ उठाया, जो कि प्रयोग में आने वाले मिट्टी के बर्तन तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं तैयार करने के लिये स्थानीय कारीगरो को संगठित करने के उद्देश्य से खोला गया था।

उन्होंने लगभग १,१९,६६४ रु० का कच्चा माल खरीदा और लगभग २,४१,३९० रु० की वस्तुएं तैयार कीं। इस वर्ष इस योजना से शीर्षक 'वाणिज्य सबन्धी क्रियाओ' के अन्तर्गत लगभग ८,८०० रु० का लाभ हुआ।

इस योजना के अन्तर्गत खुरजा के कुटीर-उद्योग में काम करने वालों को उन्नत प्रकार की शिल्प कला की शिक्षा देना जारी रखा गया और इसके परिणाम-स्वरूप जो वस्तुएँ उन्होंने बनाई उनमे चाय के सेट, होटल के सादे और बेल-बूटेदार चीनी के बर्तन, रासायनिक पदार्थों के बर्तन, हल्की तश्तरियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं।

(१६) काँच की गुरियाँ

बनारस और खुरजा केन्द्रों में लगभग २० व्यक्तियों को आभूषण के काम की सुन्दर काँच की गुरियाँ बनाने की ट्रेनिंग दी गई। सफल उम्मीदवारों को सज्जा तथा सामान के रूप में अनुदान दिये गये, ताकि उन्हें स्वतन्त्र कारीगर के रूप में काम शुरू करने में आसानी हो। इन कारीगरों के कारखाने विभिन्न आकार तथा रंग की गुरियाँ, कान के बुन्दे, टाप्स, नकली मोती इत्यादि तैयार करते रहे।

(१७) लौह रहित (non-ferrous) धातु योजना

इस वर्ष मुरादाबाद में जो योजना पक्की कलई के बर्तनो के प्रसिद्ध उद्योग को सुरक्षित तथा पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी, चालू रही और १९५० ई० में खोले गए सरकारी कारखाने में ९८ प्रतिशत टीन और २ प्रतिशत शीशा मिली हुई पक्की कलई से वस्तुएं तैयार करने की व्यवस्था जारी रखी गई।

कच्ची कलई से वस्तुएं तैयार करने के काम को रोकने के लिए तथा खरीदने वालों को वस्तुएं खरीदने मे सहायता देने के उद्देश्य से सरकारी केन्द्र में अन्य निर्माताओं द्वारा तैयार की गई वस्तुओं पर कलई करने तथा उनकी किस्म बन्दी करने के संबंध में प्रबंध किया गया। साथ ही कारीगरों को विभिन्न उद्योगों में ट्रेनिंग देने के प्रयोजन से सुविधायें दी गईं।

(१८) पाइलेट वर्कशाप योजना

कुरवाड़ तथा इटावा में पाइलेट वर्कशाप योजना के अन्तर्गत, जो लोहारी, फिटिंग, टीन का काम, ढलाई जैसे इंजीनियरिंग के व्यवसायों में ग्रामीण कारीगरों के घरों पर ही ट्रेनिंग मे सुविधाएं देने तथा उन्हें विभिन्न कृषि यंत्रों तथा घरेलू उपयोग की हार्डवेयर की अन्य वस्तुओं को तैयार करने में सहायता करने के उद्देश्य से चालू की गई थी, काम चलता रहा। कारखानों में प्रारंम्भिक उत्पादन कार्य के संबंध में ट्रेनिंग दी गई।

(१९) ऋण और अनुदान

१९४७-४८ के वर्ष मे ऋणों और अनुदानो की योजना, जो छोटे पैमाने वाले तथा कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए टेक्निकल योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों को उचित ब्याज की दर पर निःशुल्क अनुदानों तथा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देने के अभिप्राय से प्रारम्भ की गई थी, इस वर्ष चालू रही। इस वर्ष विभिन्न व्यक्तियो को कुल २,०४,७०० रु० के ऋण और २९,५५० रु० के अनुदान दिए गए।

(२०) क़िस्मबन्दी योजना

इस वर्ष किस्मबन्दी योजना, जो कुटीर उद्योगों में तैयार की गई वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से चालू की गई थी, आगरा के जूता उद्योग, करघे से बुने हुए कपड़े, अलीगढ़ के ताला उद्योग तथा फर्रुखाबाद के छपाई उद्योग पर भी लागू की गई। जो फर्में इस योजना में सम्मिलित हुईं और जिन्होंने निर्धारित किस्म की वस्तुएं तैयार करना स्वीकार किया, उनकी संख्या ३० थी। जूता उद्योग में निर्धारित किस्मों का ३,५५,५२३ रु० ७ आना का माल तैयार किया गया। लगभग ८४,२६६ रु० का फर्रुखाबाद की छपाई का लगभग २१,५०,६८३ वर्ग गज कपड़ा तैयार किया गया और उस पर किस्म की छाप लगाई गई। इसके अतिरिक्त लगभग १४,२६,०१३ रु० के १७,८२,६०५ गज करघे पर बुने हुए कपड़े पर और बहुत से अलीगढ़ के तालों पर किस्म की छाप लगाई गई। विदेशी खरीदने वालों के ऐसे बहुत से पत्र प्राप्त हुए जिनमें उन्होंने इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले उपयोगी कार्य की प्रशंसा की।

(२१) गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स कुटीर उद्योगों की तैयार की हुई वस्तुओं के लिए विक्रय एजेन्सी के रूप मे कार्य करता रहा। इसने नई डिजाइनें प्रचलित करने के लिए एक व्यापारिक प्रदर्शन-गृह के रूप में भी काम किया। आलोच्य वर्ष में कुल लगभग ८,७२,७३४ रु० की बिक्री हुई। इस संगठन ने भारत तथा इसके बाहर होने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। विदेशों में कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार किए हुए सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयत्न किए गए।

(२२) विस्थापित व्यक्तियो के लिए सुविधाएं

उद्योग विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियो को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग की तथा अन्य प्रकार की सुविधायें दी गईं। कुटीर उद्योग की बहुत सी मशीनों, जो जापान से मंगाई गई थीं और लखनऊ की बन्द डिहाइड्रेशन फैक्टरी में लगाई गई थीं, के संचालन के काम में विस्थापितों को ट्रेनिंग दी गई। विस्थापित व्यक्तियों को नियंत्रित सामान दिलाने के संबंध में सहायता की गई और बहुत से मामलों मे विदेशों से कुछ विशिष्ट किस्म का माल मंगवाने के संबंध में सिफारिशें की गईं।

मेरठ के खेलकूद के सामान के उद्योग में लगे हुये विस्थापित औद्योगिक व्यक्तियों के उपयोग के लिये सूत तथा कपड़े की सप्लाई प्राप्त की गई। उद्योग, जिसको स्यालकोट के निर्माताओं तथा श्रमिकों ने सरकारी सहायता से स्थापित किया था, उन्नति करता रहा।

स्टोर की खरीद

गत वर्ष की भांति उद्योग-विभाग के स्टोर्स पर्चेज शाखा ने विशेष प्रकार के स्थिर-यंत्र और मशीनों तथा अन्य सज्जा, जिसमें ट्रैक्टर, जमीन खोदने वाले उपकरण, शल्य चिकित्सा संबंधी औजार इत्यादि सम्मिलित थे और जिनकी विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यकता थी, की बहुत बड़ी खरीद का प्रबन्ध किया। रुपये के अवमूल्यन तथा उसके फलस्वरूप वैदेशिक विनिमय को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के कारण खरीद को देश की फर्मों द्वारा अधिकृत स्टाकों तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सामानों तक ही सीमित करना पड़ा। सरकारी विभागों द्वारा उत्पादित सामानों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता रहा।

गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर

गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी के लिए यूनाइटेड किंगडम से मंगाए गये कुल कल-पुर्जों में से लगभग दो-तिहाई कल-पुर्जा प्राप्त हो चुके हैं और वर्ष समाप्त होने पर इस फैक्टरी को खड़ा कर देने का प्रबन्ध किया जा रहा था। इस स्थल पर सिविल इंजिनियरिंग निर्माण-कार्य, जिसका तखमीना लगभग ६० लाख रुपया लगाया गया था, किया जा रहा था, किन्तु अनुसूची में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य आगे न बढ़ाया जा सका, क्योंकि सरकारी सीमेन्ट परामर्शदाता, श्री शियार को, जो कि इस योजना के लिए सिविल इंजीनियरिंग के खाके बनाने का कार्य करते थे, मृत्यु हो गई थी और एक ठेकेदार निर्माण-कार्य को कार्य-क्रम के अनुसार पूरा न कर सका। इस ठेकेदार का ठेका भी समाप्त कर देना पड़ा।

वर्ष भर पत्थर का चूना खोदने का काम मजदूरों ने अपने हाथ से किया और कच्चे सामान का स्टाक एकत्र किया गया।

चुनार से राबर्ट्सगंज तक जिस रेलवे लाइन को बनाने का प्रस्ताव किया गया था उस पर काम हो रहा था और दिसम्बर, १९५३ ई० तक इस काम को पूरा करने का निश्चय किया गया। रेलवे लाइन बनाने का कार्य समाप्त होते ही यह आशा की जाती है कि इस फैक्टरी में काम होने लग जायगा। यह आशा की जाती है कि १९५४ ई० के मध्य तक, जबकि फैक्टरी में उत्पादन प्रारम्भ होने का अनुसूची में उल्लेख किया गया है, फैक्टरी की इमारतें तैयार हो जायंगी और मशीनें ठीक से लगा दी जायगी।

गवर्नमेंट्स प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंटस फैक्टरी, लखनऊ

गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी में वाटर-मीटर तैयार करने का कार्य होता रहा। वर्ष के अन्त में २,००० से भी अधिक मीटर बिक्री के लिए तैयार थे और लगभग इतने ही मीटरों के जोड़े जाने का काम किया जा रहा था। तथापि वाटर-मीटरों की बिक्री साधारण हुई। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को वाटर-मीटर सप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने इस फैक्टरी को निश्चित दरों पर ठेका दिया।

इस फैक्टरी में १०० स्थानीय रेडियो-सेटों के भी जोड़ने का काम किया गया और अणुवीक्षण यंत्रों (microscopes) को तैयार करने के संबंध में प्रयोग जारी रखे गये।

कुल ६,८२,८०० रुपये व्यय हुए। इसमें वह धनराशि भी सम्मिलित है, जो यंत्रों को मोल लेने में और भवन-निर्माण के संबंध में व्यय हुई।

नवम्बर-दिसम्बर, १९५१ ई० मे तीन कला विशेषज्ञ (टेकनीसियन्स) उनके साथ किये गये ठेके की अवधि समाप्त होने पर नौकरी से पृथक् किये गये। शेष तीन जर्मन कला विशेषज्ञों की नियुक्ति की अवधि २८ फरवरी, १९५३ ई० तक के लिए बढ़ा दी गई।

पिछले वर्ष की भांति गवर्नमेंट वर्कशाप, रुड़की की मुख्य कार्यवाही सारदा हाइडल डिवीज़न के लिए ६६ के० वी० ट्रांसमिशन मीनारों का निर्माण करना था, जिसका ठेका १९४९ ई० में ७,५०,००० रु० की लागत पर लिया गया था। ११ के० वी० टावर के निर्माण के लिए एक नये ठेके का प्रश्न विचाराधीन था।

इस वर्कशाप मे ईस्ट पंजाब रेलवे का, जो अब नार्दर्न रेलवे कहलाती है, और सरकार के विभिन्न विभागों का काम काफी मात्रा में हुआ।

३३—खान और पत्थर की खाने

देहरादून का चूने का पत्थर मुख्य खनिज या धातु (मेजर मिनरल) मानी जाय या साधारण धातु (माइनर मिनरल), इस प्रश्न पर इस वर्ष भारत सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ। यह निर्णय किया गया कि यह चूने का पत्थर मुख्य खनिज पदार्थ समझा जाय ताकि मिनरल कनशेन्स रूल्स, १९४९ ई० में निर्धारित शर्तों और उपबन्धो के अनुसार दिये जाने वाले खान खोदने के पट्टों के अधीन इन खनिज पदार्थों का उपयोग हो सके। इसी बीच अस्थाई अनुज्ञा पत्रों (परमिटस) के आधार पर, जो अनुभवी खान खोदने वालो को दिये गये, देहरादून की चूने की खानों से चूना निकालने का काम इस उद्देश्य से होता रहा कि चीनी और कागज की मिलों को लगातार इसकी सप्लाई हो सके।

३४—श्रम

कामबंदी, हड़तालें, तालाबन्दियाँ इत्यादि

जिन विभिन्न कारणों अर्थात् उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल न मिलने, तैयार माल (स्टाक) के इकट्ठा हो जाने, वित्तीय कठिनाइयों और बहुत सी दशाओ मे मशीनों के बिगड़ जाने तथा बराबर बिजली न मिल पाने से पिछले वर्ष व्यापार की जो मंदी रही थी, वही पूरे १९५१ ई० में भी बनी रही। पिछले वर्षों की तरह बहुत से उद्योगों में कामबंदी, तालाबंदियों, छटनी, हडतालो तथा बैठकियों का कारण एक बड़ी हद तक यही सब बाते थी। ८१ बार कारखाने बंद रहे और ७७१ बैठकियां हुईं, जिनके कारण क्रमशः ८,५४९ और १,३७,४५५ मजदूर बेकार हो गये। इस वर्ष छटनी के कारण २,५७३ मजदूर काम से हटा दिये गये।

राज्य की तेल की मिले तैयार किये गये माल के इकट्ठा हो जाने तथा कच्चे माल की सप्लाई में कठिनाई होने के कारण बहुत दिनो तक बंद रहीं। मजदूर नेताओं के एक दल के द्वारा चीनी उद्योग में हड़ताल कराने का आयोजन किया गया, किन्तु स्थिति को सम्भालने के लिये तात्कालिक कार्रवाई की गई जिससे हड़ताल असफल हो गई। एक सप्ताह के भीतर ही चीनी की मिलों में फिर से साधारण रूप से काम होने लगा।

इस वर्ष कुल १०५ हड़तालें हुईं, जिनमें ७४,४६२ मजदूरों ने भाग लिया और कुल ३,०५,७९२ काम के दिनों का हर्ज हुआ, जबकि पिछले वर्ष ६० हड़तालें हुईं थीं, जिनमें ४६,४८९ मजदूरों ने भाग लिया था और २,२९,१४९ काम के दिनों का हर्ज हुआ थी। हडतालो की संख्या में वृद्धि चीनी की मिलों और स्थानीय निकायों के कारखानों की हड़तालों के कारण हुई है।

ट्रेड यूनियनें

उत्तर प्रदेश के डिप्टी लेबर कमिश्नर इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट के अधीन ट्रेड यूनियनो के रजिस्ट्रार की हैसियत से काम करते रहे। १०१

यूनियनो की रजिस्ट्री रद्द कर दी गई और १०६ नई यूनियनों की रजिस्टरी की गई। ३१ मार्च, १९५१ ई० को रजिस्ट्री की गई यूनियनों की कुल संख्या ५५८ थी, जबकि ३१ मार्च, १९५० ई० को ५५३ थीं।

शिकायतें

कर्मकरो या उनकी यूनियनों से प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या २,४३० थी, जबकि १९५० ई० में २,४०८ थीं।

समझौता तथा निर्णयन (Adjudication) संस्था

इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स (अपिलेट ट्रिबुनल) एक्ट, १९५० ई० के प्रचलित होने और उसके अधीन भारत सरकार द्वारा लेबर अपिलेट ट्रिबुनल आफ इंडिया के निर्माण के फलस्वरूप राज्य सरकार ने १५ मार्च,१९५१ ई० के आदेश द्वारा अपनी समझौता तथा निर्णयन संस्थाओं का पुनस्संगठन किया। प्रादेशिक समझौता बोर्डों (रीजनल कंसीलियेशन बोर्ड्स) के स्थान पर समझौता बोर्ड (कंसीलियेशन बोर्ड) बन गय और औद्योगिक न्यायालयों के स्थान पर इलाहाबाद मे एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल बन गया, जिसका काम बड़े बड़े झगड़ो का फैसला करना था। इनके बन जान पर समझौता बोर्डों के पास १,९५० मामले और औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पास १९ मामले भेज गये, जिनमे से उन्होने ने क्रमशः १,५८६ और १३ मामलों का फैसला किया।

श्रम-कल्याण

उत्तर प्रदेश में काम करने वाले ३३ स्थायी श्रम-कल्याण केन्द्रों के अतिरिक्त इस वर्ष शक्कर के उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिये चार मौसमी केन्द्र खोले गये और चाय के खेतों में काम करने वाले मजदूरो के फायदे के लिये सेन्ट्रल टी बोर्ड के १०,००० रुपये के एक अनुदान की सहायता से देहरादून मे तीन नये केन्द्र खोले गये।

ये केन्द्र कर्मकरों और उनके कुटुम्ब वालो को चिकित्सा सहायता तथा आमोद-प्रमोद और शिक्षा संबंधी सुविधायें मुफ्त देते रहे।

कानपुर में क्षयरोग का एक क्लिनिक, जिसमें १०० एम० ई० एक्सरे के प्लांट तथा अन्य सज्जा की व्यवस्था थी, एक पी० एम० एस० द्वितीय अफसर के अधीन कार्य करता रहा।

श्रम संबंधी अन्य कार्यवाहियां

मिनिमम वेजेज ऐक्ट. १९४८ ई० के अधीन इस अधिनियम की अनुसूची के भाग १ में वर्णित कारबारों के संबंध मे मजदूरियो की न्यूनतम दरें नियत करने के प्रस्ताव प्रकाशित किये गये थे। उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, जो १९५० ई० में उपस्थित किया गया था, अधिनियम बन गया और प्रचलित किया गया। इस अधिनियम के अधीन एक हाउसिंग बोर्ड और परामर्शदात्री समिति बनाई गई और कर्मकरों के लिये क्वार्टरों के निर्माण की योजना में भाग लेने वाले ६७ शक्कर के कारखानों को उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि से ३९ लाख रुपये की एक धनराशि नियत की गई। यह निश्चय किया गया कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये यथासंभव सभी सुविधायें दी जायं। भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड्स आर्डिनेन्स, १९५१ ई० को चलाने के उद्देश्य से जांच की गई। सबसे पहिले कानपूर क्षेत्र मे एम्प्लाइज स्टट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० को प्रचलित करने के लिये प्रारंम्भिक कार्यवाहियां की गईं। भारत सरकार के प्लान्टेशन्स लेबर ऐक्ट, १९५१ ई० के संबंध मे जांच-पड़ताल का काम भी आरम्भ किया गया। एम्प्लायमेंट एक्सचेन्जों के द्वारा छटनी किये गये तथा आकस्मिक रूप से काम करने वाले कर्मकरो की रजिस्ट्री तथा उनको कानपुर के कपड़े और चमड़े

के कारखानो में लगाने की जो मूल योजना १९५० ई० में कानपुर म आरंम्भ की गई थी वह जारी रखी गई ।

जांच-पड़ताल

जून, १९५१ ई० के अंत तक झांसी, गाजियाबाद और इलाहाबाद मे पारिवारिक आय-व्ययक के सबंध मे जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई थी। कानपुर के जूही क्षेत्र मे उद्योगों में काम करने वालों के द्वारा दिये जाने वाले मकानों के बढे हुये किराय के संबंध में इस वर्ष जांच-पड़ताल की व्यवस्था की गई और नगर के ग्वालटोली क्षेत्र में कर्मकरों के अहातों का भी निरीक्षण किया गया।

उद्योगों में काम करने वालों मे शराबखोरी की प्रवृत्ति या न्यूनाधिकता के संबंध मे भी जांच की गई ।

कृषि के कारबार के संबंध में (मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन) मजदूरो की न्यूनतम दरें नियत करने के लिये जांच-पडताल करने तथा उस संबंध मे सरकार को सलाह देने के लिये परामर्शदात्री समिति सरकार ने बनायी । उसने भी इस वर्ष जांच-पड़ताल किया।

आंकड़े तथा अनुसंधान

सदा की भाति लेबर कमिश्नर के कार्यालय के आंकड़ा उपविभाग ने रहन-सहन व्यय संबंधी आंकड़ो, फुटकर मूल्य, औद्योगिक झगड़ों, दुर्घटनाओं, श्रम-कल्याण, अनुपस्थिति का शिकायतों, इत्यादि के संबंध में आंकडे एकत्र किये और संकलित किये । जांच करने वाले अमले का विकेन्द्रीकरण हो गया और कानपुर रीजन को छोड़ कर, जहां कि दो जांच करने वाले रखे गये, प्रत्येक रीजन मे एक जांच करने वाला रख दिया गया।

अनुसंधान उपविभाग महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणियां और स्मृति-पत्र तैयार करता रहा और रोगो तथा सरकारी और निजी संगठनों के लिये सूचनाये एकत्रित करके उन्हें देता रहा।

कारखानो, ब्यायलरों इत्यादि का निरीक्षण

वर्ष के उत्तरार्द्ध मे फैक्टरी निरीक्षकों (फैक्टरीज इंस्पेक्टोरेट) में पांच और निरीक्षको (इंस्पेक्टरो) की नियुक्ति की गई। फैक्टरीज ऐक्ट, एम्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रेन ऐक्ट, पेमेन्ट आफ वेजज ऐक्ट, यू० पी०, मैटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट के अधीन निरीक्षकों ने कुल ४,३८९ निरीक्षण किये । इस वर्ष कुल ५,९९९ दुर्घटनाये हुई, जिनमें से २९ घातक सिद्ध हुईं, जबकि १९५० ई० में ७,११३ घटनाये हुईं, जिनमे से ३४ घातक सिद्ध हुईं ।

इस वर्ष इंस्पेक्टोरेट को भवन निर्माण की स्वीकृति के लिये ७१७ नक्शे प्राप्त हुये, जबकि पिछले वर्ष ३७४ नक्शे प्राप्त हुये थे । इनमें से ४९ कैन्टीन, विश्राम कमरों तथा सायबानों के लिये थे। शेष कारखानों की इमारतो के संबंधमें थे।

ब्यायलर्स निरीक्षकों (इंस्पेक्टोरेट) ने २,३९५ निरीक्षण किये, जिनमें से ८३२ जल-बिजली के (हाइड्रोलिक) और ३३ भाप संबंधी परीक्षण (स्टीम टेस्ट्स) थे।

यू० पी० शाप्स ऐंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० लखनऊ, मुरादाबाद और झांसी के रेलवे नोटिफाइड एरियाओ में प्रचलित किया गया । इस अधिनियम के अधीन डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और पूरे समय वाले १३ निरीक्षकों (इंस्पेक्टरो) ने कुल ३९,९१५ मुआयने किये, जबकि १९५० ई० में ३६,८७४ मुआयने किये गये थे।

यू० पी० फैक्टरीज रूल्स, १९५० ई० के लागू होने के बाद कारखानो को लाइसेंस देने और उनकी रजिस्ट्री करने के संबंध में उपबंध १ अप्रैल १९५१ ई० से प्रचलित किये गये । इस वर्ष कुल १,०४० कारखानों को लाइसेन्स दिये गये । इनमें से ८६ कारखानों की हाल ही मे रजिस्ट्री की गई ।

कारखानों को लाइसेन्स देना

उत्तर प्रदेश के श्रम कमिश्नर इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, १९४६ ई० के अन्तर्गत प्रमाणित करने वाले अधिकारी (Certifying Officer) के पद पर बने रहे। पहली जनवरी को ऐसी औद्योगिक स्थापनाओ की संख्या ४१२ थी जिनके संबंध में स्थायी आदेश प्रमाणित किय जा चुके थे (इनमें ३८ शक्कर के कारखाने थे जिनके संबंध में यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७ ई० के अधीन स्थायी आदेश बाद में प्रचलित किय गये थे) । वर्ष के अन्त में ऐसी स्थापनाओं की संख्या ५०६ थी ।

स्थायी आदेश

श्रम कमिश्नर के कार्यालय का प्रकाशन उप-विभाग अंग्रेजी में मासिक "लेबर बुलेटिन" और हिन्दी में "साप्ताहिक श्रमजीवी" प्रकाशित करता रहा और समझौता तथा निर्णयन संस्था और श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रगति तथा कार्यवाहियों के प्रचार का कार्य जारी रखा गया।

प्रकाशन

३५—सहकारी आन्दोलन

१९५०-५१ (जुलाई, १९५०-जून, १९५१) के सहकारी कार्य के वर्ष में मुख्यतः उस प्रगति को स्थिर करने की कार्यवाहियां की गईं, जो पिछले वर्षों मे सहकारिता के क्षेत्र में प्राप्त हुई थी । १९४७ ई० से अनुसरण की गई नीति के अनुसार सहकारी संस्थाओं ने मेम्बरो की न केवल ऋण संबंधी आवश्यकताओं की ओर ही ध्यान दिया, बल्कि उनके अर्थिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओ की ओर ध्यान दिया। सब बातों को देखते हुये सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति बहुत संतोषजनक थी और उनका "ओन्ड" कैपिटल उनके कुल 'वर्किंग' कैपिटल के एक-तिहाई से अधिक था।

आलोच्य वर्ष के अन्त में राज्य में सभी प्रकार की ३५,००० सहकारी संस्थायें थीं और इनके २८ लाख मेम्बर थे । इनमें यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, यू० पी० कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट ऐन्ड मार्केटिंग फेडरेशन, यू० पी० केन यूनियन्स फेडरेशन, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक्स ऐन्ड बैंकिंग यूनियन्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेडरेशन्स, डेवलपमेन्ट ऐन्ड मार्केटिंग यूनियन्स, केन यूनियन्स, एग्रिकल्चरल मल्टीपरपज ऐन्ड अदर क्रेडिट सोसाइटीज, नान-एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, कन्जूमर्स सोसाइटीज, घी सोसाइटीज, टेक्सटाइल सोसाइटीज, कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स सोसाइटीज, कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, लैन्ड कालोनाइजेशन सोसाइटीज और हाउसिंग सोसाइटीज सम्मिलित हैं।

वित्तीय स्थिति

समितियों का 'वर्किंग' कैपिटल लगभग २३ करोड़ रुपया था, जबकि पिछले वर्ष १८ करोड़ रुपया था और 'ओन्ड' कैपिटल ७.८२ करोड़ रुपया था । मेम्बरों द्वारा भुगतान किया गया 'शेयर' कैपिटल चार करोड रुपया था और सुरक्षित तथा अन्य कोष ३.५ करोड रुपये से अधिक था ।

राज्य में महत्वपूर्ण सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी:—

(रुपये लाखों मे दिये गये हैं)

समितियां	समितियों की संख्या	मेम्बरो की सख्या	वर्किंग कैपिटल	ओन्ड कैपिटल	शेयर कैपिटल	मुनाफा
			रु०	रु०	रु०	रु०
यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ..	१	६२७	३२९.११	४०.०९	३१.६५	.९७
यू० पी० डेवलपमेन्ट ऐन्ड मार्केटिंग फेडरेशन ..	१	८०	४४५.६३	६२.५७	२.३१	९.१७
यू० पी० केन यूनियन्स फेडरेशन ..	१	१०१	२.५९	१.६४		१.६६
कोआपरेटिव बैन्कस ऐन्ड बैंकिंग यूनियन्स ..	६६	२४,५७५	३०२.२५	८०.५४	४९.३६	४.७१
एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (जिनमें बहुधंधी सम्मितिया सम्मिलित हैं) ..	२६,३९०	८,५०,२९२	३८४.९४	२१४.६७	१३०.२९	१३.७९
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट फेडरेसन्स ..	५०	२६,५३७	१००.९१	३४.९१	१५.६५	१७.०५
डेवलपमेन्ट ऐन्ड मार्केटिंग फेडरेशन्स ..	१,५९७	१,५७,८८५	१२८.८७	६९.७५	५०.२५	२२.७३
मिल्क यूनियन्स ..	६	३६८	१०.७८	५.१८	.४४	.०८
केन यूनियन्स ..	१०५	११,७१,४३७	२२३.३२	१३६.७३	४२.२०	१४.५२
नान-एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज .	६४९	८१,५६४	११७.३८	५०.८३	३७.२३	२.४८
कंजमर्स सोसाइटीज ..	५०८	३,०१,५३०	९६.६५	४१.२३	२८.०७	१३.०८
टैक्सटाइल्स यूनियन्स ..	३९	१०,४२९	२३.२०	११.३६	४.९२	१.५३
टैक्सटाइल सोसाइटीज .	५८१	६९,१३८	१३.२४	९.९०	७.२७	.५६
हाउसिंग सोसाइटीज ..	१६७	१०,७९७	३४.११	११.४६	१०.८५	.५६
लन्ड कालोनाइजशन सोसाइटीज ..	६७	३,८६२	३६.७३	.७२	.७०	.३२

सहकारिता के आधार पर ऋण

सहकारी सस्थाओं ने इस वर्ष कुल लगभग २९ करोड़ रुपये कर्ज दिये और वर्ष के अन्त में ऋण के लिये लगभग १३ करोड़ रुपया रह गया था, जबकि पिछले वर्ष यह धनराशि क्रमशः १८ १/२ करोड़ रुपये और ९ करोड़ रुपये थी। ऋणों के विवरण, जिनका अधिक भाग उत्पादन के प्रयोजन के लिये दिया गया था, और ऋणों के विवरण, जो वसूल नहीं हुये थे, नीचे दिये जाते हैं---

			ऋण जो वर्ष के अन्त तक वसूल नहीं हुये थे
		रु० (लाखों में)	रु० (लाखों में)
यू० पी० कोआपरेटिव बैंक	..	८७८·४६	१६०·६५
सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और बैंकिंग यूनियन्स	..	३१४·४५	१९०·६७
एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज	..	२२८·२५	२६२·८६
नान-एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज	..	५४·७१	९७·७०
अन्य कर्ज न देने वाली समितियाँ---			
(क) सेन्ट्रल	..	१,१३६.२६	३८३·६७
(ख) एग्रिकल्चरल प्राइमरी	..	३०·२५	४१·९६
(ग) नान-एग्रिकल्चरल प्राइमरी	..	९·४४	६·७५
केन यूनियन्स	..	२३३·०८	१३९·००
योग	..	२,३८४.९०	१,२८६.२६

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

सहकारी उपभोक्ता समितियाँ, यू० पी० क्रय-विक्रय संघ, जिला सहकारी विकास संघो, विकास तथा क्रय-विक्रय यूनियनो और कर्ज देने वाली बहुत सी समितियों ने नियंत्रित वस्तुओं के वितरण करने मे महत्वपूर्ण कार्य किया। यू० पी० क्रय-विक्रय संघ (U P. Marketing Federation) ३२ जिलों में मिल के बने कपडों के थोक व्यापारी के रूप में काम करता रहा और उसने मोटे तौर पर राज्य के लिये नियत कोटे का एक-तिहाई भाग आयात किया। संघ ने लगभग ६ १/२ करोड़ रुपये के मूल्य के कपड़े खरीदे और लगभग ४ करोड़ रुपये की बिक्री की। संघ ने जिला विकास संघों को बिक्री के लिये २ १/२ करोड़ रुपये से अधिक का स्टाक दिया। जिला विकास संघों और विकास तथा क्रय-विक्रय यूनियनों ने क्रमशः ८ करोड़ और ४ करोड़ रुपये के मूल्य के कपड़े, शक्कर, नमक, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट, सूत, रासायनिक खाद, लोहे के सामान इत्यादि बाँटे। पिछले वर्ष के ये आँकड़े क्रमशः ४ करोड़ और ३ करोड़ रुपये थे। बहुधंधी सहकारी समितियों ने ३०.५ लाख रुपये मूल्य

की आवश्यक वस्तुये बेचीं। सहकारी उपभोक्ता समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की १,७०० राशन की दूकानों मे काम किया और १० लाख कार्ड-गृहीताओं को नियंत्रित खाद्यान्न बेचा। उनकी मासिक बिक्री का औसत १ १/२ करोड़ रुपया था।

बीज,, खाद इत्यादि की सप्लाई

सहकारी समितियों द्वारा चालित बीज-गोदामो की संख्या ९५५ थी। इनमे वे ५६७ गोदाम भी सम्मिलित है, जो कृषि विभाग ने १९४८ ई० में हस्तांतरित किया था। १९५०-५१ मे निम्नलिखित परिमाण में बीज दिये गये और वसूल किये गये :—

	खरीफ	रबी
	मन	मन
वितरण ..	२,२०,३५४	९,७७,५५६
सवाई की मांग .	२,७५,५९८	१२,२१,९५५
गल्ले की वसूली .	२,२०,५२८	११,७०,१०६
वसूली का औसत ..	८०.०%	९५.८%

विशेष रूप से पूर्वी जिलों में मौसम खराब होने से खरीफ की फसल बरबाद हो जाने के बावजूद वसूली अच्छी हुई। शुद्ध बीज वितरित करने के प्रयत्न किये गये और उसमे सफलता मिली, जिसके फलस्वरूप १९४९-५० ई० मे पैदा किये गये "ए" वर्ग के बीजो का लगभग २.४७ लाख मन परिमाण बढ़कर १९५०-५१ ई० मे ३.७१ लाख मन हो गया।

सहकारी समितियो ने ९,८३३ खेती के औजारों के अतिरिक्त १०,८५० मन से अधिक खली, ११,०१४ मन सनई और ४,७७२.६१ टन खाद वितरित किया। समितियो के मेम्बरों ने १० लाख मन से अधिक मिलवा खाद तैयार किया और उसे अपने-अपने खेतों मे छोड़ा।

सिंचाई की सुविधायें

सहकारी समितियों ने मेरठ जिला में चालीस ट्यूबवेल बनवाये और लगभग ५०,००० एकड नयी भूमि म सिंचाई करने में सहायता प्रदान की। इटावा ज़िला म तीन नये ट्यूब-वेल बनाये गये। मुरादाबाद और बदायूं जिले म सहकारी समितियों ने १० ट्यूब-वेलों से पानी वितरित करने का काम आरम्भ किया। आलोच्य वर्ष में कुल लगभग २,००० पक्के कुएं, १५० बंधियां और १५० तालाब बनाये गये।

दूध और दूध से बनी अन्य वस्तुओ की सप्लाई

लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ और हलद्वानी में काम करने वाली दूध यूनियनों ने लगभग १.२९ लाख मन दूध का काम किया, जबकि १९४९-५० मे यह मात्रा १.०२ लाख मन थी। शहर के ग्राहकों को दूध की सप्लाई की मात्रा लगभग ७५,००० मन से बढ़कर १,०६,००० मन हो गई। गांव की उन समितियों की संख्या, जो यूनियनों को दूध सप्लाई करती थीं, १९४९-५० की ३०० से बढ़कर १९५०-५१ मे ३८४ हो गई। लखनऊ यूनियन के पास एक पैस्चुराइजिंग प्लान्ट था और इलाहाबाद और बनारस यूनियनों के अहातो मे दो और प्लान्ट लगाये गये। टेक्निकल अमला रखने और वैज्ञानिक सामान की खरीद के लिये राज्य सरकार ने यूनियनों को वित्तीय सहायता दी। दूध यूनियनों को १९५०-५१ में १.२२ लाख रुपये के आवर्तक अनुदान स्वीकृत हुए थे, जबकि १९४९-५० में ३.३७ लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। उन्नत प्रकार

दुधारू पशुओं की खरीद के लिये १·५० लाख रुपया बेसूदी तकावी के रूप में भी स्वीकृत किया गया।

घी-विक्रय समितियों और यूनियनों ने लगभग एक दर्जन जिलों में काम किया। उन्होंने लगभग ११ लाख रुपये के मूल्य के घी का काम किया, जबकि पिछले वर्ष यह धनराशि ९ लाख रुपये थी।

फैक्टरियों को ईख की सप्लाई

उत्तर प्रदेश में सहकारी आधार पर क्रय-विक्रय के कार्यों में ईख के क्रय-विक्रय का कार्य ठीक रहा। उन समितियों ने, जो केन कमिश्नर के प्रशासकीय नियन्त्रण में रहीं, आलोच्य वर्ष में २५ १/२ करोड़ रुपये से अधिक की १४ १/२ करोड़ मन ईख शक्कर के कारखानों को दिया। सप्लाई पर कमीशन से इन समितियों को कुल ६० लाख रुपये की आय हुई।

औद्योगिक सहकारी समितियाँ

पहिले की तरह करघा उद्योग, चमड़े के काम और चपड़ा बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग सहकारी आधार पर चलाये जाते रहे। आलोच्य वर्ष में औद्योगिक सहकारी समितियों का कार्य वर्ष भर आमतौर पर सन्तोषजनक रहा।

लाख की खेती

लाख विकास का कार्य मुख्यतः दूधी (जिला मिर्जापुर) क्षेत्र में ही होता रहा। वह अस्थायी प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत विधमगंज शेलाक फैक्टरी का प्रबन्ध और लाख एकत्र करने का काम सहकारी समितियों और एक सहकारी यूनियन के बनने तक यू० पी० मार्केटिंग फडरेशन न अपने हाथ म ले लिया था, जारी रहा।

जोतों की चकबन्दी

१९५०-५१ मे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और फतेहपुर जिलो में चकबन्दी का काम आरम्भ किया गया और ४३,००० भूखंडों वाली १६,५३७ एकड़ भूमि की ३,००० चकों में चकबन्दी की गई। सहकारी समितियों द्वारा जिस कुल क्षेत्र की चकबन्दी की गई वह ३० जून, १९५१ ई० को १.६७ लाख एकड़ था। बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में जोतों की चकबन्दी का काम विशेषरूप से हुआ।

सहकारिता के आधार पर खेती

१७ जिलों में काम करने वाली सहकारिता के आधार पर खेती करने वाली ३२ समितियाँ अब भी प्रयोगात्मक अवस्था म थीं, परन्तु उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। यह आशा की जाती थी कि निकट भविष्य म और अधिक भूमि में सहकारिता के आधार पर खेती की जा सकेगी।

उपनिवेशन समितियाँ

३० जून, १९५१ ई० को ६७ भूमि उपनिवेश समितियाँ थीं और उनके ३,८६२ मेम्बर थे। इनमें से ३४ म विस्थापित व्यक्ति १४ म भूतपूर्व सैनिक और १९ मे राजनैतिक पीड़ित थ। प्रत्येक समिति के संगठन कार्य के लिय एक एसे गाँव को मूल यूनिट बनाया गया था, जिसम १,००० से १,५०० तक एकड़ नई भूमि तोडी गई हो और जो ब्लाकों म नये बसन वालों के परिवारों को दी गई हो। बसन वालों ने व्यक्तिगत रूप से अपन-अपन भूखन्डों में खेती की, परन्तु यह आशा की जाती थी कि अन्ततः खेती का कुल काम सहकारिता के आधार पर किया जायगा। आलोच्य वष में सहकारी समितियों का काम यह था कि वह मेम्बरों को ऋण दें, उनको बीज, खाद और खेती के औजार सप्लाई करें और उनकी पैदावार की उचित बिक्री के लिय प्रबन्ध करे। १९५०-५१ में मेम्बरों को १४ लाख रुपये ऋण दिय गय और वर्ष के अन्त में कुल २७ लाख रुपया वसूल नहीं हुआ था।

भवन निर्माण — भवन निर्माण सहकारी समितियो की सख्या १६७ थी और उनके कुल मेम्बरों की संख्या १०,८०० थी। समितियो ने आमतौर पर मकानो के बनाने में वित्तीय सहायता दी और भूमि प्राप्त करन, नक्शा बनान और भवन निर्माण सामग्री भी प्राप्त करने मे सहायता दी। लगभग १५४ एकड भूमि प्राप्त की गई और इन समितियो के द्वारा लगभग ४०० मकान बनाये गये। इतनी कम संख्या मे मकान इसलिये बन सके कि भवन निर्माण सामग्री के मूल्य बढे हुए थे और उपयुक्त स्थान तथा भवन निर्माण सामग्री मिलने में कठिनाई थी और सस्ते दरों पर अधिक दिनो के लिये ऋण नही मिलता था। भवन निर्माण सहकारी समितियो ने १९५०-५१ में ५ लाख रुपया ऋण दिया और वर्ष के अन्त में ६.५६ लाख रुपया वसूल नही हुआ था।

विशेष कार्य-वाहियाँ — अपनी साधारण कार्यवाहियो के अतिरिक्त यू० पी० मार्केटिंग फेडरेशन ने ५४ ट्रक अपने पास इसलिये रक्खे कि राज्य की सहकारी समितियो को उनके समान लाने-लेजाने में सहायता मिल सके। फेडरेशन की अन्य विशेष कार्य-वाहियों में हिन्दी टाइपराइटरो की बिक्री करना, शिकोहाबाद मे घी के वर्गीकरण वाले स्टेशन का प्रबन्ध और जड़ी-बूटियो के विकास तथा उनकी क्रय-विक्रय सम्बन्धी कार्यवाहियाँ सम्मिलित थी। आलोच्य वर्ष मे फेडरेशन न ३५,८१७ रुपया का घी बेचा और शिकोहाबाद के घी ग्रेडिंग स्टेशन ने १०,५७० मन घी का वर्गीकरण किया और उसकी २३,३२५ रुपया फीस ली। अल्मोड़ा और ननीताल जिलो में जड़ी-बूटिया और जंगल की अन्य पैदावार एकत्र करने का कार्य जारी रहा और आलोच्य वर्ष म १०,००० रुपये की जड़ी-बूटियाँ बेची गई। फेडरेशन राज्य के २३ जिलो के लिये नाहान फाउन्ड्री (पूर्वी पजाब) का सोल एजेन्ट हो गया। शेष जिलों के लिये फेडरेशन ने फाउन्ड्री के एजेन्ट के रूप में कार्य किया।

३६—गन्ना विकास

गन्ने की फसल अच्छी हुई और उत्तर प्रदेश मे गन्ने के अत्यधिक विकास की पंचवर्षीय योजना मे, जिसका अभी तीसरा वर्ष चल रहा था, और अधिक प्रगति हुई। इस कार्य का सम्पादन ३८ समितियो द्वारा किया गया, जिनके केन्द्र चीनी मिलो के वहिर्द्वार पर स्थित थे। प्रत्येक समिति का कार्य-क्षेत्र, जो प्रारम्भ में २,००० एकड़ था और बाद मे धीरे-धीरे बढाया गया था, आलोच्य वर्ष के अन्त तक ४,००० एकड़ हो गया था। इस वर्ष ३० लाख मन उन्नत, अधिक उत्पादक और रोगमुक्त किस्मो के गन्ने के बीज का वितरण किया गया और सिचाई की सुविधाए और अधिक बढ़ा दी गयी। १,००० से अधिक कुए खोदे गये और २७१ कुए गलाये गये। इसके अतिरिक्त १५० तालाब खोदे गये या अधिक गहरे किये गये, ११३ पंपिंग प्लान्ट स्थापित किये गये। पक्के कुओ के लिये २२० वाटर-लिफ्टो की व्यवस्था की गई और लगभग ६४२ मील गूलों की सफाई की गई। हरी खाद के लिये ५,३५४ मन सनई के बीज के अतिरिक्त ३५,२२४ मन खली, १,७९,६२१ मन उर्वरक और २,२५,४५९ मन मिश्रित उर्वरक गन्ने की काश्त करने वालो को बाटा गया। लगभग ४,६३२ लाख मन देहाती मिलवा खाद, ९.४० लाख मन मिल वाली मिलवा खाद भी तैयार की गई। पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से खेती के उन्नत ढगो का प्रदर्शन करने के प्रयोजन से किसानो के खेतो मे १३,९७२ अर्द्ध-क्षेत्रीय प्रदर्शनो का प्रबन्ध किया गया।

वर्षा के ठीक से न होने तथा कई स्थानो मे सूखा पडने के कारण बीमारियों का जोर अपेक्षाकृत अधिक रहा। २३,४३३ एकड के क्षेत्रफल मे रेड राट

(red rot), पाइरिला, कंडआ (smut), विल्ट और स्टेमबोरर की बीमारियों का जोर था, किन्तु रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निकाई करके झाड़-पतवार साफ करके और ५ प्रतिशत गमेक्शिन (gammexyne) छिड़क करके २२,२३८ एकड़ भूमि पर सफलता पूर्वक रोगों की रोकथाम की गई। इन निरोधक कार्यों में लगभग १०,५६३ रु० की धनराशि व्यय की गई।

शक्कर की वसूली में भी कुछ वृद्धि हुई और वह बढकर ९.८१ प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष की वसूली ९.६३ प्रतिशत ही थी। १६.५७ करोड़ मन की कुल सप्लाई में १४.५८ करोड़ मन गन्ने की सप्लाई अर्थात् कुल परिमाण का लगभग ८८ प्रतिशत गन्ना समितियों ने की।

आलोच्य वर्ष में गन्ना सहकारी यूनियनो की संख्या इस प्रदेश में १०५ थी। इन यूनियनो का कार्य-क्षेत्र २६,८४० गांवो में ११.५४ लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रफल मे था और ११,६९,९०८ व्यक्ति उनके सदस्य थे तथा १,५३७ सदस्य-समितिया थी। १९५० ई० मे उनका कार्य क्षेत्र ९.९४ लाख एकड़ (२५,८७३ गांवो) मे था और ११,०५,१७३ व्यक्ति सदस्य थे तथा समिति-सदस्यो की संख्या १,४८२ थी। यूनियनों की कार्य-सम्पादन पूंजी गत वर्ष १.९५ करोड रु० से बढ़कर २.२३ करोड़ रु० हो गयी, जबकि सुरक्षित तथा अन्य निधि ८९६५ लाख रु० से बढकर ९४५३ लाख रु० हो गई। पास की पूंजी भी १ २४ करोड़ से बढकर १ ३७ करोड रु० हो गयी। वर्ष के अन्त मे यूनियनो क पास चुकता की गयी अशक पूंजी ४२ २० लाख रु० थी जो गत वर्ष की पूंजी से ७ ९३ लाख रु० अधिक थी। उत्पादक प्रयोजनों के लिये सदस्यों को २ ३३ करोड़ रु० का अग्र-ऋण दिया गया। २.१८ करोड़ रु० की वसूलिया हुई। अपने सदस्यो की सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने में भी समितियो ने बहुत बड़ा सहयोग दिया।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ, जो यूनियनो द्वारा बनाया गया था और १९४९ ई० में जिसकी रजिस्ट्री हुई थी तथा जिसने यूनियनो की कार्यवाहियों का एकीकरण करने तथा उनके कार्यों में सामजस्य लाने में पहले ही उपयोगी कार्य किया था, सफलतापूर्वक कार्य करता रहा। वर्ष में इस संघ ने लगभग ६०.०० लाख रु० मूल्य की खाद, उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजारो के केन्द्रीय-कृत क्रय तथा सप्लाई का कार्य किया। इस संघ ने विभिन्न फार्मों, रजिस्टरों तथा अन्य कागजातो के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता के आधार पर सदस्य यूनियनो की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये एक निजी छापाखाना की भी स्थापना की।

गन्ने का मूल्य पहले १ रु० १० आना प्रति मन के हिसाब से निर्धारित किया गया था, परन्तु गन्ने की सप्लाई मे वृद्धि करने के उद्देश्य से बाद में इसे पूर्व तिथि से ही बढाकर १ रु० १२ आना प्रति मन कर दिया गया। फैक्टरियो ने कुल जितने मन गन्ना पेरा था वह १९५० ई० के १४.३७ करोड़ मन की अपेक्षा आलोच्य वर्ष में बढकर १६.५७ करोड़ मन हो गया और उत्पादित शक्कर मे भी २२ ८४९ लाख मन की वृद्धि हुई।

३७—ग्राम सुधार

महिला हितकारी योजना—(१) सामान्य

महिला हितकारी योजना, जो कि १९४९ ई० मे पुनःसंगठित की गई तथा महिला हितकारी संचालक (Director) के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रखी गई थी, इस राज्य के १२ जिलो मे अर्थात् आजमगढ़, बहराइच, बस्ती,

देवरिया, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, लखनऊ, मथुरा और रायबरेली के लगभग १५० गावो में चालू की गई। माताओं और स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों को उपदेश देने, (२) माताओं और नये पैदा हुए शिशुओ के कल्याण और (३) आर्थिक हित पर जोर दिया जाता रहा।

उक्त १२ जिलो मे से प्रत्येक जिले के ३ से ५ तक के केन्द्रों में सकेन्द्रित प्रयत्न (concentrated efforts) उस कर्मचारिवर्ग द्वारा किये गये, जिस मे प्रत्येक के लिये तीन ग्राम-सेविकायें--एक प्रौढ तथा पूर्व स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक-संवर्धन मे प्रशिक्षित (trained), दूसरी धात्री कार्य (midwifery) और तीसरी दस्तकारी मे प्रशिक्षित थी--रखी गई।

(२) लखनऊ में नया प्रशिक्षण केन्द्र (Training Centre)

महिला हितकारी योजना के अधीन कार्य करने के लिये ग्राम-सेविकाओ को ट्रेनिंग देने का एक केन्द्र लखनऊ जिले में आलमबाग के निकट अक्टूबर १९५१ ई० में खोला गया था। बीस ग्राम-सेविकाओ का एक समुदाय (batch) एक व्यापक पाठ्यचर्या (comprehensive syllabus) के अनुसार ५ महीने की ट्रेनिंग पा रहा था जबकि वर्ष समाप्त हो गया। उनके पाठ्यक्रम (course) में दस्तकारी की ट्रेनिंग, जिससे कि माताओ और बच्चो का हित होने की संभावना है, तथा स्कूल जाने से पूर्व के बच्चे को ठीक ढग पर रखने एवं उसे शिक्षा देने और गांव की महिलाओ का दृष्टिकोण बढ़ाने की ट्रेनिग सम्मिलित की गई थी।

(३) जच्चा-बच्चा सम्बन्धी प्रशिक्षण (Training)

जच्चा-बच्चा सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र से, जो कि १९५० ई० मे लखनऊ में स्थापित किया गया था, इस वर्ष २१ सफल उम्मीदवारो का एक समुदाय भेजा गया। वे इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल (Silver Jubilee Health School) मे एक वर्ष ट्रेनिग पा चुके थ। उन्होनें कुछ अन्य शिक्षा संस्थाओ मे जिन विषयों की ट्रेनिंग प्राप्त की उनमें बच्चो के पालन-पोषण के अतिरिक्त चिकित्सा सम्बन्धी तथा जच्चा-बच्चा सम्बन्धी विषय सम्मिलित थे। स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान तथा ग्राम-सुधार से सम्बन्धित अन्य विषयो पर लेक्चर देने की व्यवस्था भी की गई थी। ट्रेनिंग पाने वालो के लिये यह आवश्यक था कि वे घरेलू कार्य (domiciliary work) भी करे, जिससे कि वे गाव की परिस्थितियो में काम करने के लिये अधिक उपयुक्त हो सकें। ट्रेनिग समाप्त हो जाने पर सफल होने वाली ग्राम-सेविकाओ को साधारण रीति के अनुसार मेटरनिटी बाक्स (जच्चा-बच्चा के काम आने वाले बक्से) दिये गये और महिला हितकारी केन्द्रों (Women's Welfare Centres) को पास-पड़ोस मे वितरण करने के लिये ६० प्राथमिक सहायता सम्बन्धी औषधियों की पेटियां फिर दी गईं, जिनमे पुरुषो, महिलाओ और बच्चों के छोटे-मोटे रोगों के लिये कुछ आवश्यक आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक दवायें थी। ट्रेनिग पाई हुई ग्राम-सेविकाओ ने जच्चा-बच्चा सम्बन्धी मामलो को देखते समय नियमानुसार इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय दाईयां उनके साथ रहे, क्योकि स्थानीय दाइयों को ट्रेनिंग देना उनके कार्यक्रम का एक भाग था।

(४) आर्थिक हित इत्यादि

गांव की महिलाओ का और अधिक आर्थिक हित करने के उद्देश्य से महिला हितकारी केन्द्रों के अधीन समुदाय केन्द्रों (Community Centres) में घरेलू दस्तकारी (Home Crafts) सिखाने का कार्य होता रहा। इनमें कताई, कढ़ाई (needle work), बुनाई (knitting), खिलौने बनाना, फल परिरक्षण (fruit preservation) तथा अन्य कुटीर उद्योग सम्मिलित थे। उद्योग विभाग द्वारा दिये गये लगभग एक सौ चर्खे देहरादून जिले मे चलाये जा रहे थे। पूरे तौर पर तैयार

बनाने का पारिश्रमिक (remuneration) गांव की महिलाओं को मिला। एटा जिले में यह देखा गया कि कोई भी महिला, जो कि इस काम में प्रति दिन दो घंटा समय दे, १८ से २० रु० तक मासिक कमा सकती है। कुछ उत्पादित वस्तुओ की बिक्री का प्रबन्ध सहकारी यूनियनों की देख-रेख में चलाई जाने वाली दुकानो द्वारा किया गया।

चार ग्राम-सेविकायें गवर्नमेंट सेन्ट्रल वीविंग इन्स्टीट्यूट, बनारस में कांच की गुरिया बनाने की ट्रेनिंग पाने के लिये भरती की गई। ज़िला आर्गेनाइजरों तथा ग्राम-सेविकाओं को कृषि विभाग द्वारा संचालित कक्षाओं में फल परिरक्षण (fruit preservation) तथा मुरब्बा, अचार और चटनी बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई। महिलाओ और बच्चो मे ग्राम तथा अन्तर-ग्राम प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिये सरकार ने १२ जिलो को ५०० रु० स्वीकृत किया था।

महिला हितकारी केन्द्रो के लिये यह निश्चित किया गया कि वे खाद के गड्ढे और पानी सोखने वाले गड्ढे (सोकेज पिट्स) तैयार करने, साक्षरता, दस्तकारी, पौष्टिक पदार्थ और स्वास्थ्य बढाने तथा महामारी और हीनात्र रोगों (deficiency diseases) की रोक-थाम करने के लिये किस मात्रा में कार्य करें। यद्यपि ग्रामीण महिलाओं की सास्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के कार्यों मे उनके भाग लेने मे सामान्य रूप से बाधक रही, फिर भी जिलो से इस सम्बन्ध मे उत्साह बढाने वाली रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

(५) प्राप्त हुए परिणाम

केवल समुदाय केन्द्र वाले गावों मे ही नहीं अपितु आसपास के गांवो में भी यह देखा गया कि लोगो ने योजना के सम्बन्ध में काफी दिलचस्पी ली है और इस योजना का कार्यक्षेत्र बढाने के संबंध में बहुत से लोगों की प्रार्थनाये आईं। इसका स्पष्ट कारण इसके पूर्व प्राप्त हुए परिणाम थे। निम्नांकित आंकडे इस बात को प्रदर्शित करेंगे कि महिला हितकारी योजना के अन्तर्गत कितना लाभप्रद कार्य हुआ--

(१) महिला हितकारी केन्द्रो में ग्राम-सेविकाओं द्वारा औषधियो की पेटियो की सहायता से इलाज किये गये रोगियों की संख्या	२२,४९७
(२) ग्राम-सेविकाओ द्वारा रोगमुक्त किये गये रोगियो की संख्या	१२,७२४
(३) बाळबारी कक्षाओं मे शिक्षा पाय हुए विद्यार्थियो की संख्या	६,३१३
(४) घरेलू दस्तकारी (Home Crafts) मे ट्रेनिंग पाई हुई महिलाओ की सख्या	२,३२०
(५) साक्षर बनाई गई महिलाओ की सख्या ..	१,४५६
(६) जच्चा-बच्चा संबंधी जिन मामलो की देख-रेख की गई उनकी सख्या	१९२

इमारतों का निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रो मे जिला प्लानिग समितियो द्वारा पंचायतघरो और बीज गोदामो की इमारते बनवाने तथा उनकी मरम्मत कराने के लिये सरकार ने ३०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की थी। इस अनुदान की सहायता से आलोच्य वर्ष मे ३३९ पचायतघर और ६६ बीज गोदामो का निर्माण किया गया। जिला प्लानिंग समिति, मेरठ ने ७१९ आदर्श-गृह बनवाये, जबकि

मुजफ्फरनगर और शाहजहापुर ने सबसे अधिक पशुशालाओ का (क्रमशः १९९ और ६३७) निर्माण किया। आलोच्य वर्ष के आकड़े इस प्रकार हैं :—

(१) निर्माण किये गये बीज गोदामो तथा पंचायतघरो की संख्या .. ६६
(२) निर्माण किये गये पंचायतघरो की संख्या .. ३३९
(३) बनाये गये आदर्शगृहो की सख्या . १,२०१
(४) निर्माण किये गये पशुशालाओ की सख्या .. ९४५

यातायात

यातायात सबधी कार्य बहुत कम हो गये थे और वे विकास ब्लाकों में स्थित गांवो मे पुलियां और गन्दे पानी के निकास की नालिया बनाने तक ही सीमित रहे। इमारती सामान की कमी होते हुए भी कुछ जिलो ने फीडर सडकों आदि को सुधारने के काम मे बहुत दिलचस्पी ली और इस सबध मे जो व्यय हुआ उसकी पूर्ति सरकार तथा जनता ने अशदान के आधार पर की।

सरकारी अंशदान की धनराशि १८,०२० रु० १२ आना के लगभग थी, जब कि गांव वालो ने जो अंशदान नगद तथा वस्तुओ के रूप मे दिया वह लगभग ७३,७०६ रु० १ आना था। सम्पूर्ण धनराशि मे से ६९,०४८ रु० १३ आना केवल गाव के यातायात (communications) की उन्नति पर व्यय किया गया। लगभग ५,७८२ नालियो, ३,०२६ पुलियो, ६ बधियो और ७९,३४७ गज कच्ची सडको का निर्माण किया गया।

पानी की सप्लाई

सरकार ने पानी की सप्लाई की उन्नति के लिए भी ३ लाख रुपए की धनराशि दी। लगभग २,९७५ नए कुएं खोदे गए और २,३०३ पुराने कुंओ की मरम्मत अशदान के आधार पर की गई। नए बनवाए गये तालाबो की संख्या ६ थी। इसके अतिरिक्त २० पुराने तालाबो की मरम्मत आलोच्य वर्ष मे की गई। हरिजनो के उपयोग के लिए भी लगभग २१४ कुए बनाए गए, जिनके लिये सरकार ने ९३,९४५ रु० ९ आना का अशदान दिया, जब कि सार्वजनिक-अशदान १,२५,६०३ रु० ८ आना ६ पाई था।

ओलेम्पिक खेल

गांव वालो के शारीरिक-गठन सबधी स्तर (standard of physique) को ऊंचा करने के लिए कुछ जिलो मे ओलेम्पिक खेलो का आयोजन किया गया और लगभग १,६३४ गाव तथा ३०८ अन्तर्ग्राम खेल प्रतियोगिताए (Inter-Village Tournaments) आयोजित की गईं। इस सबध में सरकार ने लगभग २४,००० रुपए स्वीकृत किए थे।

प्रदर्शनियां (Exhibitions)

विकास-सुधार कार्यों से संबधित प्रदर्शनियो के लिए विभिन्न जिलों को ७,५०० रु० दिए गए थे। विकास-मडलो (Development Courts) सगठित किए गए और विकास-ब्लाको (Development-Blocks) के भीतर ग्रामीण-क्षेत्रो से एकत्र की गई प्रदर्शन की वस्तुए (Exhibits) इन प्रदर्शनियों मे प्रदर्शित की गई। कुछ स्थानो पर महिला हितकारी कर्मचारिवर्ग द्वारा अनाज की श्रेणी मे न आने वाले खाद्य-पदार्थो की प्रदर्शनियो का आयोजन भी किया गया। इस वर्ष आयोजित प्रदर्शनियो की कुल सख्या ४० थी।

३८—नियोजन

पुनस्संगठित नियोजन विभाग का

सदर मुकामों और जिलों में नियोजन तथा विकास विभाग, जिसका १९५० ई० मे पुनस्सगठन किया गया था, आलोच्य वर्ष मे अपना कार्य करते रहे। राज्य नियोजन समिति ने राज्य के लिए जो द्वि-वर्षीय तथा पञ्च-वर्षीय योजनाएं

नवम्बर में हुई और उसने उनमें उपयुक्त संशोधन करने का सुझाव दिया। वर्ष के अन्त में ये सुझाव सरकार के विचाराधीन थे।

जिला स्तर पर नियोजन

जिला नियोजन समितियो ने, नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार कार्य किया। जिलों के स्तर पर जो योजना बनाई गई, उसकी मुख्य-मुख्य विशेषतायें नीचे दी जाती हैं :-

(१) ग्राम्य योजनाएं स्वावलम्बन के आधार पर निष्पादित की जानी चाहिए। लोगों को अधिकतम अपेक्षित कोष और साधनो की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए और सरकार केवल उन्हीं यूनिटों को, जिनका अंशदान अत्यधिक रहेगा, उनके प्रयासों को मान्यता देने के हेतु थोड़ी-बहुत प्रतीक सहायता देगी। (इसका उद्देश्य लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना तथा उनके सामाजिक जीवन में अनुराग और मैत्री भाव उत्पन्न करना है।)

(२) सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं तथा कार्यकर्त्ताओं के मध्य समन्वय पैदा करने का ध्यान सर्वप्रथम रखना चाहिए। (वास्तव मे विभिन्न संस्थाओं, जैसे राज्य नियोजन बोर्ड, जिला नियोजन समितियाँ और ब्लाक समितियाँ, जिन्हे नियोजन के संबध मे स्थापित किया गया था, इस प्रकार बनाई गई थीं कि उनमे ऐसा समन्वय स्थापित हो जाय और साथ ही ऐसे भी उपाय किये गये जिनसे विभिन्न विभागो और स्थानीय निकायो तथा गाँव पचायतों मे समन्वय स्थापित हो सके।)

(३) गावो के लिए कृषि, पशु-पालन, सहकारी, ग्राम्य-स्वच्छता तथा आरोग्य विज्ञान और पञ्चायत कार्यों में ट्रेनिंग प्राप्त बहुधन्धी कार्यकर्त्ताओं को तैयार करना है।

अपेक्षित कार्य-कर्त्ताओं की संस्था तैयार करने के लिए एक ठोस उपाय यह है कि इन विषयो से संबधित विभागो को एक सूत्र में मिला दिया जाय और इन्हें जिला नियोजन अधिकारी के, जो कि जिले मे अपने पद की हैसियत से जिला नियोजन समिति के सेक्रेटरी का कार्य करते हैं और जिनके अधिकार में हरिजन सहायक तथा प्रान्तीय रक्षक दल का काम तथा उसका प्रख्यापन भी है, प्रशासकीय नियत्रण मे रख दिया जाय। ५० प्रतिशत जिलों में, जहाँ उपयुक्त इमारतें उपलब्ध थीं, इन विभागो के कार्यालयों को एक ही इमारत मे रखा गया। इस दिशा मे सफलता का एक और कारण यह था कि भिन्न-भिन्न स्तरो पर कार्य करने के लिए कार्यकर्त्ताओं को मिश्रित कार्यो की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई।

नियोजन का मुख्य यूनिट, अर्थात् विकास ब्लाक के पञ्चायती अदालत के, जिसके अधिकार-क्षेत्र में आम तौर से १० से १५ तक गाँव थे, समकक्ष बना दिया गया। इस वर्ष ऐसे ८,००० ब्लाक थे जो तीन वर्गो मे रखे गये थे। 'ए' वर्ग के ब्लाको मे कृषि की ट्रेनिग प्राप्त सुपरवाइजर रखे गये थे और वर्ग 'बी' मे सहकारिता की ट्रेनिग पाये हुए सुपरवाइजर। 'सी' वर्ग मे ट्रेनिग प्राप्त कर्मचारी नहीं थे। प्रथम दो प्रकार के ब्लाकों में, जिनकी सख्या कुल संख्या की लगभग २५ प्रतिशत थी, यह फायदे थे कि उनमे या उनके समीप के बीज गोदामों से उन्नत प्रकार के बीज सप्लाई हो सकते थे। 'ए' और 'बी' ब्लाको को निश्चित

सुविधायें प्राप्त थी। अतएव उन्हें सलाह दी गई थी कि वे विशेषत: कृषि क्षेत्र में प्रगाढ़ रूप से कार्य करें।

जिला और ब्लाक नियोजन समितियाँ

जिला नियोजन समिति का मुख्य कार्य यथा-संभव सरकार द्वारा मोटे तौर पर दिये गये नमूने और रूप-रेखा के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं और साधनों का समुचित ध्यान रखते हुए जिलों के लिए योजना तैयार करना रहा। इन समितियों में जिला मैजिस्ट्रेट अध्यक्ष के रूप में, जिला बोर्ड का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूपमें तथा जिला नियोजन अधिकारी सेक्रेटरी के रूप में और प्रत्येक तहसील से गाँव सभाओ का एक प्रतिनिधि, जिले की सहकारी संस्थाओं के पाँच प्रतिनिधि, स्थानीय निकायो के पाँच तक प्रतिनिधि, सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग तथा श्रम के तीन प्रतिनिधि और सरकारी विभागों के जिला प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम करते है। विभिन्न ब्लाकों से संबंधित कार्यों का कार्य-क्रम सबसे पहिले ब्लाक नियोजन समितियों द्वारा, जो केवल राय-बरेली को छोड़कर सब जिलों में बनाई गई थीं और जिनमें प्रत्येक दशा में सब गाँव-सभाओं के प्रधान और उप-प्रधान और सहकारी समितियों और ब्लाक में सम्मिलित यूनियनों के सरपच है, तैयार होना था। कुछ जिलों में आवश्यक आँकड़े एकत्र करने के लिए ब्लाक समितियो के लिए विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई, किन्तु इस कार्य-विधि में विलम्ब तथा कठिनाइयों के कारण बहुत सी जिला नियोजन समितियों ने, उनको दी गई रूपरेखा के आधार पर, अपने जिले के लिए स्वयं योजनाएं बनाई और आम तौर पर उस रूपरेखा में दिये गये लक्ष्यों के अनुसार ही काम किया।

कई जिलों में ये ब्लाक समितियाँ, जिन्हें नियोजन विभाग में मूल रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है, सक्रिय नही प्रतीत हुई। कई जगहों पर उन समितियों को ब्लाक सम्मेलनो का आयोजन करके अथवा उनकी सहायता के लिए समितियाँ बनाकर शक्तिशाली बनाने के प्रयास किये गये। गाँव सभाओं के सेक्रेटरियों को, जो कि ब्लाक नियोजन समितियों के भी सेक्रेटरी थे और जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे ग्राम योजना के निष्पादन में महत्वपूर्ण भाग लेंगे, उपयुक्त ट्रेनिंग देने के लिए प्रबन्ध किया गया।

जिलों मे कार्य-क्रम

इस कार्यक्रम में कई विषय थे, जिसमें सड़को और इमारतों का निर्माण या सुधार करना, गाँव की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-विज्ञान, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, शिक्षा तथा मनोरंजन, कृषि तथा बागवानी, सहकारी तथा कुटीर-उद्योग सम्मिलित हैं। १९५१ ई० में राज्य में इन कार्यवाहियों की प्रगति सम्बन्धी कुछ आँकड़े निम्न विवरण-पत्र मे दिये जाते है :—

क्रम-संख्या	कार्यक्रम का विषय	१९५१-५२ का लक्ष्य		३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक की प्रगति
		संबंधित जिलों की संख्या	नियत कार्य का परिमाण	
१	२	३	४	५
१	पञ्चायतघरो का निर्माण	३७	२,२३३ पञ्चायतघरों का निर्माण करना	७५४ घरों का निर्माण हुआ।
२	कच्चे मकानों को पक्का बनाना	३०	५३,७२० कच्चे मकानों को पक्का बनाना	२२,२८७ कच्चे मकानों को पक्का बनाया गया।
३	अन्तर्ग्राम सड़को का सुधार	३४	१६,४७८ मील लम्बी सड़कों का सुधार करना	३,३४३ मील लम्बी सड़को का सुधार किया गया।
४	कूड़े-करकट के गड्ढे बनाना (सोकेज पिट्स)	१३	५४,०३९ गड्ढे तैयार करना	२५,०५२ गड्ढे तैयार हुए।
५	पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था—			
	(१) नये कुओ का निर्माण	१२	३,९१४ नये कुएं खोदना	४,०२४ नये कुएं खोदे गये।
	(२) पुराने कुओं की मरम्मत	२०	२०,३२० पुराने कुओ की मरम्मत	६,८१५ पुराने कुओ की मरम्मत की गई।
६	पशुओ को सूइयां लगाना	..	..	१६,४०,४१७ पशुओं को सूइयां लगाई गई।
७	पशुओं को बधिया करना	..	..	१,३९,१५९ पशुओं को बधिया किया गया।
८	प्रौढ-साक्षरता आन्दोलन	३०	११,२२,४७२ प्रौढ़ को साक्षर बनाना	४३,११९ प्रौढों को साक्षर बनाया गया।

क्रम-संख्या	कार्य-क्रम का विषय	१९५१-५२ का लक्ष्य		३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक की प्रगति
		संबंधित जिलों की संख्या	नियत कार्य का परिमाण	
१	२	३	४	५
९	पुस्तकालयो और वाचनालयो की स्थापना	३२	५,०५२ की स्थापना करना	३,५१५ की स्थापना की गई।
१०	खेल के मैदानो की व्यवस्था	३०	४,८७६ खेल के मैदानो की व्यवस्था करना	२,२९९ मैदानो की व्यवस्था की गई।
११	फलों के उद्यान लगाना	२३	८,२१५ एकड़ भूमि मे उद्यान लगाना	४,३९७ एकड़ भूमि मे उद्यान लगाया गया।
१२	मिलवा खाद (compost) के गढ्ढे तैयार करना	३१	१७,०६,६८६ गड्ढे तैयार करना	३,५८,८१० गड्ढे तैयार किये गये।
१३	यूरिनल प्रिजरवेशन बेड्स तैयार करना	२२	१०,३४,५६० बेड्स बनाना	३३,७२४ तैयार किये गये।
१४	खाइयों के नमूनो के मूत्रालय	१४	२,९९२ मूत्रालय बनाना	३,०२० मूत्रालय बनाये गये।
१५	रुके हुए पानी से भरे हुए क्षेत्रो को खेती योग्य बनाना	२०	२९,०५१ एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाना	७,५९० एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया गया।
१६	तालाबो को गहरा करना	१५	९,११९ तालाबों को गहरा करना	१,९८४ तालाबो को गहरा किया गया।
१७	बन्धियों का निर्माण	८	१,३७६ बन्धियो का बनाया जाना	२,०५५ बन्धिया बनाई गई।
१८	पाताल तोड़ कुओ का कार्यक्रम–			
	(१) नये कुएं खोदना	३०	२०,३५६ नये पाताल तोड़ कुओ का खोदना	६,८०० कुए खोदे गये।
	(२) पुराने कुओ की मरम्मत	२४	१५,२७६ पुराने कुओ की मरम्मत करना	३,६६३ कुओ की मरम्मत की गई।
१९	कुए वेधना	२५	४,०२४ कुओ का बेधन करना	१,९९१ कुएं बेधे गये।
२०	कृषि योग्य बंजर भूमि को जोतने योग्य बनाने का विस्तार करना	१९	८८,१५७ एकड़ भूमि की जोताई करना	६६,५८१ एकड़ भूमि जोती गई।

ट्रेनिग (प्रशिक्षण)

वर्ष के अन्त में समग्र ग्राम सेवा के आधार पर गावों को संगठित करने के लिये अपेक्षित कार्य कर्त्ताओं के शिक्षण के लिये प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र योजना छः गाँधी आश्रमों में चालू थी। इसके अतिरिक्त इटावा और गोरखपुर के पाइलेट प्रोजेक्ट के संबध में राज्य में क्षेत्र विकास कार्य-कर्त्ताओं और ग्राम्य-कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिग के लिए दो केन्द्र और पूर्वी जिलों के लिए क्षेत्र विकास कार्यकर्त्ताओं के अग्रिम शिक्षण के लिए गाजीपुर मे एक केन्द्र था।

इस वर्ष विभिन्न विभागों से लिये गये कर्मचारियों को, जिन्हें जिला नियोजन अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया था, और उन उम्मेदवारों को जो गाँव पञ्चायत के सेक्रेटरी हो सकेगे, आवश्यक शिक्षण देने की व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए आश्रम योजना को पुनस्संगठित करने का प्रश्न हाथ मे लिया गया। इसकी वास्तविक कार्यविधि का पुनरावलोकन किया गया और दो केन्द्रों में कक्षाओं को बन्द कर देन औरु इस शिक्षण को केवल चार ही प्रादेशिक शिक्षण केन्द्रों मे सीमित रखने का निश्चय किया गया। इनमे से प्रत्येक केन्द्र में पञ्चायतराज के कार्य की ट्रेनिग देने के लिए एक अतिरिक्त इन्सट्रक्टर रखा गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता को पञ्चायत कार्य प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। इस वर्ष प्रान्तीय रक्षा दल के पुनस्संगठित होने से इसके कर्मचारिवर्ग को भी ग्राम-हितकारी कार्यक्रम की ट्रेनिग देना आवश्यक हो गया और उन दो केन्द्रों से मुक्त किय गये इन्सपेक्टरों का, जहाँ शिक्षण बन्द कर दिया गया था, उपयोग प्रादेशिक कार्यकर्ताओं तथा दल के अन्य कर्मचारियों को कृषि, पशु-पालन, सहकारिता और पञ्चायत राज कार्य की ट्रेनिग देने के लिए किया गया। गाँव पंचायतों के सेक्रेटरियो के पदो के लिए चुने गये उम्मीदवारों के संबध मे यह निश्चित किया गया कि पास-पडोस के चार या पाँच जिलो के उम्मीदवारो को उनके समीपवर्त्ती आश्रमो में ट्रेनिग के लिए एक साथ भेजा जाय।

आलोच्य वर्ष में प्रारम्भ होने पर प्रादेशिक केन्द्रो मे पाँचवाँ जत्था (बैच) ट्रेनिग पा रहा था। इस जत्थे में १२५ उम्मीदवार थे और इनमें से १२१ परीक्षा में सफल रहे। छठें बैच की ट्रेनिग, जिसमे १२० उम्मीदवार थे और जिन्हें गाँव पंचायतों के सेक्रेटरियो के पद के लिए छांटा गया था, योजना पुनस्संगठित करने के पश्चात् प्रारम्भ की गई।

बहुत से जिलों में अल्पकालीन शिक्षण शिविर (ट्रेनिग कैम्प) खोले गये और गाँव सभाओ के सेक्रेटरियों को विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों की व्यावसायिक ट्रेनिग दी गई।

कई कृषि तथा सहकारी सुपरवाइजरो, प्रान्तीय रक्षक दल के जोन (zone) कार्यकर्त्ताओं, पशुपालन विभाग के स्टाकमेनों को इस प्रकार की मिश्रित ट्रेनिग दी गई। लखनऊ जिले में समस्त क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग को, जिसमे इन्सपेक्टर भी सम्मिलित है, ट्रेनिग पूरी हो गई थी और इन्सपेक्टरो को, जिन्हें सहकारी, कृषि और पंचायत राज इन्सपेक्टरो की हैसियत से काम करना था, नियोजन इन्सपेक्टरो के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ और जिलों जैसे बनारस, देहरादून, इलाहाबाद, फैजाबाद, मेरठ और जालौन में भी इसी प्रकार के प्रयोग किय गये।

गाजीपुर ट्रेनिग संस्था (इन्स्टीट्यूट)

१९५० ई० में गाजीपुर में जो संस्था गाँव स्तर पर कार्यकर्त्ताओं को हर प्रकार के काम की ट्रेनिग देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, वह जारी रही। नया सत्र फर्स्ट इयर क्लास में ४५ और सेकेंड इयर क्लास मे ३५ छात्रों से प्रारम्भ हुआ। व्यावहारिक ट्रेनिग देने के लिए इस संस्था में जहाँ एक कृषि फार्म, एक दुग्धशाला, एक शाक-सब्जी का उद्यान, एक

उद्योग कुटी और एक प्रयोगशाला था, पर्याप्त सुविधायें दी गईं। इस वर्ष इस फार्म से १०,००० रु० का लाभ हुआ। दुग्धशाला में १४ गायें और भैसें थीं। इस वर्ष ९ गंगातीरी गायों को भी लाकर इस दुग्धशाला में रखा गया। दूध और छात्रों द्वारा दूध से बनाये गये पदार्थ छात्रों तथा कर्म्मचारिवर्ग के सदस्यों को बेचा गया। छात्रों ने अपने उपभोग के लिये स्वयं शाक सब्जी पैदा की। और डस्टर, तौलिये, चादरे, मेज-पोश, इत्यादि के लिये सूत काते और उन्हें बुना और उन वस्तुओं को उन्होने तथा सरकार के विभिन्न विभागो ने खरीदा। इस वर्ष तैयार किया गया गुड़ और तेल छात्रो और जनता को बेचा गया।

व्यावहारिक उत्थान कार्य के प्रयोजन के लिये दस मील की परिधि के भीतर के गाँव छांटे गये और उनमें छात्र सप्ताह में दो बार गये। छात्रों ने मल-मूत्र को इकट्ठा करने के लिये गड्ढे बनाये, गन्दे पानी की नालियों तथा गलियों को साफ किया और प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें प्रारम्भ कीं।

शिक्षात्मक दौरे के सम्बन्ध में छात्र महेवा और लखना (जिला इटावा), भदत्त (गोरखपुर), किछा (नैनीताल), कानपुर एग्रीकल्चरल कालेज तथा रिसर्च स्टेशन, नैनी एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट (इलाहाबाद), दयालबाग इन्स्टीट्यूट (आगरा), बुलन्दशहर तथा गोरखपुर के एग्रीकल्चरल स्कूलो और लखनऊ सहकारी यूनियनों में गये।

पाइलेट प्रोजेक्ट (क) इटावा

१९४८ ई० में इटावा में प्रारम्भ की गई पाइलेट विकास योजना के सफल कार्यकाल का द्वितीय वर्ष समाप्त हुआ। वहाँ जो प्रगति हुई उससे सरकार इस कार्यवाही को १०० और गाँवों में फैलाने के लिये प्रोत्साहित हुई और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत गाँवों की संख्या २०० हो गई। कृषि (जिसमें सिंचाई, उद्यान-विद्या, कृषि इन्जीनियरिंग और पौधा संरक्षण सम्मिलित हैं) पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, महिलाओं की भलाई, सहकारी और पञ्चायत-कार्य और सडकों और इमारतों के सुधार से सम्बन्धित कार्यों में भी संतोषजनक प्रगति रही।

कृषि के सम्बन्ध में भी इटावा अग्रणी रहा। उन्नत प्रकार के बीजों, उन्नत खाद (जिसमें सनई तथा मूंग तथा मूंग टाईप, "१" के साथ हरी खाद तथा अमोनियम सल्फेट, रेंड़ी की खली और सुपर फास्फेट जैसे उर्वरक भी सम्मिलित हैं) और उन्नत ढंग का कृषि सम्बन्धी अभ्यास, अर्थात् कतार में बीज बोने, गर्मी के मौसम में खेती करने तथा मिट्टी ठीक करने से उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुछ आँकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

फसल		प्रति एकड़ अधिकतम उपज (१९५१–५२)			प्रति एकड़ औसत उपज		
		मन	सेर	छटाक	मन	सेर	छटाक
गेंहूँ	...	४२	२३	३	२२	२५	६
आलू	...	३८६	३२	१५	२१०	३७	०
मटर 'टी' १६३०	...	३१	१२	१३	२४	२	१
गन्ना (खाद डालना पूरा किया गया)	...	७२	३५	९ (गुड़)	५२	२४	०
जौं 'टी' २५१	...	३३	२५	३	१७	१८	१
चना 'टी' ८७	...	२४	३८	१३	१६	३०	१

(असामयिक और कम वर्षा के कारण मक्का सम्बन्धी कार्य-क्रम का अनुसरण न किया जा सका।)

कपास और धान के काम की अभी जाँच की जा रही है और उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण गेंहू के क्षेत्र में पिछले वर्ष की भांति पी–५९१ नामक गेंहूं की उन्नत किस्म बोई गई। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों तथा इटावा के अन्य क्षेत्रो मे १५,००० मन उन्नत किस्म का बीज दिया गया। अन्य प्रकार के उन्नत बीजों मे जैसे मटर १६३, चना 'टी' ८७, जौ "सी" २५१ तथा 'एन० पी०' १२ की कई गुना वृद्धि की गई और मिट्टी को उलटने के लिये हल, 'कल्टिवेटर' ढेकी, (थ्रेशर), सोड ड्रिल, रीपर, उन्नत किस्म की हंसिया इत्यादि जैसे उन्नत औजार लोकप्रिय बनाये गये।

तीन ट्यूबवेल और चार पाताल तोड़ कुंए, जिनसे प्रतिवर्ष १,५०० एकड़ भूमि सींचे जाने की आशा की जाती है, बनाये गये और सहकारिता के आधार पर इनका खर्चा चलाया गया। यमुना नदी के कछार क्षेत्रों मे पाताल तोड कुंओं के लिये उपयुक्त भूमि का पता चलने से नदियों से पम्पों द्वारा पानी निकालने की योजना स्थगित की गई। केनाल लिफ्ट, बिजली से खींचे जाने वाले सेट तथा हाथ से चलाये जाने वाले पानी के लिफ्टो का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके जाँच-पड़ताल की गई।

महेवा में कृषि सम्बन्धी औजारों की मरम्मत करने, साधारण प्रकार के औजार तैयार करवाने और इन व्यवसायों में स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने के लिये जो देहाती कारखाना खोला गया था उसमें उपयोगी कार्य होता रहा। यह देखा गया कि प्रोजेक्ट क्षेत्र मे यह कारखाना तीव्रगति से जन-प्रिय होता जा रहा है।

लगभग १,१२,८०० शाक-भाजी के छोटे पौधे, ४२ पौंड शाक-भाजी के बीज, १,१०० फलों के पौधे और ४,१०० इमारती लकड़ियों के पौध किसानों को लागत मूल्य पर बेचे गये।

सबसे घातक पशु महामारियों, अर्थात हैमोरेजिक सेप्टीसेमियाँ और रेन्डरपेस्ट को समूल मिटाने के कार्य-क्रम को रोग-निरोधक (प्रोफिलेक्टिक) सूइयाँ लगाकर जारी रखा गया और क्रमशः २४,०२९ और ८,८८५ पशुओं को वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन के पथ-प्रदर्शन के अनुसार काम करने वाले ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं ने इन रोगों से बचाने के लिये सूइयाँ लगाईं। (रिंडरपेस्ट से बचने के लिये लगाई गई सूइयों की संख्या कम थी, क्योंकि जिन पशुओं को पहले ही सूइयाँ लगाई गई थी वे तीन साल तक के लिये इस बीमारी से मुक्त हो चुके थे)। इस वर्ष हैमोरेजिक सेप्टीसेमियाँ के रोगग्रस्त मामले नगण्य थे और रिंडरपेस्ट तो करीब-करीब नहीं के बारबर रह गया था।

अभिजात (pedigree) पशुओ की सप्लाई, कृत्रिम गर्भाधान और बधिया करने के फलस्वरूप पशुओं की नस्ल को उन्नत करने के कार्य में नियमित प्रगति हुई। हिसार से ५७ गाये लाई गई और ५४३ पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में गाभिन किये गये। बधिया किये गये पशुओं की संख्या ७५४ थी और सामान्य रोग से पीड़ित २,४३४ पशुओं का गाँव-स्तर के कार्यकर्त्ताओ ने उपचार किया और इसके अतिरिक्त ४२,०७९ पशुओं का पशु चिकित्सालयों में उपचार किया गया।

सफेद घरेलू मुर्गे (४७ मुर्गे और ७७ मुर्गियाँ) गाँव वालों को दिये गये और ७ तालाबों में मछलियाँ रखी गयी।

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेचक-निरोधक अनुविद्ध टीके का कार्य ग्राम-स्तर कार्यकर्त्ताओं द्वारा हाथ में लिया गया और हैजा तथा स्कैबीज की रोक-थाम

पास-पडोस के सफाई के कार्य मे सुधार करने के लिये सफाई सम्बन्धी निर्माणकार्य, जैसे मल-मूत्र, मिलवा खाद के गड्ढे इत्यादि द्वारा प्रोत्साहन मिला और ११ गाँवों मे यह कार्य किया गया ।

शिक्षा के क्षेत्र मे भी ग्रामीणों ने उत्साह दिखलाया। बकेवार और अरहेपुर के गाँव वालो ने अपने ही प्रयासो से दो नये हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले। प्रथम संस्था को जो अंशदान दिया गया वह बढ़कर ६०,००० रु० से अधिक था। यह संस्था जो जनता विद्यालय के नाम प्रसिद्ध है, एक अपूर्व संस्था थी, जिसमे ऐसे प्रबन्ध किये गये थे जिनके द्वारा छात्र स्कूल के पढाई के समय किये गये आभ्यासिक कार्य द्वारा कमाई कर सके। ग्रामीणों ने ४ नये मिडिल स्कूल और ११ प्राइमरी पाठशालायें चालू की और इनकी इमारतों के लिये लगभग १ लाख रुपये की सम्पूर्ण लागत की व्यवस्था की।

४१ प्रौढ साक्षरता और सामाजिक शिक्षा की कक्षायें चालू की गयीं और ४८० प्रौढ़ साक्षर बनाये गये। २८ कम्यूनिटी सेन्टर, जिनका सम्बन्ध महेवा के केन्द्रीय वाचनालय से था, इस वर्ष चालू रहे। 'मन्दिर से' नामक एक पाक्षिक समाचार-पत्र के लगभग १,००० ग्राहक थे।

५,००० से अधिक ग्रामीणो को योजना क्षेत्र के अन्दर तथा बाहर भी विभिन्न स्थानो मे दृश्यावलोकन के लिये ले जाया गया। वार्षिक किसान मेला, जिसमें १५,००० से अधिक लोग सम्मिलित हुए, बहुत सफल सिद्ध हुआ। ग्राम्य नाटक समितियों ने २३ नाटक और १२४ एकांकी नाटको का आयोजन किया और सिनेमा प्रोजेक्टर की सहायता से ६१ फिल्म दिखलाये गये।

लखना के शिक्षण शिविर मे ४५ ग्राम्य-स्तर कार्यकर्त्ताओ और ४७ पन्चायत सेक्रेटरियो को—३५ उत्तर प्रदेश और १२ अन्य राज्यों के लिये—ट्रेनिंग दी गई। इस शिविर मे ट्रेनिंग देकर ४० पन्चायत सेक्रेटरियों और १० प्रान्तीय रक्षक दल आर्गनाइजरो को बहु-धन्धी ग्राम्य-स्तर कार्यकर्त्ता बनाया गया। प्रोजेक्ट क्षेत्र मे समस्त सहकारी यूनियनों के अपने ईंट के भट्ठे थे और वे ग्रामीणो को बीज, खाद, औजार, कपड़ा तथा अन्य उपभोक्ता सामग्रियाँ तथा दवाइयाँ भी सप्लाई करते थे। इस वर्ष कुल विक्रय धन ५,१८,१०० रु० था और शुद्ध लाभ की धनराशि ४२,८३६ रु० १२ आना थी। सहकारी यूनियनों के पास पानी खींचने के सेट, सीड ड्रिल (बीज बोने का यन्त्र विशेष), ढेंकी (थ्रेशर) थे और वे गाँव वालों को किराये पर देते थे। ईंटों के भट्ठों से पक्के मकानो, स्कूलों, पुलियो, सामाजिक जीवन केन्द्रों (कम्यूनिटी सेन्टर) और अन्य कई जनोपयोगी योजनाओं को प्रोत्साहन मिला।

४० गाँवों में गाँव वालों ने अपनी स्वेच्छा से किये गये श्रम द्वारा लगभग ५१ १/२ मील कच्ची ग्राम्य सड़कें, जिस मे पुलियाँ भी थी, बनाई।

महिला हितकारी कार्यक्रम, जिसमे प्रौढ शिक्षा, छोटे बच्चों की कक्षायें, घरेलू दस्तकारी और प्रसूत-सेवा की ट्रेनिंग सम्मिलित थीं, अभी प्रयोगात्मक स्थिति में था। किन्तु इस कार्य-क्रम के लिये ग्रामीणो मे पर्याप्त उत्साह था।

प्रोजेक्ट के प्रथम यूनिट के २४ ग्रामस्तर के कार्यकर्त्ताओ ने सहकारी सुपरवाइजरों, पशु-चिकित्सा के स्टाकमैनों, पन्चायत सेक्रेटरियो और सहायक कृषि इन्सपेक्टरों के कार्यभार को सभाला।

पूर्वी जिलों के लिये चार प्रोजेक्टों का कार्य इटावा प्रोजेक्ट के कार्य से कुछ हद तक भिन्न था। इटावा में यह योजना सम्बन्धी कार्य ठोस ब्लाको अर्थात एक

ऐसा प्रतीत हुआ कि इन क्षेत्रों के, जहाँ कि योजना सम्बन्धी क्षेत्रीय कर्मचारि-वर्ग के लोग सावधानी से काम करेंगे, मध्य जो गाँव छूट गये हैं, वहाँ के लोगों को यह देखने का अवकाश मिलेगा कि उनके पास-पडोस मे विकास के क्या कार्य हुए हैं और वे कृषि सम्बन्धी ऐसे तथा अन्य प्रचलित कार्यों को अपनायेंगे जो उन्हें अच्छे लगेंगे। इससे अधिक बड़े क्षेत्र मे काम हो सकेगा। साथ ही यह आशा की जाती है कि इस प्रयोग से व्यय की प्रत्येक मद को अधिक लाभ होगा।

गोरखपुर मे योजना का क्षेत्र दो जिलो (गोरखपुर और देवरिया) मे था और इसमें ११२ गॉव थे और १,३२,६७७ जनसंख्या थी और इसका क्षेत्रफल ८६,४०० एकड था, जिसमे से ७२,८०० एकड भूमि मे खेती की जा रही थी। बीच बीच मे स्थान छोड़कर (interstitial spaces) इस योजना मे गॉवो की सख्या २०५ थी।

आजमगढ़ जिले के ८६ गावों मे, जो घोसी के चारो ओर ५ मील की परिधि के भीतर थे, यह योजना चालू थी और इनकी जनसंख्या लगभग ३४,००० थी। इस योजना मे १२,००० एकड़ भूमि थी, जिसमे से १३,३०० एकड़ भूमि मे खेती की जा रही थी। बलिया मे यह योजना १६० गॉवो के लिये थी और इनकी जन-संख्या ५०,३०० थी और इनका क्षेत्रफल लगभग ४५,००० एकड था। गाजीपुर में ७५ गावों मे यह कार्य प्रारम्भ किया गया।

पूर्वी जिलो की योजनाओ मे कृषि करने की ओर मुख्य ध्यान दिया गया। इस वर्ष गोरखपुर में गेहूं और धान के सम्बन्ध मे १,४०० और गन्ने के सम्बन्ध मे ६०० प्रदर्शन किये गये। 'एन २२' नामक पहिले बोये जाने वाले धान के बारे में यह मालूम हुआ कि स्थानीय किस्म के धान की अपेक्षा इस धान की उपज प्रति एकड़ ७० सेर के हिसाब से अधिक है और ३,००० एकड भूमि मे यह पैदा किया गया।

इस फसल का कुल अतिरिक्त मूल्य ८४,००० रु० था। गेहूं और जौ की अतिरिक्त उपज क्रमशः २,१७५ और १,००० मन थी, जिसका मूल्य लगभग ५०,००० रुपये था। उन्नत किस्म के गन्ने की उपज, जो कि प्रदशन प्लाटो पर पैदा की गई और जिनका क्षेत्रफल ३५० एकड़ था, नियत्रित प्लाटों से प्राप्त उपज से प्रति एकड २७५ मन अधिक थी और इससे लगभग १,६७,००० रु० की और अधिक आय हुई।

आजमगढ़ मे मुख्य फसल चावल की थी, जिसके ७५५ किस्म प्रदर्शन के लिए रखे गये, तथापि वर्षा की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम लब्ध नही हुए। बलिया और गाजीपुर की स्थिति सब तरह से करीब करीब एक ही सी रही।

गोरखपुर मे तकावी के आधार पर ६६ गायो को सप्लाई करने के अतिरिक्त योजना क्षेत्र मे काश्तकारो को अशदान के आधार पर २१ हरियाना साड़ दिये गये। इस क्षेत्र मे स्थानीय नस्ल को उन्नत करने के लिए याकशायर नर सुअर और १३ बारबरी हिरण भी लाये गये। बहुत से जानवरो को हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया तथा रिंडरपस्ट को रोकने के लिये रोग निरोधक सूइयां लगाई गई। आजमगड में ८ हरियाना सांड तथा २ मुर्रा भैंसें सप्लाई की गई और महामारी के रोगो से बचने के लिए जानवरो को ४,५०० सूइयां लगाई गई। गाजीपुर और बलिया मे नर-बछडो को बधिया करने और पशुओ को सूइया लगाने का काम किया गया।

का छिड़काव करवाया और १५० ऐसे घरों में पैसे देकर छिड़काव किया गया। आजमगढ़ के पांच गॉवो मे मलेरिया-निरोधक उपाय किये गये और इसी प्रकार जन-प्रिय सिद्ध हुए। बलिया और गाजीपुर में पैल्यूड्रिन की गोलियां व्यापक रूप से बांटी गईं।

प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में १,२०९ प्रौढ़ गोरखपुर मे और ६०० आजमगढ़ मे भर्त्ती किये गये। बलिया मे २० अध्यापकों के शिक्षण के लिए एक शिविर खोला गया और फलतः ये अध्यापक सामाजिक शिक्षा देने के लिए विभिन्न केन्द्रो में रखे गये।

गोरखपुर मे हरिजनो के लिए मकान बनवाने का प्रयास किया गया और वहां ३२ मकान बनवाये गये। इस क्षेत्र मे ३ मील अन्तर्ग्राम्य सडके और ३ पुलियॉ बनवाई गई थी और इनके अतिरिक्त एक बन्धी तथा ३५० बीघी भूमि को सींचने के लिए सिंचाई की नालियां बनाई गईं।

कुमायूं विकास बोर्ड

इस बात को देखते हुए कि सब जिलो मे, जिसमें कुमायूं डिवीजन के जिले भी सम्मिलित हैं, जिला नियोजन बोर्ड स्थापित हो चुके है, कुमायूं विकास बोर्ड को बनाये रखने की अब कोई आवश्यकता नही समझी गई। तथापि ऐसा प्रतीत हुआ कि समय समय पर जिला नियोजन अफसरो और नैनीताल, अल्मोडा, गढ़वाल तथा टेहरी (गढ़वाल) से चुने गये गैरसरकारी लोगो की बैठके बुलाना वॉछनीय होगा, ताकि अन्य बातो के साथ साथ पर्वतीय जिलो की एक ही तरह की समस्याओ पर वाद-विवाद करना सुविधाजनक हो सके और इन मामलो में राय देने के लिए तदर्थ समिति बनाने में सुविधा हो सके।

कुमायूं डिवीजन तथा टेहरी (गढवाल) के जिलों में विकास-कार्य के लिए २५,००० रु० की धनराशि निश्चित की गई थी।

टूरिस्ट ब्यूरो

इस वर्ष टूरिस्ट ब्यूरो की कार्यवाहियां सरगर्म रहीं। देश के समस्त भागो से और वाह्य देशो से टूरिस्टो को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनो, पोस्टरो तथा अन्य प्रकार के साहित्य द्वारा प्रख्यापन आयोजित किया गया। भारत के महत्वपूर्ण रेलूवे स्टेशनो, पुस्तकालयों, भोजनालयों, क्लबो और अन्य सार्वजनिक स्थानो और विदेशी दूतावासो में पोस्टर लगाये गये। इस ब्यूरो ने रेलगाड़ी तथा बसों में प्रथम और द्वितीय श्रणी के कम्पार्टमेंटों में यात्रा करने वाले ४०० टूरिस्टों के लिए स्थान सुरक्षित करने का प्रबन्ध किया। टूरिस्टो की सुविधा के लिए अवध और तिरहुत रेलवे का एक बुकिंग आफिस नैनीताल में खोलने का भी प्रबन्ध किया गया। पर्वतीय जिलो मे विभिन्न रमणीक स्थानों को देखने के लिए टूरों को प्रोत्साहन देने के निमित्त गैर-सरकारी एजेन्सियों को ५,००० रुपये की धनराशि राज्य सहायता के रूप में स्वीकृत की गई।

शारीरिक संवर्द्धन परिषद् (कांउसिल आफ फिजिकल कल्चर)

१ अप्रैल, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश के शारीरिक संवर्द्धन परिषद् (कांउसिल आफ फिजिकल कल्चर) को शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण से हटाकर नियोजन विभाग के अधीन कर दिया गया। शारीरिक संवर्द्धन योजना १४ जिलों, अर्थात् आगरा, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, फरुखाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नैनीताल और मुरादाबाद में चालू रही। इनमें से प्रत्येक जिले मे इस वर्ष कार्य की देख-भाल के लिए शारीरिक संवर्द्धन का एक अधीक्षक नियुक्त किया गया। इस योजना में जितने कर्मचारी काम कर रहे थे, उनमें एक महिला टेकनिकल असिस्टेंट और शारीरिक संवर्द्धन के लिये एक महिला जिला अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेंट) भी सम्मिलित है, जिनको अन्ततः उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार

के तालाबो (Swimming Pools) के रख-रखाव के लिए ५,००० रु० और जलक्रीड़ा सम्बन्धी शिक्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के १३ बाढ़-ग्रस्त जिलों मे आवश्यक सज्जा देने के लिए १२,३५० रु० की धनराशि भी सम्मिलित है।

योगिक आसनों पर पोस्टरों, सिनेमा स्लाइडों और शारीरिक संवर्द्धन और व्यायाम के संबंध मे फिल्मों द्वारा "स्वस्थ रहो" दैनिक कार्यक्रम का समुचित प्रख्यापन किया गया। इलाहाबाद के तरुण कार्यालय को ५०० रु० की राज्य-सहायता इसलिए दी गई कि विभिन्न शारीरिक संवर्द्धन संबंधी विषयों पर मैगज़ीन और पुस्तके प्रकाशित की जायं।

शारीरिक संवर्द्धन के जिला अधीक्षकों के इस वर्ष लखनऊ मे दो सम्मेलन हुए, जिनमें से एक मे मुख्य मंत्री ने भाषण किया। इस सम्मेलन में जो कार्यक्रम अपनाया गया उसको पूरा करने के लिए जिलो मे शिशु-प्रदर्शन, सर्वोत्तम शारीरिक प्रतियोगितायें और अन्तर्ग्राम्य, अन्तर्मोहल्ला तथा अन्तर्कार्यालय टूर्नामेंट आयोजित किये गये। प्रान्तीय रक्षक दल के जोन के कार्यकर्त्ताओ को प्रान्तीय रक्षा दल के सदर मुकाम में शारीरिक संवर्द्धन कार्यवाहियो के शिक्षण के लिए एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम संचालित किया गया। जिला नियोजन अधिकारियो द्वारा आयोजित विभिन्न शिविरो मे शारीरिक संवर्द्धन की भी ट्रेनिंग दी गई।

३६—उपनिवेशन

पिछले वर्षो में आरम्भ की गई बहुत सी उपनिवेशन योजनायें चालू रक्खी गईं। इन योजनाओ के सबंध मे होने वाला व्यय १९५१ ई० मे कुल मिला कर १,११,७८,०२२ रु० था। १५,२१,९२० रु० उधार के रूप मे भी दिया गया।

गंगा खादर

गंगा खादर में इस वर्ष ६४ विस्थापित परिवारो, राजनैतिक पीडितों के ९१ परिवारो तथा २ स्थानीय किसानों को खेत दिये गये और दी हुई भूमि का कुल क्षेत्रफल १,५७० एकड़ था। इसके अतिरिक्त ५ एकड़ भूमि ताड़ गुड़-योजना के संबंध में ताड़ और खजूर की किस्मे उगाने के लिये दी गई।

स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय—मलेरिया-निरोधक उपाय ६६ गांवों में, जिनमें नये बसाये हुये तथा पुराने दोनों प्रकार के गांव सम्मिलित हैं, काम में लाये गये। घरो तथा पशुशालाओ में, जिनका कुल क्षेत्रफल २,८२,८१,५५१ वर्ग फुट था, डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया और मलेरिया से होने वाली घटनाओं की संख्या घटकर ३·६२ प्रतिशत हो गई। सूक्ष्म परीक्षा से ज्ञात हुआ कि कीटाणु ले जाने वाले मच्छरों की संख्या घट रही थी। लगभग ३,५०,००० पैलूड्रीन की टिकियां रोग दूर करने तथा आरोग्य करने के लिये मुफ्त बांटी गईं। २० रोगी, शय्याओं का एक अस्पताल लगभग पूरा हो चुका था जब कि वर्ष समाप्त हो गया।

सहकारी समितियां—सहकारी उपभोक्ता स्टोर (Co-operative Consumers Stores) तथा महिला औद्योगिक समिति का कार्य संतोषपूर्ण ढंग से होता रहा। इस वर्ष दो नई सहकारी समितियां बनाई गईं और सहकारी समितियो के एक संघ (Federation) का संगठन भी, जिसे सहकारी समिति विकास यूनियन कहते है, सभी बसने वालो के हित के लिये किया गया। यह निश्चय किया गया कि यह यूनियन कृषि सम्बन्धी साधनो, गृह सम्बन्धी समस्याओं, बसने वालो की आर्थिक आवश्यकताओ, शिक्षा तथा सफाई जैसे कार्यों को करे और समितियों के सदस्यों की ओर से मोल लेने और बचने तथा बीज बांटने का कार्य भी करे।

डेरी (दुग्धशाला) फार्म—राजकीय फार्म और डेरी फार्म, जिनका कुल क्षेत्रफल १,५०० एकड़ था, एक साथ मिला दिये गये। वर्ष के अन्त में डेरी उप-विभाग

संख्या १० थी और एक आधुनिक स्थिरयंत्र (modern plant) लगाने का कार्य, जिससे प्रति घंटा २२० गैलन तक दूध कृमि मारकर शुद्ध किया जा सकता था, पूरा ही होने वाला था।

जंगल लगाना—जंगल लगाने की योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य में, जिसका उद्देश्य खोलाओ पर होने वाली क्षति को रोकना था, और अधिक प्रगति हुई। इस वर्ष लगभग १,२०० एकड़ क्षेत्र में जंगल लगाये गये और लगे हुये पौदों की संख्या लगभग १२,००,००० थी। प्रति मील लगभग २६० पौदे सड़क के किनारे भी लगाये गये।

यातायात—खटौली से हस्तिनापुर तक ट्राम लाइन का विस्तार करने के कार्य में प्रगति हुई। मवाना से हस्तिनापुर तक एक नई सड़क का प्रान्तीयकरण करने का प्रस्ताव किया गया और मेनलाइन तथा खादर के बीच यातायात निरंतर बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये बूढ़ी गंगा पर पुल बनाने का कार्य पूरा किया गया।

सिंचाई—सिंचाई के प्रयोजनों के लिये २२ ट्यूबवेल और पीने के पानी की पूर्ति के लिये ६ कुंवों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और उन्हे हस्तिनापुर के बिजलीघर से मिलाने के लिये ट्रांसमिशन (दूरप्रषण) लाइन बनाई जा रही थी।

केन्द्रीय नगर—हस्तिनापुर नगर विकास बोर्ड की संरक्षता में हस्तिनापुर में एक केन्द्रीय नगर स्थापित किया जा रहा है। हस्तिनापुर के प्रस्तावित नगर की भीतरी सड़कों का विस्तार किया गया और एक प्राइमरी स्कूल का भी निर्माण किया गया। एक बस स्टैंड की व्यवस्था की गई और बसने वाले लोगों के लिये लगभग ५०० क्वार्टर बन चुके थे या वर्ष के अन्त तक बन रहे थे। भीतरी भाग में बिजली लगाने का कार्य भी हाथ मे लिया गया और जल-कल निर्माण कार्य प्रणाली को केन्द्रित करने के लिये एक ट्यूब वेल लगाया गया।

नैनीताल तराई

नैनीताल तराई में लगभग ८,२०० एकड़ क्षेत्र की भूमि कृषि योग्य बनाई गई और स्वीकृत वर्गों, जिनमें राजनैतिक पीड़ित, विस्थापित व्यक्ति, कृषि स्नातक (ग्रेजुएट) तथा कृषि डिप्लोमा रखने वाले और भूमि न रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं, के ५६६ परिवार वहां की भूमि पर बसाये गये। २७ नये गांव बसाये गये और कुछ पुराने गांवों का जीर्णोद्धार किया गया।

यातायात—रुद्रपुर से बाजपुर और नगला तक लगभग ३५ मील सड़क पक्की की गई और विभिन्न गावो और फार्मों को मिलाने के लिये ४० मील भीतरी सड़कों का विस्तार किया गया।

सिचाई—१९५१ के अन्त तक १६ ट्यूबवेल और आर्टीजन वेल (पाताल तोड कुंए) लगाये जा चुके थे और कुछ गांवों में बिजली लग चुकी थी। लगभग ८ मील की दूरी तक जंगली जानवरों को घुसने न देने की लिये बाड़ लगाई गई थी।

डेरी (दुग्ध शाला) और राजकीय फार्म आदि—डेरी फार्म उपनिवेशन क्षेत्र तथा हल्द्वानी, काठगोदाम, ज्योलीकोट और नैनीताल नगरों को कृमि रहित शुद्ध दूध पहुंचाता रहा। राजकीय फार्म के सम्पूर्ण १६,००,००० एकड़ में जोताई की गई और ऊष्ण प्रदेशीय (tropical) फलों का १,००० एकड़ बाग लगाया जा रहा था। वर्ष के अन्त तक लगभग २०० एकड़ क्षेत्र मे फलो के पेड़ लगाये गये।

ईटोक भट्ठों तथा दूसरे गड्ढों को मछली के तालाबों में परिवर्तित करके मत्स्य-पालनका कार्य आरम्भ किया गया। उपयुक्त प्रकार की छोटी मछलियां (fingerlings) रखी गयीं।

कटाव को रोकने के लिये जलस्रोत (stream) के दोनों ओर १०० गज जगल की पट्टी में पौदे लगाने और उपनिवेश के लिये ईंधन तथा लकड़ी की व्यवस्था करने के कार्य मे प्रगति हुई। जंगल तथा चरागाहों के लिये सुरक्षित क्षेत्र काफी बड़ा था।

सहकारी समितियां—इस क्षेत्र में ७६ सहकारी समितियां मौजूद थीं और कृषि सम्बन्धी स्टाक तथा औजार मोल लने एवं घर बनवाने के लिय उन्हें रुपया उधार दिया गया। कुछ समितियां अच्छा कार्य करती रहीं किन्तु अन्य समितियो मे अनुभव की कमी और उनके सदस्यो में एकता की कमी पाई गई।

स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय—इस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य प्रायः सन्तोषजनक रहा। मलेरिया निरोधक यूनिट ने जो कार्य किया उसके फलस्वरूप मलेरिया से होने वाली घटनाये नगण्य रही। प्लीहा की सूची (spleen index) जो कि आपरेशन के आरम्भ में ७० से १०० प्रतिशत तक बढी हुई थी अब लगभग १० प्रतिशत थी और परजीवि संचार की सूची (parasite index) ५–२० प्रतिशत से घटकर (ऋतु के अनुसार) १.४ प्रतिशत हो गई थी।

सिचाई—लगभग ३० ट्यूब वेल लगाये गये और उनमें से ८ ट्यूब वेल आर्टिजन कुये सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त और कुंए बनाने के कार्य मे प्रगति हुई और लगभग ४० मील दूरप्रेषण (ट्रांसमिशन) लाइन का कार्य पूरा किया गया।

जूट और गन्ने की खेती—इस क्षेत्र मे बसे हुए पूर्वी बगाल के जूट उगाने वाले तीन सौ विस्थापित परिवारो ने १९५२ मे जूट की खती करने के पूर्व इस वर्ष अपनी धान की फस्ल पैदा की।

गन्ने की खेती के उन क्षेत्रो मे, जो उसके लिये विशेष रूप से उपयुक्त थे, जोरो की प्रगति हुई। उपनिवेशन क्षेत्र के बाहरी और भीतरी भागों में किसी प्रकार ३०,००.००० मन से कम गन्ना नही उगाया गया। शक्कर मिलों के लिये इतना अधिक गन्ना उपयोग मे लाना कठिन था, अतः यह निश्चय किया गया कि बाजपुर म एक दूसरा शक्कर का कारखाना खोला जाय।

केन्द्रीय नगर—रुदरपुर नगर को वैज्ञानिक ढंग पर लाने की योजना आरम्भ की गई और एक प्रशासक नियुक्त किया गया। यह निश्चय किया गया कि विकास का व्यय प्लाटों को बेचने के फलस्वरूप प्राप्त निधि (२ १/२ लाख रुपया) से पूरा किया जाय। आय का ३० प्रतिशत सरकार को देना था और २० रोगी शय्या का एक अस्पताल, अन्य वस्तुओ के साथ साथ आधुनिक सर्जरी के औजारो तथा साधनों, एक एक्सरे मशीन (plant) तथा एक आपरेशन गृह से सुसज्जित खोला गया और उनकी नीव का पत्थर भारत के प्रधान मत्री द्वारा रक्खा गया। एक ग्रामीण हाई स्कूल भी, जिसमे, ४०० विद्यार्थी पढ सकते थे और जिसमे विद्यार्थियो को कृषि की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिये २५० एकड़ का एक फार्म था, बसने वालो के लाभ के लिये स्थापित किया गया। इस क्षेत्र मे बहुत से छोटे उद्योग-धंधे स्थापित हुये और एक बाजार केन्द्र बन रहा था।

काशीपुर

इस वर्ष काशीपुर मे लगभग ३,१०० एकड भूमि कृषि योग्य बनाई गई और वह ५०० विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों, ६२ राजनीतिक पीड़ितों, १०० भूतपूर्व सैनिको, ४ कृषि स्नातकों (ग्रेजुएटो) और डिप्लोमा रखने वालों और ३७ भूमिहीन मजदूरों को बांटी गई। वर्ष के अन्त तक ७

गांव स्थापित हो चुके थे और कई अन्य गांव स्थापित होने वाले थे। बसने वालों के लिये ८०४ एक कमरे वाले घर थे और उनकी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ५ प्राइमरी स्कूल था।

यातायात--बाजपुर से काशीपुर तक और जसपुर तक लगभग ३२ मील नई सडकें पक्की की गईं। घेला के पूर्व मे काशीपुर से सीधे हेमपुर फार्म तक एक बिलकुल नई सड़क भी पक्की की गई।

सिचाई--वर्ष मे लगभग ६ ट्यूब वेल बनाकर सिंचाई की सुविधाये दी गई।

सहकारी समितियां--कृषि सामग्री (स्टाक) और औजार मोल लेने तथा घरो के निर्माण के लिये लगभग १८ समितियो को वित्तीय सहायता दी गई। भारत सरकार के पुनर्वास मत्रालय (Ministry of Rehabilitation) से प्राप्त कर्जो से विस्थापित व्यक्तियो को प्रति परिवार १,७८२ रु० के हिसाब से सहायता मिली।

आलोच्य वर्ष मे बसने वालो ने ७ सहकारी समितियां बनाईं।

जंगल लगाना--नैनीताल तराई की भांति जलस्रोत (stream) और सडको के किनारे और दूसरे स्थानो के छोटे टुकड़ो मे जंगल लगाने का काम ईंधन तथा लकडी के सुरक्षित स्टाको की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया।

मलेरिया निरोधक उपाय--भारतीय खाद्य तथा अनुसंधान संस्था (Research Institute) और उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त मलेरिया निरोधक यूनिट ने लगभग २३० वर्ग मील में प्रगाढ़ रूप से मलेरिया निरोधक कार्य आरम्भ किये। पैलूड्रीन की ४,५०,००० टिकियां बांटी गईं। इससे मलेरिया की घटनाओ मे काफी कमी पाई गई।

विद्युत् व्यवस्था (Electrification), एक बिजलीघर जिसकी कुल समाई ६०० किलोवाट थी और जिसका उद्देश्य ट्यूबवेलो को बिजली पहुचाना और घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली की व्यवस्था करना था, पूरा किया गया। काशीपुर नगर मे भी विद्युत् व्यवस्था का कार्य निर्धारित समय के भीतर किया गया।

दूनागिरी सरकार की ओर से दूनागिरि के ३१८ एकड़ क्षेत्रों मे सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये और दूसरे १२० एकड़ मे सीढ़ीनुमा खेत बनाने का काम सरकार द्वारा दिये हुये कर्जों की सहायता से बसने वालो ने किया। सरकार द्वारा स्वीकृत २०० एकड़ बाग लगाने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष १५ एकड़ क्षेत्र मे फलों के पेड़ लगाये गये। लगभग ५२० एकड़ भूमि विभिन्न वर्गों के बसने वालो को बांटी गई और १३२ क्वार्टर बसने वालो ने प्राप्त हुये कर्ज की सहायता से निर्मित किये। उत्तर प्रदेश युद्धोत्तर सेवा पुनर्निमाण निधि न्यास (U P. Post-War Services Reconstruction Fund Trust) से प्राप्त निधियो से एक स्कूल इमारत का निर्माण किया गया और पीने के पानी की पूर्ति के लिये यू० पी० गवर्नमेन्ट स्टोरेज टंकों (उत्तर प्रदेश सरकार जल संग्रह तालाबो) का निर्माण हो रहा था।

पुल का ४ मील रास्ता बनाने का कार्य पूरा किया गया और दूसरे ७ मील का निर्माण कार्य हो रहा था। इस क्षत्र मे सहकारी समितियों और उपभोक्ता सहकारी भन्डार (Store) का कार्य संतोषजनक रहा।

मनूनगर के ५,००० एकड़ उपनिवेश मे बसे हुये भूतपूर्व सैनिको के परिवारो की संख्या १९५१ के अन्त मे १३२ थी। बसने वालो के १९६ क्वार्टर थे और रुद्रपुर–काशीपुर से मनूनगर तक एक पक्की सड़क का निर्माण हो रहा था। इस वर्ष तीन ट्यूब–वेल भी लगाये गये।

मनूनगर (रामपुर जिला)

भरसार फी सिम्पुल इस्टेट (जिसका क्षेत्रफल ५०० एकड़ और जो पौड़ी के पश्चिम २४ मील पर स्थित है) जो कि प्रारम्भ में गढ़वाली भूतपूर्व सैनिको की बस्ती के सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जाने के लिये थी, निकट भविष्य में लगाये जाने वाले सरकारी बाग के प्रयोजनों के लिये ले ली गई।

भरसार

लगभग २०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाने की अफजलगढ़ योजना के सम्बन्ध मे भी संतोषजनक प्रगति हुई। यह निश्चय किया गया कि १२,५०० एकड में खेती की जाय और शेष का एक भाग पुराने निवासियों के पास रहने दिया जाय और दूसरा भाग लकड़ी और चारे के रखेल (reserve) स्थान के काम में लाया जाय। लगभग २० क्वार्टर बनाये गये और यातायात के साधनों के सुधार के लिये कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध मे यह निश्चय किया गया कि भारत सरकार से प्राप्त की हुई निधियो की सहायता से जसपुर सडक रेहार होती हुई अफजलगढ तक पक्की कर दी जाय और कालागढ़ अफजलगढ़ और अफजलगढ़-शेरकोट सडक सेक्शनो का निर्माण कार्य इस वर्ष हाथ मे लिया गया।

अफजलगढ

उपनिवेशन विभाग मे विभिन्न प्रकार की उपयोगी मशीनें, जो कि बिक्री सग्रहागारों (Disposals Depots) मे उपलब्ध थीं, खरीदने के लिये एक लाइजन अफसर (ससहकारिता अधिकारी) (बिक्री व्यवस्था) पूर्ववत बना रहा। सड़क बनाने तथा मिट्टी बराबर करने के बहुत से औजार पूर्ति तथा बिक्री व्यवस्था के डाइरेक्टर जनरल, भारत सरकार से प्राप्त किये गये और वे तराई प्रदेश में यातायात के साधनो की उन्नति के सम्बन्ध में प्रयोग मे लाने के लिये प्लानिंग तथा कांसट्क्शन डिवीजन (उपक्रमण तथा निर्माण डिवीजन) तराई के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सप्लाई किये गये। उसी प्रकार दो अस्पताल यूनिट भी, जो कि सब प्रकार पूर्ण थे गंगा खादर और नैनीताल तराई में स्थापित अस्पतालों के लिये प्राप्त किये गये। उपकरण तथा स्थिर यंत्रों (tools and plants) के विशेष सेटों, जैसे यू० एस० के इचलन टूल सेट (Echelon tool sets) के अतिरिक्त कारखाने के काम की विभिन्न प्रकार की मशीनें भी मोल ली गई।

बिक्री व्यवस्थालयो से मोल ली गई वस्तुएं

कॉस उन्मूलन योजना (Kans Eradication Scheme) के अन्तर्गत झांसी जिले की महरौनी तहसील में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के यूनिट की सहायता से पूर्ववत् कार्य किया गया। यह योजना इस क्षेत्र में बड़ी ही सर्वप्रिय थी और ट्रैक्टर से जोतने का मूल्य पिछले वर्ष के ३६ रु० ५ आना से बढ़कर ५२ रु० हो जाने पर भी कॉस होने वाली भूमि के जोतने के सम्बन्ध म यूनिट की सहायता के लिये आवेदन-पत्र अधिकॉश गाँवों के किसानों से प्राप्त हुये। लगभग ६,००० एकड के सम्पूर्ण क्षेत्र में यूनिट ने जुताई करने का काम हाथ मे लिया।

कॉस उन्मूलन योजना

यह कार्य २ जनवरी, १९५१ ई० को आरम्भ हुआ और ३१ मई को समाप्त हो गया और लगभग ६,३३४ एकड़ कॉस जमने वाली भूमि, जिस मे २,१२६ एकड़ बंजर भूमि सम्मिलित है, जोती गई। वर्ष के अन्त तक

ट्रैक्टर की सहायता से जोती गई कांस जमने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल २७,४५४ एकड़ था।

इस वर्ष ट्रैक्टर से जोती हुई भूमि के ४०१ एकड़ में तीन नई सहकारी कृषिकर्म (Farming) समितियों का संगठन किया गया। इन सहकारी फार्मो में ट्रैक्टर का मूल्य केवल ३५ रु० प्रति एकड़ लगाया गया। कॉस जमने वाली सम्पूर्ण भूमि किसानो की थी और ट्रैक्टर से जोतने के पश्चात् उन्हें लौटा दी गई। उन्होंने अनुसरण कार्य अपने निजी बैलो की सहायता से किया। इतना करने पर भी अभाग्यवश वर्षा के जल्दी हो जाने के कारण ऋतु रबी फसल के अनुकूल न रही और २३९ एकड में बोवाई न की जा सकी। सब मिलाकर फस्लें पिछले वर्ष की तुलना मे इस वर्ष खराब थीं। फस्लें और १९५१ ई० में जोती हुई भूमि की अतिरिक्त पदावार केवल २०,१३३ मन के लगभग थी। वर्ष में ट्रैक्टर से जोते हुये सम्पूर्ण क्षेत्र की अतिरिक्त पैदावार लगभग ७८२,३६२ मन थी।

४०—सार्वजनिक निर्माण कार्य

सड़के और पुल

सड़क और भवन निर्माण सम्बन्धी सरकारी कार्यवाहियों में वित्तीय संकट के कारण बराबर बाधा पड़ती रही। फिर भी सड़क निर्माण कार्यक्रम (चरण १) के अधूरे निर्माण कार्यों के लिये १ करोड़ रुपया नियत करना तथा राज्य की पक्की सड़कों का और अधिक विस्तार करना सम्भव हुआ।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख मे ८,४४२ मील लम्बी पक्की और ६,२२३ मील कच्ची सड़कें थीं जबकि १९४६ ई० मे जब पंच-वर्षीय कार्यक्रम हाथ में लिया गया था, क्रमशः ४,७००, और ७५० मील लम्बी सड़के थी। पक्की सड़कों मे २,३५२ मील लम्बी स्थानीय निकायों की पक्की सड़के भी शामिल है जिन्हें फिर से बनाया गया था। आलोच्य वर्ष मे कुल २०० मील लम्बी सड़को का निर्माण किया गया। फतेहपुर–चमोली सड़क पर पूर्वीय नायर पुल और गोरखपुर–देवरिया सड़क पर फरेन लोहे का पुल, बदायूं जिले में सोत नदी का पुल और पीलीभीत जिले में खेलरी पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया। कुछ दूसरे पुलो का काम भी शुरू किया गया, जैसे मेरठ–बरेली सडक पर बाइगूल और भाकरा पुलों का निर्माण कार्य।

भवन

कुछ छोटे और बडे भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया। बड़ी इमारतों में प्रिंटिंग प्रेस की इमारत पूरी की गई, नया कौंसिलर्स रेजिडेंस का निर्माण कार्य समाप्त हुआ और लखनऊ के महात्मा गान्धी अस्पताल का विस्तार किया गया। मिर्जापुर में प्रस्तावित सरकारी सीमेन्ट फैक्टरी के निर्माण का कार्य चालू किया गया और उसमे बहुत सी नई इमारते तैयार की गई। विस्थापित व्यक्तियो के वास्ते इमारते बनाने के लिये ५०.५ लाख रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया और जब वर्ष समाप्त हुआ उस समय ४०० दूकानों के अतिरिक्त ४,००० 'सी' टाइप के और ३०० 'ए' टाइप के क्वार्टरो का निर्माण कार्य या तो पूरा हो गया था या हो रहा था।

गवेषणा

गवेषणाशाला में, जो भारत भर में अनन्य प्रकार की एक सुसज्जित प्रयोगशाला है, सीमेन्ट, चूना, ईंट, मिट्टी जैसी चीजों का परीक्षा कार्य होता रहा और यहाँ अन्य बातों के साथ–साथ पक्की सड़को की उपयुक्तता, मिट्टी की मिलावट, स्थिरता पर वर्गीकरण के प्रभाव, इमारत के निर्माण में इस्पात के स्थान पर बॉस के उपयोग तथा मिट्टी के बने

घरो की स्थिरता की सम्भाव्यता की जॉच करने के उद्देश्य से प्रयोग किये गये।

४१—परिवहन

१—रोडवेज संगठन

(क) सामान्य

वित्तीय कठिनाई के कारण आलोच्य वर्ष में रोडवेज की गाड़ियाँ नये रास्तों पर प्रायः नही चलाई गई। चलने वाली वर्तमान गाडियो को बनाये रखने तथा वर्कशाप के सगठन में सुधार करने की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया। यू० पी० स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, १९५०, १० फरवरी, १९५१ से प्रचलित किया गया।

(ख) मार्गों की संख्या जिन पर मोटर गाडियां चलती थीं

वर्तमान गाड़ियाँ संतोषजनक रूप से चलती रही। वर्ष के अन्त मे उन मार्गों की संख्या, जिनपर मोटरगाडियाँ चलती थीं, २४२ थी और ये गाडियाँ विभिन्न रीजनों में कुल ४,६६५ १/२ मील चलीं। कुल १,८७४ गाडियाँ थीं जिनमे १,३२४ बसें थीं, ४४६ ट्रकें थी और ५० टैक्सियाँ थी। इनके अतिरिक्त देखरेख तथा वर्कशाप के कामों के लिये पिकअप, स्टाफ कारे, ब्रेक डाउन लारियाँ इत्यादि थी। काम पर लगे हुये आदमियों की कुल संख्या ७,५३२ थी जिनमे से कार्यालय के अमले में १,८०५, ट्रैफिक के अमले मे ४,२९० और वर्कशाप के अमले मे १,४३७ आदमी काम करते थे।

(ग) सिटी बस सर्विसें

आलोच्य वर्ष मे नगर में चलने वाली बसे लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेली में चली और नगर के निकटवर्ती स्थानों मे चलने वाली बसे देहरादून, मथुरा और फतेहगढ़ मे चलीं।

(घ) सवारियों के लिये आराम की सुविधायें

परिवहन विभाग ने सवारियो को विभिन्न प्रकार के आराम की सुविधाये पहुचाने के लिये सब कुछ किया। इनमे पानी पीने का प्रबन्ध, सवारियो के लिये शेड, महिलाओं के लिये टिकट खरीदने की अलग खिडकी, पैखाना, पेशाबघर, बेन्च, पखे इत्यादि का प्रबन्ध सम्मिलित है। पिछले वर्ष की तरह बहुत से बस-स्टेशनो पर सवारियों के सामान लाने-ले जाने के लिये मजदूरो की व्यवस्था की गई। नियत कार्यक्रम के अनुसार समय से बसें चलती रहीं और इस प्रयत्न में काफी सफलता रही कि गाडियाँ ठीक समय पर छूटें। टिकटघरों मे शिकायत की किताबे बराबर रखी रहती थीं और उनमे की गई प्रविष्टियों से शिकायतो को दूर करने में प्राधिकारियो को कुछ सहायता भी मिली।

(ङ) आय

अप्रल से सितम्बर, १९५१ तक रोडवेज ने पूंजी पर व्याज, टूटफूट क्षति के व्यय, रख-रखाव के सुरक्षित कोष तथा मुख्य कार्यालय के कुल व्यय को पूरा करने के बाद शुद्ध राजस्व के रूप मे १८,१५,८६० रु० २ आ० ४ पा० कमाया।

(२) वर्कशॉप का सगठन

(क) निर्माण तथा सज्जा

लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, बरेली तथा कुमायूं रीजनों के ३७ स्थानों के वर्कशाप के निर्माण का पहिला कार्य पूरा किया गया। इसकी एक सूची आगे दी जाती है।

लखनऊ

१—चारबाग
२—ओलिवर रोड
३—टेढ़ी कोठी
४—सीतापुर
५—उन्नाव

इलाहाबाद

१—अलबर्ट रोड
२—जीरो रोड
३—मिर्जापुर

कानपुर

१—कालपी रोड
२—चुन्नीगंज
३—फतेहगढ़
४—फतेहपुर
५—इटावा
६—महोबा

आगरा

१—ग्वालियर रोड
२—मथुरा
३—अलीगढ
४—हाथरस
५—एटा
६—शिकोहाबाद

मेरठ

१—मेरठ
२—सहारनपुर
३—हरद्वार
४—देहरादून

बरेली

१—बरेली
२—शाहजहाँपुर
३—मुरादाबाद
४—बिजनौर

गोरखपुर

१—गोरखपुर
२—आजमगढ़
३—बस्ती
४—गोंडा
५—देवरिया
६—सुल्तानपुर

कुमायूं

१—काठगोदाम
२—कोटद्वारा
३—रानीखेत

कानपुर का सेन्ट्रल वर्कशाप गाड़ियों की बड़ी-बड़ी मरम्मतें करता रहा जिनमें इन्जनों और बैटरियों को फिर से अच्छी हालत में लाना सम्मिलित था। गाड़ियों को धूल से बचाने, उनके डिजाइनों को उन्नत करने तथा उनकी बाडी बनाने के सम्बन्ध में अच्छा काम किया गया।

प्राप्य धनराशि से जो अपटुडेट मशीनरी खरीद कर सेन्ट्रल वर्कशाप और रीजनल वर्कशापों में लगाने का जो काम किया जा सकता था वह हाथ में लिया गया।

(ख) टेक्निकल कर्मचारिवर्ग

टेक्निकल कर्मचारिवर्ग की कमी की कठिन समस्या अब भी बनी रही। सेन्ट्रल वर्कशाप में टेक्निकल शिक्षण योजना आरम्भ करके इसका एक दीर्घकालीन हल निकालने का प्रयत्न किया गया। वर्ष के अन्त में बीस टेक्निशियन आटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस विभाग के १२ मिकैनिक भी ट्रेनिंग पा रहे थे।

(ग) गाड़ियों और कल-पुर्जे

आलोच्य वर्ष में मूल्यों के और बढ जाने के फलस्वरूप गाड़ियों और उनके कल-पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाई हुई। बहरहाल किराये वही थे जो १९४९ में थे।

(घ) श्रम

वर्ष भर श्रमिकों के साथ सम्बन्ध संतोषजनक रहे। श्रमिकों के हितों के लिये कार्यवाहियों—जैसे कैन्टीन तथा मनोरंजन केन्द्र खोलना—की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया। बस पर चलने वाले अमले के कुछ श्रेणी के लोगों को यूनिफा[illegible]

की व्यवस्था की गई और मेले के सिलसिले में विशेषरूप से कठिन कार्य करने वाले कर्मचारियो को विशेष भत्ते तथा मानदेय दिये गये। उन ड्राइवरों को जिन्होंन अपनी गाड़ियों को अच्छी दशा मे रख कर इन्जिनों, टायरों और बटरियों से अच्छा काम लिया, इनाम भी दिय गय । १९५१-५२ म कुल लगभग १०,००० रुपया इनाम मे दिया गया ।

(३) वैभागिक गाड़ियो का निरीक्षण

एक मोटर वेहिकिल्स अफसर ने, जिसकी सहायता चार टेक्निकल इन्सपेक्टर करते थे, सरकार के विभिन्न विभागो की मोटर गाड़ियों का सामयिक निरीक्षण किया । निरीक्षण की गई गाड़ियों की कुल संख्या १,६७३ थी जिनमें से ६८७ अच्छी हालत मे थीं, ५७६ चालू हालत में थीं, परन्तु उनमें कुछ छोटी-मोटी मरम्मत की आवश्यकता थी, ३२४ खराब हालत में थी और ८६ गाड़ियां ऐसी थीं जिनकी मरम्मत किफायत के साथ नहीं की जा सकती थी।

(४) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी तथा इन्सपेक्टोरेट

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अपने-अपने रीजनों मे बराबर काम करते रहे । आम तौर पर प्रादेशिक परिवहन अफसरों के अधीन ड्राइवरों को लाइसेन्स देने तथा मोटरगाड़ियो की रजिस्ट्री करने और उन पर कर लगाने के कार्य को केन्द्रित करने का प्रयोग सतोषजनक रहा । राज्य मे जिन मोटरगाड़ियो की रजिस्ट्री की गई उनकी संख्या ६,२६९ थी । जनवरी से लेकर दिसम्बर, १९५१ तक ७,४६७ ड्राइवरों के लाइसेन्स दिये गये और ३८,९३१ लाइसेन्सों का नवीकरण हुआ । १,७१६ भारी परिवहन गाड़ियो के सम्बन्ध मे उनके फिट होने के प्रमाणपत्र दिये गय और १३,००० गाड़ियो के सम्बन्ध में उनके फिट होने के प्रमाणपत्र नये किये गये । ऐसे दस मामलों मे इस प्रकार के प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये और १,२७० मामलों मे ऐसे प्रमाणपत्र स्थगित कर दिये गये । निजी तौर पर रक्खी गई जनसेवी गाड़ियों की संख्या ९,६४३ थी इनमें से २,५७३ स्टेज गाड़ियां थीं, ४,४५४ पब्लिक कैरियर थी, २,०८२ प्राइवेट कैरियर थीं, ४७३ कन्टैक्ट कैरिजेज थीं और ६१ लाश ढोने वाली गाड़ियाँ थीं । ये गाड़ियां राज्य परिवहन प्राधिकारी या सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिटों पर चलती रही।

(५) एन्फोर्समेन्ट

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट ऐन्ड रूल्स के उपबन्धों का उल्लघन करने के अपराध में एन्फोर्समन्ट स्क्वाड ने ९,५४५ मुकदमे चलाये । जितने मुकदमे चलाये गये उनमें ७,६२५ मुकदमों में सजा हुई और १२३ मुकदमों में रिहाई का हुक्म हुआ।

(६) पेट्रोल राशनिग और पावर अल्कोहल

पावर अल्कोहल उद्योग के हित में उत्तर प्रदेश में सितम्बर, १९५१ तक पेट्रोल की राशनिंग जारी रही । मई और जून के महीनों को छोड़ कर वर्ष भर पेट्रोल की सप्लाई संतोषजनक रही।

(७) सिविल ऐविएशन

लखनऊ का हिन्द फ्लाइंग क्लैब और उसका इलाहाबाद तथा कानपुर मे स्थित केन्द्र 'ए-१' और '२ बी' लाइसेंसो के लिये बराबर पायलेटों को ट्रेन्ड करता रहा। इस क्लब के तत्वावधान में कानपुर में एक आल इंडिया एयर रैली हुई जिसमें उड़ान का प्रदर्शन देने के लिये समस्त देश के फ्लाइंग क्लबों ने भाग लिया और इस रैली के द्वारा विभिन्न क्लबों में प्रतियोगिता की अच्छी भावना जागृत हुई। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस क्लब को काफी वित्तीय सहायता दी। वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के लिये राज्य सरकार ने कुल ५ लाख रुपया दिया।

४२—खाद्य तथा रसद

खाद्य

(१) सामान्य स्थिति और स्टाक

अल्पाहार योजना (Austerity Provisioning scheme) और पूर्वी जिलों मे अन्य प्रकार से सहायता दने के साधनो के विस्तार के कारण आलोच्य वर्ष मे राज्य सरकार के राशनिंग सम्बन्धी वायदो मे और अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत खाद्यान्नों को राज्य मे ही खरीद कर पर्याप्त परिमाण मे प्राप्त करने की सम्भावना विभिन्न कारणो से बहुत कम हो गई। गत वर्ष बाढों और बहुत दिनो तक सूखा पडने के कारण फसलो को अधिक हानि हुई थी। १९५१ ई० की रबी फसल को भारी हानि पहुंची, क्योकि वर्षा की कमी के कारण बुवाई मे काफी देर हो गई थी। भारत सरकार ने अगस्त, १९५० ई० में चने पर से नियन्त्रण उठा लिया जिससे कठिनाइयां बढ़ गईं, क्योकि उससे रबी की ५० प्रतिशत खरीदारियां पूरी हो जाती थी। ऐसी परिस्थिति मे यह आवश्यक हो गया कि बाहर से बड़े परिमाणों मे अनाज मंगाया जाय। राज्य में गेहूं और अन्य अनाजो की आवश्यकताये क्रमशः ३,०६,००० टन और १,३२,५०० टन थी। फिर भी अन्त में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को इस बात पर राजी कर लिया कि चने पर फिर से नियन्त्रण लगा दिया जाये। यह बात १० मई, १९५१ ई० को तय हुई और उसके फलस्वरूप उत्तर प्रदश सरकार ५३,२९८ टन चना प्राप्त कर सकी। इस प्रकार मोटा अनाज भी अधिक प्राप्त हो गया और राज को भारत सरकार के बसिक प्लान के अधीन केवल २,३४,९४६ टन गेहूं और लगभग ३४,६६५ टन मोटा अनाज बाहर से मगाना पड़ा।

प्रत्येक प्रकार से यह कोशिश की गई कि चावलो की कुटाई मे बचत हो सके। भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकार ने धान से चावल निकालने के लिय शेलर (sheller) प्रकार की मिलो को लगाने के लिय प्रोत्साहन दिया और राज्य मे चावल निकालने के (हलिग) मशीनो मे पैडी सेपरेटरो को बिना लगाये सभी खास खरीदारो के केन्द्रो मे धान से भूसी अलग करके चावल निकालने के काम (हुलिंग) को रोका। यद्यपि पैडी सेपरेटरो के लगाने की लागत अधिक थी फिर भी यही एक तरीका था जिसके द्वारा चावल निकालने की प्रक्रिया मे टूटे-फूट चावलों और कनियों का प्रतिशत कम किया जा सकता था और सार्वजनिक हित के लिये ऐसा करना आवश्यक था। कठिनाई को दूर करने के लिये केवल उन्ही छोटी-छोटी मिलो को, जो साधारण केन्द्रों मे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओ को पूरा करती थी, काम करने की आज्ञा दी गई।

अधिक से अधिक ३ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक चावल पर पालिश करने के सम्बन्ध में भी प्रतिबन्ध लगाया गया जिसका उद्देश्य यह था कि चावल के स्वाद को नष्ट किये बिना ही उसकी पौष्टिक शक्ति बढ जाये। चावल की मिलो के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने पास चावल पर पालिश कर ने के उस स्टैण्डर्ड नमूने रक्खे।

आवास गृहो के अहातों में अनाज उगाने के काम को प्रोत्साहन देने के लिये यू० पी० फूडग्रेन्स राशनिंग आर्डर मे यह सशोधन किया गया कि राशन कार्ड रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपन आवास गृह के अहाते में उगाये हुए खाद्यान्नो को अपने उपयोग के लिये अपने पास रख सकता है यदि उसके अहाते का क्षेत्रफल एक एकड़ से कम हो। इस उपज का परिमाण राशन कार्ड के आधार पर उसे मिलन वाले खाद्यान्न के परिमाण में से नहीं काटा जायगा।

यदि अहात का क्षत्रफल एक एकड से अधिक होगा, तो एक एकड से अधिक क्षेत्रफल की पैदावार अनुपात के अनुसार ही उत्पादक के राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्यान्न मे से काट ली जायगी।

१ जनवरी, १९५१ ई० को सरकार के पास निम्नलिखित खाद्यान्न थे :—

		टन
गेहूं	... ...	५७,९००
चावल	.. ..	४०,७००
अन्य खाद्यान्न	. ...	२१,३००
योग	...	१,१९,९००

(२) रबी की वसूली

इस वर्ष गेहू, जौ और इनके मिश्रण की सरकारी खरीद शीघ्र ही प्रारम्भ हो गई। मई, १९५१ ई० मे चने की खरीद उस समय प्रारम्भ की गई जब उस पर फिर से नियन्त्रण लगा दिया गया था। पिछले वर्ष की भांति सभी खरीद वसूली के एकाधिकार प्रणाली के अनुसार की गई। सभी अधिक अन्न वाले क्षेत्री का और कमी वाल क्षेत्रो मे स्थित अधिक अन्न वाले स्थानो (पाकटों) का गल्ला बाहर जाने से रोक दिया गया और खरीद के विज्ञापित केन्द्रो मे व्यापारियो मे से नियुक्त किये गये एजेन्टो द्वारा खरीदारिया की गई। खरीद के केन्द्रो को बढा दिया गया ताकि बाजार किसानो के और भी पास हो जायं और बडे-बड़े फार्मो के मालिको से सीधे ही अनाज खरीदने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये। यदि किसी फार्म के मालिक ने एक ट्रक भर या उससे अधिक अन्न बचना चाहा तो वह अन्न उस किसान के दरवाजे पर ही उससे ले लिया गया। सरकारी खरीद के केन्द्रो पर आये हुए सभी खाद्यान्नो की खरीद के लिये नियुक्त एजेन्टो द्वारा ही सरकार की ओर से नियत दरो और किस्मो के अनुसार मोल ले लिया गया। खरीदारी के केन्द्रों से किसी अन्य एजेन्सी को खरीद के लिये आज्ञा नही दी गई और अनधिकृत रूप से खाद्यान्नो को ले जाने को रोकने के लिये किसी भी व्यक्ति को खरीदारी के केन्द्र से २ १।२ मन से अधिक खाद्यान्न ले जाने की आज्ञा नही दी गई। पूर्ववत् खरीदारी के उन केन्द्रो मे जहां राशनिग व्यवस्था नही थी, स्थानीय जनता के उपयोग के लिये सरकार द्वारा मोल लिये हुए खाद्यान्नो मे से विश्वस्त फुटकर एजेन्सियो द्वारा नियत दरो पर पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्न दिये गये। फुटकर वितरण पर भी कड़ी निगाह रखी गयी।

गेहूं की वसूली १४ रु० से १६ रु० प्रतिमन की दर से और जौ की क्रमशः १२ रु० और ११ रु० प्रतिमन की दर से की गई। इस बर्ष रबी के खाद्यान्नो की कुल खरीद इस प्रकार हुई:—

		टन
गेहूं	... ..	१,९८,३५२
चना	... ...	५३,३९८
जौ	... ...	५१,१८०
मिश्रित अनाज	... ...	५,११८
योग	... ...	३,०७,९४८

(३) खरीफ के अनाजों की वसूल।

वसूली की एकाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का की सरकारी खरीद अक्तूबर के अन्त मे प्रारम्भ हुई। खरीफ के अनाजों विशेष रूप से चावल मे कम वर्षा होने और सूखा के कारण रुकावटें हुईं। पूर्वी जिलो मे कोई भी वसूली नही हुई, क्योंकि उन जिलों में सबसे अधिक हानि हुई थी और वहां खाद्यान्नो की बहुत भारी कमी थी। नैपाल राज्य से भी चावल प्राप्त नही हो सका, क्योंकि नैपाल राज्य की सीमा के बाहर भारत को चावल भेजने पर लगाई गई रोक अभी तक लागू थी। फिर भी शुरू से ही अधिक से अधिक वसूलयाबी करने के लिये प्रबल प्रयत्न किये गये और धान की खरीदारी भी की गई। वसूलयाबी का काम करने वालों नान-गजटेड कर्मचारियो को उनके विशेष काम के लिये रुपयो के उपयुक्त पारितोषिक देने के वायदे किये गये।

(४) आयात और निर्यात

खरीफ की फसलों के अनाजों की वसूली करन क मूल्य की दरें निम्नलिखित थीं :—

			प्रतिमन		
			रु०	आ०	पा०
चावल प्रथम श्रेणी	...	...	२९	०	०
चावल द्वितीय श्रेणी	...	...	२१	४	०
चावल तृतीय श्रेणी	...	...	१८	८	०
चावल चतुर्थ श्रेणी	...	...	१४	८	०
चावल पंचम श्रेणी	...	..	१२	०	०
बाजरा	...	...	११	०	०
ज्वार	...	...	१०	०	०
मक्का	...	...	१०	०	०

१९५१ ई० मे खरीफ के खाद्यान्नो की कुल खरीद इस प्रकार हुई :—

			टन
चावल	...	...	१,१५,३७०
ज्वार	...	..	३०,२४७
बाजरा	...	...	३५,७१०
मक्का	...	...	६,४२५
योग	...	..	१,८७,७७९

भारत सरकार के बेसिक प्लान के अधीन इस राज्य को २,३४,९४६ टन गेहूं और ३४,६६५ टन मोटा अनाज प्राप्त हुआ।

"अधिक चावल बचाओ" आन्दोलन के फलस्वरूप राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा नियत किये गये भाग के अनुसार ३०,९४८ टन चावल बचाकर अन्य राज्यों और प्रशासनों को भेज सकी। भारत सरकार के आज्ञानुसार राज्य सरकार न कुछ अन्य राज्यो और प्रशासनों को, जिन्हें बीज की आवश्यकता थी, बीज के लिये गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार भी भेजी। इन बीजों के बदले भारत सरकार ने राज्य सरकार को आयात का गेहूं और, बाजरा दिया। यद्यपि राज्य सरकार को जिन दरों पर आयात क खाद्यान्न प्राप्त हुए, उसके द्वारा दिये गये बीज की दरो की अपेक्षा ऊंची थी फिर भी राज्य सरकार ने "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं की सहायता के

उद्देश्य से अन्य प्रशासनों को ३,३२४ टन गेहूं के बीज और कुछ मात्राओ में मक्का, बाजरा और ज्वार दिया। राज्य सरकार ने भारत सरकार की आज्ञा के अनुसार १०,६७६ टन मोटा अनाज भी, जिसमे बीज के लिये दिया हुआ परिमाण भी सम्मिलित है, निर्यात किया।

(५) राशनिंग

गत वर्ष के अन्त तक ६२ नगरों मे राशनिंग की व्यवस्था थी जिनमें से ५४ नगरो में पूर्ण राशनिंग और शेष नगरो मे अंशतः राशनिंग थी। आलोच्य वर्ष मे मसूरी, लैन्सडाउन और पौड़ी मे पूर्ण राशनिंग के स्थान पर आंशिक राशनिंग की व्यवस्था की गई। इस प्रकार आंशिक राशनिंग वाले नगरो की संख्या बढ़कर ११ हो गई और पूर्ण राशनिंग वाले नगरों की संख्या घटकर ५१ रह गई। वर्ष के अन्त म पूर्ण राशनिंग वाले नगरो की जनसंख्या ६८,९४,२७३ थी और आंशिक राशनिंग वाले नगरों की जन संख्या ४,३६,६२५ थी। राशनिंग व्यवस्था के अधीन खाद्यान्न पाने वाली कुल जनसंख्या ७३,३४,१९८ थी।

(६) अल्पाहार योजना

जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी बनी रही उन्हें छोड़ कर अन्य स्थानो में अप्रैल-मई में जबकि रबी की फस्ले कटकर आने लगी थी, अल्पाहार योजना बन्द कर दी गई। इस वर्ष वर्षा न होने के कारण राज्य के पूर्वी जिलो में अल्पाहार योजना को फिर से चलाने की आवश्यकता पड गई। इस योजना के अधीन ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक प्रत्येक जिले मे बांटे गये खाद्यान्नों का परिमाण और अन्य सहायता पाने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नांकित थी :--

जिले का नाम		सहायता-प्राप्त जन-संख्या	३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक वितरित खाद्यान्नों का परिमाण (मनो में)
१ बस्ती	...	१२,८४,७४१	५८,९६२
२ बनारस	...	४०,०७३	१०,५७६
३ गाजीपुर	.	३,३३,१२६	४९,८३२
४ देवरिया	...	५,३७,७४९	७२,९७७
५ आजमगढ	.	८,२८,१८१	१,०९,२२४
६ बलिया	...	६१,०३०	२४,९२४
७ गोरखपुर	...	८,९३,७१६	१,६०,५६७
८ गोंडा	..	३,००,०००	२९,४१५
९ जौनपुर	...	१,१०,४६८	३८,२४४
१० मिर्जापुर	...	२,३३,९२०	५०,३९२
११ बहराइच	...	अंक अप्राप्त	१,८७५
योग	...	४६,२२,००४	५,९६,६८८

(७) पर्वतीय क्षेत्रो मे अन्न की व्यवस्था करने की योजना

नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिलों में पर्वतीय क्षेत्रो मे अन्न की व्यवस्था करने की योजना लागू रही। इस योजना के अधीन २,५०,००० व्यक्तियो को अन्न की सहायता दी गई और खाद्यान्न की कुल खपत ९२० टन (२४,८४० मन) प्रति मास रही।

(८) मूल्य

१ फरवरी, १९५१ ई० से अस्थायी रूप से मैदा का फुटकर मूल्य १ सेर ४ छटांक प्रति रुपया से घटा कर १ सेर ३ छटांक प्रति रुपया कर दिया गया। १५ अप्रैल से १ सेर ४ छटांक प्रति रुपये की पुरानी दर फिर से कर दी गई।

मिलो (ज्वार) के समान आयात किया गया मोटे अनाज को जनवरी से राशनिंग के अन्नो मे मिला दिया गया। इस अन्न के थोक और फुटकर मूल्य क्रमशः १० रुपये ३ आने १० पाई प्रतिमन और ३ सेर १२ छटांक प्रति रुपया कर दिया गया।

चने की वसूली का मूल्य १० रुपया प्रतिमन से बढाकर १२ रुपये प्रतिमन कर देने के कारण उसके बेचने की दरों मे भी संशोधन कर दिया गया और उन्हे १२ रु० १२ आने १० पाई प्रतिमन (थोक) और ३ सेर प्रति रुपया (फुटकर) रखा गया।

१६ जुलाई से चने के दाने (दला हुआ चना) की बिक्री की दरें १३ रु० १५ आ० ५ पाई प्रतिमन (थोक) और २ सेर १२ छटांक प्रति रुपया (फुटकर) निर्धारित की गई।

अक्तूबर, १९५१ ई० से चने की दाल की दरो का संशोधन किया गया और उन्हे १४ रु० १५ आने ९ पाई प्रतिमन (थोक) और २ सेर ९ छटांक प्रति रुपया (फुटकर) निर्धारित किया गया।

(९) राशन की सीमाय

साधारण और आगमेन्टेड (बढाई हुई मात्रा वाले) यूनिटों के सम्बन्ध मे १६ नवम्बर, १९५० से गेहू की व्यक्तिगत सामुदायिक (Group) सीमाओ और सभी खाद्यान्नो की कुल सीमाओ मे जो कमी की गई थी, वह १ जनवरी, १९५१ ई० से 'साधारण'' यूनिट को ६ छटांक और "आगमेंटेड" (बढाई हुई मात्रा वाल) यूनिट को ८ छटाक अन्न देकर पूरी कर दी गई। फिर भी भारत सरकार के निदेशो के अधीन व्यक्तिगत और सामुदायिक यूनिटो के लिये गेहूं और मोटे अनाज मे १ फरवरी से फिर कमी करनी पडी। "साधारण" और "आगमेटेड" (बढ़ाई हुई मात्रा) के सम्बन्ध मे क्रमशः ६ छटांक और ८ छटांक के स्थान पर ४ १/२ छटांक और ६ १/२ छटाक अन्न प्रतिदिन दिया जाने लगा। १६ फरवरी, १९५१ ई० से "आगमेंटेड" (बढाई हुई मात्रा वाले) यूनिटो को फिर उतना ही राशन दिया जाने लगा और जनवरी, १९५० ई० में जिस हिसाब से राशन दिया जाता था वह फिर से लागू कर दिया गया। १६ जून, १९५१ ई० से 'साधारण' उपभोक्ताओ के लिये कुल राशन की मात्रा ६ छटांक प्रतिदिन कर दी गई। १ फरवरी से १५ जून तक फैक्टरियों मे अधिक मेहनत करने वाले मजदूरो और शिक्षा संस्थाओं के छात्रावासो में रहने वाले विद्यार्थियो को ६ छटांक प्रति यूनिट प्रति दिन के हिसाब से अन्न दिया जाने लगा। ऐसी यूनिटो को 'एनलाइटेंड यनिट' कहा गया।

चने को फिर से राशनिंग में ले लिया गया और १ जून से उसे राशन की दूकानों में इस प्रकार बेचा गया कि "साधारण यूनिटो" पर प्रतिदिन १/२ छटांक प्रति यूनिट की दर से और "आगमेटेड यूनिटो" पर प्रतिदिन २ छटांक प्रति यूनिट की दर से मिलने लगा।

अगस्त से पर्वतीय क्षत्रों में अन्न व्यवस्था भोजन के अधीन प्रति व्यक्ति के लिये प्रति दिन राशन के कुल खाद्यान्न की मात्रा ४ छटांक निर्धारित कर दी

गयी। अल्पाहार योजना (Austeriy Provisioning Scheme) के अधीन कुल ३ छटांक राशन का अन्न दिये जाने की व्यवस्था मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

१६ सितम्बर से पश्चिमी जिलों के "साधारण" उपभोक्ताओं के लिये चावल की मात्रा घटाकर प्रतिदिन प्रति यूनिट १/२ छटांक कर दी गई। १६ अक्तूबर से पूर्वी और पहाड़ी जिलों मे 'साधारण' उपभोक्ताओं के लिये प्रति यूनिट प्रति दिन दिये जाने वाले २ छटांक चावल को कम करके १ १/२ छटांक कर दिया गया। इस कमी को पूरा करने के लिये सारे राज्य मे गेहूं और आटा नम्बर १ के राशन की मात्रा १/२ छटांक बढ़ा दी गई।

(१०) राशन कार्डों की जांच के लिये विशेष आन्दोलन

अगस्त के महीने में राशनिग व्यवस्था वाले नगरों (रेग्यूलेटेड टाउनों) मे जाली और "मरे हुए व्यक्तियों क" (घोस्ट) राशन कार्डो की जांच करने के लिये एक विशेष आन्दोलन किया गया। आन्दोलन के परिणामों का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया जाता है :—

(१)	उपयोग मे न लाये जाने वाले राशन कार्डो की संख्या जिन्हे निकाल दिया गया	७०,४७०
(२)	उपयोग मे न लाये गये और बढ़े हुए यूनिटो की संख्या	२,७४,४५९
(३)	झूठे और जाली यूनिटो की संख्या जिन्हे निकाल दिया गया	३,०१,३२५
(४)	सरकारी खाद्यान्नो की अनुमानित मासिक बचत .	२,८५८ नट

(११) गोदाम

खाद्यान्न के लिये उचित गोदामो की व्यवस्था करने की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। १९५१ ई० के प्रारम्भ मे राज्य सरकार के पास विभिन्न स्थानो मे १,३४६ खत्तियां थी, जिनमें लगभग ७ १/२ लाख मन अनाज रखा जा सकता था और कानपुर के रेग्यूलेटेड टाउन मे एक पक्का गोदाम था। इस वर्ष के दौरान मे खीरी और बदायूं मे कई खत्तियो का निर्माण प्रारम्भ किया गया। मूल युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना के अनुसार, जिसके अधीन ४०० खत्तियां बनाने की योजना बनाई गयी थी, कोच, उरई और औरय्या मे से प्रत्येक में पचास-पचास खत्तियां और बरेली तथा शाहजहांपुर मे प्रत्येक मे पचास-पचास गोदाम बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही थी, परन्तु सरकार को १९४९ ई० के प्रारम्भ मे अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के शुरू करने के कारण यह निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा। यू० पी० (टेम्पोरेरी) रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ ई० की, जिसके द्वारा खाद्यान्नों का संग्रह करने के लिये स्थान प्राप्त करने और इस प्रकार प्राप्त किये गये स्थानो के बदले प्रतिकर की धनराशियां निश्चित करने की व्यवस्था की गई थी, अवधि बढ़ा दी गई। यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्यूयेन्स आफ पावर) ऐक्ट, १९४९ ई० के द्वारा इस ऐक्ट की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक पहिले ही बढा दी गई थी, किन्तु इससे स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुआ, अतएव इस ऐक्ट की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई।

शक्कर और गुड़

भारत सरकार ने अक्तूबर, १९५० ई० मे शक्कर पर जो सिलेक्टिव कन्ट्रोल लगाया था वह इस आलोच्य वर्ष भी लागू रहा। भारत सरकार ने ईख पैदा करने वालो और शकर बनाने वालो, दोनो को प्रोत्साहित करने के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य १ रुपया १० आना प्रतिमन से बढ़ाकर १ रुपया १२ आना प्रति मन

कर दिया और राज्य के पश्चिमी और पूर्वी भागों की फैक्टरियों द्वारा बनाई हुई एफ० ए० क्यू० शकर (ई-२७ ग्रेड) के एक्स फैक्टरी मूल्य क्रमशः ३० रु० ८ आना प्रति मन और ३२ रु० प्रति मन कर दिय। ग्रेड के अनुसार मूल्यो का अन्तर ज्यों का त्यों बना रहा। प्रत्येक फैक्टरी के लिये शकर उत्पादन का अधिकतम परिमाण निश्चित कर दिया गया और इस निश्चित किये गये परिमाण से अधिक बनाई गई शकर को खुले बाजार मे बेचने की आज्ञा उत्पादकों के लिये दे दी गई।

शकर के अधिकतम निश्चित परिमाणो मे फैक्टरियों से भारत सरकार को जितनी शकर मिलती रही, उसी मे से वह इस राज्य को शकर देती रही। इस राज्य के ५१ जिलो के लिये नियत किया गया और तत्सम्बन्धी जिलाधीशों द्वारा मनोनीत की गई विश्वस्त एजेंसियो द्वारा निर्धारित मूल्य पर यथोचित रूप से शकर वितरित की गई। इस राज्य मे "न कोई लाभ और न कोई हानि" के आधार पर विभिन्न क्षेत्रो में फक्टरियो से प्राप्त शकर के परिमाण का हिसाब लगाकर शकर के थोक और फुटकर मूल्य समान रूप मे निर्धारित किय गये। फिर भी राज्य सरकार के लिये ऐसा प्रशासन-कर, जो ऐसे कुल निर्धारित मूल्य (पूल प्राइस) पर चार आने प्रतिमन से अधिक न हो, वसूल करने की अनुमति दी गई। बेसिक पूल एक्स-फैक्टरी मूल्य ३१ रु० ८ आना प्रति मन निर्धारित किया गया, जिससे ३ आने १० पाई प्रति मन ही प्रशासकीय कर के रूप मे बच सका। अधिकतम फुटकर मूल्य १३ आने ९ पाई प्रति सेर निर्धारित किया गया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटो को पहले की तरह यह आदेश दिया गया कि वे तदनुसार ही थोक और फुटकर मूल्यो को निर्धारित करें और देहाती तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मूल्यों के अन्तर ज्यों के त्यों बनाये रखे। १९५१ ई० के वर्ष के लिय आम जनता, लाइसेंस प्राप्त फल संरक्षण कर्त्ताओं (फ्रूट प्रीजरवस), हलवाइयों, कन्फेक्शनरो, बिस्कुट बनाने वालो और उद्वासित हलवाइयो के लिये और जन्माष्टमी, दशहरा, दीवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों के अवसरों पर अतिरिक्त शकर के रूप मे देन के लिये इस राज्य की सरकार के लिये १,३४,०८१,९१ टन शकर का कोटा नियत किया गया, किन्तु वर्ष के उत्तरार्ध में भारत सरकार ने इस राज्य के शकर के कोट को बढ़ा दिया और तदनुसार जिलों के कोटे भी बढ़ा दिये गये। स्थिति सामान्यतः संतोषजनक हो गई और दानेदार शकर खुले बाजार में मिलने लगी, यद्यपि खुले बाजार में उसका मूल्य नियन्त्रित मूल्य की अपेक्षा अधिक रहा। गुड़ और खाडसारी शकर के मूल्यों के नियन्त्रण वर्ष भर ज्यो के त्यों बन रहे। वर्ष के उत्तरार्ध मे इन वस्तुओं की सप्लाई करने की स्थिति अधिक अच्छी रही। १९५१ ई० की समाप्ति के कुछ पूर्व आरम्भ होने वाले सीजन में दानेदार शकर के उत्पादन मे अधिक वृद्धि होने की संभावना प्रतीत होने लगी थी, जिसके कारण यह आशा की गई कि अगले वर्ष भी सम्पूर्ण राज्य म शकर की स्थिति अधिक अच्छी रहेगी।

वनस्पति घी

भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार ने वनस्पति घी की किस्म और कीमत के सम्बन्ध में नियन्त्रण लागू रखा। यह नियन्त्रण डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेटों, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों (हेल्थ अफसरो) और और सप्लाई अधिकारियों द्वारा किया गया और भारत के वनस्पति घी के नियंत्रक अधिकारी (वेजीटेबिल आयल प्रोडक्ट कन्ट्रोलर) की नवीनतम आज्ञाओं में यह उल्लेख किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों को वनस्पति घी के थोक व्यापारियों के मुहरबन्द पात्रों और फुटकर दूकानदारों

के खुले पात्रो मे से नमूने के तौर पर ३ पौन्ड बनस्पति घी उसकी किस्म की जाँच करने के लिये निकालना चाहिए और यदि नमूने मे कोई मिलावट पाई जाय तो बनस्पति घी के बनाने वाले थोक या फुटकर विक्रेता, जैसी भी दशा हो, के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जाय। इन आज्ञाओं को कड़ाई से लागू किया गया और बनस्पति घी के मूल्यो पर भी सावधानी से निगाह रखी गई, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाय कि भारत के बनस्पति घी के नियंत्रक (वेजीटेबिल आयल प्रोडेक्ट्स कन्ट्रोलर) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मूल्यो पर ही उसकी बिक्री की जाती है।

सूती वस्त्र

इस वर्ष के प्रारम्भ में कपड़े का व्यापार संकटापन्न अवस्था मे था, क्योंकि उस समय कपड की अत्यधिक कमी थी जो अधिकाँशतः कपड़े के उत्पादन में कमी, कपड़े के अत्यधिक निर्यात और नियन्त्रित दरों पर कपास न मिलने के कारण हुई।

इस स्थिति पर काबू पाने के लिये भारत सरकार ने मार्च, १९५१ ई० से यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि कपड़े के कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत तक ही कपड़ा बाहर भेजा जाय। उसके बाद ही उत्पादन पर नियन्त्रण लगा दिया गया और मिलों को यह आदेश दिया गया कि वे धोतियों और साडियों के बनाने के लिये ४८" से ५८" रीड-स्पेस वाले ५० प्रतिशत करघों (Looms) का प्रयोग करे। इन करघों में से ३० प्रतिशत की धोतियो के बनाने में आवश्यकता हुई। छपाई और रगाई पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये और किसी भी मिल को किसी भी महीने मे अपने उत्पादन के १० प्रतिशत से अधिक माल के छापने और रंगने की अनुमति नहीं थी, जब तक कि किसी अन्य आधार पर उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी गई हो। इसके साथ ही यह भी प्रयत्न किये गय कि नियन्त्रित दर पर मिलों को कपास मिल सके। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, १९५१ ई० के नियत कोटे का परिमाण और घटाकर उत्पादन का १० प्रतिशत तक ही कर दिया गया। बाद मे अगस्त के बाद से वह कोटा बढ़ाकर उत्पादन का २५ प्रतिशत कर दिया गया। जून, १९५१ ई० से मिलो का "अनियन्त्रित बिक्री (free sale)" का कोटा जो उत्पादन का ३३ १/३ प्रतिशत निर्धारित किया गया था, घटाकर २० प्रतिशत कर दिया गया।

राज्य सरकार ने कपड़े की बिक्री को उचित रूप से नियमित करने के लिये कार्रवाई की। खाद्यान्न के राशन कार्डो के आधार पर उपभोक्ताओ को कपड़े के वितरण की विधि प्रारम्भ की गई और जिन नगरों में खाद्यान्न के नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं थी वहा (नान-रेग्यूलेटेट टाउनों) कपड़ा मोल लेने के लिये शकर के राशन कार्डो को वैध कर दिया गया। होटलों में रहने वालों और विद्यार्थियों के लिय भी कपड़ा देने की व्यवस्था की गई। यू० पी० मार्केटिंग फेडरेशन की ८७ उचित मूल्य पर बिक्री करने वाली दूकानें (Fair Price Shops) और मिलों के ६१ विशेष फुटकर बिक्री के डिपो (स्पेशल मिल रिटेल डिपो) उपभोक्ताओं में कपड़े का वितरण करने के लिये खोले गये। वितरण के लिये दिये गये कपड़े पर लाभ का अंश भी निश्चित कर दिया गया। विवाहों और कफ़न के प्रयोजनो के लिये अपेक्षित कपडे के विशेष परमिटों की व्यवस्था की गई।

देहाती क्षेत्रो मे भी कपड़े के वितरण को नियमित कर दिया गया और जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के महीनो मे देहाती क्षेत्रो में कपडे की सप्लाई की मात्रा मे कुछ वृद्धि कर दी गयी। "अन्न वसूली योजना" के सम्बन्ध में कपडे की ३,५०० गाँठों के बाँटने की व्यवस्था की गई।

इस स्थिति का सामना करने के लिये किये गये विभिन्न उपायों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि साधारण उपभोक्ताओ को अधिक कपड़ा मिलने लगा। फिर भी उत्कृष्ट (फाइन) और अत्युत्कृष्ट (सुपर फाइन) किस्मो के कपडो के मूल्य जो अमेरिका, मिश्र और सूडान की रूई के मूल्यो के अधीन थे, बढ़े चढे रहे। पिछले चार महीनो के मूल्यों की अपेक्षा अप्रैल से सितम्बर, १९५१ ई० तक के अत्युत्कृष्ट कपड़े के मूल्य लगभग ३३ प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक अधिक रहे। स्वाभाविक रूप से माध्यम (मीडियम) और मोटे कपड़ों की मांग अधिक रही और अप्रैल से सितम्बर, १९५१ ई० तक के उत्कृष्ट (फाइन) और अत्युकृष्ट (सुपर फाइन) कपड़ो के स्टाक को बेचना कठिन हो गया। इसलिये व्यापारियो को ऐसी सुविधायें दी गई, जिससे कि वे अपने पास एकत्रित कपड़े के स्टाक को बेच सके। अस्थायी रूप से इस राज्य के एक जिले से दूसरे जिले मे कपडा लाने ले जाने की आज्ञा दे दी गई और कई प्रकार के कपड़ो पर से राशन संबंधी प्रतिबंध उठा लिये गये।

सूत के संबंध मे ऐसी कार्रवाई की गई कि प्राप्त माल का अधिकांश बुनकरों (Weavers) को मिल सके। यह तै हुआ कि ऐसे कपडा बनाने वालों का सूत देना बंद कर दिया जाय, जो ३१ दिसम्बर, १९४६ ई० से पहले यह व्यापार नही करते थे या जिन्हे पहिले नियमित रूप से सूत का कोटा नही मिलता था। फिर भी उद्वासित व्यक्तियों की ऐसी फैक्ट्रियों को, जो ३१ दिसम्बर, १९५० ई० को विद्यमान थी, सूत की सप्लाई करने के लिये मान्यता प्रदान की गई।

बुनकरो को उनके मंडलो और सहकारी समितियों के द्वारा सूत बांटा गया। हाथ से छपाई और रंगाई करने वालो को भी कपडा सप्लाई करने की व्यवस्था की गई।

भवन निर्माण सामग्री (लोहा, इस्पात, सीमेंट और कोयले का चूरा)

वर्ष के आरम्भ मे नियन्त्रित भवन-निर्माण-सामग्री की स्थिति संतोषजनक रही। पिछले कुछ महीनो मे कोयले के चूरे की सप्लाई मे निरंतर प्रगति बनी रही। इससे यह समझा गया कि भविष्य मे भी स्थिति ऐसी ही सुगम बनी रहेगी और इसके फलस्वरूप ईंटो पर से नियंत्रण हटा लिया गया। लोहे, इस्पात, सीमेंट और कोयले की खानो से मिलन वाले कोयले के चूरे पर भी नियत्रण पूर्ववत् बना रहा।

१९५१ ई० की दूसरी तिमाही से अर्थात् अप्रैल से स्थिति क्रमशः बिगडने लगी। मुख्यतः वैगनो की कमी के कारण कोयले के चूरे की सप्लाई संबधी स्थिति विशेष रूप से बिगडी हुई पाई गई और जुलाई के महीने मे इस राज्य को कुल केवल १०२ वैगन कोयले का चूरा मिला, जब कि मासिक कोटा २,५१२ वैगन का था। इस वर्ष की प्राप्तियो का परिमाण केवल १३,४६४ वैगन रहा, जबकि कुल नियत किया गया परिमाण (टोटल अलाटमेंट) ३०,१४४ वैगन था। स्वभावतः इसका प्रभाव ईंटो के प्रचलित बाजार भाव पर पड़ा जो कमी के स्थानों मे फिर बढ गया।

कुल मिलाकर सीमेंट की सप्लाई उतनी कम नही रही जितनी कि कोयले के चूरे की। २,४१,२३८ टन माल की कुल प्राप्तियां हुई, यद्यपि भारत सरकार न इस राज्य के लिये २,६४,००० टन का कोटा इस वर्ष भर के लिये नियत किया था, फिर भी जो परिमाण नियत किया गया वह पर्याप्त नही था। राज्य का कोटा जो अप्रैल, १९५१ ई० से पूर्व प्रतिमास लगभग ३१,००० टन का होता था, अप्रैल मे कम कर के प्रतिमास २३,००० टन कर दिया गया और जुलाई में तो

और भी अधिक घटाकर १६,००० टन कर दिया गया। फिर भी जनता की सप्लाई पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि सरकारी विभागों की सप्लाई पर, जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिये अपेक्षित थी। सरकारी विभागों को भेजे जाने वाले माल में विशषतः कमी रही क्योंकि सीमट के कुछ कारखाने अपने उत्पादन के एक निश्चित अनुपात से अधिक माल विशेष सरकारी दरो पर देना नही चाहते थे और उन्होने माल रोक लिया।

जी० सी० शीट, पाइप और काटेदार तार जैसी कुछ विशेष वर्गों की चीजो को छोड़कर, जिनकी सप्लाई बहुत कम रही, इस पूरे वर्ष में लोहे और इस्पात की स्थिति बराबर संतोषजनक बनी रही। इस राज्य के लिये लोहे और इस्पात का कुल कोटा ५२,५५२ टन नियत किया गया था। किन्तु उसे कुल ४६,८०९ टन ही माल मिला। जिन मालो की सप्लाई प्रचुर मात्रा मे थी और जो माल (स्टाक) रखने वालों के पास बहुत जमा हो गये थे उनकी निर्वाधि बिक्री के लिये प्रान्तीय लोहे तथा इस्पात के नियत्रक (Provincial and Steel Controller) समय-समय पर आज्ञा देते रहे। गांवों मे लोहारी के काम के लिय लोहारो को नियत्रित साधनो से लोहा और इस्पात देने के प्रयोजन से बलिया, गाजीपुर, आजमगढ, फैजाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ और बाराबकी के सात जिलो मे एक योजना प्रयोग के रूप मे चलाई गई।

आलोच्य वर्ष मे ढलाई-घरो के लिये कच्चे लोहे (पिग-आइरन) का कोटा और इस्पात तैयार करने वाले उद्योगो के लिय लोहे और इस्पात का कोटा राज्य सरकार के नियंत्रण मे संक्रामित कर दिया गया। भारत सरकार न कच्चे और पक्के लोहे तथा इस्पात के कोटे सीधे ही इस राज्य के ढलाई-घरों और इस्पात तैयार करने के उद्योगों के लिये नियत करने के बजाय इन चीजो के कोटो को, राज्य के प्राधिकारियो द्वारा वितरित किए जाने के लिये, इस राज्य सरकार के अधिकार मे दे दिया। केवल कुछ बडे बडे ढलाई-घर और विशिष्ट उद्योग ही, जिनमे सौ से अधिक श्रमिक काम करते थे, भारत सरकार की सूची मे बने रहे।

नमक

१९५१ ई० मे इस राज्य मे नमक की सप्लाई साभर, खारगोदा, धरंगधर, बम्बई और कलकता से होती रही। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय योजना (Zonal Schemes) के अतर्गत इस राज्य को प्रति मास दिये गये २,८५३ मीटर-उोज वैगनो के कुल कोटे मे से १,५५३ वैगनो की प्रतिमास सामूहिक सप्लाई साभर से होनी थी। इस वर्ष के लिये नियत किये गये कुल कोटे की तुलना मे कुल २२,६९७ वैगन प्राप्त हुय। वर्ष के प्रारम्भ मे प्राप्तियां अत्यत असतोषप्रद थी। जनवरी से मार्च तक की अवधि के नियत परिमाणो (allocation) तथा प्राप्तियो के संबध मे नीचे दिये हुए अको से पता चलता है कि प्राप्तियां कितनी कम थी :

मास		नियत परिमाण	प्राप्ति
जनवरी	.. ..	२,७०५	१,५२८
फरवरी	... ...	२,७०५	१,४०४
मार्च	...	२,७०५	१,६२०

नमक की सप्लाई प्राप्त करने मे मुख्य कठिनाई निकासी के स्थान पर नमक की कमी नही थी वरन् परिवहन की कमी थी। यह कहा जाता था कि पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से खाद्यान्नो को अधिक मात्रा मे भेजने के कारण रेल के मार्ग पर आवागमन बहुत अधिक था और वगने उपलब्ध नही थीं। मुख्यतः सांभर झील से जो अवध-तिरहुत-रेलवे के जिलों मे नमक की सप्लाई का प्रधान साधन था, नमक की सप्लाई न हो सकने के कारण इन जिलों म मार्च के महीन मे वस्तुतः नमक की कमी हो गई। किसी सीमा तक इसकी पूर्ति कलकत्ते से ब्राड-गेज-रेलवे पर स्थित स्थानो को और फिर वहाँ से अवध तिरहुत रेलवे के अभीष्ट स्थानों को विशष सप्लाइयाँ पहुंचाने का प्रबंध करके की गई। इस प्रकार के विशेष प्रबधो के अनुसार एक गाड़ी नमक पर्वतीय जिलों में उपयोग के लिय गढ़वाल को विशषरूप से भेजा गया था।

साँभर से ३४ विशेष गाड़ियों (रेक्स) के भेजने आदि के सबंध में भारत सरकार के निर्माण कार्य, उत्पादन तथा सप्लाई के मंत्रालय से व्यवस्था की गई थी। कुछ कठिनाइयों के होते हुए भी उक्त प्रबध सफलता से हो गया और कमी को पूरा करन का प्रयत्न किया गया। अपर्याप्त वर्षा तथा साँभर म कम उत्पादन के परिणामस्वरूप वर्ष के बाद के छः महीनों मे नई कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई। नमक के नियंत्रक को इस साधन से मिलन वाले नमक की सप्लाई म तुरंत और काफी सीमा तक कमी करनी पड़ी। जिन जिलों को साँभर से नमक मिलना बद हो गया था उनके लिये दूसरे साधन से नमक की सप्लाई की व्यवस्था करन मे कुछ समय लगा। साँभर का नमक अन्य सब नमकों की अपक्षा सस्ता होन के कारण आयात करन वाले और उपभोक्ता दोनो ही अधिक महंग नमक की सप्लाई प्राप्त करन के लिये उत्सुक नहीं थ। अक्तूबर और नवम्बर विशष कठिनाई के महीन थ। दिसम्बर म तो स्थिति काफी संभल गई क्योंकि उस महीन म २,८५३ वगनों के नियत परिमाण की तुलना मे कुल २,५१४ वगन मिल गई।

मिट्टी का तेल

वर्ष के आरम्भ मे मिट्टी के तेल की सप्लाई संतोषजनक रही और १९५० ई० के बाद के ६ महीनों में स्थिति म जो सुधार हुआ था वह भलीभाति बना रहा। जनवरी, फरवरी और माच, १९५१ ई० की प्राप्तियाँ १९४१ ई० की ३,६०,००० टिन प्रति मास की तुलना म लगभग ५,५०,००० टिन प्रति मास थी। ईरान के राजनैतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप, जिससे ऐंग्लो ईरानियन आयल कंपनी के निर्यात पर प्रभाव पड़ा, सप्लाइयो में सामान्यतः कमी हो जान के कारण मार्च के बाद स्थिति बिगड गई। बम्बई से अधिक मात्रा म खाद्यान्नो के आन के कारण रेल द्वारा माल लान ले जाने की कठिनाइयो और वैगनो की कमी से कुछ क्षत्रो म स्थिति और अधिक जटिल हो गई और झांसी, जालौन, बाँदा तथा हमीरपुर के जिलों में और अवध तिरहुत रेल मार्ग से सम्बद्ध अन्य स्थानो म विशष कमी बनी रही। ईरान से भिन्न देशों की मिट्टी के तेल की कंपनियो से तेल का आयात होने पर और बुंदेलखंड के जिलों के लिय वैगने मिल जान पर वष के अंत मे स्थिति सुधर गई। कुछ कंपनियों ने ब्राड-गेज के स्थानों से मीटर-गेज के जिलों को सप्लाई भेजने की व्यवस्था की। सप्लाई की अस्थिरता के कारण इस वर्ष मिट्टी के तेल के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण बना रहा।

ईंधन

राज्य के प्रमुख नगर क्षेत्रों में घरेलू ईंधन की सप्लाई की समस्या पहले जसी ही कठिन बनी रही। जमीदारी के निजी जंगलों से पड़ों के गिराने पर प्रतिबध के कारण नगरों मे मिलने वाले इधन की मात्रा मे कमी हो गई। पत्थर के जलान के कोयले की सप्लाई, जो घरेलू इधन के विकल्प के रूप मे काम मे लाया जाता ह अनिश्चित और अनियमित थी।

नियंत्रित जगलो से मिलने वाले ईंधन मे भी सहसा कमी हो गई । १६४६–५० ई० की १,१६,०७,००० मन की तथा १६५०–५१ ई० की ८०,३६,००० मन की उपलब्ध मात्रा की तुलना में १६५१–५२ में केवल ५५,००,००० मन की उपलब्धि रही। दूसरी ओर नागरिक जनता की ही नही, अपितु सेना तथा उद्योगो की भी मॉगे बढ़ी-चढ़ी रही। सबसे भारी मॉग शकर मिलों की थी जिसके लिये कुल सप्लाई का ६० प्रतिशत से भी अधिक भाग अपेक्षित था। इसलिए उपलब्ध स्टाक की पूर्णरूप से राशनिंग करनी पड़ी और वैगनो की व्यवस्था के आधार पर सभी उपभोक्ताओं के लिये बराबर-बराबर वितरण किया गया। नियंत्रित ईंधन की लकड़ी की सप्लाई, जिन नगर-क्षत्रों मे की जाती थी, उनकी सख्या २० से बढ़ कर २५ हो गई।

नियंत्रण की मुख्य विशेषताएं (क) मूल बनो की ईंधन की लकड़ी का रेल तक ढुलाई-व्यय मिलाकर, मूल्य-निर्धारण, (ख) राशनिंग के अधीन वितरण-योजना के अनुसार मूल बन के स्टेशनो से माल ले जाने पर नियमन और (ग) माल पहुंचन के स्थानो पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटो द्वारा माल के मूल्य पर नियंत्रण और उसका वितरण। विध्य प्रदेश के कुछ अंतर्क्षेत्रो का उत्तर प्रदेश मे विलयन हो जान से नियंत्रण के क्षत्र का विस्तार हो गया। इस वर्ष नागर-क्षेत्रों में वितरण के नियंत्रण को पुनस्संगठित करने के लिये भी कार्यवाहियॉ की गई। दी यू० पी० फारेस्ट प्रोड्यूस (मूवमेट ऐड प्राइस) कट्रोल आर्डर, १६५१ ई० से जो दी यू० पी० फारेस्ट प्रोड्यूस (मूवमेट ऐड प्राइस) कट्रोल आर्डर, १६४५ ई० तथा यू० पी० फायरवुड ऐड चारकोल (मूवमेट) कट्रोल आर्डर, १६४५ ई० के स्थान पर प्रवृत्त किया गया, पिछली आज्ञाओ के दोष दूर हो गये और उसमे और कुछ ऐसे नय उपबंधो का समावेश किया गया जो नियंत्रण को कार्यान्वित करने म आवश्यक समझ गये।

ओषधियाँ

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण ऐक्ट, १६५० ई० जो कुछ प्रकार की आयात की हुई औषधियो के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण करने वाले यू० पी० ड्रग्ज (कट्रोल) आर्डिनेन्स, १६४६ ई० के स्थान पर प्रवृत्त किया गया था, १६५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) अधिनियम द्वारा १६५१ ई० मे भी लागू रखा गया। भारत सरकार के निदेशो के अनुसार नियंत्रण कार्यान्वित किया गया। भारत सरकार औषधियों की सप्लाई स्वतन्त्र रूप से व्यापार के साधारण साधनों द्वारा होने देना चाहती थी, किन्तु इसके साथ ही वह इस बात को भी सुनिश्चित कर देना चाहती थी कि उसके द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य की सीमा से अधिक मूल्य न बढ़ने पाये। अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर दुष्प्राप्य भेषजो के बेचे जाने के सबंध मे समय-समय पर शिकायत आती रही और स्टाकिस्टों से नियमो का पालन कराने के लिये कठोर कायवाहियॉ की गइ। कानपुर के तीन प्रमुख स्टाकिस्टो को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिये रोक रखा गया कि वे व्यापार के एसे ढंगों को काम में न ला सकें, जो नियत्रण आज्ञाओं के प्रतिकूल हो। इसका प्रवर्तन इस बात से सामान्यतः कठिन हो गया था कि उपभोक्ताओ म बहुत कम व्यक्ति पुलिस या जिला नियत्रण प्रशासन (District Control Administration) मे शिकायते करते थे।

उपभोक्ताओं संबंधी माल

पूरे १६५१ के वर्ष में भारत सरकार का सप्लाई ऐड प्राइसेज आफ गुड्स ऐक्ट, १६५० ई० लागू रहा। इस अधिनियम के उपबंधो के प्रवर्तन में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधिकर्ता के रूप में काम किया और प्रस्तुत वर्ष म उन्हे अनक प्रकार के मालों पर, जिनमे औद्योगिक उत्पादन के लिये उपयोगी कच्चा माल भी सम्मिलित था, लागू किया। ड्रग्स कंट्रोल ऐक्ट की भांति सप्लाई

ऐन्ड प्र.इसेज आफ गुड्स ऐक्ट मे केवल अधिकतम मूल्य के प्रवर्तन के संबंध में व्यवस्था की गई थी। फिर यह देखने में आया कि अधिकाँश मामलो में नियंत्रित माल के मूल्य अधिकतम मूल्य से काफी कम रहे।

मकान के किराये और उसके उठाने पर नियत्रण

रहने के स्थान के नियंत्रण को, जिनमे मकान के किराये और उसे किराये पर उठाने का नियमन होता है, जारी रखना इसलिये आवश्यक हो गया कि नगरों मे जनसंख्या तो बराबर बढती गई; किन्तु उसी अनुपात से प्र.प्य निवास-गृहों की संख्या में वृद्धि नही हुई। यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट के सशोधन से, जिनके अनुसार १ जनवरी, १९५१ ई० के बाद बने हुए भवनो को इस अधिनियम के अधिक्षेत्र से निकाल दिया गया, नए भवनो के निर्माण मे किसी हद तक प्रोत्साहन मिला, किन्तु उसके पूर्ण प्रभाव का अनुभव नही किया जा सका। मुख्यतः मुद्राबाजार की तेजी तथा अपने निजी निवास के लिए घर बनवाने वालों की अपने-अपने मकान बनवाना शुरू करने की असमर्थता के कारण निर्माण कार्य की गति उतनी तेज नही रही जितनी कि उसकी आशा थी। यह भी देखने मे आया कि जो व्यक्ति व्यापारिक आध.र पर मकान बनवा सकते थे वे भी ऐसा करने के लिये उत्सुक नही थे। इसका कारण अंशतः तो यह था कि उन्होंने व्यापार के अन्य क्षेत्रो मे रुपया लगाना अधिक लाभप्रद समझा और अंशतः यह कि यद्यपि नए भवनो पर किराए तथा किराये पर उठ.ने के संबंध मे तो नियत्रण लागू नही होंगे तो भी सरकारी माँगो से मुक्त न हो सकेंगे।

प्रस्तुत वर्ष मे इस संबंध मे एक विशेष बात यह हुई कि कट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एविक्शन ऐक्ट के अधीन मुकद्दमे बहुत बढ गये। प्रायः सभी वर्ग के व्यक्तियो मे जैसे किरायेदार, उप-किरायेदार और मकान के स्वामी उक्त अधिनियम के अधीन स्थ.नीय प्र.धिकारियो द्वारा दी गई आज्ञाओं का विरोध करने और उनके विरुद्ध मामलों को दीवानी के न्यायालयों मे ले जाने की प्रवृत्ति पाई गई। इस मुकद्दमेबाजी का अधिकाँश भ.ग उक्त अधिनियम की ध.रा ७ तथा ७-क के अधीन था।

अधिनियम की धारा ३ का भी कार्यान्वित किया जाना कुछ कठिन प्रतीत हुआ। मकान मालिकों की यह शिकायतें थी कि उन्हें उन किरायेदारो को अपने मकानों से निकालने की अनुमति जल्दी नही दी जाती, जिन्हे वे अपने मकानो में रखना नहीं चाहते। इसके विपरीत किरायेदारो की यह शिकायतें थीं कि उक्त अनुमति बहुत स्वतंत्रता से दी जाती है। कई स्थानों पर मकान मालिकों की यह प्रवृत्ति भी देखी गई कि वे पानी तथा बिजली काटने की कार्रवाई करके अधिनियम के उपबंधों की उपेक्षा करते थे। किरायेदारों के संघो की ओर से बड़ी संख्या में निवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमे उन्होंने उक्त अधिनियम मे ऐसे नए उपबंधो का समावेश करने के सुझाव रखे थे, जिससे कि वे मकान मालिको की ओर से किए जाने वाले उक्त कार्यो से बच सके। मकान के स्वामियो और किरायेदारों के विरोधी दावों को निपटाने और अधिनियम की विभिन्न ध.राओं मे पाई गई कमी को दूर करने के लिये किराये तथा किराये पर मकान उठ.ने के नियंत्रण संबंधी संपूर्ण विषय नियत्रण जाँच समिति (कट्रोल इन्क्वायरी कमेटी) के पास निर्णय के लिये भेज दिया गया। समिति ने प्रभावित जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया और अधिनियम के अध.न होने वाली कार्रवाई की जाँच करने के प्रयोजन से विभिन्न स्थानो के दौरे भी किए। वर्ष की समाप्ति पर समिति की रिपोर्ट तैयार हो रही थी।

नये सविध.न के अधीन छ.वनी (कैन्टूनमेंट) के क्षेत्र में किराये तथा किराये पर मकान उठ.ने के नियंत्रण का विनियमन केन्द्रीय सरकार का विषय हो जाने के कारण उक्त क्षेत्र में राज्य सरकार द्व.रा किया जाने वाला नियत्रण

बंद कर दिया गया। किंतु छावनी के क्षेत्रों के संबध में केन्द्रीय सरकार का कोई उपयुक्त अधिनियम न होने के कारण मकानों का किराया बहुत बढ गया और मकान के स्वामियो द्वारा की जाने वाली बेदखलियों की संख्या मे भी वृद्धि हो गई। अंत मे केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श पर वर्ष की समाप्ति के समय इस राज्य के अधिनियम के आधार पर छावनी के क्षेत्रों में किरायेदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये विधान बनाने के सबध में कार्यवाही की।

१९५१ ई० में यू० पी० कंट्रोल ऑफ रेन्ट ऐंड एविक्शन ऐक्ट के अतिरिक्त यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीजिशन ऐक्ट तथा यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजिशन ऐक्ट नामक दो अन्य अधिनियम भी लागू रहे। इन दोनों अधिनियमों को कार्यान्वित करने में सामान्यतः इस नीति का अनुसरण किया गया कि जहाँ तक हो सके कम से कम स्थान (एकमोडेशन) की माँग की जाय और विशेषतः ऐसी माँग उसी समय की जाय जब वह नितांत अनिवार्य हो।

प्रवर्तन

१९५१ ई० मे नियंत्रण संबंधी आज्ञाओं के उल्लंघन के ४,८५१ मामले निपटाये गये। इनमें से ३,६५३ मामलो मे दंड दिया गया और १,१९८ मे अभियुक्त मुक्त किये गये। अधिकांश अभियोग उन व्यक्तियो के विरुद्ध थे जो या तो विनियत्रित वस्तुओ को चोरी से ले गए थे या जिन्होने ऐसा करने का प्रयत्न किया था या जिन्होने चोर-बाजारी के मूल्य पर माल बेचा था।

प्रस्तुत वर्ष में प्रवर्तक दलो ने विभिन्न नियंत्रण आज्ञाओ के उल्लंघन के संबंध मे १,३०६ मामले पकडे। इनमें से ५५२ सूती कपडे के मामले थ। उन्होंने १,६५७ व्यक्तियो को बंदी किया और लगभग ५,३९,५६६ रु० की लागत की माल पकडा।

खाद्य तथा रसद विभाग से अवांछनीय व्यक्तियो (तत्वो) को निकाल देने का भी प्रयास किया गया। बदनामी, भ्रष्टाचार इत्यादि के सबंध मे विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप जनवरी, १९५१ ई० से दिसम्बर, १९५१ ई० तक १४९ व्यक्ति नौकरी से निकाले गये या हटा दिये गये। ३२ व्यक्तियो को अन्य प्रकार से दड दिया गया और ४ व्यक्तियों ने त्याग-पत्र दिए।

नियंत्रण जाँच समिति

विभिन्न प्रचलित नियंत्रणों के प्रशासन की जाँच करने तथा उनको चलाने के संबध मे सुधारो का सुझाव देने के लिये १९५० ई० के अंत में सरकार द्वारा नियुक्त की गई नियत्रण जाँच समिति बराबर अपना काम करती रही और उसने अपनी कई बैठकें की। उसने सूती कपडे के वितरण और खाद्यान्नों की वसूली के संबंध मे सरकार के पास अपनी अंतरिम सिफारिशे भेजी। नियंत्रण जाच समिति की उपसमितियो ने जिलो मे नियत्रण के प्रचालन के संबंध मे इस राज्य के विभिन्न जिलो मे दौरे किये जिससे कि वे जांच समिति को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त जानकारी से अवगत करा सके। समिति ने अपनी उपसमितियों की रिपोर्टों पर विचार किया, किन्तु वह अपनी सिफारिशों को अतिम रूप न दे सकी, क्योकि उसके अधिकतर सदस्य वर्ष के अंतिम भाग मे साधारण निर्वाचन संबंधी कार्य मे व्यस्त रहे।

४३—सहायता तथा पुनर्वास

राज्य सरकार के समक्ष विस्थापित व्यक्तियो की समस्या एक मुख्य प्रश्न बना रहा। ऐसे व्यक्तियो की कुल सख्या ४ १/२ लाख से भी अधिक थी जिसने राज्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक भार पडा।

सहायता शिविर

फिर भी सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियो के प्रगतिशील पुनर्वास कार्य के फलस्वरूप सहायता शिविरों की सख्या ११ से घटकर ६ हो गई। शिविरो की आबादी भी १६,३८१ से घटकर १३,५०८ रह गई। मुफ्त में भोजन का दिया जाना केवल आश्रम तथा इन्फर्मरी मेरठ और मथुरा गृह के १७६ व्यक्तियो तक ही सीमित था। देहरादून मे प्रेमनगर शिविर को विस्थापित व्यक्तियो का नगर के रूप मे बदल देने के कार्य में काफी प्रगति हुई और वर्ष के समाप्त होने पर यह कार्य लगभग पूरा होने को था। म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासन की सुविधा के हेतु सहारनपुर की दो बस्तियो को शीघ्रातिशीघ्र म्युनिसिपल बोर्ड को सौप दिये जान तथा विस्थापित व्यक्तियो के निवास के लिये ज्योही कोई अन्य स्थान प्राप्त होता है, आई०ई० एम० ई० लाइन्स, शाहजहांपुर में शेष बचे हुए बैरको (Barracks) को जिनमे विस्थापित व्यक्ति रहते है, फौजी अधिकारियो को वापिस लौटा देने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

आश्रम और इन्फर्मरी

शासन संबंधी कारणो से ऋषिकेश स्थित इन्फर्मरी (आश्रय गृह) शरणार्थी महिला उद्योग मन्दिर के महिला गृह (Women's Home) की शाखा बनायें जाने के हेतु ९ सितम्बर को मेरठ बदल दिया गया था। भारत सरकार के आज्ञानुसार दरभंगा कैसिल, इलाहाबाद स्थित महिला गृह (Women's Home) १० सितम्बर को बन्द कर दिया गया और वहां के निवासियों को फिरोजपुर (पंजाब) मेरठ और मथुरा के आश्रमो मे भेज दिया गया। इन आश्रमो के निवासियों को नि:शुल्क रहने का स्थान तथा भोजन के अतिरिक्त लाभप्रद व्यापारो मे व्यावसायिक ट्रेनिग भी दी गई। इन आश्रमों और आश्रय गृहो (इन्फर्मरी) में प्रत्यक व्यक्ति पर २५ रु० प्रति मास की दर से व्यय हुआ।

एसी महिलाओ के लिये जिन्होने गृहो मे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी और जो इन सस्थाओ से स्वतन्त्र होकर आजीविका कमाने की इच्छुक थीं, २५० रु० के ३३ पुनर्वास सम्बन्धी अनुदान स्वीकृत किय गये थ। इन अनुदानो का तात्पर्य उन्हे कपड़ा सिलने या दूसरी छोटी-छोटी मशीनों तथा वस्तुओ को खरीदने मे सहायता देने से था, ताकि वे छोटे-मोटे व्यापार व व्यवसाय स्थापित कर सके।

नकद भत्ते

१४ विस्थापित व्यक्तियो को उनकी आजीविका के लिये नकद भत्ता दिया गया।

चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

यू० पी० के निराश्रित विस्थापित व्यक्तियो की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत २५,००० रु० का तदर्थ अनुदान विस्थापित व्यक्तियो के लिये भुवाली सेनिटोरियम मे नि:शुल्क पलंग (Beds) दिलाने व सुरक्षित कराने मे व्यय हुआ। ऐसे पलंगों (Beds) की संख्या १८ थी। राज्य के चिकित्सा सम्बन्धी अधिकारियों की यह भी नीति थी कि विस्थापित व्यक्तियो मे क्षय-रोग के सख्त रोगियों को असुरक्षित नि:शुल्क पलंगो (Beds) पर, यदि ऐसे स्थान (Beds) प्राप्त है, पलंग दिलाये जायं। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियो के लिए राज्य की सामान्य जनता की भांति सरकारी अस्पतालो व औषधालयो मे नि:शुल्क दवाइयां तथा चिकित्सा सुलभ थी।

मेरठ तथा मथुरा में स्थित महिला गृहों के व्यावसायिक केन्द्र, जो अब तक अलग-अलग माने गये थे, इन गृहो के अखंड भाग बनाये जाने के लिये पुनःसंगठित किये गये। नौ अन्य केन्द्रों--लखनऊ, बनारस, आगरा, मुरादाबाद, चन्दौसी, सहारनपुर, हरद्वार, गाजियाबाद और कानपुर--में भी व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाने लगी। इन केन्द्रों मे ट्रेनिंग पाने वालो की संख्या ७०० थी। जब कि स्वीकृत सख्या ५५० थी। २५० शिक्षार्थी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। बरेली स्थित ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र की तरह के केन्द्र उन योग्य निजी संस्थाओ को, जो आवश्यक योग्यता और साधनों से युक्त समाजसेवकों की हों तथा जो उन्हें सरकार से प्राप्त कुछ अनावर्तक अनुदान की सहायता से चलाने के इच्छुक हों, हस्तारित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन था।

शिविर के बाहर रहने वाली महिलाओ के लिये ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र

(१) बापू इण्डस्ट्रियल होम, देहरादून--वर्ष के अन्त मे देहरादून स्थित बापू इन्डस्ट्रियल होम (Bapu Industrial Home) में १८० शिक्षार्थी थे। इस राज्य सरकार ने १९४९ में पश्चिमी पाकिस्तान से आई हुई विस्थापित महिलाओ और बालिकाओ को उन्नत व्यावसायिक और टेकनिकल ट्रेनिंग देने के लिये स्थापित किया था। इस सस्था में अब तक ३८९ महिलाएं और बालिकाये ट्रेनिंग ले चुकी है। ट्रेनिंग के समय शिक्षार्थियो को २५ रु० मासिक छात्र-वेतन दिया गया।

उन्नत व्यावसायिक और टेक्निकल ट्रेनिंग

(२) इण्डस्ट्रियल होम चुनारगढ़ (जिला मिर्जापुर)--चुनारगढ़ इन्डस्ट्रियल होम (Industrial home) मे प्रौढ़ व्यक्तियो को उन्नत व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देने का प्रबन्ध सुयोग्य शिक्षको से युक्त सर्वागीण, औद्योगिक विभाग मे किया गया। पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई निराश्रित विस्थापित महिलाओं के लिये १९५० के अन्त मे स्थापित ८०० व्यक्तियो के लिये स्वीकृत गृह मे ३०० बालिग, १० और १५ साल के बीच की उम्र के १५० लडके, ५ और १० साल के बीच की उम्र के २५० बच्चे और ५ साल तक की उम्र के १०० शिशु रहते थे। बालिग शिक्षार्थियो को निःशुल्क ट्रेनिंग, मकान, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओ के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति पर २५ रु० प्रति मास की छात्र-वृत्ति भी दी गई। गृह के अन्य निवासियों के प्रति भी आवश्यक ध्यान दिया गया। अल्पवयस्क ट्रेनिंग तथा उत्पादन विभाग मे जाते थे और ५ और १० साल के बीच की उम्र के बच्चों को गृह में खोली गई प्राइमरी पाठशाला मे शिक्षा दी जाती थी। ५ साल से कम उम्र के शिशुओ की देख-रेख एक सुयोग्य नर्स द्वारा शिशुआलय मे होती थी। १२ रु० प्रतिमास की दर से भोजन का भत्ता बच्चो के लिए उनकी उम्र का विचार न करते हुए दिया गया। उन्हें बे-किराया रहने का स्थान, चिकित्सा इत्यादि भी दी गई। वर्ष के अन्तिम दिनो में चुनारगढ़ गृह की संख्या ५० प्रतिशत बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल की सरकार के सुझाव पर उत्तर प्रदेश की सरकार न वृन्दाबन, इलाहाबाद और बनारस में पाकिस्तान से आई हुई बूढ़ी विस्थापित महिलाओं के लिये तीन विशेष गृह (कुल मिला कर ४०० व्यक्तियों के स्थान के लिये) स्थापित करने की स्वीकृति दी। इन गहों में प्रति व्यक्ति २५ रु० प्रति मास की दर से व्यय किया जाने को था।

पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई बूढी विस्थापित महिलाओं के लिये विशेष गृह

विस्थापित व्यक्तियों को जो पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की गई वे निम्नलिखित है :--

पुनर्वास सम्बन्धी कार्यवाहियां

शिक्षा, व्यावसायिक तथा टेकनिकल ट्रेनिंग, रोजगार व पुनर्वास (व्यापार, उद्योग, खेती इत्यादि में) और ऋण व अन्य सुविधायें (जैसे विद्युत् शक्ति, लोहा तथा टीन, चीनी इत्यादि का दिया जाना।)

(क) शिक्षा विस्थापित विद्यार्थियो को वित्तीय सहायता देने की योजना मे भारत सरकार ने पुनः जुलाई मे संशोधन किया। यद्यपि पुस्तक और लेखन-सामग्री खरीदन के लिये प्रति विद्यार्थी ५ रु० की नकद सहायता केवल प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को ही दी जा सकती थी, परन्तु जुलाई तक जारी योजना के अनुसार प्राइमरी कक्षा के सब विद्यार्थियों और कक्षा ६ से लेकर १० तक के सब योग्य छात्रो को निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती थी। कुछ शर्तों पर हाई स्कूल से ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियो को भी छात्र-वेतन मिल सकता था। सशोधित योजना के अनुसार भी प्राइमरी कक्षाओ मे शिक्षा निःशुल्क रही लेकिन नकद अनुदान ५० प्रतिशत विद्यार्थियो के लिये ही सीमित रहा। फिर भी किसी भी विद्यार्थी को जिसके पिता या अभिभावक की आय १०० रु० प्रति मास से अधिक हो यह सहायता नही मिल सकती थी। निःशुल्क शिक्षा और पुस्तक खरीदने के लिये नकद अनुदान ६ से लेकर ८ तक की कक्षाओं के ५० प्रतिशत छात्रो और कक्षा ९ तथा १० के ४० प्रतिशत छात्रों को ही स्वीकृत हो सकता था। फिर भी निःशुल्क शिक्षा तथा नकद अनुदान का दिया जाना विद्यार्थियो के पिता या अभिभावक की आय पर निर्भर था। कक्षा ६ से लेकर ८ तक के छात्रो के सम्बन्ध में आय की सीमा १०० रु० थी जबकि कक्षा ९ और १० के छात्रो के लिये १५० रु० थी। हाई स्कूल से ऊपर की कक्षाओं के लिये छात्र-वेतन प्राप्त कर सकने का स्तर कुछ नीचा कर दिया गया। टेक्नोलाजिकल (Technological) और व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे, जिनके लिये सहायता दी जा सकती थी, कुछ और विषय सम्मिलित कर दिये गये। पहली बार उन पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduate) विद्यार्थियो के लिये भी छात्र-वेतन का प्रबन्ध किया गया जो डिगरी (Degree) परीक्षा मे कुल अको का ६० प्रतिशत प्राप्त किये हों। इस वर्ष ९,८६,४३२ रु० नि.शुल्क शिक्षा व नकद सहायता के रूप मे क्रमशः २१,११६ छात्रो और २५,१३१ विद्यार्थियो को दिये गये, और १,२८,६०० रु० का छात्र-वेतन ४२६ छात्रो को दिया गया। ऐसे विद्यार्थियो को ऋण भी दिया जा सकता था जिन्हे पहले भी ऋण मिला हो और जो अपनी पढाई पूरी करने के लिये छात्र-वेतन के बदले ऋण लेना चाहते हो। इस वर्ष ऐसे १४ विस्थापित विद्यार्थियो को १८,६३० रु० का ऋण दिया गया।

(ख) व्यावसायिक और टेक्निकल (Technical) ट्रेनिंग श्रम मन्त्रालय (भारत सरकार) के टेक्निकल ट्रेनिंग केन्द्रों मे ५०३ विस्थापित व्यक्तियों और राज्य की कुछ फैक्टरियों (Factories) और वर्कशाप (Workshop) मे ५०० व्यक्तियों की ऐपरेन्टिस (Apprentice) की ट्रेनिग देने की योजनाये जारी रखी गई। श्रम मन्त्रालय के केन्द्रो में गैर-सैनिको (Civilians) के लिये निर्धारित किये गये स्थानो मे भी विस्थापित व्यक्तियो को प्राथमिकता दी गई। उनको कैलिको छापने, रगने और चमकाने, काटने तथा सिलने और छांटने तथा खेल-कूद के सामान तयार करने की व्यावसायिक ट्रेनिंग की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने ९६ अतिरिक्त सीटो की स्वीकृति दी थी। भारत सरकार ने १०० विस्थापित व्यक्तियो को राज और कारीगरी की ट्रेनिंग देने की योजना भी स्वीकार की। इस योजना के चालू होने से उत्तर प्रदेश मे श्रम मंत्रालय के केन्द्रों मे कुल ३,३६२ विस्थापित व्यक्तियो को ट्रेनिंग दी गई और वर्ष समाप्त होने पर ३९९ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी।

वह योजना, जिसके अनुसार सरकारी शिविरो में ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र विस्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिये खोले गये थे, चालू रही। फिर थोड़े से केन्द्र बंद कर दिये गये और हस्तिनापुर, मोदीनगर और नैनी के उप-नगरों मे तीन नये केन्द्र खोले गये। दिसम्बर के अंत तक इन केन्द्रो मे कुल मिलाकर ४,५६५ व्यक्तियो को ट्रेनिंग दी जा रही थी। दिसम्बर के अंत तक डालीगंज

लखनऊ के ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र मे, जो जापानी यत्रो से सुसज्जित था, ४८ विस्थापित व्यक्तियो को ट्रेनिग दी गई और ८४ को ट्रेनिग दी जा रही थी। मई मे रामपुर के ट्रेनिग तथा कार्यकारी केन्द्र को भारत सरकार से राज्य सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया और वर्ष के अंत तक ४७ विस्थापित व्यक्ति उसमें ट्रेनिग पा रहे थे। राज्य सरकार के अधीन ट्रेनिग योजना के अनुसार पहिले पहल अप्रैल से प्रत्येक शिक्षार्थी को ३० रु० मासिक छात्र-वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। टेंनकल शिक्षार्थियो को ऋण देन के लिये कुटीर उद्योगो के डाइरेक्टर को २ लाख रुपये की धनराशि नियत की गई।

(ग) नौकरी

विस्थापित व्यक्तियो को नौकरी की सुविधाये देने के लिये आयु और शिक्षा सबंधी योग्यताओ के प्रतिबध मे ढिलाई देने के निमित्त सरकारी आदेश प्रचलित रखे गये और समस्त वैभागिक अध्यक्षो इत्यादि पर यह जोर दिया गया कि जिन खाली जगहो की भर्त्ती सीधे की जाती है उनकी सूचना रोजगार दिलाने के दफ्तरो (इम्पलायमेंट एक्सचेन्ज) को दी जानी चाहिये ताकि उपयुक्त विस्थापित व्यक्ति वंचित न रह जाय। रेलवे मे वर्ग ४ की खाली जगहो के लिये भी, जिनकी सूचना रेलवे प्राधिकारियो ने दी थी, विशेष चुनाव किये गये पुनर्वास तथा नियोजन डाइरेक्टरेट विस्थापित व्यक्तियो को काम दिलाने का प्रयत्न करता रहा। वर्ष के अत तक २१,१७९ विस्थापित व्यक्तियो को सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकरिया दिलाई गई।

(घ) डाक्टरों, वैद्यो इत्यादि को फिर से बसाना

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो मे विस्थापित डाक्टरो, वैद्यो और हकीमो के पुनर्वास की योजना चालू रखी गई और १९५१ ई० मे इस योजना के अनुसार १७ डाक्टरो, ११ वैद्यो तथा हकीमो को सहायता मिल रही थी। सरकार जिन चिकित्सको को जिस अवधि के लिये राज-सहायता देने को राजी हुई थी उनमे से अधिकतर चिकित्सको के सबंध मे यह आशा की जाती थी कि १९५२ ई० के अंत तक यह अवधि समाप्त हो जायगी और तत्पश्चात् वे स्वावलम्बी हो जायेगे।

(ङ) ऋण तथा अन्य सुविधायें

इस वर्ष ४,५०० परिवारो को व्यवसाय, व्यापार, पेशे और उद्योग मे फिर से लगने की सुविधाए प्रदान करने के लिये २६,४५,००० रु० का ऋण दिया गया और २८,७४,५४० रु० की धनराशि इसलिये ऋण के रूप मे दी गई जिससे विस्थापित व्यक्तियो के १,९२१ परिवार खेती-बाडी के काम मे फिर से लग जायं। इनके अतिरिक्त पुनर्वास वित्त प्रशासन ने ३१ दिसम्बर तक ७४,३२,९०० रु० की धनराशि ऋण के रूप मे दी। यह आशा की जाती थी कि पुनर्वास कार्यक्रम के अतर्गत २३,५५० परिवार राज्य सरकार से लिये गये १,३०,२९,००० रु० ऋण और २५,००० परिवार बिना राज्य सहायता के ३१ मार्च, १९५२ ई० तक व्यापार, व्यवसाय और उद्योग मे लग जायेगे। इसके अतिरिक्त यह भी आशा की जाती थी कि मार्च, १९५२ ई० के अत तक ४,९५० परिवार सरकारी ऋणो से (कुल मिलाकर ४२,५२,५०० रु०) जो कि भारत सरकार के कोष से प्राप्त हुये थ, उपनिवेशन तथा अन्य क्षेत्रो मे खती के काम मे लग जायगे।

ऋणो के अतिरिक्त इस वर्ष उपनिवेशन क्षेत्रो मे बसने वाले ४,९५० परिवारो में से २,९०० परिवारो को बसाने में एक करोड से अधिक रुपया व्यय हुआ। इस व्यय का एक अश यानी २० लाख रुपया भारत सरकार ने दिया। विस्थापित व्यक्तियो को राज्य के विभिन्न जिलो मे उद्योग-धंधे चलाने के लिये २,६०० हार्स पावर से अधिक बिजली, इसमे नैनी और गोविन्दपुरी को दी गई बिजली शामिल नही है, दी गई। विस्थापित फैब्रीकेटरो (प्रनिर्माताओ) को उनके काम के लिये लोहा और इस्पात का ८०० टन का कोटा बढ़ाकर १,००० टन कर दिया गया।

डालीगंज, लखनऊ की डिहाइड्रेशन फैक्टरी के एक भाग को छोड कर, जिसका ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र के रूप मे उपयोग किया जा रहा था, आगरा, फर्रुखाबाद तथा लखनऊ की डिहाइड्रेशन फैक्टरियां, जिन्हे यू० पी० सरकार ने भारत सरकार से ले लिया था, योग्य विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई। पुनर्वास समस्या को विशेष रूप से हल करने के विचार से राज्य सरकार पूर्वी बगाल के जूट की खेती करने वाले ५०० परिवारो को किछा उपनिवेशन क्षेत्र (जिला नैनीताल) मे फिर से बसाने के लिये राजी हो गई। इस वर्ष इनमे से ३०० परिवार इस राज्य मे पहुच गये और उसको फिर से बसाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई।

मकान इत्यादि

सरकार ने विस्थापित व्यक्तियो के लिये क्रमशः ६,७१८ और ३,००० मकान और स्टाल बनवाये। यह आशा की गई थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का १९५१–५२ का कार्यक्रम समाप्त होने पर मकानो की संख्या बढ़कर ९,४२३ हो जायगी। १९५१–५२ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यक्रम मे ५०० दुकानो का निर्माण-कार्य भी सम्मिलित था। विस्थापित व्यक्तियो की सहकारी गृह निर्माण समितियों, स्थानीय निकायो और प्राइवेट एजेन्सियो ने राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से ३,२२१ मकान और १,५९८ दुकाने लगाई। वर्ष के अंत तक सरकार ने इन संस्थाओं को कुल १,४०,५३,१६९ रु० ऋण दिया जिसमे १९५१–५२ में दिया गया २४,३६,१६७ रुपये भी शामिल है। इस वर्ष मेरठ और लखनऊ में निजी संस्थाओं के जरिये सरकार की कुल वित्तीय सहायता द्वारा मकानो के बनवाने की योजनाओं को अतिम रूप दिया गया।

उपनगर

गोविन्दपुरी, नैनी और हस्तिनापुर के इन तीन उपनगरो का निर्माण–कार्य जारी रहा और देहरादून मे रेस कोर्स कालोनी का विकास कार्य प्रारम्भ किया गया और भू-खडो का परिच्छेद किया गया।

(१) गोविन्दपुरी

मेरठ जिले मे मोदीनगर के समीप गोविन्दपुरी के निर्माण का काम, जो विस्थापित व्यक्तियो के ५०० परिवारो को बसाने और उन्हे कारोबार तथा उद्योग में लगाने के लिये आरम्भ किया गया था, काफी तेजी से चलता रहा। आलोच्य वर्ष के अंत तक ९२२ मकान, ४ बंगले, ३६ दुकानें और १४ औद्योगिक कारखाने बनाये गये। २७ मे से लगभग १९ पार्टियों के लिये, जिन्हे विभिन्न प्रकार के उद्योगो की स्थापना के लिय भू-खंड दिये गय थ, कारखाने की इमारतो का निर्माण-कार्य भी पूरा किया गया और वर्ष समाप्त होन पर बाकी पार्टियो का काम हो रहा था।

(२) नैनी

इलाहाबाद के निकट नैनी मे २५० एकड़ भूमि को ६ लाख रुपये की लागत से एक औद्योगिक उप नगर बनाने के विकास सबंधी कार्य की प्रगति सतोषजनक रही। इस उपनगर के पूरे होने पर यह आशा की जाती है कि विस्थापित व्यक्तियो के २०० परिवारो के आवास गृहो के अतिरिक्त ११७ कारखानो और वर्कशापो की व्यवस्था हो सकेगी। कारखानों और वर्कशापों के लिये सुरक्षित कुछ प्लाटों मे १७ व्यक्तियों ने निर्माण-कार्य प्रारंभ कर दिया। उस उपनगर मे उद्योगो के लिये बिजली और कच्चे माल की सप्लाई के लिये तथा शेष आवासगृह बनाने के योग्य प्लाटों (लगभग ९०) को भी पट्टे पर देने के लिए व्यवस्था की गई।

(३) हस्तिनापुर

हस्तिनापुर उपनगर का काम जारी रहा जिसमे बाहर के १,००० परिवार और १,००० राज्य के परिवार यानी लगभग २,००० परिवारों के बसाने की व्यवस्था की गई है और इस नगर में गंगा खादर के क्षेत्र मे रहने वाले किसानो के दैनिक जीवन और कृषि के लिये आवश्यक चीजों के वितरण और निर्माण तथा कृषि उपज की सफाई और इकट्ठा करने के काम मुख्य रूप से किये जायगे। वर्ष में इस उपनगर में एक बिजलीघर बनाया गया।

निष्कांत सम्पत्ति (क) बजट

भारत सरकार न इस राज्य मे कस्टोडियन के संगठन पर होने वाले व्ययों के निमित्त ४·२६ लाख रुपये का अशदान दिया जिसके लिये १९५१-५२ ई० के बजट मे ८,९०,८०० रु० की व्यवस्था कर दी गई थी। शेष व्यय की पूर्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति की आय के दस प्रतिशत से की गई।

(ख) निष्क्रान्त सम्पत्ति की खोज

भारत सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति की खोज के लिये भी एक विशेष अमले की स्वीकृति दी। इन कर्मचारियो न लगभग १२,००० सम्पत्तियो का पता लगाया।

(ग) सम्पत्ति वापस दिलाने के प्रमाण-पत्र

वर्ष के दौरान में यू० पी० सरकार ने उन मुसलमानो को सम्पत्ति वापस दिलाने के ४८२ प्रमाणपत्र जारी किये जो फरवरी, १९५० से मई, १९५० ई० तक इस राज्य से पश्चिमी पाकिस्तान को चले गये थे और बाद मे सरकार द्वारा चलाये गय बैंचो मे फिर लौट आये। भारत-पाकिस्तान समझौता के अनुसार भारत सरकार ने इस मामले में किये गये निर्णय के अधीन उन मुसलमानो के नाम प्रमाण-पत्र जारी किये जो समझौता के अनुसार 'निष्क्रान्त सम्पत्ति' को फिर से लेने के अधिकारी थे। अधिकांश लौटने वाले व्यक्तियो को, जो यहाँ से जा चुके थे, कठिनाइयो को देखते हुए फिर से वापस की जाने वाली सम्पत्ति के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र पर लगाई गई १० रुपये की कोर्ट फीस वसूल नही हुई। कुछ ऐसी वैधानिक कार्यवाहियो को, जिनसे निष्कांत सम्पत्ति के शीघ्र लौटाने मे बाधा पड़ती थी, हटा दिया गया।

(घ) निष्क्रान्त सम्पत्ति का विभाजन

आलोच्य वर्ष मे भारत सरकार ने अपना ध्यान निष्क्रान्त सम्पत्ति के विभाजन की समस्या की ओर भी दिया। सम्मिलित और बधक सम्पत्ति में निष्क्रान्त और गैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति दोनों ही सम्मिलित पाई गई। सम्मिलित सम्पत्तियों में निष्क्रान्त और गैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति अलग अलग करना ही उचित समझा गया ताकि विस्थापित व्यक्तियों को अर्द्ध स्थायी रूप से बाँटने योग्य सम्पत्ति का ठीक ठीक पता लग सके और यह भी महसूस किया गया कि बधक गृहीताओं के बंधक सम्पत्ति बेचने के अधिकारों को अनिश्चित समय तक रोकना संभव नहीं था, इसलिये केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर मे इवेक्वी इन्टरेस्ट सेपरेशन ऐक्ट, १९५१ ई० पारित किया। इस ऐक्ट के अधीन एक ऐसे अफसर की नियुक्ति की गई जिसने उत्तर प्रदेश मे निष्क्रान्त सम्पत्ति के विभाजन का काम शुरू किया।

(ङ) निष्क्रान्त सम्पत्ति और विस्थापित व्यक्ति

भारत मे जो निष्क्रान्त सम्पत्ति शेष रह गई थी उसमें से विस्थापित व्यक्तियो को प्रतिकर देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस राज्य के नागर क्षेत्रो और ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रान्त सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिये एक योजना बनाई। वर्ष में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों मे इस योजना के अधीन काम किया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कई स्थानों पर इमारतों आदि का मूल्याकन किया गया।

विस्थापित व्यक्तियों को भरण-पोषण भत्ता की भुगतान करने के प्रयोजन से ८ लाख रुपये की धनराशि निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन के व्यक्तिगत खाते से भारत के निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन जनरल के व्यक्तिगत खाते को संक्रमित कर दी गई।

डिस्पलेस्ड पर्सन्स (डेट ऐजडस्टमेंट) ऐक्ट, १९५१ ई०

डिस्पलेस्ड पर्सन्स (डेट्स ऐडजस्टमेंट) ऐक्ट, १९५१ ई० ७ नवम्बर को प्रेसीडेन्ट द्वारा स्वीकृत किया गया और केन्द्रीय सरकार ने १० दिसम्बर, १९५१ ई० से उस ऐक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। इस ऐक्ट का यह उद्देश्य

था कि विस्थापित व्यक्ति के पहली बार जाने के समय पर समस्त आर्थिक उत्तरदायित्वो के भुगतान को उसकी (क) 'भुगतान करने की क्षमता' और (ख) प्रतिकर जो उसकी पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई अचल सम्पति के सम्बन्ध में दिया जाय, से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना था।

इस ऐक्ट के लागू होने के एक वर्ष की अवधि में इस ऐक्ट द्वारा विस्थापित ऋणियों (debtors) को अपने दाताओं (Creditoro) से ऋणों को कम कराने के लिये आवेदन-पत्र देने का अधिकार मिला। इस प्रयोजन के लिये पहले से जाने वालो के समस्त दायित्वो को संग्रहीत किया गया, किन्तु यह विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध था कि इस कानून के अधीन जो व्यक्ति सहायता प्राप्त करने के लिये प्रार्थी होंगे, उन पर दिवालियेपन का दोष नही लागू होगा। विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं मे कुछ सहायताएं इस प्रकार है, यथा १५ अगस्त, १९४७ ई० के पश्चात् ब्याज का कम करना, गिरफ्तारी या सम्पत्ति की कुर्की से मुक्त कर देना, पहिले से जाने वालो के उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में भरण-पोषण सम्बन्धी भत्ते में कमी करना, सम्मिलित ऋणों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्वों का विभाजन पहिले ही से निर्णय की गई डिग्रियो को दुहराना, ताकि नये विधान आदि के अनुसार उनका भुगतान हो सके।

इस ऐक्ट की धारा ४ के द्वारा प्रदत्त अधिकारो को काम मे लाकर सरकार ने सभी सिविल जजों और जहाँ सिविल जज नहीं थे वहाँ डिस्ट्रिक्ट जजो की इसलिये नियुक्ति की कि वे ट्रिब्युनल के रूप में अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रो में इस ऐक्ट के अधीन प्रदत्त अधिकारो को काम में ला सके। इस ऐक्ट ने ऋणो को निश्चित करने और कई अपीलों तथा रिवीजनो में होने वाली देर को दूर करने के सम्बन्ध में कार्यविधि को अधिक सरल बनाने की व्यवस्था की।

इस ऐक्ट ने डिस्पलेस्ड पर्सन्स इन्स्टीट्यूशन आफ सूट्स ऐक्ट, १९४८ ई० और डिस्पलेस्ड पर्सन्स लीगल प्रोसीडिंग्स ऐक्ट, १९४९ ई० को निर्वासित किया।

निष्क्रमणार्थियों के दावे

वर्ष में भारत सरकार के केन्द्रीय दावा सगठन (Central Claims Organisation) से तसदीक के लिये राजकीय दावा संगठन (State Claims Organisation) द्वारा भेजे गये ८७४ दावे आये जो प्रावीडेन्ट फन्ड तनख्वाह के बकाये, छुट्टियों के वेतन, जमानत की धनराशियो और सरकारी कर्मचारियो, पहले की रियासतो के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के उन कर्मचारियों की पेन्शनो के बारे में थे, जो पाकिस्तान चले गये थे। राजकीय दावा संगठन (State Claims Organisation) ने उतनी ही अवधि में २,४३६ दावो की तसदीक की और उन्हें भारत सरकार को लौटा दिया।

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

उन विस्थापित व्यक्तियों के मामले, जिन्होने पाकिस्तान मे छूटी हुई अपनी चल सम्पत्ति को फिर से वापस पाने के लिये आवेदनपत्र दिये थे, पाकिस्तान स्थित भारत के हाई कमिश्नर या पाकिस्तान के उन प्रांतो के चीफ सेक्रेटरियो के हाथ में दिये गये जिनसे वे चल कर इस राज्य में आये थे। चूंकि जून, १९५० ई० का चल सम्पत्ति का समझौता पाकिस्तान में कार्यान्वित नही हुआ, अतएव इन मामलो को तय करने में अधिक सफलता प्राप्त न हुई। फलस्वरूप इनमें से अधिकांश मामलों की रिपोर्ट भारत सरकार को की गई, ताकि वह कोई उचित कार्यवाही करे।

निष्क्रमणार्थियो के सेवा अभिलेख (सर्विस रेकार्ड्स)

पाकिस्तान की प्रान्तीय सरकारों के पास से निष्क्रमणार्थी सरकारी नौकरों के सेवा अभिलेखों इत्यादि के हस्तान्तरण करने की प्रार्थनाए आई और उन्हें सम्बन्धी प्रशासकीय विभाग के पास इस अनुदेश के साथ भेज दी गई कि वे सीधे स्वयं इनको सबन्धित सरकारों के पास भेज दें। वर्ष में कई मामलों के सम्बन्ध में सेवा अभिलेख सप्लाई किये गये।

अध्याय ५—सरकारी राजस्व तथा वित्त

४४—केन्द्रीय राजस्व

उत्तर प्रदेश में आय कर देने वालों की कुल संख्या १,०१,४६२ थी। १९५१-५२ ई० में इस सम्बन्ध में शुद्ध वसूलियाँ ९,१७,१९,०९४ रु० हुई। विभिन्न वसूलियों के ब्योरे ये हैं :—

			रु०
आय-कर	...	...	४,४८,१३,५९२
धारा १८-क के अन्तर्गत वसूलियाँ	..	...	२,१५,९८,८०६
निगम-कर	...	...	१,०३,८६,६१३
उच्च आय-कर	...	...	९५,९६,६४२
सरचार्ज	...	..	३१,९९,२५३
अधिक लाभ-कर	...	...	५,९७,००१
व्यापार लाभ-कर	..	...	५,४६,४२३
पूंजी लाभ-कर	...	...	१,१६,७३९
विविध	...	...	८,६१,०२५
योग	...	...	९,१७,१९,०९४

४५—राज्य का राजस्व

१९५०-५१ ई० का बजट तथा उसके वास्तविक आंकड़े

१९५०-५१ ई० के मूल बजट में ५, २२६ लाख रु० राजस्व प्राप्ति और ५,२२१ लाख रु० राजस्व व्यय का तखमीना लगाया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि ५ लाख रु० की छोटी बचत हुई। वष की वास्तविक कार्यवाहियो से भी इस बात का पता चलता है कि ५ लाख रु० राजस्व की बचत हुई, यद्यपि प्राप्तियां और व्यय दोनों घटकर क्रमशः ५,१८९ लाख रु० और ५,१८४ लाख रु० हो गये।

राजस्व प्राप्तियां

५,१८९ लाख रु० की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ५,२२६ लाख रु० मूल तखमीने की तुलना मे ३७ लाख रु० कम हो गयी। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि 'अन्य कर तथा महसूल' के अन्तर्गत ९८ लाख रु० की कमी हो गयी, जो मुख्यतया गन्ना कर तथा आय कर में कमी के कारण हुई थी। ३८ लाख रु० की अन्य महत्वपूर्ण कमी "कृषि" के अन्तर्गत हुई। "पशु चिकित्सा" के अन्तर्गत ३६ लाख रु० की कमी हो गयी, क्योंकि पहिले जितनी आशा की गयी थी उसकी अपेक्षा कम क्षेत्र में खती की गई

और उन कुछ फार्मों मे, जहां सिचाई की सुविधाये नही है, मौसम प्रतिकूल होने के कारण फसले अच्छी नही हुई। "विविध विभाग" के अन्तर्गत १९ लाख रु० की जो कमी हुई थी उसका मुख्य कारण यह था कि सरकारी बस सेवाओ से अपेक्षाकृत कम आय हुई। असामान्य प्राप्तियों मे ३६ लाख रु० की कमी का प्रधान कारण यह था कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओ के लिये केन्द्रीय सरकार की जिस राज्य सहायता को मूल बजट में सम्मिलित किया गया था, वह प्राप्त नही हुई। दूसरी ओर कृषि आयकर से अधिक प्राप्तियो तथा भारत सरकार से प्राप्त उच्चतर आयकर भाग के फलस्वरूप "आयकर" के अतर्गत २० लाख रु० की वृद्धि हुई। "भू-राजस्व" के अधीन भी ४१ लाख रु० की वृद्धि हुई, जो प्रधानतया विलीनीकृत रियासतो मे स्थित सरकारी आस्थानो से अतिरिक्त आय के कारण और अशत: मालगुजारी की अच्छी वसूली के कारण हुई। अफीम और देशी स्प्रिट की ऊची नीलामी बोलियो तथा देशी स्प्रिट पर बढे हुये महसूल एवं मदिरा स्प्रिट और देशी शराब से अधिक प्राप्तियो के कारण राज्य आबकारी में ७० लाख रु० की वृद्धि हुई। गैर-अदालती स्टाम्प की बिक्री से प्राप्तियां और न्याय शुल्क स्टाम्प की बिक्री के कारण 'स्टाम्प' के अन्तर्गत १२ लाख रु० की वृद्धि हुई। वन प्राप्तियों मे २६ लाख रु० की वृद्धि हुई, क्योंकि इमारती लकडी तथा अन्य वन उपज की अधिक मांग होने के फलस्वरूप उनसे प्राप्तियों की धनराशि बढ गई। प्रारम्भिक पाठशालाओ मे अधिक भर्तियों से अधिक प्राप्तियो और परीक्षार्थियो की संख्या मे वृद्धि के कारण 'शिक्षा' के अन्तर्गत १५ लाख रु० की वृद्धि हुई। "नागरिक निर्माण कार्यो" के अंतर्गत भी १७ लाख रु० की वृद्धि हुई।

राजस्व व्यय

१९५०-५१ ई० मे ५,२२१ लाख रु० के मूल तखमीने की तुलना मे वास्तविक व्यय ३७ लाख रु० कम हुआ। २७ लाख रु० की सबसे बडी कमी 'शिक्षा' के अन्तर्गत हुई, क्योंकि नयी पाठशालाओ मे पूरे कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति नही की गयी। समस्त सरकारी प्रारम्भिक पाठशालाओ को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया और प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवन निर्माण के संबंध मे धनराशि का पूरा पूरा उपयोग नही किया गया। "सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों" पर २३ लाख रु० की कमी हुई, जिसका प्रधान कारण यह था कि खाद्य उत्पादन योजनाओ के लिये केन्द्रीय सरकार की राज्य सहायता बजट मे समायोजित नही की गई। सिंचाई संबंधी ब्याज के अन्तर्गत भी २३ लाख रु० की बचत हुई। 'विविध' शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ो मे २० लाख रु० की कमी हुई, क्योंकि विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास पर कम व्यय हुआ और अन्तक्षेत्रो के लिय व्यवस्था की गई धनराशि तथा शक्कर अनुसंधान और श्रम गृह कोष के हेतु संक्रमित की गई धनराशि एवं भूतपूर्व सैनिको की प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार को अशदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि का पूरा पूरा उपयोग नही किया गया। "कृषि" के अन्तर्गत १८ लाख रु० की बचत प्रधानतया इस कारण हुई कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन यूनिटें देर से आई और पक्के कुये गलाने तथा अन्य अर्थ व्यवस्थाओ पर कम व्यय हुआ। "सावजनिक स्वास्थ्य" के अन्तर्गत व्यय मे १६ लाख रु० की कमी हुई, जिसका प्रधान कारण यह था कि बहुत से जच्चा-बच्चा तथा शिशु हितकारी केन्द्र काम नहीं कर रहे थे। राज्य कर्मचारी बीमा योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ और कोई भीषण महामारी का प्रकोप नही हुआ। दूसरी ओर "सामान्य

प्रशासन" के अन्तर्गत व्यय मे २३ लाख रु० की वृद्धि हुई। इसका प्रधान कारण यह था कि बढी हुई दरों पर महँगाई भत्ते के लिये पर्याप्त व्यवस्था नही थी। जमीदारी विनाश कोष की वसूलियों के लिये अधिक कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति की गयी और पंचायत सेक्रेटरियो के वेतन के भुगतान के लिय गांव सभाओ को सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी। विविध विभाग के अन्तर्गत व्यय में ३६ लाख रु० की वृद्धि हुई, क्योकि पेट्रोल, फुटकर पुर्जो तथा अन्य सहायक पुर्जो का मूल्य और परिवहन विभाग के रीजनल हेडक्वार्टरो के फुटकर पुर्जों के स्टाक को बढ़ाने के संबंध मे किया गया व्यय बढ़ गया।

पूंजी-व्यय

पूंजी-व्यय ९४५ लाख रु० हुआ, जबकि मूल तखमीने मे १,१४८ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी। बजट के मूल तखमीनो में सप्लाई योजनाओ के लिये १०७ लाख रु० के शुद्ध व्यय की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु वास्तव मे इन योजनाओं को कार्यान्वित करने पर ३५० लाख रु० की शुद्ध आय हुई और इसी कारण व्यय मे ४६६ लाख रु० की कमी हुई। विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास पर पूंजी व्यय १९३ लाख रु० कम हो गया, जिसका प्रधान कारण यह था कि इन योजनाओ को वित्त पोषित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने छोटे छोटे ऋण दिये थे और भवन निर्माण संबंधी प्रयोजनों के लिये स्टाक की अधिक से अधिक साम्रग्रियां जारी की थी। "औद्योगिक विकास" के अन्तर्गत ३८ लाख रु० की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण यह था कि बिहार में उर्वरक के कारखाने की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने ९० लाख रु० के अशदान की जो व्यवस्था की थी उसका उपयोग नही किया गया। 'जल-विद्युत निर्माण कार्यों' पर व्यय मे ५८ लाख रु० की कमी हुई। इन कमियो की तुलना में ४०० लाख रु० की वृद्धि इस कारण हुई कि यह धनराशि प्रासंगिक कोष को संक्रमित कर दी गयी, जिसके लिये मूल बजट मे कोई व्यवस्था नहीं थी। "सिंचाई संबधी निर्माण कार्य" के अन्तर्गत व्यय में ५४ लाख रु० की और "कृषि सुधार तथा अनुसंधान" के अन्तर्गत व्यय मे ४९ लाख रु० की भी वृद्धियां हुई। "सिचाई संबधी निर्माण कार्य" के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि केवल इस बात से हुई कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के निष्पादन मे शीघ्रता की गयी और "कृषि सुधार तथा अनुसधान" के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि का कारण यह था कि बीज और उर्वरक अधिक मात्रा मे खरीद गये और वेधन क्रियाओं के संबंध मे वसूलियां कम हुई।

१९५१-५२ ई० का बजट

१९५१-५२ ई० के बजट मे ६,१२६ लाख रु० के राजस्व और ६,१५१ लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि २५ लाख रु० का घाटा हुआ। १९५०-५१ ई० के तखमीनों की तुलना में १९५१-५२ ई० की अनुमानित राजस्व प्राप्तियो म ९२० लाख रु० की और अनुमानित राजस्व व्यय मे ९२९ लाख रु० की वृद्धि हुई।

संभावित जमींदारी विनाश के कारण "भू-राजस्व" के अन्तर्गत ६७९ लाख रु० की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह सभावना थी कि "पंचायत निर्वाचनो" से प्राप्तियो में ७० लाख रु० की वृद्धि होगी। इस बात की आशा की जाती थी कि १९५०-५१ ई० तथा १९५१-५२ ई० मे भूमि-व्यवस्था कमिश्नर की स्थापना का व्यय, जिसमे ५० लाख रु० की वृद्धि हुई थी, जमींदारी विनाश कोष से संक्रमित धनराशि द्वारा पूरा हो जायगा। इस बात का अनुमान लगाया गया था कि केन्द्रीय सड़क कोष से आय की धनराशि में ७७ लाख रु० की वृद्धि होगी। वन प्राप्तियों के तखमीने मे भी ३२ लाख रु० की वृद्धि हुई। दूसरी ओर इस बात की आशा की जाती थी

कि आय कर सबधी विभाज्य धनराशि मे राज्य भाग के फलस्वरूप जो प्राप्तियां होगी उनमे ५२ लाख रु० की कमी हो जायगी। ऐसा अनुमान था कि नहरों के निर्माण कार्य के व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि संबंधी प्राप्तियों मे २० लाख रु० की शुद्ध कमी होगी। यह भी तखमीना लगाया गया था कि खाद्य उत्पादन योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता मे ३७ लाख रु० की कमी हो जायगी। व्यय पक्ष मे सर्वविशिष्ट वृद्धि जमींदारी विनाश कोष में ४४३ लाख रु० संक्रमित करने के कारण हुई, क्योकि जमींदारी विनाश के फलस्वरूप अतिरिक्त आय होने की आशा थी। ६८ लाख रु० की अन्य वृद्धि उस व्यवस्था के कारण हुई, जो स्थानीय दरो के पुनर्भुगतान के सबध में डिस्ट्रिक्ट बोर्डो को अंशदान देने के लिये की गयी थी। स्थानीय निकायो के कमचारियो को देय महगाई भत्ते के संबध में स्थानीय निकायो को जो अंशदान देना सरकार के जिम्मे था, उसके लिये २३ लाख रु० की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हुई।

निर्वाचन व्यय के सबध मे राज्य सरकार को जो खर्च करना पडा उसमें भी ४४ लाख रु० की वृद्धि हुई। जमीदारो को देय प्रतिकर निर्धारण के सबंध मे प्रबंध करने और भूमिधरो से सीधे राजस्व वसूल करने के कारण व्यय मे १५० लाख रु० की वृद्धि हुई।

इस वर्ष की कृषि विकास सम्बन्धी कामो तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडको की मरम्मत पर व्यय कम हुआ।

१९५१-५२ लिये त

१९५१-५२ के संशोधित तखमीनों मे प्राप्तियां घटकर ५,६६५ लाख रु० तक और व्यय ५,७०६ लाख रु० तक पहुच गया, जिससे ४१ लाख रु० की कमी प्रकट हुई, जिसकी पूर्ति राजस्व सुरक्षित कोष (Re enue Reserve Fund) से एक समान धनराशि संक्रमित करके की गई। प्राप्तियो मे संभावित कमी मुख्यतया भूमि के लगान की वसूलियो की मद के कारण हुई, जो वास्तविक तखमीनो के प्रत्याशित १,४०७ लाख रु० के विपरीत घटकर ७३५ लाख रु० हो गई, क्योकि आशा के प्रतिकूल प्रस्तुत वर्ष मे जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्ध निहित न हो सके। फार्म की उपज से प्राप्तियो मे कमी अंशत: वर्षा के न होने और अंशत सिंचाई की सुविधाओ के अपर्याप्त होने के कारण हुई। ग्राम सभाओ तथा पचायतों के सामान्य निर्वाचन के स्थगित हो जाने के कारण प्राप्तियो मे बहुत कमी हुई। मनोनयन-पत्रो इत्यादि के विक्रय से होने वाली आय वास्तविक तखमीने मे प्रत्याशित ७२ लाख रु० के स्थान पर घटकर एक लाख रु० हो गई। न्यून प्राप्तियो का सतुलन विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत होने वाली वृद्धियों से किया गया। भारत सरकार आय-कर मे से राज्य को जो भाग देती है, उसमें १४१ लाख रु० की वृद्धि हुई, जबकि आबकारी की प्राप्तियो में राज्य सरकार द्वारा देशी स्पिरिट, शराब इत्यादि पर अधिक कर लगाये जाने के कारण ३१ लाख रु० की वृद्धि हुई। "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध मे अधिक नहरो के निर्माण हो जाने के कारण उत्पादक नहरो तथा ट्यूबवेलो से ५८ लाख रु० की वृद्धि हुई। व्यय मे सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १३७ लाख रु० की तखमीनी बचत हुई। यह बचत मुख्यतया इस कारण हुई कि जमींदारी विनाश अधिनियम के अधीन निहित आज्ञा के अनुसार प्रतिकर सूची तैयार करने तथा काश्तकारो से सीधे लगान वसूल करने के लिये जो अमला रखा जाने वाला था, वह नही रखा गया। जमीदारी विनाश कोष मे सक्रमित करने के अभिप्राय से ४४३ लाख रु० की व्यवस्था और

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को स्थानीय दरो का भुगतान करने के अभिप्राय से ६८ लाख रु० की एक अन्य व्यवस्था का उपयोग नही किया जा सका, क्योंकि प्रस्तुत वर्ष मे जमीदारी विनाश अधिनियम, जिसके वर्ष में लागू होने की आशा थी, लागू न हो सका। पुलिस व्यय मे १९ लाख रु० की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण तीन प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के बटालियनो का व्यय था, जिनको तीन मास के लिय विशेष कार्य के लिय भारत सरकार न मागा था और उसने उनका उस अवधि का व्यय भी बर्दाश्त किया। इन कमियो के विपरीत 'असाधारण व्यय' के अधीन व्यय मे वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि राजस्व से अन्न क्रय योजनाओं के अधीन हुई हानियो के एक भाग को पूरा करने के लिये १०० लाख रु० संक्रमित किया गया। भारत सरकार से लिये गये ऋणो की बढ़ती हुई सख्या का अपाकरण (liquidation) करने के प्रयोजन से संशोधित तखमीन मे अधिक धनराशि की व्यवस्था भी की गई थी।

पूंजी-व्यय

पूंजी-व्यय में कमी हुई। मूल तखमीने के १,६७९ लाख रुपये से घट कर सशोधित तखमीने में यह १,५३८ लाख रु० हो गया। इस कमी का मुख्य कारण यह था कि राज्य सरकार ने अमोनियम सल्फट फक्टरी, सिन्धरी के पूंजी व्यय के लिये मूल तखमीने में जो ९० लाख रुपया की व्यवस्था की थी, उसका उपयोग नही किया गया तथा सीमेन्ट फैक्टरी प्रोजक्ट के सम्बन्ध में इमारत, सडक इत्यादि के बनाने के व्यय में बचत हुई। पत्थर की खानो के यत्रीकरण का स्थगित हो जाना भी संशोधित तखमीने मे थोडी बचत का कारण है। कुछ सडको और इमारतो के निर्माण मे जितनी धनराशि का अनुमान था, उससे ३२ लाख रु० कम व्यय होने की आशा थी। पूजी व्यय का यह तखमीना, जो विस्थापित व्यक्तियो के मकानो तथा दूकानों के निर्माण के लिये था, उसमें १९ लाख रु० की कमी हुई। शारदा जलविद्युत् तथा पथरी प्रोजेक्ट के व्यय में ३६ लाख रु० की बचत और सिचाई की विभिन्न नई योजनाओ के सम्बन्ध मे १० लाख रु० की बचत इस कारण होने की सम्भावना थी कि निर्माण कार्य में प्रगति कम थी और बाहर से मंगाये गये स्थिर यन्त्रो तथा मशीनो के प्राप्त होने मे जितनी आशा थी, उससे अधिक विलम्ब हुआ। दूसरी ओर 'अन्न सप्लाई योजना' के व्यय के तखमीने मे १२५ लाख रु० की वृद्धि हुई। जिसका मुख्य कारण यह था कि रबी की फसल नष्ट हो जाने तथा बड क्षत्र मे सूखा पड जाने के कारण अधिक परिमाण मे अन्न खरीदा गया।

सार्वजनिक ऋण

बजट के तखमीने मे ४०० लाख रु० के अंकित मूल्य के एक स्थायी ऋण लिए जाने की व्यवस्था की गई थी, किन्तु केवल २०३ लाख रु० का ऋण लिया जा सका। प्रारम्भ मे ऋण सम्बन्धी ५०० लाख रु० के ट्रेजरी बिलो को जारी करने का विचार था, किन्तु उनकी आवश्यकता नही समझी गई और इस लिये ट्रेजरी बिल नही जारी किये गये।

सरकारी व्यापार योजना

'अन्न सप्लाई योजना' व्यापार से संबधित सभी योजनाओ मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही, आलोच्य वर्ष मे अधिक जनसंख्या वाले नगरो मे पूर्ण राशनिग बनी रही। किन्तु व्यापक सूखे के कारण चावल की फसल खराब हो गई, जिससे अन्न की उगाही मे पर्याप्त कमी हुई और साथ ही सूखा वाले क्षत्रों में अल्प-हार योजना के लागू किए जाने के कारण अधिक अन्न की आवश्यकता हुई। स्वभावतः कुछ राज्य के अन्दर खरीद करके और कुछ आयात द्वारा पर्याप्त मात्रा मे अन्न का स्टाक रखना पड़ा। पिछले वष की अपेक्षा इस वर्ष आयात किये गय गेहूं की दर अधिक ऊंची रही।

जबकि भारत सरकार ने कानपुर और लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों की खपत के लिए ९५,००० टन गेहूं १३ रु० १४ आ० प्रति मन की दर से सप्लाई किया, उसने शेष राज्यो की खपत के लिए बाकी गेहूं अधिक ऊंची दर पर अर्थात् १८ रु० ६ आ० प्रतिमन के हिसाब से दिया। बोरों का मूल्य भी अधिक चढ़ गया।

इस वर्ष सम्पूर्ण व्यय ४,१३९.५३ लाख रु० हुआ। राज्य से देश के अन्य कमी वाले क्षेत्रो को माल भजा गया। खाद्यान्नों, बोरो इत्यादि की बिक्री से होने वाली प्राप्तियो का तखमीना ३,६१५ ७९ लाख रु० था। अतः इस वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत होने वाली शुद्ध कमी का तखमीना ५२३.७४ लाख रु० लगाया गया था, क्योकि शुद्ध दायित्व में से १ करोड रु० राजस्व के नामे लिखे जाने के कारण तखमीना ४२३.७ लाख रु० कम हो गया था।

विनियोग लेख

उत्तर प्रदेश सरकार के १९४८-४९ ई० के विनियोग लेखे तथा १९५० ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करन के लिये भारत के कम्प्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल से १५ मार्च, १९५१ ई० को प्राप्त हुई। इस प्रकाशन मे लेखा परीक्षा अनुसधान के फलस्वरूप आवश्यक समझी जाने वाली टीका-टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण के साथ १९४८-४९ ई० के कुल व्यय के परीक्षित लेखे, चाहे वे प्रत्येक अनुदान के भिन्न विनियोग लेखे के रूप मे मतदेय या प्रभृत रहे हों, सम्मिलित थे। इस खंड में लेखा परीक्षा प्राधिकारियो की वे टीकाये व टिप्पणिया भी सम्मिलित थीं जो उन्होंने व्यापार उत्पादन और हानि तथा लाभ सम्बन्धी सभी लेखो और सरकारी वाणिज्य एवं अर्द्ध-वाणिज्य सम्बन्धी व्यवसायो के हेतु रक्खी जाने वाली रोकड़ बहियो पर दी थी।

वित्त लेखे

सरकार के १९४८-४९ ई० के वित्त लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कम्पट्रोलर तथा आडिटर जनरल से १९ मार्च, १९५१ ई० को प्राप्त हुई। इस संकलन में सरकार की १९४८-४९ ई० की प्राप्तियां (Receipts) और व्यय के लेखो के साथ-साथ विभिन्न लेखो और दूसरे जांच के लिये आय हुये आकडो से प्रकट होने वाले वित्तीय परिणामो पर एक रिपोर्ट भी दी गई है, अर्थात् राजस्व और पूंजी के लेखे सरकारी ऋण के लेखे और राज्य सरकार के देने और पावने का विवरण दिया गया है। यह लेखा विनियोग लेखो के पूरक के रूप में है।

राज्यपाल महोदय के आदेशो के अधीन १९४८-४९ ई० के विनियोग तथा वित्तीय लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा तथा विधान परिषद् के समक्ष क्रमशः२१ तथा २७ मार्च, १९५१ ई० को प्रस्तुत की गई।

सार्वजनिक लेखा समिति

वैभागिक अफसरों द्वारा प्रस्तुत की गई साक्षियों की दृष्टि से सरकार के विनियोग लेखों पर विचार करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यविधि के नियमो के अधीन बनाई गई १९५०-५१ ई० की सार्वजनिक लेखा समिति ने १९४८-४९ ई० के विनियोग लेखो तथा सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर मार्च, १९५१ ई० में की गई बैठको में विचार किया। समिति की सिफारिशें एक रिपोर्ट में दर्ज हैं, जिस पर २८ सितम्बर, १९५१ ई० को विचार करने के बाद विधान सभा ने उसे मान लिया।

वेतनो में संशोधन

यू० पी० वेतन समिति द्वारा अभिस्तावित (सिफारिश किये गये) उन वेतन-क्रमो के संबध में, जिन्हे बहुत से मामलो मे गतवर्ष कार्यान्वित किया जा चुका है, वर्ष समाप्त होने तक कुछ प्रपोजीशन स्टेटमेंट स्वीकृत होने को रह गये थे। अतएव संशोधित वेतन-क्रमो को चुनने के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित नही की जा सकी।

कार्यविधियों के विचाराधीन रहन की अवधि में मुअत्तली

सहायक नियम १९९ मे संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा आपराधिक दोषारोपण की कार्यवाही की जा रही हो तो उसे मुअत्तल समझा जायगा और उसे हिरासत, रोक लेने अथवा कैद मे रहन की अवधि के लिये केवल निर्वाह भत्ता दिया जायगा। यह भी निर्धारित किया गया था कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की उस अवधि मे, जिसमे उसे वास्तव मे हिरासत मे न रखा गया हो या कैद न किया हो, मुअत्तली के लिए विशेष आदेश जारी किये जाने चाहिए, यदि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपो या की गई कार्यवाहियो का उसके सरकारी नौकर होने की हैसियत से संबंध हो या सरकारी कर्मचारी की हैसियत से उसके कर्तव्य पालन करन मे इससे कठिनाई पैदा होने की सम्भावना हो अथवा वह नैतिक पतन का द्योतक हो।

आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अफसरों को मंहगाई भत्ता

यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकार के उन अफसरो को, जो सीनियर आई० ए० एस० या आई० पी० एस० वेतन-क्रम मे है या स्थानापन्न रूप से पदो पर नियुक्त है, महगाई भत्ता दिया जायगा। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि उन्हे इस अवधि के लिये वह निजी वेतन नही दिया जायगा, जो उन्हे छोटे पदो पर रहन-सहन व्यय के रूप मे मिला करता था।

पहाड़ तथा जाड़े के दिनों का भत्ता

पहाड तथा जाडे के दिनो का भत्ता लेने के बारे मे नीचे दिये गये सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे:—

(क) वे सरकारी नौकर, जो इस भत्ते को पा रहे है वे अपने पदो पर काम करने की अवधि मे पाते रहेगे और उस समय तक जब तक कि निर्धारित वेतन सीमा के अनुसार उन्हे ये भत्ते मिलने की अनुमति हो।

(ख) नये पदो पर नियुक्त व्यक्तियो तथा पुराने पद पर नये भर्ती किये गये व्यक्तियो को उन भत्तो के अतिरिक्त, जो नीचे खड (ग) में दिये गये है, इन भत्तो मे से कोई भत्ता पाने का अधिकार न होगा।

(ग) उन सरकारी नौकरो को, जिन्हे इन भत्तो में से कोई भी एक भत्ता मिलता रहा हो, ऐसी जगह जहां अब तक यह भत्ता मिल सकता हो, समान पद पर स्थानान्तरित होने पर या ऐसी जगह उच्च पद पर उस पद से अवनति के पद पर जाने पर उस दर से भत्ता मिल सकेगा जिसके कि मिलने के अधिकारी हो, किन्तु इसके साथ वेतन सीमा का ध्यान रखा जायगा जहां तक भत्ता मिल सकता है।

४६—मुद्रांक (स्टाम्प)

सामान्य

माल बोर्ड उत्तर प्रदेश का मुद्रांक (स्टाम्प) विभाग मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क और न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) से प्राप्त होने वाले राजस्व को नियन्त्रित करता रहा।

चूंकि हाल के वर्षो मे सरकारी कार्यालयो की संख्या अधिक बढ़ गई थी और मुद्रांक (स्टाम्प) तथा रजिस्ट्रेशन का निरीक्षण कार्यालय समस्त

कार्यालयो का निरीक्षण करने मे असमर्थ था, इसलिये सरकार ने सरकारी तथा स्थानीय निकायो के कार्यालयों मे शुल्क तथा कर की जॉच करने के लिये दो विशेष मुद्रांक अधिकारियों की नियुक्ति की। उक्त अधिकारियों ने १ मार्च, १९५१ ई० से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क तथा न्यायालय फीस को सुगमांक मे करने का प्रस्ताव, जिससे रुपया के विषम भाग चार आने (अर्थात् चार आने, आठ आने, बारह आने और एक रु०) के सुगमॉक में हो जाय, सरकार के विचाराधीन था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि विभिन्न अंकित मूल्य के सामान्य तथा न्यायालय फीस मुद्रांकों की छपाई में बचत हो जाय और उनके जारी करने तथा लेख्यो पर प्रयोग करने के सम्बन्ध मे अफसरो का कार्य भी सरल हो जाय।

प्राप्तियाँ और व्यय

मुद्रांकों से प्राप्त कुल राजस्व १९५०-५१ ई० के २,३१,३१,६०० रु० से घटकर १९५१-५२ ई० मे २,२५,००,००० रु० हो गया। यह कमी मुख्यतया जमीन्दारी विनाश योजना के कारण पचायती अदालतो की स्थापना के फलस्वरूप, जहाँ इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रो पर कोई न्यायालय फीस नहीं लगती, दीवानी तथा फौजदारी अदालतो मे की जाने वाली शिकायतों तथा अन्य विविध प्रार्थना-पत्रों की संख्या में कमी और माल अदालतो मे विभिन्न प्रकार के मुकदमो के रुक जाने के कारण हुई।

कुल व्यय १९५०-५१ ई० के ४,५१,७०० रु० से कम होकर १९५१-५२ ई० में ४,४६,३०० रु० हो गया। आलोच्य वर्ष मे जालसाजी तथा गबन के कोई मामले नहीं हुए।

कमियाँ तथा उगाहियाँ

निरीक्षको द्वारा बताई गई कुल कमी २,५३,३३२ रु० की हुई।

४७—आबकारी

आबकारी राजस्व

कलेन्डर वर्ष १९५१ ई० मे सम्पूर्ण आबकारी राजस्व का तखमीना ६४३.९४ लाख रु० लगाया गया था, जब कि गत वर्ष सम्पूर्ण वास्तविक आय का तखमीना ६६३.२० लाख रु० था। आय में यह अनुमानित कमी चुने क्षेत्रो में देशी शराब पर महसूल बढ जाने के फलस्वरूप, मादक वस्तुओ के सेवन में कमी, अफीम के निर्गम मूल्य में वृद्धि, अफीम के सीमित निर्गमन तथा दूकानो पर घटिया किस्म का गाँजा सप्लाई किये जाने के कारण हुई।

खपत (क) देशी शराब (ख) अफीम (ग) भाग (घ) गाँजा

१९५० ई० के ८,४०,८४७ गैलन की तुलना मे आलोच्य वर्ष में ९,२२,९०२ गैलन देशी शराब की खपत हुई और १९५० ई० (गत वर्ष) के १८,९५१ सेर अफीम की तुलना मे आलोच्य वर्ष मे १४,९०१ सेर अफीम की खपत हुई। १९५० ई० के १,४९,५०१ सेर की तुलना मे आलोच्य वर्ष में १,५३,५७३ सेर भांग की खपत हुई और गाँजे की खपत १९५० ई० में ९,५५४ सेर की तुलना मे इस वर्ष ५,५९८ सेर हुई।

ताड़ी राजस्व

ताड़ी से प्राप्त होने वाला राजस्व २१.५ लाख रु० से बढ कर २२.२ लाख रु० हो गया। इस धनराशि मे से १५.९ लाख रु० वृक्ष कर और अनुज्ञप्ति शुल्को से प्राप्त हुआ और ६.३ लाख रु० 'अन्य प्राप्तियो' से, जबकि १९५० ई० मे इन शीर्षको के अन्तर्गत क्रमशः १५.० लाख रु० और ६.५ लाख रुपया प्राप्त हुआ था। यह वृद्धि मुख्यतया नीलाम के समय अच्छी प्रतियोगिता तथा अच्छे नियन्त्रण के कारण हुई।

नीरा

नीरा बेचने के लिये लखनऊ मे प्रयोगात्मक आधार पर एक दूकान खोली गई और यह प्रस्ताव था कि यदि यह दूकान सर्वप्रिय सिद्ध हो तो ऐसी दूकाने आगे चल कर अन्य क्षेत्रो मे भी खोली जायं।

आबकारी सम्बन्धी अपराध

आलोच्य वर्ष मे एक्साइज डेन्जरस ड्रग्स तथा ओपीयम ऐक्टों के अधीन कुल ८,३१६ मामले पकड़े गये, जबकि १९५० ई० मे ऐसे मामलों की संख्या १०,५९२ थी। १,४८४ मामले नाजायज तौर पर शराब बनाने के थे, जबकि विगत वर्ष इस प्रकार के मामलो की संख्या २,१११ थी। आलोच्य वर्ष मे शराब सम्बन्धी अन्य अपराधो की संख्या १,४२५ थी, जबकि पिछले वर्ष उनकी सख्या १,८६० थी। भांग और गांजा से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या १,५७३ और अफीम से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या ७८९ थी, जबकि १९५० ई० में ऐसे मुकदमो की संख्या क्रमशः १,९८१ और १,५४० थी। लाइसेन्सदारो द्वारा लाइसेन्स की शर्तो के तोड़ने के १,५८४ बड़े और १,४११ छोटे मामले पकड़े गये और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया।

नैपाल से चोरी से चरस ले आने और हाथू चरस, जोकि कुमायूं डिवीजन के पर्वतीय क्षेत्रो में तैयार की जाने वाली एक देशी चरस है, के व्यापक उपयोग के कारण राज्य के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी जिलों मे चरस के आबकारी सम्बन्धी अपराधो की संख्या बढ़ गई। आलोच्य वर्ष मे ५ मन से अधिक गैरकानूनी चरस उन जिलो मे पकडी गई, जहां नशाबन्दी लागू नही है। बिहार राज्य मे गांजा के महसूल मे कमी हो जाने के फलस्वरूप उस राज्य तथा नैपाल से चोरी से गाजा ले आने के कारण अधिकारियो को चिन्ता बनी रही और इसको रोकने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया गया। १९५० ई० में नियुक्त विशेष कर्मचारिवर्ग समस्त प्रमुख घटनास्थलो पर इस प्रकार के उत्पात को दूर करने के लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी और विधिवत् नियुक्त कर्मचारिवर्ग को आबकारी सम्बन्धी अपराधो पर नियन्त्रण रखने के हेतु अधिक शक्तिशाली उपाय करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त डाक तथा रेलवे पार्सलो के जरिये बिहार से चोरी से गांजा ले आने को रोकने के लिये डाक तथा रेलवे के अधिकारियो तथा बिहार के समीपवर्ती जिलो के आबकारी सम्बन्धी कमचारिवर्ग का सहयोग प्राप्त किया गया। इन उपायो के फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे उत्तर प्रदेश मे ८० मन गैरकानूनी गांजा पकड गया। ३१ मार्च, १९५० ई० तक अफीम खाने को रोकने के लिये भारत सरकार की नीति के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त विक्रेताओ को जो विनियमित आधार पर अफीम का कोटा दिया गया, उससे पोस्ता के खेतिहरो को चोरी से बेचने के लिये अफीम रोक रखने की काफी लालच पैदा हो गयी। इसके फलस्वरूप कच्ची अफीम से सम्बन्धित अपराध मे वृद्धि हुई और उन जिलो मे, जहा पोस्ता की खेती होती है, मूल स्थान से इस उत्पात को दूर करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति करनी पड़ी। वर्ष म ७ मन से अधिक गैरकानूनी अफीम पकड़ी गई। कोकीन को चोरी से ले आन के मामले कम रहे।

चालक मद्यसार (पावर अलकोहल)

चालक मद्यसार तैयार करने की एक नयी भट्ठी (सरदारनगर मे) चालू की गयी और पेय मद्यसार तैयार करने की दो भट्ठिया, जिनका चलना गत वर्ष स्थगित हो गया था, आलोच्य वर्ष मे फिर से काम करने लगी। १९५० ई० मे राज्य मे पेय मद्यसार तैयार करने वाली ५ और चालक मद्यसार तैयार करने वाली ११ भट्ठियां थी। यह तखमीना लगाया गया था कि यदि चालक

मद्यसार की भट्ठियां आदर्शपूर्ण परिस्थितियो से कार्य करती रहे तो उनकी कुल उत्पादक क्षमता १०७.१ लाख गैलन प्रति वर्ष होगी। चालक मद्यसार तैयार करने की प्रक्रिया मे उप-उत्पादन के रूप मे लगभग २० प्रतिशत हल्की स्प्रिट की गुंजाइश रख देने पर भी निकट भविष्य मे लगभग ८२ लाख गैलन चालक मद्यसार के वार्षिक उत्पादन की आशा की गई थी, यदि शीरा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होता रहा। पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिये उपलब्ध चालक मद्यसार की सप्लाई मे वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप इस बात की आशा की गई थी कि पेट्रोल मे काफी बचत हो जायगी और साथ-साथ वैदेशिक विनिमय की भी बचत हो जायगी। चालक मद्यसार के कुल उत्पादन का तखमीना (हल्की स्प्रिट को छोड कर) १९५१ ई० मे ४६.४७ लाख गैलन लगाया गया था, जबकि विगत वर्ष में ३८.९९ लाख गैलन का तखमीना लगाया गया था।

नये क्षेत्रो मे चालक मद्यसार पेट्रोल सम्मिश्रण योजना के विस्तार में पर्याप्त प्रगति हुई। ऐसी डिपो की सख्या जहां सम्मिश्रण की कार्यवाहिया की जाती थीं ४२ थी, जबकि १९५० ई० मे उनकी सख्या १६ थी। ये डिपो रामपुर जिले तथा मुरादाबाद जिले के एक भाग को छोड़ कर समस्त राज्य मे अपना माल भेजते थे। वर्ष मे इस डिपो का सबसे बढा ग्राहक दिल्ली राज्य था, जिसकी चालक मद्यसार की मांग १.८ लाख गैलन प्रतिमास थी।

आबकारी नियन्त्रण प्रयोगशाला

१९५० ई० में कानपुर मे स्थापित आबकारी नियन्त्रण प्रयोगशाला ने बहुत उपयोगी कार्य किया। चालक मद्यसार तथा पेय मद्यसार तैयार करने वाली भट्ठियो को प्राविधिक सम्मिति देने के अतिरिक्त इस प्रयोगशाला ने वैभागिक पदाधिकारियो को मद्यसार टेक्नोलोजी मे उच्च प्रशिक्षण दिया।

शीरा

भट्ठियो को नियमित रूप से सप्लाई करने के उद्देश्य से शीरे की बिक्री पर, जो मद्यसार उत्पादन के लिये एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, नियन्त्रण जारी रहा। आबकारी कमिश्नर ने, जो १९५० ई० मे इंडियन शुगर सिंडीकेट के स्वगत अपाकृत हो जाने के समय से ही शीरा के नियन्त्रक के रूप मे कार्य कर रहे थे, शीरा के वितरण और निस्तारण पर वर्ष भर नियन्त्रण रखा। सरकार को शीरे की बिक्री से होने वाली आय शुगर ऐन्ड अलकोहल इंडस्ट्री लेबर वेलफयर हाउसिंग एेन्ड रिसर्च फन्ड के खाते मे पूर्ववत् जमा कर दी गई।

४८—बिक्री-कर

वर्ष में संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट तथा नियमो मे कुछ परिवर्तन किये गये। भारत के सविधान के अनुच्छेद २८६ के उपबन्धों का समावेश करते हुए उक्त ऐक्ट मे एक नयी धारा (धारा २७) बढ़ा दी गई।

बिक्री कर से मुक्त होने की अधिकतम फ़ीस को ५०० रु० से बढाकर १,००० रु० कर देने के सम्बन्ध में जो सशोधन किया गया था, उसे १ अप्रैल, १९५१ ई० से लागू किया गया। हाथ के बुने हुए रेशम, कृत्रिम रेशम, लिनेन या फ्लैक्स या इनमे से किसी कपड़े के सम्मिश्रण के बने और कपास अथवा ऊन के कपड़े को १ जुलाई, १९५१ ई० से बिना कोई शर्त बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया और मशीन से निर्मित उसी प्रकार के कपडे के कर का उत्तरदायित्व उसी तारीख से फुटकर बिक्रेता के बिक्री स्थल

से हटाकर निर्माता या आयातकर्त्ता के बिक्री स्थल पर कर दिया गया। रेशम, कृत्रिम रेशम और कच्चे सूत पर भी ६ पाई प्रति रुपया की दर से निर्माता अथवा आयातकर्त्ता के बिक्री स्थल पर कर लगा दिया गया।

वर्ष मे लगभग ४०,५०० व्यवसायो ने कर अदा किया। उनमें से २१,५४१ (५३ प्रतिशत) व्यवसायियो ने अपना नाम रजिस्टर करवाया। फीस देने पर ७,७१८ व्यवसायियो को कर-मुक्त प्रमाण-पत्र दिये गये और ४,५९१ कमीशन एजेन्टो को लाइसेंस दिये गये।

१९५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष में बिक्री कर ऐक्ट के अधीन ४९३ लाख रु० की प्राप्तियां हुई, जबकि १९४९-५० ई० के वित्तीय बर्ष में ६१२ लाख रु० की प्राप्तियां हुई थीं। प्राप्तियो मे यह कमी सबसे अधिक कपास के कपडे (१७९ लाख रुपये से १४९ लाख रु०); चमडे के सामान (११९ लाख से १०८ लाख रु०); शक्कर (६७ लाख रु० से ३४ लाख रु०); वनस्पति तेल (२३ लाख रु० से १२ लाख रु०) और पीतल के बर्तनों (१४ लाख रु० से ११ लाख रु०) के सम्बन्ध में हुई। ये वस्तुये राज्य के निर्यात व्यापार मे प्रमुख स्थान रखती है। प्राप्तियो मे कमी का कारण यह था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २८६ के खड (१) के अधीन, जो १९५०-५१ ई० मे वर्ष भर प्रचलित रहा, अन्य राज्यो के उपभोग के निमित्त निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कर नही लगाया जा सकता था।

यह अनुमान लगाया गया था कि १९५१-५२ ई० मे लगभग ४६० लाख रु० (१९५०-५१ ई० की प्राप्तियो की अपेक्षा लगभग ३३ लाख रुपया कम) की प्राप्तियां होंगी। प्राप्तियों मे कमी की संभावना प्रधानतया इस कारण की गई कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २८६ का जो खंड (२) १ अप्रैल, १९५१ ई० से लागू किया गया था, उसके अधीन ऐसी दशा मे किसी भी सामान के क्रय या विक्रय पर किसी भी राज्य को कर लगाना निषेध था, जबकि क्रय या विक्रय अन्तर-राज्य व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध में होता हो।

चन्दौसी के बिक्री कर के सब सर्किल आफिस को प्रशासन में कठिनाइयां होने के कारण १ अप्रैल से तोड़ दिया गया।

अध्याय ६—जन-स्वास्थ्य, पशुपालन तथा मत्स्य-पालन

४९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

महामारी

वर्ष के दौरान मे देहरादून, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, बॉदा, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी के जिलो से प्लेग की रिपोर्ट मिलीं। इस रोग का सबसे अधिक प्रकोप मार्च के महीने में हुआ। जून के महीने में यह रोग कम हुआ और थम गया, परन्तु सितम्बर के महीने मे यह फिर प्रारम्भ हो गया और वर्ष के अन्त तक जारी रहा।

१२,०८,१६१ से अधिक प्लेग के टीके लगवाये गये। इलाहाबाद, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, कानपुर, मिर्जापुर और सीतापुर के जिलों मे प्लेग के

११ अस्थायी अस्पताल खोले गये जिनमे मरीजो के लिये १३४ पलंगों की व्यवस्था की गई।

कई जिलों के उन क्षेत्रों में जहाँ महामारी थी, वर्ष भर चूहों को नष्ट करने के लिये उन्हे जाल में फसा कर या चारे के द्वारा या साइनो गैस के द्वारा नष्ट करके उनके विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया। डी० डी० टी० का चूहो के बिलों मे तथा घरों मे छिडकाव करके पिस्सुओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया।

बहुत से जिलों से चेचक की बीमारी की रिपोर्टें मिलीं जोकि वर्षभर बनी रही। सर्वदा की भांति अप्रैल मास मे सबसे अधिक व्यक्ति चेचक से ग्रस्त हुए। मुस्तैदी के साथ टीके लगाये गये। एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट के अनुसार अनिवार्य रूप से टीका लगाने के आदेश को भी उन सभी स्थानों मे कार्यान्वित करना पडा जहाँ उसकी आवश्यकता थी।

हैजा की बीमारी की रिपोर्टे सबसे पहले मार्च के महीने में बहराइच और जौनपुर के जिलो से मिली। यह बीमारी साधारण रूप से नवम्बर के अन्त तक रही और उसके बाद पूर्णरूप से समाप्त हो गयी। ९,८१,३८७ से ऊपर हैजे के टीके लगाये गये।

राज्य मे होने वाले वार्षिक मेले और त्योहार बिना किसी महामारी के प्रकोप से समाप्त हो गये।

गोंडा जिले के देवी पाटन के मेले में, बहराइच के सैयद सालार मेले और अयोध्या के रामनवमी तथा सावन मे झूला के मेलो के सम्बन्ध में प्रवेश के लिये अनिवार्य रूप से हैजे का टीका लगाने की शर्त लागू की गई। यह उपाय सफल रहा, क्योंकि किसी मेले मे हैजे की बीमारी नहीं हुई।

हैजा-निरोधक वैक्सीन

इस वर्ष ३३,७९,८०० खूराक हैजा-निरोधक वैक्सीन तैयार की गई, जबकि पिछले वर्ष ३०,३८,५४४ खूराक ही तैयार की गई थी।

मलेरिया

सहारनपुर, शाहजहाँपुर और खीरी के जिलो के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रो मे न्यूनाधिक रूप से महामारी के रूप में मलेरिया फैलने की रिपोर्ट मिलीं। अन्य जिलो मे मलेरिया की दशाये साधारण रही। इन जिलों मे उदारता से पेलूड्रीन की गोलियाँ बाँटी गयीं।

कुछ स्थानो में मलेरिया से सम्बन्धित बातों की जाँच और निरीक्षण किया गया और प्रत्येक दशा में आवश्यक सिफारिशें की गयी। इस वर्ष निम्नलिखित मलेरिया-नियंत्रक यूनिटो ने काम किया :—

(१) २ प्रान्तीय यूनिटें—एक झांसी जिले मे ललितपुर स्थान पर और दूसरी बिजनौर जिले में नगीना स्थान पर;

(२) नैनीताल तराई के किछा क्षेत्र और मेरठ जिले के गगाखादर में उपनिवेशन योजना के सम्बन्ध में २ यूनिटें स्थापित की गयीं;

(३) विश्व स्वास्थ्य सस्था (डब्ल्यू० एच० ओ० यू० एन० आई० सी० ई० एफ०) के तत्वावधान में नैनीताल तराई के लिये मलेरिया कन्ट्रोल डिमान्स्ट्रेशन की एक टीम काम करने लगी;

(४) एक यूनिट, जिसकी स्थापना जिला नैनीताल के लोहिया हेड नामक स्थान पर शारदा जल-विद्युत के निर्माण के सम्बन्ध में की गई थी;

(५) एक मलेरिया-निरोधक यूनिट, जिसका व्यय आई० सी० एम० आर० और इस राज्य ने मिलकर वहन किया और जो काशीपुर, जिला नैनीताल के उपनिवेशन क्षेत्र मे कार्य करती रही।

राज्य के पूर्वी जिलों में काला आजार के १० यूनिट जिनके साथ सचल औषधालयों की व्यवस्था की गई थी, पडताल और परिचर्या का कार्य करते रहे।

काला आजार

वर्ष के दौरान मे बी० सी० जी० के टीके लगाने वाली ६ टीमों ने काम किया और बनारस, फिरोजाबाद, कानपुर, मेरठ, शाहजहाँपुर, झांसी, मथुरा, रामपुर, अलीगढ, फैजाबाद, टांडा, हाथरस, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, उन्नाव, हापुड़, इटावा और रुड़की के टाउनो तथा टेहरी-गढ़वाल, कानपुर, अलीगढ़, और मेरठ के देहाती क्षेत्रों में काम हुआ। प्रत्येक टीम मे ६ विशेषज्ञों (टेकनीसियन्श) को नौकर रखकर उनकी शक्ति इसलिये बढा दी गई ताकि बड पैमाने पर काम हो सके। ६,५१,१०० से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई और उनमें से १,६७,२६० व्यक्तियों के टीके लगाये गये।

बी० सी० जी० के टीके

ट्यूवरक्लोसिस सीलों की बिक्री का आन्दोलन, जो जनता को ट्यूवरक्लोसिस शिक्षा देने के उद्देश्य से कुछ वर्षों से अन्य देशों में और अक्टूबर, १९५० ई० से भारत में प्रारम्भ किया गया था, जारी रहा। इस आन्दोलन का मुख्य काम यह था कि व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों से भेंट की जाय और उनसे एक आने की कीमत वाली सीलों के मोल लेने का आग्रह करने के साथ-साथ उन्हे ट्यूवरक्लोसिस से सम्बन्धित अन्य उपयोगी सूचना भी दे दी जाय। उत्तर प्रदेश में इस आन्दोलन के द्वारा १९५०-५१ ई० मे २,३६,४०० रु० इकट्ठे किये गये और यह तय हुआ कि पहिले से सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके अतिरिक्त स्थानीय ट्यूवरक्लोसिस-निरोधक योजना की उन्नति के लिये यह एकत्रित धनराशि वितरित की जाय।

क्षय की सीलें (ट्यूवरक्लोसिस सीलस)

समस्त म्युनिसिपैलिटियों और नोटीफाइड और टाउन एरियाओं में प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट लागू था। पब्लिक एनालिस्ट को २३,२०० खाद्य के नमूने प्राप्त हुए, जिसमे से ५,१०० नमूनों में मिलावट पाई गई। दूध में ४५.४ प्रतिशत की सबसे अधिक मिलावट रही जिसके बाद आटा और दालों में (३५.६ प्रतिशत) मिलावट पाई गई।

भोजन तथा औषधियो में मिलावट

औषधियो के बनाने और बेचने पर कठोर देखभाल रक्खी गयी।

जिन निर्माणकर्त्ताओं की औषधियो का स्टैन्डर्ड निम्नकोटि का पाया गया उनकी औषधियो को स्टैन्डर्ड तक लाने के लिये अवसर दिया गया। यदि कभी अन्य राज्यों या विदेशी औषधि निर्माणकर्त्ता की निम्न कोटि की स्टैन्डर्ड की औषधियां यू० पी० मे बेची जाती थी। तब अन्य राज्यो और भारत सरकार के ड्रग्स कन्ट्रोलर का इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया जिन औषधियों में अंशतः आयुर्वेदिक और अंशतः एलोपैथिक के अंश पाये जाते थे उन पेटेन्ट और प्रोप्राइटरी औषधियों के निर्माण करने वालो को यू० पी० ड्रग्स रूल्स के अधीन लाइसेंस लेना आवश्यक था। आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक इन्जेक्शनों के निर्माण करने वालों को भी बायोलाजिकल (जीव विज्ञान) सम्बन्धी वस्तुओं के तैयार करने से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस लेना आवश्यक था। नकली दवाइयों के व्यापार पर रोक थाम की गई और प्राण-रक्षक मुख्य औषधियों पर नियन्त्रण जारी रक्खा गया।

रासायनिक विश्लेषण के लिये आये हुए पानी, खाद्यपदार्थ, कीटाणु-नाशक वस्तुओं तथा व्यापार चलाने वाली चीजो इत्यादि के ३१२ नमूनों और बैक्टीरिया सम्बन्धी विश्लेषण के लिये आये हुये ०१,६५४ नमूनो का विश्लेषण किया गया। म्युनिसिपल पानी सप्लाई की शुद्धता पर नियन्त्रण पूर्ववत् जारी रहा।

जल और खाने की चीजों आदि का विश्लेषण

पोषक तत्व

मेरठ, मुजफ्फरनगर, बलिया, फर्रुखाबाद, उन्नाव और गाजीपुर जिलों के देहाती क्षेत्रो मे स्कूल के बच्चो को पोषित करने वाले तत्वों की जॉच की गई। २३ स्कूलों के २,४४० से अधिक लडकों की जॉच की गई। उनमें से लगभग ३.३ प्रतिशत अधिक अच्छे स्वास्थ्य और ५३.३ प्रतिशत लगभग अच्छे स्वास्थ्य के पाये गये। शेष में ३७.३ प्रतिशत लड़कों का स्वास्थ्य खराब और ६.१ प्रतिशत लड़कों का स्वास्थ्य बहुत ही खराब था। साधारण रूप से विटेमिन 'ए' की कमी पाई गई। कानपुर स्थित फैक्टरियो में भी इसी प्रकार की जांच की गई और वहाँ भी ऐसे ही फल प्राप्त हुए।

जनता को पोषक तत्वों के सम्बंध मे शिक्षा देने के लिये विभिन्न प्रकार की पुस्तिकाये लिखी गयी, जिनमें स्कूल के बच्चों के लिये एक विशेष पुस्तिका थी और इससे सम्बन्धित बड़े बड़े इश्तहार बॉटे गये और प्रदर्शनियां की गयी। यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन एमरजेन्सी फन्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के १२ वर्ष से छोटे अपर्याप्त और संतुलित पोषक तत्वों को खाने वाले बच्चो तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओ को ४,६०,००० पौन्ड स्किम मिल्क पाउडर वितरित किया गया। प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर लगभग ३०,००० लाभार्थियों को दूध बॉटा गया, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक को फिर से बनाया गया ८ औन्स स्किम मिल्क मिला, जिसमे ४० ग्राम स्किम मिल्क का पाउडर सम्मिलित था।

लखनऊ शहर के प्राइमरी स्कूलों में राज्य सरकार से वित्तपोषित दूध योजना को जारी रखा गया। इस योजना के अधीन नाममात्र का मूल्य २ आने प्रति सेर विद्यार्थी को ८ औंस दूध दिया गया। म्युनिसिपल बोर्ड ने उन लड़को के लिये भुगतान किया जो इतना धन भी चुकाने में असमर्थ थे। कई हायर सेकेन्डरी स्कूलों और कालेजो मे ऋतु के अनुसार चुने हुए चावल, अंकुरित चने, दूध या फलों की सप्लाई चालू की गई।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (यू० पी० पब्लिक हेल्थ सर्विस) के एक अधिकारी को पोषक तत्व सम्बन्धी विषय के अध्ययन के लिये यूनाइटेड किंगडम भेजा गया था।

स्कूल के बच्चों की परीक्षा

पूर्ववत् ढंग से स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की परीक्षा जारी रही। ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों में विस्तृत रूप से स्वास्थ्य की परीक्षा ली गई। १४ बड़े बड़े नगरों के स्कूल क्लिनिकों में छात्रों के इलाज की व्यवस्था की गई।

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल अफसर आफ हेल्थ) ने अपने अपने क्षेत्रों मे कारखानों के इन्स्पेक्टरों का काम किया और चिकित्सा तथा सफाई सम्बन्धी मामलो में सलाह दी।

जनवरी, १६५१ ई० मे नियुक्त किये गये औद्योगिक हाइजीन अफसर ने १४७ से अधिक फैक्टरियों की जॉच की और विभिन्न काम में लगे हुए २,२०० से अधिक मजदूरों की शारीरिक जॉच की गई। कानपुर स्थित चमड़े की कमाई और स्टील मोड़ने के कारखाने, मिर्जापुर के चपड़े के उद्योग और मुरादाबाद के धातु पर पालिश करने वाले कारखानों में काम करने वालो की विशेष रूप से स्वास्थ्य और कार्य सम्बन्धी दशाओं की जॉच की गई। स्वास्थ्य और रक्षा को प्रभावित करने वाली दशाओं और परिस्थितियों के सुधार के लिये सिफारिशें की गईं और जहाँ कहीं भी आवश्यकता हुई वहाँ पेशे के रोगों और क्षति की ओर ध्यान दिया गया। भोजन देने के प्रबन्ध में भी सुधार करने का सुझाव दिया गया।

स्वास्थ्य-शिक्षा

लोगो की स्वास्थ्य-शिक्षा का आयोजन पूर्व की भांति सचित्र पोस्टरों के प्रदर्शनों, प्रदर्शिनियो, मैजिक लैन्टर्न के साथ दिये जाने वाले भाषणो तथा सिनेमा चित्रों की सहायता से किया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोग के कारण और उस रोग को फैलाने वाली परिस्थितियो के विवेचनार्थ जो ट्रेलर के रूप में फिल्म तैयार की थी, उसे सिनेमाघरों में दिखाया गया। क्षय रोग से सम्बन्धित ४,६०० से अधिक पुस्तिकायें स्कूलों के जूनियर रेडक्रास ग्रूपों में बाँटी गई।

१,५४,६०० से अधिक बच्चों को जूनियर रेड क्रास के सदस्यो के रूप में भर्ती किया गया और लगभग २,२०० बच्चे प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान के मेकेंजी स्कूल कोर्स पढ़ने लगे।

५,८०० से अधिक व्यक्तियो ने फर्स्ट एंड होम नर्सिंग और अन्य सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसियेशन के विषयों मे ट्रेनिंग प्राप्त की। कई जिलो के रोडवेज के कर्मचारियों ने भी फर्स्ट एड मे ट्रेनिंग प्राप्त की। प्लानिंग इन्सपेक्टरों और अन्य विभिन्न कार्यकर्त्ताओं, जिनमें महिला हितकारी केन्द्रों की कार्य करने वाली स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं, को जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर भाषण दिये गये।

प्रतापगढ़ स्वास्थ्य यूनिट

प्रतापगढ़ जिले की स्वास्थ्य सम्बन्धी यूनिट में रोगों से बचने के उपाय और सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान के सबध में प्रगाढ़ रूप से काम होता रहा। इस यूनिट के एक कमरे में संग्रहालय और मैदान मे प्रदर्शन क्षेत्र का कार्य चलता रहा और ६ठी से १०वी कक्षाओ के स्कूल के बच्चों के लिये विशेषरूप से स्वास्थ्य सबधी शिक्षा का आन्दोलन चलाया गया। पोषक तत्वो, महामारी और छुआछुत की बीमारियों, वैयक्तिक स्वास्थ्य विज्ञान और सामान्य सफ़ाई पर भाषण दिये गये और प्रदर्शनों का भी संगठन किया गया। लगभग १,५०० लड़के और लडकियों ने इस पाठयक्रम को पढा और सामान्य स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के विषय में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त किया। बड़ी-बडी तीन प्रदर्शिनियाँ लगाई गई और ५ गावो मे संडास (Bored Hole Latrines), पशुशालायें, सोकेज पिट और स्वच्छ कुयें बनवाये गये। स्वास्थ्य संबंधी यूनिट ने निवास अथवा गृह संबंधी धात्री-सेवा के लिये स्वास्थ्य निरीक्षकों की देख-भाल में चार जच्चा-बच्चा केन्द्र और धात्रियों (midwives) की देख भाल में आठ जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले। इन केन्द्रो में क्लिनिकें भी रखी गई, जहां देहाती दाइयों को भी ट्रेनिग दी गई। प्रसव से पूर्व स्त्रियों को रजिस्टर किया गया और प्रसूति-काल में देखभाल की गई। प्रसव के पश्चात् स्त्रियों और शिशुओं की भी देखभाल पर अधिक जोर दिया गया। जिन देहाती क्षेत्रो में आनेजाने की सुविधा कम थी वहां के कुल २,६५४ जन्म सम्बन्धी मामलों मे से १,५३८ मामलों की देख-भाल हुई। उस क्षेत्र के ६० प्रतिशत बच्चों को चेचक से बचाया गया।

जच्चा-बच्चा तथा शिशु-कल्याण

उन क्षेत्रों के लिये जो अब तक टेहरी और बनारस रियासतों में थे, आठ नये जच्चा-बच्चा और शिशु कल्याण केन्द्र स्वीकृत हुये। पूर्व से स्वीकृति पाये हुये लगभग २०० सरकारी केन्द्रों ने वर्ष भर उत्तर प्रदेश के शेष भाग में काम किया। जो केन्द्र अस्पतालों और औषधालयों के निकट स्थित थे उनको धात्रियों के काम और असाधारण मामलों की देखरेख के लिये अस्पतालो और औषधालयों से सम्बद्ध कर दिया गया।

ग्रामीण जच्चा-बच्चा केन्द्रों की लगभग २५० देशी दाइयों को ट्रेनिग दी गई।

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड ने इस राज्य को जच्चा-बच्चा तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सज्जा और जच्चा-बच्चा के लिये उपयोगी बक्स दिये और उनका बड़े-बड़े केन्द्रों में प्रयोग हुआ।

संतति नियोजन

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी की उत्तर प्रदेश की शाखा ने मार्च, १९५१ ई० में संतति नियोजन के संबंध में सलाह देने का निश्चय किया। प्रारम्भ में यह काम केवल लखनऊ मे ही सीमित रहा, परन्तु बाद मे इस काम को शुरू करन के लिये इस संगठन ने बाहर के २४ अस्पतालों को सहायता प्रदान की। इस संबंध मे राज्य सरकार ने रेडक्रास को १०,००० रु० का एक प्रतीक अनुदान दिया।

लखनऊ नगर के विभिन्न भागो (सेक्टरों) मे स्त्रियों को सलाह देने के लिये क्लीनिको का संगठन किया गया और योग्य डाक्टरों ने मुफ्त सलाह दी। बाद मे पुरुषों को भी सलाह देने के लिये दो सुसज्जित क्लीनिक संगठित किये गये। इन क्लीनिकों मे केवल लागत के मूल्य पर जनता को साहित्य और अन्य सामान मिलता था। सलाह देने के संबंध मे माँ की आयु और स्वास्थ्य तथा उससे उत्पन्न बच्चों और उनम से जीवित पैदा किये गये बच्चे और जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान रखा गया। जुलाई, १९५१ ई० से, जब काम प्रारम्भ हुआ, दिसम्बर तक इन क्लीनिकों में १,००० व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति आये और उन्होंने सलाह ली।

स्वास्थ्य निरीक्षकों और धात्रियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र मे इसका प्रचार किया और बड़े-बड़े कार्यालयों तथा संस्थाओं म वहाँ काम करन वालों के लाभ के लिये भाषणों की व्यवस्था की गई।

यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के दो अन्य बड़े शहरों में भी लखनऊ के आधार पर काम का विस्तार किया जाय। फिर भी यह माना गया कि इस संबंध में देहाती क्षेत्रो की जनता को शिक्षित करन पर जन-संख्या में प्रभावशील कमी हो सकेगी। यह बात भी स्पष्ट थी कि ऐसे क्षत्रों के लिय एक विभिन्न उपाय की आवश्यकता होगी। तदनुसार सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र और मानवीय-सम्बन्ध स्थापित कराने वाले विभाग (Department of Sociology and Human Relationship) को गॉवो में संभव तरीकों पर काम करने के उपाय खोजने के लिये एक अनुदान दिया।

शहर के कूड़ा-करकट से मिलवा खाद बनाना

शहर के कूड़ा-करकट से कृषि योग्य मिलवा खाद बनाने की योजना जारी रही और २३ नए मिलवा खाद के केन्द्र खोले गये। वर्ष भर में ३,३८,४०० टन मिलवा खाद तैयार की गई, जबकि गत वर्ष ३,१४,४१४ टन खाद तैयार हुई थी। कुल खाद का ९४ प्रतिशत से अधिक भाग बच दिया गया।

प्रारम्भिक विभिन्न कठिनाइयों के कारण कानपुर मे एक छोटे पमाने पर बूचड़खाने के कूड़े-करकट से खून की खाद तयार करने का काम प्रारम्भ किया जा सका। यह खाद काफी लाभप्रद प्रमाणित हुई और हापड़ जैसे दूर स्थानों से किसान इसको ७ रुपये प्रतिमन की दर से खरीदने के लिये आये।

५० राजकीय हेल्थ बोर्ड

१९५१ ई० में राजकीय हेल्थ बोर्ड की दो बैठकें हुईं। बोर्ड को छोटे-छोटे स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिय सहायिक अनुदान के रूप में ५,६०,००० रु० की धनराशि निर्धत की गई। इसके लिये नियत धनराशि का पूर्णरूप से उपयोग हुआ और बोर्ड ने पानी सप्लाई के सुधार, गन्दे पानी के निकास की नालियों, गोश्त के बाजारों और कीलघरों (Slaughter Houses) तथा सफाई से संबंधित विभिन्न मदों में अनुदान स्वीकृत किये। प्रत्येक मामले में साधनों और परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय चन्दों की व्यवस्था करने को भी कहा गया। कुछ विशेष मामलों में जसे हरिजनों के लिये कुओं के बनाने में

बोर्ड ने स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की छानबीन की और इस बात की सिफारिश की कि ऋण के रूप में कुल लागत की कितनी धनराशि अनुदान के रूप में और कितनी ऋण के रूप मे दी जाय। आलोच्य वर्ष में कई बड़ी योजनाओं की छानबीन की गई। स्वास्थ्य विभाग संबंधी प्रशासन से संबंधित नीति के कुछ मामले भी बोर्ड को सलाह के लिये भेजे गये।

राजकीय हेल्थ कौन्सिल की भी दो बैठकें हुईं। अन्य मामले जिन पर राज्य स्वास्थ्य कौन्सिल ने विचार किया वे ये हैं :—

राज्य में अस्पतालो का प्रान्तीयकरण, बायोलाजिकल तथा पदार्थों के निर्माण का स्तरीकरण, वैद्यों और हकीमों द्वारा सलफ़ा औषधियों (Sulpha Drugs), पेन्सलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का दिया जाना, औषधि अनुसंधान, नियन्त्रण और एकीकरण करने के लिये राज्य द्वारा एक संगठन, नर्सिंग के लिये एक पाठ्यक्रम और डाक्टरों के लिये एक अल्पकालीन अनिवार्य सैनिक शिक्षा के पाठ्य-क्रमो की व्यवस्था करना।

५१—चिकित्सा-सुविधायें

(क) एलौपैथिक प्रणाली

इस वर्ष राज्य में चिकित्सा-सुविधायें बढ़ाने की सरकारी योजनाओं के संबंध मे और अधिक प्रगति हुई।

गांवों में चिकित्सा संबंधी सहायता

ग्रामीण जनता मे और अधिक लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १७ नये अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गई। इस वर्ष ८८ राज्य सहायता प्राप्त एलोपैथिक अस्पताल भी चालू रहे यद्यपि इसी प्रकार चिकित्सको को राज्य सहायता देकर चिकित्सा सहायता बढ़ाने की योजना पूरी तरह कार्यान्वित न हो सकी, क्योंकि चिकित्सक गांवों में बसने के लिये अन्यमनस्क थे। १९५१-५२ ई० मे केवल २० यूनिटों में काम हुआ, जबकि ८२ यूनिटों की स्वीकृति मिली थी। उस योजना को, जिसे १९४८ ई० में ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिये इच्छुक विस्थापित चिकित्सको को राज्य सहायता देने के निमित्त अस्थायी रूप से प्रारम्भ किया गया था, छोड़ देना पड़ा।

जिला परामर्शदात्री समितियो के बनाने का काम, जो १९५० ई० में इसलिये प्रारम्भ किया गया था कि ग्रामीण चिकित्सा यूनिट ठीक से काम करें, पूरा किया गया।

बलरामपुर राज के सात अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया गया और इस प्रकार प्रान्तीयकरण किये गये कुल अस्पतालों की संख्या १६ हो गई।

अस्पतालों में सुधार

भवन निर्माण संबंधी कार्यक्रम की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया। देहरादून मे अस्पताल की इमारतें काफी बढ़ा दी गईं और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत कम्पाउन्डरों के लिये, जो ९० क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव किया गया था उनमें से ५९ क्वार्टर १९५१ ई० के अंत तक बनाकर पूरे किये गये।

बनारस के किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल की विस्तृत रूप से मरम्मत की गई और बरेली के मस्तिष्क रोगो के अस्पताल के वार्ड नं० ४ और ९ का पुनर्निर्माण किया गया और इन पर क्रमशः १,८४,००० और १,५३,५०० रु० खर्च हुए। मेडिकल कालेज, लखनऊ के विस्तार, रायबरेली और देवरिया में नये अस्पताल, पी० एल० शर्मा अस्पताल, मेरठ में सुधार और आगरा मेडिकल कालेज में फ्लश लैट्रिन बनाने के काम होते रहे। डाक पाथर (जिला देहरादून) में टी० बी०

सैनेटोरियम के भवन मे परिवर्तन और परिवर्द्धन का काम और बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ मे व्याधिकीय प्रयोगशाला (पैथेल जिकल लैबोरेटरी) का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया।

परिचारक सेवा Nursing Services

नर्सों की कुछ कमी होते हुये भी रोगियो के लाभ के लिये चालू परिचारक सेवा योजना (Nursing Services Scheme) संतोषजनक रूप से चलती रही। फिर भी यह देखा गया कि कुछ अच्छी शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियां परिचारक-वृत्ति (नर्सिग प्रोफेशन) के लिये आने लगीं और यह आशा की गई कि इससे ट्रेनिंग पाई हुई नर्सों की कमी की समस्या हल हो जायगी।

सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो

सदा की भांति आकस्मिक मांगपत्र मिलने पर सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो राज्य में स्थित अस्पतालो और औषधालयों को भेषज और औषधियां सप्लाई करता था। लगभग २.५ लाख रुपये की लागत पर अस्पतालों के साज-सामान की व्यवस्था, जिसमें फ्रैक्चर टेबुल, हाइड्रोलिक आपरेशन टेबुल, अल्ट्रावाइलेट और इनफ्रारेड यंत्र, शैडोलेस लैम्प शामिल है, विभिन्न अस्पतालों के लिये की गई। ६ अस्पतालो में पुरानी एक्स–रे मशीनों के बदले नई मशीनें लगाई गईं।

शुल्क विरुजालय Pay Clinic

राज्य के कुछ महत्वपूर्ण जिला अस्पतालों मे जो शुल्क विरुजालय (Pay Clinic) स्थापित किये गये वे चालू रहे। उनको अधिक जन-प्रिय बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

महिलाओ को चिकित्सा सहायता

इस वर्ष महिलाओ के लिये उत्तर प्रदेश में राजकीय अस्पतालों की संख्या बढ़कर १०४ हो गई।

महिलाओं के लिये जो नए राजकीय अस्पताल भी खोले गये और रतिज रोगों के उपचार तथा अन्य प्रयोजनों के लिये गैर-सरकारी महिला औषधालयो के लिये कुल मिलाकर ४२,००० रु० के अनुदान स्वीकार किये गये।

माताओं की स्वास्थ्य-रक्षा तथा और अधिक स्वस्थ सन्तान की उत्पत्ति करने के विचार से लखनऊ में एक प्लान्ड पेरेन्टहुड स्कीम चालू की गई। इस योजना के अधीन माता-पिता, पति या पत्नी को निःशुल्क यह राय दी जाती थी कि बच्चे किस क्रम से पैदा किये जायं। कृत्रिम उपायो से सन्तानोत्पत्ति रोकने की वस्तुयें कम कीमत पर जनता को मिलने लगी।

चक्षु-चिकित्सा के लिये सहायता

गांधी आई हास्पिटल, अलीगढ़; गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ; एस० एन० हास्पिटल, आगरा; सीतापुर आई हास्पिटल; झिझक आई हास्पिटल तथा खैराबाद आई हास्पिटल ने राज्य में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता का काम किया। इस प्रकार का काम करने के लिये कई जिलो में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता संस्थाओ का संगठन किया गया। १९५१-५२ ई० में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता-कार्य के लिये सरकार ने ५०,००० रु० का अनुदान दिया, जबकि पिछले वर्ष ३०,००० रु० दिया गया था। देहरादून में जौनसार-बाबर के पिछड़े हुए भागो और कुमायूं डिवीजन मे चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता का कार्य चलान के लिये विशेष अनुदान दिये गये। अलीगढ के गांधी आई हॉस्पिटल में आई बैंक की कार्यवाहियां यथावत् चालू रही।

क्षय रोग

क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियो के उपचार के लिये अधिकतर सुविधाओ की व्यवस्था करने के निमित्त एक ऐसा क्षय रोगियों का सैनीटोरियम डाक पाथर, देहरादून में स्थापित किया गया, जिसमें ८८ विस्तर है। किंग एडवर्ड सप्तम

सैनिटोरियम, भुवाली मे रोगियों को रखने की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भुवाली के बिलकुल पास भूमियाधर में, इसी सैनिटोरियम से संयोजित एक और उप-सैनिटोरियम खोला गया। लाला लाजपतराय हास्पिटल, कानपुर में क्षय रोगियो के लिये २२ चारपाई वाला एक वार्ड खोला गया। टी० बी० सील्स के विक्रय से प्राप्त धन मे से कुल मिलाकर १,८६,००० रु० का अनुदान राज्य के क्षयरोग विरुजालयों (क्लीनिक्स) के पुनस्संगठन और अतिरिक्त विरुजालयो की स्थापना के लिये दिया गया।

कुष्ठ रोग

इस वर्ष राज्य में १५ कुष्ठ रोग चिकित्सालय थे जिनमे कुल १,१७४ रोगियो के रहने का प्रबंध था। गोरखपुर जिले मे, गोरखपुर जोन मे, जिसमे गोरखपुर, गोंडा, बहराइच और देवरिया जिले शामिल है, १९५० ई० मे जो कुष्ठ-निरोधक यूनिट खोला गया था उसने कुष्ठ रोग का सर्वे करने और संक्रामित रोगियों को चुन-चुन कर निकटतम केन्द्र में उपचार के लिये भेजने का काम बराबर संतोषजनक ढंग से किया।

रतिज रोग

आलोच्य वर्ष मे चकराता (जिला देहरादून) और दूधी (जिला मिर्जापुर) दोनो ही मे रतिज रोग विरुजालय स्थापित किये गये।

चिकित्सा संबंधी शिक्षा

कार्यक्रम के अनुसार मेडिकल लाइसेसियेटो की पदोन्नति करने के लिये ५५ लाइसेसियेटो को, जिनमे १९ निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले डाक्टर भी शामिल थे और जो स्थानीय बोर्डो मे नौकर थे, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा और मेडिकल कालेज, लखनऊ में एम०बी०, बी० एस० का द्विवर्षीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये भर्त्ती किया गया। १९५१ ई० में सात सर्विस डाक्टरो का एक जत्था उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजा गया और इसी वर्ष सात डाक्टर विदेशो मे उच्च शिक्षा समाप्ति के बाद वापस लौट आये। जो तीन डाक्टर पिछले वर्ष भेजे गये थे वे अपने अध्ययन मे लगे रहे। काउन्टेस आफ डफरिन फंड, यू० पी० की प्रान्तीय समिति चिकित्सा छात्राओ को छात्र-वेतन देती रही। इस वर्ष छात्र-वेतन पाने वाली छात्राओ की कुल संख्या १० थी।

दो मात्रिकाओ और एक सिस्टर ने कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली मे प्रशासन संबंधी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक सम्प्राप्त किया। एक सिस्टर ने इसी संस्था में सिस्टर ट्यूटर का पाठ्यक्रम पूरा किया। प्रशासकीय पाठ्यक्रम के लिये दो मात्रिकाये और सिस्टर ट्यूटर के पाठ्यक्रम के लिये एक सिस्टर देहली कालेज मे भेज दी गई।

कानपुर मे नर्सो की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये सेन्ट्रल स्कूल की इमारत का निर्माण पूरा हो गया था, किन्तु वर्ष समाप्त होने तक उसमे शौचालय, पानी और बिजली के प्रबंध का कार्य शेष रह गया था।

राजकीय अस्पतालो मे काम करने वाली मात्रिकाओं मे से एक एन० सी० ई० एफ० फेलोशिप के अंतर्गत तैनात की गयी। यह फलोशिप अस्पताल प्रशासन के स्नातकोत्तर ट्रेनिंग तथा विशेष रूप से नर्सिंग ट्रेनिंग के लिये वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजशन द्वारा प्रदान की गई है।

आलोच्य वर्ष मे यू० पी० स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने निम्नलिखित परीक्षायें लीं:—

क्र०-सं०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या
१	डिप्लोमा प्राप्त नर्सें ..	९७
२	प्रमाण-पत्र प्राप्त नर्सें ..	२९
३	डिप्लोमा प्राप्त मात्रिकाएं .	६४
४	प्रमाण-पत्र प्राप्त मात्रिकाएं ..	५२
५	हेल्थ विजिटर्स	५
६	कम्पाउन्डर और ड्रेसर्स सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन (भाग २)	३६

किंग एडवर्ड सप्तम सैनोटोरियम, भुवाली के सुपरिन्टेंडेट को क्रिश्चियन मेडिकल कालेज हास्पिटल, वेल्लौर के औरस विभाग (Thoracis Deptt) में उस अस्पताल मे की जाने वाली औरस शल्य चिकित्सा की कला का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त दो महीने के लिये भेजा गया। वेल्लौर से वापस आने पर भुवाली सैनिटोरियम में औरस शल्य चिकित्सा आरंभ कर दी गई। यह भी निश्चय किया गया कि १ जनवरी, १९५२ ई० से औरस शुल्क चिकित्सा के २ साल का पाठचक्रम पूरा करने के लिय एक पी० एम० एस० (प्रथम) अफसर को क्रिश्चियन मेडिकल कालेज हास्पिटल, वैल्लोर भेजा जाय।

एक पी० एम० एस० (प्रथम) अफसर देहली विश्वविद्यालय के डी०टी० डी० का पाठचक्रम पूरा करके लौटा है और आलोच्य वर्ष मे दो अन्य अफसर इसी पाठ्चक्रम के लिये भेजे गये।

लखनऊ विश्वविद्यालय की संरक्षता मे दन्त चिकित्सा की शिक्षा देने के लिये लखनऊ मे एक डेन्टल कालेज खोला गया। डेन्टल कालेज और अस्पताल की इमारतो की बनान का खाका और तखमीना अंतिम रूप से तैयार किया गया और इस वर्ष इस कार्य का अधिकतर भाग पूरा हो चुका है।

शिशु-जन्म पूर्व संबंधी और शिशु हितकारी केन्द्र

सन् १९४४ ई० में एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा में धात्री विज्ञान और स्त्री चिकित्सा मे चिकित्सा छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिये जो शिशु-जन्म पूर्व संबंधी और शिशु हितकारी केन्द्र खोले गये थे, वे उपयोगी कार्य करते रहे।

(ख) देशी चिकित्सा-प्रणाली

सामीन्य

इस वर्ष इस राज्य मे ५१४ राजकीय औषधालय अर्थात् ४३३ आयुर्वेदिक और ८१ यनानी औषधालय चलते रहे। इनमे से ६७ आयुवदिक और ३ यूनानी औषधालय कुछ रियासतो और अन्तक्षत्रों के उत्तर प्रदेश मे विलीन होने के फलस्वरूप प्रबंध में ले लिये गये। इनके अतिरिक्त जिला बोर्ड गांवो मे २१९ आयुवदिक और ९० यूनानी औषधालयों को, जो उनके ही नियंत्रण मे थे, चलाते और उनका खर्च देते रहे। नागरिक क्षेत्रो मे म्यूनिसिपल बोर्डो ने १५ आयुवदिक और १२ यनानी औषधालयो को चलाया और तत्सम्बन्धी खर्च किया। जिला बोर्डों के राज्य सहायता प्राप्त औषधालयो की संख्या ७७ (६० आयुर्वेदिक और १७ यूनानी) थी और राज्य सहायता पाने वाले चिकित्सको (प्रैक्टिशनर्स) की सख्या २८ (१८ आयुवदिक और १० यूनानी) थी। इनमे ११ राज्य सहायता पाने वाले उद्वासित चिकित्सक शामिल नही है।

सरकारी और वित्तीय सहायता पाने वाले औषधालयों का समय-समय पर निरीक्षण यह सुनिश्चित करन के लिये किया गया था कि उनका काम ठीक चलता रहे। २० आयुर्वेदिक और ४ यूनानी राजकीय औषधालय, जो उपयुक्त स्थानो पर और अच्छे मकानों में नही थ, अच्छी जगहो पर ले जाये गये और उनके लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था की गई। २५१ राजकीय औषधालयों के लिये किराये पर समुचित इमारतो की व्यवस्था की गई। सरकारी औषधालयो में आवश्यक सज्जा और फर्नीचर और राजकीय औषधि निर्माणशाला में तैयार की गई असली औषधियां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करके उनकी दशा में सुधार किया गया। कई औषधालयों को चिकित्सको के उपयोग के लिये उपयोगी चिकित्सा सबंधी पुस्तके प्रदान की गई।

उपसंचालक (आयुर्वेद) के कार्यालय में एक ऐसे पुस्तकालय की स्थापना के कार्य मे प्रगति की गई जो आधुनिक चिकित्सा संबंधी और वैज्ञानिक पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं (जर्नल्स) से सुसज्जित हो।

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश

स्टेचुटेरी संस्था के रूप में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन का अपने जीवन का यह पांचवां वर्ष है। आलोच्य वष में बोर्ड की तीन आम बैठके हुई। विभिन्न परामर्शदात्री समितियो की भी, जिनका संबध रजिस्ट्रेशन, शिक्षा और वित्त से है, बैठकें हुई। २,७२८ वैद्यो और ५१५ हकीमो की रजिस्ट्री की गई और बोर्ड की आयुर्वेदिक और यूनानी परीक्षाओ मे ९९१ परीक्षार्थी बैठे। इनमें से ७४४ परीक्षार्थी सफल हुये। निम्नलिखित सस्थाओ का सबध-विच्छेद किया गया और बंद किय गये :—

लेखराम आयुवदिक कालेज, दौरली, मेरठ। आयुर्वेदिक विद्यालय, पचपोखरा, फर्रुखाबाद। गांधी आयुर्वेदिक विद्यालय, हरदोई। मम्ब-उल-तिब्ब कालेज, लखनऊ। राज्य सहायता प्राप्त (स्टेट एडेड) यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ। तिब्बिया कालेज, सहारनपुर। जगदम्बा आयुवदिक विद्यालय, बनारस। नरेन्द्र विद्यामन्दिर, किरौली, आगरा। वृजभूषण सरस्वती आयुर्वेदिक विद्यालय, कानपुर। द्विवेदी आयुवद विद्यालय, कानपूर।

मध्यभारत गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, ग्वालियर को बोर्ड से संलग्न किया गया। एक्सपर्ट कमेटी ने बी० आई० एम० एस० सहायक वद्य, गृह स्वास्थ्य विशारद और सहायक हकीमों के पाठ्यक्रम के लिये, जो पाठ्य विषयावली बनाई थी, उसीका बोर्ड ने सशोधन किया और यह निश्चय किया गया कि आगामी सत्र से उसे चलाया जाय। योग्यता के आधार पर २६ छात्रवृत्तियां और निर्धन और योग्य छात्रों को, जिनमें छात्राये भी थी, छात्रवृत्तिया दी गई। छात्रवृत्तियो मे कुल ४,६५० रु० की धनराशि दी गई। बोर्ड ने ३६,२०० रु० का सरकारी अनुदान ११ आयुवदिक और यूनानी कालिजो से सबधित अस्पतालो, २६ सार्वजनिक औषधालयों और ३९ आयुवदिक और यूनानी चिकित्सकों में बांट दिया। १,५०० रु० की धनराशि रायपुरी, चुनार (जिला मिर्जापुर) के श्री हकीम दलजीत सिह को एक आयुर्वेदिक कोष के प्रकाशन के लिये दिया गया।

अनुदान

धन की कमी होते हुये भी सरकार ने विश्वविद्यालय को और सलग्न कालेजों को कालेजो को भी आर्थिक सहायता देन मे गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उदारता दिखलाई। १३ आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजो के लिये ३,८८,३५७ रु० का कुल सहायक अनदान स्वीकृत किया गया।

विकास कार्य

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनके द्वारा व्यय करने के लिये निर्धारित की गई धनराशि मे से कुल २५,००० रु० के सहायक अनुदान का वितरण आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियो के विकास के लिये योग्य संस्थाओ और व्यक्तियो मे किया।

मैनुअल की तैयारी

सरकार ने एक ऐसे मैनुअल को तैयार करने के लिये, जो विभाग के नियमों और विनियमों का सग्रह हो, एक विशेष कार्याधिकारी को नियुक्त करने की स्वीकृति दी। आलोच्य वर्ष मे उक्त संबंध मे कार्य की प्रगति होती रही।

माघ मेला और अन्य मेलों में कार्य

प्रयाग मे माघ मेला क्षेत्र मे एक अस्थायी आयुर्वेदिक यूनिट की स्थापना की गई। इस यूनिट मे लगभग ७,००० रोगियो की चिकित्सा हुई।

रामनवमी और अन्य मेलो मे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य करने के लिये लगभग १०० वैद्य और हकीम भी नियुक्त किये गये।

भेषज-संहिता समिति

भेषज-सहिता समिति की दो बैठकें हुईं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों की एक प्रमाणिक भेषज सहिता तैयार करने से सबंधित विभिन्न बातो पर विचार-विमर्श किया गया। एक प्रश्नावली जारी की गई और इस देश के भिन्न-भिन्न भागो मे लगभग २५० प्रख्यात वैद्यो और हकीमो मे उसे इसलिये बांटा गया कि इस समस्या के टेक्निकल पहलुओ पर उनकी राय मालूम हो सके। जो उत्तर प्राप्त हुए है उनको इस वर्ष की समाप्ति तक सकलित किया जाता रहा और साथ ही उनकी जाच-पड़ताल भी होती रही। आयुर्वेदिक मिश्रणो पर तीन सौ निबधो का भी संकलन किया गया। ख्यातिप्राप्त आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेसियो से अपने यहां तैयार की गई प्रमाणिक औषधियो और औषधि तत्वो के नमूनो को भजने के लिये अनुरोध किया गया।

राजकीय औषधि निर्माणशाला

लखनऊ की स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक ऐंड यूनानी मेडिसिन्स (आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियो की राजकीय निर्माणशाला) ने ५१४ राजकीय औषधालयों और गांवो के लिये ५,३०० औषधि पेटियों के लिये विशुद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियो को तैयार करने और देने के कार्य को हाथ म लिया और उसे पूरा किया। उन क्षेत्रो मे जहां औषधियों की कमी थी गांवों के लिये औषधि पेटियो में फिर से दवाइयां भरकर गांव पंचायतो के चार्ज मे रख दी गईं। रिपोर्टों से यह पता चला कि इन पेटियो की औषधियो का उपयोग करके गांवों के लोगो ने बहुत लाभ उठाया।

भूमि-दान

निम्नलिखित स्थानो मे जनता ने राजकीय औषधालय खोलने के लिये उदारता से भूमि और इमारते दान मे दी:—

चन्दौसी (जिला अलीगढ़)।
गोकुलपुरा (जिला आजमगढ)।
पौजानिया (जिला बिजनौर)।
पौनगला (जिला बरेली)।
खिरसू (जिला गढ़वाल)।
देवाल (जिला गढ़वाल)।
करदहा (जिला उन्नाव)।

५२—पशु-पालन

पशु-चिकित्सा संबंधी सहायता

इस वर्ष राज्य में २२८ पशु चिकित्सालय थे, इनमे से २१ अस्पतालों का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा और शष का स्थानीय निकायों द्वारा होता था। वर्ष के अंत मे विभाग मे ९९८ वेटरिनिटी असिस्टेंट सर्जन और ६९४ स्टाकमैन काम कर रहे थे। वेटरिनरी अस्पतालो मे और उनके बाहर

९,८६,००० मवेशियों का इलाज किया गया और १,२२,००० ऐसे मवेशियों को औषधि सप्लाई की गयी, जो वास्तव मे अस्पतालो में नही लाये गये थे।

रोग-निरोधक ला

विभिन्न संक्रामक रोगों, जैसे रिन्डरपेस्ट, हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया, ब्लैक क्वार्टर इत्यादि से बचाने के लिये २८,३६,००० मवेशियों को सूइयां लगाई गयी। अन्य विकास विभागो के संयोजित फील्ड कार्यकर्ताओ की फील्ड ट्रेनिग के लिये प्रबंध किये गये। विशेष संदेशवाहको द्वारा बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई और जिला हेडक्वार्टर्स पर कोल्ड स्टोरेज संबंधी सुविधाओ से सीरा और वेक्सीन की शीघ्र सप्लाई एवं संक्रामक रोगो के नियंत्रण मे पर्याप्त सहायता मिली। सचल पशु-चिकित्सा यूनिट को मेरठ भेज दिया गया और उस जिले मे पशुओं की प्रगाढ़ रूप से नस्लकशी करने में इस यूनिट से काफी लाभ हुआ। इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तथा राज्य सरकार द्वारा आधे आधे पर संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजना के अधीन नवम्बर, १९५१ ई० मे एक असिस्टेंट डिजीज कन्ट्रोल अफसर (भेड़ और बकरियां) की नियुक्ति की गयी। विभिन्न मुर्गी-पालन रोगों, जैसे रानीखेत रोग, फाउल पाक्स और फाउल होलर्स को रोकने के लिये वर्ष मे लगभग ३४,६५९ चिड़ियो को सूइया लगायी गयी।

बायोलाजिकल प्राडक्ट

वर्ष मे बायोलाजिकल प्राडक्ट सेक्शन का विस्तार हो रहा था। वर्ष मे फील्ड कर्मचारिवर्ग को निम्नलिखित परिमाण में बायोलाजिकल प्राडक्ट (अंशतः इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इन्स्टीटयूट से प्राप्त) सप्लाई किये गये:—

	खूराक
(१) ऐंटी-रिन्डरपेस्ट सीरम (साधारण)	२,२८,१५०
(२) ऐंटी-रिन्डरपेस्ट सीरम (विशेष) ..	६,४५०
(३) एच० एस० सीरम	५९,५००
(४) एन्थरेक्स सीरम	२४,८००
(५) ब्लैक क्वार्टर सीरम	३२,४००
(६) रिन्डरपेस्ट गोट टिशू वीरस (डेसीकेटेड) .	१०,६१,७००
(७) एच० एस० कम्पोजिट वैक्सीन ...	२५,७२,७५०

पशु-संवर्द्धन

देशी स्टाक के स्तर को ऊंचा करने के लिये स्वीकृत स्तर के सांड तैयार करने के उद्देश्य से राज्य मे प्रचारार्थ स्वीकृत किये गये विभिन्न नस्ल के विशुद्ध आधारभूत स्टाक का रख-रखाव राज्य पशुधन-नस्लकशी फार्मो मे किया जाता रहा।

१९५१ ई० मे राज्य फार्मों मे रक्खा गया स्टाक निम्नलिखित था :—

क्रम संख्या	नस्ल	पशुओ की संख्या
१	साहीवाल	२८७
२	सिन्धी	४५
३	हरियाना	६१०
४	केनकेथा	७९
५	गंग.तरी	१५१
६	थरपारकर	६७
७	पवार	१३७
८	खर.गढ़	१६२
९	मुर्रा	७९५
१०	भदवारी	७९
११	तराई की भैंसे	३०

सरकार ने कालसी (देहरादून जिले) मे एक ऐसे पशु-नस्लकशी तथा दुग्धशाला फार्म की स्थापना के लिये स्वीकृति दी, जिसमें सिंधी गायें और मुर्रा भैंसें रक्खी जायं। यह आशा की गयी कि राज्य के पर्वतीय जिलो के लिये जिस पशु-नस्लकशी फार्म की आवश्यकता बहुत दिनों से प्रतीत हो रही थी उसकी पूर्ति इस प्रस्तावित योजना से हो जायगी।

निजी सस्थाओ द्वारा विशुद्ध नस्ल के सांड तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देने की योजनाये चालू रही। विशुद्ध नस्ल के साहीवाल पशुओ के पालन-पोषण के लिये बेंती (प्रतापगढ जिले) के पशु फार्म के मालिक को ३६,००० रु० की एक आवर्तक राज्य-सहायता दी गयी और विशुद्ध नस्ल के सिंधी साड उत्पन्न करने के लिये एग्रीकल्चरल इन्स्टीटयूट, इलाहाबाद के साथ जो प्रबन्ध किये गये थे वे इस वर्ष भी जारी रहे। जनता को दूध सप्लाई करने के अतिरिक्त विशुद्ध नस्ल के हरियाना सांड उत्पन्न करने के लिये स्वीकृत गौशालाओं में हरियाना पशुओ का पालन-पोषण होता रहा।

राज्य में विशुद्ध नस्ल के सांडो की कमी दूर करने के लिये पंजाब, इडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीटयूट, नई दिल्ली, विभिन्न सैनिक दुग्धशाला फार्मों और केन्द्रीय सरकार के अन्य कारोबार से २२८ सांड और ७५ भैंसे खरीदे गये। आलोच्य वर्ष मे राज्य मे विभिन्न मांगपत्र भेजनवालो को ३० रु० प्रति साड के नाममात्र के अंशदान पर लगभग ९०० विशुद्ध नस्ल के साड दिये गये।

'प्रमुख ग्राम' योजना मेरठ जिले के ७५ चुने हुए गावो मे संतोषजनक रूप से चालू रही। उक्त योजना के अधीन १९५१ ई० मे विशुद्ध नस्ल के ११ सांड और विशुद्ध नस्ल के ३ मुर्रा भैंसे सप्लाई किये गये। छाता (मथुरा जिले) मे पाइलट 'प्रमुख ग्राम' योजना के अधीन, जिसे इडियन कौसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की वित्तीय सहायता से १९५० ई० मे प्रारम्भ किया गया था और जो कौसिल द्वारा वित्त-पोषित प्राचीव पशु सम्बर्द्धन योजना का पुनस्संगठित रूप थी, कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराने के केन्द्र पर ४ सांडो का पालन-पोषण किया गया और योजना मे सम्मिलित निकटवर्त्ती गाँवो को २९ सांड सप्लाई किये गये।

'प्रमुख गांव' योजना के संबंध मे, जो पशु सुधार आंदोलन को तेजी और ज़ोर से चलाने के लिय उत्कृष्ट प्रणाली समझी जाती थी, भारत सरकार ने सहायता दी और प्रत्यक ब्लाक में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के साथ १४ अतिरिक्त 'प्रमुख ग्राम' ब्लाको की स्थापना के लिय वित्तीय सहायता दी गयी। वर्ष में इन केन्द्रो के लिय सज्जा तथा औज़ार खरीदे गये, आवश्यक कर्मचारिवर्ग को उपयुक्त ट्रेनिंग दी गयी और समस्त अन्य प्रारम्भिक कार्य पूरे किये गये।

लखनऊ (भदरुक), मेरठ, देवरिया, इटावा (महोबा) और गाज़ीपुर के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र सतोषजनक रूप से कार्य करते रहे और जनप्रिय हो गये। गाजियाबाद (मेरठ जिले) में भी एक कृत्रिम गर्भाधान उप-केन्द्र की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त बाबूगढ़ (मेरठ), भरारी (झांसी), माधुरीकुड (मथुरा) और बेंती (प्रतापगढ़) फार्मों मे चार कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र चल रहे थे।

विभाग के सीधे नियंत्रण में केवल दो सरकारी दुग्धशालाये थी अर्थात् लखनऊ की भदरुक दुग्धशाला और अलीगढ का केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म।

दुग्धशाला विकास (१) सरकारी दुग्धशालायें

भदरुक दुग्धशाला इंडियन सेन्ट्रल सुगरकेन रिसर्च स्टेशन, भदरुक के भू-गृहादि में यथावत् स्थित रही, किन्तु इसे चक-गजेरिया के यंत्रीकृत राज्य फार्म में स्थापित करन का प्रबन्ध किया जा रहा था। भदरुक दुग्धशाला में अच्छे प्रकार का दूध निकलता रहा तथा दूध की अच्छ प्रकार की अन्य चीजें भी बनती

रहीं और इन सब की मॉग बढ़ गयी। इस दुग्धशाला में प्रतिदिन के दूध के उत्पादन का औसत लगभग ४३ १/२ मन था। नस्लकशी का एक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि जिस अवधि में भैसें और गाय गाभिन नहीं रहतीं और दूध नहीं देती, उस अवधि में भी वे नियमित रूप से गाभिन रहें और दूध देने लगें, जिससे दूध का उत्पादन और उसकी सप्लाई वर्ष भर समान रूप से होती रहे।

इस उद्देश्य से कि भविष्य में कम से कम क्षति हो, मितव्ययता के कडे उपाय किये गये, जिससे १९५० ई० में २,६२,१८८ रु० १४ आना ४ पाई का जो नुकसान हुआ था, वह घट कर १९५१ ई० में १,१२,६८२ रु० २ आना ८ पाई हो गया। इस बात की आशा की गयी कि चक-गंजेरिया मे दुग्धशाला के जाने और पर्याप्त परिमाण में फार्म में तैयार किया गया हरा चारा प्राप्त करने के लिये बढ़ी हुई सुविधाओ से कारोबार को स्वय वित्तपोषित करना अन्ततोगत्वा सम्भव हो जायगा। अलीगढ़ के केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म का प्रबन्ध उसके डेनिश मैनेजर, श्री ई० जी० वोरम के हाथ में पूर्ववत् बना रहा और उसमें तैयार की जाने वाली चीजों को केवल उत्तर प्रदेश में ही जनप्रिय बनाने के लिये नही वरन् बाहर और भारत यूनियन की अन्य प्रमुख बाजारों मे भी जनप्रिय बनाने के लिये प्रयत्न किये गये।

आलोच्य वर्ष मे केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म मे लगभग १,५७,१०९ पौंड मक्खन, ३,२५,६६३ पौंड़ दूध और १,५२,६३३ पौड घी निकाला गया और ३,१२,८४५ पौड सुअरबाड़े से प्राप्त होने वाली चीजे तैयार की गयी। यह घी विशेषकर इस राज्य मे जनप्रिय था, क्योंकि निजी संस्थाओं द्वारा विशुद्ध घी प्राप्त करने मे कठिनाइयाँ पड़ती थीं।

सुअर के मांस की फैक्ट्री देश में विभिन्न बाजारो की आवश्यकता पूरी करने के लिये सुअर का मांस, हेम, पोर्क, सासेज तथा लार्ड (सुअर की चर्बी) तैयार करती रही। दुग्धशाला ने जनता के लिये दुग्धशाला संबंधी उपकरण भी तैयार किये।

(२) निजी दुग्धशालायें

निजी दुग्धशालाओ मे प्रतिदिन के दूध के उत्पादन का औसत १५ मन था। निजी दुग्धशालाओं को तकावी बॉटने के लिये आलोच्य वर्ष के बजट में ७५,००० रु० की एक छोटी व्यवस्था की गयी। विभिन्न प्रयोजनो, जैसे दुधारू मवेशियों या दुग्धशाला संबंधी उपकरणों की खरीद, शेडों के निर्माण इत्यादि के लिये तकावी ऋण के अनुदान के संबंध में बहुत से प्रार्थना-पत्र आय और उन पर विचार किया जा रहा था, जबकि वर्ष समाप्त हो गया।

गौशालाओं का विकास

स्वीकृत गौशालाओं को दूध की सप्लाई बढ़ाने के निमित्त और स्वीकृत स्तर के सॉड तैयार करने के लिये १९४८ ई०, १९४९ ई० और १९५० ई० में जो २४६ हरियाना गायें सप्लाई की गयी थी, उनका रख-रखाव होता रहा। इन गौशालाओ में प्रतिदिन के दूध के उत्पादन का औसत ४५ मन था। विभाग ने गौशालाओ द्वारा तैयार किये गये ४ चुने हुये विशुद्ध नस्ल के सॉड उनके बाजारू भाव के दो-तिहाई मूल्य पर खरीदा।

बड़ापचपेड़ा (पीलीभीत), गढमुक्तेश्वर (मेरठ) और इर्मीलया (जालौन) मे निजी गौशालाओं द्वारा खोले गये कन्सेन्ट्रेशन कैम्पों (समाहार शिविरों) का रख-रखाव होता रहा। बड़ापचपेडा और गाजियाबाद में दूध न देने वाले मवेशियों के लिये जो पशु-रक्षक केन्द्र (सालवेज सेन्टर) खोले गये थे, वे भी कार्य करते रहे।

घोड़ो और खच्चरो की नस्लकशी

मेरठ, अलीगढ, बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर के जिलो से जिन सरकारी सॉड़-घोड़ो (बीजाश्वो) को हस्तान्तरित कर दिया गया था, उनका रख-रखाव मथुरा, मैनपुरी, बिजनौर, इटावा, सहारनपुर, एटा और कानपुर के नय चुन हुये जिलों में किया गया। १९५० ई० में कूच से जो पाँच काठियावाड़ी घोडियाँ और दो काठियावाड़ी सॉड़-घोड़े (बीजाश्व) खरीदे गये थे, उनका रख-रखाव मुरादाबाद के सॉड-घोड़ो (बीजाश्वों) के डिपो में किया गया। यह निर्णय किया गया कि इन घोडियो से जो बछड पैदा हो उनको राज्य के पूर्वी जिलो मे देशी घोडो का स्तर ऊंचा उठाने के लिये उपयोग किया जाय और जो बछेडिया पैदा हों उनका नस्लकशी का स्टाक बढाने के लिये उपयोग किया जाय। लखनऊ मे काठियावाडी स्टाक के लिये उपयुक्त अस्तबल का निर्माण करने के निमित्त भी प्रबन्ध हाथ मे ले लिया गया।

आलोच्य वर्ष में राज्य में ४३ सॉड-घोड़ों (बीजाश्वो) और ८ सॉड-गर्दहों (बीज गर्दभो) का रख-रखाव किया गया।

भेड़ों की नस्लकशी

पूर्व की भांति फुलाही (इलाहाबाद), रतनपुर (फतेहपुर), भुलावन (गोरखपुर) और शिवपुर (बनारस) में सरकारी सॉड-भेडा केन्द्रो का रख-रखाव होता रहा। भेडों पर परजीवियो का नियंत्रण करने के लिये भेडो के बाल काटने और उनको धोने तथा नहलाने, ऊन को श्रेणीबद्ध करने इत्यादि के संबंध म इन केन्द्रों में गॉववालो मे प्रदर्शन किये गये। विशुद्ध नस्ल के सफद बिकानेरी सॉड-भडों की श्रणीवद्ध संतति से, जिसका रख-रखाव विभाग ने इन केन्द्रो मे किया था, उत्पादित ऊन में उसके प्रकार तथा परिमाण दोनों की दृष्टि से पर्याप्त सुधार दिखाई दिया। फुलाही में जहाँ श्रेणीवद्ध भेंडो की पाँचवी पीढ़ी थी, संतति में वस्तुतः विशुद्धनस्ल की सफेद बीकानेरी भेंडो के समस्त गुण पाये गये। निकटवर्ती क्षेत्रो की स्थानीय भेड़ों का सुधार करने के लिये विभाग ने इस क्षेत्र से चुनी हुई श्रेणी के २३ सॉड-भेंडे खरीदे। एक विशुद्ध नस्ल के सफेद बीकानेरी सॉड-भेडा सहित विशुद्ध नस्ल की ५० सफेद बीकानेरी भेड़ियों के जिस गल्ले को मथुरा जिले में एक निजी नस्लकशी करने वाले को आधी कीमत पर दे दिया गया था, वर्ष में उसका भी रख-रखाव किया गया।

उरई (जालौन), ग्वाल्डम और पीपलकोटी (गढ़वाल) के भेंड-नस्लकशी फार्मों और भरारी (झांसी), माधुरीकुंड (मथुरा), बाबूगढ (मेरठ) तथा दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा की भेंड-नस्लकशी की युनिटों की कार्यवाहियाँ जारी रहीं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रो मे स्थानीय भेड़ों का सुधार करन के लिय विशुद्ध नस्ल के रामपुर बिशेर सॉड-भेडे पैदा करने के उद्देश्य से ग्वाल्डम तथा पीपलकोटी के भेंड के फार्मो में रामपुर बिशेर मेषियाँ रक्खी गयीं, जब तक कि यहाँ की जलवायु के अनुकूल बनाये गये मैरिनो सॉड-भेंडे न तैयार हो जाय। संयुक्त-राष्ट्र से विशुद्ध नस्ल की १० मैरिनो मेषियों और विशुद्ध नस्ल के ६ मैरिनो सॉड-भेंडों के आयात का प्रबन्ध किया जा रहा था।

विभाग ने १९५१ ई० मे नस्लकशी करने वाले ग्रामीणों को ५ रु० प्रति सॉड़ भेंड़ा के सामान्य अंशदान पर विशुद्ध नस्ल के १५५ सॉड-भेंड़े बॉटे।

बकरियों की नस्लकशी

इटावा जिले के चाकर नगर क्षेत्र में जमुनापारी बकरियों और बकरों के रख-रखाव के लिये राज्य सहायता देने की योजना जारी रही। इस योजना के अधीन वर्ष में १६५ बकरियों और ३० बकरों के रख-रखाव के लिये राज्य सहायता दी गयी। यह योजना लाभप्रद सिद्ध हुई और क्षेत्र में अच्छे प्रकार के कुछ मवेशी पैदा किये गये। प्रति बकरी ने प्रति दिन ६ सेर दूध दिया। अटा, उरई और माधुरीकुंड के फार्मो तथा केन्द्रीय दुग्धशाला

अलीगढ मे जमुनापारी बकरियों की युनिटों का भी रख-रखाव किया गया। केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म की जमुनापारी बकरियों को अन्ततोगत्वा दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा को स्थानान्तरित कर दिया गया, क्योंकि केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म में, जोकि एक व्यावसायिक यूनिट था, जिन परिस्थितियों में पालन-पोषण होता था, वे इन बकरियों के लिये अनुकूल नहीं सिद्ध हुई।

बारबरी बकरियों का युनिट दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा में भलीभांति उन्नति नहीं कर सका और इसलिये उसे मिशन फार्म, एटा को पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया। राज्य ने विभिन्न माँगपत्र भेजनेवालों को ५ रु० प्रति बकरे के नाममात्र के अंशदान पर शुद्ध नस्ल के ७६ जमुनापारी और शुद्ध नस्ल के ६ बारबरी बकरे सप्लाई किया।

सुअरों की नस्लकशी

अलीगढ़ का केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म, जहाँ कि देश का सबसे अच्छा और बडा सुअरबाड़ा था, राज्य में देशी सुअरों की नस्ल सुधारने के लिये साँड-सुअरों की सप्लाई करता रहा। १० रु० प्रति सुअर के हिसाब से नाममात्र की धनराशि लेकर निजी रूप से सुअरो की नस्लकशी करने वालों को इस फार्म के शुद्ध नस्ल के मिडिलि ह्वाइट यार्कशायर नर-सुअर दिये गये। आलोच्य वर्ष के अंत में राज्य में १३३ सुअर बाड़े में नस्लकशी के प्रयोजन के लिये रक्खे गये थे।

मुर्गियों की नस्लकशी

६,४६० बडी और मुर्गियो २,०७२ मुर्गी के बच्चों के अतिरिक्त ३८,४५० से अधिक अंडे, जिनसे बच्चे पैदा हो सकते थे, राज्य में नव स्थापित विकास ब्लाकों और राज्य सहायता प्राप्त मुर्गी फार्मो को दिये गये। इसके अतिरिक्त ५१,४५६ अडे और १,५५८ चिड़ियाँ उपभोग के प्रयोजनो के लिये बेची गयी।

खाल उतारने के धंधे का विकास

वर्ष मे खाल उतारने वाले चार गश्ती दलों ने दो शहरी क्षेत्रों में और दो ग्रामीण क्षेत्रों म हाइड डेवलपमेंट अफसर के प्रयप्रदर्शन में कार्य किया। दलों ने १०६ ग्रामीण खाल निकालने वालों को और १०६ कसाइयों को क्रमशः स्वभावतः मृत्यु को प्राप्त और बध किये गये जानवरों की खाल उतारने की कला में ट्रेनिंग दी। खाल उतारने के सुधरे तरीकों का प्रयोग करने के लिय प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ट्रेनिंग प्राप्त खाल उतारने वालों को खाल उतारने के अच्छे किस्म के १२२ औजार और केनियाँ किस्म के लकड़ी के ७० ढांचे दिये गये और जो खाले बहुत अच्छे तरीके से निकाली गयी थी उनके लिये ८२६ रु० १० आ० के पारितोषिक बाँटे गये।

कर्मचारियों की ट्रेनिंग

विभाग के एक पदाधिकारी संयुक्त राष्ट्र में मुर्गीपालन की ट्रेनिंग के लिये अध्ययन अवकाश पर रहे। पशु चिकित्सा के एक असिस्टेंट सर्जन को पशु चिकित्सा विज्ञान में उच्च ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये मनीला मे फिलीपाइन्स के विश्वविद्यालय मे भेज दिया गया। विभाग के योग्य कर्मचारियों को इन्डियन वेटरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा संचालित पोस्ट-ग्रेजुएट तथा एडवान्स पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये भेज दिया गया। पशु चिकित्सा अस्पतालों मे जो बिना ट्रेनिग प्राप्त कम्पाउन्डर काम कर रहे थे उनके लाभार्थ मुरादाबाद में कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग के लिये पाठ्यक्रम खोले गये। १५ उम्मीदवारो ने राज्य मुर्गीपालन फार्मों मे ६ सप्ताह की नियमित व्यावहारिक ट्रेनिग पाठ्यक्रम पूरा किया और पशु चिकित्सा, कृषि तथा अन्य संस्थाओं से विद्यार्थियों के लिये प्रदर्शनों तथा अल्पकालीन ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया।

प्रचार, मेले

एक दिन की कई पशु संबंधी जिला प्रदर्शनियाँ और प्रादेशिक प्रदर्शनियाँ की गयीं और विभिन्न श्रेणी के प्रदर्शनों के लिये कई पारितोषिक

में आगरा मे की गयी। विभाग ने "आप की सेवा में पशु-पालन तथा मत्स्यपालन विभाग" की वैभागिक बुलेटिन का हिन्दी रूपान्तर निकाला। जनता में फील्ड कर्मचारिवर्ग के जरिये विशेष कर प्रदर्शनियों में विभिन्न वैभागिक पर्चों तथा बुलेटिनों की प्रतियाँ बाँटी गयी।

मथुरा स्थित शिक्षण, अनुसंधान और प्रदर्शन सस्था

मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान कालेज और पशुधन अनुसंधानशाला तथा जिला दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म के अस्तित्व का यह पाँचवा वर्ष था। इस कालेज में विद्यार्थियो की कुल संख्या १७४ थी। इस कालेज के ग्रेजुएटों को प्राप्त वेतन-क्रम १२०–२५० रु० से बढाकर २००–३५० रु० कर दिया गया और यह अनुभव किया गया कि भविष्य में इस सस्था में भर्ती के लिये अधिक उम्मीदवार आयेंगे। यह कालेज आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहा और गो-सेवको तथा स्टाकमैनों को पशु चिकित्सा एव पशुपालन विज्ञान में शिक्षण देने के अतिरिक्त पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन (बी० बी० एस० सी० और ए० एच०) की बी० ए० डिग्री के लिये विद्यार्थी तैयार करता रहा। आलोच्य वर्ष में इस कालेज से १६ विद्यार्थियों का पहला समूह निकला।

कोठारी पशु चिकित्सालय जो नवम्बर, १९४६ ई० में आधुनिक साज-सामान के साथ, जिसमें एक्स-रे का सुविधायें भी सम्मिलित हैं, खोला गया था और भी जनप्रिय बन गया।

पशुधन अनुसंधानशाला के पशु प्रजनन, पशु पोषण तथा रोग और घातक महामारियों के उपविभाग पशुधन की उन्नति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित महत्व की तात्कालिक समस्याओं को हल करते रहे। पशु प्रजनन उपविभाग ने पशु चिकित्सा के २१ असिस्टेंट सर्जनो और पशु पालन विभाग के ३३ स्टाकमैनों को कृत्रिम गर्भाधान की प्रविधि में भी शिक्षण दिया।

मथुरा स्थित जिला दुग्धशाला प्रदर्शनी फार्म ने विकास संबंधी कार्यवाहियाँ करते रहने के अतिरिक्त छात्रों तथा कर्मचारिवर्ग के लिये शिक्षा तथा अनुसंधान संबंधी आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की। विकास संबंधी कार्यवाहियों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी —

(१) नस्लकशी के प्रयोजनों के लिये स्वीकृत स्तर के साँड-बकरे, साँड-भेड़े, मुर्गी, बतख इत्यादि सप्लाई करना और (२) ताजा और शुद्ध दूध पैदा करना और उसे जिला सहकारी संघ के जरिये मथुरा की जनता को बेचना।

यंत्रीकृत सरकारी फार्म

विगत वर्ष की भांति पशुपालन विभाग के नियंत्रण मे १२ यंत्रीकृत सरकारी फार्म थे। लगभग कुल १२,००० एकड़ भूमि मे खेती की गयी।

आलोच्य वर्ष कृषि की दृष्टि से बहुत खराब रहा। अपर्याप्त वर्षा होने के कारण खरीफ़ की फसल को बहुत अधिक क्षति पहुंची और रबी की फसल भी न तो ठीक तरह से बोई जा सकी और न भलीभांति जम ही सकी।

इन फार्मों ने किसानों को कृषि विभाग के जरिये बाँटने के लिये अच्छे किस्म के बीज पैदा करने के संबंध में सहायता दी और अच्छी नस्ल के पशुधन पालन के लिये प्रमुख साधन के रूप में भी सेवायें की। खाद की अनुकूलतम मात्रा और ड्राईफार्मिंग की सबसे उपयुक्त प्रणालियों का पता लगाने के विचार से प्रयोग किये गये।

ऊसर भूमि को तोड़ कर खेती योग्य बनाने के संबंध में भी कुछ कार्य किया गया। इन फार्मों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों ने गाँवों के संगठित

समूहो मे पशुधन सुधार की "प्रमुख गॉव" योजना मे भी आवश्यक सहयोग दिया ।

जिस समय फार्मों को यन्त्रीकरण योजना के अधीन लाया गया, उस समय विभिन्न फार्मों में पशुओं और भैसों की कुल संख्या ४,५१७ थी, जबकि उनकी कुल संख्या १ जुलाई, १९४८ ई० को २,३११ थी। इन पशुओं मे हरियाना, सिंधी, पनवार, खैरीगढ़, केनकाथ, थरपारकर, साहीवाल और गंगातेरी मवेशी और तराई मुर्रा तथा भदवीरी भैसें थीं। भरारी, बाबूगढ़ और माधुरीकुंड फार्मों मे बढ़ती हुई भीड़ कम करने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में कुछ मवेशी सैदपुर, निबलेट और अदेशनगर फार्मों को स्थानान्तरित कर दिये गये। सभी सिंधी गायों को माधुरीकुंड फार्म से दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा को स्थानान्तरित कर दिया गया। चुनाव कर नस्लकशी करके जमुनापारी बकरियाँ और बीकानरी भेड़ें रखने तथा भेंडों और बकरियों की स्थानीय नस्ल में सुधार करने के लिये शहर के पास-पडोस में वितरण करने के वास्ते यहां की जलवायु के आदी बनाये गये सॉड-भेड़ और बकरे उत्पन्न करने के उद्देश्य से भेड़ों और बकरियों के गल्ले (सब मिलाकर ८१५ मवेशी) का भी बाबूगढ, भरारी और माधुरीकुंड के फार्मों में रख-रखाव किया गया।

मुर्गियों, ह्वाइट लेगहार्न, ब्लैक माइनोर्का और रोड आइलैंड की लाल मुर्गी, बतख इत्यादि चिड़ियो का रख-रखाव बाबूगढ़, भरारी और मंझरा फार्मो मे किया गया। मुर्गी, बतख इत्यादि चिड़ियो की कुल संख्या ५,४२१ थी।

इन यंत्रीकृत सरकारी फार्मों ने जुलाई, १९४८ ई० से १९५०-५१ ई० के अन्त तक ३२१ साँड और १४३ सॉड-भेंडे बॉटे और १५,८०८ मन दूध, ५१,७३७ अडों तथा १५० भेंड़ों की बिक्री की। इस अवधि में बेंची अथवा बॉटी गयी मुर्गी, बतख इत्यादि चिड़ियो की सख्या ३,५३३ थी।

हरा चारा पैदा करने के संबंध मे पशु-पालन बोर्ड की सिफारिशे पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गयी। निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि विभिन्न फार्मों मे कितने एकड क्षेत्र मे हरा चारा पदा किया गया और कितने एकड़ क्षेत्र मे चरागाह था :—

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	कुल क्षेत्र	कुल क्षेत्र, जिसमें खेती की गयी	क्षेत्र, जिसमें हरा चारा बोया गया	क्षेत्र, जिसमें चरागाह था
		एकड	एकड़	एकड़	एकड़
१	बाबूगढ	८५६	८५०	५८९	२००
२	भरारी	२,१२५	९००	३८३	१,०००
३	माधुरीकुंड	१,३[illegible]	८५०	५१७	५००
४	हेमपुर	५,२३५	३,३००	७९	१,२००
५	मंझरा	९५०	७००	१९९.७	२५०
६	आराजी लाइन्स	१,०३०	५००	२०३	...
७	अंदेशनगर	१,१४४	९००	१३५	२५०
८	सैदपुर	१,००४	९००	२१७	५००
९	निबलेट	९०२	२५०	१६५	५००

५३—मत्स्य-पालन

तालाबों मे मछलियो का स्टाक तैयार करना और उनका विकास करना

वर्ष मे २०,१७६·९ एकड़ क्षेत्र के १,९३८ तालाबों की पैमाइश की गयी और मत्स्य संवर्द्धन के प्रयोजन के लिये तालाब मालिको से समझौते के आधार पर ३८१२ एकड़ क्षेत्र के २३५ तालाब प्राप्त किये गये। १५३.९ एकड़ क्षेत्र के १९२ तालाबों की सफाई की गयी। ३०८·२ एकड क्षेत्र के २५२ तालाबों मे मछलियों का स्टाक रक्खा गया और १७३२ एकड़ क्षेत्र के १२२ तालाबो को फिर से भरा गया।

रिसर्च स्टेशन ने मत्स्य उत्पादन के लिये समझौते के आधार पर लगभग २३२ एकड का पानी भी लिया और १०२ एकड़ के पानी मे १,८७,०६६ छोटी मछलियो का स्टाक रक्खा गया। इसके अतिरिक्त शारदा नहर की प्रतापगढ विस्तार शाखा मे १७,५७५ छोटी मछलियो का स्टाक रक्खा गया।

मिरर कार्प की छोटी मछलियां और १९४७ ई० में भुवाली हैचरी में नये सिरे से रक्खी गयी तेजी से बढ़ने वाली विदेशी मछलियां उपलब्ध थीं और ये हवालबाग तथा बैजनाथ तालाबो मे रक्खी गयी। यह निर्णय किया गया कि उन्हें अन्ततोगत्वा प्रदेश के चुने हुये तालाबो मे नये सिरे से रक्खा जाय। मिरर कार्प को नये सिरे से रखने के लिये नौकुचिया ताल के ९ छोटे तालाबो मे से प्रत्येक को अलग करने के लिये पत्थर की एक पतली दीवाल बनायी गयी।

टेहरी-गढवाल में काल्देयानी ट्राउट हैचरी, जो अब तक वन विभाग के नियंत्रण मे थी, मत्स्य पालन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी, जिससे कि मत्स्य-पालन विभाग राज्य के कुमायूं तथा अन्य पर्वतीय भागो मे ट्राउट मछलियो को ऊंचे स्तर पर उत्पन्न करने में समर्थ हो सके।

अनुसंधान

लखनऊ की केन्द्रीय मत्स्य-पालन अनुसंधान प्रयोगशाला और रामपुर, बनारस, भुवाली और मिर्जापुर मे नव-स्थापित अनुसंधान के ४ सब-स्टेशनों मे यह ज्ञात करने के लिये प्लैकटानिक अध्ययन और भौतिक तथा रासायनिक विश्लेषण जारी रहे कि किन उत्कृष्ट वातावरणो में मछलियों की अनुकूलतम वृद्धि हो सकती है। ज़ोनो मे मछलियो के वितरण के अध्ययन की सुविधा के लिये प्रत्येक केन्द्र मे एक म्युजियम की स्थापना की गयी और अधिक संख्या में स्थानीय मछलियां इकट्ठा की गयी। तालाबो की उर्वरता बढाने के उद्देश्य से खाद संबंधी प्रयोग किये गये और लाने, ले जाने तथा तालाबों मे रखने पर फ्राई तथा छोटी मछलियो के जीवित रहन, मछलियो के बचे हुये भाग से भोजन तैयार करने से सबंधित समस्यायें परीक्षाधीन थी। १ अप्रैल, १९५१ ई० से २४ उम्मीदवारो को व्यावहारिक मत्स्य-प्लान में ट्रेनिंग दी गयी।

सामाजिक और आर्थिक कार्य

इलाहाबाद में गंगा रोक मछुओ की एक सहकारी समिति उत्तर प्रदेश सहकारी विभाग द्वारा रजिस्टर्ड की गयी और उपयुक्त उप-विधियां बनाई गयीं।

अध्याय ७—शिक्षा तथा कला

५४—शिक्षा

१९५१ ई० मे शिक्षा की प्रायः सभी दिशाओ में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

उत्तर प्रदेश की ८६ नगरपालिकाओ में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के लड़को के लिये प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क थी। २४ नवनिर्मित नगरपालिकाओ में अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के सम्बन्ध में प्रारंभिक कार्यवाहियां की गई।

प्रारंभिक (Primary) शिक्षा

२६ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ३५७ ग्रामीण क्षेत्रों के लड़को के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य थी। १९५१ ई० में इस योजना के अंतर्गत नए क्षेत्र सम्मिलित नहीं किए जा सके। २३ सैचुरेटड (saturated) जिलो में से सभी में अनिवार्य शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थीं, यद्यपि उन जिलो में प्रारंभिक शिक्षा अब तक अनिवार्य नहीं की गई थी।

तीन नगरपालिकाओं में प्रारम्भिक शिक्षा पहले से अनिवार्य थी, उनके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में ७ और नगरपालिकाओ में लडकियो के लिए अनिवाय प्रारभिक शिक्षा प्रारंभ की गई। इस प्रकार यह योजना १० नगरपालिकाओ में चल रही थी। इस वर्ष इसमें २ ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित किए गए।

जुलाई, १९४८ ई० से पिछले वर्ष तक प्रारभिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत जो सरकारी प्रारंभिक स्कूल खोले गए थे नवम्बर, १९५० ई० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में दे दिए गए। १९५१ ई० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सिपुर्दगी में ५५० नए स्कूल खोले गए।

वर्ष के अन्त में प्रारभिक स्कूलो की कुल संख्या ३२ ००० थी, अध्यापकों की सख्या ७०,००० से अधिक थी और लड़को की सख्या ८ लाख से भी अधिक हो गई।

ट्रेनिंग के सचल दस्ते (squads), जिनकी संख्या ५० थी, रामपुर के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में कार्य करते रहे और तेजी से बढ़ते हुए प्रारंभिक स्कूलों को नार्मल स्कूलो के ट्रन्ड अध्यापक सप्लाई करने के काम मे हाथ बंटाया। १९५१ ई० में कुल ११,५७० अध्यापको को एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० (J. T C.) की ट्रेनिंग दी गई।

जुलाई, १९५० ई० में जूनियर हाई स्कूलो में नई आठवीं कक्षा खोली गई। नई योजना के अन्तर्गत, जिसमे उभयनिष्ठ पाठ्य-विषय (common syllabus) की व्यवस्था की गई थी, १९५१ ई० में पहले बैच में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा दी। एसे विद्यार्थियो की कुल संख्या, जो कोर्स पूरा कर रहे थ, लगभग एक लाख थी।

जूनियर हाई स्कूल इत्यादि

१९५१ ई० मे ११२ अन्य स्कूलों में सामान्य विज्ञान की कक्षाएं खोली गई। इस प्रकार ऐसे स्कूलो की कुल संख्या, जिनमें सामान्य विज्ञान की शिक्षा की सुविधाए थी, ३३७ तक पहुच गई। सरकार ने सज्जा तथा उपकरणो का खरीद के लिए १,१२,००० रु० उपस्कर (फर्नीचर) की खरीद के लिए ९३,००० रु० और सामान्य विज्ञान के अध्यापको के वेतन के लिए १,३०,१०० रु० की स्वीकृति दी।

७ सरकारी नार्मल स्कूलो, लड़कियो के १२ जूनियर हाई स्कूलो और लड़को के १५ सरकारी माडल स्कूलों म भी इस विषय की कक्षाए खोली गई। सरकार ने इस दिशा में ५०,८७० रु० का अनावर्तक व्यय किया और ऐसी प्रत्येक शिक्षा संस्था के लिए इस विषय के एक अध्यापक की व्यवस्था की।

सभी नार्मल स्कूलो में एक अनिवार्य विषय के रूप मे कृषि की कक्षाएं खोली गई। लडकियों के नार्मल स्कूलों में कृषि के स्थान पर गृहविज्ञान (House Craft) की शिक्षा दी गई।

उच्च माध्यमिक स्कूल (हायर सेकेंडरी स्कूल्स)

१९५१ ई० मे उच्च माध्यमिक शिक्षा मे विशेष प्रगति हुई। लडकों की १६८ और लड़कियों की १० शिक्षा संस्थाओं मे ११वी कक्षा खोली गई। जिन शिक्षा संस्थाओं मे इंटरमीडिएट की कक्षाएं थी और जिनमें नहीं थीं उनकी संख्या क्रमशः ५०९ और १,००० थी।

जो विद्यार्थी यू० पी० बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट (कृषि तथा वाणिज्य मे इंटरमीडिएट की परीक्षा को सम्मिलित करके) की परीक्षा में बैठे थे उनकी संख्या क्रमशः १,१०,५८१ और ४१,१०९ थी। इन अंकों में उन विद्यार्थियों की संख्या नही सम्मिलित है, जो बनारस और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली समकक्ष परीक्षाओ मे बैठे थे।

सरकारी शिक्षा संस्थाओ ने उन विषयो के पढ़ाने में अधिक जोर दिया जो गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं अधिक खर्च के कारण पढ़ाने में असमर्थ थी। अतएव पिथौरागढ, मैनपुरी, फतेहपुर, फतेहगढ, हमीरपुर और रायबरेली के सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलो मे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित की, पीलीभीत और टेहरी मे जीव विज्ञान (बायोलाजी) की, पीलीभीत मे कृषि की और इलाहाबाद के लड़कियों के सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में वर्ग 'ग' के विषयों की ११ वी कक्षाएं खोली गई। इलाहाबाद के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल मे औद्योगिक रसायन तथा कुम्हारी विद्या (Ceramics) पढ़ाने और बनारस में औद्योगिक रसायन के पढ़ाने की व्यवस्था की गई। इन विषयो के पढ़ाई पर क्रमशः ३३,६०० रु० और २३,५०० रु० के आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक सरकारी व्यय होने का अनुमान लगाया गया था और सरकार ने उक्त प्रयोजन से गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान (आवर्त्तक और अनावर्त्तक) दिए।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की डिग्री तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओ के विद्यार्थियों की कुल संख्या २९,८२९ थी, जबकि पिछले वर्ष वह केवल २४,१४१ थी। इससे २३·५ प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। यह वृद्धि विश्वविद्यालय के सभी विभागों में हुई, केवल कृषि विभाग इसका अपवाद रहा, जिसमें उक्त संख्या ६४५ से घटकर ६२५ रह गई। इस संख्या मे आर्ट्स विभाग में २८.८ प्रतिशत की, विज्ञान विभाग में २५.८ की, वाणिज्य विभाग में १७ प्रतिशत की और विधि (Law) विभाग में ८·३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उन क्षेत्रो में जहाँ सन्तोषप्रद व्यवस्था नही की गई थी जनता के लिए उच्च शिक्षा सुगम कर दी गई। सरकार ने नैनीताल तथा ज्ञानपुर (बनारस) में डिग्री कालेज खोले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बी० एस-सी० डिग्री की शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन से कायस्थ पाठशाला के प्रबंध में चौधरी महादेव प्रसाद कालेज नामक एक नयी शिक्षा संस्था खोली गयी। आलोच्य वर्ष में इसकी बी० एस-सी० प्रथम वर्ष की कक्षा में ९० विद्यार्थी थे। उरई के डी० ए० वी० कालेज, हापड़ के सरस्वती विद्यालय कालेज, फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय कालेज, नैनीताल के स्टेट डिग्री कालेज और ज्ञानपुर (बनारस) के बी० एच० कालेज, आगरा

डिग्री कालेजों को उनके सामने अंकित विषयों में शिक्षा के लिए सम्बद्ध किया गया :—

(१) वीमेन्स ट्रेनिंग कालेज, दयालबाग (२) बराहसेनी कालेज, अलीगढ़ (३) महाराणा प्रताप कालेज, गोरखपुर	बी० ए० की डिग्री के लिए
(४) कारोनेशन हिन्दू कालेज, मुरादाबाद	बी० एस-सी० की डिग्री के लिए
(५) राधास्वामी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा (६) डी० ए० वी० कालेज, देहरादून	बी० टी० डिग्री के लिए

पूर्व की भांति शासकीय आज्ञाओ के अनुसार इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजो के १० प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी गई और १५ प्रतिशत विद्यार्थियो की फीस आधी कर दी गई। इसके अतिरिक्त परिगणित जाति के विद्यार्थियो की फीस माफ कर दी गई। विभिन्न शिक्षा संस्थाओ में विभिन्न साधनों से नाना प्रकार की छात्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय प्रदेशो मे कुछ अधिक छात्रवृत्तियाँ देने के अतिरिक्त डिग्री की कक्षाओं के बहुत से विद्यार्थियों को २० रु० प्रतिमास की और पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओ के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी ३० रु० की छात्रवृत्तिया दीं। राज्य के पश्चिमी भाग के कालेजो के बहुत से विस्थापित विद्यार्थी सरकार की ओर से छात्रवृत्तियाँ पा रहे थे। परिगणित जाति के विद्यार्थी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनो ही से १६ रु० और २० रु० से लेकर ४० रु०, ५० रु० और ५५ रु० प्रतिमास तक की छात्रवृत्तियाँ पा रहे थे। जुलाई, १९५१ ई० से सरकार ने इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों और आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजो के निर्धन तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकों के अनुदान दे रही है। इन छात्रवृत्तियो की सख्या इस प्रकार से है :—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय	६०
लखनऊ विश्वविद्यालय	६०
आगरा विश्वविद्यालय	८०
	२००

छात्रवृत्तियो का मूल्य वर्ष मे १० मास तक १०० रु० प्रतिमास से अधिक न होना चाहिए। इस काम के लिये १,५०,००० रु० का अनुदान दिया गया।

चूंकि सरकार इमारतों के सम्बन्ध में अनुदान देने में बिलकुल असमर्थ थी, नई इमारतों का निर्माण बहुत सीमित रहा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण सामग्री 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना सम्बन्धी निर्माण-कार्यो के लिये सुरक्षित रखी गयी थी। इस वर्ष विश्वविद्यालयो तथा कालेजो ने अपने निजी कोष तथा पूर्ववर्ती अनुदानों से रुपया बचाकर कुछ निर्माण कार्य किया।

वैज्ञानिक अनुसंधान समिति की सिफारिश पर सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजो के अनुसंधान-कार्य के लिये कुल १,२७,४%० रु० के अनुदान दिये। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न टेक्निकल तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के अनुसंधान कार्य के लिये भी ५२,२३६ रु० तक के

विश्वविद्यालय अनुदान समिति

उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालय अनुदान समिति ने बहुत सी बातों के सम्बन्ध सिफारिशें कीं जिनमें से कुछ, जिनके सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकृति प्रदान की, वे ये हैं :— विज्ञान की शिक्षा तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ अतिरिक्त अध्यापकों के पदो, जिसमें भू-गर्भ शास्त्र के अध्यापक का पद भी सम्मिलित है, के लिये प्रस्तुत व्यवस्था का विस्तार करना। सरकार ने प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों तथा विद्यार्थियो की योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता को, जिसके सम्बन्ध में समिति ने अपनी सम्मति प्रकट की थी, स्वीकार कर लिया और इन बातों की देखभाल करने के प्रयोजन से एक डिप्टी डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग की नियुक्ति की।

प्रौढ़ शिक्षा

सम्पूर्ण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के १,३१७ सरकारी पुस्तकालयों (जिनमें से ४० महिलाओं के लिये) और ३,६०० वाचनालयो का सरकार द्वारा रखरखाव किया गया और इन संस्थाओं के लिये पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा सामयिक पत्रों की खरीद के प्रयोजन से ७५,००० रु० की व्यवस्था की गई। पुस्तकालयों तथा वाचनालयो ने ग्रामीण क्षेत्रो में ज्ञान की वृद्धि में योग देने तथा उन व्यक्तियों को, जिनके पास इसके अतिरिक्त पढ़ने का कोई अन्य साधन न था, पुनः पढ़ना, लिखना भूल जाने से बचाकर पठनीय सामग्री की व्यवस्था की।

शिक्षा सम्बन्धी फिल्म बनाने के लिये एक फिल्म विभाग चलाया जा रहा था। जनता को दिखाने और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा मेलो इत्यादि में प्रचार करने के लिये ५ सिनेमा गाड़ियाँ थीं, जिनमें प्रोजेक्टर, रेडियो सेट, लाउडस्पीकर इत्यादि लगे हुए थे। ५ सिनेमा वान थी, जो प्रोजेक्टरो इत्यादि से सुसज्जित थी।

अस्वस्थ तथा अशक्त बच्चों की शिक्षा

राज्य में मस्तिष्क तथा शरीर से अस्वस्थ बच्चों के लिये कुल १२ स्कूल चल रहे थे। नवम्बर, १९५१ ई० में सरकार ने बरेली में एक नया स्कूल खोला। इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, बनारस और मैनपुरी में सरकारी शिक्षा संस्थाओं का काम चालू था।

सैनिक शिक्षा

यू० पी० एजुकेशन कोर और नेशनल कैडेट कोर दोनों का काम सुचारु रूप से चलता रहा। १९५१ ई० में १८ शहरो में इन्टरमीडियेट की कक्षाओं के विद्यार्थियो के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना चल रही थी। यह योजना १९४८ ई० में ११ शहरो में नवयुवकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐसे कार्यों में भाग लेने का अवसर देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी, जिससे विशेषतया आत्म-विश्वास, विचार की स्वतन्त्रता, स्वभाव की सरलता, आत्मसंयम, स्वअनुशासन, टीम में मिलकर काम करने की भावना तथा सहिष्णुता जैसे व्यक्ति को ऊंचा उठाने के गुणो को प्राप्त करने में सहायक हो। इस वर्ष यह किसी अन्य नये शहर में नहीं चालू की गई।

इस वर्ष नैनीताल के शिक्षको के प्रशिक्षण शिविर में १३४ नये शिक्षकों को अनिवार्य सनिक ट्रेनिंग दी गई, जबकि पिछले वर्ष फैजाबाद में ८० शिक्षको को ट्रेनिंग दी गई थी। जिन कालेजों में सैनिक शिक्षा दी जाती थी उनकी कुल संख्या ९० से बढ़ाकर ११४ हो गई और प्रशिक्षण पाने वाले कैडेटो की कुल संख्या २६,४५० थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या २२,००० थी। प्रत्येक नगर में नेशनल कैडेट कोर के विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया।

प्रत्येक केन्द्र पर जिले की प्रतियोगिताओं तथा साप्ताहिक शिविरों का आयोजन किया गया और सर्वश्रेष्ठ कैडेटो को पारितोषिक वितरण किये

राज्य के नवयुवकों की तृतीय रैली लखनऊ में १५ और १६ दिसम्बर १९५१ ई० को हुई और १६ दिसम्बर को १,०५० कैडेटों ने परेड में भाग लिया। भारत सरकार के गृह मन्त्री डाक्टर कैलाश नाथ काटजू ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने कैडेटों के एक सामूहिक व्यायाम प्रशिक्षण प्रदर्शन को भी देखा और विभिन्न यूनिटों को पारितोषिक वितरण किये। इसमें एक बात जो विशेष थी, वह यह थी कि परेड के समय सभी कैडेटों के पास सर्विस राइफिलें थीं और एक कैडेट द्वारा सम्पूर्ण परेड करायी गयी थी।

जिलों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों से यह प्रकट हुआ कि यह योजना लोकप्रिय हो रही थी और जिन शिक्षा संस्थाओं में यह चालू थी उनके सामान्य अनुशासन में सुधार हुआ।

नैतिक शिक्षा

शिक्षा अधिकारियों का ध्यान नैतिक शिक्षा की ओर भी गया। हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट शिक्षा बोर्ड ने इसका शिक्षा संस्थाओं में बिना परीक्षा के एक अनिवार्य विषय के रूप में चालू किया जाना स्वीकार कर लिया और राज्य में नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में उपयुक्त साहित्य रचना का कार्य प्रारम्भ किया गया। यह अनुभव किया गया कि शिक्षकों द्वारा अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया जाना, इस विषय में शिक्षा देने का एक बहुत प्रभावशाली साधन होगा और इस विषय के सम्बन्ध में सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा क्रियात्मक ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है।

कांस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज

कांस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज, जो इलाहाबाद में विभिन्न इमारतों में (जिनमें से कुछ किराये की थी) स्थित था, १९५१ ई० में लखनऊ में स्थानांतरित किया गया और इसके विस्तार को सुगम करने के लिये इसे एक उपयुक्त सरकारी इमारत में स्थापित किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ में, जहाँ इसकी ट्रेनिंग पाने वाले विद्यार्थी प्रैक्टिस करते थे, औद्योगिक रसायन, कृषि, पुस्तक कला (Book Craft), धातुकला और कताई तथा बुनाई के काम की शिक्षा नवीं कक्षा में प्रारम्भ की गई। इस कालेज में ग्रेजुएट और अन्डर ग्रेजुएट दोनों प्रकार के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। १९५१ ई० में कृषि, कुम्हारी विद्या (सेरामिक्स) औद्योगिक रसायन, पुस्तककला, धातुकला और कताई तथा बुनाई की कक्षाओं में कुल ५३ नये विद्यार्थी ट्रेनिंग के लिये भर्ती किये गये।

मनोविज्ञान का ब्यूरो

इलाहाबाद का मनोविज्ञान का ब्यूरो मनोविज्ञान के सम्बन्ध में नियमित रूप से पथ-प्रदर्शन करता रहा। ५ प्रदेशों में से प्रत्येक में एक मनोविज्ञान का शिक्षा केन्द्र खोलने के उद्देश्य से ५ मनोवैज्ञानिकों तथा ५ सहायक मनोवैज्ञानिकों को उच्च-मनोविज्ञान की सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक दोनों प्रकार की प्रगाढ़ रूप से ट्रेनिंग दी गई।

अनुसंधान सम्बन्धित कार्य, जिसमें मनोवैज्ञानिक जाँच तथा खेलों द्वारा चिकित्सा (Play Therapy) सम्मिलित हैं, जारी रखा गया। अनुसंधान सम्बन्धी ९ पर्चे प्रकाशित किये गये और भारत की दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना और बम्बई की उसी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं और बाहर की शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित किया गया और घनिष्ठता बढ़ाई गई।

सेन्ट्रल पेडागागिकल इन्स्टीट्यूट

इलाहाबाद के पेडागागिकल इन्स्टीट्यूट ने जूनियर हाई स्कूलों के हिन्दी, गणित, भूगोल, सामान्य विज्ञान तथा अंग्रेजी के अध्यापकों के लिये पुस्तकें (Handbooks) तैयार कीं। गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं

इस शिक्षा संस्था ने १९५१ ई० में निम्नलिखित पर्चे प्रकाशित किये :—

(१) प्राइमरी स्कूलों का पाठ्यक्रम ।
(२) लड़कों द्वारा नक्शे का अध्ययन ।
(३) विज्ञान का अध्यापन ।
(४) इलाहाबाद के स्कूलों में छठी कक्षा की व्यवस्था ।
(५) बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम का आलेख्य ।
(६) प्राइमरी शिक्षा की केन्द्रीय समस्या—अनेक कक्षाओं की शिक्षा ।
(७) इतिहास की शिक्षा के सम्बन्ध में अध्यापकों के लिये एक (हैन्ड-बुक) पुस्तक ।

शारीरिक-संवर्द्धन कालेज

इलाहाबाद का शारीरिक शिक्षा का कालेज शिक्षकों को (पुरुषों और महिलाओं दोनों को) शारीरिक शिक्षा की ट्रेनिंग देना जारी रखा और यह राज्य में अपने किस्म की एक ही सरकारी शिक्षा संस्था थी। १९५१ ई० में शिक्षार्थियों की संख्या ६६ थी (जिसमे ५४ पुरुष और १२ महिलायें थी)।

महिलाओं के गृह विज्ञान तथा कला का कालेज

इलाहाबाद का गृह विज्ञान तथा कला का कालेज, जो १९४३ ई० में गृह विज्ञान की अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग देने के प्रयोजन से स्थापित किया गया था, संतोषजनक ढंग से कार्य करता रहा। इस वर्ष जिन शिक्षार्थियों ने 'प्रमाण-पत्र' सम्बन्धी पाठ्य विषय (Course) लिया था उनकी संख्या ११५ थी और जिन्होंने डिप्लोमा सम्बन्धी पाठ्य विषय लिया था उनकी संख्या १७ थी।

नर्सरी ट्रेनिंग कालेज

नर्सरी ट्रेनिंग कालेज ने (जिसमें अध्यापन के अभ्यास के लिये एक नर्सरी स्कूल सम्बद्ध था) अध्यापकों को इस उद्देश्य से ट्रेनिंग देना जारी रखा कि वे छोटे बच्चों में अपने विचार प्रकट करने की क्षमता तथा व्यक्तित्व का विकास करने की दृष्टि से उन्हें शिक्षा देने में विशेष रूप से समर्थ हों और समुचित योग्यता के अध्यापकों को तैयार करके बच्चों की एक अधिक प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रणाली का तैयार किया जाना जारी रखा।

पूर्व की भांति 'शिक्षा' नामक त्रैमासिक पत्र शिक्षा विभाग से प्रकाशित होता रहा और यह शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान के तथा विभाग द्वारा किये गये कार्यों के प्रकाशन में उपयोगी था।

पुस्तकों के लिये पारितोषिक

हिन्दी को, जो केवल राष्ट्र भाषा ही नहीं थी अपितु उत्तर प्रदेश में शिक्षा का माध्यम थी, अच्छी पुस्तकों की रचना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ३१ लेखकों को विभिन्न विषयों पर अच्छी पुस्तकें लिखने के लिये कुल २५,७०० रु० की धनराशि के पारितोषिक वितरण किये गए।

अध्यापकों के लिए सुविधायें

गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की दशाओं में सुधार करने और सम्बन्धित अमले के मेम्बरों के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अव्यवस्थित रूप से जाने को रोकने के उद्देश्य से सरकार उनके लिये कुछ शासकीय वेतनक्रम पहले ही से निर्धारित कर चुकी थी। १९५१ ई० में अध्यापकों को जो और सहायता दी गई वह यह थी कि जो अध्यापक बहुत वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे थे उनके वेतन में एक या दो अग्रिम वेतन-वृद्धि की गई, जैसे १० साल की सेवा पर एक वेतन-वृद्धि। शिक्षा विभाग के लिये एक क्षय रोग की चिकित्सालय की योजना भी प्रारम्भ की गई और उन अध्यापकों तथा उनके आश्रितों के लिये, जो दुर्भाग्यवश क्षय रोग से ग्रस्त हो जाय, सेनीटोरियम में चिकित्सा की व्यवस्था करने के प्रयोजन से योजना को आगे बढ़ाया गया। लोगों ने उदारतापूर्वक सहायता दी और १५ लाख रु० से अधिक

इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना दिसम्बर मास की लखनऊ की अंतर्राष्ट्रीय खिलौना प्रदर्शनी थी जो शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाने की योजना में स्फूर्ति पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें भारत के सभी भागों से तथा बाहर के कई देशो से मँगाये गये खिलौनों का प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शनी को बहुत से शिक्षा विशेषज्ञों तथा जनता ने देखा। खिलौनों की प्रदर्शनी से केवल मनोरंजन ही नहीं हुआ, बल्कि खिलौना का शिक्षा सम्बन्धी विशेष मूल्य तथा कला और खेल के द्वारा अभिव्यक्ति का महत्व प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त इसने भारत के खिलौना बनाने वालों को भी स्फूर्ति प्रदान किया।

अन्तर्राष्ट्री खिलौना प्रदर्शनी (International Toys Exhibition)

५५—रुडकी विश्वविद्यालय

प्रवेश

मई, १९५१ ई० में जो प्रवेशिका परीक्षा ली गई थी उसके परीक्षाफल के परिणामस्वरूप इन्जीनियरिंग में (सिविल मे ३५, बिजली में १९ और मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में १८) ७२, ओवरसियरी में ७० और नक्शानवीशी (ड्राफ्टमैन) की कक्षा में १२ प्रविष्ट किये गये। हिन्द एशिया, बर्मा और पूर्वी अफ्रीका से भी इन्जीनियरी कक्षा में ५ विद्यार्थी भर्ती किये गये। जो तीन विद्यार्थी असफल रहे उन्हें फिर से पाठ्य-क्रम पढने को कहा गया। प्रवेशिका परीक्षा मे कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं बैठी। विश्वविद्यालय का सत्र १७ अक्टूबर से प्रारम्भ हुआ।

छात्र-वृत्ति, ट्रेनिंग और अन्य कार्यवाहियाँ

१९५२–५३ ई० में विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों में से सार्वजनिक निर्माण कार्यों, भू-सिंचन और बिजली विभाग की ट्रेनिंग के लिये चुने गये २६ इंजीनियर छात्रों को छात्र वृत्ति देने की सरकार ने स्वीकृति दी। इस वर्ष मेकेनिकल इंजीनियरिंग (रेफ्रीजरेशन), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग (कांकरीट टेकनालाजी) के अल्पकालीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये। छुट्टियो में प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों को विश्वविद्यालय में व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की प्रथा जारी रखी गई। विश्वविद्यालय में ऐसे सिनेमा की व्यवस्था करके, जिसमे शिक्षात्मक और मनोरंजक फिल्म दिखलाये जाते थे, मनोविनोद की सुविधाओ में सुधार किया गया।

विद्यार्थियो के अनुशासन और स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान दिया गया।

प्रयोगशालाएं

सिविल इजीनियरिंग सेक्शन में स्वायल (Soil) इंजीनियरिंग लेबोरेटरी (प्रयोगशाला), कक्रीट लेबोरेटरी और हाइड्रालिक्स लेबोरेटरी, मेकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन मे रेफ्रीजरेशन लेबोरेटरी, सीनयर टेकनालाजिकल लेबोरेटरी, कम्यूनिकेशन लेबोरेटरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन मे मेजरमेंट लेबोरेटरी साल भर चालू रही। प्रयोगशालाओ को आधुनिक ढग से सुसज्जित करने के लिए बहुत सा साज-सामान प्राप्त हुआ और उसे यथास्थान ठीक कर दिया गया।

इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग लेबोरेटरी के लिए एक पृथक ब्लाक, जिसके बन जाने से सिविल और मेकेनिकल इजीनियरिंग विभागों मे स्थान की संकीर्णता दूर होकर उसके विस्तार की गुंजायश हो जायगी, बनाने की व्यवस्था करने के संबध मे जो योजना बनाई जा रही थी, उसमे वर्ष के अन्त में काफी प्रगति हो चुकी थी।

१९५१ ई० मे विकास और नियोजन समितियाँ भी सिंडीकेट को राय देने के लिए बनाई गईं।

विश्वविद्यालय के नियम और विनियम बनाने का काम सिंडीकेट की पाण्डुलेख उपसमिति को सौंपा गया और सिंडीकेट ने इसकी रिपोर्ट पर विचार किया और इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया।

इस वर्ष प्रोफेसरों और लेक्चररों का वेतनक्रम बढ़ाया गया।

उप-कुलपति (वाइस–चांसलर), डाक्टर सी० ए० हार्ट को भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाकर अगस्त में ब्रसेल्स मे होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय जियोडेटिक (Geodetic) तथा जियोफिजिकल (Geophysical) की ८ वीं सामान्य बैठक मे और सितम्बर में लन्दन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय भवन अनुसंधान सम्मेलन मे भाग लेने के लिये भेजा गया।

दीक्षान्त समारोह के पुराने हाल को नये नमूने पर बनाया गया, जिससे अब उसमे ९०० व्यक्तियो को बैठने के लिए व्यवस्था हो गई है, जबकि पहिले उसमें केवल ६५० के लिए ही स्थान था।

सेन्ट्रल बिल्डिग रिसर्च इन्स्टीट्यूट की इमारत के लिए काउंसिल आफ साइन्टिफिक ऐण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च को १० एकड़ का एक भू-खण्ड (प्लाट) दिया गया और इमारत का निर्माण कार्य हो रहा है।

५६—साहित्यिक प्रकाशन

१९५१ ई० में जो प्रकाशन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए, उनकी कुल संख्या १,३२६ थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या १,०२९ थी। इस वर्ष के प्रकाशन में भी सबसे अधिक संख्या हिन्दी पुस्तकों (९११) की रही। शेष पुस्तको में से १८३ पुस्तकें विभिन्न भाषाओ में लिखी हुई, १३२ अंग्रेजी की, ४८ उर्दू की, २२ संस्कृत की, बंगाली और गुजराती प्रत्येक की दो–दो और १ अरबी की थी। १० पत्रिकाओ में से प्रत्यक्ष कई भाषाओ तथा अंग्रेजी में लिखी हुई और ५ हिन्दी की पत्रिकाएं थीं। पद्य के प्रकाशनों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् २४७ थी। अन्य महत्वपूर्ण विषयो पर प्रकाशित पुस्तको की संख्या इस प्रकार थी :—

विषय	संख्या
धर्म	१७०
साहित्य	१११
शिक्षा	१०२
उपन्यास	१०२
नाटक	४८
इतिहास	४८
विधि	४१
भूगोल	३६
गणित	३१
राजनीति	२९
जीवन-चरित्र (जिसमे संस्मरण सम्मिलित है)	२६
नागरिक शास्त्र	२६
विज्ञान (जिसमे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पशु-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि सम्मिलित हैं)	२२

सभी विषयों में नई पुस्तकें आईं। हिन्दी, उर्दू और बंगाला की पुस्तकें अत्यधिक जनप्रिय रहीं। उपन्यास, इतिहास, समाज-शास्त्र और दर्शन की पुस्तकों का सबसे अधिक पठन किया गया।

५८--सूचना और प्रख्यापन

सामान्य

सूचना डाइरेक्टरेट पहले की तरह लोगों को सरकार की नीतियों, कार्यवाहियों और योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना देता रहा और सरकार को भी इस बात से अवगत कराता रहा कि विभिन्न दिशाओं में उसने जो कार्यवाहियाँ कीं, उनके बारे में जनमत क्या था और उसकी प्रतिक्रियायें क्या थीं।

अगस्त के महीने से सूचना विभाग के सचिव ने सूचना संचालक के रूप में भी कार्य किया। डायरेक्टरेट की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में उसको पुनस्संगठित करने के प्रश्न पर विचार किया गया।

फील्ड प्रख्यापन यूनिटों द्वारा आयोजित प्रकाशन, जिनमें पत्र-पत्रिकायें, पर्चियाँ आदि, प्रेस नोट, प्रेस को भेजे गये समाचार, फिल्म और फोटोग्राफ, रेडियो तथा व्याख्यान सम्मिलित हैं, प्रख्यापन के मुख्य साधन बने रहे। सूचनात्मक पर्चियों और लेखों को और अधिक छपाने के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाहियाँ की गयीं।

सरकारी प्रकाशन, जिनमें से बहुतों का मूल्य रखा गया, डायरेक्टरेट के सूचना ब्यूरो द्वारा जारी रक्खे गये। समूल्य प्रकाशनों को व्यावसायिक आधार पर बेंचने के लिये विगत वर्ष जो निर्णय किया गया था, उसके अनुसार ब्यूरो को १ अप्रैल, १९५१ ई० से व्यावसायिक कारोबार घोषित कर दिया गया।

पत्र-पत्रिकायें

वर्ष के आरम्भ से "यू० पी० इन्फार्मेशन" तथा "इत्तेलात" को उनके आकार में बिना कोई परिवर्तन किये हुए ४८ पृष्ठ के मासिक समाचार-पत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। हिन्दी "समाचार" और "नवयुग" को भी, जिसके साथ हिन्दी मासिक "हल" मिला लिया गया था, बन्द कर दिये गये और इनके स्थान पर "उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य" एक नया हिन्दी पाक्षिक निकाला गया, जो आकार तथा विस्तार में अपेक्षाकृत बहुत अधिक था। प्रत्येक पक्ष में इस नये पत्र की जितनी प्रतियाँ निकाली जाती थीं, उनकी संख्या ४०,००० थी। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर इस पत्र को उत्तर प्रदेश में सभी गाँव सभायें और बहुत सी पचायती अदालतें मूल्य देकर खरीदती थीं। "यू० पी० इन्फार्मेशन" तथा "इत्तेलात" के इस प्रकार के क्रमशः ४५० और २२२ ग्राहक थे। वर्ष में प्रकाशित "यू० पी० इन्फार्मेशन" की प्रतियों की कुल संख्या ३४,८२६ थी और "इत्तेलात" की ३६,४५३ थी। इन तीनों पत्रों ने स्वतन्त्रता दिवस, गाँधी जयंती तथा जनतन्त्र दिवस के अवसर पर विशेषांक निकाले।

पर्चें, पुस्तिकाएं आदि

पर्चें, पुस्तिकाएं आदि के नियमित विरचन तथा प्रकाशन के लिये एक सुस्पष्ट कार्यक्रम बनाया गया और डायरेक्टरेट तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों के बीच अधिक सामञ्जस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभागों के साथ सम्पर्क बनाये रखने और पर्चियों के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने का कार्य पत्रकारों की एक टीम को सौंपा गया। वर्ष में इस प्रबन्ध के अधीन बहुत सी समूल्य पर्चियाँ और पुस्तिकायें प्रकाशित की गयी। पर्चियों का मूल्य इतना कम रक्खा गया कि प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से खरीद सके। समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त निःशुल्क वितरण के लिये सरकारी कार्यवाहियों से

संबंधित पर्चियां निकाली गईं। इनमें निम्नलिखित ग्रन्थ-मालायें भी सम्मिलित थी :—

(१) उत्तर प्रदेश में (हिंदी)।
(२) उत्तर प्रदेश में (उर्दू)।
(३) प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी)।
(४) प्रगतिशील उत्तर प्रदेश (हिन्दी)।
(५) यू० पी० तरक्की की राह पर (उर्दू)।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्चों की जितनी प्रतियाँ प्रकाशित करके निःशुल्क बाँटी गयी उनकी कुल संख्या लगभग ११ लाख थी।

आय

डायरेक्टरेट की तीनों पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापनों से १९५१ ई० के कलेंडर वर्ष में २,९६१ रु० की आय हुई। पत्र-पत्रिकाओं को मिलाकर समस्त समूल्य प्रकाशनों से कुल १,६६,२९३ रु० (सुगमाँक) की आय हुई।

समाचार-पत्रों द्वारा प्रख्यापन

प्रेसों को सरकारी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सूचना देने के अभिप्राय से विभिन्न समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं के लिये ६०० से अधिक प्रेस नोट और अन्य आइटम जारी किये गये। साप्ताहिक संवाद-पत्र जारी रहा और इस प्रकार के ५१ संवाद-पत्र, जिनमें विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यवाहियों का बयान था, प्रकाशन के लिये दिये गये। राज्य में समाचार-पत्रों को सरकारी सदस्यों के व्याख्यानों, रेडियो भाषणों के अतिरिक्त कई विशेष लेख भी भेजे गये।

फोटोग्राफ द्वारा प्रख्यापन

डायरेक्टरेट के फोटोग्राफिक सेक्शन ने राष्ट्र-निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की विभिन्न कार्यवाहियों का फोटोग्राफ लिया और प्रेस को ५,००० से अधिक फोटोग्राफ दिये गये। सरकारी पत्र-पत्रिकाओं में भी कई फोटोग्राफों का उपयोग किया गया।

फील्ड पब्लिसिटी

राज्य में १९५१ ई० में ५२ फील्ड पब्लिसिटी यूनिटों ने कार्य किया। इनमें से ५१ यूनिटें जिलों के हेडक्वार्टरों पर तैनात की गयी और एक यूनिट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर पर तैनात की गयी। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ के पाँच बड़े बड़े शहरों में से प्रत्येक शहर के जिला सूचना अधिकारियों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी भी था। जुलाई, १९५१ ई० में जिला सूचना अधिकारियों और अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों के १४ पद खाली थे, क्योंकि इन पदों के अधिकाँश अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। इन खाली जगहों को चुनाव समिति, जिसके अध्यक्ष विधान सभा के सदस्य, श्री कमलापति त्रिपाठी थे, द्वारा चुनावों के आधार पर भर दिया गया।

प्रख्यापन सम्बन्धी कार्यवाहियों में सयोजन के विचार से, जिलों में स्थापित जिला प्रख्यापन समितियों और कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ नगरों में बनायी गयी नगर प्रख्यापन समितियों द्वारा फील्ड प्रख्यापन कार्य में पहले गैर-सरकारी व्यक्तियों की राय मान्य समझी जाती थी, किन्तु यह देखा गया कि ये समितियाँ ठीक तरह कार्य नहीं कर रही थी और इनमें से एक समिति जिले में जो काम करती थी, वही काम अधिकतर दूसरी समिति भी करती थी। १९५० ई० के अन्त में सूचना विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति ने प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन के लिये सुझाव दिये और १९५१-५२ ई० के वित्तीय वर्ष में जिला तथा नगर प्रख्यापन समितियों को तोड़ दिया गया। उनके स्थान पर जिला मैजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला

नियोजन समितियाँ बनायी गयी। जिला नियोजन समितियों को प्रख्यापन कार्य के लिये ६०० रु० से लेकर ९०० रु० तक की धनराशि दी गयी, जैसी कि जिला प्रख्यापन समितियों के लिये दी जाती थी।

जिलों तथा मेलों में प्रख्यापन कार्य

फील्ड प्रख्यापन यूनिटें सरकारी कार्यवाहियों पर व्याख्यान आयोजित करती रहीं और जिले में अन्य प्रख्यापन कार्य भी करती रहीं। इन यूनिटों ने टिड्डियों को नष्ट करने, कृषि संरक्षण, महिला हितकारी योजना, साम्प्रदायिक शाँति अपराधशील जातियों के उत्थान, वयस्क जनों के प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण, जमींदारी विनाश कोष की वसूली, जन-गणना इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न जिलों में आयोजित गंगा के मेलों तथा विभिन्न अन्य मेलों में तीर्थयात्रियों को जनता के सुधारार्थ सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के लाभ से अवगत कराने के लिये प्रगाढ रूप से प्रख्यापन किये गये। निम्नलिखित मेलों में प्रख्यापन कार्य किये गये:—

गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ), ददरी (बलिया); ककोरा (बदायूं); अनूपशहर (बुलन्दशहर); राजघाट (बुलन्दशहर); बिठूर (कानपुर); अयोध्या (फैजाबाद); डलमऊ (रायबरेली); गंज (बिजनौर); टिगरी (मुरादाबाद); शिवराजपुर (फतेहपुर); परियारघाट (उन्नाव); नानमऊ (उन्नाव); गोवर्धननाथ (हमीरपुर); धाईघाट (शाहजहाँपुर); सिंघी रामपुर (फर्रुखाबाद); मकनपुर (कानपुर); लकड़मन्डी घाट (गोंडा) और चोचकपुर (गाजीपुर)।

मोटर गाड़ियाँ तथा पब्लिक ऐड्रेस एक्विपमेंट सेट

हरदोई तथा बिजनौर जिले को छोड़कर वर्ष समाप्त होने के समय समस्त जिलों के पास प्रख्यापन कार्य के लिये मोटर गाड़ियाँ थीं। हरदोई तथा बिजनौर जिले की दो मोटर गाड़ियों की कानपुर के सेन्ट्रल वर्कशाप में भारी मरम्मत की जा रही थी।

डायरेक्टरेट के पास २२ पिक-अप (जिनमें से एक बेकार थी), १० लैन्ड रोवर और २६ वान थी। २० मोटर गाड़ियाँ नवम्बर, १९५१ ई० में स्वीकृत की गयी थीं और १८ शेवरलेट पिक-अप और २ इन्टर नेशनल पिक-अप नवम्बर, १९५१ ई० में खरीदी गयी थी। जो पिक-अप और लैन्ड रोवर १९४६ ई० में खरीदी गयी थीं और अधिक इस्तेमाल के कारण टूट-फूट गयी थीं, उनकी मरम्मत रोडवेज वर्कशाप में की गयी।

रामपुर और टेहरी-गढवाल के अतिरिक्त प्रत्येक जिले को एक पब्लिक ऐड्रेस इक्विपमेंट सेट दिया गया, किन्तु इनमें से बहुत से सेट पुराने थे और उनकी जगह नये सेट देने पड़े। सब मिलाकर १९५१ ई० में ४६,५०४ रु० १४ आना की कुल लागत पर आधुनिक प्रकार के २३ नये सेट खरीदे गये।

सिनेमा की यूनिटें

वर्ष के अन्त में २३ जिलों के पास १६ मिलीमीटर की साउन्ड यूनिटें थी, किन्तु प्रत्येक सेट से दो समीपवर्ती जिलों में कार्य लिया गया। अलमोड़ा जिले के पास १६ मिलीमीटर का एक साइलेन्ट प्रोजेक्टर था। नियोजन विभाग को इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट स्कीम के सम्बन्ध में १६ मिली-मीटर का एक साउन्ड प्रोजेक्टर दिया गया। १० जिलों के पास कुछ समय तक ३५ मिलीमीटर के प्रोजेक्टर थे, परन्तु बहुत भारी होने की वजह से इन्हें अक्टूबर—नवम्बर, १९५१ ई० में वापस ले लिया गया (किन्तु इटावा जिले में ३५ मिलीमीटर का प्रोजेक्टर रहने दिया गया और वहाँ इसके अतिरिक्त १६ मिलीमीटर का भी एक सेट था)। आगामी वित्तीय वर्ष में १६ मिलीमीटर की ३० सिनेमा मशीनों के खरीदने का निर्णय किया गया।

"मच्छरों का उत्पात" फिल्म की तीन प्रतियाँ, "लोक तन्त्रप्रवर्तन" फिल्म की ६ प्रतियाँ और "समुदाय", "शिशु" तथा "माँ" फिल्मो की एक एक प्रतियाँ भारत सरकार से खरीदी गयीं और इन फिल्मो को उन जिलों में दिखाया गया, जहाँ १६ मिलीमीटर की मशीनें थीं। "अपराध निरोधक अधिकारी" (भाग १,२,३ और ४) की एक अन्य फिल्म इंगलैन्ड से खरीदी गय.। भारत सरकार से जो फिल्में मिलीं, उन्हें जिला सूचना अधिकारियों के पास भेज दिया गया, ताकि वे उन फिल्मों को अपने जिलों में बारी बारी दिखायें। सब मिलाकर १६ मिलीमीटर आकार की ७० फिल्में भारत सरकार से प्राप्त हुईं और १२ फिल्में खरीदी गयीं।

फिल्म

जनता के लाभ के लिये डायरेक्टरेट द्वारा चलायी गयी सामूहिक रूप से रेडियो सुनने की योजना जनप्रिय सिद्ध हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सेट लगाने के लिये कई माँगें आयीं। चूंकि अधिकाँश गाँवों में बिजली नहीं थी, इसलिये बैटरी द्वारा चालित रेडियो सेटों की अधिक माँग हुई। इस माँग को पूरा करने के अभिप्राय से डायरेक्टरेट ने बैटरी द्वारा चालित सेटों को ग्रामीण क्षेत्रो में बाँटने के लिये इकट्ठा करने के सम्बन्ध में लखनऊ की सरकारी सूक्ष्म यन्त्र फैक्ट्री से प्रबन्ध किया। इसके अतिरिक्त वर्ष में विभिन्न जिलों में लगभग ८० रेडियो सेट लगाये गये और उनमें से अधिकाँश रेडियो सेट न लौटाये जाने वाले अंशदान के आधार पर उधार दे दिये गये। प्रारम्भ में अंशदान की धनराशि २०० रु० प्रति सेट निर्धारित की गयी थी, परन्तु बाद में उसे घटाकर १२५ रु० प्रति सेट कर दिया गया।

सामूहिक रूप से रेडियो सुनने की योजना

सरकार को उसकी नीतियों और कार्यवाहियों की प्रतिक्रिया तथा जनमत से अवगत कराने के लिये बहुत से समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओ की परीक्षा की गयी और लगभग ७८,००० कटिंग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी। कई मामलों में सम्बन्धित समाचार-पत्रों का ध्यान झूठी रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया और उनसे इस प्रकार की रिपोर्टों का खंडन करने या उनको सही-सही छापने का अनुरोध किया गया। सरकारी सदस्यों की सूचना के लिये समाचार-पत्रों की प्रमुख विषयों पर आलोचनाओं के साप्ताहिक तथा पाक्षिक रिव्यू भी तैयार किये गये।

समाचार पत्रों की छानबीन

उत्तर प्रदेश प्रेस परामर्शदात्री समिति, जो १९४९ ई० में दो वर्ष के लिये फिर से बनायी गयी थी, का कार्यकाल ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त हो गया। समिति का कार्यकाल ३१ मार्च, १९५१ ई० से ६ महीने के लिये और बढा दिया गया और इसके बाद उसके फिर से बनाये जाने का प्रश्न विचाराधीन था। समिति को जिन बातो का निर्देश किया गया था, सरकार ने उनके सम्बन्ध में समिति के सुझावो को साधारणतया स्वीकार कर लिया। सरकार और समिति के सम्बन्ध वर्ष भर अच्छे बने रहे।

उत्तर प्रदेश प्रेस परामर्शदात्री समिति

आलोच्य वर्ष में सरकार ने किसी भी समाचार-पत्र के विरुद्ध जमानत माँगने और/अथवा जब्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की, किन्तु रामपुर के उर्दू साप्ताहिक "आजाद" और आगरा के हिन्दी दैनिक "सैनिक" का नाम बार बार अश्लील बातों को प्रकाशित करने के कारण "दुर्नामावलि" में दर्ज कर दिया गया, ताकि उनको अदालती नोटिसें जारी की जा सकें। उर्दू साप्ताहिक "आजाद" को एक आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के लिये चेतावनी दी गयी। आगरा के "सैनिक" का नाम प्रेस परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर अन्ततोगत्वा 'सद्नामावलि' में फिर से दर्ज कर लिया गया।

समाचार-पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

अध्याय ८—विविध

५६—स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग

इस वर्ष जन-स्वास्थ्य इञ्जीनियरिंग विभाग का नाम बदल कर स्थानीय स्वशासन इञ्जीनियरिंग विभाग रखा गया। स्थानीय निकायों ने उन अधिक ऋणों से, जो उनके लिये उपलब्ध किये गये थे, बहुत सी योजनाओं को प्रारम्भ किया। इसके फलस्वरूप विभाग की कार्यवाहियों में काफी वृद्धि हुई। को की कमी के कारण इन योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना स्थगित कर दिया गया था।

विभाग ने ५३ जल सप्लाई योजनाओं (१४०.८४ लाख रु० की लागत की, जो नई तथा पुनस्संगठित योजनायें है), ६०.८२ लाख रु० की लागत की २१ पानी निकास की योजनाओं, २३.३० लाख रु० की लागत की ४ बिजली सप्लाई योजनाओं और १३.१३ लाख रु० की लागत के ३ स्वास्थ्य-कार्य हाथ में लिया। इसके अतिरिक्त ४० जल सप्लाई सम्बन्धी सविस्तर योजनाएं, १२ जल सप्लाई सम्बन्धी संशोधित तखमीने, १४ पानी के निकास की योजनाएं, ४ पानी के निकास के संशोधित तखमीने, १३ बिजली सप्लाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं, उक्त निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एक संशोधित तखमीना और १७ लागत के पूर्वानुमान (जिसके लिये २६६.१२ लाख रु० की धनराशि अपेक्षित थी) तैयार किये गये और स्थानीय निकायो को भेजे गये।

विभाग के पथ-प्रदर्शन मे कानपुर मे पानी के सप्लाई के विस्तार की त्रैवार्षिक योजना, जिसमे २२.५ लाख रु० का व्यय होगा तैयार की गई। इस सम्बन्ध में पाइप लाइन को आर्डिनेन्स फैक्ट्री तक बढ़ाने के प्रयोजन से सरकार ने कानपुर विकास बोर्ड को ५ लाख रु० का ऋण दिया। विभाग ने जल सप्लाई को चकेरी हवाई अड्डे के क्षेत्र तक बढ़ाने के सम्बन्ध में होने वाली लागत का एक पूर्वानुमान तैयार किया और उसी प्रकार से उसे कानपुर के गोविंदनगर तक बढ़ाने के सम्बन्ध में पैमाइश की। कानपुर विकास बोर्ड को कानपुर गलीज उपयोग योजना के पहिले दौर के सम्बन्ध मे विभाग के एक अफसर की सेवायें अर्पित की गयी थी। इस योजना को कानपुर विकास बोर्ड ने पूरा किया, इसके कार्यान्वित होने के फलस्वरूप वर्ष के अन्त तक ३८० एकड भूमि में खेती की गयी थी।

स्थानीय स्वशासन इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा किये गये कुछ अधिक महत्व-पूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण नीचे दिया हुआ है :—

सम्पादित निर्माण-कार्य

(१) जल सप्लाई—जिला गढ़वाल में रतुरा, डूंगरी तथा कांडई नामक तीन गांवों मे तथा जिला सहारनपुर के कस्बा ज्वालापुर में जल सप्लाई योजनाओं का काम पूरा किया गया।

राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) की जल सप्लाई योजना के काम में भी काफी प्रगति हुई। इस वर्ष फिल्ट्रेशन प्लान्ट न आ सका और इसके कारण इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कुछ अस्थायी प्रबन्ध करने की आवश्यकता हुई। देहरादून में बंदलमेन की दोहरी लाइन बनाने का काम पूरा किया गया। इसी प्रकार मछोदरी तथा सिकरौल (बनारस) ट्यूबवेल्स के पम्पिंग स्टेशनो का निर्माण कार्य और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट तथा सेन्ट्रल जेल में जल सप्लाई का प्रबन्ध पूरा किया गया। रुड़की, झांसी, हरदोई, बांदा, अल्मोडा, आगरा

तथा इलाहाबाद की औद्योगिक बस्ती नैनी (इलाहाबाद) की अनेक योजनाएं प्रगति के विभिन्न स्तर पर थीं। जल की सप्लाई को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के कुछ नगरों में ६० ट्यूबवेलों का निर्माण कार्य चलता रहा। इनमें से २५ बनकर तयार हो गये और सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों के सुपुर्द कर दिये गये थे।

(२) बिजली लगाने की योजनाएं—उन्नाव में जहां एक बिजलीघर का निर्माण किया गया था और मई, १९५० ई० में चालू किया गया था सब-स्टेशनों में दो २०० किलोवाट के और दो १०० किलोवाट के ट्रान्सफार्मर लगाये गये और २४ घंटे बिजली देने का काम प्रारम्भ किया गया। वर्ष के अन्त में अल्मोड़ा में बिजली-घर की सज्जा परिपूर्ण की जा रही थी। नगर में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली दिन के १६ घंटे तक दी जाती थी। हल्द्वानी में अधिकांश निर्माण पूरा हो गया था और नगर को २४ घंटे बिजली दी जाती थी।

(३) पानी के निकास की योजनाएं—वर्ष के अन्त में अमरोहा में लगभग ४४ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। हाथरस में पानी के निकास की योजना दो भागों में विभाजित कर दी गयी थी। वर्ष के दौरान में पहला भाग लगभग पूरा हो गया था। उत्तरा खंड के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिये गरम पानी नामक स्थान पर एक यात्री शाला बनाने का काम भी पूरा हो गया था।

६०—स्थानीय कोष लेखे

स्थानीय कोष लेखा परीक्षा विभाग ने कुल ३,०६१ लेखों को जाँचा, जबकि पिछले वर्ष २,८२७ ही लेखे जाँचे गये थे। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लेखों में सम्मिलित किये गये अनेक धर्मदाय ट्रस्ट कोष भी थे। कुल लेखों में से २,३८३ लेखो की लेखा-परीक्षा निःशुल्क की गयी।

निरीक्षण

गजटेड अफसरों द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या पिछले वर्ष की १,१८१ से बढ़कर इस वर्ष १,३७५ हो गयी। इनके अतिरिक्त अधिकांश निरीक्षण रेन्ज कार्यालयों में सम्बद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा किये गये।

आय और व्यय जिनकी जांच-पड़ताल हो चुकी है

समस्त स्थानीय निकायो और अन्य संस्थाओं तथा कोषो की कुल आय और व्यय जिनकी जाच-पड़ताल की गई क्रमशः २०,४०,६९,००० रु० और २०,६९,९२,००० रु० थे, जबकि पिछले वर्ष २०,४१,१७,३०० रु० और १८,१३,२३,२०० रु० थे। कुल व्यय में २ १/२ करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि हुई।

स्थानीय निकायों मे लेखों का वित्तीय तथा सामान्य दशा

स्थानीय निकायो की सामान्यतः वित्तीय दशा संतोषजनक नही थी। ७३ बोर्ड अपने व्यय को अपनी वार्षिक आय के अनुसार सीमित नही रख सके और २३ बोर्डों के दायित्व उनकी पूंजी से बहुत अधिक बढ़ गये। अधिकांश बोर्डों को अपनी बचत की धनराशि का सहारा लेना पड़ा। लेखों के देखने से यह स्पष्ट है कि बोर्डों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये अपने व्यय मे कमी करने के अतिरिक्त बकाया की वसूलियो के मामले मे कड़ाई बर्तनी पड़ेगी और चुगी तथा सीमांत कर के कर्मचारिवर्ग के कार्य पर कड़ी देख-रेख एवं जांच करनी पडेगी। लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर भलीभांति ध्यान नही दिया जाता रहा और लेखा परीक्षा की खास खास आपत्तियो को दूर करने में अधिकतर बिलम्ब किया गया।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का सम्बन्ध है, ३५ बोर्डो के लेखो की दशा या

के समान डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की वित्तीय स्थिति पर, सामान्यतया उनके कर्मचारियो के संशोधित वतन-क्रम के लागू हो जाने के फलस्वरूप बुरा प्रभाव पडा। कुछ बोर्डों ने तो अपने व्यय को पूरा करने के लिये सरकार से अल्प-कालीन ऋण की मांग की। वाजिब छूटे उदारतापूर्वक दी गयी और करों की वसूली के सम्बन्ध मे, जिनका बकाया प्रतिवर्ष बढ़ रहा था, सख्त कानूनी कार्यवाहियां नही की गयी। अधिकाश बोर्डों ने पिछली लेखा परीक्षा आपत्तियो पर ध्यान नही दिया।

गबन तथा जालसाजी के मामले

गबन तथा दुरुपयोग के मामलों में अधिक वृद्धि हुई; देख-रेख में असावधानी तथा नियमो के न पालन किये जाने के कारण व्यपहरण हुए। लेखो की हालत के लगातार बिगड़ने का प्रमुख कारण यह था कि अपराधियो के साथ सख्ती नही बरती गयी।

लेखा परीक्षा के समय इटावा, अतरौली, तिलहर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मसूरी, कासगंज, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बनारस भदोही, हरद्वार, इलाहाबाद, कोसी और लखनऊ की म्युनिसिपैलिटियो और इलाहाबाद, आगरा, बाराबकी, इटावा, एटा, देवरिया, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, बरेली, आजमगढ, जौनपुर तथा नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों मे गबन तथा दुरुपयोग के फलस्वरूप हानियां पाई गयी। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी मे लगभग १ लाख रुपये के गबन का पता लगाया गया और इलाहाबाद तथा आगरा के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में पूर्वोपाई कोष लेखा में भारी गबन के मामले पकडे गये। मिश्रिख तथा नीमसार और अहरौरा की नोटीफाइड एरिया मे और इलाहाबाद, बरेली, हरदोई, झांसी तथा गाजीपुर की टाउन एरिया में भी गबन के मामले हुए। देवरिया और गोडा में कोर्ट आफ वार्ड्स लेखे में व्यपहरण पाये गये।

विशेष लेखा परीक्षा

अतरौली, कानपुर तथा चन्दौसी के म्युनिसिपल बोर्डों, बनारस के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, के० डी० ई० एम० इन्टरमीडियेट कालेज, बरेली, सेन्ट ऐन्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर, गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ, बनारस के एलेक्शन आफिस तथा कलेक्टोरेट के लेखो की भी विशेष लेखा परीक्षायें की गयी।

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के दावे

पाकिस्तान उपनिवेश तथा भारत संघ के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप स्थानीय निकायो के उन भूतपूर्व कर्मचारियो के दावो के सत्यापन के अधिकांश मामलो की जांच की गयी, जिन्होने पाकिस्तान को प्रव्रजन किया था और संघ सरकार को समय समय पर उनके परिणाम भेजे गये। यह आशा की गयी थी कि समस्त दावो का सत्यापन १९५२ ई० के प्रारम्भ में ही पूरा हो जायगा।

लेखा-पालों की परीक्षा

म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेखा-पालो की परीक्षायें पूर्व की भांति दिसम्बर में हुईं। किन्तु परीक्षाफल बहुत ही असन्तोषजनक रहा। म्युनिसिपल बोर्ड लेखापाल की परीक्षा मे २७ उम्मीदवारो मे से केवल दो उम्मीदवार सफल हुए और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेखापाल की परीक्षा में २४ उम्मीदवारो में से ६ उम्मीदवार सफल हुए।

६१--निरीक्षण कार्यालय

आलोच्य वर्ष में विलीनीकृत राज्यो में सरकारी कार्यालयो के अतिरिक्त दीवानी अदालत के ३०० कार्यालय निरीक्षण कार्यालय की अधिकार सीमा में रखे गये।

विगत वर्षों की भांति निरीक्षण कार्यालय प्रमुख रूप से विभागाध्यक्षकों को उनके अधीनस्थ विभागों की कार्यविधि के नियमों को बनाने तथा उनमें संशोधन करने के सम्बन्ध में परामर्श एवं सहायता देता रहा। उक्त कार्यालय विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्य को सरल बनाने के उपाय बतलाने, कार्यालय की कार्यविधि में दोषों को दूर करने और सरकारी कार्यालयों में जनता के मामलों का निपटारा करने के सम्बन्ध में और अधिक क्षमता लाने पर विशेष ध्यान देता रहा।

वर्ष में ७५७ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में ६७ मामलों की विशेषरूप से जांच की गयी। निरीक्षण कार्यालय ने माल बोर्ड, डिवीजनों के कमिश्नरों, भूमि-व्यवस्था कमिश्नर इत्यादि के बीच कर्मचारिवर्ग का फिर से बंटवारा करने के सम्बन्ध में सहायता प्रदान की, जो कतिपय कार्यालयों के कार्यों के पुनस्संगठन की दृष्टि से आवश्यक हो गया था और कार्यालय के विभिन्न मैनुअलो में भी आगे पारिणामिक संशोधन करने में सहायता दी।

६२—उत्तर प्रदेश तथा बिहार का शुगर कमीशन

पहले की भांति उत्तर प्रदेश तथा बिहार के शुगर कमीशन ने चीनी तथा गन्ने के मूल्य और चीनी मिलों के वर्तमान स्थिर यन्त्रो (plants) में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन से सम्बन्धित सभी मामलों में सरकार को परामर्श दिया।

चीनी उत्पादन के बढ़ाने के उपाय

१९५०-५१ के गन्ना पेरने के मौसम में अनेक समस्यायें उपस्थित हुयीं। देश में चीनी का अभाव था। गुड़ और खंडसारी के मूल्य अधिक ऊंचे थे और यह समझा जाता था कि इन वस्तुओं के बनाये जाने से अधिक मात्रा में गन्ने की खपत होगी। दानेदार शकर की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनो इस बात की इच्छुक थीं कि शकर का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाय। यह तभी संभव हो सकता था जबकि उद्योग को कोई प्रलोभन दिया जाय। अतएव भारित सरकार ने यह उद्घोषित किया कि पिछले वर्ष तैयार की गई शकर से १०७ प्रतिशत से अधिक जितनी शकर तैयार की जायगी उसे चीनी मिलें खुले बाजार में बेच सकती हैं। इस सुविधा के दिये जाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति हुई और बाजार में गुड़ तथा खंडसारी शकर के मूल्य चढ़े होने पर भी दानेदार शकर का उत्पादन १९५०-५१ के पेराई के मौसम में १९४९-५० के ४,६७,२०३ टन से बढ़कर ५,९३,३३७ टन हो गया।

चीनी का मूल्य

इस मौसम के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा १ रु० १२ आ० प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया था और उस पर अबवाब (Cess) ३ आना प्रति मन के हिसाब से लागू रक्खा गया। पिछले वर्षों के विपरीत इस वर्ष शकर का मूल्य प्रादेशिक आधार पर निर्धारित किया गया और उक्त प्रयोजन से राज्य को पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पश्चिमी प्रदेश के चीनी के मिलों में जो शकर तैयार की गई उस पर मिल के बाहर ३० रु० ८ आ० प्रतिमन की दर से निर्धारित किया गया जबकि पूर्वी प्रदेश के चीनी के मिलों में तैयार की गई शकर का मूल्य ३२ रु० प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया। इन मूल्यों के निर्धारित करने में दोनों प्रदेशो में शकर के उत्पादन पर होने वाली लागत का समुचित रूप से ध्यान रखा गया था।

शक्कर उद्योग का विकास

राज्य में विशेषतः राज्य के पूर्वी जिलों में शक्कर उद्योग के सुदृढ़ करने का प्रश्न कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। इस उद्देश्य से कि भविष्य में इस उद्योग के संबंध में किस प्रकार से योजनायें बनाई जायं और इसका विकास किया जाय मार्च, १९५१ ई० में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश म शक्कर उद्योग की जाँच पडताल करने तथा इसके विकास के लिये उपयुक्त सिफारिश करने के प्रयोजन से एक समिति नियुक्त की गई जिसमें तत्सबंधी विभिन्न हित सम्मिलित थे। वर्ष समाप्त होने के पूर्व सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई और समिति जिन निष्कर्षों पर पहुंची थी सरकार प्रायः उन सबसे सहमत थी। विशेषतः जिन बातो से सरकार सहमत थी, वे ये हैः—

(१) पूर्वी जिलों में कारखानों के अत्यधिक इकट्ठे होने के कारण इस क्षत्र के कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नही सप्लाई हो पाता है। उद्योग के हित मे यह आवश्यक है कि इन जिलो के कुछ कारखानो को राज्य के अन्दर अधिक उपयुक्त स्थानो में हटा दिया जाय।

(२) शक्कर उद्योग को जिन बढ़ती हुई कठिनाइयों का सामना करना पडा उसमे प्रति एकड़ गन्न की उपज का कम होना सबसे मुख्य कठिनाई है और यह उपज की कमी तथा गन्ने की कम सप्लाई सिंचाई की सुविधा विशेष कर पूर्वी जिलों में कम होने के कारण है और यह उर्वरकों की सप्लाई में कठिनाई तथा यातायात की कमी के कारण है।

समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाहियाँ की गईं और यह प्रस्ताव किया गया कि प्रदेश मे चीनी उद्योग के विकास तथा सुधार के प्रयोजन से आगामी पाँच वर्षों के लिये एक योजना बनाई जाय।

१९५१-५२ के मौसम में भारत सरकार द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य १ रु० १२ प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया और उस पर लगने वाला अबवाब (Cess) ३ आ० प्रति मन की दर से ही लागू रहा। पश्चिमी रीजन (प्रदेश) की मिलों में तैयार की जाने वाली शक्कर का मिल के बाहर मूल्य ३० रु० ८ आ० प्रति मन की दर से और पूर्वी रीजन (प्रदेश) की मिलो मे तैयार की जाने वाली शक्कर का मूल्य ३१ रु० ८ आ० प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया। जहाँ तक १९५१-५२ की पेराई के मौसम का संबंध है शक्कर के वितरण पर किए जाने वाले आंशिक अथवा विशिष्ट नियंत्रण में उदारता बरती गई। केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चित किया कि १९४८-४९ और १९४९-५० के मौसमों म होन वाली प्रत्यक मिल से तैयार किये जाने वाले औसत परिमाण मिल के मल कोटे के रूप में निर्धारित किये जायंगे और प्रत्येक मिल के मूल कोटे से अधिक उपज का आधा भाग खुले बाजार में बेंचा जायगा और आधा भाग मूल कोटे के साथ नियंत्रित मूल्य पर वितरण किये जाने के लिये सुरक्षित रखा जायगा। यह भी निश्चित किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई को बराबर बनाए रखने तथा मूल्य में अनुचित वृद्धि को रोकने के प्रयोजन से समस्त चीनी मिलो के उत्पादन का अधिक से अधिक ५ प्रतिशत तक मुक्त की जानी चाहिए। कारखाने से बगैर नियन्त्रण के बेचने के लिए इस प्रकार मुक्त किया गया कुल परिमाण का उस कोटे में समाधान कर लिया जायगा जिसे पेराई के मौसम के बाद उस कारखाने को खुले बाजार में बेचन का अधिकार होगा।

इस नीति का उद्देश्य यह था कि शक्कर के बढ़े हुए उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाय।

६३—मुद्रण तथा लेखन सामग्री

सरकार के प्राय सभी विभागों के कामों मे वृद्धि होने के कारण छपाई के काम में भी लगातार वृद्धि होती गई। सरकारी छापखाने ने, जिसन अपने हाथ में काम का बहुत बडा भाग लिया था, अपनी पूरी शक्ति भर काम किया। श्रम जाँच समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकारी छापेखाने में ठेके पर काम करने (पीस वर्क) के स्थान पर नियत समय में काम करन (टास्क सिस्टम) की प्रणाली चलाई गई।

ऐशबाग, लखनऊ में नये सरकारी छापेखाने की मुख्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो गया और यूनाइटेड किंगडम से मंगाई गई अन्य मशीनों के आन तथा लगाये जाने की प्रतीक्षा की जा रही थी। वाशिंगटन म स्थित कॉग्रेसनल प्रेस के आधार पर छापेखाने म विधान मंडल की कार्यवाहियों की छपाई के लिए एक आत्म-निर्भर यूनिट की अलग व्यवस्था कर दी गई।

१९५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष में सरकार के विभिन्न विभागों को लगभग ४५,००,००० रु० की लागत की लेखन-सामग्री सप्लाई की गई।

६४—अर्थ तथा संख्या

मूल्यों के आँकड़े

अर्थ तथा संख्या विभाग ने पूर्व की भांति कृषि तथा उद्योग संबंधी वस्तुओं और दनिक उपयोग की वस्तुओं और पशुधन तथा उनसे मिलने वाली वस्तुओं के मूल्यों के आँकड़ों को एकत्र तथा संकलित किया। मूल्यों की सूचियाँ तैयार की गईं और उनके आधार पर मूल्यों के चढ़ाव-उतार के संबंध में समीक्षाएं तैयार की गईं।

एक हाल के आधारवर्ष के आँकड़ों के आधार पर कृषि संबंधी वस्तुओं के थोक मूल्यों की तथा उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की सूचियों के संशोधन का काम हाथ में लिया गया। एक हाल के आधारवष के आकड़ों के आधार पर औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों की सूचियाँ तथा औद्योगिक उत्पादन के आँकडे तयार करन का भी प्रयत्न किया गया।

व्यापारिक आंकड़े

उत्तर प्रदेश के वाह्य व्यापार की प्रवृत्ति को समझन के विचार से विभाग ने राज्य के शुद्ध निर्यात के आंकड़े तैयार करने का काम हाथ में लिया, जिसमें राज्य की शुद्ध निर्यात के रूप मे भजी जान वाली कुछ विशष वस्तुओं के पृथक पृथक तथा सामूहिक रूप से परिमाणों के अंतर दखलाय गये। यह निश्चित किया गया था कि इन सूचियों को विभाग द्वारा निकाली जाने वाली आँकड़ों के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाय।

कृषि की उपज और तत्सम्बन्धी मूल्य के आंकड़े

कृषि की उपज और तत्संबंधी मूल्य के आंकडे तैयार करने का काम कृषि उपज के परिमाण तथा मूल्य की विभिन्नता को निर्धारित करने के काम को सुकर बनाने के प्रयोजन से हाथ में लिया गया। यह निश्चित किया गया है कि इन्हें भी आँकड़ों के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया जाय।

औद्योगिक आँकड़े

आलोच्य वर्ष इस राज्य मे इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स एक्ट, १९४२ ई० के लागू होने का छठवाँ वर्ष था। कारखानो से जो आँकड़े संग्रह किए गए थे उनसे उनकी पूंजी की व्यवस्था, काम पर लगाये गय श्रमिकों की संख्या,

उपयोग किए गए कच्चे माल तथा ईंधन और तैयार किए जाने वाले माल के परिमाण तथा मूल्य का पता चलता है ।

प्रकाशन

आँकड़े की मासिक बुलेटिन का नियमित रूप से निकलना जारी रहा । इस वर्ष विभाग द्वारा जो अन्य बुलेटिनें निकाली गईं वे ये हैं—(१) 'ग्रोथ आफ फैक्ट्रीज इन यू० पी० एन्ड नीड फार देयर प्लान्ड डेवलपमेन्ट', (२) टु वर्ड्स ए बैटर एकानमी और (३) 'ए गाइड टु करेन्ट आफीशियल स्टेटिस्टिकल पब्लिकेशन्स' ।

जांच और अनुसंधान

(१) पारिवारिक बजट की जाँच—इस राज्य के १५ चुने हुए नगरों में संग्रह किए गए पत्रकारों के पारिवारिक व्यय संबंधी आँकड़ों को संकलित करने का काम पूरा किया गया । अध्यापन, वकालत और चिकित्सा संबंधी तीन अन्य पेशों के संबंध में उसी प्रकार के आँकड़े पहले ही संग्रह किए जा चुके थे ।

(२) फसलों को पैदा करने में होने वाली लागत के संबंध में जाँच—इस संबंध में संग्रह किए गये आकड़ो के संबंध में तालिका तैयार की जा रही थी । 'हमारा किसान क्या खाता है ?' शीर्षक के अंतर्गत एक टिप्पणी प्रकाशित की गई, जिसकी ओर बहुत से लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ । सहकारी तथा यन्त्रीकृत कृषि के अनुसार खेती करने में होने वाली लागत की तुलनात्मक समीक्षा करने के उद्देश्य से तीन नए गाँवो में जाँच-पड़ताल जारी रखी गई ।

(३) गाँव संबंधी जाँच—अधिकांश आँकड़े जो वर्ष के अन्त में इस जाँच के अन्तर्गत संग्रह किए गए थे वे रिपोर्ट तैयार करने के प्रारंम्भिक कार्य के रूप में सकलित किए जा चुके थे और उनके संबंध में तालिका बनाई जा चुकी थी ।

(४) मजदूरी के संबंध में जाँच—गाँवों और शहरों में मजदूरी के संबंध में जो जाँच की गई थी उसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा किया गया ।

(५) रुई संबंधी आँकड़े—३१ अगस्त, १९५१ ई० को व्यापारियों के पास रुई का जितना स्टाक था उसके आँकड़े यू० पी० काटन स्टेटिस्टिक्स एक्ट, १९४७ ई० के अधीन प्राप्त किए गए और सब आँकड़ों का एक संकलित विवरण-पत्र इंडियन सेन्ट्रल काटन कमेटी, बम्बई को भेजा गया ।

(६) जिला आर्थिक जाँच—जिला आर्थिक जाँच के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आँकड़े एकत्र करने तथा उन्हें अंतिम रूप से संकलित करने के उद्देश्य से उनकी छानबीन करने का काम जारी रहा ।

(७) राज्य की राष्ट्रीय आय—१९४६-४७ ई० से १९४९-५० ई० तक की चार वर्षों की अवधि के लिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय का तखमीना लगाया गया ।

लगभग ६०० गाँवों में नमूने के तौर पर जाँच-पड़ताल करके राज्य के गाँवों से होने वाली आय का तखमीना लगाने के लिए एक योजना तैयार की गई । इच्छानुकूल नमूने के आधार पर गाँव चुने गए और नमूने के प्रत्येक गाँव में परिवारो की पूर्णरूप से गणना की गई । प्रत्येक परिवार से उसके पेशे, कुटीर उद्योग इत्यादि के संबंध में विवरण एकत्र किए गए । नमूने के परिवार चुने गये और एक पाइलट जाँच-पड़ताल का काम प्रारम्भ किया गया ।

(८) नौकरी संबंधी ऑकडे--राज्य सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई नौकरियों के संबंध में तखमीना तैयार करने के लिए प्रयत्न किया गया । प्रारम्भ में राज्य कर्मचारियों के संबंध में उनके वेतनों की श्रेणियों के अनुसार हर छः महीने बाद ऑकडे तैयार किये गये और इन अस्थायी ऑकड़ो को ऑकड़ो की बुलैटिन (बुलैटिन आफ स्टेटिस्टिक्स) में प्रकाशित किया गया ।

६५--ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल तथा आफिशल ट्रस्टी, यू० पी० का कार्यालय

ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल और आफिशल ट्रस्टी के प्रशासन के अधीन २३ ट्रस्ट और २८० रियासतें थी और इनसे लगभग ३०,००० रुपये की आमदनी थी। कुल विक्रयधन लगभग १२ लाख रुपये था ।

हाई कोर्ट द्वारा लेटर्स आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन स्वीकृत करने के कारण बहुत सी रियासतें प्रशासन के अन्तर्गत आ गई और अन्य रियासतें उत्तराधिकारियों तथा रिक्थसाधकों (executors) के प्रार्थना पर और ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल्स ऐक्ट की धारा २५ के कारण प्रशासन के अंतर्गत आ गईं ।

२,००० रुपये की मालियत तक के प्रशासन तथा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र देने के अधिकार का प्रयोग करके ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल तथा आफिशल ट्रस्टी ने इस वर्ष ३५ प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये।

विभाग के राजस्व में काफी वृद्धि हुई । बहुत से दावों का फैसला किया गया और उनका भुगतान किया गया । कुछ रियासतों को, जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे या जिनके उत्तराधिकारियों का पता नहीं लगाया जा सका, सरकार ने जब्त कर लिया ।